षष्ठ माला, खंड 26, अंक 41 शुक्रवार, 20 अप्रैल, 1979/30 चैत्र, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Preservation Unit
14-10-92
Parliament Library

[सातवां सत्र]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (1) 2
Date 1 - X - 79

[खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 41, शुक्रवार, 20 अप्रैल, 1979/30 चैत्र, 1901 (शक)

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 804, 807 से 810, 814 और 815 . . . 1–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 805, 806, 811 से 813 और 816 से 823 . . 14–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 7801 से 7855, 7857 से 7869, 7871 से 7875, 7877 से 7892, 7894 से 7900, 7902 से 7962, 7964 से 7992 और 7994 से 8000 . . 19–143

अतारांकित प्रश्न संख्या 5468 दिनांक 30–3–1979 के उत्तर शुद्ध करने वाला विवरण . . 143

उत्तर प्रदेश में श्री गुरुदत्त सोलंकी और श्री गोविन्द सिंह द्वारा भूमि के सौदे के बारे में वक्तव्य 143–144

श्री एच० एम० पटेल 143–144

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . 144–145

विधेयक पर अनुमति 146

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 146–150

भारतीय सीमाओं के पार भारी सैनिक तैयारियों का समाचार—

श्री पी० राजगोपाल नायडु 146

श्री जगजीवन राम . . . 146

श्री विजय कुमार मल्होत्रा . 147

श्री कंवर लाल गुप्त . 148

लोक लेखा समिति

58 वां और 125 वां प्रतिवेदन 150

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

35 वां प्रतिवेदन . . . 150

सभा की कार्यवाही 150–152

नियम 377 के अधीन मामले 152–154

(एक) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद में विलम्ब . . 152

श्री राघवजी 152

(दो) वैगनों की सप्लाई न किये जाने के कारण आन्ध्र प्रदेश की निजामाबाद मण्डी के व्यापारियों, कमीशन एजेन्टों द्वारा हड़ताल 152

श्री एम० सत्यनारायण राव 152

(तीन) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन द्वारा भूख हड़ताल . 153

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर 153

(चार) मध्य प्रदेश में कापा के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम के एक गोदाम में आग लगना 153

श्री गोविन्द राम मिरी 153

(पांच) पश्चिम तट राजपथ के निर्माण में विलम्ब 154

श्री ए० सी० जार्ज 154

अनुदानों की मांगें, 1979–80—जारी 154–193

(एक) वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय—जारी. . . . 154

श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव 154

*किसी नाम पर अंकित यह † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

1—173 L.S.S.(ND)/79

विषय	पृष्ठ
श्री युवराज	156
श्री बी० राचैया	157
श्री छविराम अर्गल	159
प्रो० पी० जी० मावलंकर	162
श्री पियूष तिर्की	165
श्री मोहन धारिया	167
(दो) पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	182
श्री एस० एस० सोमानी	183
श्री के० पी० कोसलराम	185
श्री धर्मसिंह भाई पटेल	190
श्री पी० राजगोपाल नायडु	193
विधेयक पुरःस्थापित—	193–194
(1) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वजन प्रसारण विधेयक—	193
(श्री पी० राजगोपाल नायडु का)	193
(2) अनन्तिम कर संग्रह (संशोधन) विधेयक (धारा 4 और 5 का संशोधन)	193
(श्री हरि विष्णु कामत का)	193
(3) सरस्वती महल पुस्तकालय विधेयक	194
(श्री ओ० वी० अलगेशन का)	194
(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 125 और 127 का संशोधन)	194
(श्री जी० एम० बनातवाला का)	194
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा 2 और 5 का संशोधन)	194–216
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री जी० एम० बनातवाला	194
श्री ए० सी० जार्ज	200
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	200
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	202
डा० कर्ण सिंह	204
श्री सी० एम० स्टीफन	206
श्रीमती कमला बहुगुणा	207
श्री तेज प्रताप सिंह	208
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया	209
डा० रामजी सिंह	209
श्री पी० के० कोडियन	211
श्री ए० अशोक राज	212
श्री बृजभूषण तिवारी	213
श्री पी० शिवशंकर	214
श्री चित्त बसु	216
आधे घण्टे की चर्चा	216–222
चम्बल घाटी के विकास की योजना—	216
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया	216
श्री फजलुर्रहमान	219
डा० रामजी सिंह	221
श्री युवराज	221

लोक-सभा

शुक्रवार 20 अप्रल, 1979/30 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशों में कम्पनियों के बीच शेयरों के अन्तरण के मामलों को सम्मिलित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

*804. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यूनियन कार्बाइड द्वारा शेयरों की बिक्री के बारे में 9 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में समुचित संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है कि विदेशों में दो कम्पनियों के बीच शेयरों के अन्तरण के मामले भी इसकी परिधि में आ जायें; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में पंजीकृत कम्पनियों के शेयरों का अन्तरण विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है भले ही यह अन्तरण एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को किया गया हो । किंतु यदि शेयरों का अन्तरण ऐसी दो कम्पनियों के बीच होता है जिनमें से दोनों विदेश में पंजीकृत हों तो यह लेन-देन राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और इस प्रकार के लेनदेनों का विनियमन करने के लिए अपने राज्य क्षेत्र से बाहर अधिकार धारण करना संभव नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप तो श्री कृष्णम् द्वारा भेजे गये पहले के प्रश्न के बारे में दिये गये अपने उत्तर को, दोहरा रहे हैं । महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिसमें अमरीका की एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी का, भारत में चालू एक उस कम्पनी को नियंत्रण में रखने का स्वार्थ निहित है, जो कि अपने हित को, भारत सरकार को सूचित किये बगैर, ब्रिटेन की एक और बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को हस्तान्तरित कर गई है । इसलिए कोई हस्तान्तरण जो भारत स्थित कम्पनी पर प्रभाव डालता है, यह आवश्यक हो जाता है कि उसको देश के कानून के अनुशासन के भीतर लाया जाये । क्या कम्पनी कानून में ऐसे प्रावधान नहीं है और क्या विदेशी मुद्रा विनियमों के विचार से उस पर कोई पाबन्दी नहीं लगनी चाहिये ? जहां ऐसे हस्तान्तिरण जो कि बड़े ही प्रभावी ढंग से करते रहते हैं, उन अन्य देशों में ऐसे मामलों के बारे में क्या स्थिति है । और यदि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है तो, इस प्रकार के लेन-देनों पर, जो कि देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं, कौन नियंत्रण करेगा ?

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, यूनियन कार्बाइड कम्पनी अमरीका में संस्थापित है । उसकी एक पूर्ण स्वामित्व की अपनी एक सहायक कम्पनी है, जिसे ब्रिटेन में बी० एक्स० एल० के नाम से जाना जाता है। वह ब्रिटेन में संस्थापित है । ब्रिटेन स्थित बी० एक्स० एल० की अपनी एक सहायक कम्पनी है जिसे बी०एक्स०एल०–पी०एम०जी० कहा जाता हैं और जो शत प्रतिशत बी०एक्स०एल० की सहायक कम्पनी है । और बी०एक्स०एल० –पी०एम०जी० के सिकन्दराबाद अवस्थित बेकलिटे हाइलम में 50 प्रतिशत शेयर हैं । बी०एक्स०एल०–पी०एम०जी० के किसी भी शेयर को हस्तान्तरित नहीं किया गया है । ब्रिटेन स्थित एक अन्य कम्पनी बी०एक्स०एल०के शेयर हस्तान्तरित किये गये हैं। यह तो एक ऐसी कम्पनी है जो कि इग्लैंड में है और वह हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आती ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसी तरह तो अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी काम करती है।

श्री सतीश अग्रवाल : बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां विश्व भर में चालित हैं और उनकी सैकड़ों ही सहकारी कम्पनियां हैं, परन्तु वे सब भारत से बाहर ही संस्थापित हैं। वे अपने शेयर उन कम्पनियों को हस्तान्तरित कर रही

हैं, परन्तु जहां तक बेकलिटे हाइलम का सम्बन्ध है, यूनियन कार्बाईड या अन्य किसी और कम्पनी ने अपना एक भी शेयर हस्तान्तरित नहीं किया

श्री ज्योतिर्मय बसु : कम्पनियों और एम० आर० टी० पी० अधिनियमों पर बनी उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में, अर्थात् सच्चर समिति के प्रतिवेदन में, स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया है :

"जैसा कि पिछले पैराग्राफों में संक्षिप्त रूप में बताया गया है, हमारे विचार से विदेशी कम्पनियों की स्थिति बिल्कुल ही असंतोषजनक है। हम विशेषकर उस कार्यप्रणाली के विरुद्ध हैं जिसमें पहले तो उन कुछ संगठित निकायों को, जो कि भारत के बाहर संस्थापित हैं, विदेशी कम्पनियों के रूप में पंजीकृत किया जाए और फिर अधिनियम की बहुसंख्य धाराओं को समय-समय पर, जहां-तहां अप्रत्यक्ष उपबन्ध तैयार करके, उस पर लागू किया जाए, जो कि अन्यथा उन पर लागू नहीं होते। इसके बजाय, कुछ ऐसी शर्तें लागू करना अपेक्षित होगा, जिसमें वे सब संगठित निकाय, जो भारत में व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक हों, इस देश के कानून के अधीन पंजीकरण और निगमन की सामान्य पद्धति को अपनाते हुए, देश के कानून के अनुशासन के अधीन अपने को आवश्यक रूप से अनुशासित रखेंगे।"

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरों को इसे पढ़ने के अवसर से वंचित कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : "इस अवस्था पर, पहुंचकर, समिति का यह विचार है कि सरकार शायद आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना चाहे तो, तब तक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लोक हित में की जाने वाली अतिरिक्त छूटों के सम्बन्ध में, विधि में समुचित फेर-बदल करने के लिए, उन मामलों पर विचार करना चाहिये, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।"

उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए, क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को, सत्ता प्राप्त भारतीय प्राधिकारियों के नियंत्रण में लाने के लिये, विदेशी-मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : विधि के दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न की जांच-पड़ताल की गई है। यदि भारत के बाहर संस्थापित कम्पनियां, अपने शेयर स्वयं अपने बीच हस्तान्तरित करती हैं तो, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तो बीच में ही नहीं आता। 1973 से पूर्व तो ऐसी स्थिति थी कि यदि हस्तान्तरण एक गैर-निवासी द्वारा दूसरे गैर-निवासी को किया जाता था तो इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। परन्तु 1973 में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन किये जाने के बाद . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : और आगे संशोधन किया जाना आवश्यक है।

श्री सतीश अग्रवाल : 1973 में किये जाने वाले उस संशोधन के कारण, यहां स्थित किसी भी कम्पनी में कोई भी शेयर, गैर-निवासी द्वारा गैर-निवासी कम्पनी को, गैर-निवासी द्वारा निवानी को या निवासी द्वारा गैर-निवासी को किये जाने को धारा 19, के अन्तर्गत रखा गया है। परन्तु भारत के बाहर संस्थापित कम्पनियों द्वारा कम्पनियों को हस्तान्तरित किये गये शेयरों के सम्बन्ध में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम बीच में नहीं आता और न ही यह बीच में आ सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने एक बिलकुल ही विशिष्ट प्रकार का प्रश्न उठाया है कि क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि विधिक मत इसके विरुद्ध है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौन सा विधिक मत ? केवल सरकार की राजनीतिक इच्छा ही आवश्यक होती है। वह यहां पर मंत्री हैं कोई अधिवक्ता नहीं हैं। उन्हें तो हमें यह बताना चाहिये कि क्या सरकार इस प्रकार के गुप्त लेनदेनों को भारतीय प्राधिकारियों के नियंत्रण में लाने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने की इच्छुक है।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह तो भारत के बाहर अवस्थित कम्पनी द्वारा शेयरों के हस्तान्तरण है। हस्तान्तरण तो भारत के बाहर सम्पन्न हुआ है। कम्पनी भारत के बाहर अवस्थित है। वे तो एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है जो कि विश्व भर में अपना जाल बिछाये हुये हैं और वे स्वयं अपने शेयरों की अदला-बदली कर रहे हैं। हमारा उससे क्या मतलब है? **(व्यवधान)** जहां तक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ आपके सम्बन्धों का प्रश्न है मैं भी उनसे उतना ही सम्बद्ध है। जनता सरकार के सत्ता में आने के दो वर्षों में सरकार के पास 883 अधूरे पड़े प्रतिवेदनों में से, मुश्किल से 30% ही अब अधूरे पड़े है। और शेष को निपटा दिया गया है।

समस्त बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सीमा-क्षेत्र में लाया गया है । उस प्रकार से यह एक महान उपबब्धि है । जहां तक इसका सम्बध है, भारत सरकार, लाभांशों या व्याज के भुगतान, अथवा भारत के बाहर संस्थापित कम्पनियों के शे को, कसे किसी कानून के अधीन ला सकती हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु उनकी गतिविधियां तो भारत में चल रही हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : . . .जहां तक भारत का सम्बन्ध है उनके शेयर प्रभावित नहीं हैं । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर तो उन्होंने दे दिया है । उन्होंने कह दिया है कि ऐसा करना संभव नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : श्री अ वाल एक अच्छे वकील हैं । उस दिन भी, जब मैंने प्रश्न किया तो, वे बड़े ही तकनीकी ढंग से उत्तर देते रहे और कहा कि भारत के बाहर संस्थापित कम्पनियों द्वारा हस्तान्तरित शेयरों को, हमारे विधान के अधीन नहीं भेजा जा सकता । यह कैसे हो सकता है कि यूनियन कार्बाईड की एक सहायक कम्पनी द्वारा, जो कि एक बहुराष्ट्रिक है, देश में सफलतापूर्वक काम चलाया जा रहा है, जब कि उन्होंने इस देश के यहां तक कि आर्थिक विनियमों को ताक पर रखकर, सभी नीतियों का उल्लंघन कर दिया है ? मैं नहीं समझता कि क्या आप वास्तव में ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस देश में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के संचालन को नियंत्रित करने के इच्छुक हैं । क्या मंत्री महोदय इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि वे यूनियन कार्बाइड की इस देश में, चल रहीं घृणित गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक सर्वांगपूर्ण जांच करायेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप तो बहक से रहे हैं ।

श्री के० लकप्पा : मैं नहीं समझता कि क्या सरकार किसी भी ढंग से, इस देश में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रचालन को रोकने के लिए कोई व्यापक विधान बनायेगी । क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस देश में उनकी क्या गतिविधियां चल रही हैं और किस सीमा तक उन्होंने राष्ट्र को लूटा है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो ही नहीं सकता ।

श्री के० लकप्पा : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? आप कृपया सदस्यों के हितों को सुरक्षित रखें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 805 ।

श्री के० लकप्पा : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे आदेश के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं । **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : यह मेरे अधिकार-क्षेत्र में आता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

श्री के० लकप्पा : कम से कम उस सीमा तक तो, उन्हें उत्तर देने दें ।

अध्यक्ष महोदय : सारे का सारा प्रश्न ही असंगत है ।

श्री के० लकप्पा : देश के व्यापक हित में इस प्रकार के अपराधियों को आश्रय न दें ।

राज्य व्यापार निगम का फटे-पुराने ऊनी कपड़े आयात करने का विचार

*807. **श्री पी०† एम० सईद :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार अगले वित्त वर्ष में भारी मात्रा में फटे-पुराने ऊनी कपड़ों का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फटे-पुराने ऊनी कपड़ों के भारी मात्रा में आयात की योजना बनाई जा रही है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने उस मांग को अस्वीकार कर दिया है जो "शाडी" उद्योग तथा उन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसे अस्वीकार किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1979–80 के लिये आयात नीति तैयार की जा रही है और उसे 1 मई, 1979 को घोषित कर दिया जाएगा ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री पी० एम० सईद : क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि वित्त वर्ष 1977–78 और 1978–79 में कितनी मात्रा में फटे-पुराने ऊनी कपड़ों का आयात किया गया है ?

श्री आरिफ बेग : वर्ष 1975–76 में यह 7755 मि० टन थे, वर्ष 1976–77 में 6275 टन और वर्ष 1977–78 में 9849 टन ।

श्री पी० एम० सईद : वर्ष 1978–79 के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री आरिफ बेग : यह लगभग 350 लाख रुपये तक का था । मात्रा के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

श्री पी० एम० सईद : यह तो बड़ा ही शरारतपूर्ण उत्तर है । मैंने तो मात्रा के बारे में पूछा है । यदि वे उत्तर मात्रा में देना चाहते हैं तो मात्रा में दें या फिर यदि वे मूल्य बताना चाहते हैं तो, उन्हें सभी वर्षों का मूल्य बताना चाहिये । मैं तो चाहे मात्रा में हो या मूल्य में, वर्ष 1977–78 और 1978–79 की मात्रा जानना चाहता था ।

श्री आरिफ बेग : मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि मूल्य . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने वर्ष 1977–78 के लिए तो मात्रा बताई है और वर्ष 1978–79 का आपने मूल्य बताया है । आप सभी वर्षों के बारे में या तो मात्रा बताएं या फिर मूल्य ।

श्री आरिफ बेग : मैं मूल्य बताने को तैयार हूं । वर्ष 1977–78 के लिए तो मूल्य लगभग 361.39 लाख रुपये है और वर्ष 1978–79 के लिए 350 लाख रुपये है ।

श्री पी० एम० सईद : ऐसा प्रतीत होता है कि ये आंकड़े सही नहीं हैं । जहां तक मैं समझता हूं, यह आंकड़े घटा कर प्रस्तुत किए गये हैं । आंकड़ों से तो हमें यह भी पता चलता है कि इन दो वर्षों में आयातित चीथड़ों, फटे-पुराने वस्त्रों की मात्रा में वृद्धि का रुझान, रुख रहा है । फटे-पुराने वस्त्रों का आयात करने का क्या औचित्य है ? क्या मैं यह समझ लूं कि ये आंकड़े भविष्य में भी और अधिक मात्रा में आयात की सूचना दे रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति गौर सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक 1978–79 का सम्बन्ध है, 31 मार्च अभी-अभी समाप्त हुआ है और यह स्वाभाविक है कि जो राशि दर्शाई गई है, वह तो मोटे अनुमान स्वरूप राशि है, यह कोई सही संख्या तो है नहीं ।

जहां तक आयातों का सम्बन्ध है, वे तो केवल निर्यात के उद्देश्य से किये जाते हैं, वे कोई देश में ही अपने उपभोग के लिये आयातित नहीं किये जाते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो हुई सैद्धांतिक बात ।

श्री मोहन धारिया : यह बात सही नहीं है, क्योंकि जो निर्यात वर्ष 1975–76 में 347 लाख रुपये तक के थे, वे फरवरी, 1979 में 402 लाख रुपये तक पहुंच गये और वे 425 लाख रुपये तक पहुंच जायेंगे । इससे पता चलता है कि निर्यात बढ़ा है और हमें निर्यात कार्यों के लिए कच्चा माल आवश्यक रूप में चाहिये और यही युक्तियुक्त विवरण है ।

श्री के० मालन्ना : अभी-अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वे फटे-पुराने ऊनी वस्त्रों की आयात नीति की घोषणा करेंगे । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि एक नई नीति विकसित करने का क्या कारण है और यह स्थानीय लघु ऊन उद्योग के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है ?

श्री मोहन धारिया : आज इस मद को सरणी बद्ध किया जा चुका है और सदन ऊनी चीथड़ों के पुराने घोटाले को भली भांति जानता है । इसीलिए तो इस मद को सरणी बद्ध किया गया है । उस समय तो ऊनी वस्त्रों को विकृत करने की सुविधाएं तक बंदरगाह पर उपलब्ध नहीं थीं तो स्वाभाविक रूप में अनेक घोटाले हुए । सौभाग्य से जहां ये ऊनी-वस्त्र विकृत करने थे के लिए उपलब्ध होते हैं, वहां-वहां बन्दरगाहों पर हमने वे सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं । दूसरे देश में भी इन फटे-पुराने वस्त्रों को विकृत किया जा रहा सकता है और इसी सन्दर्भ में, हम इस नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं परन्तु इस सब का यह उद्देश्य है कि यह एक ऐसा उद्योग है जो कि विशेषकर लुधियाना जैसे छोटे-छोटे स्थानों और लघु-उद्योग क्षेत्र के अन्य बहुत से स्थानों तक फैला हुआ है और लघु-उद्योग क्षेत्र के लिए यह सम्भव होना चाहिये, विशेषकर वास्तविक उपयोग कर्त्ताओं के लिये कि उन्हें यह कच्चा माल मिलना ही चाहिये, जिससे वे अधिक सुधरा हुआ माल अच्छे ढंग से निर्यात कर सकें । मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि विदेश में बाजार की क्षमता पर्याप्त बड़ी है, जिसका दोहन किया जायेगा ।

श्री भागीरथ भंवर : अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में चिथड़ा-काण्ड की ूज इस सदन में काफी हुई थी। ये वस्त्र विदेशों से मंगाये जाते हैं और पिछली बार यह शिकायत आई थी कि चिथड़ों को फाड़ा नहीं जाता था और वैसे ही ले जा कर बाज़ारों में बेचा जाता था, जिस से आयातकर्ताओं को काफी मुनाफ़ा होता था। यह चीज़ आम लोगों को, गरीब लोगो को सस्ते मूल्य पर मिल सके—क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति है ? यदि है, तो उस नीति को लागू करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं—यह जो माल आता है क्या स पर कोई नियन्त्रण है कि उस का क्या मूल्य हो तथा जिन कारखानेवालों को यह दिया जाता है, क्या उन पर भी शासन की ओर से कोई नियन्त्रण है कि वे उसका क्या मूल्य लेंगे और कितना मुनाफ़ा होगा ?

श्री मोहन धारिया : यह सब माल एस० टी० सी० की मारफत आता है और वे ही इस का दाम तय करते हैं—बाहर जो पैसा देना पड़ता है और जो खर्चा पड़ता है, उस को ध्यान में रख कर। चूंकि इन्टरनेशनल मार्केट में काफी कम्पीटीशन है, इस लिये इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि रा-मैटीरियल पर ज्यादा चार्ज न लगायें।

यहां पर जो लोग ऊनी कपड़ा लेते हैं—अपने इस्तेमाल के लिये, उन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है कि वह कपड़ा यहीं पर पैदा करें और बाहर से न मंगायें।

अध्यक्ष महोदय : प्र० सं० 808—श्री धीरेन्द्रनाथ बसु। प्र० सं० 817 भी उसी विषय से सम्बन्धित है। हम उन को साथ-साथ लेंगे। प्र० सं० 817—श्री मुख्तियार सिंह और श्री विजय मण्डल दोनों ही अनुपस्थित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋणों रोक संबंधी नई नीति

*808. **श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य मंडल संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि ऋणों पर रोक संबंधी बैंक की नई नीति से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और मुद्रा स्फीति की स्थिति भी खराब होगी ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) अर्थ-व्यवस्था में जो मौद्रिक तथा ऋण संबंधी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनको देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर, उनका विनियमन करने के लिए उपाय करता है। सरकार के दृष्टिकोण में, इस प्रकार के विनियामक उपायों को "ऋणों पर रोक" लगा देने की कार्रवाई कहना, जैसा कि भारतीय वाणिज्य मंडल ने इसे कहा है, ठीक नहीं है। इन उपायों का उद्देश्य, किसी भी तरह से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अर्थ-व्यवस्था में उभरने वाले संभावित मुद्रास्फीति के दबावों की रोकथाम करना है।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में मेरे द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दे को वास्तव में छोड़ दिया है। महोदय, इस सच्चाई के विचार से कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन सभी बैंकों ने ऋण देने पर रोक लगा दी है, अब अधिकांश उद्योग व्यावहारिक रूप में बन्द होने वाले हैं और वे अपना उत्पादन जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि एक उद्योग के लिये तो कुछ राशि की ऋण सीमा है और दूसरे उद्योग के लिये दूसरी सीमा है। उदाहरणस्वरूप, किसी उद्योग के लिए तो 2 करोड़ रुपये की ऋण सीमा है और एक दूसरे उद्योग के लिए 1.50 करोड़ रुपये या कुछ इसी प्रकार को सीमा है। इस समय तक तो उन्होंने ऋण राशि का केवल छोटा सा हिस्सा यथा, 4.00 लाख रुपये, 5.0 लाख रुपये या 7.0 लाख रुपये ही काम में लिये थे। अब अचानक इस ऋण पर रोक लगा दी गई है। इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप, बहुत से छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग बन्द होने को हैं और बहुत से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या वे ऋण न देने की नीति को लागू न करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि इसे लागू किया जाता है तो, तब औद्योगिक विकास या देश में उद्योगों की अभिवृद्धि होना बिलकुल भी सम्भव नहीं है। क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को इस आशय का आदेश देने पर विचार कर रही है, जिससे ऋण की रोक 10-15 प्रतिशत तक ही इससे अधिक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री सतीश अग्रवाल : ऋण नीतियां तो रिजर्व-बैंक द्वारा, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के, सभी प्रकार के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित और लागू की जाती है, जैसा कि माननीय सदस्य प्रतिपादित कर रहे हैं, केवल बड़े घरानों के हितों को ही ध्यान में रखकर ऐसा नहीं किया जाता। अब, उस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है और गत वर्ष भी मुद्रा की आपूर्ति में आवेग था। उसी विचार से, रिजर्व बैंक ने, यह निश्चय किया कि ऋण अग्रिमों को नियमित करने के विचार से कुछ पाबन्दियां तो होनी ही चाहिये और उन्होंने इस दिशा में कुछ निदेश भी जारी कर दिये हैं। अतः ऐसा सदैव व्यस्त समय की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋण नीतियां इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं। इस ढंग में कोई असामान्यता नहीं है। फिर भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर को इसके बारे में क्यों चीखना-चिल्लाना चाहिये ? यह तो सरकार की नीति का एक अंग है।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : ऋण पर रोक के परिणामस्वरूप, ये छोटे पैमाने के उद्योग अपने उत्पादन के लिए कच्चा माल नहीं खरीद सकते और उन्हें एक वर्ष के लिए अपने उत्पादन की अग्रिम योजना बनानी पड़ती है। ऋण पर रोक वाली नीति को अचानक लागू किया गया है। सरकार की इस नीति को कि समस्त ग्रामीण क्षेत्रों तथा सभी लघु उद्योगों को अग्रता प्रदान की जायेगी, इस सदन में अनेक बार घोषित किया गया है। लेकिन वे उद्योग तो अब बन्द ही होने वाले हैं। अतः क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे इस ऋण पर रोक से, भारतीय रिजर्व बैंक को, ग्रामीण और नगर क्षेत्र के लघु उद्योगों को विमुक्त करने का निदेश देंगे ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह) : आपकी अनुमति लेकर, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे माननीय सहकर्मी ने आखिर ऐसी कौन-सी बात कर दी है, जो उनको इस प्रकार चिल्लाने का हक देती है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आम बात है। आज यह कोई नई बात नहीं हो रही है।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सदस्य के संतोष के लिए मुझे केवल एक आंकड़ा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जायें और मुझे विश्वास है कि उन्हें इससे संतोष मिल जायेगा। अप्रैल से दिसम्बर, 1977–78 तक, गैर-पूंजीगत सकल बैंक ऋण के सम्बन्ध में विभिन्न आंकड़े 1424 करोड़ रूपये के थे और अप्रैल-दिसम्बर, 1978–79 की अवधि के आंकड़े 1809 करोड़ रुपये के हैं। अतः यह कोई ऋण पर रोक नहीं है, यह तो केवल यह निश्चित करने के लिए एक विनियम है कि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को भली भांति सेवा की जा सके तथा मुद्रा पूर्ति में कोई आवेग नहीं है। 1976–77 में बढ़ी हुई मुद्रा पूर्ति 20.3 प्रतिशत थी, जिसे हम वर्ष 1977–78 में 14.7 प्रतिशत तक रख सके और यह फिर से 23 मार्च, 1979 में 15.8 प्रतिशत तक ऊंची हो गई। मुद्रा पूर्ति को बनाये रखने के लिए कुछ विनियमों का होना अनिवार्य है तथा रिजर्व बैंक ने केवल वही किया है। इसमें ऋण पर रोक का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय वाणिज्य चैम्बर ने आपको गलत सूचित किया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये विनियम कृषि क्षेत्र में भी लागू होंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : रिजर्व बैंक द्वारा लागू किये गये केवल दो विशेष उपाय ये थे: (1) 1, दिसम्बर, 1978 से मार्च, 1979 के अन्त की अवधि के दौरान, इन बैंकों के पास जितनी जमा का दावा किया गया था, उसमें से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-पूंजीगत सकल ऋण के फैलाव को 40 प्रतिशत तक सीमित करना ; और (2) 1 दिसम्बर, 1978 से, अ० ऋ०नि० दर (एस एल आर) के नाम से जानी जाने वाली अधिनियमित ऋण-निर्धारण दर को बढ़ाना, जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 33 से 34 प्रतिशत तक बनाये रखना होता है। 1 दिसम्बर, 1978 को अधिनियमित ऋण-निर्धारण दर में बिना कोई वृद्धि किये, अतिरिक्त जमाओं पर उच्च दर लागू की गई थी। अब ऋण नीतियों के व्यस्त मौसम की समीक्षा करते समय, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है—15 मार्च, 1979 को बड़े बैंकों के मुख्य प्रशासकों की एक बैठक में, रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने, मुद्रा के क्षेत्र में आ रहे असामान्य आवेग के विचार से, सीमित ऋण नियन्त्रण के उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। गैर-पूंजीगत बैंक-ऋण के बारे में, यह बताया गया था कि खाद्यान्न,

चीनी, कपास, तम्बाकू आदि जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में सामयिक ऋण की आवश्यकता होती है। अतः यह बात लगभग निश्चित होनी चाहिये कि ऋण को इस प्रकार आवश्यक रूप में निर्धारित किया जाये। प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य की शंका ठीक नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को भी ऋण देने पर रोक लगायी है ? यदि हां तो क्या यह बात सही नहीं है कि राज्य सरकारों को अपना विकास करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं ? क्या वित्तीय संस्थाओं को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि वे राज्य सरकारों को भी ऋण न दें ? जनता पार्टी ने पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए घोषणा की हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कछवाय जी, ऐसी बात नहीं हो सकती।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वित्तीय संस्थाओं को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि वे उद्योगों के लिए ऋण न देवें ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, इस से यह सवाल उठता है कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों के बारे में भी आदेश दिये हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल : यह एक गलत बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये कुछ निदेशों की तो बैंक उपेक्षा करते हैं और वे उन अन्य निदेशों का पालन करते हैं, जो उनके हक में होते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऊन छोटे उद्यमियों को, जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से कुछ निश्चित प्रतिशत तक ऋण दिया जाना चाहिये, उस प्रतिशत को बनाकर नहीं रखा जाता। उन बैंकों के बारे मैं, जो उस प्रतिशत को नहीं बनाए रखते या जो छोटे उद्यमियों को दिये जाने वाले प्रतिशत को अर्थात् 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के ऋण को, बहुधा निरूपयोगी बनाते रहते हैं, सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक रिज़र्व बैंक के वैध निदेशों को उपेक्षा का सम्बन्ध हैं, निश्चित रूप में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : मेरे बार-बार कहने के बजाय, मैं आपको वह बात कहने का अवसर देता हूँ।

इंडियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षु पायलटों का चुनाव

*809. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या पर्यटन और नवर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इंडियन एयरलाइंस में प्रशिक्षु पायलटों के लिये उपरी आयु सीमा को 25 से बढ़ाकर 35 करने के बारे में कोई प्रस्ताव है :

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षु पायलटों के संबंध में रिक्त पदों की संख्या का विज्ञापन दे रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंन्स साक्षात्कार के बाद अन्तिम चयन पेनल की घोषणा कर रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रशिक्षु पायलटों के चयन की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया संबंधी ऐसे विवरणों की पूर्व घोषणा क्यों नहीं की जाती, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइन्स भारतीय वायु सेना से पायलटों को प्रतिनियुक्ति पर ले रही है; और

(च) क्या इंडियन एयरलाइन्स पायलटों की नियमित/वार्षिक भर्ती कर रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान चयन में आयु सीमा वही रखी जाए जो 1977–78 में हुए चयन में रखी गयी थी अर्थात् 30 वर्ष जिसमें विमानचालकों के रूप में लगातार नियुक्त उम्मीदवारों के संबंध में तीन वर्ष की छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(ख) क्योंकि विज्ञापन वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए तथा भविष्य में प्रत्याशित आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने के लिए एक चयन सूची तैयार करने के लिए जारी किये जाते हैं, इसलिए विज्ञापन में रिक्तियों की सही संख्या नहीं दी जाती है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स पेनल को अधिसूचित नहीं करती क्योंकि उसके लिये विमानचालकों की आवश्यकता कारपोरेशन के विमानबेड़े में वृद्धि करने के लिये नये विमान लेने की योजना (Induction plan) पर निर्भर करती है। तथापि, कारपोरेशन चयन सूची का संधारण अपने नियमों के अनुसार करती है जोकि एक वर्ष के लिये वैध होती है।

(घ) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ङ) जी, नहीं। आज की तारीख में, इंडियन एयरलाइन्स के पास भारतीय वायु सेना का कोई भी विमानचालक प्रतिनियुक्ति (deputation) पर नहीं है।

(च) भर्ती उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर करती है तथा भर्ती करने के लिये कोई नियमित अवधि निर्धारित नहीं है।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स "एप्रेंटिस पायलटों" के पदों को प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित करते हैं तथा ऐसे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं जो विज्ञापन में दी गयी पात्रता संबंधी कसौटी को पूरा करते हों। आवेदन-पत्रों की बारीकी से जांचपड़ताल की जाती है तथा योग्य उम्मीदवारों की लिखित/रुझान/तकनीकी परीक्षा ली जाती है। जो लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं उनकी इसके बाद ग्रुप टास्क/डिसकशन में जांच की जाती है उनका उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है। सिलेक्सन बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों को सिलेक्ट लिस्ट में रखा जाता है। लिखित/रुझान/तकनीकी परीक्षा तथा ग्रुप टास्क/डिस्कशन का आयोजन तथा प्रबंध एक विशेषज्ञ बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। चयन की यथार्थता (Objectivity) को सुनिश्चित करने की दृष्टि से चयन प्रक्रिया की विषय-सूची तथा रीति-विधान को सूचना उम्मीदवारों को नहीं दी जाती है तथापि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करने के लिये भेजे गये "कॉल लेटर" के साथ-साथ उन्हें परीक्षा के संबंध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भी भेजे जाते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : आप तो जानते हैं कि मन्त्री महोदय वाणिज्यिक वायुयान चालक लाईसेन्स धारियों की समस्याओं के प्रति नर्म तथा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाये हुए हैं। परन्तु उनका उत्तर संतोषजनक नहीं है। आप जानते ही हैं कि लगभग 500 वाणिज्यिक वायुयान चालक लाईसेन्स धारी लोग अभी भी गलियों में बेकार मारे-मारे फिरते हैं। गत वर्ष 17 मार्च को तारांकित प्रश्न सं० 351 के उत्तर में, मन्त्री महोदय ने बताया था कि 1978–79 में भर्ती के समय, बेकार वाणिज्यिक वायुयान चालकों आदि को नौकरी के लिये आवेदन भेजने योग्य करार देने के लिए, 30 से 33 तक के आयु-वर्ग पर भी विचार किया जायेगा। अभी तक उस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। इसी बीच, मार्च, 1979 के मास में, कोयम्बतूर के एक बेकार वाणिज्यिक वायुयान चालक ने आत्महत्या कर ली।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मतलब की बात करें। प्रश्न से सम्बधित बात करें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है कि आप प्रश्न पर आ रहे हैं। मैं भी आपको प्रश्न पर ही लाना चाहता था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, क्या यह सच नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल के लिये और फसल बचाव के लिए राज्य सरकारें वायु सेना के विमान चालकों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करती हैं। यदि ऐसा करना बन्द कर दिया जाये तो, लगभग 200 बेकार वाणिज्यिक वायुयान चालकों को भर्ती किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट देने और भर्ती की शर्तों में उपयुक्त रूप से संशोधन करने जा रही है। सभी बेकार वाणिज्यिक वायुयान चालक लाईसेन्स धारियों को पूर्ण रोजगार मिलना चाहिये। अतः मैं उनकी ओर से सहानुभूतिपूर्ण और स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक इण्डियन एयरलाइन्स में प्रस्तावित वायुयान चालक लाईसेन्स धारियों की, नियुक्ति का सम्बन्ध है, सरकार का वायुयान चालकों के लिए आयु सीमा में और आगे छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महोदय, इसके अनेक कारण हैं, जिनमें इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एक वायुयान चालक के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाने वाला धन और इण्डियन एयरलाइन्स में उसकी सेवा करने की कम अवधि भी सम्मिलित हैं। जहां तक वायुयान चालकों की संख्या का सम्बन्ध है, यह एक विवादास्पद संख्या है; चाहे यह 400 हो या 500। इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा मुझे दी गई सूचना के अनुसार, बेकार वायुयान चालकों की वास्तविक संख्या 200 है। महोदय, इसीलिए तो, वायुयान चालकों की बेकारी की समस्या को देखते हुए, गत वर्ष और इस वर्ष भी, मैंने उन्हें आयु को 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने के निदेश दिये हैं और मैं सोचता हूं कि उससे उन चालकों को लाभ होगा जो कि सचमुच बेकार हैं। यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि हर वह वायुयान चालक, जिसके पास वाणिज्यिक वायुयान चालक का लाईसेन्स है, स्थायी सेवा में नियुक्त होने का पात्र है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : महोदय, विश्व की अधिकांश एयरलाइन्स तीन-तीन वायुयान चालकों को वायुयान पर भेजती हैं। एयर इण्डिया वाणिज्यिक वायुयान चालक लाईसेन्स धारियों में से प्रशिक्षु वायुयान चालक ले सकती है तथा एयर इण्डिया, तृतीय वायुयान चालक योजना के माध्यम से, सीधे ही वाणिज्यिक वायुयान चालक लाइसेन्सधारियों में से, वायुयान चालकों का चुनाव कर सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि ऊपर बताया गया है क्या मन्त्री महोदय एयर इण्डिया को निदेश देंगे कि वह वाणिज्यिक वायुयान चालक लाईसेन्स धारियों को नियुक्त करे।

दुसरी बात यह है कि मन्त्री महोदय के पास तीसरे स्तर की एयरलाइन्स की एक योजना है। तीसरे स्तर की एयर लाइन्स के कब तक आरम्भ होने की आशा है? इसके मुख्य लक्षण बताईये कि क्या वायुयान चालकों का चुनाव केवल असैनिक वायुयान चालक लाइसेन्स धारियों में से ही होगा। इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहता हूं की श्री गिडवानी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के मुख्य लक्षण क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : भर्ती की, नियुक्ति की बात तो मैं समझ सकता हूं। तृतीय पंक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : ऐसी बात क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : भर्ती की बात तो यह है कि उन्होंने उसे बन्द कर दिया है। सारा सवाल तो वायुयान चालकों की भर्ती से सम्बद्ध है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक तृतीय स्तर के प्रचालन के लिए भर्ती का सम्बन्ध है, वह तो वायुयान चालकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यदि वायुयान चालक उपलब्ध होते हैं तो, हम उनका चुनाव आवश्यक रूप में, बेकार वायुयान चालकों में से ही करेंगे। यह वायुयान चालक के रूप में भर्ती के लिये, उनकी पात्रता पर निर्भर करता है।

श्री छवि राम अर्गल : इंडिया एयरलाइंज़ में जो प्रशिक्षित पायलट और अन्य कर्मचारी हैं उन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है और जब नियुक्तियां की जाती हैं तो क्या इस प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है? क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों की अवहेलना की जाती है? मैं जानना चाहता हूं कि शासन की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? क्या आरक्षण को सख्ती के साथ आप पूरा कराएंगे?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक आरक्षण का सवाल है इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। न केवल आरक्षण को ध्यान में रखा जाता है बल्कि यह कोशिश भी की जाती है कि जो आरक्षित पद हैं उन पर इन लोगों की नियुक्ति हो सके, उन स्थानों की पूर्ति हो सके, इस दृष्टि से उनको ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। 1978 में, पिछले साल दो ऐसे शैडयूल्ड कास्ट के पायलट्स थे जिन का स्तर कुछ कम था और उनको ट्रेनिंग दे कर उनको वांछित स्तर पर लाने का काम भी हम ने किया।

श्री छवि राम अर्गल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मंत्री महोदय गलत जवाब दे रहे हैं। एक आदमी की भी नियुक्त की है इन्होंने अभी तक ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : नियुक्ति न करनी होती तो उनको प्रशिक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दो को तो नियुक्त किया गया और दो को ट्रेनिंग दे कर नियुक्त किया गया।

श्री शिवनारायण सरसूनिया : अभी यह बताया गया है कि एक साल के लिये पैनल बनता है। लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ के जो पायलट्स इनके यहां ऐग्ज़ामिनेशन में आते हैं उन लोगों का कोई रोस्टर नहीं बनाया जाता है और दूसरी बात यह है कि जो ऐग्जामिनेशन हुआ उसके अन्दर जो लोग किसी कारण से पीछे रह जाते हैं उनके लिये सरकार की तरफ़ से यह डायरेक्टिव है कि उन्हें औरों के बराबर लाने के लिये प्री-कोचिंग दी जाय। मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई थी और कहा था कि जो लोग रह गये हैं उनको मौका दिया जायगा। तो क्या मंत्री जी उस वायदे को पूरा करने जा रहे हैं, उन सब को ट्रेनिंग पर लेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सब को लेना सम्भव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य भी पिछले साल जो बैठक हुई थी कई बार उसमें वह पूरी तरह से शामिल थे और यह तय किया गया कि जो दो पायलट रिटेन ऐग्जामिनेशन में पास हो गये थे लेकिन टेक्नीकल और ऐप्टीट्यूड टेस्ट में कम रह गये थे उनको ट्रेनिंग देकर लिया जाय। इसलिये ट्रेनिंग दे कर लिया गया। अतः मुझ से माननीय सदस्य को यह शिकायत नहीं हो सकती है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के पायलट्स का जहां तक सवाल है उनकी किसी तरह से उपेक्षा की जाती है।

विदश में रुपए का मूल्य

***810. श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशों में रुपए का मूल्य क्या रहा है ; और

(ख) गत दो वर्षों में विदेशों से यहां कुल कितना धन भेजा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान रुपए के मूल्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर के मुकाबले में वृद्धि और पौंड स्टर्लिंग, डयूशमार्क तथा जापानी येन के मुकाबले में कमी हुई है :

(ख) विदेशों से प्राप्त प्रेषणाओं (निजी अन्तरण प्राप्तियों) के संबंध में 1976-77 मे अन्त तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। 1975-76 तथा 1976-77 के दो वर्षों में प्रेषणाओं की राशि 1,047.2 करोड़ रुपए थी। ऐसे संकेत उपलब्ध हैं कि 1977-78 तथा 1978-79 में प्रेषणाओं की राशि में वृद्धि हुई है।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि गत दो वर्षों में विदेशों में रुपये का क्या मूल्य रह गया ? विदेशों में केवल चार मुल्क लिये हैं। हमारे सोवियट यूनियन से बड़े भारी व्यापार के सम्बन्ध हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य आपने नहीं बताया कि रुबैल का क्या हुआ। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, श्रीलंका और दूसरे देश हैं, उनका भी मैं जानना चाहूंगा। और यह भी जानना चाहूंगा कि जिनका इन्होंने बताया है जर्मनी का मार्क, जापान का येन और पाउण्ड स्टर्लिंग जो घटा है और अमरीका के डालर के मुकाबले में जो बढ़ा है उसका अंदाजा बतायें कि यह घटा है या बढ़ा है ? खाली ऐप्रीसीसियेशन और डेप्रीसियेशन...

अध्यक्ष महोदय : सभी मुद्राएं। उसके लिये तो उनका सारा दिन लगेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपको तीन या चार के बारे में बता सकता हूं। गत दो वर्षों में, अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की स्थिति में 7.9 % सुधार हुआ है। यह पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 11.4%, डेंमार्क के मुकाबले 14.2% और जापानी येन के मुकाबले 16.3 % गिर गया है।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : मैंने सोवियट यूनियन का पूछा था ?

अध्यक्ष महोदय : वह स्वतन्त्र बाजार में नहीं चलता। यह तो अनुबन्ध से निश्चित होता है।

श्री धर्मवीर वशिष्ट : दुसरा सवाल यह है कि रेमिटेंसेज़ के मुताल्लिक मैंने पूछा था कि 1977-78, 1978-79 इन नई सरकार के दो सालों में रेमिटेंसेज़ क्या हुए ? जिसके जवाब में मंत्री जी ने बताया कि इंडीकेशन्स यह हैं कि वह बढ़े हैं। क्या आप बतायेंगे कि ऐसे कौन से इंडीकेशन्स हैं जिनसे यह जाहिर हुआ ?

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमन्, नान-एक्सपोर्ट रिसीट्स जो होती हैं 1974-75 में वह 642.11 करोड़ थीं, 1975--76 में 1,197.50 करोड़ थीं, 1976-77 में 1,585.95 करोड़ थीं, 1977-78 में 2,117.14 करोड़ थीं और 1978-79 में अप्रैल से फ़रवरी तक 1,962.52 करोड़ थीं। यह जो नान-एक्सपोर्ट रिसीट्स हैं, इनमें वह फिगर्स भी शामिल हैं जो कि प्राइवेट ट्रांस्फर रिसीट्स हैं, जिसका उल्लेख और हवाला मैंने अपने प्रश्न के मूल उत्तर में दिया है। जब हमारी यह नान-एक्सपोर्ट रिसीट्स बढ़ रही हैं तो यह मानकर हम चलते हैं कि इसमें प्राइवेट ट्रांस्फर रिसीट्स भी बढ़ रही हैं और इससे हमारा रैमिटेंस टोटल बढ़ रहा है, इसके आधार पर ही मैंने यह बात कही है।

डा० रामजी सिंह : हमारी विदेशी-मुद्रा में जो संग्रह हुआ है, उसका एक बड़ा स्रोत यह है कि जो हमारे तकनीकी लोग विदेशों में बाहर हैं, वह पैसा भेजते हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं कि हाल में ही ईरान में जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है, उसके पश्चात् कुछ ऐसी पाबन्दी वहां लगाई गई है कि भारतीय लोग कोई खास रकम ही यहां भेज सकते हैं, ज्यादा नहीं भेज सकते हैं। ईरान ने क्या मध्य-पूर्व के देशों के साथ भी इस प्रकार की कोई बंदिश लगाई है ? यदि लगाई है, तो क्या इसका बुरा असर हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है और क्या सरकार उन देशों के प्रशासन से इस संबंध में बात करेगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : इसका सीधा सम्बन्ध एप्रीसियेशन और डैप्रिसियेशन आफ करेन्सी से है। ईरान में क्या स्थिति हुई है, उसके सम्बन्ध में फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

डा० रामजी सिंह : मेरे क्वैश्चन का सैकिंड पोर्शन है

"गत दो वर्षों में विदेशों से कुल कितनी प्रेषणा प्राप्त हुई।"

मेरा प्रश्न उससे संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न है कि क्या इरान की क्रान्ति का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि इस बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं है।

चौधरी बलवीर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि रूबल और रुपये का जो सम्बन्ध है, उसमें रूस वालों ने रूबल की कीमत को रुपय के मुकाबले में जो बढ़ाया है तो क्या उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकार से सलाह-मशविरा कर के उसे बढ़ाया है या अपने तौर पर ही बढ़ाया है ?

अध्यक्ष महोदय : उसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौधरी बलबीर सिंह : यह पाउन्ड और स्टर्लिंग जो हैं, उसके साथ ही रूबल भी है, यह भी दुनिया की करेंसी है । **(व्यवधान)**

श्री गोविन्दराम मिरी : महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये । मैं आपका ध्यान लोक सभा सचिवालय द्वारा मुद्रित की गई प्रश्न-सूची की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । कृपया प्रश्न सं० 812 को देखें । आंग्ल पाठ में, उत्तर उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री के नाम पर छापा गया है...

अध्यक्ष महोदय : जब सदस्य-विशेष यहां उपस्थित नहीं हैं तो, आप किसी बात का विरोध क्यों करते हैं ?

श्री गोविन्दराम मिरी : हिन्दी पाठ में इसे वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री के नाम के आगे रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न करने वाला यहां नहीं है तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह एक गलती भी हो सकती है । एक दिन में 900 से ऊपर प्रश्न प्राप्त होते हैं, आपको यह बात भी तो ध्यान में रखनी चाहिये । ऐसे भी दिन होते हैं जब हमें हजारों प्रश्न प्राप्त होते हैं । इन सभी को कार्यालय को जांच-पड़ताल करके ठीक-ठीक लगाना पड़ता है । इन्हें भली भांति रखने का हम पूरा प्रयत्न करते हैं ।

प्रो० दीलीप चक्रवर्ती : क्या यह गलती करके छुटकारा पाने वाली बात है, उसके लिए क्षमा मांगने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय : मानवीय भूलें सदैव सम्भव हैं ।

आयकर विभाग के अधिकारियों के लिये 'काडर मेनेजमेन्ट' योजनाएं

*814. **श्री राघवजी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयकर विभाग के श्रेणी एक के अधिकारियों के लिये 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1979 तक के लिये 'काडर मेनेजमेन्ट' योजना तैयार की थी जिसके कारण उच्चतर पदाधिकारियों को बहुत संख्या में पदोन्नतियां मिलीं ;

(ख) क्या यह भी सच है, आय कर विभाग द्वारा उच्चतर पदाधिकारियों को पदोन्नतियों के अधिक प्रोत्साहन देने के लिये श्रेणी एक के अधिकारियों के लिये दूसरी काडर मेनेजमेन्ट योजना तैयार की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आय-कर विभाग ने श्रेणी-III के अधिकारियों के लिये कोई 'काडर मेनेजमेन्ट' योजना तैयार नहीं की है और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सिद्धांत एवं प्राथमिकता की दृष्टि से 'काडर मेनेजमेन्ट' योजनाएं नीचे के स्तरों से प्रारंभ होनी चाहिये और उच्च स्तरों से नहीं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रेणी-III के अधिकारियों के लिये 'काडर मेनेजमेन्ट' योजना तैयार करने और पूरी करने और श्रेणी एक के अधिकारियों के मामले में उसे लम्बित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जूलफिकारउल्ला) : (क) सरकारी नीति के अनुसरण में, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) ग्रुप क के लिए संवर्ग प्रबन्ध-व्यवस्था योजना (कैडर मैनेजमेन्ट स्कीम) पहली बार 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए तैयार की गई थी । इस योजना के परिणामतः, आयुक्तों के 80 पद बने और सहायक आयुक्तों के 87 पदों के दर्जे बढ़ाए गए, कनिष्ठ वेतनमान के (ग्रुप-क) आयकर अधिकारियों के 100 छुट्टी रिजर्व पद बनाए गए और 99 सहायक आयुक्तों (2000--2250 रु०) के लिए प्रवरण ग्रेड चालू किया गया ।

(ख) अब 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के लिए संवर्ग प्रबन्ध व्यवस्था योजना तैयार की जा रही है क्योंकि पहली संवर्ग प्रबन्ध-व्यवस्था योजना 31 मार्च, 1979 को समाप्त हो चुकी है । सभी केन्द्रीय ग्रुप-क सेवाओं को संवर्ग की समीक्षा करनी होती है और हर तीन वर्ष के बाद संवर्ग प्रबन्ध-व्यवस्था योजना तैयार करनी होती है । इन योजनाओं को तैयार करने का मूल उद्देश्य संवर्ग के ढांचे की समीक्षा करना है और यह आवश्यक नहीं है कि पदोन्नति के लिए और अवसर प्रदान किए ही जायें ।

(ग) संवर्ग प्रबन्ध-व्यवस्था योजना की धारणा, अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के संदर्भ में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के कारण अस्तित्व में आयी है । इसलिए श्रेणी-III के कर्मचारियों के लिए संवर्ग प्रबन्ध-व्यवस्था योजना तैयार किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग में श्रेणी-III कर्मचारियों के लिए संवर्ग

प्रबन्ध-व्यवस्था योजना तैयार करना संभव नहीं है, जिसका कारण यह है कि श्रेणी-III कर्मचारियों को नियंत्रित करने और नियुक्त करने वाले अधिकारी आयकर आयुक्त हैं, इसलिए अखिल भारतीय आधार पर, संवर्ग का वैज्ञानिक समीक्षा करना संभव नहीं है। प्रत्येक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के लिए ऐसी समीक्षाएं करना एक भारी कार्य है। आयकर विभाग के श्रेणी-III संवर्ग में अनेक ग्रेड सम्मिलित हैं जैसे पर्यवेक्षक, प्रधान लिपिक, निरीक्षक, कर सहायक, आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, निरीक्षक, कर सहायक आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, नोटिस तामीलकर्ता, आदि। देश में सभी आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में फैले हुए इन सभी संवर्गों की समीक्षा करना व्यवहार्य नहीं है। श्रेणी-III में विभिन्न संवर्गों की समस्याएं भी भिन्न-भिन्न हैं।

(घ) और (ङ) : ऊपर भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राघवजी : अध्यक्ष महोदय, विडम्बना यह है कि हमारे मैनेजमेंट प्लान जो बनते हैं वह प्रथम श्रेणी के अधिकारी बनाते हैं। जब वह मैनेजमेंट प्लान बनाते है तो वास्तव में उनका दायित्व यह है कि नीचे के कैडर से लेकर ऊपर के कैडर तक सब के लिये पूरा मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिये। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के हितों की तो रक्षा होती है, परंतु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की जाती है। प्रश्न के उत्तर में बड़ा स्पष्ट दिया गया है कि कमिशनर की पोस्टें और एसिस्टेंट कमिशनर की पोस्टें बढ़ाई गई हैं। सलैक्शन ग्रेड भी बढ़ाये गये हैं लेकिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कोई भी पोस्ट बढ़ाने या पदोन्नति का उसमें जिक्र नहीं किया गया है।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो जानकारी इस उत्तर में दी गई है कि 80 पोस्टें कमिशनर की की गई हैं, वास्तव में वह 86 हैं। 87 पोस्टें जहां पर इन्होंने कहा है कि एसिस्टेंट कमिशनर की की गई हैं, वह वास्तव में 117 हैं। यह राज्यसभा के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। इनकमटैक्स आफिसर की 100 पोस्टें बताई हैं वास्तव में वह 250 हैं। यह सब राज्य-सभा के प्रश्न के उत्तर में दिया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्लास-I के अधिकारियों की पोस्टों को बढ़ाने के लिये तो कानून में भी संशोधन कर दिया जाता है, लेकिन तृतीय श्रेणी की पोस्टों के बारे में, जब कि हर जगह कमिशनर मांग कर रहे हैं कि इंसपैक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, जब कि इन्स्पैक्टरों का सलैक्शन हो चुका है, कई तृतीय श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी दससाल के बाद प्रोमोशन नहीं हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कैडर मैनेजमेंट प्लान लागू करेगी और जितनी जगहों की मांग है उनको जल्दी से जल्दी भरेगी।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं मेम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि कैडर मैनेजमेंट प्लान महज़ स्टाफ को प्रोमोशन देने के लिए नहीं बनता है। **(व्यवधान)** अगले तीन सालों में कितना काम बढ़ेगा, कितनी पोस्टस बढ़ानी चाहिए, पिछले तजुर्बे की बिना पर कहां कहां इम्परूवमेंट होनी चाहिए वग़ैरह बातों पर ग़ौर करने के लिए कैडर के स्ट्रक्चर का रीव्यू किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर जगहें होती हैं, तो प्रोमोशन भी होता है।

जहां तक क्लास थ्री कैडर का सवाल है, यह इतना अनमैनेजेबल है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में जो सौ, दो सौ कमिशनर्ज़ हैं, वे उसको कंट्रोल करते हैं। हर कमिशनर अलाहिदा अलाहिदा अपना कैडर मैनेजमेंट प्लान बना सकता है। कोई आल-इंडिया मैनेजमेंट प्लान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद अगर प्रोमोशन के सिलसिले में कोई स्टैगनेशन होता है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले साल में चार हज़ार से ज्यादा इनकम टैक्स एसिस्टेंटस को पोस्ट्स क्रीएट की गईं—इसलिए भी कि काम बढ़ा है और कुछ इस लिए भी कि एल डी सी ज में स्टैगनेशन था। इस तरह चार हज़ार से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स एसिस्टेंट्स की जगह पर प्रोमोशन मिली। इसके अलावा 500 पोस्ट्स इन्स्पैक्टर्ज़ की नई अभी हाल में क्रीएट की गईं।

श्री राघवजी : वे भरी नहीं गई हैं।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : गवर्नमेंट ने उसकी मन्जूरी दी है। उनको भरने का इन्तज़ाम जल्दी हो रहा है।

स्टेनोग्राफ़र्ज़ के लिए सिलेक्शन ग्रेड मौजूद है। दूसरे लोग हायर ग्रेड्स में चले जाते हैं। एल डी सीज़ को यू डी सी की पोस्ट्स पर जाने का बराबर मौका मिलता है। ये सारी पोट्स अधिकतर प्रोमोशन से भरी जाती हैं। कैडर मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट आफ़ इंडिया में डायरेक्टली रेक्रूटिड सर्विसिज़ के लिए बनता है।

श्री राघवजी : मंत्री महोदय ने कहा है कि तृतीय श्रेणी में सिलेक्शन ग्रेड है। लेकिन तृतीय श्रेणी में सिलेक्शन ग्रेड नहीं है। न इन्स्पैक्टर्ज़ में और न क्लास टू इनकम टैक्स आफिसर्ज़ के लिए सिलेक्शन ग्रेड है। एसिस्टेंट कमिश्नर्ज़

के लिए सिलेक्शन ग्रेड बना दिया गया है, जिनका वेटिंग पीरियड दस साल का है, जबकि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों—इन्स्पैक्टर्ज वगैरह—को 15 साल से कोई प्रोमोशन नहीं मिला है। हर एक कमिश्नर इनकम टैक्स इन्स्पैक्टर्ज का पोस्ट्स मांग रहा है। लेकिन उन पोस्ट्स पर नियुक्ति नहीं हो रही है।

उत्तर में बताया गया है कि 35,000 कर्मचारी इनकम टैक्स आफ़िस में काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति कमिश्नर्ज द्वारा होती है, इसलिए उनके लिए मैनेजमेंट प्लान नहीं बना सकता है। अभी तीन दिन पहले रेलवे मंत्री ने घोषणा की है कि वह रेलवेज में मैनेजमेंट प्लान लागू कर रहे हैं, जहां 25 लाख लोग काम करते हैं। लेकिन मंत्री महोदय 35,000 कर्मचारियों के लिए मैनेजमेंट प्लान लागू नहीं कर रहे हैं। चूंकि अब समरी एसेसमेंट की स्कीम लागू हो गई है, इस लिए अब इनकम टैक्स आफिसर्ज और ऊपर के कैडर्ज की ज़रूरत कम हो गई है और इन्स्पैक्टर्ज के कैडर की ज़रूरत अधिक हो गई है। इसलिए क्या सरकार कमिश्नर्ज से पता लगायेगी कि इन्स्पैक्टर्ज—तृतीय श्रेणी—की कितनी जगहों की ज़रूरत है और क्या वह उन जगहों को शीघ्र से शीघ्र भरने का निर्देश देगी ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं मेम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमेशा कमिश्नर्ज से रीव्यू कराती रहती है कि कितनी पोस्ट्स की जरूरत है और कहां कहां बढ़ानी चाहिए और वह होता भी है। अगर उनके लिए कोई कैडर मैनेजमेंट प्लान बने, तो वह कमिश्नर-वाइज ही हो सकता है। मेम्बर साहब के सजेक्शन पर गवर्नमेंट जरूर गौर करेगी कि क्या यह मुमकिन हो सकता है।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : महोदय, प्रशासनिक सुधार आयोग के भेस में, नवीन प्रबन्धक वर्ग पैदा किया गया। उसमें लगभग 400 प्रथम श्रेणी के, स्थान बनाए गये थे। इन प्रथम श्रेणी पदों पर बिठाने के लिए, यहां तक कि कुछ निम्न वर्गो के पदों को भी उपर उठाया गया था। तृतीय श्रेणी के लोगों की पदोन्नति का तो प्रश्न ही कतई नहीं उठता। उन्हें तो लगभग 15–20 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नवीन संवर्ग प्रबन्धन योजना द्वारा, प्रथम श्रेणी की दस वर्ष की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अत. मैं सरकार को यह सुझाव देता हूँ कि संवर्ग प्रबन्धन की किसी भी योजना को नीचे से प्रारम्भ किया जाना चाहिये। योजना नीचे बननी चाहिये, न कि ऊपर से। अतः क्या सरकार तृतीय श्रेणी से सम्बद्ध प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों को कार्यान्वित करेगी जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो और उनको पदोन्नति के कुछ अवसर भी प्रदान किये जाएं ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं उस बात का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ परन्तु फिर से मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि उनके सुझावों पर यथायोग्य विचार किया जायेगा।

मथुरा स्थित वेतन तथा लेखा कार्यालय (रक्षा) को नासिक रोड ले जाया जाना

*815. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद मथुरा स्थित वेतन तथा लेखा कार्यालय (रक्षा) को नासिक रोड ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या कर्मचारियों को कोई वचन दिया गया था कि इसकी बजाय मथुरा में कुछ अन्य सहायक कार्यालयों को अन्तरित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कैसे और कब होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) वेतन लेखा कार्यालय और रिकार्ड कार्यालय के काम एक दूसरे के रिकार्ड पर अन्योन्याश्रित हैं। रिकार्ड कार्यालय के नासिक रोड कैंप स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप, वेतन लेखा कार्यालय को लोकहित में, टुकड़ों में हटाया जा रहा है। स्थानान्तरण का प्रथम चरण, जिसमें 200 कर्मचारी थे, जुलाई 1978 में पूरा किया गया। स्थानान्तरण का दूसरा और अन्तिम चरण, जिसमें लगभग 375 कर्मचारी सम्मिलित हैं, अतिरिक्त पारिवारिक आवास के बनने पर कार्यान्वित किया जाएगा। जहां तक कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का संबंध है, उनकी कठिनाईयों को कम करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

(ख) कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई वचन अथवा आश्वासन नहीं दिया गया था कि कुछ अन्य कार्यालयों को मथुरा के लिए स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। कर्मचारी संघ को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मथुरा में दूसरे वेतन लेखा कार्यालय को स्थापित किया जाना, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (ग्रैफ) सेन्टर के स्थापित किये जाने से संबंधित, सीमा सड़क विकास बोर्ड के निर्णय पर निर्भर करेगा, और इस संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है। तथापि, अब उनके द्वारा, सैद्धान्तिक रूप से जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स सैंटर को रांची में स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है और तदनुसार दूसरे वेतन लेखा कार्यालय प) को मथुरा म स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (ख) में दिए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने समय से वेतन और लेखा कार्यालय तथा अभिलेखा कार्यालय इस देश में अलग-अलग और दूर-दूर स्थानों पर स्थित है और इस प्रकार किस तरह से उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हुई हैं, उस पर दुष्प्रभाव पड़ा है ? क्या अभी भी वेतन तथा लेखा कार्यालय देश में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं और वहां कार्य कर रहे हैं ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : उनका मुख्य कार्य इस दिशा-विशेष से सम्बद्ध है। मथुरा अवस्थित वेतन और लेखा कार्यालय (तोप चलाने वाला सैन्य दल-तोपखाना) चालू खाता प्रणाली पर, 1.24 लाख जेसीओज तथा ओ० आरस के वेतन और भविष्य-निधि लेखा तैयार करने का उत्तर दायित्व सम्भाले हुये हैं। मुख्य सेवा दस्तावेजों को तो अभिलेखा कार्यालय और थलसेना एकक रखते हैं। वेतन और लेखा कार्यालय, अभिलेखा कार्यालय का एक अनिवार्य उपाबन्ध है, क्योंकि उनको एक दूसरे के अभिलेखों पर परस्पर-निर्भर रहना पड़ता है। मुख्य सेवा-दस्तावेज तथा शीट-रोल अभिलेखा कार्यालय में सम्भालकर रखे जाते हैं और व्यक्ति-विशेष के चालू लेखा खाते वेतन और लेखा कार्यालय की देख-रेख में रहते हैं। अतः व्यक्ति-विशेष के दावों से सम्बद्ध असंगतियों को मिलाने, उन्हें दूर करने के लिये वेतन और लेखा-कार्यालय तथा अभिलेखा-कार्यालय, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न तो एकदम भिन्न था, अलग था।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि कितने समय से वे यहां थे और क्या इससे कोई समस्या उत्पन्न हुई ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मैं अपना दूसरा प्रश्न भी रख रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है। उन लोगों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये, क्या प्रबन्ध किये गये हैं, जिन लोगों का मथुरा से पहले ही स्थानान्तरण किया जा चुका है या जिनका स्थानान्तरण किया जा रहा है अथवा जिनको बाद में स्थानान्तरित किया जायेगा ? क्या इन स्थानों के अति निकट ही केन्द्रीय विद्यालय के प्रबन्ध का कोई प्रावधान वहां पर किया जायेगा ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : सरकार स्टाफ के उन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये प्रबन्ध कर रही है, जो नासिक रोड़ स्थानान्तरित किये जा रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विमान सेवा से न जुड़ी हुई राज्यों की राजधानियां

*805. **श्री राम सागर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं, जो अभी तक विमान सेवा से नहीं जुड़ी हुई हैं और उनके विमान सेवा से कब तक जोड़े जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए वर्ष 1977 में योजना आयोग से अनुरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) शिमला (हिमाचल प्रदेश); शिलांग (मेघालय); कोहिमा (नागालैंड); गंगटोक (सिक्किम); इटानगर (अरुणाचल प्रदेश); कावारत्ती (लक्षद्वीप); एज़ोल (मिज़ोरम); पांडिचेरी (पांडिचेरी) तथा सिलवासा (दादर और नागर हवेली) को अभी तक विमान सेवा द्वारा नहीं जोड़ा गया है। शिमला, शिलांग, गंगटोक, इटानगर, एज़ोल, कावारत्ती तथा पांडिचेरी घनी आबादी वाले उन 50 नये केन्द्रों की सूची में सम्मिलित हैं जिन्हें तीसरी वायु सेवा संबंधी समिति ने विमान सेवा से जोड़ने की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है।

(ख) और (ग) : जी, हां। परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया। अतः कोई निधियां स्वीकृत नहीं की जा सकीं।

बिड़ला और गोयन्का परिवारों द्वारा अदा किये गये करों की प्रतिशतता में वृद्धि

*806. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 के बाद बिड़ला और रामकृष्ण गोयन्का परिवारों की सम्पत्ति और उनके द्वारा भुगतान किये गये करों की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) क्या इन परिवारों की चल और अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह):(क) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) चल और अचल सम्पत्तियों का कर-निर्धारण, आमतौर पर, सरकार के प्रमाणित मूल्यांककों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। यदि धन कर अधिकारी को यह सन्देह हो जाता है कि परिसम्पत्तियों का मूल्य कम आंका गया है, तो उस स्थिति में मामला कानून के अनुसार आयकर विभाग के मूल्यांकन कक्ष को भेजा जाता है।

बैंक डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस शीर्षक से समाचार

***811. श्री आर० के० महालगी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1979 के 'इकनामिक टाइम्स' (बंबई संस्करण) में "बैंक डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस" शीर्षक के अंतर्गत छपे लेखे की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) इस लेखे में जीवन बीमा निगम की जमा संबद्ध बीमा योजना यानी डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम की शर्तों की मुख्य रूप से आलोचना की गई है जिनके अन्तर्गत बैंकों में बचत खाते रखने वाले तथा उन खातों में कम से कम एक निश्चित रकम जमा रखने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु कवच (डेथ कवर) की व्यवस्था है। सरकार के विचार में यह आलोचना न्यायसंगत नहीं है।

व्यापारियों द्वारा बजट के प्रभाव के नाम पर किये जाने वाले लोगों के शोषण को रोकने के लिये सर्वेक्षण

***812. श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को उस गलत प्रभाव से बचाने के लिये कार्यवाही की है जो व्यापारियों ने उन मदों पर थोपा है जिनको बजट में छुआ तक नहीं गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बजट के नाम पर जनता का शोषण किये जाने से व्यापारियों को रोकने के लिए एक व्यापक बाजार सर्वेक्षण कराने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बजट प्रभाव के नाम पर व्यापारियों से जनता को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग): वर्ष 1979-80 का केन्द्रीय बजट पेश किये जाने के तुरन्त बाद राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि व्यापारियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में कोई अनुचित वृद्धि न की जाये। सूचना मिली है कि कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी है। केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों व विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की चुने केन्द्रों से लिये गये फुटकर मूल्यों के आधार पर लगातार पुनरीक्षा की जा रही है, ताकि जब कभी और जहां कहीं जरुरी हो, समय पर उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जा सके।

मैसर्स आटोपिन्स

***813. श्री मनोहर लाल** :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** मैसर्स आटोपिन्स के लिये जांच पड़ताल एजेन्सी के बारे में 1 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1851 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच-पड़ताल में कितनी प्रगती हुई है ;

(ख) आयकर सहायक आयुक्त के निष्कर्ष क्या हैं, जिन्हें अक्तुबर, 1978 से यह कार्य सौंपा गया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

2—173 L. S. S. (N.D.)/79

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) तथा (ख) : मैसर्स आटो पिन्स (इण्डिया) रजिस्टर्ड के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1976-77 से संबंधित कर निर्धारण अब पूरे हो गये हैं। वर्ष 1973-74 की आय, 4.58 लाख रु० की घोषित आय की तुलना में 41.31 लाख रु० निर्धारित की गई है और इस प्रकार इसमें, छिपायी गई आय की 36.58 लाख रु० की रकम जोड़ दी गई है। वर्ष 1976-77 की आय, 8.78 लाख रु० की घोषित आय की तुलना में, 92.81 लाख रु० निर्धारित की गई है और इस प्रकार इसमें, छिपायी गई आय की 83.07 लाख रु० की रकम जोड़ दी गई है।

(ग) उपर्युक्त दो वर्षों के संबंध में दंड संबंधी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त, आय छिपाये जाने के बारे में दंड लगाने की कार्यवाही चालू की गई है। अन्य वर्षों के संबंध में जांच चल रही है। कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायगी।

भारतीय पर्यटकों को चीन यात्रा के लिये अनुमति

***816. श्री सरत कार :**

श्री एस० एस० सोमानी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के प्राधिकारी न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये अपितु अपने प्रशासन के लिये मित्र बनाने के लिये भी भारतीय पर्यटकों को अनुमति देने के लिये उत्सुक हैं जिन्होंने 30 वर्ष तक अलग-थलग रहने पर देश को अन्य लोगों के लिए खोल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन पर्यटक एजेंसी, लक्सिंगशी और भारतीय पर्यटन एजेंसी "सीता" द्वारा हाल ही में किसी यात्रा कार्यक्रम को अन्तिम रुप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : मैसर्स सीता वर्ल्ड ट्रेवल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, एजेंसी भारतीय पर्यटकों द्वारा चीन सहित पूर्वी एशिया के तीन दौरों का संवर्धन करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित यात्रा मंडल 9 दिन की अवधि के दौरान चीन में पीकिंग, ननकिंग, शंघाई और क्वांगचो की यात्रा करेगा। चाइनीज़ ट्रेवल एजेंसी ने चीन में यात्रियों के ठहरने आदि के प्रबंध के लिए 270.00 यू० एस० डालर प्रति व्यक्ति की कोटेशन दी है। यात्रा मंडलों के प्रस्थान की अंतरिम तारीखे 8 जुलाई, 7 और 21 अक्टूबर, 1979 हैं। तथापि, सीता वर्ल्ड ट्रेवल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, दौरे के प्रबंधों को अभी तक अंतिम रुप नहीं दिया गया है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण सुविधाओं पर नियंत्रण रखने के लिए अनुदेश जारी किया जाना

***817. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

डा० विजय मंडल :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बैंकों से ऋण सुविधाओं पर नियंत्रण रखने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जारी किये गये अनुदेशों का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश की आर्थिक स्थिति को इससे कितना लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे 1 दिसम्बर, 1978 से सांविधिक नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात 34 प्रतिशत रखें। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि 1 दिसम्बर, 1978 के बाद अपने गैर-अन्न ऋण के विस्तार की योजना बनाने का प्रयास इस प्रकार करें कि वृद्धिशील सकल (गैर-अन्न) ऋण और जमा का अनुपात 40 प्रतिशत के भीतर हो जाय।

(ग) इन उपायों का उद्देश्य अर्थ व्यवस्था पर संभावित मुद्रा-प्रसार के दबाव को सीमित करना है।

लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच विमान सम्पर्क

***818. श्री रतनसिंह राजदा :**

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवा द्वारा मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप को जोड़ने के लिये सर्वेक्षण बहुत पहले किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो हवाई पट्टियों का निर्माण कब तक किया जायेगा ; और

(ग) नियमित विमान सेवा किस तारीख तक शुरू की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : छठी योजना के दौरान लक्षद्वीप में एक हवाई अड्डा बनाने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, लक्षद्वीप को विमान सेवा से जोड़ने के बारे में तीसरी वायु सेवाओं संबंधी स्कीम के अन्तर्गत विचार किया जाएगा। तीसरी वायु सेवा इस समय सरकार के विचाराधीन है।

सावधि ऋणदाता संस्थानों की परियोजना—वित्तपोषण योजनायें

*819. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सावधि ऋणदाता संस्थानों की परियोजना वित्तपोषण योजना उद्यमकर्त्ताओं के लिए महगी सिद्ध हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अंतराल ऋण के लिए बैंक से गारंटी के लिए और अंतराल वित्त के सावधि ऋण में शामिल होने तक, उस पर कमीशन का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना वित्तपोषण योजना से नये उद्यमों के लिए भारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या योजना को बदलने और उसमें संशोधन करने के प्रश्न पर केन्द्रीय मंत्रालय विचार कर रहा है, जिससे उद्यमकर्त्ताओं को इससे लाभ हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) सावधिक ऋण देने वाली संस्थाएं, अपने द्वारा दिये गये सावधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत (निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों के मामले में 9-1/2 प्रतिशत) वार्षिक की दर से ब्याज वसूल करती है। वर्तमान ब्याज दरों के ढांचे तथा साधनों की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए, उद्यमियों के लिए यह महंगा नहीं है।

(ख) सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से अन्तराल वित्त (ब्रिज फाइनेंस) पाने के लिए बैंक गारंटी लेना अब आवश्यक नहीं है।

(ग) जी, हां। चूंकि सावधिक ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज अधिक नहीं है तथा अन्तराल ऋणों पर केवल 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है, इसलिए नये उद्यमियों के लिए कोई कठिनाई नहीं होती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों में शस्त्रों और गोलाबारूद का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित कुत्ते

*820. **डा० मुरली मनोहर जोशी :**

श्री एफ० पी० गायकवाड़ :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विमानों में किसी प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए उनमें शस्त्रों और गोलाबारूद का पता लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि मामले पर गौर किया जा रहा है।

विदेशों से स्वदेश भेजी जाने वाली राशियों को बचत और पुंजीनिवेश कार्यों में लगाया जाना

*821. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों से भेजी जा रही राशियों से कुछ राज्यों ने विलासिता की वस्तुओं तथा भवनों की मांग अत्यधिक बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रुपए के समान मूल्य वाली मुद्रा की ऐसी राशियों के कुछ भाग को बचत और पूंजी निवेश कार्यों में लगाने पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या इन राशियों की रुपए के समान मूल्य वाली मुद्रा को एकत्र करने की कोई योजना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार ने इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखे ह, लेकिन इन निष्कर्षों की पुष्टि करने वाली कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : यह मानना होगा कि विदेशों से आने वाली रकमें प्राप्त करने वाले उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी, सरकार ने इन राशियों को बैंकों में जमा करवाने अथवा औद्योगिक कारखानों में लगाने के लिए प्रोत्साहित करने क प्रयोजन से कई योजनाएं बनाई हैं। भारतीय बैंकों द्वारा अतिरिक्त जमा रकमें जुटाने के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अलावा, सरकार ने उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशों से धन आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित खास-खास योजनाएं बनाई हैं :—

(1) अनिवासी (बाहृय) खाता योजना जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खाताधारी उस खाते में जमा रकमों में से अपनी इच्छा क अनुसार रकमें भारत से बाहर भेज सकता है।

(2) विदेशी करैंसी (अनिवासी) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित लाभ के अलावा खाताधारी को विनिमय दरों में होने वाली घटबढ़ के कारण किसी हानि का खतरा भी नहीं उठाना पड़ता।

(3) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस लौटाने के विकल्प के साथ नई भारतीय कंपनियों के नए सामान्य शेयरों में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना।

(4) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस लौटाने के विकल्प के साथ कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना। और

(5) विदेशों में रहने वाले संबंधियों से लागत के बराबर रकम प्राप्त करने वाल व्यक्तियों को ट्रैक्टर, सीमेंट और स्कूटर आयात करने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन की योजना।

सरकारी उपक्रम ब्यूरो के अन्तर्गत रूग्ण एकक

*822. **श्री सौगत राय :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम ब्यूरो के अन्तर्गत 13 एकक रूग्ण हो गए हैं जैसाकि 15 मार्च, 1979 के 'इकनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उनको पुनरूज्जीवित करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) कोई एकक कब रूग्ण कहलाएगा यह बताना कठिन है। सरकारी उद्यमों के मामले में वित्तीय लाभ/हानि उनकी हालत/रूग्णता की सही द्योतक नहीं हैं। किन्तु यदि आशय ऐसे सरकारी उद्यमों से है जो लगातार कई वर्षों से घाटा उठा रहे हैं तो निम्नलिखित 13 सरकारी उद्यमों ने 1977–78 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान हर वर्ष घाटा उठाया है। 1977-78 ही ऐसा अन्तिम वर्ष है जिसके लेखे उपलब्ध हैं।

निम्नलिखित विवरण में उद्यमों से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के नाम भी दिये गए हैं :

उद्यम का नाम	सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
1. भारत अल्यूमीनियम कं० लि०	इस्पात और खान मंत्रालय
2. भारत गोल्ड माइन्स लि०	
3. कोल इण्डिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियां*	ऊर्जा मंत्रालय
4. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
5. फर्टिलाइजर कारपो० आफ इण्डिया लि०	
6. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	
7. बीको लारी	

*इसे 1975-76 वर्ष में बनाया गया।

उद्यम का नाम	सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
8. भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि०	भारी उद्योग विभाग
9. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर्स लि०	भारी उद्योग विभाग
10. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	औद्योगिक विकास विभाग
11. भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लि०	औद्योगिक विकास विभाग
12. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	नौवहन और परिवहन मंत्रालय
13. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	पुनर्स्थापन विभाग

(ख) उनका कार्यनिष्पादन ठीक न रहने के कारण ये हैं :

1. प्रौद्योगिकीय समस्याएं।
2. क्षमता का कम उपयोग।
3. अपर्याप्त मांग।
4. अपर्याप्त एवं घटिया कच्चा माल।
5. संतोलक उपस्कर का अभाव।
6. मूल्य-निर्धारण नीति।
7. प्रचालन एवं प्रबन्धकीय कार्यकुशलता में कमी।

(ग) इन उद्यमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए किये गए प्रमुख उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. उत्पाद मिश्र का विविधीकरण।
2. संतोलक सुविधाओं, संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन की व्यवस्था।
3. अनुसंधान और विकास।
4. विदेशों में मांग बढ़ाने के लिए निर्यात सम्बन्धी प्रयास।
5. संघटकों को बेहतर सप्लाई के लिए सहायक एककों का विकास।
6. कच्चा माल/संघटक और पूंजीगत माल की आयात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
7. प्रोत्साहनों एवं प्रबन्ध में भागीदारी पद्धति अपनाकर श्रम उत्पादकता बढ़ाना।
8. प्रशिक्षण-द्वारा प्रचालन कार्य-कुशलता विकसित करना।
9. औद्योगिक सम्बन्धी एवं प्रबन्धकीय कार्यकुशलता में सुधार।

सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मत्स्य नौकाओं (टालर्स) की जांच पड़ताल किया जाना

*823. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि टाटा बन्धुओं द्वारा थाई सहयोग से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की समुद्री सीमा में मत्स्य नौकाओं का संचालन किया जा रहा है और ये मत्स्य नौकायें मछलियां देने के लिये प्राय: विदेशों का दौरा करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कोई जांच-पड़ताल की जाती है अथवा नहीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

भारत सरकार ने, कुछ शर्तों के अधीन, मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि० को थाईलैंड स्थित उनके सहयोगियों से बंगाल की खाड़ी में परिचालनार्थ कुछ जलयान किराये पर लेने की अनुमति दी है; उनका परिचालन केन्द्र पोर्ट ब्लेयर है। ये मछली पकड़ने वाले जलयान, गहरे समुद्र और समुद्री सीमा पर जो मछलियां पकड़ते हैं उन्हें उतारने के लिए थाईलैंड के बंदरगाहों पर जाते हैं।

(ख) और (ग) : थाईलैंड के बंदरगाहों से पहली बार भराई में आने वाली मत्स्य नौकाएं, नौ-सेना अधिकारियों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रमाणीकरण के लिए विशाखापत्तनम जाती हैं। गहरे समुद्र अथवा समुद्री सीमा पर मछली पकड़ने के बाद, मत्स्य नौकाएं पोर्ट ब्लेयर आती हैं जहां पर सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तस्करी अथवा सीमाशुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिये, पोर्ट ब्लेयर में पूरी की जाने वाली सीमा शुल्क औपचारिकताओं में निर्यातकर्ता द्वारा मछलियों के घोषित मूल्य की जांच, निर्यात की जाने वाली मछलियों का निरीक्षण, वस्तु-सूची की जांच और सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य शामिल है।

आयकर अधिकारियों की द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में तदर्थ पदोन्नति का मानदंड

7801. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों की द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में तदर्थ पदोन्नति का मानदंड क्या है;

(ख) हाल ही में तदर्थ पदोन्नतियों से द्वितीय श्रेणी के कितने आयकर अधिकारियों की उपेक्षा की गई है;

(ग) दिल्ली के कितने अधिकारियों की उपेक्षा की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26-5-71 के संख्या 2707-71 ए आई/(तीन) के अनुसार दिये गये स्पष्टीकरण की उपेक्षा की गई है और प्रभावित अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि प्रभावित अधिकारियों ने तीन वर्ष पहले अभ्यावेदन अपील की थी और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(च) क्या यह सच है कि प्रभावित अधिकारी को आपति स्थिति के दौरान चेतावनी दी गई थी कि वह अपने अधिकारियों को खुश रखे ; और

(छ) गलती में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) आयकर अधिकारी (श्रेणी-II) की आयकर अधिकारी (श्रेणी-I) के कनिष्ठ वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है।

(ख) हाल ही में (दिसम्बर 1978) आयकर अधिकारी (श्रेणी-I) के ग्रेड में कनिष्ठ वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति के योग्य समझे गय 276 अधिकारियों में से 26 अधिकारी छोड़ दिये गये थे ।

(ग) दो ।

(घ) भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 25-5-1971 (26-5-1971 नहीं) के पत्र संख्या 2707-71 ए० आई० एस० (III) में अखिल भारतीय सेवा (संवर्ग) नियम के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मैसूर सरकार (अब कर्नाटक) के पत्र का उल्लेख है। यह स्पष्टीकरण आयकर अधिकारियों पर लागू नहीं होता ।

(ङ) और (च) : जिन 26 अधिकारियों को छोड़ दिया गया है उनमें से कुछ अधिकारियों ने अपना चयन नहीं किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किये हैं। तथापि, प्रश्न के भाग (ङ) और (च) में उल्लिखित तथ्यों के बारे में किसी भी अभ्यावेदन में कोई उल्लेख नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित अधिकारी को निर्दिष्ट करना और अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं है ।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा मकान को सील किया जाना

7802. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सलीम हाफिज पटेल जिसे सादिक हाफिज पटेल का छोटा भाई बताया जाता है, का बम्बई स्थित मकान राजस्व आसूचना विदेशालय द्वारा सील कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मकान की तलाशी ली गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो वहां से क्या वस्तुएं बरामद हुई और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय, बम्बई के अधिकारियों ने 25-8-78 को सलीम हाफिज पटेल के, 143-बी, हीरा पन्ना बिल्डिंग, हाजी अली, बम्बई स्थित परिसरों को सील किया था, क्योंकि उक्त परिसरों की तलाशी ली जानी थी परन्तु उन्हें तालाबन्द पाया गया था। उक्त परिसरों की बाद में 1-9-78 को तलाशी ली गई थी और कुछ अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गये थे ।

श्री कांति देसाई के आयकर के रिकार्ड

7803. **श्री वसन्त साठे** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कांती देसाई के आयकर के कोई रिकार्ड किसी समय गुम हो गये थे और यदि हां, तो रिकार्ड कब गुम हुए थे ;

(ख) इसका क्या साक्ष्य है कि ये रिकार्ड गुम हो हुए थे;

(ग) क्या ये रिकार्ड बाद में मिल गये थे; और यदि हां, तो किस तारीख को यह मिल गये हैं और किन परिस्थितियों में ये ढूंढ लिये गये हैं;

(घ) क्या उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिये, जिन के अन्तर्गत रिकार्ड गुम हो गये थे, कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) ये रिकार्ड कब गुम हुए थे और क्या श्री कांति देसाई द्वारा कर अपवचन के बारे में कोई जांच विचाराधीन है और यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) श्री कांति देसाई क, कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 तक के आय-कर सम्बन्धी रिकार्ड अगस्त 1971 और जनवरी 1973 के बीच कभी गुम हो गय थे।

(ख) रिकार्ड गुम होने का प्रमाण, आयकर अधिकारी द्वारा फरवरी 1973 में अपने निरीक्षी सहायक आयुक्त को लिखे पत्र से मिलता है, जिसमें बताया गया था कि अग्रिम कर नोटिस जारी करने वाले कक्ष को अगस्त 1971 में भेजे गये रिकार्ड उक्त कक्ष से फिर वापस प्राप्त नहीं हुए।

(ग) गुमशुदा दस्तावेजों को ढूंढने के लिये जुलाई 1978 में तेजी से प्रयास किया गया तथा वे रिकार्ड 5 जुलाई, 1978 को मिल गये थे ।

(घ) चूंकि आयकर आयुक्त को इस बात से तसल्ली हो गयी थी कि दस्तावेज गुम हो गये थे अतः उसने जांच कराना आवश्यक नहीं समझा

(ङ) आयकर आयुक्त ने बताया है कि इस मामले में 1971 से जिस वर्ष में कि कर-निर्धारण सम्बन्धी ये रिकार्ड गुम हुए थे, उससे बहुत पहले से ही आरोप लगाये गये थे । आरोपों से संबंधित गोपनीय रिकार्ड कभी गुम नहीं हुए थे । इन गोपनीय दस्तावेजों में कर-निर्धारण आदेशों आदि की प्रतिलिपियां भी थीं तथा संगत अवधि के दौरान कोई नया आरोप अथवा विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं ।

श्री कान्ति देसाई का आयकर निर्धारण

7804. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य ने आयकर अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत श्री कांति देसाई, उसकी पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में आयकर निर्धारणों की जानकारी देने के लिये आयकर आयुक्त को लिखा था और यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और आयकर आयुक्त ने उन पर क्या कार्यवाही की थी;

(ख) यदि मांगी गई जानकारी नहीं दी गई थी तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आयुक्त से कोई रिपोर्ट मिली थी और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सम्बन्धित निदेशक ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस आशय का नोट प्रस्तुत किया था कि संसद् सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दी जानी चाहिये थी; और

(ङ) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने सम्बन्धित निदेशक को बुलाकर उन्हें नोट बदलने का आदेश दिया था और उस निदेशक ने चेयरमैन का आदेश मानने से इन्कार कर दिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : जी, हां । एक संसद सदस्य ने बम्बई नगर-VIII और XI के आयकर आयुक्तों को, श्री कान्ति देसाई और उनके दो पुत्र, श्री भरत कांति देसाई तथा श्री जगदीप कांति देसाई के आयकर निर्धारणों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के अधीन कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था । श्रीमती पद्मा कांति देसाई के संबंध में कोई दरखवास्त प्राप्त नहीं हुई है ।

उन्हीं संसद सदस्य ने श्री कांति देसाई के मामले में 15 तथा श्री भरत कांति देसाई और श्री जगदीप कांति देसाई के मामलों में 17–17 दरख्वास्तें दायर की थीं । जिन आयकर आयुक्तों को दरख्वास्तें दी गयी थीं, वे दोनों ही संतुष्ट नहीं हुए कि सूचना देना सार्वजनिक हित में होगा । अतः उन्होंने सूचना देने से इंकार कर दिया ।

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 138(1)(b) के अधीन, आयकर आयुक्त की कार्यवाही अंतिम होती है और उसे किसी भी न्यायालय म चुनौती नहीं दी जा सकती । इस प्रकार केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही

नहीं होनी थी । इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को कोई रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं थी । फिर भी बम्बई नगर-VIII और XI के आयकर आयुक्तों ने, इस मामले में जो कुछ उन्होंने किया था, उसकी जानकारी अपने आप ही बोर्ड को दी ।

(घ) दोनों आयकर आयुक्तों से प्राप्त सूचना को केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के कार्यालय में देखा गया है । परंतु कानून के अधीन बोर्ड के लिए कोई राय देने अथवा आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह एसा नहीं कर सकता था, और इसलिए इस बारे में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(ङ) जी नहीं ।

ऋण के रूप में विश्व बैंक से सहायता

7805. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा भारत को ऋण के रूप में सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन प्रयोजनों के लिये;

(ग) ब्याज की किस दर पर; और

(घ) ऋण की अदायगी कितनी किस्तों में और कितनी अवधि में की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) : भारत को विश्व बैंक समूह से जो सहायता मिलती है वह विश्व बैंक और उदार शर्तों पर ऋण देने वाली उससे संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ नामक संस्था से प्राप्त होती है ।

विश्व बैंक समूह से प्राप्त होने वाली सहायता कृषि, सिंचाई और कमान क्षेत्र सिंचाई विकास, विद्युत विकास, पेयजल-पूर्ति, संचार, उर्वरक उत्पादन, नगर विकास आदि जैसे विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए काम में लाई जा रही है ।

विश्व बैंक के ऋणों के ब्याज की दर हर तिमाही तय की जाती है । चालू तिमाही के लिए ब्याज की दर 7.9 प्रतिशत वार्षिक है । विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली ऋण सहायता की औसतन वापसी अवधि 3 से 5 वर्षों की रियायती अवधि सहित 20 वर्ष की होती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्षों की स्थगन अवधि सहित 50 वर्षों में की जाती है । ये ऋण ब्याज मुक्त होते हैं और इन पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक दर से केवल सेवा प्रभार देना पड़ता है ।

बैंक ऋणों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों के मूलधन की वापसी अदायगी आमतौर से छमाही किस्तों में की जाती है ।

चाय के निर्यात पर शुल्क समाप्त करना

7806. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात पर शुल्क समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप इस वस्तु के निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ख) 1977-78 तथा 1978-79 में रुपयों के रूप में तथा किलोग्राम में कितना निर्यात किया गया; और

(ग) नए पौधे लगाने तथा पुराने और अलाभकर पौधों को बदलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) 14-2-79 से चाय पर से निर्यात शुल्क हटा दिया गया था और निर्यातों पर इससे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान चाय के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुए :

	दस लाख किग्रा०	लाख रु०
*1977-78	221.52	563.71
*1978-79 . . . . (अप्रैल-फरवरी, 79)	146.28	295.37

*अनन्तिम

सम्भवत: पिछले वर्ष स्टाक अधिक होने के कारण निर्यात व्यापार में उछाल में समग्र कमी ही गिरावट का मुख्य कारण हो सकती है ।

(ग) चाय उद्योग के लिये निम्नोक्त विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :

(1) **बागान वित्त योजना** के अन्तर्गत, पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन तथा/अथवा चाय को गहन रोपण करने के लिये मैदानी बागानों के लिये 20,000 रु० प्रति हैक्टार तथा पहाड़ी बागानों के लिये 25,000 प्रति हैक्टार की दर से अब दीर्घावधि ऋण दिया जा रहा है ।

(2) **चाय मशीनों तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना** में 10 वर्ष की अवधि के लिये अस्थगित भुगतान के आधार पर चाय मशीनों, उपस्कर, वाहनों आदि को प्राप्त करने की सुविधाओं की व्यवस्था है। चाय बागान कारखाने द्वारा मशीनों, वाहन आदि की मदों के लिये 10 लाख रु० तथा सिंचाई उपस्कर के लिये 10 लाख रु० प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(3) **पुनरोपण उपदान योजना** में अलाभकारी क्षेत्रों में पुनर्रोपण और प्रतिस्थापन रोपण करने के लिये मैदानी बागानों को 4,000 रु० प्रति हैक्टार और पहाड़ी बागानों को 5,000 रु० प्रति हैक्टार के अनुदान की व्यवस्था है । इसी उपदान योजना में जीर्णोद्धार, छंटाई और भराई के लिये 3,000 रु० प्रति हैक्टार और पहाड़ी बागानों के जीर्णोद्धार अन्त:रोपण और भराई के लिये 4,000 रु० प्रति हैक्टार के अनुदान की व्यवस्था है । इसके अलावा चाय कम्पनी को पुनर्रोपण की समस्त लागत को राजस्व व्यय मानने की अनुमति है । प्रतिस्थापन और विस्तार रोपण के लिये चाय उद्योग को विकास भत्ता भी उपलब्ध है ।

पुनर्रोपण और जीर्णोद्धार के लिये उपदान की दर में संशोधन कर के उसमें वृद्धि करने की सम्भावना पर भी इस समय विचार किया जा रहा है ।

भूमि विकास बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋणों की वसूली

7807. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार भूमि विकास सहकारी बैंकों की ऐसी शाखाओं को, जो उनके द्वारा दिये गये ऋणों का 75 प्रतिशत वसूल करने में असफल हो गये हैं; और आगे ऋण देने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य भूमि विकास सहकारी बैंक लि०, अहमदाबाद की शाखाओं द्वारा दिये गये लगभग 88 करोड़ रुपए के ऋण अभी वसूल किये जाने ह, यदि हां, तो क्या यह बैंक आगामी ऋण दे रहा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, राज्य भूमि विकास बैंकों से निधियों के निकलवाने के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं की पात्रता को, पिछले वर्ष में मांगों के अतिदेयों (ओवरड्यूज) तथा वितरित किये गये ऋण के प्रतिशत या पिछले तीन वर्षों में जारी किये गये ऋणों के औसत या जो भी इनमें अधिक हो, के साथ जोड़ दिया गया है ।

वे शाखाएं जिनकी मांगों के अतिदेयों की प्रतिशतता 55 प्रतिशत से अधिक है, वे शाखाएं राज्य भूमि विकास बैंकों से निधियों के निकलवाने की पात्र नहीं होती है ।

(ख) 30 जून, 1978 तक, गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक के ऋणों की बकाया राशि 84.89 करोड़ रुपए थी । इसकी तुलना में अतिदेयों (ओवरड्यूज) की राशि 34.15 करोड़ रुपए बैठती है । बैंक ने ऋण देना जारी रखा है तथा 1978-79 (31-12-1978 तक) के दौरान साधारण तथा विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत क्रमश: 1.79 करोड़ तथा 0.52 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किये थे ।

'टिस्को' द्वारा बेचे गये 'स्क्रैप' पर दिया गया कर

7808. **श्री ए० के० राय** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 तथा 1978 में 'टिस्को' (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) ने कितने मूल्य का 'स्क्रेप' बेचा है तथा किन फर्मों को बेचा है;

(ख) क्या बिक्री के लिये कोई निविदायें मांगी गयी थी;

(ग) क्या यह सच है कि फर्म निर्धारित थी और कर बचाने तथा काला धन बनाने के उद्देश्य से दरें जानबूझ कर कम रखी गयीं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

महाराष्ट्र में बचत बैंक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत व्यपगत पुरस्कार

7809. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में, विशेषकर पालुआगिरी जिले में गत दो वर्षों में वर्षवार बचत बैंक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कितने पुरस्कार व्यपगत हो गये;

(ख) तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ग) बचत बैंक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों को व्यपगत होने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : महानिदेशक डाक-तार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में डाक घर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कोई इनाम व्यपगत (लैप्स) नहीं हुआ है। परन्तु जनवरी 1976 में निकाले गए चौथे ड्रा के अन्तर्गत दो मामलों में—एक रत्नागिरी मुख्य डाक घर और दूसरा कोल्हापुर मुख्य डाक घर के बचत बैंक खातों पर निकले इनाम के रूपयों का अब तक भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित खातेदारों की मृत्यु हो गई थी और दावेदारों ने दावों के संबंध में अपने हक की पुष्टि के लिए वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किये थे।

(ग) हर बार, इनाम निकाले जाने के बाद जिन जिन खातों पर इनाम निकलता है उनका विवरण भारत के राजपत्र में तथा देश भर में कई समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है। परिणामों की अधिसूचना की प्रतियां आम जनता के सूचनार्थ प्रत्येक मुख्य डाक घर और उप डाकघर में नोटिस पर लगा दी जाती है। प्रत्येक डाक प्रभाग से संबंधित इनाम की सूची प्रादेशिक भाषाओं में भी तैयार की जाती है और आम जनता की सूचना के लिए यह सूची शाखा डाकपालों को वितरित की जाती है। इनामों की सूची की प्रतियां राष्ट्रीय बचत आयुक्त नागपुर से अनुरोध कर के भी प्राप्त की जा सकती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम पाने वाले खाताधारियों को संबंधित मुख्य डाकपाल द्वारा डाक से सूचना दी जाती है। जिन खातों पर इनाम निकलता हैं उनके धारकों के दावे क्षेत्रीय डाक कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। पांचवे और छठे इनाम, पुरस्कार विजेताओं के संबंधित बचत खातों में जमा कर दिये जाते हैं और डाकपाल इसके बारे में उन्हें सूचित भी करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनाम व्यपगत न हों, ये प्रबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं।

राज्यों द्वारा निर्यात वस्तुओं पर बिक्री और खरीद कर लगाया जाना

7810. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा ने एक सरकारी संकल्प के माध्यम से केन्द्र से वह प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन न करने का अनुरोध किया है जिस के द्वारा निर्यात वस्तुओं पर बिक्री और खरीद कर लगाने के राज्यों के अधिकारों को असीमित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके इस आशय के सुझाव की जांच की जा रही है कि निर्यात व्यापार में विशेष महत्व के माल की घोषणा करने और इस प्रकार के माल की बिक्री अथवा खरीद पर राज्यों द्वारा कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध और शर्तें निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाय। केरल सरकार ने सूचित किया है कि केरल विधान सभा ने 26 मार्च 1979 को सर्वसम्मति से एक सरकारी ज्ञापन पारित किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया गया है कि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाय। इस मामले में सभी राज्य सरकारों के विचार जानने के बाद निर्णय लिया जायगा।

नारियल जटा रेशा के निर्यात में गिरावट

7811. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल जटा रेशा के निर्यात में काफी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है और भारत में इस उद्योग को बचाने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अन्तिम आंकड़ों क अनुसार, 1978–79 के दौरान कायर यार्न के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन के विकास के लिये राजस्थान को दी गई सहायता

7812. **श्री एस० एस० लाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिये गत दो वर्षों के दौरान क्या कारगर कदम उठाये गये और इसके लिये सरकार को कितनी सहायता दी गई; और

(ख) किन-किन स्थानों का विकास किया गया है और इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : पर्यटन के संवर्धन के लिए स्कीमें या तो केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत ली जाती हैं या राज्य सैक्टर के अन्तर्गत और, इसिलिए, किसी राज्य को कोई सहायता नहीं दी दी जाती है। 1977-78 और 1978-79 के दौरान केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत राजस्थान में निम्नलिखित पर्यटन स्कीमें प्रारम्भ की गयी थीं :—

पर्यटन विभाग :

(i) जैसलमेर स्थित पर्यटक बंगले पर 1.14 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अतिरिक्त आवास ।

(ii) डीग डाक बंगले पर 1.21 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अतिरिक्त कमरों का निर्माण ।

(iii) राजस्थान में कुछ झीलों में नौका-विहार सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 3.12 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई ।

(iv) 0.75 लाख रुपए की लागत पर मेवाड़ कम्पलैक्स की महा योजना तैयार करना ।

भारत पर्यटन विकास निगम :

(i) जयपुर में 23 कमरों (46 बैड) की क्षमता वाले स्वागत केन्द्र-व-होटल (जिसे अब होटल जयपुर, अशोक नाम दिया गया है) का पहलां चरण 65.29 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पूरा करना । परियोजना पर 98 लाख रुपए की अनुमानित लागत
कमरे उपलब्ध होंगे ।

(ii) जयपुर में परिवहन यूनिट का संवर्धन ।

इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान राजस्थान के पर्यटक स्थानों का प्रचार पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित फोल्डरों, सूचना निर्देशिकाओं, पोस्टरों और फिल्मों द्वारा किया गया था ।

पर्यटन विभाग के आतिथ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत, राजस्थान के रुचिकर स्थानों को, यात्रा करने वाले यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा प्रचारकों के यात्रा कार्यक्रमों में निश्चित रूप से शामिल किया जाता है।

गुजरात में वर्जिनिया तम्बाकू की पैदावार

7813. **श्री मोतीराम आर० चौधरी : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में गुजरात में वर्षवार कितने वर्जिनिया तम्बाकू का उत्पादन हुआ;

(ख) उसमें से कितनी मात्रा की खरीद गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा की गई और कितनी मात्रा की खरीद राज्य व्यापार निगम, "नेफेड" अथवा तम्बाकू बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई और किस कीमत पर की गई;

(ग) क्या गैर-सरकारी कम्पनियां बहुत कम दामों पर खरीद करती हैं और बहुत कम मात्रा में तम्बाकू खरीदती हैं और तम्बाकू बोर्ड अथवा सरकार इसकी खरीद नहीं करती जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जल्द ही इसकी खरीद के लिये प्रबन्ध करने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में वर्जीनिया तम्बाकू का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया जाता है :

वर्ष	उत्पादन (मे० टन में)
1974-75	485
1975-76	581.6
1976-77	1428
1977-78	1800
1978-79	913.5

(ख) से (घ) : गुजरात में वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन गैर-सरकारी कम्पनियों की मांग के अनुसार किया जाता है और उनके द्वारा खरीद किया जाता है । गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा खरीदे गये वर्जीनिया तम्बाकू की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (मे० टन में)
1974-75	598
1975-76	587
1976-77	1310
1977-78	1660
1978-79	962

तीन श्रेष्ठ ग्रेडों के लिये भुगतान की गई कीमतें 6.25 रु० में 9.00 रु० प्रति कि० ग्रा० के बीच बताई गई हैं। राज्य व्यापार निगम, नेफेड या तम्बाकू बोर्ड ने अभी तक गुजरात में वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद नहीं की है। वर्जीनिया तम्बाकू के बिना बिके भंडारों के बारे में मिले कुछ अभ्यावेदनों और गुजरात में गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा कम कीमतों के भुगतान के आधार पर राज्य व्यापार निगम को हाल ही में कहा गया है कि यदि उपजकर्ताओं द्वारा प्राप्त कीमतें वाजिब कीमत स्तर से नीचे हों तो वह बाजार में हस्तक्षेप करे ।

इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

7814. **श्री बागुन सम्बरुई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइंस में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	वर्ग	अनुसूचित जनजाति की संख्या
1	सहायक प्रबंधक कार्मिक सेवा	1
2	पद्धति विश्लेषक	1
3	सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक	1
4	सहायक सिविल इंजीनियर	1
5	लेखा अधिकारी	1
6	यातायात अधिकारी	3

क्रम सं०	वर्ग	अनुसूचित जनजाति की संख्या
7	स्टोर त I सप्लाई अधिकारी	1
8	विमान परिचारिका	29
9	फ्लाइट स्टूयअर्ड	1
10	यातायात अधीक्षक	1
11	कार्यालय अधीक्षक	4
12	मुख्य टेलीफोन ऑपरेटर	2
13	चार्ज हैंड	2
14	लेखा अधीक्षक	3
15	यातायात अधीक्षक	7
16	यात्री सरलीकरण सहायक	2
17	स्टोर अधीक्षक	5
18	आशुलिपिक	6
19	कार्यालय सहायक तथा टाइपिस्ट . . .	8
20	मकेनिक (एम० टी०)	2
21	परिवहन सहायक	1
22	परिचालन सहायक	2
23	टेलीफोन आपरेटर	7
24	यातायात सहायक	47
25	विमान तकनीशियन	4
26	सुरक्षा सहायक	2
27	लेखा सहायक	5
28	की पंच ऑपरेटर/ई० डी० पी० सहायक . .	1
29	स्टोर सहायक	7
30	चपरासी/फराश	11
31	सुरक्षा गार्ड	3
32	ड्राईवर	10
33	कुक हेल्पर	1
34	हेल्पर (केटरिंग)	8
35	हेल्पर (स्टोर्स)	2
36	हेल्पर (इंजीनियर)	19
37	हेल्पर (एम० टी०)	3
38	लोडर	47
39	स्वीपर	6

काबले (बोल्ट) और पेच बनाने वाले लघु उद्योगों को उत्पादन शुल्क में राहत देना

7815. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि लघु औद्योगिक एककों में काबले और पेच बनाने के काम में आने वाले कच्चे माल के मूल्य में वर्ष 1971 से कई गुना वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बजट में (1979-80 के बजट सहित) लघु उद्योगों में इन वस्तुओं को बनाने वाले एकको को उत्पादन शुल्क में कोई राहत नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरुप ये एकक अधिक लोगो को रोजगार नहीं दे सके;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार चालूवर्ष के बजट में उत्पादन शुल्क में राहत देने पर विचार करने का है जिस से यह उद्योग अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके और प्रगति कर सके; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) कई सालों से कच्चे माल और तैयार सामान के मूल्यों में आम वृद्धि होती रही है।

(ख) से (घ) : 1 अप्रैल, 1978 से पूर्व, काबले और डिबरियों के लघु निर्माता, जिनकी किसी वित्तीय वर्ष में निकासी 5 लाख रुपये से अधिक की नहीं थी, वे एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये तक की निकासी पर समस्त छूट के पात्र थे। सामान्य छूट योजना लागू होने से, जिसके अंतर्गत 69 विनिर्दिष्ट मदों के लघुनिर्माता आते हैं, वर्ष 1978 के बजट में इस रियायत को और उदार बना दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत, काबले और डिबरियों के लघु निर्माता, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में स्वदेशी उपभोग के लिए निकासियां 15 लाख रुपये से अधिक की नहीं थी वे एक वित्तीय वर्ष में, 5 लाख रु० तक की निकासियो पर समस्त छूट के पात्र हैं। काबले और ढिबरियो के बहुसंख्य लघु निर्माता वर्तमान छूट का लाभ उठा रहे हैं। काबले और ढिबरियों के निर्माताओ को कोई और राहत देना संभव नहीं पाया गया है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा दोबारा खरीदे गये यूनिट

7816. **श्री आर० वेंकटारमन** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1978 में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा कितने मूल्य के और कितने यूनिट दोबारा खरीदे गये थे; और

(ख) जुलाई, 1978 में कितने मूल्य के और यूनिट बेचे गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जून, 1978 में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा 3.02 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के 30,24,390 यूनिट दोबारा खरीदे गये थे।

(ख) जुलाई, 1978 में ट्रस्ट द्वारा 52.59 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के 5,25,94,510 यूनिट बेचे गये थे।

चाय बोर्ड के मामले

7817. **श्री दीनन भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय बोर्ड के मामलों की जांच करने और छोटे एककों की शिकायतें सुनने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) : चाय बोर्ड की कार्य-प्रणाली तथा चाय एककों, छोटे तथा बड़े दोनों, द्वारा सामना की जा रही समस्याएं निरन्तर सरकार के समीक्षाधीन हैं।

वनस्पति तेलों के मूल्यों वृद्धि

7818. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की इस घोषणा बावजूद कि वतस्पति तेलों के मूल्यों में वृद्धि एक प्रतिशत से अधिक नही होगी, इनके मूल्यों में हाल ही में काफी वृद्धि है ; और

(ख) वनस्पति तेलों के लोकप्रिय ब्रांडो के इस समय प्रचलित मूल्य क्या हैं और बजट से पहले के मूल्यों की तुलना में ये कितने कम या ज्यादा है, वनस्पति तेलों के मूल्यों को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) यह सही है कि पिछले कुछ सप्ताहों में कुछ वनस्पति तेलो के मूल्योंमें कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) बजट से पूर्व तथा बजट के बाद के सुपर बाजार, नई दिल्ली से लिए गये वनस्पति तेलों के फुटकर मूल्यों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इस विवरण से यह देखा जा सकता है कि जबकि सरसों के तेल और नारियल के तेल के फुटकर मूल्य न्यूनाधिक स्थिर रहे हैं, तथापि मुंगफली के तेल के मूल्य कुछ सीमा तक बढ़े हैं। वनस्पति के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय मण्डी में आयातित तेलों के लागत, बीमा और भाड़े सहित मूल्यों के बढ़ने और राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये जाने वाले खाद्य तेलों पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने के कारण हुई है। खाद्य तेलों और वनस्पति के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जब कभी जरुरत पड़ेगी आवश्यक उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे।

विवरण

वस्तु	ब्रांड	पैक	विक्रय मूल्य (रुपयों में)	
			बजट से पूर्व	बजट के बाद (नवीनतम)
वनस्पति . .	रथ	4 किलोग्राम	40.90	47.55
		2 किलोग्राम	21.30	24.80
		1 किलोग्राम	11.15	12.95
	डालडा	4 किलोग्राम	41.65	47.90
		2 किलोग्राम	21.70	25.00
		1 किलोग्राम	11.25	13.05
मूंगफली का तेल .	पोस्टमैन	4 किलोग्राम	47.55	50.70
		2 किलोग्राम	25.05	26.65
		1 किलोग्राम	13.20	14.00
	डालडा (परिष्कृत मूंगफली का तेल)	4 किलोग्राम	48.35	49.70
		2 किलोग्राम	25.35	26.25
		1 किलोग्राम	13.35	13.75
सरसों का तेल . .	"पो"	4 किलोग्राम	48.25	48.25
		2 किलोग्राम	25.60	25.60
		1 किलोग्राम	13.35	13.35
नारियल का तेल . . .	ए० ओ०	900 ग्राम	18.60	18.60
		400 ग्राम	9.35	9.35
		200 ग्राम	5.35	5.35

चाय बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि

7819. **श्री समर मुखर्जी :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड द्वारा स्वीकृत मशीनरी की किराया खरीद और सिंचाई उपकरणों की किराया खरीद के अन्तर्गत अधिकतम राशि क्या है ; और

(ख) इन ऋणों की मंजूरी देने के लिये क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) बोर्ड की किराया खरीद योजना के अन्तर्गत एक चाय बागान को सप्लाई की जा सकने वाली मशीनों और उपस्कर की कुल राशि 10 लाख रु० निर्धारित की गई है और सिंचाई उपस्कर के लिये अधिकतम राशि भी 10 लाख रु० है। किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों के लिये ऋण इस शर्त पर दिया जाता है कि एक चाय बागान के खाते में किसी समय भी बकाया ऋण 10 लाख रू० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) बोर्ड की किराया खरीद योजना उन सभी चाय कम्पनियों तथा चाय बागानों पर लागू होती है जिनके अपने निजी कारखाने हैं और साथ ही साथ उन चाय कारखानों पर भी लागू होती है जो कि किसी चाय बागान से संलग्न नहीं है। आवेदक चाय बागानों को विहित फार्म में आवेदनपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जिसमें आवश्यक ब्यौरा दिया जाता है।

इन आवेदनपत्रों की, आवश्यकताओं की अनिवार्यता, चाय बागानों की वर्तमान कार्य दशा, भावी संभाव्यताओं, वित्तीय स्थिति, आवेदक की साख तथा ऐसे अन्य कारकों जिन्हें संगत समझा जाता है, के सन्दर्भ में चाय बोर्ड के कार्यालय में जांच की जाती है। इसके पश्चात आवेदन की गई मदों की सप्लाई करने में अन्तर्ग्रस्त राशि के लिये वित्तीय स्वीकृति चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष/अध्यक्ष से, चाय बोर्ड के वित्तीय सलाहकार की वित्तीय सहमति से प्राप्त की जाती है किन्तु बोर्ड द्वारा यथासमय उसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।

बैंकिग भर्ती बोर्डों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना

7820. **श्री महीलाल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बैंकिंग भर्ती बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

(ख) क्या इन बैंकिंग भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष के पद पर बैंक की सेवा से बाहर के किसी व्यक्ति, विश्वविद्यालयों के किसी प्रोफेसर और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का सरकार को कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) से (ग) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों में, एक अध्यक्ष तथा बाहर के दो सदस्य जोकि बैंक की सेवा में न हों तथा इसके अतिरिक्त भागीदार बैंकों में से एक-एक प्रतिनिधि होते हैं। बाहर के दो सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का होगा तथा दूसरा सदस्य चयन की तकनीकी से अच्छी तरह परिचित होगा तथा शैक्षिक व्यवसाय वाले सदस्य को वरीयता दी जाएगी।

धार्मिक न्यासों पर लगने वाले कर

7821. **श्री दौलतराम सारण** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धार्मिक न्यासों की राज्यवार सूची क्या है ;

(ख) इन न्यासों की कुल आस्तियां कितनी हैं ; और

(ग) इन आस्तियों पर कितने तथा किस दर से कर लग सकते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) मंत्रालय के पास देशभर के धार्मिक-न्यासों की राज्यवार कोई सूची नहीं है। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसके उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(ख) तथा (ग) : मंत्रालय के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु, विभाग के रजिस्टरों में न्यासों के बारे में दर्शायी गई सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होने और संकलित किये जाने पर, एक विवरण-पत्र यथाशीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के एककों का दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण

7822. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान को निर्धारित फार्म पर फीस के साथ स्थानीय क्षेत्र के निरीक्षक के पास अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होता है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के किस-किस प्रतिष्ठान एकक/प्रभाग पर अखिल भारतीय स्तर पर और विशेषरूप से दिल्ली में यह उपबन्ध लागू होता है ;

(ग) क्या इनमें से सभी दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं और अब तक उस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) उन प्रतिष्ठानों/एककों के नाम जिन पर दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, दिल्ली स्थित यूनिटों सहित विवरण में दिये गये हैं।

(ग) तथा (घ) : भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली में निम्नलिखित प्रतिष्ठान, जो दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों के अधीन कवर होते हैं, पहले ही पंजीकृत कराए जा चुके हैं :—

(i) होटल अशोक, नई दिल्ली

(ii) होटल अकबर अशोक, नई दिल्ली

(iii) होटल जनपथ अशोक, नई दिल्ली

(iv) होटल कुतुब अशोक, नई दिल्ली

(v) होटल लोधी अशोक, नई दिल्ली

(vi) होटल रणजीत अशोक, नई दिल्ली

इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्य कार्यालय का पंजीकृत कार्यालय; कुतुब रेस्तरां, नई दिल्ली; लाल किला, दिल्ली में ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन; पर्यटक सेवा केन्द्र, नई दिल्ली को भी दिल्ली दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना अपेक्षित है। इन प्रतिष्ठानों को भी पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

प्रतिष्ठानों/एककों के नाम जो राज्य दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत आते हैं

होटल

अशोक होटल, नई दिल्ली
अकबर होटल, नई दिल्ली
जनपथ होटल, नई दिल्ली
कुतुब होटल, नई दिल्ली
लोधी होटल, नई दिल्ली
रणजीत होटल, नई दिल्ली
होटल अशोक बंगलौर, बंगलौर
खजुराहो होटल, खजुराहो
जम्मू होटल, जम्मू
लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर
एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता
औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद
वाराणसी होटल, वाराणसी
होटल पाटलिपुत्र, पटना
ललित महल पैलेस होटल, मैसूर
कोवलम बीच रिसोर्ट, कोवलम
टेम्पल बे, महाबलिपुरम
जयपुर होटल, जयपुर
हसन होटल, हसन

यात्री गृह

यात्री गृह कुल्लू
मनाली
बोधगया
कुशीनगर
भुवनेश्वर
कोणार्क
माण्डू
सांची
कांचीपुरम्
त्रिचि
तंजौर
बीजापुर
मदुरै

वन गृह

काजीरंगा वन गृह
भरतपुर वन गृह
ससनवीर वन गृह

रेस्तारां

कुतुब रेस्तरां, दिल्ली
अजंता रेस्तरां
महाबलिपुरम
ताज रेस्तरां, आगरा
कोसी रेस्तरां, कोसी
एयरपोर्ट रेस्तरां, आगरा
एयरपोर्ट रेस्तरां, कलकत्ता
एलोरा रेस्तरां
एयरपोर्ट रेस्तरां, त्रिचि
एयरपोर्ट रेस्तरां, बंगलौर
एयरपोर्ट रेस्तरां, वाराणसी
एयरपोर्ट रेस्तरां, औरंगाबाद

अन्य

भारत पर्यटन विकास निगम, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता
क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास
ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन, लाल किला, दिल्ली
ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन, साबरमती
ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन, शालीमार
पर्यटक सेवा केन्द्र, नई दिल्ली

केरल सैंट्रल एक्साइज आफिसर्स एसोसिएशन की मांगें

7823. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल सैंट्रल एक्साइज आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा 1 से 7 मार्च, 1979 तक विरोध सप्ताह मनाये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने सरकार के सामने क्या मांगें रखी हैं ; और

(ग) उनकी मांगों और आन्दोलन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

3—173 L.S.S. (ND)/79

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एसोसिएशन का "विरोध" मुख्य रूप से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक, ग्रुप–ख के ग्रेड के कुछ प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने के सरकारी निर्णय के बारे में था।

यह निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ विशेषज्ञ-निकायों और संसदीय समितियों के संगत अभिमतों को ध्यान में रख कर अपेक्षाकृत ऐसे व्यापक प्रशासनिक कारणों की समग्रता के परिप्रेक्ष्य में किया गया है जिन से सरकार को, भर्ती और पदोन्नति संबंधी अपनी नीतियां तैयार करते समय आवश्यक तौर से मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है।

ऐसे कारणों में, एक और जहां उपर्युक्त संवर्ग-व्यवस्था की आवश्यकता और वर्तमान कर्मचारियों की, संतोषजनक भविष्य के लिए जायज उम्मीदें शामिल हैं वहां दूसरी ओर विभाग की, अपनी दक्ष कार्य निष्पादन संबंधी जरुरतें, और औद्योगिक उत्पादन तथा कराधान के बदलते हुए ढांचों के अनुरुप चलने के लिए कार्मिकों संबंधी तथा अन्य अपेक्षाएं भी शामिल हैं।

गोलाघाट सब-डिवीजन (आसाम) में गर्मपानी की पर्यटन संबंधी क्षमता

7824. **श्री वेदव्रत बरूआ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम राज्य के सिबसागर जिले में गोलाघाट सब-डिवीजन के गर्मपानी, उष्ण प्रपातों की पर्यटन संबंधी सक्षमता की जांच की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस ऊष्ण प्रपात क्षेत्र के सुधार तथा विकास के लिए कुछ राशि मंजूर की गई थी परन्तु राज्य सरकार ने कई बार उसे अप्रयुक्त ही वापस लौटा दिया ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने गर्म-पानी, ऊष्ण प्रपात क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना भेजी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा कोई विस्तृत जांच नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नवम्बर, 1978 में हाल ही में हुए राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत विकसित किये जाने के लिए निम्नलिखित तीन स्कीमों/केन्द्रों का सुझाव दिया था :—

1. गोहाटी में 3-स्टार होटल का निर्माण।
2. मानस में यात्री गृह का निर्माण।
3. सिबसागर जिले में नाम्बोर (गोलाघाट) गर्मपानी प्रपातों का विकास।

केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत जिन दो सीमों/केन्द्रों का विकास किया जाना है उनके चयन का अन्तिम निर्णय राज्य सरकार से परामर्श करके किया जाएगा। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए अभी तक अपने प्रयासों को, काजीरंगा और गोहाटी में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने तक, सीमित रखा है।

काले धन का पता लगाना

7825. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1978 के दौरान विभिन्न शहरों में मारे गये छापे के फलस्वरुप प्रत्येक राज्य में कितनी राशि के काले धन का पता चला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : आयकर प्राधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों और पकड़े गये माल के सम्बन्ध में ब्यौरे राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें वर्ष 1978 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य, आयकर आयुक्त अधिकार-क्षेत्र-वार दिखाया गया है।

विवरण

आयकर आयुक्त का अधिकारक्षेत्र	पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य (रू०)
आगरा	16,71,468
इलाहाबाद	32,500
आन्ध्र प्रदेश	12,01,500
बिहार	28,000

विवरण—जारी

आयकर आयुक्त का अधिकारक्षेत्र	पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य (रु०)
बम्बई (बम्बई सेन्ट्रल-I और II को मिलाकर) . . .	33,78,831
कोयम्बटूर	21,84,722
दिल्ली (दिल्ली सेन्ट्रल -I और II को मिलाकर) . .	23,56,158
गुजरात . . .	27,02,259
कानपुर .	8,21,272
कर्नाटक .	18,86,685
केरल . .	30,10,982
मध्य प्रदेश	15,17,814
मेरठ . . .	11,99,989
उड़ीसा . .	3,49,000
नागपुर . . .	66,187
पटियाला . .	2,58,275
पूना . .	4,11,900
राजस्थान	3,28,800
तमिलनाडु (मद्रास सेन्ट्रल को मिला कर)	56,72,145
पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सेंट्रल I और II को मिलाकर) . . .	96,57,925
निरीक्षण निदेशक (जांच) द्वारा जारी किये गये प्राधिकार-पत्र के अन्तर्गत .	21,10,513
जोड़ . .	4,08,46,925

फरीदाबाद में आयकर अधिकारियों की नियुक्ति

7526. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद जैसे औद्योगिक नगरों में आयकर अधिकारी नियुक्त करने के बारे में सरकार का निर्णय क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में सामान्य नियुक्ति अवधि से अधिक समय तक ठहरने के लिए आयकर अधिकारी जोड़ तोड़ कर लेते हैं ;

(ग) फरीदाबाद में तैनात आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है और वे यहां कब से नियुक्त हैं ;

(घ) उन्हें फरीदाबाद से स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने इन आयकर अधिकारियों की परिसम्पत्तियों की कोई जांच कराई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) औद्योगिक कस्बों में आयकर अधिकारियों की तैनाती करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आदेश नहीं हैं। तैनातियां, आमतौर पर, एक स्थान पर लम्बे समय तक तैनात रहने के बाद अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों के आधार पर की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चार । दो की तैनातियां मई-जून 1976 में, एक की नवम्बर 1978 में और एक की अप्रैल 1979 में की गयी ।

(घ) कोई भी आयकर अधिकारी न तो लम्बे अर्से तक फरीदाबाद में तैनात रहा है और ना ही इन अधिकारियों का स्थानान्तरण करने के लिए कोई अन्य प्रशासनिक आधार है ।

(ङ) और (च) : उक्त अधिकारियों में से एक अधिकारी के सम्बन्ध में ईमानदार नहीं होने के आरोप और इस मामले की जांच की जा रही है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

7827. **श्री युवराज** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अक्टूबर, 1975 में पांच स्वतंत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये थे जिनमें से दो उत्तर प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में और एक पश्चिम बंगाल में खोले गये ;

(ख) क्या कुल ग्रामीण बैंक खोलने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था ;

(ग) क्या ग्रामीण ऋण ग्रस्तता को अनिवार्यतः समाप्त करने का निर्णय किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार ऊल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । अलबत्ता, 95 जिलों को व्याप्त करते हुए, 17 राज्यों में अब तक 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके हैं ।

(ग) भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में, विभिन्न राज्य सरकारों में छोटे किसानों के कुछ वर्गों के लिए दिये गये ऋणों के बारे छूट देने तथा ऋणों का स्थगन करने के कानून को लागू कर दिया है ।

(घ) 1971-72 में किये गये अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि गैर-संस्थागत साधनों से कृषकों द्वारा लिये गये ऋणों में निरंतर कमी आयी है ।

निर्यात संवर्धन परिषदों में प्रशासकीय ढांचे

7828. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** :

श्री एम० ए० हनान अलहाज :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय क अधीन प्रत्येक नि ति संसर्धन परिषदें का प्रशासकीय ढ़ांचा क्या है ;

(ख) प्रत्यक परिषद के कितने सदस्य हैं, और उनके कार्यकरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक परिषद को वर्षवार दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक परिषद की निर्यात अभियान की वर्तमान नीति क्या है और तत्सम्बन्धी लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उप-निदेशक (कार्गो) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के पद कों लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का चयन

7829. **श्री राम चरण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने "रोजगार समाचार" दिनांक 10 फरवरी, 1979 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित उप निदेशक (कार्गो) के पद के लिए यह कहते हुए दुसरी बार आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये हैं कि यदि अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हुए तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों सहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र इस पद के लिए प्राप्त हुए ;

(ग) चयन क क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके विशेष कारण क्या हैं ?

पयटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) उपनिदेशक (कार्गो) के पद को फरवरी 1979 में तीसरी बार विज्ञापित किया गया था । इस सम्बन्ध में सरकारी निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भी इस शर्त पर आवेदन पत्र मंगवाये गये थे कि यदि अनुसूचित जनजाति के कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर भी नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा ।

(ख) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से प्राप्त 14 आवेदन पत्रों के अलावा 8 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भी आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से तीन विभागीय उम्मीदवारों के भी हैं।

(ग) और (घ) : प्राप्त हुये आवेदनों की जांच की जा रही है ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण दिया जाना

7830. **श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंक कमजोर वर्गों को कम राशि के ऋण दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं और कमजोर वर्गों को 1975-76 से 1978-79 तक वर्षवार और बैंकवार दिये गये ऋणों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) और (ख) : जी नहीं । विभेदी ब्याज दर योजना के, जिसे कमजोर से कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिये बनाया गया है, अंतर्ग्रस्त न्यूनतम ऋण प्रदान करने की शर्त को पिछले वर्ष की स्थिति के अनुसार बैंकों के कुल ऋणों का 1/2 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है । इसमें से अनुचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को 40 प्रतिशत दिया जाना है जबकि पिछले वर्ष यह शर्त 33⅓ प्रतिशत थी ।

जून, 1976, 1977 और 1978 को समाप्त होने वाले वर्षों के बैंकवार तथा वर्षवार आंकडे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं ।

विवरण

पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंको के ऋण

बैंक का नाम	जून, 1976		जून, 1977		जून, 1978	
	ऋण कर्त्ताओं की संख्या	बकाया राशि (लाख रु० में)	ऋण कर्त्ताओं की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)	ऋण कर्त्ताओं की संख्या	बकाया राशि (लाख रु० में)
भारतीय स्टेट बैंक	246255	1057.7	506238	2221.9	625358	2888.45
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	61319	241.3	123477	515.6	132278	627.49
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	27741	126.8	54864	257.7	64822	367.85
बैंक आफ इंडिया	20020	104.5	35038	163.1	49072	245.82
पंजाब नेशनल बैंक	35268	261.8	43381	286.0	54296	393.21
बैंक आफ बडौदा	16035	93.0	31992	170.5	82354	496.04
यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	19352	99.3	33429	181.8	39863	239.55
कॅनरा बैंक	62618	227.7	92593	323.3	107975	373.94
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	15702	55.2	21178	76.2	29505	142.03
देना बैंक	8344	33.8	15888	71.4	23205	149.08
सिंडीकेट बैंक	36119	177.4	67581	318.2	76832	354.04
यूनियन बैंक आफ इंडिया	41423	227.5	72266	451.0	82191	545.82
इलाहाबाद बैंक	2369	9.5	6863	27.1	9893	43.86
इंडियन बैंक	12466	67.9	23814	128.6	31231	177.52
बैंक आफ महाराष्ट्र	18822	42.5	12479	63.6	16112	86.91
इंडियन ओवरसीज बैंक	10839	52.4	35985	155.2	47977	250.73
जोड़	624692	1579.3 (0.34)	1177066	2673.9 (0.49)	1472964	7382.34 (0.60)

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार दिये गये कुल ऋणों से विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों का प्रतिशत दिखाते हैं ।

विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजेटरों पर कर लगाया जाना

7831. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजेटरों पर कर लगाने की कोई अधिसूचना जारी की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली के डीलर इन रेफ्रीजेटरों के लिए मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं और केन्द्रीय बजट के नाम पर ग्राहकों से अलग-अलग कीमत ले र हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है ;

(घ) अप्रैल, 1978 से 1979 की अवधि में विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजेटरों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई और उन पर अलग-अलग बिक्री कर तथा अन्य कर किस दर पर लगते हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इन डीलरों की मूल्य सूचियां प्रदर्शित करने के आदेश देगी जिससे कि लोग धोखें से बच सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वर्ष 1979-80 के बजट-प्रस्तावों के अंग के रूप में, 100 लिटर से अनधिक की क्षमता वाले रेफ्रिजिरेटरों पर उत्पादन शुल्क की प्रभावी दर को, 1 मार्च 1979 से, मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके द्वारा रेफ्रिजिरेटरों पर किसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण लागू नहीं क्या गया है क्योंकि ये, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(घ) किसी रेफ्रिजिरेटरों का मूल्य उसके आकार और कुछ हद तक माडल पर निर्भर करता है । तथापि चार मेक के रेफ्रिजिरेटरों के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

विवरण के लिए [अगला पृष्ठ देखिये ।]

केनरा बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए लिखित परीक्षा

7832. **श्री भगतराम** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केनरा बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए अप्रैल, 1978 में आयोजित लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार सफल हुए थे ;

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और रिक्त पदों की संख्या क्या है ;

(ग) कितने और किन उम्मीदवारों का चयन करके उनकी नियुक्ति की गयी ;

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों का चयन करके उनकी नियुक्ति की गयी ; और

(ङ) क्या चयन सूची प्रकाशित होने के बाद ही चुने हुए उम्मीदवारों को सूचित कर दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री झुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ): यथासंभव उपलब्ध सूचना नीचे लिखे अनुसार है :—

	कुल	अ०जा०	अ०ज०जा०
(i) लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गये उम्मीदवारों की संख्या	31251	6334	1023
(ii) साक्षात्कार के लिए बुलाए गये उम्मीदवारों की संख्या	691	113	142
(iii) सफल उम्मीदवारों की संख्या . .	307	46	46
(iv) नियुक्त कर दिये गये उम्मीदवारों की संख्या .	299	46	46

चुने गये तथा नियुक्त किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना एकत्र करने में होने वाला परिश्रम परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ङ) बैंक ने सरकार को सूचित किया है कि ज्यों ही चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेज दिये जाते हैं ।

विवरण

1-4-79 की स्थिति के अनुसार चार अलग-अलग मेक के रेफ्रिजिरेटरों के मूल्यों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का बिक्री कर के भार संबंधी ब्यौरे की सूचना का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	मेक का नाम और क्षमता (लिटर में)	1-4-78 को शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य	1-4-78 को उत्पादनशुल्क का भार	1-4-79 को शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य	1-4-79 को उत्पादनशुल्क का भार	उपभोक्ता मूल्य 1-4-78 को	उपभोक्ता मूल्य 1-4-79 को	उपभोक्ता-मूल्य में प्रतिशत वृद्धि	बिक्री कर का भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०		
1.	केलविनेटर/जेम/लियोनार्ड 65 लिटर	1325.00	417.38	1375.00	550.00	1970.00	2220.00	12.7%	मूल्यानुसार 10% की दर से
2.	केलविनेटर/जेम/लियोनार्ड 90 लिटर	1530.00	481.95	1580.00	632.00	2400.00	2650.00	10.4%	मूल्यानुसार 10% की दर से
3.	केलविनेटर/जेम/लियोनार्ड 135 लिटर	1760.00	739.20	1810.00	724.00	3040.00	3075.00	1.1%	मूल्यानुसार 10% की दर से
4.	केलविनेटर/जेम/लियोनार्ड 165 लिटर	1955.00	821.10	2005.00	802.00	3475.00	3540.00	1.9%	मूल्यानुसार 10% की दर से
5.	केलविनेटर/जेम/लियोनार्ड 286 लिटर	2275.00	1791.55	2345.00	1876.00	4800.00	4990.00	3.9%	मूल्यानुसार 10% की दर से
6.	जैनिथ 165 लिटर	1800.00	756.00	1800.00	720.00	3425.00	3515.00	2.6%	मूल्यानुसार 10% की दर से

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एककों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की बकाया राशि

7833. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री विवादग्रस्त कर राशि क बारे में 22 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4590 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के उन औद्योगिक एककों के नाम और पते क्या हैं जिन पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की 25 लाख अथवा इससे भी अधिक राशि बकाया है तथा प्रत्येक प्रकार के कर की कितनी राशि बकाया है और प्रत्येक मामले में बकाया राशि प्रतिवर्ष कितनी बढ़ जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) लोक सभा में 22 दिसम्बर 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4590 के जरिये करों की विवादग्रस्त रकम के बारे में मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और इस सम्बन्ध में दिया गया आश्वासन शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा ।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो किसी दिये गये समय में अलग अलग मामलों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की बकाया रकमों के बारे में एक साथ आंकड़े एकत्रित करता हो । क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली और उगाही से सम्बन्धित प्रशासन का कार्य दो अलग अलग विभागों द्वारा किया जाता है अतः गर-सरकारी क्षेत्र के जिन औद्योगिक एकको के मामलों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए बकाया पड़ी मांगों की रकम कुल मिलाकर 25 लाख रुपये और इससे अधिक है उनके बारे में सूचना एकत्रित करना संभव नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि हालांकि किसी भी एक कर-निर्धारिती के मामले में 10 लाख रुपये अथवा इससे अधिक के सकल आयकर की बकाया रकमों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है, "गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एकक" वर्गीकरण के आधार पर ऐसी कोई सूचना एकत्रित नहीं की जाती है । परन्तु, 24 नवम्बर 1978 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के उत्तर में, 31 मार्च 1978 की स्थिति के अनुसार उन सभी कर-निर्धारितियों की एक सूची प्रस्तुत कर दी गई थी जिनकी सकल आयकर की मांग प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक रही हो। यदि माननीय सदस्य उक्त मामलों में से किसी ऐसे मामले विशेष का उल्लेख करें. जिसके सम्बन्ध में आगे और सूचना मांगी गई हो तो उसे एकत्रित करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

पटसन फार्मों द्वारा किए गए अपराधों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा छोड़ दिया जाना

7834. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ पटसन फर्मों द्वारा किये गये गम्भीर अपराधों को केन्द्रीय उत्पादन शल्क विभाग ने आसानी से छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ?

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है, अपराधी को दण्ड देने के विचार से क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) : माननीय सदस्य का संकेत, सम्भवतः, भारतीय पटसन निगम के सरकारी उपक्रमों पर गठित समिति की सोलहवीं रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों की ओर है । इस समिति ने इस रिपोर्ट के पराग्राफ 86 में यह मत व्यक्त किया कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने पटसन कम्पनियों द्वारा किये गये गम्भीर अपराधों को आसानी से छोड़ दिया है और उसने सिफारिश की है कि पटसन उद्योग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत किये गये अपराधों की जांच हेतु एक विशेष जांच समिति नियुक्त की जाए और जहां-कहीं इन अपराधों का पता चले, वहां कानून के मुताबिक तुरंत फौजदारी कार्यवाही की जाए । जैसा कि सरकारी उपक्रमों पर गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई है, इन 81 अपराधों की जांच हेतु ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की, जो केन्द्रीय उत्पादन समाहर्ताओं में मामलों पर कार्यवाही करने से सम्बद्ध नहीं हैं, समिति

गठित की गई । इस समिति ने अब अपराध विषयक सभी मामलों की जांच कर ली है और यह मत व्यक्त किया है कि इन 81 मामलों में से 24 मामले इस्तगासे के लिए, जिस पर कानूनी सलाहकारों के साथ परामर्श करके विचार किया जा सकता है, प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त प्रतीत होते हैं । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को तदनुसार सलाह दे दी गई है । पूर्वोक्त 24 मामलों में से एक में, इस्तगासे की कार्यवाही पूरी हो गई है, जिसके परिणामतः न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है ।

जहाज में सवार होने से पूर्व केबिनेट स्तर के मंत्रियों की तलाशी के लिये इंडियन एयरलाइन्स के नियम

7335. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों में यात्रा करने से पूर्व केबिनेट स्तर के मंत्रियों की तलाली न लेने के लिये 8 फरवरी, 1979 को कोचीन में उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नाण्डीस के समाचार-पत्रों को दिये गये वक्तव्य पर आधारित सरकार विमान में यात्रा करने से पूर्व केबिनेट स्तर के मंत्रियों की तलाशी न लेने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स के नियम विमान द्वारा यात्रा करने से पूर्व केबिनेट स्तर के मंत्रियों की तलाशी न लेने की अनुमति देते हैं ; और

(ग) हमारे देश में विमान सेवा द्वारा यात्रा करने से पूर्व इस समय नागरिकों की कौन-सी श्रेणी इन तलाशियों से मुक्त है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नाडीज ने, जो 5 फरवरी 1979 को कोचीन जा रहे थे, मद्रास में अपनी तलाशी लिये जाने के बारे में इस आधार पर आपत्ति की कि वे सरकार का ही एक अंग हैं। विमान में चढ़ने से पहले विमान क्षेत्रों पर शारीरिक तलाशी से छूट दिये जाने वाले व्यक्तियों के वर्गों के प्रश्न का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : बाहर जाने वाले सभी यात्रियों की शारीरिक तलाशी लेने सहित सुरक्षा उपायों से संबंधित आदेश/अनुदेश विमानक्षेत्रों पर सर्व संबंधित एजेंसियों को पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इस समय, बाहर जाने वाले सभी देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की विमान में चढ़ने से पहले अपहरण-विरोधी/तोड़फोड़ विरोधी सुरक्षा जांचे की जाती हैं। केवल राजदूतों तथा कार्यकारी राजदूतों व कार्यकारी उच्चायुक्तों जैसे मिशनों के प्रमुखों को, तथा राजनयिक संदेशवाहकों के हाथ के सामान को ऐसी सुरक्षा जांच से छूट है ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के फार्म हाउस से सुटकेस हटाया जाना

7836. **डा० बापू कालदाते** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास की तलाशी के दौरान उनके पुत्र श्री संजीव द्वारा एक सूटकेस उक्त फार्म हाउस से हटाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसे बरामद करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ;

(ग) क्या उक्त सूटकेस के हटाये जाने में वहां तैनात किसी पुलिस अधिकारी का भी हाथ था ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) आयकर प्राधिकारियों द्वारा श्रीमती गांधी के फार्म हाउस की तलाशी लिए जाने की अनुमति दी जाने से ठीक पहले यह बात नोटिस में आई थी कि कपड़े में लिपटी हुई कोई वस्तु अहाते में खड़ी कार के सामान रखने की जगह (लगेज बूट) में रखी गई और उस कार को फार्म-हाउस से दुर ले जाया गया । यह पता चला है कि श्री राजीव गांधी, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ, उस कार में थे ।

(ख) दिल्ली पुलिस को यह सूचना दी गयी कि कार में कुछ रखा गया और कार फार्म-हाउस से बाहर ले जायी गयी । दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि कानून में ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे पुलिस इस मामले में कोई कार्यवाही कर सके ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बरामद की गयी विदेशी वस्तुओं का सुपर बाजारों के माध्यम से बेचा जाना

7837. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

चौधरी बलबीर सिंह :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बरामद की गई विदेशी वस्तूयें इतनी अधिक जमा हो गई हैं कि अब गोदामों में इन्हें रखने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन वस्तूओं को संसद भवन तथा अन्यत्र स्थित सुपर बाजारों के माध्यम से बेचने के लिए प्रबन्ध करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार, सीमाशुल्क विभाग के पास जो पकड़ा गया/जब्तशुदा माल पड़ा है, उसका कुल मूल्य लगभग 58 करोड़ रूपये है और ऐसे माल के सीमा शुल्क गोदामों में भली प्रकार भण्डारण हेतू आवश्यक व्यवस्था की गयी है ।

(ख) और (ग) : फिलहाल, विभिन्न वर्गों के माल के निपटान के संबंध में निर्धारित कार्यविधि में ऐसे माल की सुपर बाजारों के माध्यम से बिक्री जाने की व्यवस्था नहीं है । फिर भी, इस विषय की सतत समीक्षा की जाती रहती है और इस माल की शीघ्र निपटान करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उपाय किये जायेंगे ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ सरकार का करार

7838. **श्री उग्रसेन :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के उन लाखों कर्मचारियों के साथ जिन्होंने हाल में आन्दोलन और सत्याग्रह किया था सरकार द्वारा किए गए करार की शर्ते क्या हैं ; और

(ख) क्या सम्पूर्ण ब्यौरे सहित उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जीवन बीमा निगम ने हाल में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कोई करार नहीं किया है ।

(ख) यह सवाल , ' द' नहीं होता ।

प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण

7339. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या देश में निम्नलिखित श्रेणियों की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(i) शहरी जनसंख्या : व्यापारी वर्ग, श्रमिक, सरकारी कर्मचारी ;

(ii) ग्रामीण जनसंख्या : जमींदार, व्यापारी, भूमिहीन श्रमिक, व्यावसायिक खेतिहर मजदुर, परम्परागत धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी और अन्य हरिजन सेवक समुदाय ;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति पर कर भार की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राष्ट्रीय आय में समाज के निर्धन वर्गों का कुल कितना योगदान है और उसमें से कितनी आय उन पर सीधे ही खर्च की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं । सरकारी तौर पर केवल सामुहिक रूप से सारे देश के संबंध में और इसके अलावा प्रत्येक राज्य के संबंध में प्रति-व्यक्ति आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं ।

(ख) जी. नहीं ।

(ग) इस प्रकार के आंकड़े सरकारी तौर पर संकलित नहीं किए जाते ।

सेंट्रल पल्प मिल्स, सोनगढ़, गुजरात की ओर शुल्क, सीमाशुल्क और आय-कर की बकाया राशि

7840. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेंट्रल पल्प मिल्स लि०, सोनगढ़, सूरत (गुजरात) ने गत पांच वर्षों के दौरान उत्पादन-शुल्क, सीमाशुल्क के माध्यम से कितनी राशि अदा की और क्या उसको और आयकर सहित कुछ राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख): मैसर्स सेंट्रल पल्प, सोनगढ़, गुजरात के दवारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अदा किए गए उत्पादन-शुल्क की रकम के संबंध में सूचना नीचे दी गयी है :

वर्ष	उत्पादन-शुल्क को अदा की गयी रकम (लाख रुपये में)
1974-75	6.98
1975-76	22.96
1976-77	59.95
1977-78	81.50
1978-79	164.84

31-3-1979 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त मिलों को ओर उत्पादन-शुल्क की 1.34 लाख रुपये की रकम बकाया थी ।

निर्यातकर्ताओं/आयातकर्त्ताओं के संबंध में सीमाशुल्क की वसुली का वर्ष-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है । इसलिए इन मिलों द्वारा गत पांच वर्षों में अदा की गई सीमाशुल्क की राशि का विवरण सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । परंतु 30-9-1978 की स्थिति के अनुसार इस फर्म की ओर सीमाशुल्क की कोई रकम बकाया नहीं थी ।

30-9-1978 की स्थिति के अनुसार इन मिलों की ओर आयकर को भी कोई रकम बकाया नहीं थी।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारत पाक सीमा पर कथित भ्रष्टाचार

7841. **श्री लालजी भाई :** क्या **उप-प्रधान** मंत्री **तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाक सीमा पर रेलवे स्टेशनों में सीमा शुल्क अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और भारत से पाकिस्तान को जाने वाले अथवा पाकिस्तान से भारत को आने वाले यात्रियों को अनेक प्रकार से परेशान करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने और दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :(क) और (ख): सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि अटारी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की निकासी के लिए व्यवस्था, कुल मिलाकर, संतोषजनक है । किन्तु, यात्रियों से कुछ सिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनमें में से अधिकांश शिकायतें इसलिए हुई हैं क्यों कि भारत-पाक असबाब नियमों का जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक पहले के समझौते के परिणामतः लागू हैं, विषय क्षेत्र सामान्य असबाब नियमों के मुकाबले अत्यधिक सीमित है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच रेल द्वारा यात्रियों का आवागमन जुलाई, 1976 में जब से फिर शुरू हुआ है तब से अटारी रेलवे स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध 28 शिकायतें प्राप्त हुई थी । इनमें से 25 शिकायतें सही अथवा साबित हुई नहीं पायी गई । बाकी 3 शिकायतों में से एक की जांचकी जा रही है । अन्य दो में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही चल रही है । एक अधिकारी को मुअत्तिल कर दिया गया है ।

2 मार्च, 1979 को पालम हवाई अड्डे पर संसद् सदस्यों के साथ अमानवीय व्यवहार

7842. **श्री शंकरसिंहजी बाघेला :**

डा० विजय मंडल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1979 को पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा कुछ संसद सदस्यो और कुछ अन्य यात्रियों के साथ, जिन्हों ने उड़ान संख्या 409 विमान में सवार होना था और जिन के टिकट ठीक थे किए गए दुर्व्यवहार, परेशान करने और अमानवीय व्यवहार करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग): इण्डियन एयर लाइन्स को फादर पुथुमना से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिनके पास 2-3-1979 को दिल्ली से पटना के लिए उड़ान से आई० सी०--409 की पुष्टि की हुई टिकट थी, परन्तु यात्री सूची में उनके नाम के हिज्जे गलत लिखे गए थे । तथापि, बाद में गलती का पता लग गया और उन्हें पूरी राशि वापस करने की अनुमति दे दी गयी ।

इस उड़ान पर बुक किए गए संसद सदस्यों में श्री श्याम सुन्दर गुप्त थे जिनके पास संसद भवन बुकिंग कार्यालय से जारी की गयी "एस० एस० गुप्त" के नाम से पटना के लिए पुष्टि की हुई टिकट थी । यह टिकट एक यात्रा अभिकर्ता द्वारा एस० एस० गुप्त के नाम से पहले खरीदी गयी टिकट के बदले में जारी की गयी थी । चैकिंग काउन्टर पर यात्रियों को स्वीकार करते समय उनका नाम आरक्षण चार्ट में नहीं पाया गया । तथापि, "क्रास चैक" करने पर, श्री गुप्त को यात्रा करने की अनुमति दे दी गयी । कारपोरेशन को सदस्यों को हुई असुविधा के लिए खेद है । सम्बन्धित अधिकारी को पालम से हटाया जा रहा है तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

भूतलिंगम समिति की सिफारिशें

7843. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतलिंगम समिति की कितनी तथा कौनसी शिफारशों का विरोध किया गया और किनके द्वारा किया गया;

(ख) उक्त समिति की कौनसी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कीं और उन में से कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित करना शुरू किया गया है ; और

(ग) यदि उक्त समिति के प्रतिवेदन को सरकार क्रियान्वित नहीं करती तो सरकार का विचार विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) भूतलिंगम रिपोर्ट की प्रतियां विभिन्न संघटनों/संबंधितों अर्थात केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तिय संस्थाओं, श्रम संगठनों, नियोजकों के संगठनों, कृषक/सहकारी तथा उपभोक्ता संगठनों आदि को भेजी गयी थी और उनके विचार मांगे गये थे । प्राप्त हुए उत्तर अधिकांश रूप से सामान्य स्वरूप के हैं या सशर्त विचार दिए गए हैं । प्राप्त हुए उत्तरों से कभी-कभी स्पष्ट रूप से यह पता लगाना सम्भव नहीं होता है कि क्या किसी सिफारिश का विरोध किया गया है, अथवा उसे स्वीकार किया गया है, विशेषकर उस स्थिति में जब कई शिफारिशों के उत्तर में एक विचार दिया जाता है अथवा जहां एक सशर्त उत्तर दे दिया जाता है ।

(ख) और (ग) : सरकार ने अभी तक गैर-सरकारी क्षेत्र के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारियों के पारिश्रमिक से सम्बन्धित एक सिफारिश पर अन्तिम रूप से विचार किया है । कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रतिलिपि संलग्न है । अन्य सिफारिशों की मंत्रियों के एक समूह द्वारा जांच की जा रही है जिसे सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है ।

विवरण

फा० सं० 2(28) सी० एल० VII/78/दिनांक 9-11-1978 विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
कम्पनी कार्य विभाग

पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को सहायक हों, के प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, अंशकालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों को दिए जाने वाले वेतन व परिलब्धियों/सुविधाओं पर संशोधित मार्ग दर्शक नियम/प्रशासनिक अधिकतम सीमाएं

1. परिचय

1.1. कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के सम्बन्ध में शब्द "प्रबन्धकीय कार्मिक" से साधारणत: प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों अथवा प्रबन्धकों (अधिनियम की धारा 2(24) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) से तात्पर्य है तथा इनमें वे कार्यकारी सम्मिलित नहीं है, जो कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्य न हों, चाहे उन्हें कुछ भी वेतन दिया जा रहा हो ।

1.2. प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिभाषिक दोनों, कम्पनी अधिनियम में वर्णित विनियमनकारी उपबन्धों पर आधारित है । अत: प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबन्धकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, दोनों के लिए तथा साथ

विवरण—जारी

ही उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है ।

2. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमाओं की बाबत सांविधिक उपबंध

2.1. जबकि धारा 388 के साथ पठित, धारा 269 के अन्तर्गत उनकी नियुक्ति व साथ ही पुनर्नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर होती है, उसी प्रकार धारा 387 के साथ पठित, धारा 309 से 311 तक के उपबन्ध, उनके पारिश्रमिक का नियमन करते हैं। धारा 309 के साथ-साथ प्रावधान है कि प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशक में से यदि इस प्रकार का केवल एक निदेशक हो, तो उसे कम्पनी के शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत तक दिया जा सकता है, परन्तु यदि इस प्रकार के एक से अधिक निदेशक हों,तो उन सब को मिलाकर 10 प्रतिशत तक दिया जा सकता है ।

2.2. धारा 198 के अन्तर्गत, अंशकालिक निदेशक सहित, सभी निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, कम्पनी के शुद्ध लाभ के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा यह प्रतिशत कम्पनी के निदेशक मंडल की समय-समय पर होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए दिये जाने वाले शुल्क के अलावा है ।

2.3. एक प्रबन्ध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक को पारिश्रमिक या तो मासिक वेतन, अथवा शुद्ध लाभों के प्रतिशत, या परिलब्धियों, में से किसी एक या अधिक के माध्यम से दिया जा सकता है। तथापि, यह ऊपर वर्णित सीमाओं के आधार पर होगा ।

2.4. न्यूनतम अथवा रक्षित पारिश्रमिक

कम्पनी अधिनियम की धारा 198(4) में साथ-साथ प्रावधान है कि यदि एक कम्पनी ने किसी वित्तीय वर्ष में कोई लाभ न कमाया हो, अथवा उसे अपर्याप्त लाभ हुए हों, तो वह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर, प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबन्धक सहित अपने निदेशकों को, यदि उनमें से दो या दो से अधिक कम्पनी में पद धारण कर रहे हों, तो सभी को 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं, की राशि, पारिश्रमिक के माध्यम से दे सकती है। यह 50,000 रुपये की सीमा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उसको इस सन्तुष्टि के आधार पर बढ़ाई जा सकती है कि कम्पनी के व्यापार को दक्षतापूर्वक संचालन के लिए 50,000 रुपये प्रतिवर्ष का न्यूनतम पारिश्रमिक अपर्याप्त है अथवा होगा ।

3. प्रशासनिक मार्ग-दर्शक नियम

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायतक हों, के प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबन्धकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को शासित करने वाले प्रशासनिक मार्ग-दर्शक नियम, नवम्बर, 1969 में प्रेषित किय गये थे। पारिश्रमिक पर अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियों की बाबत अनुलम्बित संदेहों की दृष्टि से, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा कुछ नवीन प्रबन्ध जोड़े गये थे, जिनमें प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों के पारिश्रमिक को निश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ विशिष्ट शक्तियां सौंपी गयी थी। धारा 637 क क के नवीन उपबन्ध स्पष्ट रूप से उन सिद्धान्तों को निरुपित करते हैं, जो प्रबन्धकीय कार्मिक को किसी नियुक्ति अथवा उसके पारिश्रमिक को निश्चित करते समय ध्यान में रखने चाहिएं। यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि प्रबन्धकीय पारिश्रामिक का अनुमोदन करते समय केन्द्रीय सरकार, साथ-साथ "आय में विषमता को दूर करने की सार्वजनिक" नीति को ध्यान में रखेगी।

4. अधिकतम सीमा में कटौती करने का मामला

केन्द्रीय सरकार ने राज्य नीति के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में अपने उत्तरदायित्व के तुलनात्मक स्तर पर, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक में सह-सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता, के प्रसंग में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के सम्पूर्ण प्रश्न का सावधानी पूर्वक पुनर्विलोकन किया है। इस सम्बन्ध में, वेतन, आय तथा मूल्यों पर अध्ययन समूह (भूतलिगम समिति), जिसकी रिपोर्ट मई, 1978 में प्रकाशित हुई थी, की सिफारिशों तथा साथ ही न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है। यह दोनों समितियां सेवा योजकों, कर्मचारियों, व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक हितपरायणी तथा निकायों के विचारों से अवगत थीं ।

5. संशोधित मार्गदर्शक नियम

तदनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269, 310, 311, 309 तथा 198, 387 व 388 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित संशोधित मार्गदर्शक नियम बनाए गए हैं ।

विवरण—जारी

5.1. **मूल पारिश्रमिक**

(1) प्रबन्ध/पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक वैतानिक निदेशकों को एक अथवा अधिक कम्पनियों से सब मिलाकर, सांविधिक सीमाओं के आधार पर, दिया जाने वाला अधिकतम पारिश्रमिक निम्नप्रकार से निश्चित किया गया है :—

(क) महंगाई भत्ता तथा अन्य सभी निश्चित भत्तों सहित वेतन 60,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा ।

(ख) सुदक्ष तथा ठीक प्रबन्ध के लिए पुरस्कार के रूप में, जो वेतन के अतिरिक्त शुद्ध लाभों पर, 1 प्रतिशत कमीशन की अनुज्ञा दी जा सकती है, परन्तु यह वेतन के 20 प्रतिशत तक ही होनी चाहिए तथा उस समस्त अधिकतम सीमा के आधार पर होगा जिसके अनुसार कमिशन सहित वेतन 72,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा । (लाभांश कमिशन के एक भाग के रूप में समझा जायेगा) ।

(ग) जहां कोई कम्पनी केवल शुद्ध लाभ पर कमीशन के रूप में पारिश्रमिक देना चाहे, तो यह 72,000 रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर होगा, तथा

(घ) अब से परिलब्धियां 60,000 रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर, वार्षिक वेतन के बराबर राशि की होगी, जो वास्तविक किए गए व्यय अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत यथा व्यवस्थित, कम्पनी द्वारा की गयी व्यवस्था देयता के आधार पर तय की जायेगी । तथापि, पेंशन की सुविधाओं, चिकित्सा तथा आवास पर व्यय के लिए ,अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमाएं अलग होंगी । इस समस्त सीमा के अन्दर कम्पनी द्वारा दी जाने वाली परिलब्धियां निम्नप्रकार होंगी :—

(1) कम्पनी का भविष्य निधि में अंशदान (वेतन के 10 प्रतिशत को अन्तःपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा) ।

(2) कम्पनी का पेन्शन/अधिवार्षिकी में अंशदान (वेतन के 15% की अन्तःअपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा ।)

(3) **उपदान**

अनुमोदित निधि के अनुसार देने योग्य तथा यह 30,000 रुपये की अन्तः अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा, अथवा बीस मास का वेतन जो भी कम हो, के आधार पर, सेवा के पूर्ण किए गये एक वर्ष के लिए, आधेमास के वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(4) स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर एक मास के वेतन का अन्तःअपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा ।

(5) अवकाश तथा यात्रा समनुदान ।

(6) फर्नीचर, स्थापक, उपकरण, गैस तथा बिजली सहित आवास वेतन के 40 प्रतिशत की अन्तः अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा [इस अनुबन्ध के आधार पर इस वेतन का 10 प्रतिशत प्रबन्धकीय कार्मिक द्वारा वहन किया जायेगा ।

(7) कम्पनी को कार का ड्राइवर सहित मुफ्त प्रयोग ।

(8) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ।

(9) आवास पर मुफ्त टेलीफोन सुविधा ।

(10) दो क्लबों की अधिकतम सीमा के आधार पर क्लबों का शुल्क—क्लबों का प्रवेश शुल्क तथा आजन्म सदस्यता शुल्क नहीं दिये जाएंगे ।

5.2. **न्यूनतम पारिश्रमिक**

किसी वित्तीय वर्ष में लाभ न होने अथवा अपर्याप्त लाभ होने की दशा में, मूल वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, परन्तु परिलब्धियों की अधिकतम सीमा को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।(लाभ न होने अथवा अपर्याप्त लाभ होने की दशा में कोई कमिशन/लाभांश नहीं दिया जायेगा) ।

5.3. **अपवाद**

विदेशी तथा उच्च अथवा दुर्लभ कुशलताएं प्राप्त व्यक्ति, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक अधिकतम सीमा से प्रभावित नहीं होंगे । उनके मामलों का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा ।

विवरण—समाप्त

5.4. संशोधित मार्गदर्शक नियमों का लागूकरण

संशोधित मार्गदर्शक नियम उन विद्यमान प्रबन्धकीय कार्मिकों पर उनकी शेष रही अवधि के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके मामलों का अनुमोदन पहले ही प्रदान कर दिया गया है। इन व्यक्तियों की वर्तमान अवधि के समाप्त हो जाने पर, उनकी पुनर्नियुक्ति के अवसर पर ये नियम लागू हो जायेंगे।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया की आसफअली रोड, नयी दिल्ली स्थित शाखा के जरिए जाली डालरों का विनिमय

7844. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :**

श्री ब्रज भूषण तिवारी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27–28 नवम्बर, 1978 को यूनियम बैन्क आफ इण्डिया ने आसफअली रोड, नयी दिल्ली स्थित अपनी शाखा के जरिये कुछ जाली डालरों का विनिमय किया था; यदि हां, तो उन डालरों की राशि कितनी है ;

(ख) यदि क्या इस बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक के जरिये इन जाली डालरों को लेकर आने वाली ग्राहक एक महिला इस शाखा में आयी थी और उस महिला को कौन जानता था ;

(ग) यदि हां, तो इस बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक इस महिला को किस प्रकार जानते थे और क्या उन्होंने इस महिला के पूर्वकृतों की जांच की थी ;

(घ) क्या उन डालरों को बदल ने के लिए वाराणसी से आयी इस महिला ने दरियागंज क्षेत्र का जाली पता दिया था ;

(ङ) क्या बैंक ने, इस बात को पूरी तरह जानते हुए कि जाली करेंसी (डालर) रखना अपराध है, इस धोखाधड़ी के बारे में शिकायत करते हुए इस मामले को पुलिस में दर्ज कराया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस जाली विदेशी मुद्रा सौदे में सम्बद्ध सभी व्यक्तियों/बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग): यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 28 नवम्बर, 1978 को इसकी आसफअली रोड (नई दिल्ली) शाखा ने एक विदेशी नागरिक मिस रोजविथा एनेलिस के अनुरोध पर 4025/– रु० की राशि के पांच 100–100 अमरीकी डालरों के करेंसी नोटों को भुनाया था। बाद में बैंक को पता चला कि ये डालर करेंसी नोट जाली थे। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि मिस रोजविथा एनेलिस से बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक की व्यक्तिगत जान-पहचान नहीं थी और उसे बैंक की वाराणसी शाखा का एक ग्राहक बैंक लाया था। क्योंकि बैंक की यह सामान्य प्रथा है कि वह पासपोर्ट की सहायता से व्यक्ति की पहचान करता है, जैसा कि इस मामले में भी दिया गया था इसलिए मिस रोजविथा के पूर्ववृत्त की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बाद में जांच करने पर वाउचर में दिया गया मिस रोजविथा का दिल्ली का पता गलत साबित हुआ।

(ङ) और (च) : क्योंकि बाद में इस राशि की बैंक के उस ग्राहक के एक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है जो मिस रोजविथा को करेंसी नोट भुनाने के लिए बैंक लाया था, इसलिए बैंक ने इस मामले में और कोई कार्रवाई नहीं की है।

बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश के लिए अलसी के तेल की खरीद

7845. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक नोट प्रेस देवास (मध्य प्रदेश) के स्याही कारखाने के लिए अपेक्षित अलसी का तेल वास्तविक आवश्यकता से अधिक और बाजार में प्रचलित मूल्य से दुगने मूल्य पर खरीदा गया था जबकि अलसी के तेल का निर्माण कर रहे मैसर्स ग्वालियर आयल मिल्स ने एजेन्ट की आधी दरों पर उस तेल की सप्लाई करने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मिल द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदाओं और उद्धृत दरों पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और उस समय कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में तेल खरीदा गया था ; और

(ग) इस सौदे में अनियमितताओं के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है और कितने अधिकारी दोषी पाए गए थे, उनके नाम और पदनाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1976 में, बैंक नोट प्रेस, देवास ने 30 मैट्रिक टन परिशोधित अल्कली तथा ब्लीचड अलसी के तेल के खरीदी के लिए टेंडर मांगे। करों सहित 9 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब से कम टेन्डर देने वाले को आर्डर दिया गया। करों समेत संविदा का कूल मूल्य लगभग 2.85 लाख रुपया था। सूचना के अनुसार, 30 मैट्रिक टन अलसी के तेल की आवश्यकता का परिकलित अनुमान, स्याही कारखाने के द्वारा इण्डिया सिक्युरिटी प्रेस, नासिक रोड़ को स्याहीयों की प्रत्याशित सप्लाई को हिसाब में शामिल करके तयार किया गया था।

यद्यपि जनवरी, 1976 में, इंदोर के मैसर्स ग्वालियर आयल मिल्स से, करों सहित 5.30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपर्युक्त अलसी के तेल की सप्लाई करने की एक स्वैच्छिक पेशकश प्राप्त हुई थी, परन्तु मैसर्स ग्वालियर आयल मिल्स ने उन टेन्डरों के उत्तर में कोई पेशकश नहीं भेजी, जिनको प्रेस ने सितम्बर 1976 में जारी किया था। और इसीलिए प्रैस में, उस फर्म से नौ महीने पहले प्राप्त स्वैच्छिक पेशकश पर कोई विचार नहीं किया।

(ग) अप्रैल से जून, 1977 के बीच सरकार को तीन शिकायतें प्राप्त हुई। मामले की पड़ताल हो रही है।

हरियाणा के डाकघरों में पांच लाख और उस से अधिक रुपये की जमा राशियां

7846. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री 2 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शेष 38 मामलों में जांच क्यों नहीं की है यद्यपि गत एक वर्ष से इस मामले की जांच चल रही हैं ;

(ख) उन 38 मामलों में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन 38 मामलों के नाम और पते क्या हैं तथा उन्हों ने 1974 के दौरान डाकघरों में कियनी राशियां जमा कराई ;

(घ) क्या सरकार ने 3 जाली नामों से जमा कराये गये 145 लाख रुपयों के आदान-प्रदान (मूवमेन्टस) सम्बन्धी मामले पर आगे कार्यवाही की है ;

(ङ) इस समय डाकघर अधिकारियों से कोई पूछताछ क्यों नहीं की गयी और इन तथा अन्य जमा राशियों के बारे में अब तक कौन कौन अन्य व्यक्ति सम्बद्ध हैं ; और

(च) हरियाणा के डाकघरों में 1975 और 1976 के दौरान जमा कराई गई पांच लाख और उस से अधिक जमा राशियों के सम्बन्ध में नाम और पते तथा जमा राशि क्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : 2 मार्च, 1979 को पूछ गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1762 के सन्दर्भ में पहले दिए गए उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि सूची में बताये गये 85 मामलों में से 38 मामलों की जांच पूरी कर ली गयी। इस समय उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि जमा की गई जिन 34 रकमों की अभी जांच होती बाकी है उनकी जांच की जा रही है। जमा की गयी उक्त रकमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) आयकर प्राधिकारी जमा की उक्त रकमों के श्रोतों का पता लगाने के लिए आगे और जांच कर रहे हैं।

(ङ) जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, डाक घर के कर्मचारियों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है।

(च) आयकर प्राधिकारियों द्वारा अभितक ये ब्यौरे एकत्रित नहीं किए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	जमा कर्ता का नाम और पता	डाकघर में जमा कराने की तारीख	जमा रकम
1	2	3	4
	कम्पनी/व्यक्तियों की संस्था/फर्म		रुपये
1	जिन्दल इण्डिया प्राइवेट लि० हिसार मार्फत श्री जनार्दन दास, हिसार	29-4-1974	5,00,000
2	एस्कोर्टस लिमिटेड, फरिदाबाद	1-5-1973	30,00,000

विवरण—जारी

1	2	3	4
			रुपये
3	गुडईयर इण्डिया लिमिटेड, फरिदाबाद .	. मार्च /अप्रेल, 74	44,50,000
4	सोमानी पिलकिंग्टन लिमिटेड, कस्सार	. 29–3–1974	7,00,000
5	सोमानी पिलकिंग्टन लिमिटेड, कस्सार .	30–3–1974	8,00,000
6	सोमानी पिलकिंग्टन लिमिटेड, कस्सार	30–4–1974	15,00,000
7	किरन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, भिवानी	30–3–1974	2,00,000
		29–4–1974	5,00,000
8	ओसवाल स्टील लिमिटेड, फरीदाबाद . .	..	5,00,000
		..	5,00,000
			10,00,000
9	मेसर्स ऊषा एस० लिन्नीयल एण्ड बीयर्ड लि०, फरीदाबाद . .	..	5,00,000
10	अमेरिकन यूनिवर्सल प्लास्टिक लि० फरीदाबाद . . .	..	5,00,000
11	मै० रामचन्द्र राम निवास, अटेली	27–3–1974	5,00,000
	सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत नामों में :		
12	श्री० वी० एस० चौधरी परगनाधीश (सिविल) अम्बाला छावनी .	26–3–1974 से 30–4–1974 तक	5,28,000
13	श्री रतन सिंह, एच० सी० एस०, भूमि अर्जन अधिकारी, अम्बाला छावनी	15–3–1974 से 26–3–1974	14,55,686
	सरकारी कर्मचारियों के पद नामो में ।		
14	परगना अधिकारी (सिविल) मार्फत श्री महावीर प्रसाद गुप्त .	28–3–1974	5,60,000
15	अध्यक्ष एवं उपायुक्त, एम० ई० ए० ई० एजेन्सी, भिवानी . .	13–3–1974 से 15–4–1974	18,00,000
16	उपायुक्त, रोहतक मार्फत श्री ए० एन० माथुर	29–3–1974	10,00,000
	व्यष्टि		
17	श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री ओम प्रकाश, नई मंडी, फतेहाबाद	2–4–1974	1,00,000
		2–5–1974	2,00,000
		3–5–1975	2,00,000
			5,00,000
18	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री लछमन सिंह, मार्फत चौधरी काटन फैक्टरी, डबवाली	30–3–1974	3,90,000
		30–3–1974	4,60,000
			8,50,000
19	श्री सावरमल अग्रवाल मार्फत भिवानी टैक्सटाइल मिल्स, भिवानी	29–3–1974	3,00,000
		27–4–1974	3,00,000
		29–4–1974	3,00,000
			9,00,000
20	**श्री शिवकरन मार्फत चौधरी काटन फैक्टरी, डबवाली**	29–4–1974	5,75,000
		29–4–1974	3,00,000
			8,75,000

विवरण—समाप्त

1	2	3	4
			रुपये
	सहकारी समितियां/सरकारी संस्थान/स्थानीय प्राधिकरण :		
21	जिला परिषद्, नारनौल, मार्फत उपायुक्त .	19—3—1974	10,75,571
22	लैण्ड मार्टगेज बैंक, गुड़गांव		18,45,005
23	वल्लभगढ़ लेण्ड मार्टगेज बैंक . . .	..	12,02,855
24	कोआपरेटिव मार्किटिंग सोसायटी लि०, रेवाड़ी द्वारा श्री महावीर प्रसाद मार्फत राजेन्द्र सिंह, प्रबन्धक	26—3—1974	30,000
		27—5—1974	60,000
		28—3—1974	40,000
		30—3—1974	6,20,000
		29—4—1974	6,20,000
25	म्यूनिसिपल कमेटी, फतेहबाद . .	29—3—1974 से 2—5—1974	6,70,000
26	म्यूनिसिपल कमेटी ,फरीदाबाद . . .	..	5,00,000
27	हरियाणा रोडवेज, मार्फत महाप्रबन्धक, हिसार . .	29—4—1974	51,79,414
28	मार्केट कमेटी, डबवाली . . . . से	14—3—1974 30—3—1974	23,70,000
29	हरियाणा एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी मार्फत श्री वाई० पी० धीर, हिसार	30—3—1974	5,00,000
30	मार्केट कमेटी, फतेहबाद	2—4—1974	1,55,000
		26—4—1974	7,20,000
		30—4—1974	9,20,000
31	मार्केट कमटी, डबवाली, मार्फत श्री आई० डी० स्वामी . .	30—4—1974	13,00,000
32	हरियाणा स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग फेडरेशन, 15 बी ब्लाक, सिरसा	30—3—1974	9,00,000
		30—4—1974	14,70,000
			23,70,000
33	सिरसा कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी	30—3—1974	6,80,000
		30—4—1974	4,00,000
34	हरियाणा कोआपरेटिव बैंक, रोहतक	..	50,00,000

इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध निदेशक का त्यागपत्र

7847. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री भगत राम गुप्त :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री० महेश सरीन ने अभी हाल में इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धक निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पद को भरने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : श्री महेश सरीन "भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा" सेवा के अधिकारी हैं जो इण्डियन एयर लाइन्स में प्रबन्ध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे । यह निर्णय किया गया कि उन्हें 2 अप्रैल, 1979 से उनके मूल "कॉडर" में वापस भेज दिया जाये । श्री सरीन 2—4—79 से 117 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं । उनके त्यागपत्र देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे अपने मूल कॉडर में वापस जा रहे हैं । इण्डियन एयर लाइन्स के वरिष्ठतम उप प्रबन्ध निदेशक से अनुरोध किया गया है कि वे नियमित आधार पर प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिय जाने तक, इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्ध निदेशक के कार्यभार की देख-रेख करते रहें ।

पिराई के मौसम के लिए ऋण-सीमा मंजूर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को परामर्श

7848. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री एम० ए० चन्द्रशेखरमूर्ति :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंको को परामर्श दिया है कि वे प्रत्येक चीनी मिल को गत पिराई के मौसम के लिए नियमित सीमाओं के अन्तर्गत अधिकतम बकाया राशि के बराबर वर्ष 1978–79 के पिराई मौसम के लिए ऋण सीमा मंजूर कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1979 तक कितनी चीनी मिलो को ऋण दिये गये हैं ;

(ग) इन चीनी मिलो के नाम क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक चीनी मिल को कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1979 के अन्त की उपलब्ध सूचना के अनुसार, 90 चीनी मिलों की 14 सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा 237.01 करोड़ रुपये तक की सीमाएं मंजूर की गयी थीं।

(ग) और (घ) : बैंकरो में प्रचलित व्यवहारो और प्रथाओं के तथा सरकारी क्षेत्र के बैंको पर लागू होने वाली विधियो के उपबन्धो के अनुसार भी अलग अलग ग्राहको विषयक सूचना प्रकट नहीं की जाती ।

तिलहन और तेल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में निकाले गये निष्कर्ष

7849. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयल टेक्नालाजिस्ट एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा फरवरी, 1979 में नई दिल्ली में आयोजित तिलहन और तेल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख): तिलहनो तथा तेलो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा फरवरी, 1979 में नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में वनस्पति तेलो तथा वसा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओ पर चर्चा किए जाने की सूचना मिली है। उपर्युक्त पहलुओ पर 150 लेख प्रस्तुत करन के अलावा, भारत व विदशो के प्रतिष्ठित वैज्ञानिको तथा प्रबन्धको द्वारा 14 पूर्ण (प्लोनरी) व्याख्यान दिये गए । कांग्रस में न तो कोई समस्त निर्णय किये गये और न ही कोई प्रस्ताव पारित किये गये। इस कांग्रेस में जो प्रमुख वास्तविक टेक्नालाजिकल विकास रिकार्ड किये गये उनमें दूसरों के साथ साथ ये शामिल हैं :—

(i) वनस्पति तेलो के बारे में मांग व पूर्ति का अध्ययन और मांग व पूर्ति के अन्तर को कम करने के साधन ;

(ii) उपयोग में लाई जा सकने योग्य देसी तिलहन सम्पदा की सम्भाव्यता का पता लगाना ;

(iii) देश के भीतर की बाध्यताओ के सन्दर्भ में खाद्य कानूनो को युक्ति संगत बनाना ;

(iv) नये तथा जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है उन तिलहनो/तेलधर सामग्री के बारे में टैक्नालाजिक सम्भाव्यताएं ;

(v) भारत व विदेश में प्रक्रिया विकास में नवीनता ; और

(vi) विकासशील देशो के लिए उपर्युक्त टैक्नालाजी ।

आशा है कि कांग्रेस में संचित सूचना तथा दिये गए सुझाओं का उपयोग भाग लेने वाले विभिन्न अभिकरणो द्वारा अपने-अपने क्षेत्रो में उपयुक्त ढंग से किया जायेगा ।

आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों से हुई आय

7850. **श्री बलदेव सिंह जसरोटिया** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियो द्वारा जुलाई 1975 से मार्च, 1977 तक तथा अप्रैल, 1977 से मार्च, 1979 तक मारे गये छापो से राज्य वार, कितनी कितनी आय हुई ;

(ख) देश में काले धन का पूं ी निवेश कितना है ? ौर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपा ो का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) सूचना देने वा ों ो राज्यवार कितनी राशि दी गई है ौर क्या अधिकारी सूचना देने वालों को अन्य उद्देश्यों से ोत्साहन नहीं रहे हैं ; और

(घ) क्या सूचना देने वालों की जान-माल ी रक्षा करने के लिए कानून में सं ोधन करन का मामला सरकार के विचाराधीन है यदि हां, तो इस बारे में कब तक निणय कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) आयकर प्राधिकारियो ारा ली गयी तलाशियो और पकड़े गये माल के सम्बन्ध में ब्यौरे राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 की अवधि में ली गयी तलाशियो में 3504 लाख रुपये क अनुमानित मल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं । एक विवरण-पत्र संलग्न हैं जिसमें इस अवधि म आय कर प्राधिकारियो द्वारा पकड़ी गयी परिसम्पत्तियो का मूल्य आयकर आयुक्त के अधिकार ेत्र-वार दिखाया गया है । अप्रैल 1977, मार्च 1979 की अवधि में आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र-वार पकड़े गए माल का ब्यौरा संकलित करने के पर्याप्त समय और श्रम लगेगा । तथापि अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1979 की अवधि में ली गयी तलाशियो में लगभग 743 लाख रुपये के कुल मूल्य की परिसम्पत्तियो पकड़ी गई थीं ।

(ख) और (ग): सरकार ने देश में काले धन का कोई अनुमान नहीं लगाया है । किन्तु प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने ऐसे आय का अनुमान 1400 करोड़ रुपये लगाया जिस पर 1968-69 में कर का अपवंचन किया गया ।

सूचना दने वालों को पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में, 1973 में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त लागू होते हैं । यदि ये कर, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा ी गई सूचना ही के कारण ही वसूल हुए हो, तो अधिक से अधिक वस्तुतः वसूल किए गए अतिरिक्त करो के 10 प्रतिशत की रकम तक का पुरस्कार दिया जाता है । पुरस्कार देने के नियम बनान के समय से ही सूचना देने वाले नियमित प से मिलते रहे हैं । इसलिए अपेक्षाकृत अधिसूचना देने वालो को आमंत्रित करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किये गये है । फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1974-75 और 1975-76 में सूचना देने वाले व्यक्तियो को लगभग 12.68 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान लगभग 12.13 लाख रुपये और वित्तीय वष 1977-78 के दौरान लगभग 13.23 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए । सूचना देने वालो को दी गयी रकम से सम्बन्धित राज्य-वार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो प्राप्तव्य परिणामो के अनुरूप नहीं होगा ।

(घ) इस सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के अधीन किसी एक प्रकार का परिवर्तन करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

विवरण

जुलाई 1975 से मार्च 1977 तक के ौरान अधि अभिग्रहित परिसम्पत्तियो का मूल्य :—

क्रम सं०	आयकर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र	अभिग्रहीत परिसम्पत्तियो का मूल्य (रुपये लाखो में)
1	आगरा	3.38
2	इलाहाबाद . .	17.29
3	अमृतसर .	4.78
4	आन्ध्र प्रदेश . .	116.35
5	आसन सोल	0.85
6	असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा .	14.37
7	बिहार	3.12
8	बम्बई / बम्बई (सेन्ट्रल) सहित	1084.82

विवरण--जारी

क्रम सं०	आयकर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र	अभिग्रहीत परि-सम्पत्तियों का मूल्य (रुपये लाखों में)
9	दिल्ली / दिल्ली (सेन्ट्रल) सहित	142.55
10	गुजरात	211.84
11	जयपुर और जोधपुर	90.09
12	जालंधर	1.48
13	कानपुर	93.73
14	कर्नाटक	137.57
15	केरल	98.54
16	लखनऊ	143.11
17	मध्य प्रदेश	62.80
18	मेरठ	33.97
19	उड़ीसा	28.09
20	पटियाला	26.65
21	पूना	88.63
22	रोहतक	0.74
23	तमिलनाडु / मद्रास (सेन्ट्रल) और कोयम्बटूर सहित	192.89
24	विदर्भ और मराठवाड़ा	83.51
25	पश्चिम बंगाल । कलकत्ता (सेन्ट्रल) सहित	822.98
	जोड़	3504.13

पटसन तथा पटसन-उत्पादों के बारे में अंक्टाड के निर्णय

7851. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठमांडू में पिछले महीने हुई अंक्टाड की बैठक में पटसन तथा पटसन उत्पादो के बारे में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में पटसन के उत्पादन तथा पटसन उत्पादो के निर्यात के बारे में सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पटसन उत्पादक देशों ने सर्वसम्मति से अनुरोध किया है कि पटसन पर अन्तर्राष्ट्रीय करार को शीघ्रता से अन्तिम रूप दे दिया जाए, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पटसन और पटसन वस्तुओं से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी ।

(ख) इस प्रकार के करार को अन्तिम रूप देने और क्रियान्वित करने पर पटसन वस्तुओ की निर्यात सम्भाव्यता में सुधार होने की आशा है ।

कालाधन पदा करने के लिए उत्तरदायी आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए समिति गठित करना

7852. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काला धन पैदा करने के लिए उत्तरदायी आर्थिक गतिविधियो का पता लगाने तथा उन पर रोक लगाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं । फिर भी आर्थिक अपराधो को रोकने तथा काले धन का पता लगाने के लिए कानून के वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश जाने वाले भारतीयों को मंजूर राशि

5853. **डा० विजय मंडल :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश जाने वाले भारतीयो को प्रति व्यक्ति 20 रुपये रोजाने की अनुमति दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसक क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : एक वर्ष में एक बार निजी यात्रा पर बंगला देश जाने वाले किसी भारतीय को 300 रुपये (केवल तीन सौ रुपए) के मूल्य की विदेशी मूद्रा दी जाती है इसके अलावा, भारत से जाते समय वह 100 रु० (केवल एक सौ रूपये) तक की मुद्रा बदल ने की सुविधा का उपयोग कर सकता है। जो लोग व्यापार के लिए यात्रा पर जाते हैं, वे इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानको के अनुसार विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और जो सीनियर व्यापारी के लिए 85 डालर प्रतिदिन और जूनियर व्यापारी के लिए 65 डालर प्रतिदिन है ।

भारतीय रिजर्व बक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना देश से बाहर भारतीय मुद्रा ले जाने की मनाही है। लेकिन बंगला देश श्री लंका या पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीयो को 20 रु० तक भारतीय मुद्रा ले जाने की इजाजत है ताकि पड़ोसी देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह सुविधा समुद्री जहाज के द्वारा बर्मा, पूर्वी अफ्रीका, खाड़ी के बन्दरगाहो या मलेशिया और सिंगापुर जाने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध है ।

सरकारी उपक्रमों में मजूरी के बारे में केन्द्रीय कार्मिक संघ से बातचीत

7854. **श्री के० ए० राजन :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमो में मजूरी तथा अन्य सम्बद्ध मामलो के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने पर मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय कार्मिक संघों के विचार करने के लिए 5 मार्च को आयोजित बातचित का आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बहिष्कार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार ने 26-6-1978 को केन्द्रीय मजदूर यूनियन संघों के साथ हुई बैठक में सर्वसम्मत्ति से यह स्वीकार किया था कि मजूरी परिशोधन और महंगाई भत्ते सम्बन्धी समझौतों के बारे में मार्गनिर्देश निर्धारित करने के विषय में मजदूर यूनियन संगठनों से परामर्श के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जायेगा । 5- 3- 1979 को केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ हुए विचार विमर्शों में भाग लेने के लिए अखिल भारतीय मजदूर संघ को भी आमन्त्रित किया गया था, लेकिन अखिल भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को यह सूचित किया था कि इस बैठक में उसके शामिल होने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योकि उपर्युक्त बैठक बुलाने में ही केवल देरी नहीं हुई है, बल्कि सरकार द्वारा केन्द्रीय मजदूर संघो के साथ विचार-विमर्श के बाद जब तक नये मार्ग निदश तैयार नहीं हो जाते तब तक सरकारी उद्यमो में मजूरी समझौतो को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार पूर्वनिर्धारित नीति अपनाने के लिए भी जोर दे रही है ।

उड़ीसा में बांसपानी में प्राइवेट खानों से लौह अयस्क की खरीद

7855. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में क्योझर में बांसपानी में प्राइवेट खानो से लौह अयस्क की खरीद में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को एकाधिकार प्राप्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपनी हाल में लौह अयस्क की खरीद बन्द कर दी है ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि खरीद बन्द करने से कई हजार आदिवासी श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ङ) क्या इस बारे मे खनिज तथा धातु व्यापार निगम की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) : निर्यात के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रो को सप्लाई करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम बांसपानी क्षेत्र की

निजी खानों से लोह अयस्क की खरीद करता है । कुछ निजी खान मालिकों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री भी की जा रही है । 8 मार्च, 1979 से लगभग एक महीने की अवधि के लिए बांसपानी स्टेशन पर एक्स-प्लाट आधार पर लौह अयस्क की सप्लाई इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकी क्योंकि जनवरी, 1979 के आरम्भ से पारादीप पत्तन को रेल से माल ले जाने की सुविधा अपर्याप्त बताई गई थी और उसके परिणामस्वरूप स्टेकयार्डों में इतना माल इकठ्ठा हो गया जिससे वहां जगह नहीं रही । ऐसा बताया गया कि थोड़े समय के लिए माल का उठाया जाना बन्द करने से उस क्षेत्र में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । चूंकि इस महीने के पहले सप्ताह से रेलों के संचलन में सुधार हुआ है तथा बांसपानी में प्लाट पर से माल उठाने का काम 9 अप्रैल से पुनः आरम्भ कर दिया गया है ।

मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लि० के विरुद्ध जांच पूरी करना

7857. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** 24 फरवरी 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 551 और 632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स स्वदेशी पोलिटैक्स लि०, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत जांच पूरी कर ली है ;

(ख) क्या सरकार को इस कम्पनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मिल गई है जिसकी तैयारी के लिए सरकार ने आय कर अधिनियम की धारा 142(2ब) के अन्तर्गत अनुदेश जारी किए थे ;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में इस कम्पनी के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है ;

(घ) क्या सरकार ने कच्चे माल के दुरुपयोग और इस फर्म द्वारा चोरी छिपे बिक्री के बारे में भी जांच पूरी कर ली है ;

(ङ) यदि हां, तो की गई जांच के क्या परिणाम निकले और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) जांच के परिणामों के आधार पर इन मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(छ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) कम्पनी द्वारा की गयी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी के सम्बन्ध में जाँच पुरी हो चुकी है ।

(घ) स (छ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा की गयी जांच के परिणामतः प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी की है, जिसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और मामला न्याय-निर्णयाधीन है ।

देश में अल्कालाइड कारखानों की स्थापना

7858. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1979 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें देश में अल्कलाइड के 5 कारखाने स्थापित करना स्वीकार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इस समय उत्पादित 1400 टन अफीम में से देश में केवल 150 टन अफीम की खपत होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पर आधारित अनेक जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण किया जा सकता है ;

(घ) क्या इसके लिए अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है ;

(ङ) क्या अफीम का 80 प्रतिशत उत्पादन मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम जिलों में होता है ;

(च) क्या समाचार पत्र में यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ विदेशियोंने निमच स्थित अल्कलाइड कारखाने का निरीक्षण कर तकनीकी जानकारी जानने का प्रयास किया था ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) पांच एल्कालायड कारखाने स्थापित करने का, जैसा कि 28 मार्च, 1979 के "इकानामिक्स टाइम्स" में छपा हैं, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) वर्ष 1978 में 90° गाढ़ता पर अफीम का कुल उत्पादन लगभग 1610 मीट्रिक टन हुआ था जिसमें से लगभग 83 मी० टन अफीम का इस्तेमाल स्वदेशी जरूरतों के लिए किया गया था।

(ग) जी, हां। मार्फीन बी० पी० और मार्फीन लवण, कोडीन बी० पी० और कोडीन लवण, नारकोटीन बी० पी० आदि जैसे अनेक औषध द्रव्य अफीम से तैयार किए जाते हैं। ये थोक औषध-द्रव्य हैं जिनका इस्तेमाल किन्हीं दर्द निवारक खांसी निरोधी, आदि निर्मितियों में किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1977-78 की फसल के दौरान मंदसौर और रतलाम जिलो में 90° गाढ़ता की लगभग 750 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन हुआ था जो उक्त अवधि में देश में कुल उत्पादन का लगभग 46 प्रतिशत है।

(च) और (छ) सरकारी अफीम और एलकालायड कारखाना, नीमच के प्रधान से प्राप्त रिपोर्ट प्रचंधक से पता चला है कि कुछ व्यक्तियो के एक ग्रूप ने, जिसमें चार विदेशी राष्ट्रिक शामिल थे, 1-3-1978 को कारखाने का दौरा किया था। कारखाने में उनके दौरे के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो अधिकारी अर्थात सहायक कमाण्डेन्ट और ड्यूटी अधिकारी उनके साथ-साथ रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उचित एहतियात बरते गए थे कि कारखाने की तकनीकों और उत्पादन पद्धतियों के बारे में उन्हें कोई गुप्त सूचना नहीं दी जाती।

बागडोगरा से दिल्ली को सीधी बोडंग उड़ान

7859. **श्री के० बी० चेत्तरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा से दिल्ली को एक सीधी उड़ान सप्ताह में दो बार चलाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इण्डियन एयर लाइन्स के अनुसार, बागडोगरा तथा दिल्ली के बीच यात्री यातायात इतना नहीं है जिससे बागडोगरा तथा दिल्ली के बीच एक सीधी उड़ान का औचित्य सिद्ध हो सके।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक गांव योजना

7860. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक गांव योजना के अधीन उत्तर प्रदेश से चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं ?

(ख) क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्रणा की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किन-किन स्थानों का सुझाव दिया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राज मार्गों के साथ-साथ चुने हुए केन्द्रों पर पर्यटक ग्रामों के विकास की योजना को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटक ग्रामों के विकास के लिए एक माडल प्लान तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विकसित किए जाने वाले पर्यटक ग्रामों के लिए स्थानो का निर्णय राज्य सरकार से मंत्रणा करके किया जाएगा।

वृक्षों पर कर लगाया जाना

7861. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य वृक्षों पर भी कर लगाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां,। वृक्ष कर या इसी प्रकार का दूसरा कर कुछ राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों में लगाया जाता है।

(ख) अब तक उपलब्ध सूचना पर आधारित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कर का ब्यौरा	कर की दर
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश .	राज्य में ताड़ी निकालने के काम आने वाले उत्पाद शुल्क युक्त वृक्ष की सभी किस्मो पर कर के रूप में वृक्ष शुल्क लगाया जाता है और शुल्क लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन वृक्षो से किस अवधि के दौरान ताड़ी निकाली जा सकती है।	कर की दरें इस प्रकार हैं :— **सेंधी (खजूर) वृक्ष**–प्रति **वर्ष** 8 रुपये प्रति वृक्ष **पामीरा (ताड़ी) वृक्ष**—प्रति **वर्ष** 10 रुपये प्रति वक्ष **डेट पाम (खजूर)**—15 रुपये प्रति वर्ष प्रति वृक्ष सागो वृक्ष—18 रूपये प्रति वृक्ष प्रति वर्ष नारियल—15 रूपये प्रति वर्ष प्रति वृक्ष करदाता द्वारा ताड़ी निकालने का लाइसेन्स लेने से पूर्व कर जमा करना होता है।
2. असम	सूचना अभी प्राप्त होनी है।	
3. बिहार	राज्य में कुछ वृक्षों से ताड़ी निकालने के लिए वृक्ष कर लगाया जाता है।	प्रति वृक्ष कर की दर इस प्रकार है :— ताड़ वृक्ष—15 रूपये प्रति वृक्ष खजूर वृक्ष—10 रूपये प्रति वृक्ष
4. गुजरात	कोई भी वृक्ष कर नहीं लगाया जाता	सवाल पैदा ही नहीं होता।
5. हरियाणा	कोई भी वृक्ष कर नहीं लगाया जाता	सवाल पैदा ही नहीं होता।
6. हिमाचल प्रदेश	कोई वृक्ष कर नही लगाया जाता	सवाल पैदा ही नही होता।
7. जम्मू और कश्मीर	सूचना अभी प्राप्त होनी है।	. .
8. कर्नाटक	सभी प्रकार के उत्पादन शुल्क वृक्षों पर, जिनसे ताड़ी निकालने की अनुमति दी जाती है, बिक्रेताओं से उत्पादन शुल्क लिया जाता है।	**कर की प्रति वृक्ष दर इस प्रकार है :—** खजूर वृक्ष—7.50 रूपये 4 महीनो के लिए नारियल वृक्ष—8.50 रूपये छमाही पामीरा वृक्ष—7.50 रूपये प्रति वर्ष बागीनी वृक्ष—5 रुपये प्रति वर्ष दाडशाल वृक्ष—3 रुपये प्रति वर्ष वृक्ष कर के अतिरिक्त सरकारी भूमि पर लगे वृक्षों पर 1.75 रुपये प्रतिवृक्ष के हिसाब से वक्ष किराया भी लिया जाता है। ताड़ का गुड़ बनाने के लिए निर्धारित वृक्षो पर वृक्ष कर की दर इस प्रकार हैं :— (i) **ताड़ गुड़ सहकारी समितियां :** खजूर वृक्ष/पामीरा वृक्ष—1.50 रुपये प्रति वर्ष नारियल वृक्ष—22 रुपये वृक्ष प्रति वर्ष (ii) **अन्य वृक्षों के लिए :** पामीरा वृक्ष—1.50 रुपये प्रति वर्ष सरकारी भूमि पर लगे ताड़ का गुड़ बनाने के लिए निर्धारित वृक्षो पर 1.10 रुपये प्रति वर्ष वृक्ष किराया लिया जाता है।
9. केरल	ताड़ी बनाने के काम में आने वाले वृक्षों पर राज्य में वृक्ष कर लिया जाता है। इसके लिये प्राय: पामीरा और नारियल, ताड़ और सागो ताड़ (चुन्डा-पाना) वृक्ष काम में लाए जाते हैं।	**वृक्ष कर की दरें निम्न हैं :—** पामीरा वृक्ष—8 रुपये प्रति वृक्ष प्रति वर्ष। नारियल वृक्ष—16 रुपये प्रति छमाही। सागोवृक्ष (चूनडापाना)—32 रुपये प्रति वृक्ष छमाही 15 वर्षों से अधिक मे ताड़ी निकालने की अनुमति

विवरण--जारी

1	2	3
		नहीं दी जाती है। मीठी ताड़ी के निर्माण और बिक्री के लिए वास्तविक जैगरी निकालने वालों को शुल्क रहित लाइसेंस जारी किये जाते हैं।
10. मध्य प्रदेश	राज्य में ताड़ी बनाये जाने के काम आने वाले वृक्षों पर वृक्ष-कर लगाया जाता है।	प्रत्येक ताड़ी बनाने वाले वृक्ष पर 5 रुपये प्रति वृक्ष के हिसाब से कर लिया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग के अन्तर्गत जो सहकारी समितियां नीरा और गुड़ बनाने के लिए ताड़ी के रस का संग्रह करती है उन्हें इस कर अदायगी से छूट द दी गयी है।
11. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य के शहरी/स्थानीय प्राधिकारी महाराष्ट्र शहरी (क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत भूमि तथा इमारतों पर वृक्ष उपकर लगाने के लिए प्राधिकृत है।	इस प्रकार लगाया जाने वाला उपकर सम्पत्ति के कर योग्य मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
12. मणिपुर	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता	यह प्रश्न नहीं उठता।
13. मेघालय	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता।	यह प्रश्न नहीं उठता।
14. नागालैण्ड	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता।	यह प्रश्न नहीं उठता।
15. उड़ीसा	राज्य में पेड़ों पर कोई कर नहीं लगाया जाता। लेकिन, राज्य सरकार द्वारा उन खड़े पेड़ों की लागत के 10 प्रतिशत की दर से क्रय कर लगाया जाता है जिन्हें काटने तथा बेचने की सहमति हो गई हो।	जैसा कि कालम 2 में बताया गया है।
16. पंजाब	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता।	यह प्रश्न नहीं उठता।
17. राजस्थान	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता।	यह प्रश्न नहीं उठता।
18. सिक्किम	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता।	यह प्रश्न नहीं उठता।
19. तमिलनाडु	सरकारी पोराम्बोक (अर्थात सार्वजनिक बागीचों) पर खड़े पेड़ों पर उनके फलों का उपयोग करने के लिए कर लगाया जाता है :	दरों तथा अन्य ब्यौरों की राज्य सरकारों से प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।
20. त्रिपुरा	सूचना की प्रतिक्षा की जा रही है।	..
21. उत्तर प्रदेश	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।	..
22. पश्चिम बंगाल	राज्य में खजूर तथा ताड़ के उन पेड़ों पर जिनको राज्य सरकार द्वारा कुछ अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है वृक्ष कर लगाया जाता है।	इन क्षेत्रों में सम्बन्धित जिला संग्राहक द्वारा उत्पाद आयुक्त की स्वीकृति से कर की दरें निर्धारित की जाती हैं। लाइसेन्स धारकों द्वारा लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त यह कर दिया जाता है। जो उपभोक्ता घरेलु उपभोग के लिए इन पेड़ों को ताड़ी निकालने के लिए टांकी लगाते हैं उन्हें यह कर देना पड़ेगा।
23. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	वृक्ष कर नही लगाया जाता है।	यह प्रश्न नहीं उठता।
24. अरुणाचल प्रदेश	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता।	यह प्रश्न नहीं उठता।
25. चण्डीगढ़	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता।	यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण—समाप्त

1	2	3
26. दादरा और नागर हवेली	ताड़ी के लाइसेन्स धारकों से ताड़ी निकालने के काम के खजूरी तथा ताड़ के पेड़ों के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क लिया जाता है।	**कर की दरें इस प्रकार हैं :—** खजूरी वृक्ष—7 रुपये प्रति वृक्ष प्रति वर्ष। ताड़ वृक्ष—10 रुपये प्रति वृक्ष प्रति वर्ष। उन लाइसेन्स धारको को जो सरकारी पेड़ों पर टांकी लगाते हैं, खजूरी पेड़ों पर 3 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक तथा ताड़ के पेड़ों पर 5 रुपये वृक्ष वार्षिक की दर से अतिरिक्त वृक्ष भाड़ा देना पड़ता है।
27. दिल्ली .	कोई वृक्ष कर नहीं लिया जाता है।	यह प्रश्न नहीं उठता।
28. गोवा दमन और दीव	नारियल, खजूरी तथा खजूर के पेड़ से ताड़ी निकालने के लिए उन पर वृक्ष कर लगाया जाता है।	**दरें इस प्रकार हैं :** नारियल का पेड़—10 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक खजूरी वृक्ष—3 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक।
29. लक्षद्वीप .	पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि पर खड़े उन नारियल के पेड़ों पर वृक्ष कर लगाया जाता है जिन पर फल लगता है। निजी व्यक्तियों को दी गई सरकारी भूमि पर "पट्टम" के रूप में कर लगाया जाता है।	0.40 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक की दर से कर लगाया जाता है।
30. मिजोरम .	कोई वृक्ष कर नहीं लगाया जाता है।	यह प्रश्न नहीं उठता।
31. पाण्डीचेरी .	हर वर्ष निलाम की जाने वाली दूकानों के लिए ताड़ी निकालने के लिए पंजीकृत पेड़ों के सम्बन्ध में वृक्ष कर लगाया जाता है।	**कर की दरें इस प्रकार है —:**

	वृक्ष कर	ताड़ी के पेड़ों पर शुल्क
नारियल वृक्ष	एक रुपया प्रति वृक्ष छमाही	6 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक
सागो ताड़ वृक्ष	4 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक	12 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक
ताड़ वृक्ष	एक रुपया प्रति वृक्ष प्रति वर्ष	2 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक
खजूर वृक्ष	एक रुपया प्रति वृक्ष वार्षिक	2 रुपये प्रति वृक्ष वार्षिक

आय कर कर्मचारी संघ से लेखा परीक्षित लेखों का विवरण

7862. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या उप **प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नवम्बर, 1967 से अब तक, आय कर कर्मचारी संघ से लेखा परीक्षित लेखों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि आय-कर कर्मचारी संघ को सी०सी०एस० (सेवा संगठनों को मान्यता) नियम, 1959 के नियम 5(ङ) के अधीन निर्धारित शर्तों में छूट दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) सरकारी कर्मचारियों को "सर्विस एसोसिएशन्स" को मान्यता देने के लिए फिलहाल वैज्ञानिक ढंग से बने कोई नियामक नियम नहीं हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1955 के नियम 4-बी के सन्दर्भ में जो केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगठनों को मान्यता) नियम, 1959 बनाये गये थे, उन्हें अब अप्रवर्तनीय माना जा रहा है क्योंकि उक्त नियम 4-बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए सरकार ने फेडरेशन से लेखा-परीक्षा किये हुए हिसाबों का विवरण मंगवाना आवश्यक नहीं समझा।

आल इण्डिया टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा बड़े उद्योग गृहों तथा कंपनियों को दिया गया ऋण

7863. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया टर्म लेंडिंग इन्स्टीटयूशन्स (जो लम्बी अवधि के आधार पर ऋण देता है) ने केवल बड़े उद्योग गृहों तथा बड़ी कम्पनियों को ही ऋण दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार के नीति के अनुरूप है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन कम्पनियों तथा सम्बन्धित व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने विभिन्न संस्थाओं से ऋण (10 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के) ले रखें हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) जी, नहीं। अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थायें न केवल बड़े घरानों और बड़ी कम्पनियों को ही ऋण प्रदान करती हैं बल्कि वे नये नये उद्यमियों, तकनीकी उद्यमियों आदि सहित अन्य उद्यमियों को भी सरकार की नीति के अनुसार ऋण देती है।

तारों का निर्यात

7864. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने अन्य देशों को तारों का निर्यात किया है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक ने गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा कमायी ;

(ग) क्या तारों के निर्यात में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है ; और

(घ) इन कम्पनियों की क्षतिपूर्ति करने और इनमें से प्रत्येक को उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने के लिए विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : कण्डक्टरों सहित बिजली की तारों और केबलों के प्रमुख निर्यातकों द्वारा 1975–76 से 1977–78 के दौरान किए गए निर्यात सम्बन्धी आंकडे नीचे दिए गए हैं।—

क्रमांक	प्रमुख निर्यातक	करोड़ रुपयों में 1975–76	1976-77	1977–78
1	फोर्टग्लोस्टर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	0.51	2.40	1.97
2	इण्डियन केबल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	3.40	3.91	3.03
3	एल्युमिनियम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कुन्दरा .	1.28	1.06	4.84
4.	एशियन केबल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	1.56	2.19	3.40
5	इलेक्ट्रीकल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, कलकत्ता .	उपलब्ध नहीं	1.16	2.45
6	केबल कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई .	3.07	3.14	2.27
7	इण्डियन एल्युमिनियम केबल लिमिटेड, नई दिल्ली . .	1.60	1.06	3.97

(ग) 1978–79 के दौरान इस वस्तु का निर्यात पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में कम हुआ है।

(घ) एल्यूमिनियम, जो केबलों के विनिर्माण के लिए आधारभूत कच्चा माल है, की कमी को आयातों के जरिये और स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करके पूरा करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार ने हाल में, बिजली के तारों और केबलों के निर्यात पर 10 प्रतिशत नकद मुआवजा सहायता देने की घोषणा भी की है जो 1-4-1979 से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

7865. **श्री गंगाभक्त सिंह** :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को उनकी चालू वित्त वर्ष की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और ऋण देने का कोई निर्णय किया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या राज्यों पर प्रतिवर्ष केन्द्रीय ऋण बढ़ता जा रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार इसे कम करने के लिए कोई सुझाव देगी और 31 मार्च, 1979 को ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय सरकार के 1979–80 के बजट में, राज्यों की आयोजनाओं, संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं और उत्तर-पूर्वी परिषद और ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की स्कीमों के सम्बन्ध में परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 2300.14 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। 1979-80 के लिए केन्द्रीय आयोजना और राज्यों की आयोजनाओं के लिए परिव्यय और राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का निर्धारण किए जाने के फलस्वरूप, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के सम्बन्ध में कुछ संशोधनो को लागू करने के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में निर्णय किया गया था। उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप, कुछ केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए आवण्टित की गई निधियां नए फार्मुले के आधार पर राज्यों के बीच वितरण करने के लिए दी जाएगी। वर्ष के दौरान बजट व्यवस्थाओं में अनुषंगिक समायोजन कर लिए जाएंगे।

(ख) केन्द्र के प्रति राज्यों की ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में स्थिति पर सातवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया है। आयोग ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि नियोजित विकास के युग के प्रारम्भ से 28 वर्षों के दौरान केन्द्र के प्रति राज्यों की ऋणग्रस्तता कई गुणा बढ़ गई है। आयोग के अनुसार, ऐसी स्थिति विकासशील अर्थव्यवस्था मे स्वाभाविक है और जब तक ऋणों का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकता के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और परिसम्पतियां कुल ऋणग्रस्तता से अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, तो अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आयोग ने राज्यों द्वारा केन्द्रीय ऋणों की वापसी अदायगी में राहत की सिफारिश की है। 1979–84 के वर्षों के दौरान, राहत की राशि का अनुमान 2155.80 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो कुल वापसी अदायगी की देयता का लगभग 50 प्रतिशत है। केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। आयोग द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 1978–79 के अन्त में राज्यों पर केन्द्र के सम्भावित बकाया ऋणों की राशि लगभग 13463 करोड़ रुपए होगी। राज्यवार आंकड़े सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 263 पर दिए गए है, जिसे 24 नवम्बर, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

7866. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों को मंजूर करने में बड़े व्यापार के हिस्से को कम करने और लघु क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सुगमता पूर्वक इस धनराशि को उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की निरंतर समीक्षा की जाती है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की गति बढ़ाने के लिए तथा पिछड़े इलाकों में रहने वाले आदिवासियों सहित, समाज के कमजोर वर्गों को उनके उत्पादक प्रयासों के वास्ते सामयिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने कुल ऋणों का 33⅓ प्रतिशत तक सहायता के रूप में प्रदान करें तथा मार्च, 1979 के अंत तक अपनी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात भी बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक कर दें। विभेदी ब्याज दर योजना के जो इस समय पूरे देश में लागू हैं, के अंतर्गत सहायता की मात्रा भी उनके कुल ऋणों के 1/2 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दी गयी है। बैंकों को यह भी अनुमति दी गयी है कि वे निर्धारित क्षेत्रों में विशेष रूप से आदिवासियों के लिए गठित की गयी बृहदाकार बहु प्रयोजनी समितियों (एल०ए०एम०पी०एस०)। सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण प्रदान करे। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को दिये जाने वाले ऋणों की 33⅓ प्रतिशत की न्यूनतम शर्त को भी बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से भी इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने के लिए कहा गया हैं।

पटसन के निर्यात पर हुई हानि

7867. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी, 1979 में क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों और घरेलू मण्डियों में पटसन का बिक्री मूल्य क्या था;

(ख) क्या सरकार को इस वर्ष भी पटसन के निर्यात पर हानि उठानी पड़ेगी और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसके मूल्यों में कमी को रोकने और इसका निर्यात करने के लिए सुरक्षित भण्डार में वृद्धि करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) बंगलादेश विश्व बाजार में कच्चे पटसन का प्रमुख संभरणकर्ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कच्चे पटसन के कुछ प्रतिनिधि ग्रेडों की बंगला देश ई०पी०सी० (निर्यात कीमत नियंत्रण) कीमतें और कलकत्ता बाजार में जनवरी-फरवरी, 1979 में भारतीय पटसन की कीमतें संलग्न विवरण में दी जाती है। तथापि यह सूचना मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बंगलादेश के पटसन की वास्तविक बिक्री कीमतें बंगलादेश ई०पी०सी० कीमतों की तूलना में कुछ कम ह।

(ख) यह उन कीमतों पर निर्भर करेगा जिन पर भारतीय पटसन निगम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंततः पटसन बेचेगा।

(ग) भारतीय पटसन निगम कीमतें स्थिर करने की दृष्टि से पहले ही कचे पटसन की खरीद कर रहा है। स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है अतिरिक्त उपाय किये जाते हैं;

विवरण

ग्रेड		बंगला देश ई० पी० सी० (निर्यात कीमत नियंत्रण) कीमतें साइट पर, पौंड प्रति टन	भारतीय पटसन के ग्रेडों की समतुल्य कीमतें (जनवरी-फरवरी, 79) रु०/टन
एक्सपोर्ट लाइटनिंग (बी० डब्ल्यू० सी० क समतूल्य)	.	218	3030
एक्सपोर्ट हार्टस (बी० डब्ल्यू० डी० के समतूल्य) .	.	203	2816
आउटपोर्ट टोस्सा 2/3 (बी० टी० सी० के समतूल्य)	.	225	3023
आउटपोर्ट टोस्सा-4 (बी० टी० डी० के समतूल्य) .	.	210	2754

पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात किये गये चावल की मात्रा

7868. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात किये गये चावल की मात्रा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने अब हमारे देश से चावल का आयात करना बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बाजारों में पुनः चावल बेचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1977-78 के दौरान पश्चिम एशियाई देशों को 7,600 मे० टन चावल का निर्यात किया गया। अप्रैल 1978 से फरवरी 1979 के दौरान अनन्तिम रूप से 55,800 मे० टन चावल के निर्यात का हिसाब लगाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

गोहाटी और सिलचर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति

7869. **श्रीमती रशीदा हक चौधरी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने गौहाटी और सिलचर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फकार उल्लाह) : (क) तथा (ख)। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है। परन्तु प्रशासकीय कारणों से बैंक ने गौहाटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने का निर्णय किया है

भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच व्यापार का बढ़ाया जाना

7871. **श्री नाथु सिंह :**

श्री बागुन सुम्बरुई :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच व्यापार को बढ़ाने और करारों को अन्तिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में चाय की खेती

7872. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड का विचार मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में चाय की खेती करने का है ;

(ख) मध्य प्रदेश में चाय की खेती के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है ; और

(ग) क्या चाय की खेती के लिए चुने गए जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रयोगात्मक रोपण के लिए बस्तर और सुरगुजा के जिलों को चुना गया है। आजमायशी रोपण में सफलता मिलने पर दुसरे क्षेत्रों में भी रोपण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

बैंक सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों के लिए ली गयी परीक्षायें

7873. **श्री रामकंवर बेरवा :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा क्लर्कों, टाइपिस्टों, स्टेनोग्राफरों, की-पंच आपरेटरों तथा कृषि क्लर्कों के पदों के लिए ली गयी परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा ;

(ख) क्या यह प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित किये गये प्रत्याशियों के साथ अन्याय नहीं होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ; और

(घ) क्या सरकार ऐसी प्रक्रिया समाप्त करने पर विचार करेगी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ): बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा लिपिक, टाइपिस्ट, आशुलिपिक, की-पंचिंग आपरेटर्स तथा कृषि लिपिकों के लिए आयोजित परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को, साक्षात्कार पर बुलाये जाने से पूर्व, उस पद विशेष के लिए होने वाली एक 'कुशलता परीक्षा' में बैठना पड़ता है । प्रत्येक वर्ग क लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट (योग्यतानुसार सूचियां) तैयार की जायेगी ।

उपर्युक्त को देखते हुए, किसी प्रकार के अन्याय, भ्रष्टाचार या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की प्रणाली को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को दिया गया ऋण

7874. **श्री दलपतसिंह परस्ते** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) उस अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अन्य राज्यों में हथकरघा क्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख): वर्तमान सांख्यिकीय सूचना प्रणाली में हथकरघा क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में अलग से आंकड़े रखने की व्यवस्था नहीं है । हथकरघा बुनकरों को दिये गये ऋण, छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों को दिये गये ऋणों का एक भाग है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा

जून, 1976, 1977 और जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष में मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि निम्नलिखित सारणी में दिखायी गयी है :—

निम्नलिखित के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मध्ये प्रदेश छोटे पैगाने के उद्योगी को दिये गये ऋण

	एककों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
जुन, 1976	12760	3131.70
जन, 1977	19039	3739.75
जून, 1978*	23344	5198.02

*अनन्तिम

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जून, 1976, जून 1977 और जून, 1978 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि राज्यवार विवरण में दिखायी गयी है।

विवरण

निम्नलिखित के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छीट पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों की राज्यवार बकाया राशि

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जून, 1976		जून, 1977		जून, 1978	
	एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश .	24,348	6,189.80	34,223	6,947.80	40,411	8,799.14
2. असम	3,036	765.63	6,711	862.50	8,262	932.81
3. बिहार .	8,535	2,739.98	15,719	3,498.46	17,864	4,540.45
4. गुजरात .	18,263	11,379.67	22,373	12,873.65	24,557	15,483.21
5. हरियाणा .	6,655	2,939.63	10,038	3,622.80	11,230	4,725.71
6. हिमाचल प्रदेश	869	158.46	1,648	225.35	1,925	370.34
7. जम्मू और कश्मीर	3,903	452.63	4,931	497.87	5,737	761.52
8. कर्नाटक .	22,734	7,550.19	41,426	8,810.36	43,334	10,346.73
9. केरल .	16,061	6,291.75	21,082	8,210.34	23,217	8,955.87
10. मध्यप्रदेश .	12,760	3,131.70	19,039	3,739.75	23,344	5,198.02
11. महाराष्ट्र .	35,513	23,620.57	40,554	27,467.96	43,060	33,696.33
12. मणिपुर .	326	14.07	402	15.72	644	21.45
13. मेघालय .	88	8.82	327	9.10	488	26.74
14. नागालैंड .	96	22.53	170	25.91	245	25.55
15. उड़ीसा .	4,366	810.65	10,501	1,065.02	14,481	1,416.55
16. पंजाब .	13,735	6,098.99	16,859	6,852.07	19,160	9,164.40
17. राजस्थान .	16,013	2,327.40	24,673	2,959.83	32,463	3,957.53
18. तमिलनाडु .	32,614	11,357.30	66,015	13,587.64	76,611	17,170.86

विवरण--जारी

1	2	3	4	5	6	7
19. त्रिपुरा	174	21.57	297	24.44	632	42.98
20. उत्तर प्रदेश .	34,769	8,000.98	50,362	10,106.72	55,595	13,210.74
21. पश्चिम बंगाल	25,561	8,993.80	33,609	10,856.38	40,471	13,775.18
संघ राज्य क्षेत्र						
22. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह .	16	1.17	22	2.73	23	3.57
23. अरुणाचल प्रदेश	1	0.01	20	0.23	189	1.08
24. चण्डीगढ़	462	338.81	541	489.08	731	622.54
25. दादरा एवं नागर हवेली	14	23.78	15	42.34	22	37.82
26. दिल्ली .	6,166	5,860.24	7,104	7,780.82	8,086	9,692.53
27. गोवा, दमन एवं दीव	797	585.52	899	666.28	1,132	1,062.06
28. मिजोरम	7	1.29	42	1.64	79	2.51
29. पांडिचेरी .	447	224.79	832	285.52	1,087	328.14
30. सिक्कम (राज्य)	—	—	—	—	25	0.41
अखिल भारतीय	2,88,329	1,09,914.73	4,30,434	1,31,528.31	4,95,105	1,64,372.77

आंकड़े अनन्तिम हैं।

चोकशी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

7875. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोकसी समिति के हाल के प्रतिवेदन की एक अथवा अधिक सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) स्वीकृत की गई इन सिफारिशों को कैसे तथा कब क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(घ) क्या उक्त समिति के प्रतिवेदन में की गई शेष सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ; अथवा पूरी तरह अस्वीकृत कर दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें प्रत्यक्ष कर कानून समिति (चोकसी समिति) की अन्तरिम रिपोर्ट और अन्तिम रिपोर्ट में निहित उन सिफारिशों का उल्लेख है, जिन्हें सरकार ने मान लिया है और कार्यान्वित किया है।

(घ) और (ङ): चोकसी समिति की बाकी सिफारिशें विचाराधीन हैं और इनमें से जो सिफारिश सरकार को स्वीकार्य होंगी, उनको लागू करने के लिए आवश्यक कानून यथा संभव शीघ्र पेश किया जायेगा।

5—173 LSS/ND/79

विवरण

अप्रत्यक्ष कर कानून समित (चोक ी समिति) की अन्तरिम रिपोर्ट की और अन्तिम रिपोर्ट में निहित वे सिफारिशें जो सरकार ने मान ली है और कार्यान्वित की हैं

क्रम सं०	सिफारिश संख्या	संक्षेप में विषय	अधिनियम जिसके जरिए लागू की गई हैं अथवा लागू करने का प्रस्ताव है
1	2	3	4
I. अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशें			
1	52	आयकर अधिनियम की धारा 72क के प्रयोजन से समामेलन की योजनाओं का पहले से अनुमोदन करने के लिए सांविधिक उपबंध	वित्त अधिनियम, 1978।
2	58	घुड़-दौड़ की जीत की रकमों से स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबन्ध। (समिति ने आयकर अधिनियम की धारा 2(24)(ix) में उल्लिखित आय की सभी मदों से स्रोत पर कर की कटौती करने की सिफारिश की थी)	वित्त अधिनियम, 1978।
3	102	अग्रिम कर की स्वेच्छा से अदायगी	वित्त अधिनियम 1978।
4	122	आयकर अधिनियम की धारा 245घ(1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन आयकर आयुक्त द्वारा आपत्ति, जिसकी समझौता आयोग द्वारा समीक्षा की जानी है	वित्त विधेयक 1979।
II. अन्तिम रिपोर्ट–भाग–1			
5	165	ऐसे मामलों में जहां कोई नाबालिग किसी न्यास से आय प्राप्त करता हो और जहां न्यासी दुसरों के साथ भागीदारी में कारोबार चलाते हों, उनके सम्बन्ध में भी आयकर अधिनियम की धारा 64 में निहित, आय को एक साथ जोड़कर दिखाने वाले उपबन्धों को लागू करना	वित्त विधेयक, 1979।
6	166	ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 64 में निहित, आय को एक साथ जोड़कर दिखाने वाले उपबन्धों को लागू करना जहां पति अथवा पत्नी किसी न्यास से आय प्राप्त करता हो और जहां न्यासी दुसरों के साथ भागीदारी में कारोबार चलाते हों	वित्त विधेयक, 1979।
7	167	धारा 64 के प्रयोजन के लिए "आय" में "हानि" भी सम्मिलित है .	वित्त विधेयक, 1979।
8	168	ऐसे मामलों में धारा 64(2) लागू करना जहां व्यष्टि हिन्दू अविभाजित परिवार में सीधे दान देता हो	वित्त विधेयक, 1979।
9	185	मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को दिए जाने वाली दान की रकमों के सम्बन्ध में कटौती	वित्त विधेयक, 1979।
10	186	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दी जाने वाली दान की रकमों के सम्बन्ध में कटौती	वित्त विधेयक, 1979।
11	238	धन कर अधिनियम की धारा 4(1क) को संशोधित किया गया है जिससे व्यष्टियों द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवारों को दिए जाने वाले दान को उसमें शामिल किया जा सके	वित्त विधेयक, 1979।
12	239	धन कर अधिनियम की धारा 4 (1क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर धन कर अधिनियम की धारा 4(3) के उपबन्ध लागू किए गए हैं	वित्त विधेयक, 1979।

टिप्पणी—धन कर (संशोधन) नियम, 1979 के अधीन पूर्णतया अथवा मुख्यतया रिहायसी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जान वाली मकान सम्पत्तियों क मूल्यांकन के लिए, धन कर नियम, 1957 में एक नया नियम 1 ख ख अन्तःस्थापित किया गया है जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 30 मार्च, 1979 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियम म मकान सम्पत्तियों के मूल्यांकन का मोटे तौर पर वही तरीका अपनाया गया है, जिसकी चोकसी समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट के अध्याय 14 में सिफारिश की है।

निर्यात गृहों द्वारा निर्यात आय का वसूल न किया जाना

7877. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या उप **प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कुछ निर्यात गृहों के स्थानों पर मारे गये छापों में प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली को बड़ी राशि की निर्यात आय के वसूल न किये जाने के मामलों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जनवरी, 1979 से अप्रैल, 1979 के पहले सप्ताह तक की अवधि के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सिले-सिलाये कपड़ों और होजरी माल के पांच निर्यात कर्ताओं के दिल्ली स्थित व्यापारिक परिसरों और उनके निदेशकों/भागीदारों के रिहायशी परिसरों की तलाशी ली और 40,000 रुपये की भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने से सम्बंधित समझे जाने वाले दस्तावज पकड़े, जिनमें विभिन्न माल के निर्यात से प्राप्त बिक्री की बहुत बड़ी रकम को देश में प्रत्यावर्तन न करना भी शामिल है। आग जांच की जा रही है। इस अवस्था में जांच का विवरण देना जनहित में नहीं होगा ।

शेयरों का आबंटन करने की प्रणाली

7878. **श्री के० टी० कोसवलाम :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयरों के आबंटन की वह नई प्रणाली क्या है जो यह सुनिश्चित करती है कि सट्टेबाजी का पेशा करने वाले समूह आवदन पत्र दे कर शेयरों की निश्चित संख्या का आबंटन प्राप्त न करें और आबंटन मुख्य रूप से वास्तविक छोटे पूंजी निवेशकों को किया जाए ; और

(ख) इस प्रणाली का प्रचार वास्तविक छोटी पूंजी निवेशकों के बीच किस प्रकार से किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जनता के सम्मुख बिक्री के लिए प्रस्तुत शेयरों के आबंटन की नई प्रणाली का ब्यौरा मुख्यत: इस प्रकार है :

(i) नई प्रणाली के अन्तर्गत, 50, 100, 150 आदि वर्गों वाले शेयरों के मामले में, आवेदन पत्रों को क्रमबद्ध करने क सिलसिले में, बैंकों द्वारा दी गई क्रम संख्याओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाए, आवेदन पत्र क फार्मों पर पहचान के लिए छपी हुई छः अंकों वाली संख्याओं को उलट दिया जाएगा और इनमें से अमान्य तथा बहुसंख्यक आवेदन पत्रों को निकाल कर उलटाई गई इन संख्याओं को एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाएगा और 50, 100, 150 आदि शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए क्रमश: फिर से संख्या निर्धारित की जाएगी। परिणामस्वरूप आवेदन पत्र पूरी तरह बिखर जाएंगे और पेशेवर सट्टेबाज किसी बैंक में, मात्र समूह आवेदन पत्र देकर, शेयरों की निश्चित संख्या का आबंटन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

(ii) बिक्री के लिए सार्वजनिक रूप से जारी किए गए/प्रस्तुत किए गए शेयरों के लिए आवश्यकता से अधिक अभिदान प्राप्त होने की दशा में आबंटन की योजना इस ढंग से तैयार की जानी चहिए कि वह प्रमुखत: निचले वर्गों के आवदन पत्रों के पक्ष में हो। आबंटन 25 शेयरों से शुरू किया जाना चाहिए और उसके बाद उसके गुणितों के आधार पर उसमें लगातार वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि बिक्री के लिए जारी की गई / प्रस्तुत की गई शेयर पूंजी की प्रत्येक एक लाख रुपए की राशि के लिए खासतौर पर उन मामलों में, जहां अभिदान 10 गुणा से भी अधिक हुआ हो, लगभग 200 शेयरधारी हों। यदि 20 गुणा से भी अधिक अभिदान हुआ हो, तो उस मामले में, बिक्री के लिए जारी की गई/प्रस्तुत की गई शेयर पूंजी के प्रत्येक एक लाख रुपए पर कम से कम 250 से 300 तक शेयरधारी होने चाहिएं। इसके अलावा, आवश्यकता से अधिक अभिदान होने की दशा में प्रति आवेदन पत्र 500 शेयरों से अधिक का आबंटन नहीं होना चाहिए जब तक कि 500 शेयरों तक के सभी आवेदन पत्रों पर पूरा आबंटन न कर दिया गया हो। यदि अभिदान 20 गुणा से अधिक हुआ हो तो शेयरों की अधिकतम सीमा घटाकर 250 प्रति आवेदक करनी होगी।

(ख) शेयरों के आबंटन की नई प्रणाली का पालन करने के संबंध में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों (स्टाक एक्सचेंजों) को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा इन हिदायतों के बारे में समाचार पत्रों में भी व्यापक रूप से प्रचार किया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटकों को सुविधायें देने हेतु मांगी गई वित्तीय सहायता

7879. **श्री भानुकुमार शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने हेतू संचार, परिवहन और आवास सुविधाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु राज्य सरकार को कितनी राशि देने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय पर्यटन विभाग से आवास, परिवहन और अन्य संबद्ध सुविधाओं के विकास के लिए 293 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर कुछ स्कीमों का प्रस्ताव किया है ।

(ख) तथा (ग) : राजस्थान में कुछ चुनी हुई झीलों में नौका विहार की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 3.12 लाख रुपए की धनराशि संस्वीकृत की गयी है। पर्यटन विभाग द्वारा मेवाड़ कम्पलैक्स की महायोजना तैयार करने का कार्य नगर व ग्राम आयोजन संगठन को सौंप दिया गया है ।

नवम्बर, 1978 में नई दिल्ली में हुए पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सैक्टर के अंतर्गत विकास क लिए जिन केन्द्रों की सिफारिश की थी, उनके प्रकाश में, राज्य सरकार से परामर्श करके अन्य प्रस्तावों को, धनराशि उपलब्ध होने की शर्त पर तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए, अन्तिम रूप प्रदान किया जाएगा ।

चंदों को कर योग्य आय से छूट दिया जाना

7880. **श्री आर० मोहनरंगम** : **श्री वी० अरुणाचलम** :
श्री के० मायातेवर : **श्री सी० एन० विश्वनाथन** :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर योग्य आय से चंदों को छूट दिये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं कि कर योग्य आय से चंदों की पूरी राशि को छूट दी जाये और शुद्ध राशि पर कर लिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) ऐसा लगता है कि प्रश्न का सम्बन्ध, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन कतिपय निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को दी गयी दान की रकमों की कर सम्बन्धी व्यवस्था से है। उक्त धारा के अन्तर्गत कोई भी करदाता कतिपय शर्तों के अधीन, अपनी कर लगने योग्य आय की संगणना में उसक द्वारा कतिपय निधियों अथवा भारत में स्थापित संस्थाओं में धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दी गयी दान की रकमों क 50 प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती पाने का हकदार है। तथापि, सरकार को अथवा मान्यताप्राप्त स्थानीय प्राधिकरणों संस्थाओं अथवा संगठनों को, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के प्रयोजनार्थ दी गयी दान की रकमें शत-प्रतिशत कटौती पान योग्य होती हैं ।

(ख) और (ग) : विनिर्दिष्ट निधियों और संस्थाओं को दान की रकमों के सम्बन्ध में पूरी कटौती का लाभ देने के लिये सरकार को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। सरकार ने अभी तक ऐसे किसी निधि अथवा संस्था को दी गई दान की रकम के सम्बन्ध में शत प्रतिशत कटौती का लाभ नहीं दिया है ।

प्रत्यक्ष कर कानून समिति (चोकसी समिति) ने भी सिफारिश की है कि धारा 80छ के अंतर्गत कटौती की मात्रा, किसी राष्ट्रीय स्वरूप की निधियों को दिये गये दान की रकमों के शत-प्रतिशत तक बढ़ा दी जानी चाहिए जैसा कि वर्तमान में धारा 80छ में विनिर्दिष्ट है अथवा जैसा भी सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय।" यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निगमों द्वारा डिबेन्चर बांड जारी किया जाना

7881. **श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये विभिन्न निगम राज्य सरकार की गारंटी बिना ही डिबेंचर बोंड जारी कर रहे हैं ;

(ख) ऐसे गारन्टीहीन डिबेन्चर बोंड जारी करने के लिये यदि कोई प्रावधान है तो वे क्या हैं ; उन्हें कौन मंजूरी देता है, राज्य सरकार अथवा कि केन्द्र सरकार ;

(ग) क्या इस प्रकार रुपया उधार लेने का अर्थ 'डिफ़ेफाईनेन्सिग' करना नहीं होता है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों का ध्यान इस ओर दिलाया है कि गारंटी रहित बोंडों में रुपया लगाना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम ऋण दरों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है ;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का विचार आगे क्या कार्यवाही करने का है ;

(च) गारंटी रहित बोंडों में रुपया लगाने से बैंकों को कुल कितनी राशि की आय की हानि हुई ; और

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुउल्लाह) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के निगमों को प्रशासित करने वाली संबंधित सांविधियां अथवा उनके संगम अनुच्छेदों की धाराएं इन निगमों के प्रबंधकों को प्रतिभूतियां जारी करके संसाधन बढ़ाने की अपेक्षित शक्तियां प्रदान करती हैं। अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिये इन निगमों में से कुछ निगम अप्रतिभूत (अनगारंटीड) ऋण पत्र/बांड जारी कर रहे हैं ।

(ग) सम्भवत: इसका घाटे की अर्थव्यवस्था की ओर संकेत है । सरकारी क्षेत्र के निगमों द्वारा, जिनका कि सरकार से अलग (अभिकरण) के रूप में पृथक अस्तित्व है, संसाधन जुटाये जाने से घाटे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं मिलता है ।

(घ) से (छ) : सरकारी क्षेत्र के निगमों द्वारा जारी किये गये अप्रतिभत ऋणपत्रों में बैंकों द्वारा किये गये अंशदान का भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदन नहीं किया है क्योंकि वे बाजार से ऋण लेने के अनुमोदित कार्यक्रमों की, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समर्थित होते हैं तथा योजनागत कार्यक्रमों/परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देन के लिये अपेक्षित साधनों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं, परिधि से बाहर पड़ते हैं। इनसे अनैतिक बातों को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिय भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन) ने अपने सदस्य बैंकों को निदेश दिया है कि वे अप्रतिभूत ऋण पत्रों में अंशदान न करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से कोई निदेश जारी नहीं किये हैं। भारतीय बैंक संघ के निदेशों के अनुपालन पर इस संघ तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी नजर रखी जा रही है। क्योंकि बैंकों से अप्रतिभूत बांडों में अंशदान न करने के लिये कहा जा चुका है, इसलिये बैंकों को ब्याज की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मशियल पाइलट लाइसेंस देने हेतु प्रशिक्षण

7882. **श्री राम लाल राही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन-किन स्थानों पर "कर्मशियल पाइलट लाइसेंस" देने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है और उक्त प्रशिक्षण से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ और कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और क्या इस बारे में तथ्यों सहित ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : देश में इस समय 25 फ्लाइंग क्लब हैं जहां वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण (एक) में दिया गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इस प्रशिक्षण से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या संलग्न दूसरे विवरण (दो) में दी गई है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा उसे एकत्रित करके यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विवरण (एक)

भारत में सिविल फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों की सूची

क्रम सं०	क्लब का नाम	स्थान
1	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब	हैदराबाद
2	आसाम फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	गोहाटी
3	अमृतसर एवियेशन क्लब	अमृतसर
4	बम्बई फ्लाइंग क्लब	बम्बई
5	बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब	बनस्थली विद्यापीठ
6	कोयम्बत्तूर फ्लाइंग क्लब	कोयम्बत्तूर

विवरण-एक--जारी

क्रम सं०	क्लब का नाम	स्थान
7	को-आपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	लखनऊ (कानपुर और वाराणसी में शाखा)
8	दिल्ली फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	नई दिल्ली
9	ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब	रायपुर
10	गुजरात फ्लाइंग क्लब	बड़ोदा (सूरत में शाखा)
11	हिसार एवियेशन क्लब	हिसार
12	केरल फ्लाइंग क्लब	त्रिवेन्द्रम
13	करनाल एवियेशन क्लब	करनाल
14	जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब	जमशेदपुर
15	लुधियाना एवियेशन क्लब	लुधियाना
16	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	इन्दौर (भोपाल में शाखा)
17	मद्रास फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	मद्रास
18	नार्दन इंडिया फ्लाइंग क्लब	जलन्धर छावनी
19	नागपुर फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	नागपुर
20	पटियाला एवियेशन क्लब	पटियाला
21	बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट	पटना (मुजफ्फरपुर) में शाखा
22	गवर्नमेंट एवियेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	भुवनेश्वर
23	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल	जयपुर
24	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल	बंगलौर
25	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	कलकत्ता

नोट :--क्रम सं० 21 से 25 तक के संस्थान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभागीय संस्थानों के रूप में चलाए जाते हैं ।

विवरण (दो)

1-4-1974 से 31-3-1979 तक की अवधि के दौरान फ्लाइंग क्लबवार जारी किये गये वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसों की संख्या

क्रम सं०	क्लब का नाम	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1	मद्रास फ्लाइंग क्लब	5	7	1	2	3
2	करनाल एवियेशन क्लब	2	1	.	2	2
3	गुजरात फ्लाइंग क्लब	2	1	2	7	2
4	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	5	4	.	.	1
5	हिसार एवियेशन क्लब	1	..	2	.	1
6	पटियाला एवियेशन क्लब	9	5	6	4	2
7	बम्बई फ्लाइंग क्लब	..	1	..	..	1
8	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर	.	2	..	..	1
9	लुधियाना एवियेशन क्लब	2	4	3	2	1

विवरण दो--जारी

क्रम सं०	क्लब का नाम	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
10	को-आपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब, लखनऊ . . .	3	2	..	..	3
11	केरला फ्लाइंग क्लब . .	..	..	..	1	1
12	सी० एफ० टी० एम०, हैदराबाद .	4	..	..	..	..
13	नार्दन इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर	2	1	..	..	..
14	नागपुर फ्लाइंग क्लब . .	3	1	1	..	..
15	बिहार फ्लाइंग क्लब . .	3	7	2	1	..
16	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब .	4	2	2	1	..
17	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर	1	..	..	..	..
18	कोयम्बत्तूर फ्लाइंग क्लब .	..	1	..	..	..
19	फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेहाला .	..	..	2	1	..
20	को-ऑपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब, कानपुर . . .	..	..	1	..	..
	योग . .	46	39	22	21	18

योग=1974—79=146

ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण और प्राप्त की गयी जमा राशियां

7883. **श्री के० गोपाल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष और पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों और प्राप्त की गयी राशियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) तमिलनाडु राज्य के लिए इसी प्रकार के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख): सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक) से संबंधित उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :---

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियां और ऋण

(करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित के अंत की स्थिति के अनुसार	जमा राशियां		ऋण	
	कुल	जिसमें से ग्रामीण शाखाओं की राशियां	कुल	जिसमें से ग्रामीण शाखाओं की राशियां
दिसम्बर, 1975 .	11552 (770)	1013 (47)	8604 (850)	536 (54)
दिसम्बर, 1976	14907 (959)	1356 (65)	11670 (1077)	781 (85)
दिसम्बर, 1977 .	17902 (1170)	1720 (86)	12993 (1157)	974 (94)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े तमिलनाडु के हैं।

वर्ष 1978-79 के दौरान निर्यात के लिये कर्नाटक से उपलब्ध शीरा

7884 **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक से वर्ष 1978-79 के दौरान निर्यात के लिये शीरा की कितनी मात्रा उपलब्ध हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इसका निर्यात करने की बजाय इस का निर्यात गैर-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से किया गया ;

(ग) क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि शीरा के टेंकरों को अन्य भागों में ले जाने की तथा कई अन्य समस्याओं के कारण वर्ष 1978-79 के दौरान कर्नाटक में कारखानों से शीरा नहीं उठाया गया ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य से शीरा के निर्यात को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) शीरे का राज्यवार अधिशेष और उसकी उपलब्धता अल्कोहल वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती है जो नवम्बर में समाप्त होता है । अल्कोहोल वर्ष 1978-79 के दौरान कर्नाटक राज्य में 47,000 मे० टन शीरा अधिशेष रहने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) तथा (ग): जी हां । 29 नवम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक निर्यातों का मार्गीकरण समाप्त कर दिया गया था । 1 अप्रैल, 1979 से राज्य व्यापार निगम की मार्फत निर्यात पुनः मार्गीकृत किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने कर्नाटक में उत्पन्न 21,449 मे० टन शीरे का निर्यात किया । 9 मार्च, 1979 तक गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा की गई संविदाओं के लिए निर्यात करने की अवधि 30 अप्रैल, 1979 तक बढ़ा दी गई है ।

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम 5 लाख मे० टन शीरे का निर्यात करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है । इन निर्यातों में कर्नाटक से होने वाले निर्यात भी शामिल होंगे ।

हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

7885. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के प्रधान कार्यालयों और सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी अधिकारी नियुक्त कर लिए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो नियुक्त कर्मचारियों का दर्जा क्या है ;

(ग) क्या हिन्दी अधिकारियों के अभाव में ये कर्मचारी स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इनके द्वारा किए गए अनुवाद आदि का पुनरीक्षण कराने तथा उसे प्रमाणिक बनाने के लिए क्या व्यवस्था है ; और

(ङ) क्या निकट भविष्य में उनके कार्यालय में राजभाषा कार्य के लिये और कर्मचारी रखे जाने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ङ) : पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (मुख्य) और रेल सुरक्षा आयोग को छोड़कर, मंत्रालय के सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं । रेल सुरक्षा आयोग का अनुवाद कार्य फिलहाल मंत्रालय (मुख्य) के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी देख रहे हैं । मंत्रालय (मुख्य) और रेल सुरक्षा आयोग तथा मंत्रालय के संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कई अधीनवर्ती कार्यालयों के लिए और भी हिन्दी पदों के सृजन के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधीन तीन स्वायत्त संस्थान भी हैं । इनमें से भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के पास एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी है और भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान के पास एक अनुवादक है जिसके अनुवाद कार्य का पुनरीक्षण एवं प्रमाणीकरण कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो हिन्दी के अच्छे ज्ञाता हैं, परंतु भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक प्रशासनिक सहायक (हिन्दी) का पद मंजूर तो कर दिया है परन्तु यह पद अभी भरा नहीं जा सका है ।

कोलम्बो योजना के अधीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संख्या 42 के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का दावा

7886. **श्री शिवनारायण सरसनिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कोलम्बो योजना के अधीन ब्रेडफोर्ड (यू० के०) में चलाये जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संख्या 42 के लिये उम्मीदवार प्रायोजित करते समय अनुसूचित जाति के अधिक अर्हता-प्राप्त तथा उच्च अधिकारी के दावे की उपेक्षा की गई ;

(ख) क्या उसी विषय का अनुसूचित जाति का अधिक अर्हताप्राप्त अधिकारी उपलब्ध था ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी अधिकारी आज तक ऐसे पाठ्यक्रम (पर्यटन आयोजना) के लिये प्रायोजित नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित फार्म में इस बारे में लिखित अनुदेशों और सरकार के वर्तमान आदेशों के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम ने कोलम्बो योजना के अधीन पर्यटन आयोजना पाठ्यक्रम सं० 42 के लिए 4 अधिकारियों के दावों पर विचार किया, जिनमें एक अनुसूचित जाति का अधिकारी शामिल था। पर्यटन नीति के वित्तप्रबन्ध, आयोजना, मूल्यांकन और नियंत्रण संवर्धन तथा परियोजनाओं के क्षेत्रों में 5 वर्ष के अपेक्षित अनुभव की तुलना में, विचार करते समय अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के पास भारत पर्यटन विकास निगम में लगभग 2 वर्ष का अनुभव था और उसका अनुभव मुख्य रूप में लेखा-परीक्षा, लेखा तथा कर-निर्धारण के क्षेत्रों में था। इसे दृष्टि में रखते हुए, उसे पाठ्यक्रम के लिए नामित करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं पाया गया।

(ग) तथा (घ) : पर्यटन आयोजना में ब्रेडफोर्ड पाठ्यक्रम के लिए अभी तक पर्यटन विभाग द्वारा केवल 1978 तथा 1979 में उम्मीदवार प्रायोजित किए गए। चूंकि प्रायोजित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे, इसलिए अन्य उम्मीदवारों को नामित करना पड़ा।

पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई तस्करी की घड़ियों सम्बन्धी मामले

7887. **श्री राम किशन :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 मे पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई तस्करी की घड़ियों सम्बन्धी मामलों की संख्या कितनी है और कितनी घड़ियां पकड़ी गई और उनका मूल्य कितना है;

(ख) घड़ियों की तस्करी में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) तस्करी की घड़ियों का आयात तथा निर्यात व्यापार करने वाले व्यक्तियों या फर्मों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि वर्ष 1978-79 के दौरान, पालम हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने घड़ियों की तस्करी के 25 मामले पकड़े और लगभग 6.84 लाख रुपये मूल्य की 1364 घड़ियां पकड़ी। इस सिलसिले में, 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन व्यक्तियों के नाम विवरण (एक) में दिये गये हैं। इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ सीमा शुल्क कानून के तहत समुचित कार्यवाही शुरु की गई। इसी अवधि में, दिल्ली नगर में तस्कर आयात की गई घड़ियों के पकड़ने के मामलों में, 34 व्यक्ति/फर्म ग्रस्त पायी गई। इन व्यक्तियों/फर्मों के नाम विवरण (दो) में दिये गये हैं।

विवरण (एक)

व्यक्तियों के नाम जिन्हें घड़ियों के तस्कर आयात के मामले में ग्रस्त होने के कारण पालम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया।

क्रम संख्या	नाम	क्रम संख्या	नाम
1	आलि अहमद	11	मोनसीह मो मुहम्मद अकबर
2	गाब्रडो एज्जोलिनी	12	हरपाल सिंह
3	उजागर सिंह	13	उदम दादा
4	दलीप सिंह	14	हाजी खवानी
5	सुरिन्दर कौर	15	कुतुबुद्दीन
6	धर्म पाल	16	अता जान
7	श्रीमती मजीत कौर	17	नजर मुहम्मद
8	श्रीमती मानटिप सिला पनोंडी	18	अब्दुल करीम
9	कुमारी नित्य श्रीक्रोंविट	19	अब्दुल मेमोन
10	आर० के० कैलाश	20	स्जोल की

विवरण (दो)

उल्लिखित उन व्यक्तियों/फर्मों के नाम, जिनसे, दिल्ली नगर में माल पकड़ने की कार्यवाही के दौरान, घड़ियां पकड़ी गई थीं

क्रम संख्या	व्यक्तियों/फर्मों के नाम	क्रम संख्या	व्यक्तियों/फर्मों के नाम
1	चन्दर कुमार, दुकान सं० 490, मैन बाजार, सब्जी मण्डी, दिल्ली ।	11	अतौर रहमान, पार्ट इम्पोरियम दुकान नं० 98, न्यू लाजपत राय मार्केट, दिल्ली ।
2	हरविन्दर सिंह	12	श्री कृष्ण
3	राजेन्द्र कुमार गाबा, मैसर्स गाबा ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू लाजपत राय मार्केट, दिल्ली ।	13	गुरचरन सिंह
4	पृथीपाल सिंह, मालिक मैसर्स रायल टाइम्स, 146, न्यू लाजपत राय मार्केट, दिल्ली ।	14	मैसर्स डीलक्स टाइम्स 68, न्यू लाजपत राय मार्केट, दिल्ली का दीना नाथ
5	गोपाल सी० दत्ता	15	देसराज
6	गोविन्द राम	16	मोहन लाल
7	खालिकदाद	17	अमरचन्द जैन
8	मूसा जान	18	अमर जीत सिंह
9	अब्दुल नबी	19	एच० एस० बग्गा
10	गुलाम नकश बन्द	20	खलील अहमद

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

7888. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 के बजट प्रस्तावों के बाद सभी वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी हुई है;

(ग) फरवरी, 1979 में और मार्च, 1979 में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य क्या थे ; और

(घ) इन मूल्यों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) व (घ) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । इस विवरण को देखने से पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं में खाद्य तेलों, वनस्पति और कुछेक विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं । इन वस्तुओं में से कुछ के मूल्य अन्य कारणों के साथ-साथ 1979-80 के बजट में उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि से बढ़े हैं । आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के रूख पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इनके मूल्यों में अनुचित बढ़ती के रूख को रोखने के लिये उपचारी उपाय किये जायेंगे ।

विवरण

वस्तुयें	इकाई, जिसमें सूचना प्राप्त हुई है	दिल्ली निम्न तारीख को मूल्य		मद्रास निम्न तारीख को मूल्य		कलकत्ता निम्न तारीख को मूल्य	
		23-2-79	30-3-79	23-2-79	30-3-79	23-2-79	30-3-79
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल (मोटा)	रु०/कि०ग्रा०	1.80	2.00	1.80	1.70	अप्राप्य	अप्राप्य
गेहूं (लाल) .	रु०/कि०ग्रा०	1.45	1.45	1.50	1.50	1.45	1.45
ज्वार .	रु०/कि०ग्रा०	1.15	1.40	1.20	1.20	1.50	1.50

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
बाजरा	रु०/कि०ग्रा०	1.15	1.10	1.10	1.20	अप्राप्य	अप्राप्य
चना	रु०/कि०ग्रा०	2.30	2.30	2.80	2.70	3.00	3.00
आटा	रु०/कि०ग्रा०	1.75	1.75	1.70	1.70	1.60	1.60
अरहर	रु०/कि०ग्रा०	4.20	4.20	4.60	5.20	5.40	5.00
मूंग	रु०/कि०ग्रा०	4.60	5.00	4.50	5.00	5.20	5.00
मसूर	रु०/कि०ग्रा०	3.50	3.50	3.60	3.40	4.40	4.00
उड़द	रु०/कि०ग्रा०	4.60	4.80	4.00	4.00	4.00	4.00
चीनी	रु०/कि०ग्रा०	2.45	3.00	2.20	2.55	2.60	2.80
मूंगफली का तेल	रु०/कि०ग्रा०	8.50	9.00	7.20	7.60	10.00	10.80
जिंजली का तेल	रु०/कि०ग्रा०	10.00	10.00	8.50	8.80	9.00	9.50
सरसों का तेल	रु०/कि०ग्रा०	9.00	9.50	13.50	12.50	10.00	10.00
नारियल का तेल	रु०/कि०ग्रा०	15.00	15.00	14.00	13.60	18.00	17.00
वनस्पति	रु०/कि०ग्रा०	9.00	10.40	10.00	10.50	11.00	11.50
चाय (चूरा)	रु०/कि०ग्रा०	अप्राप्य	अप्राप्य	10.40	10.50	अप्राप्य	अप्राप्य
आलू	रु०/कि०ग्रा०	0.70	0.60	1.10	1.00	0.80	0.75
प्याज	रु०/कि०ग्रा०	1.20	1.00	0.60	0.80	1.40	1.30
कामन साल्ट	रु०/कि०ग्रा०	0.35	0.35	0.30	0.30	0.50	0.50
मिट्टी का तेल (ग्रेड-1)	रु०/लिटर	1.32	1.42	1.33	1.45	1.26	1.26
कपड़े धोने का साबुन (टाटा 501)	रु०/बार	अप्राप्य	अप्राप्य	1.45	1.45	अप्राप्य	अप्राप्य
दियासलाई की डिबिया	रु०/डिबिया	0.13	0.20	0.12	0.12	0.12	0.15
साफ्ट कोक	रु०/40 कि०ग्रा०	10.68	10.68	अप्राप्य	अप्राप्य	10.50	11.00
सोडा राख	रु०/कि०ग्रा०	[illegible].50	3.50	3.20	3.20	3.00	3.50

स्रोत : वीकली बुलेटिन आफ रिटेल प्राइसिस, कार्यालय, आर्थिक तथा सांख्यिकीय सहालकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय ।

तैयार वस्त्रों के पंजीकृत निर्यातक

7889. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री वस्त्र निर्यातकों के नाम काली सूची में शामिल करने के बारे में 2 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार वस्त्रों के सभी पंजीकृत निर्यातकों ने, जिनका पंजीकरण निलम्बित किया गया था, उनको दिये गये निर्यात कोटे का उपयोग न करने के कारण बता दिये हैं;

(ख) क्या पार्टियों से प्राप्त उत्तरों को सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(ग) कुछ मामलों में निलम्बन आदेश वापस लिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य कुछ मामलों में पंजिकरण रद्द कर दिया गया है और अथवा वित्तीय दंड दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्यातकों के विरुद्ध ठीक-ठीक कब और किन से शिकायतें प्राप्त हुई थी और पंजीकरण निलम्बित करके कार्यवाही कब की गयी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 119 पार्टियों ने अपेक्षित विस्तृत जानकारी दे दी है तथा अपने कोटे के उपयोग न करने के कारण भी बताए हैं।

(ख) 119 पार्टियों से प्राप्त सभी उत्तरों को सदन के पटल पर रखा जाना संभव नहीं है।

(ग) 111 पार्टियों के संबंध में निलम्बन आदेश वापस ले लिए गए हैं क्योंकि उनके स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये गये।

(घ) किसी भी मामले में अभी तक न तो पंजीकरण रद्द किया गया है और न ही कोई जुर्माना डाला गया है।

(ङ) (1) उन मामलों की संख्या जिनमें निलम्बन आदेश वापस ले लिए गए हैं--111

(2) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्यात संवर्धन परिषद से आगे कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है-- 8

(3) विचाराधीन मामलो की संख्या--4

(च) 1978 में समय समय पर वाणिज्य मंत्रालय में शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा 28-12-1978 को निलम्बन आदेश जारी किये गये।

ब्राण्डीज विश्वविद्यालय, वाल्थाम और संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिये गये अपने व्याख्यानों के लिए आयकर का भुगतान

7890. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री 12 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10265 और 28 जुलाई, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच अब पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच के पूरे होने मे लगभग कितना समय लगने की सम्भावना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारु उल्लाह) : (क) तथा (ख) : जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) इस जांच में विदेशी एजेन्सियां अन्तर्ग्रस्त हैं और इसका संबंध एक ऐसे मामले से है जो दस वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस बातको ध्यान में रखने हुए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि जांच कार्य में कितना समय अभी और लगेगा।

एयर इंडिया के बोइंग-747 विमान की दुर्घटना सम्बन्धी जांच न्यायालय की सिफारिशें

7891. **श्री के० राममूर्ति** : क्या पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को बम्बई से दूर हुई एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान की दुर्घटना के कारणों की जांच करने वाले जांच न्यायालय ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जिस जांच अदालत ने एयर इंडिया के बोइंग-747 विमान वी० टी०-ई०वी० डी० की बम्बई के निकट 1 जनवरी, 1978 को हुई दुर्घटना की जांच की थी, उसने निम्नलिखित ग्यारह सिफारिशें की :—

1 एयर इंडिया को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उसके विमान-चालक विमानों के रवाना होने और ऊपर उड़ान भरने को निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़े रूप से अनुपालन करें।

2. यह वांछनीय है कि "एटी टयूड डायरेक्टर इंडिकेटर" के काम करना बंद कर देने की स्थिति में विमान कार्मिकों को क्या मार्ग अपनाना चाहिये इसके बारे में एयर इंडिया द्वारा पूर्ण एवं विस्तृत अनुदेश जारी कर दिये जाने चाहिये जिन में इस बात को स्पष्ट कर दिया जाय की "एटीट्यूड फ्लैग" के प्रकट होने पर "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" में खराबी के पता लगने पर विमान के उड़ान भरने तथा उतरने (take off and landing) जैसी उड़ान की नाजुक स्थितियों में विमान का नियंत्रण दूसरे विमान-चालक को सौंपा दिया जाना चाहिये तथा काम कर रहे "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" तथा "स्टेंड-बाई होराइजन" की सहायता से तत्काल "क्रॉस चेकिंग" का काम किया जाना चाहिये। यह स्पष्ट कर देना भी जरूरी है कि "इनर्शिअल नेवीगेशन सिस्टम-3" पर ट्रांसफर करने का काम तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" के खराब हो जाने का पक्का पता न लग जाये। इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिये कि जहां "एटीट्यूड फ्लैग" के प्रकट हुए बिना "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" में खराबी होती है वहां एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटरों तथा स्टेंड-बाई होराइजन का मिलान किया जाना चाहिये तथा दूसरे उड़ान उपकरणों का प्रयोग करते हुए एटीट्यूड के

नियंत्रण कार्य को बनाये रखना चाहिये, और जब तक सावधानी से "क्रॉस चैकिंग" करके "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" के कार्य-निष्पादन में खराबी को निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर लिया जाता तब तक "ट्रांसफर" की कार्यवाही को रोके रखा जाना चाहिये।

3. जहां तक संभव हो "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" की कार्य-निष्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान कार्मिकों द्वारा बतायी गयी कार्य-निष्पादन में खराबी की प्रकृति के बारे में पूरे ब्यौरे मांगे जाने चाहिए।

4. "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" में बतायी गयी खराबियों की पुष्टि की निम्न प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या यह बताई गयी खराबियों के ब्यौरों की अपर्याप्तता के कारण है या सुविधाओं की कमी अथवा विशेषता की कमी के कारण है और इस संबंध में यथा-आवश्यक रूप से कार्यवाही की जाए।

5. ऐसे मामलों में जहां "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर" में बार-बार ऐसी खराबियां होती हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो सकती वहां यह विमान सुरक्षा के हित में होगा कि ऐसे "एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटरों" को विमान में न लगाया जाए। उनका इस्तेमाल सिम्युलैटरों पर किया जा सकता है।

6. सभी उपलब्ध पैरामीटरों की "सर्विसेबिलिटी, कैलिब्रेशन और रिकार्डिंग" को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकार्डर (ब्लैक बोक्स) के कार्यनिष्पादन की समय समय पर जांच की जानी चाहिये।

7. डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकार्डर (ब्लैक बॉक्स) के आंकड़ों की यदाकदा आकस्मिक जांच की जानी चाहिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि विमान-चालक उड़ान से संबंधित क्रियाविधि का अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं।

8. संरचना संबंधी मरम्मत (Structural repairs) के मामले में "स्ट्रकचरल रिपेयर मैनुअल" मे निर्धारित प्रक्रिया के पूरी तरह पालन करने पर बल दिया जाना चाहिये तथा नागर विमानन के महानिदेशक की सहमति लिये बिना उस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

9. अन्य परिचालकों द्वारा महत्वपूर्ण आदशों/दुर्घटनाओं के बारे में दी गयी किसी भी सूचना को विमान-चालकों/इंजीनियरिंग स्टाफ में प्रचारित करने का कोई तरीका ढूंढ निकालना चाहिये और यदि सम्भव हो सके तो ऐसी घटनाओं/दुर्घटनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया जाना चाहिये। इस के महत्व को "यू०के०सी०ए० ए० एयरोनाटिकल इन्फर्मेशन सर्कुलर नं० 122/72 में स्पष्ट किया गया है जिस में इस बात उल्लेख किया गया है कि "सुरक्षा के मानदण्डों में सुधार लाने के लिये घटनाओं की रिपोर्टें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विमानन से सबध रखने वाले सभी लोग इसे स्पष्ट रूप से जान ले कि आज की घटना कल की दुर्घटना हो सकती है यदि इसकी सूचना दूसरों तक न पहुंचाई गयी या इससे सीखे गये सबक को अमल में नहीं लाया गया (कॉनफ 020/डब्यू पी 27 एजेन्डा आइटम 3.1 से उद्धृत)

10. सिम्युलैटर में "रिकवरी फ्रॉम अनयूजुअल एटिचूड्स" तथा "लिमिटेड इंस्ट्रमैंट पेनल" फ्लाइंग से संबंधित अभ्यासों के स्वरूप का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये तथा अपनायी जाने वाली क्रियाविधि को बताने वाले स्पष्ट अनुदेश जारी किये जाने चाहियें।

11. नागर विमानन के महानिदेशक के लिये यह अत्यावश्यक है कि वह परिचालक के विमानचालकों को किसी स्वतंत्र "चैक पायलट" द्वारा, जिस का किसी भी रूप में परिचालक के साथ कोई संबंध न हो, जांच कराने की व्यवस्था करे।

जांच अदालत द्वारा की गयी उपर्युक्त सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ग्यारह सिफारिशों में से, एक सिफारिश (सिफारिश नं० 2) पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम एशिया के देशों और ईरान को मूंगफली का निर्यात

7892. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हालमें पश्चिम एशिया के देशों और ईरान को मूंगफली के निर्यात की अनुमति देने के बारे में निर्णय किया है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां रिफाइण्ड मूंगफली के तेल की मांग है; और

(ग) क्या तेल में परिशोधन उद्योग की क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से मूंगफली के बजाय इन देशों को रिफाइण्ड मूंगफली के तेल का निर्यात करने के बारे में सरकार ने विचार किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) हाथ से चुनी तथा छंटी हुई मूंगफली का फिर से निर्यात आरंभ करने का विनिश्चय किया गया है और पश्चिम एशियाई देशों सहित सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों का निर्यात किये जाने के लिए एक सीमित कोटा रिलीज किया गया है।

(ख) तथा (ग) : यद्यपि मूंगफली के परिष्कृत तेल के लिए अनेक देशों से मांग है, किन्तु घरेलू स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके निर्यात की अनुमति नहीं दी जा रही है। हाथ से चुनी तथा छंटी हुई मुंगफली का निर्यात उसका तेल निकालने के लिए नहीं बल्कि मुख्यतः एक खाद्य गिरी के रूप में प्रीमियम कीमतों पर किया जाता है।

खजुराहो में आयोजित वार्षिक पर्यटक समारोहों में अधिकार और पर्यटक

7894. **श्री सुखेन्द्र सिन्ह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों के दौरान खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित पर्यटक समारोहों से पर्यटन को प्रोत्साहन देने के बारे में कोई परिव्यय प्राप्त नहीं हुए;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रति वर्ष समारोहों में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों की संख्या पर्यटकों से अधिक होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारियों और पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रखें गये आंकड़ों के अनुसार, खजुराहो जाने वाले पर्यटकों की संख्या 1975-76 में 98,230 से बढ़कर 1978-79 में 1,63,968 हो गयी और इस प्रकार 67% की वृद्धि हुई। खजुराहो समारोह विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों में खजुराहो की यात्रा करने के लिए अधिकाधिक रुचि जगाने में सहायक रहा है।

राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि समारोह अवधि के दौरान केवल समारोह के आयोजन से संबंधित अधिकारी खजुराहों में रहेंगे। समारोह अवधि के दौरान खजुराहो आने वाले यात्रियों के आंकड़ों के अभाव में तथा समारोह के प्रबन्ध के लिए उपस्थित अधिकारियों की संख्या के उपलब्ध न होने के कारण इस संबंध में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं हो सका।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पकड़े गये भारतीयों के विदेशी बैंक खाते

7895. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय (दिल्ली) ने हाल ही में, दिल्ली, गुड़गांव और देहरादून में ली गई तल्लाशियों और सर्वेक्षणों में रिजर्व बैंक की वैध अनुमति के बिना अमरीका, यू० के० और न्यूजीलैण्ड में भारतीयों द्वारा रखे जा रहे 10 विदेशी बैंकों के खातों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) : जी हां। जनवरी 1979 से मार्च 1979 तक की अवधि में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत जांच के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने पांच व्यक्तियों द्वारा खोले गये इस प्रकार के 10 विदेशी बैंक खातों का पता लगाया है। इन पांच व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गुड़गांव का रहने वाला है, तीन देहरादून के और एक नई दिल्ली का। ये खाते न्यूयार्क, लंदन, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न बैंकों में रखे जा रहे हैं। इस संबंध में आगे जांच की जा रही है। इस अवस्था में जांच का ब्यौरा देना निदेशालय द्वारा की जा रही सफल जांच के हित में नही होगा।

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या

7896. **श्री पूर्णनारायण सिन्हा** : **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन विभागों के अंतर्गत सीधे ही, सेवा कर रहे, श्रेणीवार, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) (एक) अनुसूचित जातियों, (दो) अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की, श्रेणीवार, प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने में कोई पिछले बकाया पद हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले बकाया पदों को भरने के लिए इसमें कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

झांसी डिवीजन में कार्य कर रहे आयकर अधिकारियों का स्थानान्तरण

7897. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी डिवीजन के झांसी, ललितपुर, नांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में आयकर अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इस प्रदेश के होकर वहां पर कार्य कर रहे हैं और वे वहां पर कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके मूल निवास स्थान इन जिलों में होने के कारण उनका स्थानान्तरण किया गया था लेकिन ये आदेश रद्द कर दिये गये थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनके उच्च पद पर आसीन होने के कारण उन्हें शीघ्र ही स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1977 और 1978 के दौरान संयुक्त उद्यम प्रस्तावों के माध्यम से प्रायोजित निर्यात व्यापार का मूल्य

7898. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय उत्पादकों का विपणन करने के लिए मंत्रालय की संयुक्त उद्यम समिति द्वारा वर्ष 1977 और 1978 के दौरान कितने संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(ख) एसे संयुक्त उद्यम प्रस्ताव किन स्थानों के लिए हैं और इन दो वर्षों के दौरान ऐसे संगठनों द्वारा कितने मूल्य के निर्यात को प्रायोजित किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री आरिफ बेग)** : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय उत्पादों के विपणन के लिए 1977 तथा 1978 के दौरान अनुमोदित किये गये संयुक्त उद्यम

क्रमांक	सहयोग का क्षेत्र	देश
	1977	
1	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री व मुरम्मत . . .	सऊदी अरब
2	निर्माण व व्यापार	संयुक्त अरब अमीरात
3	सिविल इंजीनियरिंग तथा भवन निर्माण सामग्री का निर्माण व व्यापार . .	संयक्त अरब अमीरात
4	व्यापार कम्पनी	जम्बिया
	1978	
1	किर्लोस्कर कंपनियों के उत्पादों का विपणन	कीनिया
2	साल ऑयल तथा मैंगो ऑयल (कोको मक्खन की एवजी वस्तूएं) का पुनः संसाधन व विपणन	नीदरलैंड
3	सिले-सिलाए परिधान व अन्य सहोत्पाद।	स्विट्जरलैण्ड

1997 तथा 1978 के दौरान जिन 7 उद्यमों को अनुमोदन प्रदान किया गया उनमें से केवल 1 संयुक्त उद्यम चालू हुआ है और इसने अभी तक भारत से कोई निर्यात नहीं किये हैं।

सरकार से सरकार के आधार पर सहयोग करार वाले उद्यम

7899. **श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका, लैटीनि अमरीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य देशों में बड़े भारतीय व्यापार गृहों द्वारा कितने औद्योगिक सहयोग उद्यम प्रारम्भ किये गये और पूंजी निवेश की राशि, उद्योगों की किस्म, अबतक अर्जित लाभ आदि के बारे में संपूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार से सरकार के आधार पर सहयोग उद्यमों के बारे में सभी संगत जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भारतीय बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यम

क्रमांक	भारतीय पार्टी का नाम	सहयोग का क्षेत्र/देश	भारतीय इक्विटी (लाख रु० में)	तकनीकी जानकारी के लाभांशों का भेजा जाना (लाख रु० में)
1	मैसर्स बिरला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० कलकत्ता।	पटसन माल/ उगांडा	28.1	शून्य
2	मैसर्स बिरला ब्रदर्स प्रा० लि० कलकत्ता	हल्का इंजीनियरिंग माल/नायजीरिया	94.2	12.2
3	मैसर्स बिरला ब्रदर्ज प्रा० लि० कलकत्ता	परामर्शी सेवाएं/नाइजीरिया	0.8	शून्य
4	मैसर्स बिर्ला ब्रदर्ज प्रा० लि० कलकत्ता	ऐस्बेस्टास सीमेंट उत्पाद/ब्रिटेन	9.5	शून्य
5	मैसर्स बिरला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि० दिल्ली।	संश्लिष्ट ब्लेंडिड फेब्रिक्स/मलेशिया	83.3	10.1
6	मैसर्स बेरार ऑयल इंडस्ट्रीज बंबई।	ताड़ के तेल का प्रभाजन/मलयेशिया	38.8	24.4
7	मैसर्स दि सैन्चुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० बंबई।	टेक्सटाइल यार्न/इंडोनेशिया	44.4	शून्य
8	मैसर्स भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि० नई दिल्ली	टेक्सटाइल/यार्न इंडोनेशिया	62.7	15.7
9	मैसर्स बिरला ब्रदर्ज प्रा० लि० कलकत्ता।	संश्लिष्ट तथा सूती यार्न/थाईलैंड	19.2	11.9
10	मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि० बिरलाग्राम	विस्कोस स्टेपल फाइबर/थाईलैंड	100.0	8.8
11	मैसर्स इस्टर्न स्पिनिंग मिल्स लि० पीरगाछा	यार्न/फिलीपीन	33.0	शून्य
12	मैसर्स तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लि० सिकन्दराबाद	खोपरा पेरना तथा विलायक निस्सारण/फिलीपीन।	40.8	शून्य
13	मैसर्स ओरियेन्ट पेपर मिल्स लि० कलकत्ता	लुगदी तथा कागज/कीनिया	412.9	32.1
14	मैसर्स ओरियेन्ट पेपर मिल्स लि० कलकत्ता।	कागज/नाइजीरिया	382.5	8.6
15	मैसर्स कुसुम प्रोडक्टस लि० कलकत्ता	तिलहन प्रेरणा तथा विलायक निस्सारण/इंडोनेशिया।	49.0	शून्य
16	मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि० नई दिल्ली	कोटिड आर्ट पेपर/इंडोनिशिया	113.1	8.1
17	मैसर्स करम चन्द थापर एंड ब्रदर्ज लि० कलकत्ता	व्यापार तथा निर्माण/ओमान	2.9	शून्य
18	मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि० नई दिल्ली	निर्माण तथा व्यापार/यू०ए०ई०	2.5	शून्य
19	मैसर्स किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि० बंगलौर	विद्युत मोटर पम्प तथा डीजल/मलयेशिया।	35.9	37.0
20	मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि० पूने	विद्युत चालित पंप/कीनिया	1.1	शून्य
21	मैसर्स किर्लोस्कर आयल इंजिन लि० पूने	डीजल ईंजीन/फिलीपीन	12.0	शून्य
22	मैसर्स किर्लोस्कर आयल इंजिन लि० पूने	मिलिंग मशीनरी आदि तथा डीजल इंजिनों को जोड़ना/पश्चिम जर्मनी।	38.0	20.3
23	मैसर्स टाटा आयल मिल्स लि० बंबई	निष्प्रभावित तेल, ताड़ ओलिइन, साबुन आदि/मलयेशिया।	159.4	63.0

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
24	मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं० लि० बंबई ।	हाई प्रोसीजन टूलिंग्स/सिंगापुर	17.9	शून्य
25	मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं० लि० बंबई ।	वाणिज्यिक मोटर गाडियों को जोड़ना/मलयेशिया ।	48.8	शून्य
26	मैसर्स टाटा एक्सपोर्टस् लि० बंबई . .	संयुक्त व्यापारिक कंपनी/ओमान	8.0	शून्य
27	मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि० कलकत्ता ।	सिलाई मशीनें तथा बिजली के पंखे/श्री लंका ।	4.9	5.2
28	मैसर्स शाहींबाग एंटरपरेन्यूरज प्रा० लि० अहमदाबाद ।	टेरीटावल्स/मारीशस	69.9	शून्य
29	मैसर्स शाहीबाग इंटरपरेन्यूज प्रा० लि० अहमदाबाद ।	पोलिस्टर ब्लेंडिड यार्न/इंडोनेशिया	141.4	50.9
30	मैसर्स कलिन्डी इन्वेस्टमेंटस प्रा० लि० अहमदाबाद ।	भेषजीय / उत्पाद कीनिया	3.0	शून्य
31	मैसर्स साराभाई एम० केमिकल्स, बरोदा .	भेषजीय उत्पाद/मलयेशिया	12.0	शून्य
32	मैसर्स सिंदीया स्टीम नेवीगेशन कं० लि० बंबई	शिपिंग कंपनी/नाइजीरिया	21.6	शून्य
33	मैसर्स रेमेन्ड वूलन मिल्स लि० बंबई ।	उनी वस्त्र/कीनिया . .	66.2	32.7
34	मैसर्स रेमन्ड वूलन मिल्स लि० बंबई	ऊनी सिले सिलाए परिधान/मारीशस ।	13.2	शून्य
35	मैसर्स रेमन्ड वूलन मिल्स लि० बंबई	इंजीनियर्स स्टील फाइल्स एण्ड रास्प्स/इंडोनेशिया ।	8.3	शून्य
36	मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स लि० कानपूर .	संश्लिष्ट फिलामेंट यार्न/कीनिया	183.7	शून्य

जयपुर महल से सोना बरामद किया जाना

7900. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** आपातकाल के दौरान जयपुर महल से बरामद किये गये सोने के निपटान के बारे मे 16-3-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त जप्त आदेश दिये जाने के समय तोते के आकार की 183 ग्राम वजन की सोने की वस्तु बाजार मूल्य क्या था ;

(ख) उक्त वस्तू को जप्त किये जाने के स्थान पर 2000 रूपये के भुगतानपर सहायक नियंत्रक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जयपुर द्वारा छुट की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने विचार किया है कि उक्त आदेश न्यायोचित था अथवा नहीं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नही, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तोते की शक्ल की सोने की वस्तु का बाजार मूल्य कुल 10,000 रू० था ।

(ख) से (ङ) : यह मामला 50 ग्राम से अधिक भार के सोने की वस्तु को घोषित न करने का है । स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 16 (5) (क) के अधिन सोने की उन वस्तुओं की घोषणा करनी होती है जिन का भार 50 ग्राम से अधिक हो । जो भी हो, पार्टी ने सोनेकी परत चढ़ी अपनी वस्तुओं की अस्पष्ट सी घोषणा की थी, जिसे न्याय निर्णय करने वाले अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया । तथापि इस मामले का निर्णय करते समय पार्टी के प्रति नरम रवैया अपनाया गया, क्योंकि इसमे प्रकटतः तस्करी का कोई मामला ग्रस्त नहीं था । सरकार ने, इस आदेश पर पुनः विचार करना

6—173 LSS/ND/79

आवश्यक नहीं समझा क्योंकि न्याय-निर्णय करने वाले अधिकारी द्वारा पारित आदेश कानून सम्मत और पर आधारित है ।

भारत और सोवियत संघ के बीच चावल का निर्यात और खाद्य तेल का आयात

7902. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा हाल ही में सोवियत संघ के साथ किये गये व्यापार समझौता के अन्तर्गत कितने मूल्य के और कितने चावल का निर्यात किया जायेगा और कितने मूल्य के कितने खाद्य तेल का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : भारत तथा सोवियत संघ के बीच 14 मार्च, 1979 को हस्तांतरित करार के अनुसार 1979 में सोवियत संघ द्वारा भारत को 6 लाख टन अपरिष्कृत तेल (खाद्य तेल नहीं) दिया जाना है और उसी वर्ष में भारत द्वारा सोवियत संघ को चावल दिया जाना है जिसका मूल्य अपरिष्कृत तेल के मूल्य के बराबर होगा ।

देसी तम्बाकू का निर्यात

7903. **श्री जी० मल्लिकार्जुन राव :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार ने देसी तम्बाकू का निर्यात करने की अनुमति दे दी है ,

(ख) क्या सरकार ने उक्त तम्बाकू की कोई दरें निर्धारित की हैं ; और

(ग) क्या सरकार उक्त तम्बाकू राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खरीद रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : सभी प्रकार के तम्बाकू के निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से दी जाती है लेकिन फ्ल्यू-क्योर्ड वर्जीनिया, सन-कर्यड वर्जीनिया, सन कर्यड नाटू (देसी) तथा सन-क्योर्ड जट्टी तम्बाकू के निर्यात में न्यूनतम निर्यात कीमतों का अनुपालन करना होता है ।

(ग) जी नहीं । राज्य व्यापार निगम केवल वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करता है ।

पश्चिम बंगाल में आवश्यक वस्तुओं की नियमित सप्लाई

7904 **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को अनियमित सप्लाई पर चिन्ता प्रकट की है और वर्तमान स्थिति के लिए परिवहन विशेषकर जलमार्ग और रेलवे को उत्तरदायी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) : जी हां । पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में नमक, मिट्टी के तेल, कोयला, खाद्य तेलों तथा दालों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है । यह मामला तुरंत संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया ।

खाद्यान्न :

खाद्यान्नों के एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य के भीतर लाने-ले जाने में कुछ कठिनाई अनुभव हुई है । यह रेलों के आने-जाने में हुई संचालन संबंधी कठिनाईयों और साथ ही ट्रकों के पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होने के कारण हुई है । इस बात के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को तथा उसके भीतर खाद्यान्नों के लाने-ले जाने के लिये रेल तथा सड़क परिवहन की क्षमता अधिक से अधिक उपलब्ध की जाये ।

मिट्टी का तेल :

देश में मिट्टी के तेल की कुल उपलभ्यता यू०एस०एस०आर० से इसके प्राप्त होने में विलम्ब होने से प्रभावित हुई है । अन्य स्रोतों से पर्याप्त आयात नहीं किया जा सका । मार्च, 1979 में हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल के लिये मिट्टी के तेल की सप्लाई का बेस है, में मिट्टी के तेल का कम आयात हुआ । इसलिये पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान पश्चिम बंगाल को मिट्टी का तेल देने में कुछ बाध्यता रही है ।

नमक :

वर्ष 1979 की पहली तिमाही में पश्चिम बंगाल को नमक की सप्लाई में कुछ कमी हुई है। इसका कारण यह है कि तटीय नौपरिवहन द्वारा नमक की ढुलाई करने में कठिनाई आई है और साथ ही पश्चिम बंगाल नागरिक पूर्ति निगम रेलवे बोर्ड द्वारा उपलब्ध किये गये विशेष रेकों के उपयोग के लिये अपने लदान कार्य का विशाखन नहीं कर पाया है।

दालें :

दालों के मूल्य, लाने-ले जाने तथा बिक्री पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। तथापि, यह उल्लेख है कि पिछले एक वर्ष के दौरान नेफड ने 22,000 मीटरी टन दालें पश्चिम बंगाल को सप्लाई की है। इसके अतिरिक्त 15,000 मीटरी टन की सप्लाई रेलवे वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सकी है। एन० सी०सी०एफ० ने पश्चिम बंगाल में जनवरी, 1979 में 20.61 लाख रु० तथा फरवरी, 1979 में 6.02 लाख रुपए के मूल्य की तुलना में 31.08 लाख रुपए के मूल्य की दालें बेची हैं।

खाद्य तेल :

राज्य सरकारों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए उनकी मांग के अनुसार रेपसीड तेल दिया जा रहा है। जनवरी और फरवरी, 1979 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रेपसीड तेल की उठाई गई मात्रा संतोषजनक थी। तथापि, मार्च, 1979 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 2,000 मीटरी टन रेपसीड तेल के आबंटन के मुकाबले में 1319 मीटरी टन की मात्रा उठायी है।

सीमेंट तथा कोयला :

कलकत्ता के हड़ताली पटसन कर्मचारियों द्वारा 2000 वैगनों के और दक्षिण पूर्वी रेलव में हड़ताली कर्मचारियों द्वारा 5000 वैगनों का निश्चलीकरण किये जाने से रेलवे द्वारा माल की ढुलाई करने पर प्रभाव पड़ा है। बिहार से कोयले की ढुलाई आरक्षणविरोधी आन्दोलनकारियों द्वारा गाड़ियों के आवागमन में बाधा डालने से प्रभावित हुई है। तथापि, जनवरी-मार्च 1979 के दौरान पश्चिम बंगाल को औसतन 77,000 मीटरी टन सीमेंट प्रतिमास रेल द्वारा पहुंचाया गया। 1000 मीटरी टन आयातित सीमेंट विशाखापतनम से कलकत्ता को भेजा गया।]

(ग) रेलवे, तटवर्ती नौ परिवहन तथा सड़क परिवहन द्वारा ढुलाई करने में आने वाली बाध्यताओं को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। मार्च, 1979 के आखिरी सप्ताह से हाल्दिया बंदरगाह में आयातित मिट्टी का तेल पहुंचना शुरू हो गया है और पश्चिम बंगाल में मिट्टी के तेल की सप्लाई आबंटन के अनुसार किये जाने की उम्मीद है। राज्य व्यापार निगम अपनी रेपसीड तेल की आपूर्ति का कार्यक्रम फिर से बना रहा है। ताकि पश्चिम बंगाल में उक्त राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रेपसीड तेल देने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त स्टाक रखा जा सके।

उच्च अधिकारियों को महंगाई भत्ता

7905. **श्री श्यामलाल धुर्वे :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अधिकारियों को कम वेतन भोगी कर्मचारियों की तूलना में अधिक महंगाई भत्ता दिया जाता है जबकि मूल्य-वृद्धि का सब पर समान प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो समान दरों पर महंगाई भत्ता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) और (ख): तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपनाई गई महंगाई भत्ते की योजना के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, कुछ अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है ताकि कर्मचारियों की विभिन्न श्रणियों के बीच परिलब्धियों के अंतरों में अनुचित रूप से विकृतियां न आएं। जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने के कारण निम्नतर वतन स्तर के कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए फार्मूले में सुधार कर दिया है और उन कर्मचारियों के मामले में, जो 400/- रुपए प्रति माह तक वेतन पा रहे है, जीवन निर्वाह लागत में हुई वृद्धि के लिये 100 प्रतिशत तक निराकरण की व्यवस्था कर दी है। 401/- रुपए से ऊपर के वेतन स्तर के लिए निराकरण की प्रतिशतता अपेक्षाकृत कम है।

निर्यात में कमी और राज्य व्यापार निगम का योगदान

7906. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार निर्यात में कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और राजकीय व्यापार निगम का इस सम्बन्ध में क्या योगदान रहा है;

(ख) क्या निर्यात संवर्धन परिषदों को सुदृढ़ बनाने से भारतीय निर्यात में वृद्धि हो सकती है; और

(ग) सरकार विदेशों में स्थापित आयात संवर्धन केन्द्रों का किस प्रकार लाभ उठा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : नवीनतम अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 1978-79 के पहले ग्यारह महीनों (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत के कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) 4938.28 करोड़ रु० के हुए । पिछले वर्ष के उन्हीं ग्यारह महीनों में 4789.85 करोड़ रु० के अस्थायी आंकड़ों और 4909.27 करोड़ रू० के संशोधित आंकड़ों के मुकाबले में चालू अवधि के दौरान क्रमशः 3.1 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत अधिक निर्यात हुए।

वर्ष 1978-79 में राज्य व्यापार निगम का व्यापार कारोबार 608 करोड़ रू० (अस्थायी) का हुआ जब कि गत वर्ष 557 करोड़ रू० का हुआ था और इस प्रकार लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत के निर्यात के लिये सुरक्षित आधार सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कई उपाय आरम्भ किये हैं जिनसे (1) निर्यात उत्पादन का आधार सुदृढ़ होगा, (2) निर्यात अभिमुख उद्योगों में क्षमता का विस्तार करने को प्रोत्साहन मिलेगा (3) हमारे निर्यातक समुदाय की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि होगी, (4) विकसित और विकासशील दोनों देशों के बाजारों में हमारे उत्पादों के प्रवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और (5) भारतीय अर्थ व्यवस्था को अधिक सापेक्ष कीमत स्थायित्व प्रदान करके हमारी निहित प्रतियोगी क्षमता में सुधार होगा। सरकार के उपायों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि स्थिर नीति ढांचा प्रदान किया गया है ताकि जिन अनिश्चितताओं को दूर किया जा सकता है उन्हें दूर किया जा सके और निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के बारे में दीर्घावधि दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रोत्साहित हो। इन उपायों का एक दूसरा उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अभिकरणों, सरकारी क्षेत्र के संगठनों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों में लगे अन्य राष्ट्रीय अभिकरणों को निर्यात संवर्धन में शामिल करके उसे वास्तव में राष्ट्रीय प्रयास बनाया जाए।

राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हथकरघा तथा हस्तशिल्प व्यापार निगम, निर्यात ऋण गारंटी निगम, व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण जैसे निर्यात संगठनों की भूमिका की फिर से परिभाषा की गई है ताकि वे केवल कार्य अभिमुख ही न रहे बल्कि वे अर्थ व्यवस्था के खास तौर से लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग क्षेत्रों के निर्यात क्षेत्रों के विकास के लिये साधन के रूप में भी काम कर सके। उनको आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की उपलब्धि सुकर बनाने बाजार सम्बन्धी जानकारी और इन क्षेत्रों को ऋण की गारंटी सहित विपणन सम्बन्धी सहायता देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों को भी इस योग्य बनाया जा रहा है ताकि वे निर्यातक समुदाय को सेवा प्रदान करने में अधिक गतिशील भूमिका प्रदान कर सकें। उनकी कार्य-विधिओं को भी सरल बनाया जा रहा है ताकि उनके काम करने के ढंग में अधिक लचीलापन आ जाए।

सरकार, बाजार जानकारी तथा आंकड़े प्राप्त करने, चुनिन्दा उत्पादों के बाजार सर्वेक्षण करने में सहायता, इन देशों में निर्यात संवर्धन दौरों पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों अथवा निर्यातकों के लिये आयातकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये बहुत से मुल्कों में स्थापित आयात संवर्धन केन्द्रों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

वित्त मंत्रालय में राजभाषा क्रियान्वयन समिति का कार्यकरण।

7907. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में राजभाषा क्रियान्वयन के बारे में कितनी समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1978 में प्रत्येक समिति की कितने बैठकें हुई;

(ग) इन समितियों में से प्रत्येक में कितने अनुभाग अधिकारी तथा असिस्टेंट्स समिति के सदस्य के रुप में कार्य कर रहे हैं ;

(घ) कितनी समितियों में प्रत्येक बैठक के लिये सदस्यता में परिवर्तन होता है ; और

(ङ.) ऐसे परिवर्तन कौन करता है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

(घ) तथा (ड़) : ये आन्तरिक समितियां हैं जो सरकार के संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव के ओहदे के अधिकारियों की अध्यक्षता में काम करती हैं। क्योंकि अधिकतर सदस्य पदेन हैसियत से समिति के सदस्य होते हैं, अतः समितियों के गठन में परिवर्तन, अधिकारियों की तबदीलियाँ होने पर हो जाता है। सदस्यता में किये जाने वाले परिवर्तनों को सम्बंधित समिति के अध्यक्ष की अनुमति से विनियमित किया जाता है।

विवरण

विभाग	वित्त मंत्रालय में कार्य कर रही राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या	वर्ष 1978 के दौरान प्रत्येक समिति की कितनी बैठकें हुई	ऐसे प्रत्येक समिति के कितने अनुभाग अधिकारी और सहायक सदस्य हैं
आर्थिक कार्य	एक	तीन	अनुभाग अधिकारी ओहृदे के दो अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं।
बैंकिंग प्रभाग	एक	दो	कोई नहीं।
राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रभाग)	एक	एक	अनुभाग अधिकारी ओहदे का एक अधिकारी समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकों में अनुभाग अधिकारी भी विशेष नियंत्रण पर भाग लेते है।
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड	एक	चार	कोई नहीं।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड .	एक	तीन	कोई नहीं।
व्यय विभाग . . .	एक	एक	कोई भी अनुभाग अधिकारी इस समिति का सदस्य नहीं है, परन्तु अब प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग के प्रभारी सहायक को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है :
रक्षा (वित्त) प्रभाग . .	एक	दो	तीन अनुभाग अधिकारी समिति के सदस्य हैं।
लोक उद्यम ब्यूरो . .	एक	तीन	चार अनुभाग अधिकारी समिति के सदस्य हैं।

पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियां

7908. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियां बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में तस्करी क्रिया कलापों पर नियंत्रण बना हुआ है । तथापि, पश्चिमी तट के साथ-साथ तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिये तस्करी-निवारक तंत्र को पूर्ण सतर्क रखा गया है । इसके अलावा, तस्करी निवरक उपायों को भी सुदृढ़ किया गया है । इनमें निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को मजबूत बनाना और उसकी उचित रूप से पुनः तैनाती करना तथा उनको मुहैया किये गये तस्करी निवारक उपस्करों के अधिक प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना, समुद्र तट के साथ-साथ तथा महत्वपूर्ण भू-मार्गों की गश्त बढाना, हवाई अड्डों पर अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता बरतना और तस्करी की सम्भावना वाले पत्तनों से आने वाले जहाजों की पूर्ण तलाशी लेना शामिल है ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को सप्लाई किये गये हिन्दी टाइपराइटर

7909. **श्री राजशेखर कोलूर** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को कितने हिन्दी टाइपरायटर सप्लाई किये गये ;

(ख) क्या उन शाखाओं को कन्नड़, तेलगू, तमिल और मलयालम में टाइपरायटर सप्लाई किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो किन शाखाओं को कितने टाइपरायटर सप्लाई किये गये ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संयुक्त प्रचार समिति का गठन

7910. **श्री श्रीकृष्ण सिंह** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंको ने एक संयुक्त प्रचार समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त प्रचार समिति के सदस्यों के नाम क्या है ।

(ग) चालू और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए समिति का कुल बजट कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार समिति को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से अपने विज्ञापन देने के लिए निदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति में भारतीय स्टेट बैंक, उसके सात अनुषंगी बैंक तथा चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक हैं । भारतीय स्टेट बैंक इस समिति का आयोजक है ।

(ग) समिति के लिए वार्षिक बजट जैसा कोई बजट नहीं है । फिर भी 1978 में समिति ने निर्णय किया था कि बैंको की ओर से संयुक्त प्रचार अभियान चलाने के लिए 10 लाख रुपये की राशि इकट्ठी की जाय ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और स्वायत्तशासी निकायों आदि के विज्ञापनों के संबंध में विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय की भूमिका के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंको की संयुक्त प्रचार समिति के लिए अपने विज्ञापन, विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से देना जरूरी नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	प्रश्न : (क) दक्षिण भारत की शाखाओं को हिन्दी के कितने टाईपराइटर दिये गये हैं ?	(ख) क्या दक्षिण भारत की शाखाओं को कन्नड, तेलुगु, तमिल तथा मलयालम् भाषा के टाइपराइटर दिये/सप्लाई किये जाते हैं ?	(ग) यदि दिये गये तो किन शाखाओं को तथा कितने	(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय रिजर्व बैंक	तीन	नहीं	लागू नहीं होता ।	दक्षिण भारत के बैंकों में अभी भी अंग्रेजी में काम किया जाता है । इन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बहुत सीमित, अर्थात हिन्दी आदि में प्राप्त पत्रों के उत्तर देने के लिए ही किया जाता है । क्षेत्रीय भाषाएं अर्थात कन्नड, तमिल तथा मलयालम का प्रयोग हमारे आन्तरिक कार्य, पत्र व्यवहार आदि में नहीं किया जाता है । इसलिए, क्षेत्रीय भाषाओं के टाइपराइटरों की आवश्यकता महसूस नहीं होती ।
2	भारतीय स्टेट बैंक	शून्य	जी, हां ।	20 टाइपराइटर निम्नलिखित शाखा कार्यालयों को दिये गये :— कत्तूर अदब, लालगुडी, नन्नीलाम, ओमालूर पापनसम, तिरुवरुर, बडापथी, बंगलम, अद्ध, तुराईयूर, अवंशी, तिरुवडाराय, वेरी पारूलम, तिरुपत्तूर (आर०डी०) उराथानाद, गुडालूर, पट्टूकोटाई, शिवगंगा, सिरकाली, कुलियालाई, तल्लालम और भाषा कक्ष, एल० एच० ओ मद्रास ।	
3	इलाहाबाद बैंक	शून्य	नहीं	लागू नहीं होता है ।	इन शाखाओं में कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है । इसलिए किसी दूसरी भाषा के टाइपराइटर की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी ।

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
4	बैंक ग्राफ बरोड़ा	दो	नहीं	शून्य	चूंकि कार्यालय का काम अधिकतर अंग्रेजी में किया जाता है इसलिए कोई टाइपराइटर की मांग नहीं की गई।
5	बैंक ग्राफ इंडिया	शून्य	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	शाखाओं ने हिंदी टाइपराइटरों के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है।
6	बैंक ग्राफ महाराष्ट्र	शून्य	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	बैंक की दक्षिण में केवल सम्पर्क शाखाएं हैं। वहां पर अधिकार काम अंग्रेजी में किया जाता है।
7	सैन्ट्रल बैंक ग्राफ इंडिया	शून्य	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	अभी तक इन शाखाओं में कोई आवश्यकता नहीं थी।
8	केनरा बैंक	एक	जी, हां	मुख्य कार्यालय बंगलौर में एक हिन्दी तथा एक कन्नड भाषा का टाइपराइटर है। दक्षिण मंडल कार्यालय, बंगलौर में एक कन्नड टाइपराइटर। मंडलीय कार्यालय, मद्रास में एक तमिल टाइपराटर। मंडलीय कार्यालय, त्रिवेन्द्रम में एक मलयालम टाइपराइटर।	
9	देना बैंक	शून्य	नहीं	लागू नहीं होता।	आमतौर पर कार्य अंग्रेजी में किया जाता है इसलिए ऐसे टाइपराइटरों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं हुई।
10	इंडियन बैंक	एक	नहीं	मुख्य कार्यालय में एक हिन्दी टाइपराइटर है।	दक्षिण की शाखाओं से ऐसे टाइपराइटरों के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया।
11	इंडियन ग्रोवरसीज बैंक .	दो	जी, हां।	केन्द्रीय कार्यालय, मद्रास में दो हिन्दी टाइपराइटर है। केन्द्रीय कार्यालय, मद्रास में एक तमिल टाइपराइटर है। चौघाट शाखा में एक मलयालम टाइपराइटर।	दक्षिण भारत की अन्य शाखाओं में ऐसे टाइपराइटरों की आवश्कयता नहीं है।
12	पंजाब नेशनल बैंक	शून्य	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	संबंधित शाखाओं से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई।
13	सिंडीकेट बैंक .	चार	जीं, हां	मुख्य कार्यालय में दो हिन्दी टाइपराइटर। बंगलौर तथा हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक एक हिन्दी का टाइपराइटर। मुख्य कार्यालय में 4 कन्नड भाषा के टाइपराइटर।	दक्षिण भारत में पत्र व्यवहार का माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी है। इसलिए अन्य भाषाओं के टाइपराइटर नहीं दिये जाते है।

14	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	शून्य	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग रोजमर्रा के काम में नहीं किया जाता इसलिए क्षेत्रीय भाषाओ के टाइपराइटर सप्लाई नहीं किये जाते ।
15	यूनियन बैंक आफ इंडिया	शून्य	नहीं	लागू नहीं होता	अहिन्दी भाषी क्षेत्रो में होने के कारण, बैंक के पास हिन्दी का इतना काम नहीं आता जिससे कि बैंक कि टाइपराइटरों तथा टाइपिस्टो की मांग को उचित ठहराया जा सके।
16	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	शून्य	नहीं		हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त होने वाले पत्र बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए इन शाखाओ में उत्तर आदि हाथ से ही लिखे जाते हैं ।
17	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ।	शून्य	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	किसी भी शाखा में इसकी आवश्यकता नहीं है ।
18	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	इस बैंक की दक्षिण भारत के राज्यों में कोई शाखाएं नहीं है ।			
19	स्टेट बैंक आफ मैसूर	शून्य	नहो	शून्य	इन शाखाओं में पत्र व्यवहार का माध्यम आम तौर पर अंग्रेजी है ।
20	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	शून्य	नहीं	लागू नहीं होता	इन शाखाओं में स्थानीय भाषाओं के प्राप्त होने वाले पत्रादि बहुत कम होते हैं जिसके कारण यहां ऐसे टाइपराइटर नहीं दिये गये ।
21	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	एक	जी, हां	मुख्य कार्यालय में एक हिन्दी का टाइपराइटर मुख्य कार्यालय में एक मलयालम टाइपराइटर	चूंकि बैंक में, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओ में प्रवीणता प्राप्त टाइपिस्ट नहीं हैं तथा ऐसे टाइपराइटर फिलहाल नहीं दिये जा रहे :
22	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद .	मुख्य कार्यालय, हैदराबाद मे एक टाइपराइटर	जी, हां	मुख्य कार्यालय, हैदराबाद में एक तेलुगु टाइपराइटर है ।	शून्य
23	स्टेट बैंक आफ पटियाला .	शून्य	नहीं	नहीं	बैंक की दक्षिण भारत में केवल तीन शाखाएं हैं—बंगलौर, हैदराबाद तथा मद्रास में एक शाखा । इन शाखाओं का आन्तरिक कार्य अंग्रेजी में किया जाता है ।

बैंक नोट प्रेस, देवास में निर्मित स्याही

7911. **श्री ब्रज राज सिंह : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** बैंक नोट प्रस देवास के लिये स्याही के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 89, दिनांक 21 जुलाई, 1978 के उत्तर के संबंध में यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक नोट प्रेस, देवास, में जून, 1975 से जुलाई, 1978 तक, वर्ष वार कितनी स्याही का उत्पादन हुआ ;

(ख) अन्य फैक्टरियों को कितनी स्याही बेची गई तथा स्वयं बैंक नोट प्रेस, देवास में कितनी मात्रा की खपत हुई और अभी तक भण्डार में कितने मूल्य की स्याही है ;

(ग) क्या जिन फैक्टरियों को इस स्याही की सप्लाई की गई थी उनसे स्याहीं की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और ऐसी स्याही की मात्रा तथा मूल्य क्या है जिसे दोषपूर्ण पाया गया तथा जिसे किसी प्रकार से भी उपयोग में नहीं लाया जा सका;

(घ) ऐसी स्याही की मात्रा तथा मूल्य क्या है जिसे दोषपूर्ण पाया गया तथा जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सका; और

(ङ) क्या इस दोषपूर्ण स्याही को उपयोग के लिये दोषमुक्त करने के लिये इसे बार-बार मशीनों से संसाधित किया गया और यदि हां, तो उसमें कितना श्रम लगा तथा उस पर कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :--

(मेट्रिक टन में)

अवधि	बैंक नोट प्रेस के स्याही कारखाने में तैयार की गई स्याही	बैंक नोट प्रेस से भिन्न मुद्रण प्रेसों को भेजी स्याही
1975–76 (जून 1975 से मार्च 1976 तक)	160.156	23.835
1976–77	182.956	40.649
1977- 78	195.860	62.790
1978– 79 (जुलाई 1979 तक) .	59.527	16.103

17 अप्रैल, 1979 तक स्याही कारखाने के भण्डार में बैंक नोट प्रेस में इस्तेमाल के लिए निर्धारित स्याहियों से भिन्न स्याही 1.075 मेट्रिक टन थी, जिसकी कीमत लगभग 52,000 रुपया थी । इसके अतिरिक्त, प्रेस की प्रिंटिंग मशीनों से, प्राप्त इस्तेमाल की गई स्याही की 10.505 मैट्रिक टन छीजन भी भण्डार में थी, जोकि और ज्यादा काले रंग की स्याहियों के निर्माण के लिए थी ।

(ग) कुछ एक मामलों में, केवल इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस नासिक ने ही, जिसे बैंक नोट प्रेस ने स्याही दी थी, स्याही में केवल इसलिए सुधार करनेके लिए कहा था कि वह स्याही उनके मुद्रण विभागो में विद्यमान तापमान तथा नमीं की स्थिति में मुनासिब रहे, न कि इसलिए कि स्याहीं में कोई दोष हैं, बैंक नोट प्रेस देवास के द्वारा मुहैया की गई स्याही की किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं थी ।

(घ) तथा (ङ) "क्विक सैट" स्याही के ब्रांड नाम की 0.475 मैट्रिक टन स्याही के अलावा, जो कि प्रयोगात्मक आधार पर बनाई गई थी, ऐसी कोई स्याही नहीं थी जिसे पिछले तीन वर्षों में इस्तेमाल में न लाया जा सकता । चूंकि इस स्याही को फिर संसाधित करने के बाद भी इस्तेमाल में लाया जाना संभव नहीं था, इसलिए इसे फिर से संसाधित किया ही नहीं गया । किसी भी अनुसंधान तथा विकास के काम में इस प्रकार इतनी सी चीज का बेकार चले जाना सामान्य बात है ।

कलकत्ता से विमान सेवाओं में विलम्ब

7912. **प्रो० समर गुह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28-2-79 के कलकत्ता स्टेट्समैन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बोइंग 737 के अभाव में कलकत्ता से विमान सेवाओ में अकसर विलम्ब हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कलकत्ता हवाई अड्डे से विमान सेवाओ में कितनी बार विलम्ब हुआ ;

(ग) उक्त समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कलकत्ता हवाई अड्डे पर आने वाली और वहां से चलने वाली उड़ानों के बारे में ठीक समय सूची बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 7356 उड़ानों में से, 3474 उड़ानें देरी से हुई। इनमें से, 2635 देरियां मौसम आदि जैसे ऐसे कारणों से हुई जो कारपोरेशन के नियंत्रण से बाहर थे, जबकि 839 देरियां विमान संधारण संबंधी तथा परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से हुई।

(ग) और (घ) : कारपोरेशन का यह सदा प्रयत्न रहता है कि उड़ान सुरक्षा के उच्चतम स्तरों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ देरियो को भी कम से कम किया जाए। सभी नियंत्रण योग्य देरियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है उपचारी कार्यवाही की जाती है।

मूंगफली का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात

7913. **श्री निहार लास्कर :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि मुन्गफली का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी आपत्ति का मुख्य कारण क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि खाद्य तेलों का सारा निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत के खाद्य तेलो के निर्यात की अनुमति साधारणतया नहीं दी जा रही है।

खाड़ी के देशों के लिये विमान सेवाओं में यात्रा एजेंसियों द्वारा सीटों का एक साथ आरक्षण

7914, **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रा एजेंसियों को इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया की विमान सेवाओं में त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए उचित नामों तथा पारपत्रों की संख्याओं के बिना सीटों का एक साथ आरक्षण करने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीटो के इस एक साथ आरक्षण के कारण टिकटों की चोर बाजारी और अन्य कदाचार होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा की गयी सूचना के अनुसार "ट्रेवल एजेंसियों" को सामूहिक रूप से (enbloc) सीट आरक्षित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में दांतवाला समिति का प्रतिवेदन

7915. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दांतवाला समिति के प्रतिवेदन में देश में अधिक संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना करने की सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) जी, हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के निष्पादन के मुल्यांकन के आधार पर दांतवाला समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान सहकारी ढांचा, वाणिज्यिक बैंको की शाखाओं का जाल, ऋण अन्तर तथा ऐसी अन्य संबद्ध बातो को ध्यान में रखते हुए और अधिक ग्रामीण बैंक खोले जाने चाहिए।

(ख) जी, हां।

(ग) बारह स्थानों का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए अनुमोदन किया गया है। मार्च, 1979 के अंत तक आठ नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की जा चुकी है तथा अन्य स्थानों के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

7916, **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने बंगाल-बिहार औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भीम-कुण्ड परियोजना के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग तथा ऊर्जा मंत्रालय को यह अभिवेदन किया कि भीमकुण्ड परियोजना, केन्द्रीय आयोजना के एक अंश के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाए।

(ख) राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि निधि देने, निष्पादित करने तथा अन्य संबंधित मामलो से संबंधित प्रश्नों की जांच करने से पहले यह उचित होगा कि पहले परियोजना की तकनीकी-आर्थिक अर्थ-क्षमता को स्थापित किया जाए। केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा परियोजना की रिपोर्ट की जांच की जा रही है, तथा केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की टीका टिप्पणियों पर राज्य सरकार से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

नर्मदा परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता

7917, **श्री छविराम अर्गल :**

श्री राघवजी :

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस परियोजना में नर्मदा जल प्रणाली के वे सभी विकास कार्य शामिल हैं जिनका प्रस्ताव मध्य प्रदेश ने किया है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नर्मदा नदी विकास के लिए प्राप्त होने वाली विदशी वित्तीय सहायता न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार नर्मदा नदी के लिए आवंटन के अनुपात में संबंधित राज्यों के लिए निर्धारित की जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : नर्मदा नदी विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1978 में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। केन्द्रीय सरकार और गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारो ने 15 नवम्बर, 1978 को न्यायाधिकरण से कुछ मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण और निर्देशन मांगा है। न्यायाधिकरण से और रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी बीच संगठनात्मक ढांचे, नर्मदा घाटी के समूचे विकास के आयोजन राज्यो की छठी पंचवर्षीय आयोजनाओं के लिए संबंधित राज्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले धन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगने वाले समय आदि से सम्बद्ध मामलो पर राज्यो, योजना आयोग और संबंधित मंत्रालयों / विभागो के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है। विदेशी सहायता के लिए नर्मदा परियोजनाओं को विश्व बैंक समूह अथवा किसी अन्य विदेशी अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रश्न और किस राज्य को कितनी सहायता दी जानी है,— यह इस विचार-विमर्श के अन्तिम परिणाम पर ही निर्भर करता है।

देश के बाहर भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योग और उन्हें हुआ लाभ और घाटा

7918. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बाहर भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन उद्योगों में कितनी धनराशि लगाई गई है ;

(ग) ये उद्योग किन देशों में स्थित हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में लाभ के रूप में भारत में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ङ) क्या सरकार ने भी भारत के बाहर कोई उद्योग स्थापित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनमे कितना लाभ अर्जित किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) माननीय सदस्य का आशय संभवत: विदेशों में स्थापित औद्योगिक व अन्य भारतीय संयुक्त उद्यमों से है। इस समय ऐसे 107 संयुक्त उद्यम कार्य कर रहे हैं। भारतीय उद्यमियों का इन संयुक्त उद्यमों की इक्विटी पूंजी में हिस्सा है।

(ख) इस समय कार्य कर रहे इन संयुक्त उद्यमों में भारतीय निवेश लगभग 27.7 करोड़ रु० है।

(ग) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यमों से प्राप्त राशियों के संबंध में भारतीय पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर अनंतिम आंकड़े निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	लाख रु० में
1975–76	171
1976–77	161
1977–78	128

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय संयुक्त उद्यमों का देशवार विश्लेषण

क्रमांक	देश	संयुक्त उद्यमों की सं०	क्रमांक	देश	संयुक्त उद्यमों की सं०
1	अफगानिस्तान	1	13	नेपाल	1
2	बहरीन	1	14	नाइजीरीया	6
3	कनाडा	1	15	ओमान	3
4	फिजी	1	16	फिलीपीन	3
5	फ्रांस	1	17	सिंगापुर	5
6	हांगकांग	1	18	श्रीलंका	3
7	इंडोनेशिया	8	19	थाइलैंड	5
8	ईरान	1	20	उगांडा	1
9	कीनिया	8	21	सं० अ० अमीरात	9
10	कुवैत	1	22	ब्रिटेन	5
11	मलयेशिया	27	23	सं० रा० अमरीका	6
12	मारिशस	8	24	पश्चिम जर्मनी	1
				योग	107

चाय बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि

7919. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड द्वारा स्वीकृत मशीनरी की किराया खरीद और सिंचाई उपकरणों की किराया खरीद के अन्तर्गत अधिकतम राशि क्या है ; और

(ख) इन ऋणों की मंजूरी देने के लिये क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) बोर्ड की किराया खरीद योजना के अन्तर्गत एक चाय बागान को सप्लाई की जा सकने वाली मशीनों और उपस्कर की कुल राशि 10 लाख रु० निर्धारित की गई है और सिंचाई उपस्कर के लिये अधिकतम राशि भी 10 लाख रु० है। किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों के लिये ऋण इस शर्त पर किया जाता है कि एक चाय बागान के खाते में किसी समय भी बकाया ऋण 10 लाख रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) बोर्ड की किराया खरीद योजना उन सभी चाय कम्पनियों तथा चाय बागानों पर लागू होती है जिनके अपने निजी कारखाने हैं और साथ ही साथ उन चाय कारखानों पर भी लागू होती है जो कि किसी चाय बागान से संलग्न नहीं है। आवेदक चाय बागानों को विहित फार्म में आवेदनपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जिसमें आवश्यक ब्यौरा दिया जाता है।

इन आवेदनपत्रों की, आवश्यकताओं की अनिवार्यता, चाय बागानों की वर्तमान कार्य दशा, भावी संभाव्यताओं, वित्तीय स्थिति आवेदक की साख तथा ऐसे अन्य कारको जिन्हें संगत समझा जाता है, के सन्दर्भ में चाय बोर्ड के कार्यालय में जांच की जाती है। इसके पश्चात आवेदन की गई मदों की सप्लाई करने में अन्तर्ग्रस्त राशि के लिये वित्तीय स्वीकृति चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष / अध्यक्ष से, चाय बोर्ड के वित्तीय सलाहकार की वित्तीय सहमति से प्राप्त की जाती है किन्तु बोर्ड द्वारा यथा समय उसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।

दिल्ली में आयोजित सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों का सम्मेलन

7920. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 मार्च, 1979 से 11 मार्च, 1979 तक दिल्ली में सहकारी समितिमों और सहकारी बैंकों का एक सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन किसने आयोजित किया था और इस पर कुल कितना व्यय हुआ ! और

(ख) इस सम्मेलन में दिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और इनके कार्यान्वियन के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : (क) सहकारी समितियों और सहकारी बैंको का दिल्ली में 9 मार्च, से 11 मार्च, 1979 तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा उक्त अवधि के दौरान आठवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें सहकारी बैंकों तथा अन्य सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस कांग्रेस पर अब तक लगभग 8.20 लाख रु० व्यय किये जा चुके हैं और 50,000 रु० के बिलों के बारे में अभी बातचीत चल रही है।

(ख) कांग्रेस द्वारा किये गये प्रमुख निर्णयों/अपनाये गये प्रमुख प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। औपचारिक कार्यवृत्त अभी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा जारी किया जाना है।

विवरण

आठवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस की महत्वपूर्ण सिफारिशें

आर्थिक लोकतंत्र

1. राष्ट्रीय सहकारिता आयोग नियुक्त करने के लिए अब समय उपयुक्त है।

2. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।

3. संसद् तथा राज्य विधान मंडलों में सहकारिता समर्थक वर्ग तैयार किये जाने चाहिये।

4. सहकारी समितियों को राज्य विधान मंडलों तथा संसद् में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

5. सरकार से आग्रह किया गया है कि सहकारी प्रशासन का गैर सरकारीकरण तथा विकेन्द्रीकरण किया जाये, ताकि लोगों को इसमें प्रभावी रूप से भी लेना सुनिश्चित हो सके।

6. सहकारी समितियों के माध्यम से समन्वित ग्राम विकास का एक समयबद्ध कार्यक्रम विनिर्दिष्ट समय में कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

7. सहकारिता का विषय भारत के संविधान में शामिल किया जाना चाहिये और उसमें इसके सिद्धान्तो को उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।

सहकारी ऋण

8. क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को अल्प विकसित राज्यों में ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिये अधिक धन देना चाहिये।

9. सभी एजेन्सियों द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋण की ब्याज दर में एकरुपता होनी चाहिये।

10. दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कृषि ऋण ढांचे का एकीकरण नहीं किया जाना चाहिये।

11. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को फसल बीमा शुरू करने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिये।

विवरण--जारी

महिलाएं तथा युवक

12. महिलाएं सह सदस्यों के रूप में ली जानी चाहिये और उन्हें समितियों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये ।

13 सहकारी समितियों में महिला विंग तथा युवक विंग गठित किये जाने चाहिये ।

14. महिलाओं तथा युवकों के लिये विशेष सहकारी शिक्षा कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये ।

मानव साधनों का विकास

15. सदस्य-शिक्षा कार्यक्रम का राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ एकीकरण किया जाए ।

16. राष्ट्रीय राज्य तथा जिला स्तरों पर सहकारी सेवा आयोग का गठन करने की आवश्यकता है ।

17. शिक्षा तथा प्रशिक्षण के सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए सहकारी आन्दोलन द्वारा अन्तरिक साधनों से अधिक धन जुटाया जाना चाहिये ।

18 सहकारी संघों को सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण निधि बनानी चाहिये ।

औद्योगिक नीति तथा सहकारी समितियों की भूमिका

19. सरकार को औद्योगिक तथा बुनकरों की सहकारी समितियों के कार्यों को जांच करने के लिये ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के आधार पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करनी चाहिये ।

20. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को कताई मिलों तथा हथकरघा सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये ।

21. इस बात की आवश्यकता है कि औद्योगिक सहकारी समितियों तथा विपणन और उपभोक्ता सहकारी समितियों के बीच प्रभावी व्यापारिक संबंध स्थापित किये जाये ।

22. सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के कार्यक्रम तथा नीतिया इस तरह से तैयार करनी चाहिये कि सहकारी समितियों के विकास में सहायता मिले ।

शहरी सहकारी ऋण

23. शहरी सहकारी बैंकों को बीमा कम्पनियों/निगमों को ओर से प्रीमियम लेने की अनुमति दी जाये ।

24. शहरी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा दिया गया अनिवार्य जमा अंशदान आयकर में रियायत देने के लिये भविष्य निधि में जमा की जाने वाली राशि के समान माना जाना चाहिये ।

25. सभी शहरी ऋण संस्थाओं को वाणिज्यिक बैंकों के समान अर्बन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेग्युलेशन एक्ट, 1976) के सभी प्रतिबंधात्मक उपबंधों से छूट मिलनी चाहिये ।

सहकारी विपणन

26. कुछ प्रमुख कृषि पदार्थों की सहकारी विपणन क्षेत्र के माध्यम से एकाधिकारी वसूली करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है ।

27. सस्ते तथा उधार विपणन वित्त की समस्या सुलझायी जा सकती है, यदि एक राष्ट्रीय सहकारी विकास बैंक विद्यमान हो ।

28. गोदामों, शीत भंडारों और संसाधन एककों के निर्माण के लिए मंजूर किये जाने वाले ऋणों के ब्याज तथा ऋण की किस्तों के भुगतान का एकक के कार्यारम्भ करने तक स्थापन होना चाहिए ।

29. नष्ट होने वाली फसलों के लिए समर्थन मूल्य उपलब्ध करने की एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए ।

30. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सीधे ही सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए और राज्य सरकारों के माध्यम से नहीं ।

31. कारगर अन्तः सहकारी संबंध बनाने के लिए एक व्यावहारिक योजना तैयार तथा कार्यान्वित की जानी चाहिए ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

32. जब तक एक कारगर दो स्तरीय ढांचे का निर्माण नहीं होता है, तब तक सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन के वर्तमान स्तरों के माध्यम से वर्तमान कार्य चलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

विवरण—समाप्त

33. सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को रियायती दरों पर वित्त सुलभ किया जाना चाहिए।

34. बिचौलियों को हटाने के लिये राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को कुछ उपभोज्य उत्पादों का विनिर्माण करने का कार्य करना चाहिये।

35. उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रबंध का व्यवसायीकरण किया जाना चहिये।

सहकारी गृह-निर्माण

36. राष्ट्र तथा शीर्षस्तरीय सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं को ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

37. सरकार को चाहिए कि वह अपने द्वारा अधिग्रहण की गई फालतू भूमि का 40 प्रतिशत भाग सहकारी गृह-निर्माण समितियों को आबंटित करे।

38. सहकारी गृह-निर्माण समितियों को स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि से छूट दी जानी चाहिये।

श्रमिक सहकारी समितियां

39. राज्य सरकार को राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक "श्रमिक तथा निर्माण समिति मंडल" गठित करना चाहिए जिसे श्रमिक तथा निर्माण सहकारी समितियों का निरन्तर विकास सुनिश्चित हो सके।

40. राज्य सरकारों को श्रमिक भुगतान आदि सुनिश्चित करके श्रमिक तथा निर्माण समितियों की सहायता करनी चाहिए।

41. भारतीय रिजर्व बैंक को श्रमिक तथा निर्माण समितियों की सहायता करने के लिए एक अलग निधि बनानी चाहिए।

42. श्रमिक सहकारी समितियों को लेबर कान्टेक्ट एक्ट लागू किये जाने से छूट दी जाये।

"महाराष्ट्र कैश्यू यूनिट्स सैन्ट्रल ऐड सौट" शीर्षक से समाचार

7921. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 मार्च, 1979 के "इकानामिक टाइम्स" में (नई दिल्ली संस्करण) "महाराष्ट्र केश्यू यूनिट सैन्ट्रल ऐड सौट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गंभीर वित्तीय संकट दूर करने और दस हजार लोगों को बेरोजगार होने से बचाने के लिये महाराष्ट्र काजू उद्योग की मांग कहां तक पूरी की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) : जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली स्थित सिनेमा गृहों द्वारा अदा किया जाने वाला आयकर/अन्य कर

7922. **श्री के० लकप्पा :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'इंडियन एक्सप्रेस' दिनांक 13 मार्च, 1979 में छपे इन समाचारों का पता है कि दिल्ली के सिनेमाओं द्वारा आयकर/अन्य करों के लाखों रु० की अदायगी करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) करों की वसूली के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) से (ग) : सरकार को, 13 मार्च, 1979 के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली सिटी प्रकाशन) के पृष्ठ 3 पर "सिनेमा हाउसेज इन कैपिटल ओ ह्यूज टैक्स एरियर्स" शीर्षक से छपे समाचार की जानकारी है। इस समाचार का सम्बन्ध राजधानी के कुछ सिनेमा घरों की तरफ सम्पत्ति कर की कुल 67.53 लाख रु० की बकाया रकमों से है तथा यह समाचार, 12 मार्च 1979 को दिल्ली नगर निगम की एक बैठक में दी गई सूचना पर आधारित प्रतीत होता है। चूंकि नगर निगम को देय सम्पत्ति करों का लगाया जाना और उनकी वसूली करना कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका प्रशासन भारत सरकार द्वारा किया जाता हो अतः प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के प्रश्न नहीं उठते।

समुद्र से प्राप्त भोजन का निर्यात

7923. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान प्रत्येक राज्य से महत्वपूर्ण वस्तूवार निर्यात किये गये समुद्र से प्राप्त भोजन के निर्यात से कितनी आय हुई और 1978-79 के लिए इसके वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य क्या है तथा अब तक कितनी उपलब्धि का समाचार है । 31 मार्च, 1979 तक कितने निर्यात की प्रत्याशा है तथा 1979-80 क लिये किन-किन लक्ष्यों का विचार है स्वीकृत किये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में समुद्र से प्राप्त भोजन के निर्यातकर्त्ताओं की उनकी श्रेणियों के अनुसार कुल संख्या कितनी है तथा 1977-78 के दौरान जिन्होंने निर्यात किया उसमें से दस बड़े निर्यातकर्ताओं के नाम क्या हैं और उन्होंने 1978-79 सहित गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का समुद्र से प्राप्त भोजन का निर्यात किया ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वस्तु के अनुसार परियोजना-वार समुद्र से प्राप्त भोजन के निर्यात के लिये कितनी केन्द्रीय वित्तीय/तकनीकी सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई और उसका वास्तव मे कितना उपयोग किया गया ; और

(घ) क्या सरकार को गैर-सरकारी एजेंटों/निर्यातकर्ताओं द्वारा किये जा रहे विभिन्न कदाचारों और मछुओं के वर्तमान शोषण की जानकारी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समुद्री मत्स्यपालन के विकास और देश के लाखो मछुओं के हित का संरक्षण करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गए है/करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1977-78 के दौरान विभिन्न राज्यों में बंदरगाहों से होकर निर्यात की गई समुद्री खाद्य पदार्थों की महत्वपूर्ण मदों से रुपयों में होने वाली आय का ब्यौरा अनुबंध I पर है ।

वर्ष 1978-79 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यातों के लिए 226.57 करोड़ रु० के मूल्य के 37,780 मे० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अप्रैल-जनवरी 1978-79 के दौरान 67,363 के वास्तविक निर्यात किए गए जिनका मूल्य 185.72 करोड़ रु० था । 1978-79 के लिए 226.57 करोड़ रु० के मूल्य के लगभग 80,450 मे० टन के निर्यात का अनुमान है । वर्ष 1979-80 के लिए 250 करोड़ रु० मूल्य के 85,570 मे० टन का लक्ष्य है । इस लक्ष्य का विस्तृत ब्यौरा अनुबंध II पर है ।

(ख) 31-1-1979 को विद्यमान स्थिति के अनुसार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत समुद्री खाद्य निर्यातकों की कुल संख्या 818 है । राज्यवार ब्यौरा अनुबंध III पर है ।

1977-78 के दौरान समुद्री उत्पादों के 10 चोटी के निर्यातकों के नामों तथा 1976-77 एवम् 1977-78 के दौरान उनके निर्यातों का ब्यौरा अनुबंध IV पर है । 1978-79 के निर्यात आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं ।

(ग) गत 3 वर्षों के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए उपलब्ध की गई वित्तीय/तकनीकी सहायता और साथ ही स्वीकृत धन और उपयोग में लाई गई वास्तविक राशि को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध V पर है ।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अगस्त 1972 में कानूनी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था । इसे निर्यातों के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग का संवर्धन करने और उसका विकास करने तथा समुद्र के तट से थोड़ी दूर तथा गहर समुद्र में मछली पकड़ने के काम को विकसित और विनियमित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्यातकों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शी सिद्धान्त देने के अलावा इस प्राधिकरण ने विभिन्न विज्ञापनों और प्रकाशनों के जरिए प्रोपेगंडा तथा प्रचार करने तथा देश के अन्दर व देश के बाहर मेलों एवं प्रदशनियों मे भाग लेने मे अपने आपको सक्रिय रूप से लगाया । इसने देश के अन्दर निर्यात संभाव्यता सवक्षण और विदेशों में बाजार सर्वेक्षण भी किए । यह प्राधिकरण सुधर किस्म की मशीनरी प्राप्त करने और साधित करने के संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए ब्याज उपदान, समुद्री उत्पाद उद्योग मे लग तकनीशियनों के लिए साधित करने के तरीके के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ।

7—173 L S S (ND)79

(क) खारे पानी में झींगा मछली की खेती ; (ख) एल्वर संसाधनों तथा ईल संवर्धन के सर्वेक्षण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं पहले ही आरंभ की जा चुकी हैं । माल की घटिया क्वालिटी और गलत ग्रेडिंग के बारे में आयातकों की व्यक्तिगत शिकायतों पर भी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कार्यवाही करता है । वह इन मामलों के बारे म संबंधित निर्यातकों से बातचीत करता है, संबंधित दस्तावेजों की छानबीन करता है और सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यापार संबंधी दावों को निपटाने से लेकर निर्यात के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों को रद्द किए जाने तक विभिन्न उपाय करने की कोशिश करता है ।

विवरण (एक)

विभिन्न राज्यों में पत्तनों से निर्यात की गई महत्वपूर्ण मदों की वर्ष 1977-78 के दौरान समुद्री खाद्य निर्यात आय

(लाख रु० में)

राज्य	बर्फ में जमे हुए श्रिम्पस	बर्फ में जमी हुई मेंढक की टांगें	बर्फ में जमी हुई लोवस्टर की पूंछ	बर्फ में जमी हुई मछली
केरल . . .	7048.3	259.4	196.5	1.5
तमिल नाडु . . .	1887.9	215.0	25.5	0.8
महाराष्ट्र . .	2154.5	129.2	109.1	287.5
आन्ध्र प्रदेश . . .	1189.5	—	—	0.1
गुजरात . . .	683.7	—	65.3	24.1
कर्नाटक . . .	1175.7	0.6	—	—
पश्चिम बंगाल . .	1407.7	63.2	0.1	3.4
उड़ीसा . . .	282.9	—	—	—
योग . . .	15830.2	667.4	396.5	317.2

राज्य	सुखाई गई मछली	शार्क फिन्स और फिशमास	अन्य	योग
करल . . .	—	0.9	238.0	7744.6
तमिल नाडु . . .	128.4	92.7	49.8	2400.1
महाराष्ट्र . . .	97.9	154.8	95.1	3027.9
आन्ध्र प्रदेश . . .	—	0.3	0.8	1190.7
गुजरात . . .	—	—	14.4	787.5
कर्नाटक . . .	—	—	9.4	1185.7
पश्चिम बंगाल . .	—	0.5	0.7	1475.6
उड़ीसा . . .	—	—	—	282.9
योग .	226.3	249.2	408.2	18095.0

विवरण (दो)

मात्रा मे० टनों में मूल्य लाख रुपयों में

वस्तुएं		1979-80 (लक्ष्य)
1. बर्फ में जमाई गई श्रिम्प	मात्रा	53000
	मूल्य	20575.00
2. बर्फ में जमाई गई लोवस्टर की पूंछ	मात्रा	850
	मूल्य	672.00

विवरण (दो) —जारी

वस्तुएं		1979-80 (लक्ष्य)
3. बर्फ में जमाई गई मेंढ़क की टांगे	मात्रा	4000
	मूल्य	952.00
4. ताजी और बर्फ में जमाई हुई मछली	मात्रा	15000
	मूल्य	950.00
5. डिब्बाबंद श्रिम्प	मात्रा	200
	मूल्य	110.00
6. सुखाई हुई मछली	मात्रा	5500
	मूल्य	282.00
7. सुखाई हुई श्रिम्प	मात्रा	20
	मूल्य	3.50
8. शार्क फिन्स और फिशमाज	मात्रा	500
	मूल्य	645.50
9. अन्य	मात्रा	6500
	मूल्य	810.0
	योग मात्रा	85570
	मूल्य	25000.00

विवरण (तीन)

31-1-1979 तक को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत समुद्री खाद्य निर्यातकों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	निर्यातकों की संख्या
केरल	228
महाराष्ट्र	216
तामिलनाडु	212
पश्चिम बंगाल	55
कर्नाटक	51
गुजरात	17
उड़ीसा	12
गोआ	11
आन्ध्र प्रदेश	8
दिल्ली	6
मध्य प्रदेश	1
उ० प्रदेश	1
योग	818

विवरण (चार)

1977-78 के दौरान समुद्री उत्पादों के 10 अग्रणी निर्यातकों के नाम और उनके द्वारा 1976-77 और 1977-78 के दौरान किए गए निर्यात

मात्रा : मे० टन में
मूल्य : लाख रु० में

निर्यातक का नाम		निर्यात 1977–78	1976–77
1. मैसर्स ग्रीव्ज इंटरनशनल लि०, बम्बई	मात्रा :	2502	3219
	मूल्य :	787.36	1042.57
2. मैसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लि०, विजाग	मात्रा :	704	465
	मूल्य :	399.51	294.94
3. मैसर्स प्रसन्थ ओवरसीज सेप्लाईज हाउस (प्रा० लि०, मद्रास	मात्रा :	967	843
	मूल्य :	351.68	257.83
4. मैसर्स ओरिएन्ट मेरीन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, मद्रास	मात्रा :	918	1002
	मूल्य :	284.17	418.67
5. मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट्स कं० लि०, बम्बई	मात्रा :	1193	898
	मूल्य :	293.96	195.51
6 मैसर्स लिबर्टी आयल मिल्स, बम्बई	मात्रा :	481	274
	मूल्य :	280.41	173.21
7. मैसर्स जार्ज मैजो, कुड्डालोर	मात्रा :	499	270
	मूल्य :	276.93	169.09
8. मैसर्स जार्ज मैजो एण्ड कं० (विजाग) मद्रास	मात्रा :	565	602
	मूल्य :	262.45	320.70
9. मैसर्स आई० टी० सी० लि०, बम्बई	मात्रा :	497	832
	मूल्य :	261.79	433.51
10. मैसर्स भारत सीफड्स, एलिप्पी	मात्रा :	927	611
	मूल्य :	236.50	146.61

विवरण (पांच)

विवरण में स्वीकृत धनराशि और वास्तविक उपयोग के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए समुद्री खाद्य के निर्यात के लिए उपलब्ध की गई वित्तीय/तकनीकी सहायता दर्शाई गई है ।

(लाख रु० में)

वर्ष	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
1. फ्रोजन स्टोरेज :		
1976–77	30.08	7.31
1977–78	24.00	17.47
1978–79	29.50	31.78
2. इंसुलेटेड ट्रक :		
1976–77	—	—
1977–78	10.00	6.34
1978–79	15.00	12.46

विवरण (पांच)—(जारी)

वर्ष	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
3. झींगा पालन (1978-79 में ही शुरू हुआ) :		
1978–79	12.00	9.39
4. संयंत्र के अन्दर निरीक्षण और विस्तार :		
1976–77	3.50	2.88
1977–78	7.00	6.58
1978–79	10.25	9.67†
5. ब्याज उपदान :		
1976–77	0.10	0.11
1977–78	0.10	0.05
1978–79	0.10	0.38

6. 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान समुद्री खाद्य के निर्यातों की कुछ मदों पर एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्र०श० से 20 प्र०श० के बीच नकद मुआवजा सहायता दी गई है। नकद मुआवजा सहायता पर किए गए वास्तविक व्यय निम्नोक्त प्रकार हैं :

1976–77	39 लाख रु०
1977–78	59 लाख रु०
1978–79 . . . . (अप्रैल–दिसम्बर, 1978)	54 लाख रु०

*इसमें मछलियां उतारने के 12 प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए 4.80 लाख रुपयों का खर्च शामिल है।

†इसमें मछलियां उतारने के 14 प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए 5.36 लाख रुपयों का खर्च शामिल है।

बिहार के धनबाद जिले में स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

7924. **श्री ए० के० राय** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको की कितनी शाखायें है, वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और 1977 और 1978 में उन्होंने कितनी राशि का कारोबार किया और प्रत्येक शाखा के लिए अलग-अलग और विस्तृत तथ्य क्या है ;

(ख) इसी अवधि के लिये प्रत्येक शाखा द्वारा कितना ग्रामीण ऋण दिया गया ; और

(ग) क्या सरकार धनबाद जिले में बैंकों के कार्यकरण के बारे में, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए जांच करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य वित्त मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) तथा (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1978 के अन्त तक बिहार के धनबाद जिले में, सरकारी क्षेत्र के बेंकों की 81 शाखाएं कार्य कर रही थी। उन स्थानों के नाम जहां ये शाखाएं स्थित हैं, विवरण में दिये गये हैं।

धनबाद जिले के बारे में जमाओं तथा अग्रिमों का शाखावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, जून, 1977 तथा जून, 1978 के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं तथा अग्रिम राशियो के जनसंख्या समूह-वार आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(लाख रुपयों में)

निम्नलिखित के अन्त की स्थिति के अनुसार	ग्रामीण		अर्दध्-शहरी		जोड़	
	जमा राशियां	अग्रिम राशियां	जमा राशियां	अग्रिम राशियां	जमा राशियां	अग्रिम राशियां
जून, 1977 . .	450	34	21955	4160	22405	4194
जून, 1978 . .	951	59	21659	4652	22610	4711

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि फिलहाल धनबाद जिले में बैंक की शाखाओं के कार्यकरण की कोई जांच करने का प्रस्ताव इसके विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

धनबाद जिले के उन स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जहां पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं स्थित हैं

(31-12-1978 की स्थिति के अनुसार)

बैंक का नाम	स्थान का नाम	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टट बैंक	धनबाद	4
	झरिया	2
	कारकेंद	1
	सिंदरी	1
	कठरागढ़	1
	लोयाबाद	1
	बोकारो स्टील सिटी	1
	मराफारी	1
	दिगवादि	1
	कुमारधूबी	1
	बोकारो औद्योगिक क्षेत्र	1
	चन्दनदयारी	1
	चास	1
	कस्तोर	1
	बिलबेरा	1
	बरोरा	1
	चिरकुंडा	1
	पुपूनकीघाट बेरा	1
	जोड़	22
इलाहाबाद बैंक	धनबाद	1
	कटरागढ़	1
	गोमोह	1
	कुमारधूवी	1
	निरसा	1
	सिजआ	1
	गोविन्दपुर	1
	बोकारो स्टील सिटी	1
	बी० सी० सी० एल० एरिया नं० 4	1
	खारखारी	1
	जोड़	10
बैंक आफ बड़ौदा	धनबाद	1
	बोकारो स्टील सिटी	1
	जोड़	2

विवरण—जारी

बैंक का नाम	स्थान का नाम	शाखाओं की संख्या
बैंक आफ इंडिया	चास गांव.	1
	चिरकुंडा	1
	बोकारो स्टील सिटी	1
	धनबाद	1
	इना	1
	धागा	1
	पंचेट	1
	झरिया	1
	बाघमारा	1
	सिंदरी	1
	किरकंद	1
	मोहुदा	1
	जोड़	12
केनरा बैंक	धनबाद	1
	गोबिन्दपुर	1
	बोकारो स्टील सिटी	1
	सरायढ़ेला	1
	सिंदरी प्रोजेक्ट एरिया	1
	जोड़	5
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	झरिया	1
	धनबाद	1
	चास (बोकारो)	1
	धनबाद—बैंक मोड	1
	कुजमा कोलिरी	1
	जोड़	5
इंडियन बैंक	धनबाद	1
	जोड़	1
इंडियन ओवरसीज बैंक	धनबाद	1
	जोड़	1
पंजाब नेशनल बैंक	झरिया	1
	बोकारो स्टील सिटी	1
	धनबाद	1
	जोड़	3

विवरण—समाप्त

बैंक का नाम	स्थान का नाम	शाखाओं की संख्या
सिंडीकेट बैंक	धनबाद	1
	बोकारो स्टील सिटी (माराफारी)	1
	जोड़	2
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	धनबाद	1
	चास गांव	1
	बोकारो स्टील सिटी	2
	धोवरा	1
	धनबाद-बैंक मोड़	1
	टूंडी	1
	जोड़	7
यूनाइटेड कमिशयल बैंक	धनबाद	2
	मैथोन	1
	झरिया	1
	जोरापोखर	1
	धोवरा	1
	बोकारो स्टील सिटी	1
	वहापुर	1
	सुदाया डीह	1
	मुनीदी	1
	धूली	1
	जोड़	11

शताब्दी का प्रथम पूर्ण ग्रहण

7925. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 देश शताब्दी के प्रथम पूर्ण ग्रहण के दौरान जो कि अगले वर्ष 16 फरवरी को भारत में दिखाई देगा, अपने दल भारत भेजने की सोच रहे हैं जैसा कि पी० टी० आई० ने भारतीय खगोल भौतिकी के उप-निदेशक श्री जे०एस० भट्टाचार्य का हवाला देते हुए कहा है ;

(ख) पूर्ण ग्रहण कितना समय चलेगा ;

(ग) ग्रहण कब प्रारम्भ होगा और कब समाप्त होगा ;

(घ) क्या पूर्ण ग्रहण भारत भर में दिखाई देगा अथवा उसके भागों में ; और

(ङ) यदि कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा तो किन किन में ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 16-2-1980 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक सूचना 7 देशों के 16 वैज्ञानिक दलों को उनके अनुरोध पर प्रदान की गयी हैं। श्री जे० एस० भट्टाचार्य सूर्य ग्रहण के लिए "राष्ट्रीय समन्वयकर्ता" National Co-ordinator हैं ।

(ख) ग्रहण की अधिकतम अवधि भारत के पश्चिमी तट पर 2 मिनट और 50 सैकिंड है ।

(ग) जहां तक पूरी पृथ्वी का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण प्रातः 11.45 बजे (भारतीय समय) आरंभ होगा तथा सायं 5.01 बजे (भारतीय समय) समाप्त होगा। भारत में यह ग्रहण अलग अलग स्थानों की स्थिति के आधार पर 14 घंटे, 17 मिनट, 12 सैकिंड से लेकर 17 घंटे, 3 सैकिंड तक दिखाई देगा।

(घ) और (ङ) : सूर्य ग्रहण कारवाड़ से लेकर पुरी तक के 130–120 किलोमीटर चौड़े मार्ग पर पूर्ण ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। आंशिक ग्रहण विभिन्न परिमाणों में भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा।

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार संवर्धन

7926. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार संवर्धन के लिये कोई संयुक्त प्रतिष्ठान कोई व्यावसायिक संगठन स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी गुंजाइश है और दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : यूगोस्लाविया के विदेश व्यापार मंत्री जब मार्च, 1979 के आरम्भ में भारत यात्रा पर आए थे तो तीसरे देश की परियोजनाओं में भारत-यूगोस्लाविया सहयोग के संदर्भ में इस प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया था कि एक ऐसी संयुक्त कम्पनी आरम्भ की जाए जो भारत और यूगोस्लाविया दोनों की समर्थताओं के आधार पर परामर्श सेवा, संयुक्त निविदा, संयुक्त वित्त-व्यवस्था, परियोजना क्रियान्वयन आदि की सुविधाएं प्रस्तुत कर सके। अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है।

चार्ज देते समय कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्याय निर्णय के लिए अनिर्णीत मामले

7927. **श्री मनोहरलाल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलेक्टर के क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क स्वर्ण नियंत्रण के न्याय निर्णय हेतु कितने ऐसे मामले हैं जिनकी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, कानपुर के तत्कालीन कलेक्टर ने 16 अगस्त, 1977 को चार्ज देने के समय सुनवाई की थी और उन पर कोई निर्णय नहीं लिया था ;

(ख) उन मामलों को महीनों तक लम्बित रखने के क्या कारण थे जबकि सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था और वे निर्णय लिए जाने के लिए सभी तरह से पूर्ण थे ;

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि क्या संबंधित पार्टी को इससे कोई हानि, आघात तथा परेशानी हुई है ; और

(घ) नागरिकों को ऐसी कठिनाइयों से बचाने के लिए सरकार का क्या उचित कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) ऐसे मामलों की संख्या नीचे दिये अनुसार है :—

(i) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क —दो;
(ii) स्वर्ण नियंत्रण —एक; और
(iii) सीमा शुल्क —शून्य

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के दो मामलों में न्याय निर्णय नहीं किया गया क्योंकि अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व एक मामले में कारखाने द्वारा अपने उत्पाद के मुल्यांकन से सम्बन्धित पेश किये गये आंकड़ों का सत्यापन और दूसरे मामले में पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख का सत्यापन किया जाना था।

स्वर्ण नियंत्रण के मामले में, पार्टी की 25-7-1977 को मात्र आंशिक सुनवाई की गयी और सुनवाई 16-8-77 से पूर्व पूरी नहीं हो सकी क्योंकि पार्टी ने किसी अधिकारी से जिरह करने की मांग की थी।

(ग) और (घ) : इस आशय के अनुदेश विद्यमान हैं कि जब किसी अधिकारी का तबादला होता है, तो वह यह सुनिश्चित करे कि जिन मामलों में उसने पार्टी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया हो, उनमें वह यथासंभव कार्यभार छोड़ने से पहले औपचारिक आदेश जरी कर दे। भाग (ख) के उत्तर से पता चलेगा कि केवल बहुत थोड़े मामलों में ही जाने वाले समाहर्ता द्वारा अंतिम आदेश नहीं दिया जा सका और यह भी इस कारण कि उसको पेश किये गये कुछेक तथ्यों का सत्यापन करने अथवा संबंधित पार्टी द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार जिरह की इजाजत देने की जरूरत थी। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, चूंकि इस बात की मांग करते हैं कि प्रभावित पार्टी को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिये, इस तरह के कुछ मामलों से बिल्कुल ही बचा नहीं जा सकता। इन मामलों की परिस्थितियों से संबंधित पार्टियों को किसी प्रकार की परेशानी होने का पता नहीं चलता।

दिल्ली-ग्वालियर-इंदौर और इंदौर-भोपाल मार्गों के लिये बड़े विमानों का चलाया जाना

7928. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-ग्वालियर-इंदौर मार्ग और इंदौर-भोपाल मार्ग पर इंडियन एयरलाइंस की वर्तमान उड़ानें आई० सी० 459/460 छोटे विमानों का उपयोग करने के कारण इन मार्गों के भारी यातायात से निपटाने में समर्थ नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों पर बड़े विमानों को चलाये और उनकी बारम्बारता में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इंडियन एयरलाइंस का विमान बेड़ा वर्तमान समयावलि के अंतर्गत परिचालनों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पूर्ण रूप से व्यस्त है । कारपोरेशन के पास ग्वालियर-भोपाल-इंदौर सेक्टर पर उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने अथवा अधिक क्षमता वाले विमान परिचालित करने के बारे में विचार करने के लिए फिलहाल कोई अतिरिक्त विमान उपलब्ध नहीं है । तथापि कारपोरेशन 1980-81 के दौरान वैमानिक क्षमता (aircraft capacity) में सुधार हो जाने पर स्थिति का पुनरीक्षण करेगी ।

आई० सी० 407 और 408 उड़ानों का ग्वालियर में रुकना

7929. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी और वाराणसी-खजुराहो-आगरा-दिल्ली की वर्तमान उड़ानों को ग्वालियर में रोकने के प्रश्न पर इंडियन एयरलाइन्स विचार करेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि इस उड़ान के मार्ग में ग्वालियर को शामिल करने से न केवल भारी यातायात की समस्या का समाधान होगा, बल्कि यह पर्यटन की दृष्टि से प्रोत्साहन का स्रोत भी होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) : पर्यटक यातायात की वर्तमान एवं सुस्थापित प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में तथा विमानों की कमी को भी ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरलाइन्स फिलहाल उड़ान सं० आई० सी०-407/408 दिल्ली/आगरा/खजुराहो/वाराणसी तथा वापसी पर ग्वालियर में एक विराम (हॉल्ट) की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है ।

सांगली (महाराष्ट्र) के निकट कवालापुर हवाई अड्डे का प्रयोग

7930. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांगली (महाराष्ट्र) के निकट कवालापुर हवाई अड्डा गत 10 वर्ष और इससे भी अधिक समय से उपेक्षित रहा है ;

(ख) क्या घरेलु उड़ानों के लिये इस हवाई अड्डे को प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) कवालापुर विमान क्षेत्र राज्य सरकार का है तथा इसके वर्तमान दर्जे/स्थिति की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स रजनीकांत एन० शराफ, नडियाड की ओर आयकर की बकाया राशि

7931. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक गैर पंजीकृत फर्म रजनीकान्त एन० शराफ की ओर 1971-72 से 1977-78 तक, वर्षवार, आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इस गैर-पंजीकृत फर्म के वास्तव में जो मालिक हैं उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं तथा उनके नामों में आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) इस फर्म की कारोबार गतिविधियां क्या हैं, इसकी सहायक अथवा सम्बद्ध फर्मों के नाम और पते क्या ह और रजनीकान्त एन० शराफ द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में की गई आयकर की घोषणा के अनुसार उनकी ओर कुल कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

मनुभाई रजनीकांत शराफ, अहमदाबाद के विरुद्ध आय कर की बकाया राशि

7932. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनुभाई रजनीकान्त शराफ (पंजीकृत फर्म), पठारकुवा, रिलीफरोड, अहमदाबाद तथा इसकी सभी सहायक फर्मों और शाखाओं के विरुद्ध आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इस फर्म का मुख्य कारोबार क्या है ;

(ग) इस फर्म ने तथा इसकी सहायक फर्मों ने जनता से कुल कितनी जमा राशियां प्राप्त की हैं ; और

(घ) नडियाड की एक गैर पंजीकृत फर्म मैसर्स रजनीकांत शराफ से जिसके विरुद्ध आयकर की 193.68 लाख रुपये की राशि बकाया है, इन फर्मों के क्या कारोबार सम्बन्ध हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, उसे एकत्र किया जा रहा है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री सौराष्ट्र आयल मिल्स एसोसिएशन, जामनगर की ओर से 18 अक्तूबर, 1978 को अभ्यावेदन

7933. **श्री धर्मसिंहभाई पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सौराष्ट्र आयल मिल्स एसोसिएशन, जामनगर ने खाद्य तेल, तिलहन उत्पादन और विपणन के बारे में 18 अक्तुबर, 1978 को उन्हें (मंत्री महोदय) एक अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें किस प्रकार की मांगें की गयी हैं ;

(ग) प्रत्येक मांग के बारे में कब और क्या कार्यवाही की गयी और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उक्त अभ्यावेदन में 10 समस्याओं का उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उस के क्या कारण हैं और प्रत्येक समस्या के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) : यह निवेदन किया गया है कि गुजरात में आयल मिलिंग उद्योग सुविकसित है और यह ग्रामीण इलाकों में लघु क्षेत्र में फैला हुआ है । आगे यह भी कहा गया है कि इन एककों में तेल निकालने की 50% क्षमता बेकार पड़ी हुई है । खाद्य तेल और तिलहन उद्योग के पुनर्गठन की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की प्रस्तावित परियोजना का इसके द्वारा कार्यान्वयन किये जाने से तथा बहुत बडे एककों की स्थापना करने और उच्च वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्ति किये जाने से इस लघु ग्रामीण क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचेगा ।

इस एसोसिएशन की आशंकाएं ठीक प्रतीत नहीं होती हैं । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रस्ताव का उद्देश्य तिलहन उत्पादकों के सहकारी ढांचे का विकास करना तथा उत्पादन, संसाधन और विपणन को सम्बद्ध करना है । परियोजना के आरम्भिक वर्षों में, नए एकक स्थापित करने का कोई विचार नहीं है, बल्कि केवल वर्तमान सुविधाओं की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करना है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना रिपोर्ट में यह परिकल्पना की गई है कि नए एककों की स्थापना पर विचार करने से पहले एक अध्ययन दल उन अतिरिक्त संसाधान सुविधाओं के प्रश्न का अध्ययन करेगा जिनकी इस परियोजना के लिए भविष्य में आवश्यकता होगी ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

एसोसिएशन के सुझाव	टिप्पण
1	2
1. हम तिलहनों का उत्पादन नहीं बढ़ा पाये है । 2. मूंगफली की प्रति एकड़ उपज स्थिर रही है । 3. मूंगफली वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है और यहां तक कि अंतिम एक वर्षा की देरी के परिणामस्वरूप 25% से 30% तक फसल में कमी हुई है ।	तिलहनों के उत्पादन में बढ़ती का रुख रहा है । यद्यपि उनके उत्पादन में मौसम की अनिश्चितताओं के कारण वर्ष प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव होता रहा है, क्योंकि लगभग 90% तिलहन क्षेत्र असिंचित है । इनके उत्पादन में उतार-चढ़ाव पहले की तुलना में अब अधिक सीमा में होता है। मूंगफली और रेप-सरसों, जो दोनों मिलाकर देश में तिलहन उत्पादन का लगभग 85% और खाद्य समूह का 90% भाग हैं, के निम्न तालिका में दिए उत्पादन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट होती है :—

	मूंगफली			सरसों		
	औसत (5 वर्ष)	अधिकतम	न्यूनतम	औसत (5 वर्ष)	अधिकतम	न्यूनतम
तीसरी योजना	5125	6004	4263	1267	1474	915
चौथी योजना	5489	6181	4092	1697	1976	1433
पांचवीं योजना	5800*	6754	5111	1842*	2252	1562

*केवल चार वर्ष का औसत ।

उत्पादन में उपर्युक्त वृद्धि आम तौर पर मूंगफली सहित विभिन्न तिलहन फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार होने के कारण हुई है ।

4. अतिरिक्त फसल के लिए कोई नई भूमि उपलब्ध नहीं है ।	सरकार प्रति हेक्टयर उपज बढ़ाकर और साथ ही दक्षिणी राज्यों के नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में, विशेषकर मूंगफली के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाकर तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है ।
5. सिसर (सी०आई०एस०आर०) और अन्य बीजों की विकास परियोजनाएं अधिक उपज वाली किस्मों के नए बीज तैयार करने में सफल नहीं हुई ह ।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में कार्यान्वित की जा रही तिलहन सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना क अंतर्गत विभिन्न तिलहन फसलों की अधिक उपज वाली किस्में तैयार करने के लिए व्यवस्थित प्रयत्न किये जा रहेहैं । विभिन्न तिलहन फसलों की अल्पकालीन अधिक उपज देने वाली किस्में तैयार करने पर बल दिया जा रहा है और बहुत सी नई किस्में तैयार होने वाली हैं ।
6. 'मासी' और 'रोगों' बीमारियों पर समय से काबू नहीं पाया गया है । 7. जब क्षेत्र संक्रमण से ग्रासित हो जाता है सरकार ने कभी भी नाशिकीटमार दवाइयों का समय से छिड़काव करने की कोई उचित योजना नहीं बनाई है ।	तिलहन की फसलों को विभिन्न नाशिकीटों, रोगों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार गहन तिलहन विकास कार्यक्रम और नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों का विस्तार करने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पौध-संरक्षण उपकरणों, प्रचालन लागत और रसायनों की लागत (रेपसीड और सरसों के मामले में) के लिए वित्तीय सहायता देती रही है ।
8. अल्पावधि में विकसित होने वाले नये बीजों की आवश्यकता है ।	वहीं जो मद संख्या 5 में दिया गया है ।
9. मूंगफली की फसल प्रभावित करने वाली 'अलफा-टोक्सीन' भी है । इस फंफूदी को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं ।	'एफला टोक्सीन' भण्डार में रखे बीजों में नमी की अधिकता के कारण पनपती है । किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने उत्पाद अच्छी प्रकार से सुखा लें, ताकि उन्हें फंफूदी न लग सके ।

विवरण—जारी

1	2
10. (किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाकर लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर खादय मूंगफली का तल देने का प्रयत्न करने की गुजरात सरकार की गलत नीति से अपनी उपज का उचित लाभ न मिलनें से) किसान को दण्डित किया गया है और (हाथ से चुनी मूंगफली का निर्यात रोकने और तेल रहित खली के निर्यात को बिल्कुल छिन्न-भिन्न करने) की भारत सरकार की गलत नीति ।	जहां तक भारत सरकार की नीतियों का संबंध है, हाथ से चुनी मूंगफली के निर्यात की अनुमति दी जा रही है और ये नेफड के माध्यम से मार्गीकृत किये गये हैं, जो एक ऐसा अभिकरण है जिसका उत्पादक स्तर तक सीधा संबंध है । इसी प्रकार मूंगफली की तेल रहित खली का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जा रहा है, ताकि इन निर्यातों का देश को अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके ।

जूनागढ़ में आयकर दाताओं को विशेष सुविधाएं

7934. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्त, गुजरात-1, अहमदाबाद के 9 सितम्बर, 1978 को जूनागढ़ के दौरे के समय चैम्बर्स आफ कामर्स, जूनागढ़ ने उन्हें मांगों वाला एक अभ्यावेदन पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन में से प्रत्येक मांग का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन तीनों मांगों में से प्रत्येक को कब तथा कैसे मंजूर किया गया तथा स्वीकृत मांगों का स्वरूप क्या है ;

(घ) कौन सी मांगें अस्वीकृत की गईं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) जूनागढ़ में इस समय आयकर दाताओं को क्या क्या सुविधायें दी जा रही हैं और उन्हें विशेष सुविधायें कब तथा किस रूप में दी जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी हां ।

(ख) (i) निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त और अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के कार्यालय जूनागढ़ में रखना ।

(ii) आयुक्त के कार्यालय का राजकोट में चालू किया जाना ।

(iii) जूनागढ़ वाणिज्य मण्डल के मामले में आयकर और धन कर संबंधी कार्यवाहियों के विरुद्ध अभ्यावेदन ।

(ग) और (घ) : यह निर्णय किया गया है कि निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त के कार्यालय को भावनगर में रखने की वर्तमान व्यवस्था कायम रहेगी । जहां तक अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के कार्यालय का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया है कि राजकोट में अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त का एक और पद बनाया जाय । राजकोट, भावनगर स्थित वर्तमान कार्यालय की अपेक्षा जूनागढ़ के अधिक निकट है । इस नए कार्यालय का क्षेत्राधिकार, जूनागढ़ से दायर की जाने-वाली आयकर अपीलों पर लागू होगा ।

(i) राजकोट में आयकर-आयुक्त के कार्यालय ने 11 जनवरी, 1979 से कार्य करना शुरू कर दिया है ।

(ii) भारतीय वाणिज्य मण्डल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद, जूनागढ़ वाणिज्य मण्डल के मामले में आयकर और धन कर सम्बन्धी कार्यवाहियां शुरू कर दी गयी हैं ।

(ङ) आय कर आयुक्त ने रिपोर्ट दी है कि अधिकांश करदाताओं के समाधान पदरूप में जूनागढ़ में सभी सुविधाएं मुहैया की गयी हैं ।

एकाधिकार गृहों द्वारा विदेशी मुद्रा का कथित दुर्विनियोजन

7935. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 20 प्रमुख एकाधिकार गृहों द्वारा अपने नामों में अथवा बेनामी आधार पर देश में अथवा विदेशों में अर्जित की गई अनुमानित सम्पत्ति जमा कर लिये जाने की जांच कराने का है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उन्होंने स्वयं उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के साथ करार करके करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का दुर्विनियोजन तथा करों का अपवंचन किया है ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कभी कोई जांच की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 20 बड़े एकाधिकार घरानों में से किसी भी घराने द्वारा कराधान कानूनों अथवा मुद्रा नियंत्रण संबंधी कानूनों के उल्लंघन किये जाने का यदि कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में आता है तो उसकी जांच करवायी जाती है ।

(ख) यदि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा को विदेश में रोक रख लिया जाए अथवा उसे प्राधिकृत बैंकिंग माध्यम से स्वदेश न भेजा जाय या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेश में किसी प्रकार का पूंजी निवेश किया जाय तो यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होगा । जब कभी ऐसा कोई मामला प्रवर्त्तन निदेशालय की जानकारी में आता है तो वह इस पर कार्यवाही करता है ।

श्री सौराष्ट्र आयल मिल्स एसोसिएशन, जामनगर की ओर से "आयल केक एक्स्ट्रेक्शन" निर्यात नीति के बारे में 18 जुलाई, 1978 का अभ्यावेदन

7936. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्राउण्डनट आयल केक एक्स्ट्रेक्शन" सम्बन्धी निर्यात नीति के बारे में श्री सौराष्ट्र आयल मिल्स एसोसिएशन, जामनगर की ओर से दिनांक 18 जुलाई, 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी बातें क्या हैं ; क्या उसमें पांचसूत्री मांग की गई है, उनमें से कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गई हैं तथा जिन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और उनको स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में मुख्य बात यह कही गई थी कि मूंगफली निस्सारण का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के हो । चूंकि देश में उचित कीमतों पर मूंगफली निस्सारण की उपलब्धि बनाये रखने के लिए उसके निर्यातों को विनियमित करना है, अतः एसोसिएशन को बता दिया गया है कि मुक्त निर्यात की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

हवाई अड्डों पर यातायात नियंत्रण

7937. **श्री बापूसाहेब परुलेकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हवाई अड्डों पर यातायात नियंत्रण दोषपूर्ण हैं ;

(ख) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरफील्ड एप्रोच ऐड अर्थात् वी० ओ० आर० ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, और इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या उक्त विषय पर दिनांक 6-3-79 के इंडियन एक्सप्रैस में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) वी० ओ० आर० के ठीक से कार्य न करने के कारण ही मई, 1973 में दिल्ली हवाई अड्डे के निकट बोइंग विमान दुर्घटना हुई और यदि हां, तो वी० ओ० आर० के उचित रूप से कार्य करने के बारे में तबसे क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली हवाई अड्डे पर दो "वैरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑम्नी डारक्शन रेडियो रेंजिज़" (वीओआर्स) की व्यवस्था की हुई है । एक वी०ओ०आर० तो संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है, परन्तु दूसरे वी०ओ०आर० के कार्यचालन पर उसके बहुत पास से गुजर रही "हाई पावरटेंशन लाइन्स" के कारण कई दिशाओं में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इस तथ्य की ओर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार एयर लाइन ऑपरेटरों का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है । इस वी० ओ० आर० को विमान क्षेत्र के अन्दर ही यहां से हटाकर किसी और स्थान पर लगाने की कार्यवाही भी चालू है । इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित उपकरण लिये जा रहे हैं ।

(ग) 6 मार्च 1979 के इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार को सरकार ने नोट कर लिया था ।

(घ) जी, नहीं ।

सान्ताक्रुज तथा दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क की वसूली

7938. **श्री फतेहसिंह राव पी० गायकवाड़ :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1979 में तथा दिल्ली हवाई अड्डो परसीमा शुल्क और जुर्माने के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है ;

(ख) वर्ष 1978 के उपरोक्त महीनों में राजस्व की आय से यह कितना न्यूनाधिक है ; और

(ग) क्या सामान की दरों में रियायत किये जाने के कारण राजस्व की आय में वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : बम्बई और दिल्ली हवाई अडडों पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों से जनवरी, फरवरी और मार्च 1979 में वसूल हुए और वर्ष 1978 की उसी अवधि में वसूल हुए सीमा शुल्क, जुर्माने और अर्थदण्ड की कुल रकम का एक तूलनान्मक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1979 के पहले तीन महीनों में, वर्ष 1978 की उसी अवधि के मुकाबले, वसूली में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं—यात्री यातायात मे वृद्धि होना और आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन, शुल्क अदा करने पर, यात्रियों के असबाब की मदों के आयात के लिये सीमा को बढ़ाना ।

विवरण

बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर वर्ष 1978 और 1979 में जनवरी फरवरी और मार्च में वसूल हुए सीमा शुल्क जुर्माना ओर अर्थदंड की कुल रकम का विवरण-पत्र

	मास	सीमा शुल्क, जुर्माने और अर्थदण्ड की कुल रकम (रुपयों में)
बम्बई हवाई अड्डा . . .	जनवरी, 1979 .	2,90,22,965
	फरवरी, 1979 .	2,78,64,013
	मार्च, 1979 .	3,38,27,648
	जनवरी, 1978 .	2,33,20,448
	फरवरी, 1978 .	2,34,27,719
	मार्च, 1978 .	2,56,57,919
दिल्ली हवाई अड्डा .	जनवरी, 1979 .	81,20,398
	फरवरी, 1979 .	77,04,599
	मार्च, 1979 .	84,76,867
	जनवरी, 1978 .	59,56,275
	फरवरी, 1978 .	57,76,135
	मार्च, 1978 .	74,54,083

स्टर्लिंग कम्पनियों को किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मंजूर ऋण

7939. **प्रो० समर मुखर्जी :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस सरकार के शासन काल में और वर्तमान सरकार के शासन काल में चाय बागानों की मालिक स्टर्लिंग कम्पनियों को किराया खरीद योजान के अन्तर्गत कितनी राशि के ऋण दिये गये?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में अफीम तौलने का नया केन्द्र

7940. **श्री चतुर्भुज :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारथल, तहसील छीपा बड़ोद, जिला कोटा (राजस्थान) में अफीम तौलने का एक नया केन्द्र खोला गया है ; यदि हां, तो इसका कितनी तथा किन-किन पंचायतों को लाभ पहुंचेगा ;

(ख) क्या इस क्षेत्र की तीन पंचायतों के अलावा इस क्षेत्र के अधीन आने वाली अन्य पंचायतों के किसानों को, पुलिस की व्यवस्था न होने तथा यह केन्द्र बहुत दुर होने से कठिनाईयां उटानी पड़ेगी ;

(ग) क्या उप केन्द्र कोटा, बूंदी और झालाबाड़ जिलों में तहसील अथवा उप तहसील केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी हैं ; और

(घ) क्या सारथल उप केन्द्र खोलने की साजिश के सम्बन्ध में जांच कराई जायेगी तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां । इस केन्द्र के अन्तर्गत आठ पंचायतें अर्थात् सरथाल हरणवाड़ाशाहजी, बिलंडी, भाउपुरा, डिगोदजागीर, कलमोड़िया, बंजारी और देवरीजोध आती हैं ।

(ख) जी नहीं । सरथाल स्थित केन्द्र पोस्त उगाने वाले क्षेत्रों के नजदीक है। इसलिये काश्तकारों को अपनी अफीम नारकोटिक्स विभाग को देने हेतु लम्बा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। केन्द्र पर आवश्यक सुरक्षा-प्रबन्ध भी किये गये हैं।

(ग) जी हाँ ।

(घ) जी नहीं ।

आयातित कारों के मामलों में कानूनी औपचारिकताएं

7941. **श्री ए० के० राय** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अधिकारियों द्वारा कितनी आयातित कारें इस समय प्रयोग में लाई जाती हैं तथा गत दो वर्षों में कितनी कारों का आयात किया गया ;

(ख) क्या उनके पास पूरे कानूनी कागजात हैं तथा उन्होंने सभी कारों का भुगतान कर लिया है ; और

(ग) क्या इन विलासपूर्ण कारों के मामले में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में सरकारी निदेशकों की स्वीकृति प्राप्त है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : पिछले दो वर्षों के दौरान मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात ने किसी भी कार के आयात के लिए इस फर्म के नाम कोई सीमा शुल्क निकासी परमिट/आयात लाइसेंस जारी नहीं किया है ।

अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तें

7942. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय सहित सभी स्तरों पर कर्मचारियों (अधिकारियों सहित) की विभिन्न श्रेणियों की सेवा शर्तें निम्नलिखित सांविधिक अधिनियमों द्वारा लागू होती हैं :

(एक) दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम और विभिन्न राज्यों के नियम,

(दो) औद्योगिक रोजगार (डी० ओ०) अधिनियम और नियम,

(तीन) कारखाना अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, और

(चार) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम और राज्यों द्वारा बनाये गये नियम;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निगम के मुख्यालय सहित इसके विभिन्न एकक डिवीजनों के कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिनकी सेवा शर्तें उपरोक्त में से प्रत्येक अधिनियम और नियमों द्वारा लागू होती हैं और विनियमित होती हैं ; और

(ग) निगम के प्रारम्भ होने से लकर इस तारीख तक निगम के अधिकारियों सहित समग्र रूप से कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को लागू करने के लिये पारस्परिक रूप से सहमत हुए नियमों और विनियमों का एक व्यापक सेट बनाने के लिये प्रबन्धकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । इन अधिनियमों के उपबंधों में विनिर्दिष्ट सीमा तक ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के केटरिंग प्रतिष्ठानों जैसे आवासीय होटलों, रेस्तरां और ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शनों, कार्पोरेट कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और पर्यटक सेवा केन्द्र, नई दिल्ली पर संबंधित राज्य के दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियमों के उपबंध लागू होते हैं और ये उपबंध प्रत्येक राज्य अधिनियम में विनिर्दिष्ट सीमा तक कर्मचारियों पर लागू होते हैं । इन प्रतिष्ठानों की सूची **विवरण (एक)** पर दी गई है । दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन कर्मकार और अधिकारी में कोई अंतर नहीं है ।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 केवल कर्मकारों पर लागू होता है और इग्ज़ेक्युटिवोंपर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले भारत पर्यटन विकास निगम के प्रतिष्ठान **विवरण (दो)** में उल्लिखित हैं।

दिल्ली की परिवहन कार्यशाला और अशोक होटल, नई दिल्ली, के लांडरी अनुभाग पर कारखाना अधिनियम, 1948 लागु होता है।

भारत पर्यटन विकास निगम के सभी परिवहन एककों जो 5 से अधिक परिवहन कर्मकारों को नियोजित करते हैं, पर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 लागू होता है।

(ग) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन प्रमाणीकृत स्थायी आदेश होटल अशोक, होटल जनपथ अशोक, होटल लोधी अशोक, होटल रणजित अशोक, नई दिल्ली के बारे में बनाए गए है। होटल अशोक, बंगलौर, होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता, अशोक बीच रिसोर्ट कोवलम्, होटल अकबर अशोक, होटल कुतूब अशोक और परिवहन प्रभाग के बारे में प्रमाणन के लिए ड्राफ्ट स्थायी आदेश प्रमाणन प्राधिकारियों के समक्ष दायर किए गए हैं। होटल औरंगाबाद अशोक, ललित महल पैलेस होटल, मैसूर और मुख्यालय के लिए प्रमाणन हेतू ड्राफ्ट स्थायी आदेश तैयार किए जा रहे हैं।

ऐसे एककों और अधिकारियों सहित कर्मचारियों जिनपर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के उपबंध लागू नहीं होते, के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम आचरण, अनुशासन और अपील नियम 1978 बनाये तथा अधिसूचित किए गए हैं।

कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की सेवा शर्तें संबंधित श्रम कानूनों द्वारा शासित तथा विनियमित होती है और उक्त श्रम कानूनों के उपबंधों का कानूनों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में पूर्णतः अनुपालन करना पड़ता है। इसलिए, कारखानों, दुकानों तथा प्रतिष्ठानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में एकरूपता केवल उसी सीमा तक हो सकती है जैसा कि इन श्रम कानूनों में व्यवस्था की गई है। ड्राफ्ट भर्ती तथा पदोन्नति नियम श्रमिक संघों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किये गए हैं और उनकी टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् इन्हें अधिसूचित किया जायेगा। कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी तथा एल० टी० सी० एन्टाइटलमेंट्स संबंधी नियम उनसे परामर्श करके बनाये गए हैं।

विवरण (एक)

संबंधित राज्य के अपने-अपने दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले भारत पर्यटन विकास निगम के प्रतिष्ठान

होटल

(1) अशोक, नई दिल्ली
(2) अकबर अशोक, नई दिल्ली
(3) जनपथ अशोक, नई दिल्ली
(4) लोधी अशोक, नई दिल्ली
(5) रणजीत अशोक, नई दिल्ली
(6) कुतुब अशोक, नई दिल्ली
(7) अशोक, बंगलौर
(8) औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद
(9) खजुराहो अशोक, खजुराहो
(10) एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता
(11) जम्मू अशोक, जम्मू
(12) जयपुर अशोक, जयपुर
(13) हसन अशोक, हसन
(14) वाराणसी अशोक, वाराणसी
(15) लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर
(16) ललित महल पैलेस होटल, मैसूर
(17) पाटलिपुत्र अशोक, पटना

बीच रिसोर्ट

(1) अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम्
(2) टैम्पल बे, महाबलिपुरम्

यात्री लॉज

(1) कुल्लु
(2) मनाली
(3) बोधगया
(4) कुशीनगर
(5) भुवनेश्वर
(6) कोणार्क
(7) माण्डू
(8) सांची
(9) कांचीपुरम
(10) तिरुची
(11) तन्जौर
(12) बीजापुर
(13) मदुरै

8—173 LSS/ND/79

विवरण (एक)—जारी

रेस्तरां

(1) कुतुब, नई दिल्ली
(2) अजन्ता
(3) महाबालपुरम
(4) ताज, आगरा
(5) कोसी
(6) एलोरा
(7) आगरा, कलकत्ता, तिरची, बंगलौर, वाराणसी और औरंगाबाद में एयरपोर्ट रेस्तरां

वन लॉज

(1) काजीरंगा
(2) भरतपुर
(3) ससनगीर

अन्य कार्यालय

(1) पंजीकृत कार्यालय, 3 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
(2) ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन, दिल्ली, शालीमार (श्रीनगर) और साबरमती (अहमदाबाद)।
(3) क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई।
(4) पर्यटक सेवा केन्द्र, नई दिल्ली।

विवरण (दो)

संबंधित नियमों के साथ पठित औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत आने वाले भारत पर्यटन विकास निगम के प्रतिष्ठान

(1) होटल अशोक, नई दिल्ली
(2) होटल जनपथ अशोक, नई दिल्ली
(3) होटल लोधी अशोक, नई दिल्ली
(4) होटल रणजीत अशोक, नई दिल्ली
(5) होटल अकबर अशोक, नई दिल्ली
(6) होटल कुतुब अशोक, नई दिल्ली
(7) होटल अशोक, बंगलौर
(8) ललित महल पैलेस होटल, मैसूर
(9) होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद
(10) होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो
(11) होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी
(12) होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता
(13) अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम
(14) परिवहन प्रभाग जिसमें परिवहन एकक और मुख्यालय शामिल हैं।

एयर इंडिया में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

7943. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एअर इंडिया इण्टरनेशनल में प्रत्येक श्रेणीमें देश में और देश के बाहर नियुक्त अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण, संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	वर्ग	भारत में नियुक्त अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	भारत से बाहर नियुक्त अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1	स्टेशन सुपरिटेंडेण्ट . .	—	1	1
2	इंजीनियर ग्रेड II . .	1	—	1
3	डिप्टी चीफ एयर होस्टेस .	1	—	1
4	असिस्टेंट क्रू शिडूलिंग आफिसर	1	—	1
5	असिस्टेंट स्टेशन सुपरिटेंडेण्ट .	8	1	9
6	कम्प्यूटर आपरेटर . .	1	—	1
7	डिप्टी ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र .	1	—	1
8	जूनियर टैकनीकल आफिसर	2	—	2
9	फोरमैन . .	1	—	1
10	प्रोग्रामर . .	1	—	1
11	फ्लाइट पर्सर . .	7	—	7
12	एयर होस्टेस . .	56	9	65

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
13	खाईलिंग सुपरवाइज़र .	1	—	1
14	सीनियर रिसप्शनिष्ट .	1	—	1
15	सीनियर एयरक्रफ्ट टेक्नीशियन	3	—	3
16	चीफ टेलीप्रिंटर ऑपरेटर	3	—	3
17	चीफ ट्रैफिक असिस्टैंट .	2	—	2
18	ऑफिस असिस्टैंट .	7	—	7
19	सैक्शन स्टोरकीपर . .	2	—	2
20	सीनियर सिक्योरिटी असिस्टैंट .	1	—	1
21	टैक्नीकल असि स्टैंट .	1	—	1
22	एयरक्राफ्ट टैक्नीशियन .	18	—	18
23	पेण्टर . . .	4	—	4
24	प्लांट टेक्नीशियन . .	11	—	11
25	कारपेंटर . .	2	—	2
26	क्लर्क . . .	19	—	19
27	नर्स . . .	1	—	1
28	पंच ऑपरेटर . .	1	—	1
29	स्टोरकीपर . .	7	—	7
30	टेलीफोन ऑपरेटर . .	1	—	1
31	टेलीप्रिंटर ऑपरेटर .	5	—	5
32	ट्रैफिक असिस्टैंट . .	42	—	42
33	टाइपिस्ट/क्लर्क .	13	—	13
34	टाइम क्लर्क . .	1	—	1
35	असिस्टैंट फ्लाइट पर्सर .	20	6	26
36	जूनियर ऑपरेटर .	3	—	3
37	ड्राइवर . . .	6	—	6
38	हैड वेण्डर . .	1	—	1
39	क्लीनर . .	44	—	44
40	स्वीपर . .	1	—	1
41	हैण्डीमैन . .	2	—	2
42	लोडर . . .	36	—	36
43	चपरासी . .	7	—	7
44	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ट्रैनी) .	1	—	1
45	ट्रैनी टैक्नीशियन . .	15	—	15
46	असिस्टैंट फ्लाइट पर्सर (ट्रैनी)	1	—	1
	कुल .	363	17	380

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ते।दैनिक भत्ते/का भुगतान

7944. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को, दौरे पर ऊंची दर पर यात्रा भत्ते।दैनिक/भत्ते के भुगतान के लिए निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निर्धारित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने यात्रा भत्ते।दैनिक/भत्ते के प्रयोजनों के लिए जम्मू तथा कश्मीर को दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के बराबर घोषित कर दिया है ;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्र कठिन और दुर्गम हैं ;

(ङ) क्या चम्बा जिले में ट्रेला से किलार तक सड़क नहीं है और कर्मचारियों को 52 किलोमीटर की दूरी पैदल चल कर पूरी करनी पड़ती है ;

(च) यदि हां, तो सामान्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य को और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के प्रयोजनों के लिए जम्मू तथा कश्मीर के बराबर न मानने के क्या कारण हैं ; और

(छ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) ये इलाके निम्न प्रकार हैं :—

अपेक्षाकृत अधिक महंगे इलाके :—लाहौल—स्पिति जिला ; किन्नौर जिला ; रामपुर तहसील के सराहन, पन्दराबिस और अथराबिस परगने और शिमला जिले की रोहरू तहसील का दोदरा कवार इलाका ; चम्बा जिले की पांगी तहसील और भरमोर सब-डिवीजन तथा कुलू जिले का बाहरी सेराज इलाका ;

(ग) जी, नहीं ।

(घ) से (छ) : दुर्गम इलाकों में अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता।दैनिक भत्ता उच्चतर दरों पर मंजूर करने के प्रयोजन क लिए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण का अनुसरण करती है । उपर्युक्त प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश में इलाकों का विद्यमान वर्गीकरण, उस समय राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर नवम्बर, 1975 में किया गया था । इस वर्गीकरण के आधार पर, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके जम्मू और कश्मीर राज्य से अपेक्षाकृत उच्चतर दरों पर यात्रा भत्ता।दैनिक/भत्ता की मंजूरी के पात्र हैं तो कुछ अन्य इलाके अपेक्षाकृत कम दरों के लिए पात्र हैं ।

इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता में भरती के लिए पैनल का रद्द किया जाना

7945. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता ने एक परीक्षा आयोजित की थी और नवम्बर, 1978 में सफल उम्मीदवारों का इन्टरव्यू भी लिया था और दिसम्बर, 1978 में भरती हेतू एक पैनल भी बनाया गया था परन्तू रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने से पूर्व ही वित्त मंत्रालय के आदेश द्वारा उस समूचे पैनल को रद्द कर दिया गया ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पैनल के रद्द किए जाने से बेरोजगार युवकों को परेशानी हुई तथा उनका धन बेकार गया यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के स्थापित किये जाने के फलस्वरूप सरकार ने, अक्टूबर, 1978 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा था कि दिसम्बर, 1978 तक प्रत्येक बैंक द्वारा भर्ती के मामले में की गयी प्रगति को पूरा कर लें तथा 31 दिसम्बर, 1978 तक प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र भिजवां दें । बैंक से पुनः यह कहा गया था कि वर्तमान पैनल की अवधि 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हो जायेगी । अलबत्ता, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा प्रार्थियों की नियुक्ति में हुए विलम्ब के कारण यह अवधि 31 मार्च, 1979 तक तथा बाद में 30 जून, 1979 तक बढ़ा दी गयी है ।

इलहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि मुख्यतः वर्ष 1979 के लिए क्लर्क-कम-कैशियर/क्लर्क-कम-टाइपिस्ट की भर्ती के लिए, बैंक के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने सितम्बर 1978 में एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया था तथा दिसम्बर, 1978 में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था । अलबत्ता, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों क स्थापित हो जाने के कारण बक ने पैनल को अंतिम रूप देना तथा उसे प्रकाशित करना उचित नहीं समझा ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन की संभावनाएं

7946. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन की अत्यधिक सम्भावनाओं का पता है ; यदि हां, तो इस क्षेत्र में पर्यटन की संरचना तैयार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि पर्यटकों के लिये पर्याप्त पर्यटन संरचनाओं सम्बन्धी किसी प्रोत्साहन के अभाव में इस क्षेत्र के लोगों को कठिनाइयां होंगी तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : जी, हां। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए, द्वीपसमूह में होटल आवास में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। यहां द्वीप समूह प्रशासन द्वारा निर्मित एक पर्यटक गृह (32 बैड) और मेगापोड्स नैस्ट (12 बैड) है तथा गैर-सरकारी सैक्टर में कोर्विस कोव समुद्र तट पर 32 बैड वाला एक होटल है। पोर्ट ब्लेअर में 108 कमरों वाले एक होटल का निर्माण करने का भी एक प्रस्ताव एक प्राइवेट पार्टी से प्राप्त हुआ है और द्वीप समूह प्रशासन का पर्यटक गृह में 25 बैड की वृद्धि करते हुए, उसका विस्तार करने का प्रस्ताव है।

पोर्ट ब्लेयर में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 44 बैड वाले एक युवा होटल का निर्माण किया जा रहा है। भवन के 1980 के अंत तक संचालन हेतू तैयार हो जाने की संभावना है।

पोर्ट ब्लेयर से समीपवर्ती द्वीपों तक पर्यटकों को ले जाने के लिए एक मोटर लांच की खरीद हेतू पर्यटन विभाग के बजट में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

आलू और प्याज का निर्यात

7947. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों को आलू और प्याज निर्यात करने का है; यदि हाँ, तो किन-किन देशों को और कितनी मात्रा में; और

(ख) क्या इस निर्यात से हमारी घरेलु मण्डी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को आलू तथा प्याज के निर्यात को अनुमति है। आलू के निर्यात पर कोई मात्रा सम्बन्धी प्रतिबंध नहीं है। 1 नवम्बर, 1978 से 31 अक्तूबर, 1979 तक की अवधि के दौरान प्याज के निर्यात पर 75,000 मे० टन की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है।

(ख) जी, नहीं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयकर की बकाया राशि

7948. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार आजकल आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) उन पार्टियों के राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरों सहित नाम क्या हैं जिनकी ओर 5 लाख रुपयों से अधिक आयकर बकाया है;

(ग) उक्त राशि को वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार लम्बी अवधि से चली आ रही बकाया राशि के मामलों को कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित करके और ऐसे कर दाताओं को कुछ रियायतें देकर निपटान आयुक्त के माध्यम से निपटान करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) आयकर विभाग द्वारा आयकर की बकाया रकमों से सम्बन्धित सूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं रखी जाती है। परन्तु, इस प्रकार की सूचना आय कर आयुक्तों के क्षेत्राधिकारों के अनुसार उपलब्ध है। 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार क्षेत्राधिकार-वार सूचना विवरण (एक) में दी गई है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार ऐसे कर-निर्धारिती 1812 थे जिनमें से प्रत्येक की ओर आयकर की 5 लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया थीं। उनके नाम और अन्य ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है और ऐसी सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले अथवा मामलों के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे एकत्रित करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 में कर की बकाया रकमों की वसूली और उगाही करने के लिए अर्थ-दण्ड लगाने, चूककर्ता की रकमों को कुर्क करने, चल-सम्पत्ति को कब्जे में लेने और बेचने, अचल-सम्पत्ति को कुर्क करने

और बेचने आदि जैसे अनेक उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

कर की बकाया के मामलों को, जिनमें वे मामले शामिल हैं जिनमें प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया रकमें अन्तर्गस्त हैं, कम करने के लिए हाल ही में जो उपाय किए गए हैं, उनमें से कुछ उपाय विवरण (दो) में दिए गए हैं।

(घ) प्रत्यक्ष कर कानून समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार द्वारा समझौता आयोग को, ऐसे मामलों में कर देयता का समझौता करने के लिए, जो इसके द्वारा तय किए जाते हैं, शक्तियां प्रदान करने की वांछनीयता की जांच की जानी चाहिए। यह सिफारिश विचाराधीन है।

विवरण (एक)

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार का नाम	31-12-78 की स्थिति के अनुसार कर की बकाया रकमें	31-12-78 की स्थिति के अनुसार मांग जारी की गई परन्तु वसूली योग्य नहीं बनीं
1	2	3	4
1.	आगरा	4.52	1.66
2.	इलाहाबाद	7.43	3.14
3.	अमृतसर	8.38	1.64
4.	आन्ध्र प्रदेश	13.30	9.33
5.	असम	7.96	0.94
6.	बड़ौदा	3.93	3.76
7.	बिहार-I	4.89	0.77
8.	बिहार-II	8.17	0.29
9.	बम्बई सिटी अधिकार क्षेत्र	112.24	46.43
10.	बम्बई सिटी (सेन्ट्रल)	38.37	6.87
11.	कलकत्ता (सेन्ट्रल)	13.54	9.71
12.	दिल्ली	95.57	31.15
13.	दिल्ली (सेन्ट्रल)	14.17	3.74
14.	गुजरात I से III तक	10.71	17.14
15.	गुजरात (सेन्ट्रल)	13.15	2.31
16.	हरियाणा	1.58	1.04
17.	जालंधर	3.12	1.43
18.	कानपुर	8.22	2.11
19.	कानपुर (सेन्ट्रल)	10.95	6.43
20.	कर्नाटक-I	6.92	5.64
21.	कर्नाटक-II	9.41	6.32
22.	कर्नाटक (सेन्ट्रल)	6.24	2.14
23.	केरल	10.92	4.80
24.	लखनऊ	10.72	0.88
25.	लुधियाना (सेन्ट्रल)	3.17	1.55
26.	मध्य प्रदेश	26.07	2.44

विवरण (एक)—जारी

1	2	3	4
27.	मद्रास (सेन्ट्रल)	7.34	6.59
28.	मेरठ	10.23	1.34
29.	नागपुर .	13.33	1.03
30.	नासिक	4.07	1.53
31.	उड़िसा	5.02	0.59
32.	पटियाला	3.29	0.59
33.	पुणे	6.65	3.85
34.	राजकोट	2.56	1.42
35.	जयपुर	5.32	3.14
36.	जोधपुर	3.20	1.50
37.	तमिलनाडु तथा कोयम्बतूर	46.98	29.67
38.	पश्चिम बंगाल तथा आसनसौल	168.42	66.23
	कुल	730.06	291.14

विवरण (दो)

करों की बकाया को कम करने के लिए तथा काफी समय से पड़ी बकाया को वसूली करने के लिए हाल ही में किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ उपाय नीचे दिये गये हैं :

(i) करों की बकाया को कम करने की समस्या पर आय-कर आयुक्तों के मई 1978 में हुए सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और जून 1978 में व्यापक अनुदेश जारी किये गये थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया गया था :—

(क) बकाया मांग में से उगाही/घटौती का लक्ष्य 55 प्रतिशत रखा गया था और चालू मांग में से 90 प्रतिशत रखा गया था, विकल्प रूप में समग्र घटौती का लक्ष्य कर की कुल बकाया तथा उगाही के लिए देय नहीं बनी मांग की, जिसे 1-4-1978 को आगे लाई गयी मांग की तुलना में 1-4-1979 की आगे ले जाया जाना है, 25 प्रतिशत रखा गया था ।

(ख) 1978–79 के लिये वार्षिक कार्यवाही योजना इस प्रकार बनाई गयी कि कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्य से कुछ कर्मचारियों को कर की बकाया कम करने सम्बधी कार्य पर लगाया जा सके ।

(ग) प्रत्येक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में एक आयकर अधिकारी को अनन्यरूप से वसूली के काय की देखरेख करने में आयकर आयुक्त की सहायता करने का कार्य सौंपा जाना था ।

(घ) प्रत्येक आयकर अधिकारी को एक सप्ताह में एक अथवा दो दिन अथवा एक महीने में एक सप्ताह अनन्य रूप से उगाही/घटौती का कार्य करने के लिये अलग रखना था ।

(ङ) कर की बकाया को कम करने से सम्बन्धित कार्य की विभिन्न मदों को देखने के लिये विशेष दस्ते स्थापित किये जाने थे ।

(ii) बोर्ड के सदस्य ने, जो कर की बकाया को कम करने का कार्य देखता है, आयकर आयुक्तों के विभिन्न अधिकार क्षेत्रों का दौरा किया है और कर की बकाया को कम करने के प्रयत्नों में तेजी लाने के लिये चर्चाएं की । निरीक्षण के दौरान उनके नोटिस में जो कमियां आई उन्हें दूर करने के लिये कार्यवाही करने के निमित्त आयुक्तों के ध्यान में लाया गया ।

(iii) कर की बकाया की वसूली।घटौती के लिये निश्चित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति पर नजर रखने के लिये एक मासिक टैलिग्राफिक रिपोर्ट निर्धारित की गयी है और इस प्रकार की रिपोर्टों के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

(iv) आयकर आयुक्तों (अपील) से अलग-अलग निवेदन किया गया है कि कर की बड़ी बकाया के मामलों से सम्बन्धित अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाये ।

विवरण (दो)—जारी

(v) आयकर प्राधिकरणों में विचाराधिन पड़ी अपीलों की एक सूची विधि मंत्रालय को भेजी गयी थी जिसे जब आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय से भेज दिया गया है कि इस प्रकार की अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिये विभिन्न पीठों से निवेदन किया जाय ।

(vi) आयकर आयुक्तों से समान मुद्दों वाले मामलों में किये गये सन्दर्भों/रिट याचिकाओं को और जिन मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा करों की अदायगी स्थगित रखी गयी हो उनमें शीघ्र सुनवाई करने के लिये विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिशों से मिलने का निवेदन किया गया है ।

(vii) खास-तौर पर बड़े मामलों में, जिनमें प्रत्येक में कर की बकाया 10 लाख रुपये से अधिक है, कर की बकाया की घटौती में हुई प्रगति पर नजर रखने के लिये बोर्ड के सदस्य (राजस्व और लेखा परीक्षा) सहायता करने के लिये एक निदेशक वसूली-कार्य नियुक्त किया गया है जिसे आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कर दिये गये हैं ।

(viii) कुछ मामलों में, एक आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र से दूसरे आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में अन्तरित की गयी कर की बकाया की पावती प्राप्त नहीं हुई थी जिसके परिणामत: इस प्रकार की बकाया दो स्थानों पर दिखाई जा रही थी। इन मामलों को अलग कर दिया गया है और बकाया को कम करने के लिये इस प्रकार के मामलों में बकाया की प्राप्ति सूचना शीघ्र भिजवाई जा रही है ।

(ix) जिन मामलों में चालान के रसीदी अधपन्ने उपलब्ध नहीं हों, उनमें करों की अदायगी को हिसाब में लेने के लिए सरलीकृत कार्यविधि को अन्तिमरूप दे दिया गया है ताकि ऐसे मामलों को शीघ्रतापूर्वक हिसाब में लिया जा सके और कर की बकाया को कम किया जा सके ।

(x) विभाग के रजिस्टरों से बेकार के मामलों को निकालने के लिये आयुक्तों से निवेदन किया गया है कि उन पुराने मामलों में कर की बकाया को बट्टे खाते डालने की कार्यवाही शीघ्रता से करें जिनमें मांग वसूल नहीं किये जाने योग्य पायी जाती हो । वसूल नहीं किये जाने योग्य मांग को बट्टे खाते डालने में हुई प्रगति पर बोर्ड निगरानी रख रहा है और आयकर आयुक्त को समय समय पर आवश्यक हिदायतें जारी की जाती हैं ।

(xi) 1 फरवरी, 1979 से 15 फरवरी, 1979 तक एक कर बकाया अदायगी पखवाड़ा मनाया गया ताकि पहले ही की गयी अदायगियों को समायोजित करके अपीलीय/पुनरीक्षण आदेशों को प्रभावी बनाकर, एक तरफा कर-निर्धारणों को पुनः शुरू करने के लिये, भूल-सुधार करने तथा शुद्ध कर मांग के लिये, जहां कहीं अपेक्षित हो, चालान जारी करने के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदनों का निपटान करके कर की बकाया को कम किया जा सके ।

लद्दाख में सहकारिता आंदोलन

7949. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में अब कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए सहकारी समितियों की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) छठी योजना के अंत तक समूची ग्रामीण जनसंख्या के लिए सहकारी समितियों की व्यवस्था कब तक की जायेगी ;

(ग) लद्दाख में मक्खन और कृषि उत्पादों का विपणन करने के लिए सहकारी समितियों के क्या सहायता देने का विचार है ;

(घ) क्या लद्दाख की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये एक सुदृढ सहकारिता आंदोलन चलाने का कोई विशेष कार्यक्रम बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ङ) : यह सूचना जम्मू तथा काश्मीर सरकार से मंगाई जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

एकाधिकार गृहों द्वारा चलाये गये अतिथि गृहों पर व्यय

7950. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि एकाधिकार गृहों द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों और उच्च अधिकारियों आदि के मनोरंजन के लिये अतिथि गृह चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन एकाधिकार गृहों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि खर्च की गई और प्रत्येक कम्पनी का नाम क्या है और कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) एकाधिकार गृहों द्वारा किये जा रहे ऐसे अलाभकारी व्यय को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

11 फरवरी 1979 को पालम हवाई अड्डे पर घड़ियां पकड़े जाने का समाचार

7951. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रविवार, 11 फरवरी, 1979 को पालम हवाई अड्डे पर एक विदेशी राष्ट्रिक पकड़ा गया था जिसके पास 12 लाख रुपये की घड़ियां थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व आसूचना और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा हशीश जब्त किया जाना

7952. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व आसूचना और सीमा शुल्क अधिकारियों ने हशीश-गिरोह द्वारा नियुक्त विदेशियों सहित अनेक "कैरियरो" को गिरफ्तार किया है;

(ख) हशीश ले जाने वाले विदेशियों सहित किन-किन "कैरियरों" को गिरफ्तार किया गया है, 1 जनवरी, 1978 से 28 फरवरी, 1979 तक कुल कितनी मात्रा जब्त की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि राजस्व आसूचना के निर्देशकों ने बम्बई में हाजी अली के निकट हीरा पन्ना भवन क एपार्टमेंट पर छापा मारा और उसकी सील तोड़ी और ऐसे छापे का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार 1-1-78 से 28-2-79 तक की अवधि के दौरान, 49 व्यक्तियों को, जिनमें 28 विदेशी भी शामिल थे, हशीश की तस्करी में ग्रस्त होने के कारण, गिरफ्तार किया गया था और लगभग 954 किलोग्राम हशीश बरामद की गयी थी। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(ग) यह बताया गया है कि 143-बी, हीरा पन्ना भवन, हाजी अली, बम्बई के परिसरों को बम्बई निवारक समाहर्तालय, बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 25-8-78 को सील कर दिया था, क्योंकि उक्त परिसरों की तलाशी ली जानी थी लेकिन उन पर ताला लगा मिला। बाद में, परिसरों की तलाशी ली गयी और कुछ अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गये ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	क्रम संख्या	नाम
1.	नसीम जनीव	10.	जार्ज मर्विन सब्बाय
2.	बलदीप सिंह	11.	हाब्रेक एडरसन मार्थाम्रोसा
3.	जेम्स तिवारी	12.	चौवे थीरी आरमण्ड
4.	श्रीमती एस० सी० मुलीन	13.	अब्दुल अहमद गुलाम अहमद रीशी
5.	मंगत राम आनन्द	14.	बीवरलाइसस स्टेंटन
6.	के० सी० आलूवालिया	15.	कुमारी जे० ले० गोनीडेक
7.	ईसा अब्दुल गफूर अलजपानी	16.	अब्राहिम अब्दुला मोहम्मद मटर
8.	जमनादास नरसी दादा	17.	पीटर ओलिवर वारेट
9.	थोमस हरल्ड मैल	18.	मोहम्मद हुसैन अहमद पटेल

विवरण—जारी

क्रम सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
19.	दोरायराज एम० चेट्टी	35.	अशोक ओसमान
20.	एजवायले पिन्हास	36.	अब्दुल रजाक अब्दुल्ला
21.	अब्दुल हाबी एम० एम० दायाब अल नायमी	37.	आसमान क्लास गुन्थर
22.	गुन्थर क्लाउस	38.	मोहम्मद मेहदी
23.	गुलाम आदम नासर अल जदजलील	39.	कुमारी ज्योर्जी केंडोज
24.	अब्दुल करीम रुक्का दीन	40.	कुमारी डी-गार्को मारिया
25.	एमोनियल गई लीडुक	41.	होबल मैम्पर गेर्बड
26.	क्लाउडे लेडुक	42.	अरफतीक साइज बेर्डो
27.	पीटर जोसेफ एन० ईम्स	43.	थाना सिंह बरार
28.	लिलियन एन्नी बरसाम	44.	मोहम्मद फरूख
29.	एरिश जनशन	45.	मोहम्मद नाजिर
30.	कुमारी जेनीफर ओन्स	46.	मार्कोली मंगोली
31.	एम्मा टेलर	47.	वेयर गिन्टर अर्नेस्ट
32.	तारकीन मोरगन	48.	फिलिप जार्ज मेन्सन
33.	रोगर डेविड एफ०जोन्स	49.	रोनाल्ड मरकर
34.	रेमिल्टन ऐले रुईस पूर्वीराज सिंह		

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि का उपयोग न किए जाने का समाचार

7953. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च 1979 के फाइनेंसियल एक्सप्रैस में प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें श्री एल० के० झा ने कहां बताया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करने के लिए विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधी का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्री झा ने पहले भी सरकार को अपना विचार बताया था;

(ग) क्या सरकार ने उनके विचारों को ध्यान में रखा था; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानसून की परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर हमारे कृषि और खाद्य के उत्पादन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इस बात को देखते हुए कि हमारे पास आरक्षित मुद्रा भण्डार की कोई 'दूसरी पंक्ति' नहीं है और विकसित देशों का वातावरण संरक्षणवादी है तथा वहां मंदी की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जिनके परिणामस्वरूप हमारे निर्यात में कमी हो सकती है, विदेशी मुद्रा का हमारा भण्डार कोई बहुत बड़ा नहीं है। विकास और आयात संबंधी अपनी नीतियों को स्थिरता प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार का एक अच्छे खासे स्तर पर बना रहना जरूरी है।

विदेशी मुद्रा भण्डार के उपयोग के संबंध में निश्चय ही मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य में विचार करना होता है। सरकार ने विदेशी मुद्रा भण्डार का लाभप्रद ढंग से उपयोग करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ विकास की दर को कायम रखने के हमारी आयोजना के समग्र उद्देश्य के अनुरूप अनेक कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1978–79 के आयात में हुई भारी वृद्धि से इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का संकेत मिलता है।

गैर सरकारी उद्यमों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी

7954. **श्री ए० के० राय :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने वरिष्ठ कार्यकारी हैं जो सेवा-निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी उद्यमों में कार्य कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : यह मंत्रालय ऐसी कोई जानकारी नहीं रखता है कि सरकारी उद्यमों के कितने वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद कहां कार्य कर रहे हैं ।

शहरों में जनता होटलों का खोला जाना

7955. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरों में जनता होटल खोलने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : पंचवर्षीय योजना 1978–83 के अन्तर्गत, 4 महानगरों, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में तथा अन्य चुने हुए केन्द्रों पर, जिनका चयन एक सर्वेक्षण कराने के पश्चात् किया जाएगा, साधनों की सुलभता पर निर्भर रहते हुए यात्री निवासों (जनता होटलों) के निर्माण का कार्यक्रम है । नई दिल्ली में पहले अशोक यात्री निवास (जनता होटल) का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, जो कि 1980–81 तक विविध चरणों में पूरा हो जाएगा । तमिल नाडु सरकार ने मद्रास में सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन के पास एक उपयुक्त स्थल उपलब्ध किया है और योजनायें तथा अनुमान तैयार किये जा रहे हैं । बम्बई और कलकत्ता में यात्री निवासों के निर्माण के लिए स्थलों का चयन किया जा रहा है ।

विदेशी ऋणों का भुगतान

7956. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला** :

डा० विजय मंडल :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी ऋणों के भुगतान की राशि में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है और यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ख) वर्ष 1970–71, 1974–75 तथा 1978–79 के दौरान सरकार ने विदेशी ऋणों के भुगतान की राशि के रूप में देश-वार कितनी राशि का भुगतान किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां, विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी की राशि में हर साल वृद्धि हो रही है । मोटे तौर पर इसका कारण ऋण करारों की शर्तों के अनुसार देय राशि के भार का अधिक होना और संचयी वापसी अदायगियों की देनदारी का अधिक होना है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार द्वारा विदेशों को वर्ष 1970-71, 1974-75 और 1978-79 के दौरान की गई ऋणों की वापसी अदायगियों की राशियों का देशवार विवरण :

(करोड़ रुपए)

देश	1970–71(क)	1974–75(ख)	1978–79(ख) अनुमानित
1. आस्ट्रिया	1.12	2.40	2.67
2. बेल्जियम . . .	..	0.28	0.54
3. कनाडा . . .	0.81	5.82	8.44
4. डेनमार्क .	0.29	0.28	1.11
5. फ्रांस	1.13	10.04	22.75
6. जर्मन संघीय गणराज्य . .	28.18	63.58	78.67
7. इटली .	0.06	0.58	1.48
8. जापान	2.43	45.59	52.84
9. नीदरलैंड		1.71	5.00
10. स्वीडन	..	..	..

विवरण (जारी)

(करोड़ रुपये)

देश	1970–71(क)	1974–75(ख)	1978–79(ख) अनुमनित
11. यूनाइटेड किंगडम . .	16.24	29.35	40.86
12. संयुक्त राज्य अमेरिका .	45.37	42.10	70.54
13. स्विटजरलैंड . . .	2.41	4.67	3.24
14. बहरीन . . .	0.71	0.74	..
15. कुवैत . .	4.34	..	..
16. कातार	0.94	0.99	0.87
17. चैकोस्लोवाकिया . .	7.17	7.54	4.10
18. पोलैण्ड .	2.06	2.86	1.52
19. रूस . . .	57.97	47.76	123.59
20. यूगोस्लाविया . . .	3.64	1.80	0.05
21. हंगेरी . .	..	..	0.69
22. ईराक . . .	..	..	18.54
	174.87	268.09	437.50

(क) दिसम्बर, 1971 से पहले की अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की विनिमय दरों पर।

(ख) वर्तमान विनिमय दरों पर।

बम्बई हवाई अड्डे में इलेक्ट्रोनिक घड़ियों का पकड़ा जाना

7957. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

डा० विजय मण्डल :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के एक यात्री के कब्जे में शनिवार, 9 मार्च, 1979 को सांताक्रूज हवाई अड्डे, बम्बई में इलेक्ट्रोनिक घड़िया पकड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे घड़ि सूटकेस में थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार बम्ब हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने, 9–3–79 को, एक स्वदेशी यात्री से, जो दिल्ली से आया था, 901 इलैक्ट्रोनिकीय कलाई घड़ियां पकड़ी। यह घोषणा की गई थी कि सूटकेस में चावल हैं। जांच पड़ताल करने पर, यह पाया गया कि इन घड़ियों का देश में तस्कर-आयात किया गया था और उन्हें एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साठगांठ से दिल्ली से बम्बई ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में, एअर इंडिया के उक्त कर्मचारी और दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आगे जांच पड़ताल चल रही है।

आई० सी० आई० सी० आई० के सौदे

7958. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आई० सी० आई० सी० आई० के कुछ सौदों की ओर दिलाया गया है जैसा कि "ब्लिट्ज" साप्ताहिक दिनांक 20 मई, 1978 और 24 जून, 1978 में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) एक प्रमुख सरकारी वित्त पोषण संस्था के रूप में, जिसे 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि भारत सरकार अथवा विश्व बैंक से मिलती है जिसके लिए सरकार गारंटी देती है, आई० सी० आई० सी० आई० का संसद के प्रति क्या दायित्व हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) सरकार ने उन समाचारों को देखा है जो 20–5–1978 और 24–6–1978 के ब्लिट्ज में छपे थे।

(ख) और (ग) : ब्लिट्ज के उपर्युक्त लेखों में लगाये गये आरोपों में अन्य बातों के साथ साथ लैम्प्स कैप्स एण्ड फिलामैंट्स से संबंधित कारोबार, एकाधिकारी घरानों के प्रति पक्षपात परियोजनाओं को सहायता देने में पक्षपात आदि आते हैं। इनकी जांच की गयी थी और इन्हें निराधार पाया गया।

(घ) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) सहित सभी वित्तीय संस्थायें, सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीति के आम ढांचे के भीतर कार्य करती हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के परिचालनों, नीति और प्रक्रियाओं का इसके प्रबंधकों और इसे निदेशक मण्डल द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के बोर्ड में दो सरकारी निदेशक हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की सलाह से कम्पनी ला बोर्ड द्वारा की जाती है। इन लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक खातों की नियमित लेखा परीक्षा के अलावा, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक पूरक लेखा परीक्षा भी करते हैं।

पूंजी निवेश का वातावरण और रोजगार में वृद्धि

7959. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्री डी० आर० पेंडसे ने सरकार से आग्रह किया है कि वह निरंतर बढ़त हुए सरकारी क्षेत्र के अवर लैसेंस (हमारे अनुभव) के बारे में एक निष्पक्ष विशेषज्ञ जांच करायें;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि बजट परिव्ययों के ढांचे को देखने पर यह स्पष्ट है कि आगामी वर्षों में भी बेरोजगारी में वृद्धि जारी रहेगी और पूंजी निवेश के वातावरण में मंदी जारी रहेगी, और

(ग) यह यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर विस्तृत रिपोर्ट क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जी, हां। सूचना के अनुसार टाटा वालों के आर्थिक सलाहकार श्री डी० आर० पेंडसे ने पिछले महीने संघीय बजट के संबंध में मंतव्य प्रकट करते हुए यह बात कही है कि सरकार को निरन्तर वृद्धिशील सरकारी क्षेत्र के प्रवर्तन से प्राप्त "अवर लैसंस (हमारे अनुभव)" के संबंध में स्वायत्त रूप से जांच करनी चाहिए। सूचना मिली है कि श्री पेंडसे ने यह मंतव्य भी प्रकट किया है कि बजट संबंधी परिव्ययों को देखकर उनको यह बात स्पष्ट हो गई है कि आगामी वर्षों में भी बेरोजगारी में बराबर वृद्धि होती रहेगी और पूंजी के निवेश के वातावरण में शिथिलता आती रहेगी।

(ग) सरकार को इस बात का पता है कि सरकारी क्षेत्र के कार्यचालन को सुधारने की भारी जरूरत है। किन्तु सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि आगामी वर्षों में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी अथवा पूंजी निवेश संबंधी वातावरण शिथिल बना रहेगा। सरकारी, क्षेत्र के लिए बजट में अपेक्षाकृत जो ज्यादा परिव्यय की व्यवस्था की गई है, वह अर्थ-व्यवस्था में सकल मांग को बढ़ावा देने और इस प्रकार से निवेश संबंधी वातावरण को सुधारने के लिए की गई है। ऐसी संभावना है कि बजट में व्यवस्थित परिव्ययों की प्रणाली से, जिसके अनुसार कृषि, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा लघु क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था होगी तथा बेरोजगारी में कमी होगी।

आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के माध्यम से काले धन का पता लगाया जाना

7960. **श्री वसंत साठे** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 और 1978–79 के दौरान आयकर अधिकारियों ने कितने छापे मारे तथा कुल कितने मूल्य क काल धन का पता लगा और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बिन हिसाब वाले धन/वस्तूओं का मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक था तथा इनमें किन-किन पार्टियों का हाथ था, जब्त की गई करेंसी/बहुमूल्य वस्तूओं/आभूषणों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पांच लाख रुपये ऐसे अधिक के से प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सूचना देने वालों को देय उनकी उचित राशि का भुगतान नहीं किया गया है और उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वार उचित संरक्षण नहीं दिया गया है तथा सूचना देने वालों को तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और तदनुसार पिछली अवधि की तुलना में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(घ) काले धन का पता लगाने के लिए आई० ए० आर० सूचना देने वालों को, इस काम की नाजुकता को देखते हुए आगे क्या प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ङ) क्या यह सच है कि बिना हिसाब वाले धन का पता लगाने के लिए स्थापित किये गये विशेष सैल विघटित कर दिये गये हैं और कब से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पल रख दी जायगी ।

तंजानिया में काजू विकास पर व्यय

7961. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजानिया में काजू बागानों के विकास पर कितना व्यय किया जाता है; और

(ख) तंजानिया सरकार के साथ कितने सालों का करार किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में नई दिल्ली में भारत-तंजानिया संयुक्त आयोग की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें इस बात को नोट किया गया था कि तंजानिया सरकार ने दीर्घावधि उत्पादन व कच्चे काजू की सप्लाई के लिए 50,000 एकड़ भूमि निर्धारित की थी और यह विनिश्चिय किया गया था कि एक आर्थिक संभाव्यता अध्ययन किया जाये जिससे दोनों सरकारें और आगे की कार्यवाही विनिश्चित कर सकें। संभाव्यता अध्ययन करने के वास्ते अभी तक कोई भी वित्तीय प्राक्कलन नहीं बनाया गय

(ख) भारतीय काजू निगम ने 1978–79 के मौसम में से कच्चा काजू खरीदने के लिए तंजानिया प्राधिकारियों के साथ संविदा की है ।

चीनी में वायदा व्यापार

7962. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी में वायदा व्यापार की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का असंतोषजनक कार्य

7964. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के असंतोषजनक कार्य की जांच करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) यह मंत्रालय इनमें से कुछ सरकारी उद्यमों का कार्यचालन असंतोषजनक होने के कारण उद्यमों में लगी पूंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट होने के बारे में चिन्तित है। इन उद्यमों के कार्य निष्पादन पर वित्त मंत्रालय द्वारा और अधिक कड़ी निगरानी रखने के लिए कुछ प्रयास किये गए हैं, ताकि उनमें लगी पूंजी पर और अधिक प्रतिलाभ प्राप्त किया जा सके। प्रशासनिक मंत्रालय, जो उनके नियंत्रणाधीन उद्यमों के कार्यचालन के लिए मूलतः उत्तरदायी है, को चाहिए कि वे ऐसे उद्यमों का कार्यचालन सुधारने की ओर तत्काल ध्यान दें, जिनका कार्यनिष्पादन वास्तविक एवं वित्तीय रूप से अच्छा नहीं है। इन मामलों की ओर सरकार द्वारा अब उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है तथा वित्त मंत्रालय इन उद्यमों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगा ।

बिहार में शुष्क बन्दरगाह

7965. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बिहार के लिये शुष्क बन्दरगाह की स्थापना करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो 1979–80 में स्थापित किये जाने वाले शुष्क बन्दरगाहों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार वहां पर शुष्क बन्दरगाह स्थापित करने के लिये विशेष योजना तैयार करेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1979–80 में कोई शुष्क पत्तन स्थापित करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच पड़ताल करने में एयरलाइन्स का सहयोग

7966. **श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एयरलाइन्स द्वारा सहयोग न किये जाने की वजह से यात्रियों के सामान को सीमाशुल्क कक्ष में लाने में दो से लेकर तीन घंटे तक का समय लगता है, जब कि यात्री कुछ ही मिनटों में कक्ष में आ जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी यह पाते हैं कि विशेषरूप से खाड़ी के क्षेत्रों के यात्रियों के उतरने के कार्ड बिना भरे हुए होते है और कुछ उड़ानों में तो यात्रियों को कार्ड जारी ही नहीं किये जाते ;

(ग) क्या यह सच है कि एयरलाइन्स शीघ्र निकासी के सीमाशुल्क अधिकारियों के प्रयासों में उनके सहयोग नहीं करते जैसा कि सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर जनवरी के दौरान नई प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करते समय बम्बई के सीमाशुल्क समाहर्ता ने कहा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सहकारिताओं को खाद्यान्न के निर्यात के लिए लाइसेंस

7967. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 12 सहकारिताओं को खाद्यान्न का निर्यात करने के लिये लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए मंत्रालय ने सरकार को खाद्यान्नों का निर्यात रोक देने की सलाह दी है;

(ग) किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) किन-किन वस्तुओं का निर्यात अब बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) क्या सरकार सभी प्रकार के खाद्यान्नों के निर्यात जारी रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ): खाद्यान्नों की विभिन्न मदों का निर्यात देश के अन्दर उनकी प्राप्यता तथा मांग को ध्यान में रखते हुए विनियमित किया जाता है । खाद्यान्नों के बारे में निर्यात नीति नीचे दी गई है :—

बासमती चावल : खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबंध और न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन निर्यात करने की अनुमति दी जाती है ।

बासमती चावल को छोड़कर अन्य चावल : सरकारी व सहकारिता अभिकरणों के माध्यम से अधिकतम सीमा के अन्दर निर्यात की अनुमति दी जाती है ।

अन्य खाद्यान्न : गुणावगुण के आधार पर अनुमति दी जाती है ।

रूस को काजू का निर्यात करने पर प्रतिबंध

7968. **श्री जी० मुवाराहन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को काजू का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत चल रही कम्पनियां

7969. **डा० बापू कालदाते :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमों का पालन कर रही हैं और भारत में चल रही हैं;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग कर रही हैं;

(ग) ये सहयोग किस वर्ष से प्रचलित हैं; और

(घ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतीश अग्रवाल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन कम्पनियों के नाम दिए गए हैं जो विदेशी शेयरधारिता सहित, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार देश में कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1947–1978 की अवधि में दी गई स्वीकृतियों की संख्या बताई गई है। इन सभी सहयोगों के लिए अनुमतियां समय समय लागू होने वाली नीतियों और मार्ग निर्देशों के अनुसार दी गई हैं। यद्यपि अधिकांश पुराने सहयोग समाप्त हो गए हैं किन्तु जो सहयोग गत 5 से 10 वर्षों के दौरान शुरू किए गए हैं वे सामान्यत: अभी चल रहे होंगे। ये अनुमोदन प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुणों के आधार पर तथा उन नीतियों और मार्ग निर्देशों का पालन करते हुए दिए गए हैं जो अनुमोदन दिए जाने के समय लागू थे। जब तक कि सहयोग की प्रारम्भिक अवधि को बढ़ाने के लिए पर्याप्त औचित्य न हो तब तक यह अवधि बढ़ायी नहीं जाती। वर्ष 1947 से अब तक अनुमोदित सहयोगों की कुल संख्या को देखते हुए यह निवेदन है कि इस समय चल रहे सहयोगों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित करने में जो समय लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले फल के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट सहयोग या सहयोगों के बारे में सूचना चाहते हैं तो वह सूचना एकत्रित की जा सकती है तथा उसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निदेश सांविधिक स्वरूप के हैं तथा जो विदेशी कंपनियों देश में अपना कार्य करते रहना चाहती हों, उन्हें अनिवार्यत: इन नियमों का पालन करना होगा।

[ग्रंथालय में रखे। देखिये संख्या एल० टी० 4353/79]

बहुराष्ट्रिक निगमों की शाखाएं तथा सहायक कम्पनियां

7970. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री 13 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3167 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उत्तर के भाग में बतायी गई बहुराष्ट्रिक निगमों की 473 शाखाओं तथा 146 सहायक कंपनियों ने अपनी इक्विटी पूंजी समाप्त कर दी है और प्रत्येक कंपनी के बारे में ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में यदि कोई असफलता है तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) इसी उत्तर के अनुबंध II में उल्लिखित कंपनियों ने देय आयकर, कर्मचारियों के दावे आदि, भारत में अपना कारबार बन्द करने से पहले के सभी मामले तय कर लिए हैं और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तथ्य के बारे में सरकार का क्या मूल्यांकन है कि बहुराष्ट्रिक निगमों की शाखाओं और सहायक कंपनियों की संख्या कम हो रही है परन्तु उनके लाभ और आस्तियां बढ़ रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) लोक सभा के पहली दिसम्बर 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1892 के भाग (ग) और (घ) के संबंध में दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत एक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन विदेशी कम्पनियों के नाम बताए गए हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विदेशी इक्विटी कम करने के लिए कहा गया है और जो पहले ही

अपनी विदेशी इक्विटी कम कर चुकी हैं अथवा जिनकी योजनाओं को अनुमति दी जा चुकी है अथवा जिनकी योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निदेश सांविधिक स्वरूप के हैं और भारत में अपना कारबार जारी रखने की इच्छुक विदेशी कंपनियों के लिए इन निदेशों का पालन करना अनिवार्य है ।

(ख) भारत में अपना कारबार बन्द करने वाली कम्पनियों जब तक करों तथा अन्य देनदारियों से संबंधित अपने मामलों को तय नहीं करतीं, उन्हें विदेशों को रकमें भेजने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(ग) विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों की सापेक्षिक संख्या में इसलिए कमी हो रही है क्योंकी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इक्विटी पूंजी कम करने की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अन्तर्गत शाखाओं को अपने आपको ऐसी भारतीय कंपनियों में बदलना होता है जिनमें अनुमत स्तर तक ही विदेशी शेयर धारिता होती है और कंपनियों को अपनी विदेशी शेयरधारिता निर्धारित स्तर तक, अधिकतर 40 प्रतिशत तक, घटानी पड़ती है। इसके अलावा, स्टर्लिंग चाय कम्पनियों के मामले में, जो भारत में शाखाओं के माध्यम से काम कर रही हैं, अधिकतर मामलों में कम्पनियों के भारतीयकरण की प्रक्रिया में ऐसी कंपनियों के एक समूह का विलय किसी एक भारतीय कंपनी में हो जाता है जो उनका कारबार अपने हाथ में लेने के प्रयोजन से गठित की गई हो । इस प्रकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी पूंजी को कम करने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शाखाओं तथा सहायक कंपनियों की संख्या में काफी कमी हो जाएगी । किन्तु विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी पूंजी को कम करने की प्रक्रिया और कंपनियों के लाभों तथा परिसम्पत्तियों (आस्तियों) के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है । उनके लाभों तथा उनकी परिसम्पत्तियों में वृद्धि मुख्यतः उनके कारबार में सामान्य वृद्धि होने तथा उसमें विविधता लाने के कारण होती है ।

भारतीय उद्योगों द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी का निर्यात

7971. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उद्योगों द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी के निर्यात के क्षेत्र में 1977 और 1978 में क्या क्या विशिष्ट सफलताएं प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफबेग) : परामर्शी फर्मों सहित भारतीय उद्योगों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय प्रौद्योगिकी की क्षमता धीरे-धीरे विदेशों में, विशेष तौर पर एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में मान्यता प्राप्त करती जा रही है । भारतीय फर्मों को बड़ी टर्नकी परियोजनाओं के लिए जिनमें परामर्शी सेवाएं भी शामिल हैं, निर्यात आर्डर मिलने आरम्भ हो गए हैं । 1977 और 1978 के दौरान इन क्षेत्रों में मिले कुछ महत्वपूर्ण आर्डर हैं : चीनी संयंत्रों, वस्त्र संयंत्रों, रासायनिक संयन्त्रों, जल उपचार संयंत्रों, विद्युत केन्द्रों आदि की परियोजनाएं जिनमें संयंत्रों और उपस्करों सहित प्रौद्योगिकी सप्लाई की गई है । टर्नकी आर्डरों के अलावा, भारतीय परामर्शी फर्मों ने विदेशी पार्टियों को स्टील संयंत्रों, विद्युत परियोजनाओं, उर्वरक संयंत्रों आदि के लिए तकनीकी जानकारी देने की संविदाएं प्राप्त की हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्धकों का कार्यकरण

7972. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** :

श्रीमती मोहसिना किदवाई :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यमों संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय 22 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के आधार पर कि यदि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधक लाभ न दिखा सकें तो उन्हें जाना पड़ेगा, सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त क्या कार्यवाही करने का है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अच्छा कार्य करें और अच्छे परिणाम दिखायें ;

(ख) इस समय सरकारी क्षेत्र के कितने एकक चल रहे हैं, उनका कुल परिव्यय कितना है और गत पांच वर्षों के दौरान उनके वित्तीय परिणाम क्या रहे ; और

(ग) इस भावना को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है कि सरकारी क्षेत्र के एककों के प्रबन्धक अच्छे कार्य निष्पादन के लिए पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था बड़ी हानि उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार, सरकारी उद्यमों का कार्यचालन सुधारने के लिए चिन्तित है ताकि वे राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दिशा में अधिकाधिक योगदान कर सकें। जिन उद्यमों का कार्यनिष्पादन पिछले कुछ वर्षों में अच्छा साबित नहीं हुआ है, उन पर वित्त मंत्रालय विशेष निगरानी रखता है ताकि समयानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। प्रशासनिक मंत्रालयों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रणाधीन उद्यमों के कार्यनिष्पादन का परिवीक्षण एवं सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। इन उद्यमों के कार्यचालन परिणामों में सुधार के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. उत्पाद मिश्र का विविधीकरण ।
2. संयंत्र और मशीनों का आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन ।
3. अनुसंधान एवं विकास पर अधिकाधिक जोर देना ।
4. मांग बढ़ाने के लिए निर्यात अभियान सम्बन्धी और अधिक सम्मिलित प्रयास करना ।
5. कच्चे माल/संघटकों तथा पूंजीगत माल की आयात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना ।
6. प्रबन्ध में भागीदारी द्वारा श्रम उत्पादकता एवं औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करना ।
7. प्रशिक्षण एवं विकास द्वारा प्रबंधकीय कार्यकुशलता बढ़ाना ।

वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी उद्यमों के कार्यचालन की समीक्षा की ओर अब और अधिक ध्यान दिया जायगा, ताकि उनका प्रतिलाभ बढ़ाया जा सके ।

(ख) अपेक्षित सूचनाएं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की 1975–76, 1976–77 और 1977–78 की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है, जिन्हें सभा-पटल पर रखा जा चुका है ।

(ग) सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों को यह भली-भांति मालूम है कि यह प्रबन्धकों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए तथा जिन प्रबन्धकों का कार्यनिष्पादन अच्छा साबित नहीं होता उनके प्रति सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए समुचित मूल्यांकन प्रणालियां अपनाना आवश्यक है। सरकारी उद्यमों में सभी शीर्ष पदों, जैसे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्तियां सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए संविदागत आधार पर की जाती है, जिसे किसी भी ओर से तीन महीने का नोटीस देकर समाप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली के अनुसार ये नियुक्तियां ज्यादतर गुणवत्ता के आधार पर की जाती हैं। सरकारी उद्यमों में शीर्ष पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए एक और समुचित प्रणाली विकसित की गई है जिससे कि प्रशासनिक कार्यालय तथा सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा शीर्ष पदों पर नियुक्त उन सभी व्यक्तियों के कार्यनिष्पादन की प्रथम वर्ष के अंत में संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। ऐसा किये जाने के बाद ही उनके ठेके की शेष अवधि की पुष्टि की जाती है। यह मूल्यांकन पदधारियों का कार्यनिष्पादन आंकने के लिए निर्धारित वस्तुगत लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है ।

तस्करी रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सीमा पुलिस को अधिकार दिया जाना

7973. **श्रीमती मोहसिना किदवाई** : क्या उप **प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सीमा पुलिस को अधिकार देने का प्रश्न सक्रिय रूप से उनके विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख): वर्तमान में, सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो भारत नेपाल सीमा के उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों के साथ-साथ ऐसे पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों को, जो सीमा शुल्क निवारक चौकियों से बहुत दूर जगहों पर स्थित हैं सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, माल पकड़ने और गिरफ्तार करने के कुछ अधिकार देने के बारे में हैं ।

वर्ष 1978 के दौरान निर्यात किया गया पटसन का सामान

7974. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978–79 के दौरान पटसन के सामान के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और उनके निर्यात में कमी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के निर्यात की तुलना में वर्ष 1978-79 में निर्यात किये गये पटसन के सामान की मात्रा का राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) पटसन उद्योग नवम्बर, 1978 के मध्य से विभिन्न कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण प्रभावित रहा जिसके फलस्वरूप निर्यात रुक गये। तथापि औद्योगिक विवादों को संतोषजनक ढंग से निपटा लिया गया है और स्थिति अब फिर सामान्य हो गयी है।

(ग) 1978-79 के दौरान पटसन माल के निर्यातों का देशवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। 1976-77 तक तथा 1977-78 के देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

विवरण

मात्रा हजार मे० ट
मूल्य लाख रु०

	1976-77		1977-78	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पूर्व यूरोप—				
(इसमें सोवियत संघ भी शामिल है) .	145.4	5942.44	157.1	7525.88
सं० रा० अमरीका . . .	120.7	5741.73	151.2	7072.81
अमरीका का शेष भाग इसमें कनाड़ा भी शामिल है	21.6	940.90	20.4	924.79
इकाफे —				
(इसमें जापान अस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड शामिल हैं) .	63.5	2942.18	58.4	2960.10
अरब व गैर अरब अफ्रीका . . .	34.6	1328.37	49.0	1891.09
एशिया का शेष भाग–इसमें मध्य पूर्व भी शामिल है .	8.3	368.95	14.7	657.93
कुल निर्यात— इसमें अन्य देश भी शामिल हैं . .	452.7	19924.14	521.4	24408.94

विदेशों में काम करने वाले भारतीय

7975. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1978 के दिन कितने भारतीय नागरिक विदेशों में कार्य कर रहे थे ;

(ख) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान विदेशों में अर्जित उनकी आय में से कितनी राशि स्वदेश भेजी गयी ; और

(ग) उपरोक्त दो वर्षों के दौरान स्वदेश भेजी गई इस राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में सही सही सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन में से सब अपने आप को भारतीय मिशनों में रजिस्टर नहीं करवाते।

(ख) विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों द्वारा भारत में भेजी गई राशियों की सही-सही सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा 10,000 रुपये अथवा उससे कम की रकमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देना जरूरी नहीं है। फिर भी पिछले दो वर्षों में बाहर से आने वाली रकमों के समग्र आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	(करोड़ रुपये)
1977	1908.34
1978	2218.75

ऊपर दिये गये निर्यात भिन्न सकल प्राप्तियों के आंकड़े, इस प्रश्न स सम्बद्ध चार प्राप्ति शीर्षों अर्थात (1) परिवार भरण पोषण, (2) अनिवासियों की बचतें, (3) प्रवासी अन्तरण; और (4) मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा है, जिसमें

सभी प्रकार की प्राप्तियां जैसे हवाई कम्पनियों की प्राप्तियां, नौवहन प्राप्तियां, बीमा प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, पर्यटन प्राप्तियां आदि शामिल हैं ।

(ग) "आर" विवरणियों में जिनमें प्राधिकृत व्यापारियों को बाहर से भारत भेजी जाने वाली रकमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देनी होती है । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें रकम पाने वाले के राज्य या रकम भेजने वाले के राज्य के बारे में जानकारी हो । अतः बाहर से भेजी जाने वाली रकमो का राज्यवार व्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

रुपए के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में पुनरीक्षण

7976. **श्री दुर्गा चन्द : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये का वर्तमान मूल्य कितना है और वर्ष 1959 में इसका मूल्य कितना था ; और

(ख) रुपये के मूल्यों में हुई धीरे-धीरे कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में किस सीमा तक पुनरीक्षण किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949=100) के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार 1959 में रुपये की क्रय शक्ति 82.64 पैसे थी। फरवरी, 1979 में रुपये की क्रय शक्ति 25 पैसे थी ।

(ख) केन्द्रीय सहकारी कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और यह 1-1-1973 से प्रभावीत हुआ । तब से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन-ढांचे में कोई सामान्य संशोधन नहीं हुआ है । तथापि, सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 मास के औसत में हुई वृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तें मंजूर करती रही है; अतिरिक्त महंगाई भत्ते की सबसे बाद की किस्त 1-12-1978 से मंजूर की गई है ।

जिला उद्योग केन्द्रों में बैंकों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति

7977. **श्री राम सागर : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों में प्रबन्धको (ऋण) के पद पर बैंकों ने वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के वित्त विभाग ने अभी तक उनकी सेवा शर्तों को अन्तिम रुप क्यो नहीं दिया है यद्यपि वे इन पदों पर गत छः महीनों से कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) बैंको ने ऋण-प्रबन्धकों के रूप में कार्य करने के लिये जिला उद्योग केन्द्रो में उपयुक्त अधिकारियो को प्रतिनियुक्त किया है ।

(ख) प्रतिनियुक्ति के दौरान, ऋण प्रबन्धक उन्हीं सेवा शर्तों द्वारा प्रशासित होते हैं जो उन पर उस बैंक में रहते हुए लागू होती है, जो उन्हें बराबर वेतन और भत्ते देता रहता है । जहां तक उनके यात्रा भत्ते की अदायगी का संबंध है, ये भत्ते जिला उद्योग केन्द्रों के कोष से दिये जायेंगे और राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित किया जा चुका है ।

बजट पेश किये जाने से पूर्व कम्पनियों द्वारा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि किया जाना

7978. **श्री राम सागर : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव अप्रैल से लागू होते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि व्यापारी कई वस्तुओ की कीमतो में यहां तक कि बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वृद्धि कर देते हैं और माल रोके रखने के कारण कई वस्तुओं का अभाव पैदा किया जाता है और उपभोक्ताओं को 1 मार्च से बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेगी कि उपभोक्ताओ पर बजट का भार केवल 1 अप्रैल से पड़े और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ग) बजट के अधिकतर प्रस्ताव, 28 फरवरी पहली मार्च की आधी रात से प्रभावी होते हैं और बहुत थोड़े प्रस्ताव, जैसे कि रेल भाड़े और डाक-प्रभारो सम्बन्धी प्रस्ताव पहली अप्रैल, अथवा किसी दूसरी निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होते हैं ।

(ख) फरवरी 1979 का थोक कीमतों का सूचक अंक (1970–71=100) 183.5 था जबकि इसके मुकाबले जनवरी, 1979 का सूचक अंक 184.6 था। इससे 0.6 प्रतिशत की कमी का पता चलता है। बजट पेश किये जाने के पहले और उसके बाद में डिब्बाबन्द वस्तुओं की कीमतों में अनुचित वृद्धि की रोक-थाम करने के लिए नाप तोल प्रमाणीकरण (डिब्बाबन्द वस्तुएं) नियमावली 1977 में यह व्यवस्था है कि डिब्बे पर वस्तु की खुदरा कीमत और वह महीना और वर्ष अंकित किएं जाएं जिसमें पैकिंग की गई हो।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए अध्ययन दल

7979. **श्री राम सागर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं का विकास करने की दृष्टि से वर्ष 1977 में एक अध्ययन दल गठित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसने किन-किन स्थानों का दौरा किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ख) : हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए एक अध्ययन दल स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर 1977 में विचार किया गया था। तथापि, यह कार्यान्वित नहीं हुआ।

मूल रसायनिकों, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसाधन सामग्री की नि ति

7980. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री निहार लास्कर :

श्री म० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष, अप्रैल 1978 से फरवरी, 1979 तक के पहले 11 महीने में मूल रसायनिकों, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसाधन सामग्री के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2 प्रतिशत की कमी हुई है और वह 132.9 करोड़ रुपये से घट कर 129.4 करोड़ रुपये रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ग) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार को यह आशा है कि आंकड़े शीघ्र बढ़ सकते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) था (ख) : जी हां, पिछले वर्ष की उसी अवधि के पक्के आंकड़ों की तुलना में अप्रैल, 1978—फरवरी 1979 की अवधि के लिए उपलब्ध अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार।

(ग) सें (ड़) : अप्रैल–फरवरी, 1978–79 के आंकड़े अनुमानित हैं और इनमें स्थल मार्गों, छोटे बन्दरगाहों विमानों और बंगलोर कार्गो कम्पलैक्स से किए गए निर्यात शामिल नहीं है। आशा है कि जब अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो पिछले वर्ष की इसी अवधि के निर्यातों की तुलना में निर्यात अधिक होंगे। सरकार ने निर्यातों में और वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे, निर्यातकों के लिए आयात प्रति पूर्ति का उदार बनाया जाना, बाजार सर्वेक्षण और निर्यात संवर्धन दौरों के लिए सहायता, प्रदर्शनियों और मेलों आदि में भाग लेना, बेसिक रासायनिक परिषद और सम्बन्धित मंत्रालयों से बराबर बातचीत करते रहना जिससे समस्याओं और कठिनाइयों को तीव्र गति से हल किया जा सके, समाजवादी देशों के साथ व्यापार योजना में परिषद के उत्पादों के लिए अधिक व्यवस्था करना, आदि।

राज्यों द्वारा अधिक धनराशि की मांग

7981. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति

श्री निहार लास्कर :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के पास इस वर्ष (1978–79) में भारी धनराशि हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों की केन्द्रों से एक और अधिक धनराशि की मांग किये जाने और दूसरी ओर बड़ी धनराशि अपने पास जमा रखने की व्यंगात्मक छबि का वास्तव में यह अर्थ है कि उनके योजना व्यय में भारी कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ? और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) : राज्य सरकार की नकदी शेष की स्थिति बदलती रहती है और यह प्राप्तियों का प्रवाह, व्यय की गति, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए किये गये प्रयास, सरकार को देय राशियों की वसूली आदि जैसे विभिन्न पहलूओं के निवल प्रभाव को प्रतिबिम्बित करती है। वर्ष 1978-79 के दौरान जबकि कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक थी तो अन्य राज्यों ने प्राकृतिक प्रकोपों सहित विभिन्न कारणों से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किए। नकदी शेष को कुछ हद तक कम करने के आलेखन को 1978-79 के लिए कुछ राज्यों की आयोजनागत परिव्यय के वित्तपोषण विषयक स्कीम में कल्पना की गयी थी।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से कि विकास की गति को बनाये रखा जाये राज्यों को 1978-79 के दौरान आयोजनागत व्यय की प्रगति पर ध्यानपूर्वक देख रेख रखने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके साथ साथ राज्यों को प्राप्तियों और व्यय पर निगरानी रखने के लिए भी सलाह दी गयी थी ताकि वर्ष के दौरान नए घाटे की व्यवस्था उत्पन्न न हो।

3. राज्य सरकारों ने 1978-79 के लिए प्रत्याशित आयोजनागत व्यय की सूचना देते समय कोई भारी कमियों का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि ऐसी राज्य सरकारों को, जिनके बताये गए व्यय से या तो कुल आयोजनागत परिव्यय में या उद्दीष्ट सैक्टरों अथवा परियोजनाओं में कमी प्रकट हुई, केन्द्रीय सहायता देते समय आनुपातिक कटौती की गयी है। यह स्थापित कार्यविधि के अनुसार है।

राज्यों के घाटे के बजट

7982. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवे वित्त आयोग को सिफारिशों के अनुसार राज्यों को किये गए अतिरिक्त वित्तीय आबन्टन के भारी लाभ प्राप्त होने के बाद भी राज्यों के घाटे के बजटों की स्थिति को देखते हुए इन राज्यों की वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) राज्यों के मुख्य मंत्रियों को 20 मार्च, 1979 को पत्र भेजे गए हैं जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सातवें वित्त आयोग को सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र से राज्यों को स्थानान्तरित किये जाने वाले अपेक्षाकृत अधिक संसाधनों का मितव्ययिता से प्रबन्ध किया जाये और उनका उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाये। उन से यह देखने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि आयोजनाभिन्न व्यय पर नियंत्रण रखा जाये और उचित वित्तीय प्रबन्ध का अनुपालन किया जाये ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष के अन्त में घाटा न हो।

(ख) उपर्युक्त पत्र पर अधिकतर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की भी अभी प्रतिक्षा की जा रही है।

करुवोप्पलन कुरीची, विरधाचलम स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि शाखा द्वारा दिये गये कृषि ऋण

7983. **श्री जी० जमुवाराहन : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करुवोप्पलन कुरीची, विरधाचलन, दक्षिणी अर्काट स्थित भारतीय स्टेट बैंक को कृषि शाखा से वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 में पशु-पालन सहित कृषकों को कितनी राशि के कृषि ऋण दिये गये ;

(ख) उपरोक्त वर्षों की कृषकों की ओर कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) वह राशि वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) : निम्नलिखित सारणी, वर्ष, 1976, 1977 तथा 1978 के अन्त तक, करुवोपल्लन कुरीची स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा द्वारा

कृषि के लिए दिए गये ऋणों (कृषि सम्बन्धि गतिविधियों को मिलाकर) की अग्रिम राशियों तथा वसूली के बारे में बताती हूँ .--

	1976	1977	1978
बकाया ऋण (लाख रुपयों में)	107	121	147
मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता	62	67	70

(ग) वसूली निष्पादन में सुधार लाने के लिए, बैंक उचित कदम उठा रहे हैं जिसमें विशेष अभियान सरकारी अेक्स्टेन्शन स्टाफ से सहायता में सहयोग प्राप्त करना तथा जानबूझ कर बकाया की राशि जमा न कराने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना शामिल हैं।

जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट तथा बैंकों के पास उपलब्ध निधि के स्रोत तथा उसका ढांचा

7984. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :-

(क) गत पांच वर्षों के दौरान जीवन बीमा, निगम, यूनिट ट्रस्ट और बैंकों के पास उपलब्ध निधि के मूल स्रोत क्या हैं तथा उसका ढांचा क्या है और उसी अवधि में उसके वास्तविक ऋण लेने वाले कौन थे ; और

(ख) उसी अवधि में इस धन में औसतन किस दर से वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय पर सामान्यतः क्या प्रभाव रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री झुल्फिकारउल्लाह) : (क) से (ग): जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना नीचे के परेग्राफों में दी गयी है।

जीवन बीमा निगम

2. जीवन बीमा के कारभार लम्बी अवधि के संविदाओं का होता है और इन संविदाओं के अतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए एक जीवन बीमा निधि बनाई गई है जिसमें प्रीमियमों की अतिरिक्त रकमें, पूंजी निवेश की आय और दावों के व्यय तथा खर्चों आदि से अधिक होने वाली अन्य प्राप्तियों की रकमें शामिल होती हैं। जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश के स्वरूप (पैटर्न) में यह परिकल्पना की गई है कि नियंत्रित निधि में वर्ष भर में जमा होने वाली रकमों के कम से कम 75 प्रतिशत का निवेश केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, सरकार की गारंटीशुदा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों और समाज प्रधान निवेशों में किया जाना चाहिए जिनमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ आवास, बिजली तथा जलपूर्ति और मल निकासी की परियोजनाएं आती हैं। वर्ष में जमा राशियों के 25 प्रतिशत तक की शेष रकम में से 10 प्रतिशत रकम गैर सरकारी क्षेत्र के लिए, 8 प्रतिशत पालिसीधारियों को ऋण देने के लिए और 2 प्रतिशत रकम अचल सम्पत्ति के निर्माण और खरीद के लिए निर्धारित है। शेष 5 प्रतिशत अप्रयुक्त राशि निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होती। नियंत्रित निधि में वर्ष 1973-74 से वर्ष 1977-78 तक के दौरान हुई निवल वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

वर्ष	राशि
	(करोड़ रुपये)
1973-74	367.62
1974-75	351.27
1975-76	383.37
1976-77	493.76
1977-78	545.78

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना समाज की बचतों को जुटाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि इन रकमों को उन औद्योगिक प्रतिभूतियों में लगाया जाये जिसमें यूनिट होल्डरों को एक निश्चित आमदनी हो सके। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की रकमों के मुख्य स्रोत हैं यूनिट पूंजी प्रारक्षित निधि और अधिशेष तथा चालू देनदारियों और व्यवस्थाओं में होने वाली वृद्धियां और ये रकमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लगाई जाती हैं। अधिकांश

पूंजी ऋणपत्रों, शेयरों. जमा रकमों और काल मनी तथा टर्म मनी में लगाई जाती है । 1974 से 1978 तक 30 जून को समाप्त हुए वर्षों में लगाई गई पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
	(करोड़ रुपये)
1973–74	30.97
1974–75	(—) 1.67
1975–76	17 66
1976–77	30.50
1977–78	73.68

सरकारी क्षेत्र के बैंक

4. बैंकों के पास जो रकमें होती हैं उनके मुख्य स्रोत होते हैं जमा रकमें और उनके द्वारा लिए जाने वाले उधार तथा इन रकमों का उपयोग मोटे तौर पर निवेश और अग्रिम के रूप में किया जाता है । बैंकों को अपनी रकमों का कुछ भाग अपने पास और भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद राशि के रूप में, इमारतों, फर्नीचर व फिक्सचर और चांदी सहित अन्य परिसम्पत्तियो के रूप में रखना पड़ता है । 1973 से 1977 तक के वर्षों के अन्त में बैंकों की कुल परिसम्पत्तियो का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह
1973	6947.77	3497.31
1974	8031.42	4226.08
1975	9803.41	5308.81
1976	12703.19	6616.97
1977	15125.11	8111.58

5. जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि बैंकों ने किन किन को ऋण दिये हैं, इस विषय में एक विवरण संलग्न है । **(विवरण पृष्ठ 135 पर देखिए ।)** जिसमें जून, 1976 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का क्षेत्रों के अनुसार ब्यौरा दिया गया है ।

6. इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इन संस्थाओं के पास उपलब्ध रकमों में होने वाली वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कितना प्रभाव पड़ता है ।

अतिरिक्त सिक्यूरिटी प्रेसों की स्थापना

7985. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार महाराष्ट्र में नासिक स्थित सिक्यूरिटी प्रेस के अतिरिक्त एक और सिक्यूरिटी प्रेस स्थापित करने के बारे में कब से विचार कर रही है ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन तैयार है, यदि नहीं, तो इसके कब तक तैयार होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या परियोजना प्रतिवेदन में स्थान, प्राक्कलन आदि की मुख्य बातें दी जायेंगी ;

(घ) क्या यह सम्भावना है कि अतिरिक्त सिक्यूरिटी प्रेस छठी योजना अवधि में स्थापित हो जायेगा और कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) पिछले कुछ एक महीनों से इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, आशा है कि यह लगभग छः महीने में तैयार हो जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ) । इरादा यह है कि नया प्रेस, छठी योजना की समाप्ति से पहले पहले काम करना शुरू कर दे ।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया रकमों का व्यवसाय अनुसार वर्गीकरण

(लाख रुपये)

व्यवसाय	दिसम्बर, 1973		दिसम्बर, 1974		दिसम्बर, 1975		जून, 1976	
	भारतीय स्टेट बैंक समूह	14 राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	14 राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	14 राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	14 राष्ट्रीयकृत बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	155,83	396,15	216,05	483,17	307,35	619,46	384,68	694,69
II. उद्योग . .	1376,44	2358,61	1594,99	2968,56	19,45,83	3409,50	1869,83	3671,74
(क) खनन और उत्खनन	50,00	47,57	54,69	62,57	55,57	69,50	56, 27	56,48
(ख) विनिर्माण उद्योग	1239,86	2038,89	1452,69	2591,88	1778,72	2962,55	1693,19	3166,00
(ग) बिजली उत्पादन और वितरण .	28,83	73,70	24,43	76,57	29,23	66,49	2,753	58,71
(घ) निर्माण कार्य . .	12,49	33,53	14,71	39,29	13,24	43,51	16,30	42,35
(ङ) परिवहन . .	32,39	82,13	31,22	103,19	48,85	158,07	54,99	184,05
(च) वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवाएं .	12,87	82,79	17,25	95,06	20,22	109,38	21,55	124,12
III. व्यापार .	267,05	732,55	215,07	693,30	421,49	1139,32	809,45	1966,02
इसमें से खुदरा व्यापार	30,09	142,74	33,00	154,50	31,61	179,86	38,56	193,94
IV. अन्य . . .	181,03	475,31	179,88	463,63	193,58	506,46	192,27	559,82
जोड़ बैंकों द्वारा दिए गए ऋण (I+II+III+IV)	1980,35	3962,62	2205,99	4608,66	2868,25	5674,74	3256,23	6852,24
जिसमें से लघु उद्योगों को दिए गए ऋण . . .	339,34	439,39	381,67	558,47	408,06	652,54	415,63	701,68

काफी का निर्यात

7986. **श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और** सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा विश्व के कितने देशो को काफी का निर्यात किया जाता है ;

(ख) 1977-78 और 1978-79 के दौरान कुल कितने मूल्य की काफी का निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए काफी के निर्यात को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) : भारत से काफी का निर्यात विश्व के लगभग 40 देशों को किया जाता है । 1977-78 और 1978-79 के दौरान काफी के निर्यातों की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा
1977-78	55,827 मे० टन
1978-79 (अप्रैल-फरवरी)	58,818 मे० टन

(ग) काफी के निर्यात और घरेलू मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, काफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की गयी है जिसके द्वारा 1982-83 के अन्त तक उत्पादन को 105,000 में० टन के वर्तमान स्तर से लगभग 1,29,000 मे० टन तक पहुंचाना है ।

व्यापार समझौते

7987. **श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारित**ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने कितने देशों के साथ व्यापार समझौते कर रखे हैं (31 मार्च, 1979 के दिन की स्थिति)

(ख) समझौतों की अवधि समाप्त होने पर भारत द्वारा किन-किन देशों के साथ व्यापार समझौते का नवीकरण नहीं किया गया और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) समझौतों की अवधि के समाप्त होने पर किन-किन देशों ने भारत के साथ किये गये समझौतों का नवीकरण नहीं किया और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 31-3-1979 तक भारत सरकार के 52 देशों के साथ व्यापार करार हैं ।

(ख) तथा (ग) : पाकिस्तान तथा तंजानिया ही ऐसे दो देश हैं जिनके साथ व्यापार करारों का नवीकरण नहीं किया गया है । जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, एक नया व्यापार करार करने के प्रयोजनार्थ दोनों पक्षों ने दो बार बातचीत की है । तीसरे दौर की बातचीत 1979 के पूर्वार्द्ध में नई दिल्ली में होने की आशा है । जहां तक तंजानिया का प्रश्न है, दोनों पक्षों ने नया व्यापार करार करने के लिए कोई पहल नहीं की है क्योंकि एक भारत-तंजानिया संयुक्त आयोग क्रियाशील है जो द्विपक्षीय व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की देखभाल करता है ।

उद्योगों को उत्पादन शुल्क से छूट

7988. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या उप **प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों अथवा यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में (वर्षवार) उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है ;

(ख) कितनी छूट दी गई है तथा कितनी अवधि के लिए दी गई है ; और

(ग) इस प्रकार की छूट जिन विचारों से दी गई है उनका ब्यौरा क्या है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : उत्पादन शुल्क उन मामलों में "माफ" किया जाता है जिनमें उत्पादन शुल्क माल गुम हो गया हो अथवा दैवी कारणों से नष्ट हो गया हो या उसका इस्तेमाल विशेष औद्योगिक प्रयोजनों के लिये किया गया हो । ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य का आशय, सरकार द्वारा उद्योगों अथवा एककों को दी गई कर सम्बन्धी छूटों/प्रोत्साहनों, उन के परिमाणों, और अवधि, जिस के लिए ऐसी रियायतें दी गई थी, तथा उसके औचित्य के बारे में सूचना प्राप्त करना है ।

सरकार द्वारा उद्योगों अथवा एककों को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर सम्बन्धी रियायतों/प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इस प्रकार की रियायतें अनेक और विभिन्न किस्मों की हैं। ऐसी रियायतों के ठीक-ठीक विषय क्षेत्र और स्वरूप के बारे में अथवा इस प्रकार की रियायतों के औचित्य के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना सम्भव नहीं होगा।

यदि माननीय सदस्य किसी वस्तु अथवा एकक विशेष के बारे में जानना चाहें तो आवश्यक सूचना एकत्र कर उन्हें पेश की जा सकती है।

थोक मूल्य सूचकांक

7989. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट के बाद सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचांक में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी नहीं। सभी वस्तुओं की कीमतें एक साथ नहीं बढ़ती। वस्तुतः ऐसा भी होता है कि उसी समय जिस समय दूसरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हों, कुछ एक वस्तुओं की कीमतें गिर रही होंगी। फिर भी, 24 फरवरी, 1979 तथा 24 मार्च, 1979 के बीच समस्त वस्तुओं की थोक कीमतों का सूचक अंक (1970–71=100) 3.2 प्रतिशत बढ़ा है।

(ख) वर्ष के इस मौसम में कीमतों में कुछ वृद्धि होना सामान्य बात है। बजट का प्रभाव, पेट्रोलियम उत्पादों तथा खाद्य तेलों पर महसूस किया गया है। बहुत सी वस्तुओं की कीमतों को बजट से भिन्न कारण भी प्रभावित करते हैं। खास तौर पर, कृषि आधारित वस्तुओं की कीमतों में मौसमी वृद्धि या कमी भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, 24 मार्च, 1979 को समाप्त चार सप्ताहों में चीनी, खाण्डसरी तथा गुड़ के सूचक अंक में 12.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है और फल और सब्जियों के सूचक अंक में 6.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, अण्डे, मछली और मांस तथा मसालों और गर्म मसालों के समूहों में कमियां हुई हैं। कतिपय खाद्यान्न जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मूंग तथा मसूर आदि की कीमतों में भी गिरावट आई है।

आय-कर विभाग में निरीक्षक संवर्ग में सिलेक्शन ग्रेड

7990. **श्री राघवजी** :

डा० वसन्त कुमार पंडित :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में आयुक्तों, आय कर अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों के संवर्गों में सलैक्शन ग्रेड है ;

(ख) क्या सरकार ने हाल में आय कर विभाग में सहायक आयुक्तों के संवर्ग में सलैक्शन ग्रेड बनाया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क विभाग में जो एक सहयोगी विभाग है, निरीक्षकों के संवर्ग में सलैक्शन ग्रेड है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि आयकर विभाग में निरीक्षकों के संवर्ग में ऐसा कोई सलैक्शन ग्रेड नहीं है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार निरीक्षक के संवर्ग में भेदभाव दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आयकर विभाग में निरीक्षक संवर्ग में कोई चुनाव ग्रेड नहीं है।

(ङ) इस विषय पर वर्तमान आदेशों के अनुसार केवल वे ही संवर्ग चुनाव ग्रेड के योग्य माने जाते हैं जिनमें सीधी भरती से भरे जाने वाले पद 75 प्रतिशत से कम नहीं हों और जिन उच्चतर पदों पर संवर्ग के कर्मचारी उन्नति की अपेक्षा कर सकते हों उनकी संख्या संवर्ग में स्थित कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। आयकर विभाग में निरीक्षक संवर्ग इन शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता है।

आयकर विभाग में निरीक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

7991. **श्री राघवजी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** 4 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या आयकर निरीक्षकों के वेतनमान 550–900 करने के आयकर कर्मचारी संघ द्वारा किए गए प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) : निरीक्षकों के वेतनमान में संशोधन करके उसे 550–900 रु० के वेतनमान में रखने का आयकर कर्मचारी संघ द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

शैक्षिक संस्थाएं चलाने वाले धार्मिक धर्मार्थ न्यासों की आय कर से छूट दिया जाना

7992. **श्री सरतकार** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शैक्षिक संस्थाएं चलाने वाले मान्यता प्राप्त धार्मिक धर्मार्थ न्यासों को आयकर से कोई छूट मिली हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के राज्यवार नाम क्या हैं जिनको आयकर छट प्रमाण-पत्र दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) देश में शैक्षिक संस्थाओं को चलाने वाले धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों को आय कर से छूट उस स्थिति में प्राप्त होगी जब उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)ग (V) के उपबन्धों के अधीन अधिसुचित किया गया हो ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

7994. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोले जाने को धक्का लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1978–79 में 31 मार्च, 1979 तक ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई, और 1977–78 की इसी अवधि में कितनी शाखाएं खोली गई ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), से (घ) : 1977 और 1978 के दौरान विभिन्न बैंक समुहों द्वारा खोली गई शाखाओं विषयक उपलब्ध आंकड़े विवरण में दे दिये गए हैं ।

1978 की रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुरूप जिसमें लक्ष्य यह रखा गया था कि वर्तमान शाखा विस्तार को सुदृढ़ किया जाये और कम बैंक वाले जिलों के बिना बैंक वाले ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में नये विस्तार पर ध्यान दिया जाए, 1978 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या, 1977 में खोली गई शाखाओं की संख्या की तुलना में कम रही । 1978 के दौरान खोली गई शाखाओं में ग्रामीण शाखाएं 68.4 प्रतिशत बैठती है, जिसकी तुलना में 1977 में ये शाखाएं 67.5 प्रतिशत थी ।

(घ) भारतीय रिजर्व बक ने अपनी शाखा लाइसेंसिंग नीति को पुनर्निर्धारित किया है ताकि अगले तीन वर्षों में शाखा विस्तार के वाणिज्यिक बैंकों के प्रयास उन जिलों के बिना बैंक वाले ग्रामीण और अर्धशहरी केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए जाएं, जहां कि प्रति बैंक कार्यालय जन संख्या, राष्ट्रीय औसत से अधिक है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमी वाले जिलों की आवश्यकता की जिलेवार आधार पर जांच की जा रही है और संबंधित बैंकों और वह राज्य सरकारों के परामर्श से तीन वर्षीय योजना बना रहा है ।

विवरण

वाणिज्यिक बैंकों का शाखा विस्तार

(खोली गई नई शाखाएं)

बैंक समूह	1977		1978	
	खोली गई शाखाओं की कुल संख्या	उसमें ग्रामीण केन्द्रों की शाखाएं	खोली गई शाखाओं की कुल संख्या	उसमें ग्रामीण केन्द्रों की शाखाएं
सरकारी क्षेत्र—				
1 भारतीय स्टैट बैंक . .	425	266	313	203
2 स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक .	205	89	156	93
3 राष्ट्रीयकृत बैंक .	1241	804	951	583
4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक .	671	608	551	528
गैर-सरकारी क्षेत्र —				
5 अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक .	776	474	537	308
6 विदेशी बैंक . . .	1	..	..	..
7 गैर-अनुसूचित बैंक . .	29	20	8	6
जोड़	3348	2261	2516	1721

मैसर्स स्वदेशी पौलीटैक्स लि० द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

7995. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री विजय कुमार एन० पाटिल :
श्री शंकर सिंहजी बाधेला :
श्री वसन्त साठे :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :
श्री बापू साहेब परुलेकर :

क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1979 के ब्लिटज में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि मैसर्स स्वदेशी पौलीटैक्स लि० ने 2.26 करोड़ रु० से अधिक राशि के उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के कार्यकरण की जांच करने का है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार सरकार की जानकारी में आया है। इस समाचार के अलावा, इस कम्पनी द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन के बारे में कुछ आक्षेप भी प्राप्त हुए थे। सम्बन्धित विभागीय एजेन्सी द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी। इस जांच पड़ताल के दौरान, कम्पनी कार्यचालन की भी, जहां तक इस प्रकार की जांच के लिए ऐसा करना संगत और आवश्यक था, जांच की गई थी। जांच पड़ताल के परिणामों को देखते हुए, फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे ; और मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्ब राशि बाजार में ऋण लेने के बारे में बैंकों की प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने के लिए कार्यकारी ग्रुपों का गठन

7996. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री शंकर सिंहजी बाधेला :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वित्तिय संस्थाओं से और समस्त नकद ऋण प्रणाली द्वारा अविलम्ब राशि

बाजार में ऋण लने और भाग लेने के लिए सर्टिफिकेटों के बारे में बैंकों की प्रक्रिया का पुनरिक्षण करने हेतु दो कर्मचारी ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने 4 अप्रैल, 1979 को निम्नलिखित दो दलों की नियुक्ति की है ;

(i) सहभागी प्रमाण पत्र तथा वित्तीय संस्थाओं से मांग मुद्रा बाजार (काल मनी मार्केट) में ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यकारी दल ; और

(ii) नकद ऋण प्रणाली (कैश क्रेडिट सिस्टम) के परिचालन की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी दल ।

दोनों दलों की कार्य-शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

विवरण

1. सहभागी प्रमाण पत्र और वित्तीय संस्थाओं से मांग मुद्रा बाजार (काल मनी मार्केट) [में ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यकारी दल की कार्य शर्तें :

(1) मांग मुद्रा बाजार के परिचालनों के आकार और मानदण्डों तथा सहभागी प्रमाण पत्रों के बारे में जांच करना और मौद्रिक तथा ऋण नीतियों के लिए अपनी कठिनाइयों को स्पष्ट करना ;

(2) उस आधार को बताना जिस पर बैंकों के पास वाणिज्यिक बैंकों और पुर्नवित्त अभिकरणों (जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम) के साधनों के अलावा उपलब्ध साधनों की आम मात्रा का मूल्यांकन किया जायेगा ;

(3) मांग मुद्रा बाजार और सहभागी प्रमाण पत्र प्रबन्धों में भाग लेने वाली गैर-बैंकिंग संस्थाओं से इस प्रकार के कोषों की आपूर्ति पर लगाई गई सीमाओं की कठिनाइयों की जांच करना तथा ऐसे कोषों के उत्पादक उपयोग के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों का सुझाव देना ; और

(4) अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिश करना ।

2. नकद ऋण प्रणालीं के परिचालन की समीक्षा करने के लिये कार्यकारी दल की कार्य शर्तें ।

(1) हाल के वर्षों में विशेष रूप से स्वीकृत ऋण सीमाओं और उनके उपयोग की मात्रा के बीच खाई के संदर्भ में नकद ऋण प्रणाली के परिचालन की समीक्षा करना ;

(2) समीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव देना :—

(क) वाणिज्यिक बकों द्वारा निधियों के तर्कसंगत प्रबन्ध के अनुरूप प्रणालियों को और अनुकुल बनाने की दृष्टि से इस प्रणाली में संशोधन, और।अथवा

(ख) ऋण सुविधाओं की वैकल्पिक किस्में जिनसे और अधिक ऋण अनुशासन सुनिश्चित होगा तथा बैंकों को भी उत्पादन अथवा अन्य उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि से ऋण सीमाओं को सम्बद्ध करने में सहायता मिलेगी ; और

(3) किसी और सम्बद्ध मामले पर सिफारिश करना जिसे यह दल इस विषय से सम्बन्धित समझता है ।

भारत में तम्बाकू का व्यापार करने वाली विदेशी कम्पनियां

7997. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तम्बाकू का व्यापार करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम तथा संख्या क्या है ;

(ख) उन्होंने गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना लाभ कमाया;

(ग) उपरोक्त अवधि में उन्होंने कितना आयकर अदा किया;

(घ) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय तम्बाकू कम्पनियों द्वारा विश्वव्यापी स्तर पर घूंसखोरी के बारे में "अंकटाड" से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) देश में तम्बाकू उद्योग में कार्यरत विदेशी शेयरधारिता वाली कंपनियां निम्नलिखित हैं :

कम्पनी का नाम	विदेशी शेअर धारिता की सीमा
1. आई० टी० सी० लिमिटेड	39.9 प्रतिशत
2. वजीर सुल्तान टौबैको कंपनि लि०	32.3 „
3. गौडफ्रे फिलिप्स इं० लि०	40.0 „
4. इंटरनैशनल टौबैको कं० लि०	(शेयरधारिता में कभी किए जाने की प्रक्रिया में गौडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी

(ख) और (ग) : इन कंपनियों का कराधान से पूर्व लाभ, कराधान के लिए व्यवस्था और कराधान के बाद लाभ को इन कंपनियों के अंतिम उपलब्ध वार्षिक खातो की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : सरकार को अंकटाड की जून 1978 रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें वास्तविक पृष्ठभूमि निर्धारित की गई है और जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विपणन व नौवहन के जरिए पत्ती उत्पादन और प्रोसेसिंग से लेकर तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन और वितरण तक विश्व तम्बाकू अर्थव्यवस्था की क्रमिक अवस्थाओं के बारे में विचार किया गया है। विश्व तम्बाकू विपणन के माध्यमों के वर्णन के दौरान तम्बाकू समूहों द्वारा दी गई कुछ घूंसखोरी का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के इस भाग में भारत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारत सरकार को किसी भी ऐसे विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है जिसमें बहुराष्ट्रीय तम्बाकू कम्पनियों ने भारत में कोई घूंसखोरी की हो।

विवरण

	वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी			गौडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि०		
	30-9-76	30-9-77	30-9-78	31-12-75	31-12-76	31-12-77
			(लाख रुपए)			
कराधान से पूर्व लाभ .	486.56	498.81	495.70	48.22	30.11	4.81
कराधान के लिए व्यवस्था	329.08	323.94	313.54	30.20	12.76	—
कराधान के बाद लाभ	157.48	174.87	182.16	18.02	17.35	4.81

	इंटरनैशनल टोबैको कं0 लि0			आई0 टी0 सी0 लिमिटेड		
	31-12-75	31-12-76	31-12-77	31- 3-76	31- 3-77	31-3-78
कराधान से पूर्व लाभ	5.01	2.88	(–)12.53	943.43	873.73	844.74
कराधान के लिए व्यवस्था	2.80	1.55	—	562.05	479.24	432.63
कराधान के बाद लाभ	2.21	1.33	(–)12.53	381.30	394.49	412.11

आयातित खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ाया जाना

7998. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने बनस्पति उद्योग के लिए आयतित खाद्य तेलों की कीमतों में तत्काल आधार पर 24 प्रतिशत वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आधार पर कि इसे इन तेलों के लिए अधिक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और सरकार द्वारा लगाया गया आयात मूल्य अदा करना पड़ रहा है राज्य से व्यापार निगम द्वारा मूल्यो में इतनी अधिक वृद्धि करना न्यायोचित ठहराया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह कहां तक सच है;

(घ) क्या सोयाबीन, रैपसीड तेलो के मूल्य राज्य व्यापारा निगम द्वार घटा दिये गये हैं; और

(ङ) मूल्यो में कुल कितनी वृद्धि तथा कमी की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ङ) : भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा बनस्पति उद्योग की सप्लाई किए जाने वाले आयातित सोयाबीन के तेल और रैपसीड के तेल का मूल्य 14-2-1979 से बढ़ा दिया गया है। प्रारंभ में इसे बढ़ाकर 6100 रु० से 7585 रु० प्रति मीटरी टन किया गया था। तथापि, राज्य व्यापार निगम द्वारा किए जाने वाले आयात पर सीमा शुल्क मूल्यानुसार 12½ प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने के परिणामस्वरुप इसे घटाकर 7250 रु० प्रति मीटरी टन किया गया।

2. पहले के 6100 रु० प्रति मीटरी टन के मूल्य की तुलना में 7250 रु० का नया मूल्य 18.8 प्रतिशत अधिक है। यह मूल्य वृद्धि मुख्यतः आयतित तेलों की लागत, बीमा, माल भाड़ा सहित मूल्यो में हुई वृद्धि और साथ ही नये सीमा शुल्क भार के कारण हुई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समयोपरि भत्ता

7999. श्री डी० डी० देसाई : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सहकारी क्षेत्र के बैंको में समयोपरि भत्ते के बढ़ते हुए बिलो के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंको के समयोपरि भत्ते का मासिक विवरण भेजने के लिए कहने का है;

(ग) क्या इस समयोपरि भत्ते का कारण स्टाफ की संख्या में बहुत कमी होना अथवा कार्यकुशलता में गिरावट आना है; और

(घ) यदि कोई अन्य कारण हैं तो वे क्या हैं तथा समयोपरि भत्ते की कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जलिफकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) समयोपरि (ओवर टाईम) भत्ते की विवरणियों की आवृत्ति में बढ़ावा आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि सरकार त्रैमासिक आधार पर, बैंको से इस प्रकार की सूचना मांगती है तथा जब कभी आवश्यकता होती है तब अलग से भी विवरण मंगाया जाता है, समयोपरि भत्त पर नियंत्रण रखने के लिए, समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाते हैं।

(ग) तथा (घ) : बैंको में समयोपरि भत्ते देने के मुख्य अवसर ये होते हैं: मार्च में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकारी खातों की समाप्ति, बैंक में खातों की अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक समाप्ति, काम में अचानक वृद्धि, कर्मचारियो का अभाव, एकट्ठे, हुए कार्य की समाप्त करना, जमाकर्त्ताओं के खातो पर तिमाही ब्याज की गणना करना, तथा विभिन्न प्रकार के सांख्यकीय विवरण तैयार करना और अनुपस्थितियां। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों द्वारा 1977-78 में हड़तालें, आन्दोलन, असहयोग, नियमानुसार कार्य करना आदि कारण थे जिनकी बजह से काफी काम बकाया में पड़ गया जिसकी निपटाने के लिए समयोपरि भत्ता देने की आवश्यकता पड़ी।

सरकार ने दिसम्बर, 1978 में दिये गये अपने उस निर्देशों को फिर दोहराया है जिसमें बैंकों से जोर देकर कहा गया कि वे समयोपरि भत्ते की मात्रा को नियंत्रित करें ताकि वह न्यूनतम हो जाये।

बैंक की शाखाओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे समयोपरि भत्ते पर निरन्तर निगाह रख कर इसे कम करें तथा समयोपरि भत्ते की स्वीकृति देते समय उच्च स्तर पर निगाह रखी जाये।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के उत्पादन एकक का बाहर जाना

8000. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का कोई उत्पादन एकक उस क्षेत्र से बाहर जाने की योजना बना रहा है अथवा उस क्षेत्र से बाहर चला गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने निर्यात-आधारित उद्योगों के लिए कांडला को आकर्षक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : 1965 में कांडला मुक्त व्यापार जोन के आरंभ होने के बाद से इस में स्थापित एककों में से 14 एकक निर्यात बाजारों के अभाव, वित्तीय कठिनाइयों तथा प्रबंधकीय बाध्यताओं जैसे विभिन्न कारणों से बन्द हो गए हैं।

(ग) कांडला मुक्त व्यापार जोन के विकास में रुकावट डालने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हाल ही में अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतः मंत्रालयीन समिति स्थापित की गई है तथा रिपोर्ट की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है। समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 5468 दिनांक 21-3-1979 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

अतारांकित प्रश्न संख्या 5468 के भाग (ग) का उत्तर नीचे दिया गया है ।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का उपयोग तरह-तरह की मशीनो, उपस्करों, फालतू पुर्जों और कल पुर्जों के आयात के लिए किया गया है। सरकार ने तेल और गैस, लोहे और इस्पात, बिजली उत्पादन और पारेषण, उर्वरको, कीटनाशक दवाओं और खरपतवार नाशक दवाओं के उत्पादन, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी नवीनतम उपस्करों आदि के क्षेत्र की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के काम आने वाली वस्तुओं के आयात की अनुमति दे दी है। कुल मिलाकर आयातों में जो काफी अधिक वृद्धि हुई है, उसका अनुमान अप्रैल, 1978 से जनवरी, 1979 तक की अवधि के दौरान किए गए आयात के 4517.28 करोड़ रुपए के अनन्तिम आंकड़ों से लगाया जा सकता है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4375.60 करोड़ रुपए के मूल्य का आयात किया गया था ।

उत्तर में टाइप की अशुद्धि के लिए खेद है । अन्तिम वाक्य में "4517.28 करोड़ रुपए" के स्थान पर "5417.28 करोड़ रुपए" पढ़ा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री बोलेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) **:** श्रीमान मैंने विशेषाधिकार की सूचना दे रखी है । उसका क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक जटिल मामला है। मुझे कई कागजात पढ़ने हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संसद को धोखा दिया गया है और हम मुक दर्शक बने हुए है । एक और न्यायाधीशों से हमें प्रताड़ना मिल रही है और यहां हमें धोखा दिया जा रहा है और हम मुक दर्शक की भांति बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक मूक दर्शक हैं ? 'चुप्पी' का भिन्न अर्थ भी होता है ।

उत्तर प्रदेश में श्री गुरुदत्त सोलंकी और श्री गोविन्द सिंह द्वारा भूमि के सौदे के बारे म वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 30 मार्च, को विरोधी पक्ष के माननीय नेता, श्री स्फटीन् ने जांच आयोग अधिनियम के अधीन जांच के लिए एक सांविधिक प्रस्ताव के नोटिस का हवाला दिया था जो उन्होंने अध्यक्ष महोदय, आपको, भेजा था और सरकार से यह बयान देने को कहा था कि क्या वह भूमि के उस सौदे की जांच कराने के लिए तैयार है जिसमें

10—173 L. S. S. (ND.)/79

श्री गुरु दत्त सोलंकी और श्री गोबिन्द सिंह अन्तर्ग्रस्त हैं। जैसा कि सदन को मालूम है, उप प्रधान मंत्री, श्री चरण सिंह ने 28 मार्च को दूसरे सदन में इस प्रश्न पर एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में जांच आयोग की नियुक्ति की मांग के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे उत्तर प्रदेश में 'भूमि के सौदे' से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया था कि श्री गुरु दत्त सोलंकी और श्री गोबिन्द सिंह, जो इस 'सौदे' में अन्तर्ग्रस्त हैं, दोनों ही उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं जो उन पर आश्रित हों और न ही उनके साथ उनका कोई साझा आर्थिक स्वार्थ है। ये ऐसे आश्रित व्यक्ति नहीं हैं जिनके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी है। पता चला है कि उत्तर प्रदेश वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन ने 12 जनवरी, 1979 को भूमि खरीदने का निर्णय किया था और सेल डीड 23-1-79 को रजिस्टर की गई थी। श्री चरण सिंह को 24 जनवरी, 1979 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इसलिए प्रश्नगत सौदा उस समय हुआ जब श्री चरण सिंह मंत्री नहीं थे। उन्होंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सौदे का उनके साथ न तो सरकारी पद की हैसियत से और न ही व्यक्तिगत हैसियत से कोई सम्बन्ध है।

यह सौदा उत्तर प्रदेश वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है। फिर भी, चूंकि मामले को विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने इस सदन में तथा कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य सदन में उठाया है, इसलिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि वह इस सौदे को आगे जांच करने के लिए यथावश्यक कदम उठाए और आगे को जांच के परिणामों के आधार पर आवश्यक समुचित कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश सरकार, निःसंदेह, ऐसी जांच के परिणामों और निष्कर्षों तथा उन पर की गई कार्रवाई से भारत सरकार को सूचित करेगी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1979-80 के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परमाणु उर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग क अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1979-80 के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4325/79]

(2) वर्ष 1979-80 के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4326/79]

(3) वर्ष 1979-80 के लिये अन्तरिक्ष विभाग के अनदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4327/79]

नागरवाला कांड सम्बन्धी रेड्डी जांच आयोग का प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) नागरवाला काण्ड सम्बन्धी पी० जगनमोहन रेड्डी जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्यन्धी ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4328/79]

वर्ष 1979-80 के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

वर्ष 1979–80 के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4329/79]

वर्ष 1977-78 के लिए भारतीय काजू निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) भारतीय काजू नियम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के कार्यकरण की सरकार दवारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977–78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4330/79]

विलायक निस्सारित तेल, तेल रहित योजन तथा खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विलायक निस्सारित तेल, तेल रहित भोजन तथा खाद्य आटा (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0 सां0 नि0 327 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4331/79]

सीमा सुरक्षा बल पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम 1979

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मै श्री धनिक लाल मंडल की ओर से सीमा सूरक्षा बल अधिनियम, 1968 की [illegible]रा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल पशु चिकित्सा अ[illegible]कारी भरती (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति [illegible] दिनांक 7 अप्रैल; 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसुचना संख्या सा० सां० नि 505 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4332/79]

वर्ष 1976-77 के लिए दिल्ली वित्तीय निगम के लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 1979-80 के लिए वित्त मंत्रालय, संसद विभाग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम. 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1976–77 के लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4333/79]

वर्ष 1979–80 के लिये वित्त मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4334/79]

वर्ष 1979–80 के लिये संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगो (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4335/79]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : श्रीमान, मैं चालु सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं जिनके बारे में प्रतिवेदन 6 अप्रैल, 1979 को सभा में पेश किया गया था।

(1) नारियल विकास बोर्ड विधयक, 1979।

(2) श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1979।

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1979।

(4) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1979।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारतीय सीमाओं के पार भारी सैनिक तैयारियों का समाचार

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चितुर) : श्रीमान, मैं उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

भारतीय सीमाओं के पार भारी सैनिक तैयारियां

उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सदन को हमारे कुछ पड़ोसी देशों में नियमित रुप से सैनिक क्षमता को बढ़ाने की तैयारी के बारे में मालूम है। इस बारे में समय-समय पर विभिन्न समाचार विश्व के समाचार पत्रों में छपे हैं और विभिन्न अवसरों पर सदन में चर्चा के दौरान इस बारे में जिक्र किया गया है। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट अनुदानों पर हुई चर्चा के दौरान कई गणमान्य सदस्यों ने हमारे पडोसी देशों के कुछ क्षेत्रों में हथियारों के आगमन और सैनिक क्षमता बढ़ाने पर चिंता व्यक्त की थी। उनके द्वारा आधुनिक सैनिक साज-सामान प्राप्त करने के प्रयासों के बारे में समाचार मिले हैं।

जैसा कि मैं कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुका हूं कि लगातार सर्वेक्षण के आधार पर सरकार इन गतिविधियों पर सावधानी से ध्यान दें रही है। मैंने यह भी कहा था कि अपनी रक्षा योजना और कार्यक्रमों को बनातें समय सरकार इन बातों को पुर्ण रुप सें ध्यान में रखती है।

फिर भी, मैं इस प्रकार की किसी भी धारणा को दूर करना चाहूंगा कि हाल के कुछ सप्ताहों अथवा महीनों में हमारी सीमा के दूसरी ओर सेनाओं का कोई असामान्य जमाव अथवा गतिविधियां हुई है। वस्तूतः इस प्रकार की गतिविधियों को सूचित करने वाला कोई समाचार नहीं मिला है जिसे असामान्य अथवा विशेषकर शांतिभंग करने वाला समझा जाए। अतः इस बारे में किसी भी प्रकार की चिंता करने का कोई कारण नहीं है।

मैं इस अवसर पर सदन को पुनः आश्वासन देता हूं कि हमारी बहादूर सशस्त्र सेनायें सीमाओं पर पूर्ण रुप से चौकस हैं और वे हर समय रक्षा की पूर्ण तैयारी बनाए हुए हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बात के संकेत हैं कि हमारी सीमाओं पर कुछ सैनिक तैयारियां की जा रही हैं। हम भली भांति जानते हैं की पाकिस्तान परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है। यह अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जानेवाली विदेशी सहायता में कमी करने से स्पष्ट हो जाता है।

अमरीका हिन्द महा सागर में सैनिक अड्डा बना रहा है। चीन एक अविश्वसनीय मित्र है, तथा विस्तार वादी है। उसकी पाकिस्तान से सांठगांठ है और वह नागाओं तथा अन्य लोगों को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है।

प्रारम्भ में हमारी रक्षा तैयारी हमारी विदेश नीति पर निर्भर थी और चूंकि हम हिन्दी-चीनी भाई भाई के युग में थे इसलिए हम चीन द्वारा किये जाने वाले आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम पाकिस्तान, अमरीका तथा चीन, तीनों के जिरोहों का सामना करने के लिए तैयार हैं?

श्री जगजीवन राम : मैं जो कुछ पहले कह चुका हूं उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है। कई अच्छे विचार पेश किए गए हैं किन्तु मैं कह चुका हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में हमारे उपप्रधान मंत्री जी के कहीं पर हुए भाषण की रिपोर्ट छपी थी, जिस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पड़ौसी देशों में मिलिट्री—बिल्ट-अप हो रहा है.......

श्री ज्योतिर्मय बसु : कहां छपा था ?

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : हिन्दुस्तान टाइम्स, पैट्रिअाट और कुछ सी० पी० (एम) न्यूज-पेपर्स में छपा था।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु कृपया कार्यवाही में बाधा मत डालिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से नफरत करता हूं। हम अपनी पड़ोसी देशों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हर एक का फैसला आपने नहीं करना है।

श्री ज्योतीर्मय बसु : कृपया इस तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति मत दीजिए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से निदेश नहीं चाहता। श्री विजय कुमार मलहोत्रा।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि हमारे हिन्दुस्तान की जो बहादुर सेना है, वह बहादुर सेना हिन्दुस्तान की पूरी रक्षा कर सकती है और उप-प्रधान मंत्री जी ने जैसा कहा है वे पूरा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं परन्तु जो नये डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन के बारे में क्या किया जा रहा है, यह देखने की जरूरत है। अफगानिस्तान में जब से नया शासन आया है, तब से वेस्ट को, अमेरिका को यह लग रहा है कि रुस को रोकने के लिए पाकिस्तान को मज़बूत किया जाए और पाकिस्तान के अन्दर बहुत बड़ी सैनिक तैयारियां हो रही हैं और वह ज्यादा मिलिट्री का सामान खरीद रहा है। अमेरिका और वेस्ट से उस को बहुत ज्यादा मिलिट्री का सामान दिया जा रहा है। ऐसी हालत में भुट्टो की फांसी के पश्चात् पाकिस्तान इस तरह की चीज कर सकता है, ऐसा खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान अकेले करे या चीन भी। चीन पाकिस्तान से मिला हुआ है और इस समय वेस्ट से भी मिला हुआ है और दोनों तरफ से एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। चीन के पास एटम बम है और हाइड्रोजन बम है और चीन का क्या रवैया है यह हम सब जानते हैं। इस वक्त चीन का क्या रवैया है, उस ने वीयतनाम पर हमला किया और तब किया जबकि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हो, इस पर वहां बातचीत हो रही थी। यह भी सब जानते हैं कि जब उन के प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान में आए हुए थे और इस सारे महाद्वीप के अन्दर 'हिन्दी-चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, तब चीन हिन्दुस्तान पर हमला करने की योजना बना रहा था। **(व्यवधान)** . . . मैं चीनी एजेन्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हिन्दुस्तान के उप-प्रधान मंत्री से बात कर रहा हूं। मुझे यह कहना है कि जब चीन के पास एटम बम हैं और पाकिस्तान एटम बम बना रहा है **(व्यवधान)**. . . .

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही बृतांत में सम्मिलित मत कीजिए। मैं केवल श्री मलहोत्रा की बात को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कर रहा हूं। किसी और की बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि सब सदस्य केवल भारत में रुचि रखे, अन्य देशों में नहीं।

(व्यवधान)**

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : मैं इस बात को आप से कह रहा था कि जबकि हिन्दुस्तान ने यह तय कर रखा है कि वह किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा, तो खतरा यह है कि अगर दूसरे हमलावर ने हम पर हमला किया, तो उस को इस बात का फायदा है कि वह अपनी जगह चुन सकता है, टाइम भी चुन सकता है। ऐसी हालत में उस खतरे का

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री विजय कुमार मलहोत्रा]

मुकाबला करने के लिए जब चीन के पास एटम बम हैं, हाइड्रोजन बम हैं और पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, तब क्या डिफेन्स मिनिस्टर साहब इस बात को सोचेंगे कि हिन्दुस्तान को भी एटम बम बनाना चाहिए क्योंकि अगर एटम बम हिन्दुस्तान के पास नहीं हुआ, तो हम किसी दूसरे मुल्क पर डिपेन्ड नहीं कर सकते। आज जो चीन का, पाकिस्तान का, अमेरिका का और वेस्ट का, इन सब का गठजोड़ है, उस का मुकाबला करने के लिए हिन्दुस्तान को अपने मिलिट्री इकुइपमेंट्स को मोड्रेनाइज करना और एटम बम बनाना, दोनो हालतों में जरुरी है और खास तौर से तब जबकि हिन्दुस्तान में चीन के एजेन्ट मौजूद हैं मुल्क को बचाने के लिए, यह बहुत जरूरी है, इस बात को. देखना चाहिए। मैं उप-प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे हिन्दुस्तान के मिलिट्री इकुइपमेंट्स को माड्रेनाइज करने के लिए और एटम बम बनाने के लिए और हिन्दुस्तान की डिफेन्स प्रिपेयडनेस के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : अध्यक्ष जी, सदस्य महोदय ने जितनी बात कहीं हैं, उन में से बहुत सी बातें तो इतिहास का एक अध्याय बन चुकी हैं और सब किसी को उस की जानकारी है। और भी बातों का जिक्र उन्होंने किया। आप को मालूम होगा कि डिफेन्स मिनिस्ट्री के बजट के ऊपर जब हाऊस में बहस चल रही थी, तो इन बातों का जिक्र किया गया था और मैंने इन का उत्तर भी दिया था। चीन के सम्बन्ध में, पाकिस्तान के सम्बन्ध में बातें हुई थीं, उनका जवाब भी हुआ था। उस को दोहराना अब मैं जरूरी नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय : उप-प्रधान मंत्री महोदय मैं ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति नहीं देनी थी, किन्तु मैंने सोचा कि रक्षा मंत्रालय की मांगों पर आपके भाषण के पश्चात् कुछ स्पष्टीकरण अत्यावश्यक था।

श्री जगजीवन राम : मुझे पता है कि मैंने क्या कहा है।

उस के बाद से हैदराबाद में मेरा एक भाषण हुआ। लेकिन उस में कहीं यह नहीं है कि मैंने यह जिक्र किया है कि हमारी सरहद पर कोई सेना या फौज का कंसेन्ट्रेशन है। उस में यह कहीं नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि यह मिलिट्री बिल्ड-अप चल रहा है और यह कोई हफ्ते से, महीने से या दो महीने से चल रहा है, यह भी मैंने नहीं कहा। यह जरुर है कि हमारे पड़ोसी देशों में मिलिट्री केपेबिलिटी बढ़ायी गयी है और जैसा कि मैंने कहा जब यह बढ़ायी जाती है तो उसका हम हिसाब रखते हैं।

यह सही है कि कई राष्ट्रों में एटम वेपंस हैं। लेकिन सदन ने एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित कर रखी है एटम बम के सम्बन्ध में, न्यूक्लियर वार हेड के सम्बन्ध में। चाइना के पास ये हैं, यह हम को मालूम था और है, उसकी जानकारी के बाद ही हमने इस पालिसी का यहां से समर्थन लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि घबराहट में हम को अपनी नीति को बदलने की आवश्यकता है।

जहां तक आधुनिकीकरण की बात है, इस सदन को मालूम है कि हम तीनों फौज का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और अपनी फौज को यह शक्ति दे रहे हैं कि वह किसी भी दुश्मन या सम्मिलित दुश्मनों का सक्षमता से मुकाबला कर सके और देश की सुरक्षा को बरकरार रख सके।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि बाबूजी इने-गिने, अनेक जो अच्छे लीडर हैं, उन में से एक हैं। लेकिन आज जो उनका स्टेटमेंट हुआ मैं यह कहने में संकोच नहीं करना चाहता कि वह एक रुटीन और जनरल टाइप का स्टेटमेंट था।

यह बात सही है कि हम चाइना से, पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं। लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि हम कम्प्लेसेंट हो जाएं। नेशनल पालिसी किसी पार्टी की पालिसी नहीं है, डिफेंस का मामला भी देश का मामला है। लेकिन उपप्रधान मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि चाइना, यू० एस० ए० और सोवियत यूनियन इन तीनों बड़ी बड़ी पावर्स का पहले एरिया आफ

आप्रेशन बर्लिन था। यह कुछ साल पहले था। लेकिन अब उनका एरिया आफ आप्रेशन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और इंडियन ओसन हो गया है और हमारे दरवाजे पर बड़ी बड़ी पावर्स आ रही हैं। इस से एक प्रोटेक्शन थ्रेट हमारे लिये बनती है, इस से वे भी इंकार नहीं कर सकते हैं।

दूसरी चीज़ पाकिस्तान में आज नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में मोबिलाइजेशन है। वे हथियार खरीद रहे हैं, उन्होंने डेस्ट्रायर खरीदे हैं। अमेरिका से उन्होंने एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज खरीदे हैं। दूसरे देशों से भी वे बहुत कुछ खरीद रहे हैं। उनके पास मार्डन मिसाइल हैं। उनके यहां फौज पर बजट का 9 परसेंट खर्च होता है, चाइना में भी बजट का 9 परसेंट खर्च होता है जबकि हम पिछले 6–7 सालों से डिफेंस पर अपने बजट का साढ़े तीन प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इस के अलावा पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से और दूसरे अरब देशों से इंडायरेक्टली बहुत हेल्प मिलती है। मुझे मालूम है कि वहां के आफिसर्स सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देशों के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन बातों से हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब से बंगलादेश बना है, पाकिस्तान बंट गया है पहले वहां उसके पास दस डिवीजन आर्मी की थीं अब उसके पास 18 डिवीजन हैं। इसी तरह से उस के पास 80 मिराज प्लेन हैं। हम ने तो अभी सौदा किया है, हम तो अभी खरीद ही रहे हैं।

एटम बम बनाने की वह कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने इसको माना है। चीन का जहां तक सवाल है रुस के साथ उसका झगड़ा है। उसके खिलाफ वह तैयारी करे यह बात तो समझ में आती है। लेकिन तिब्बत में वह क्या कर रहा है। तिब्बत और सोवियत संघ की सीमायें तो नहीं मिलती हैं। तिब्बत की सीमायें ज्यादा तर भारत नेपाल और सिक्किम के साथ लगती है। सिक्किम को आज भी वह इंडिपेंडेंट देश मानता है, भारत का हिस्सा नहीं मानता है। चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है तिब्बत में जो लहासा तक जाएगी और आयल पाइप लाइन बना रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर नहीं आ रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रश्न पर आ रहा हुं। मैं दो मिनट से अधिक नहीं लूंगा। घड़ी देखिए **(व्यवधान)** जब भी हम चीन की बात करते हैं तो उन्हें परेशानी हो जाती हैं, तिब्बत के अन्दर वह दो लाख सेना ला सकता है किसी भी समय ऐसी उसकी पोटेंशियैलिटी है। यह चीज़ हमारे देश पर असर करती है इसको आप मानेंगे। नेपाल को भी वह डरा रहा है। चीन ने वीयतनाम पर हमला किया तो नेपाल चुप रहा क्योंकि नेपाल के ऊपर उसकी तलवार लटकी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सब का आपने लांग टर्म व्यू लिया है और लांग टर्म प्लान डिफेंस का बनाया है? बजट जो डिफेंस का कम है क्या उसको भी आप बढ़ाएंगे? आप कहते हैं कि आप फौज को मार्डनाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के पास जो आर्म्ज हैं उन से ज्यादा मार्डन आर्म्ज़, ज्यादा सोफिस्टिकेटिड आर्म्ज़ हमारी फौज के पास हों—क्या इसका भी आप प्रयत्न कर रहे हैं और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या आपने चीन और पाकिस्तान के साथ भी जो हथियार वे खरीद रहे हैं, उस मामले को उठाया है और पूछा है कि क्यों वे खरीद रहे हैं और जो बड़े बड़े देश, बिग पावर्ज हैं जो उनको ये हथियार दे रही हैं क्या उनके साथ भी आपने इस मामले को उठाया है? आपने कहा है कि एटम बम आप नहीं बनाना चाहते हैं यह आपकी नीति है। यह बात सही है कि हम शान्ति चाहते हैं, किसी पर हमला करना नहीं चाहते हैं। चूंकि एटम बम एक डिटरेंट होगा और जबर्दस्त डिटरेंट होगा, इस वास्ते क्या सरकार इसके ऊपर दुबारा विचार करेगी? यह सवाल मैंने उस दिन भी पूछा था।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य ने कोई नई बात नहीं कही है। यह सही है कि चीन ने अपना सम्पर्क, कम्युनिकेशन तेज कर दिया है और मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि पाइप लाइन बन नहीं रही है बन चुकी है। इसकी जानकारी भारत सरकार को है और कितना पैट्रोल ला सकते हैं, कितनी फौज ला सकते हैं, कितने हथियार ला सकते हैं इसकी भी जानकारी है। जब हम अपने देश की सुरक्षा की बात सोचते हैं तो इन सभी तथ्यों को अपने सामने रख

[श्री जगजीवन राम]

कर सोचते हैं। पाकिस्तान को अमरीका से क्या मिल रहा है, कितना मिला है, सीधे कितना मिला है, प्रत्यक्ष और परोक्ष कितना मिला है, जहां तक सम्भव है सब की जानकारी रखी जाती है और उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी की जाती है।

जहां तक आधुनिकीकरण की बात है वह हम करते जा रहे हैं। हम को यह भी देखना पड़ता है कि डिफेंस और डिवेलैपमेंट के बीच में समन्वय कैसे रखें और एक विकासोन्मुख देश में इस समन्वय को भी जरूरी रखना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा विकास के ऊपर—बहुत अंशों में निर्भर करती है। इसलिए डिफेंस इंडस्ट्री बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है। मैं यह विश्वास देना चाहता हूं कि हम इस बात का प्रबन्ध भी जरूर करते हैं कि हमारी सुपीरियारिटी अपने पड़ोसी के ऊपर रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी सुरक्षा कर सकें। यह सही है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं। भारत का यह गौरव रहा है कि इतिहास में उसने कभी भी किसी को पराजित करने का प्रयत्न नहीं किया है और आगे भी हम नहीं करना चाहते हैं, पराजीत देश की स्वतंत्रता को कायम करना चाहते हैं। इस में कभी कभी यह कमजोरी जरूर आती है कि जगह चुनने का हमें मौका नहीं मिलता है, हमारे दुश्मन को मिलता है। लेकिन हम सब प्वाइंट्स पर तैयारी रखते हैं ताकि कभी ऐसी स्थिति पैदा हो तो देश की सुरक्षा को हम सुरक्षित रख सकें। मैं सदन को फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी फौज बहादुर है और फौज को बराबर भरोसा रहता है कि सारे देश की शक्ति उनके पीछे हैं। और यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सिर्फ मशीन ही कारगर नहीं होती है man behind the machine का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता है। घबराहट में जैसा मैंने कहा आणविक शक्ति को आप प्रोटेक्टिव कह सकते हैं, डिफ़ेंविस नहीं कह सकते हैं That is not a weapon of defence इसलिये हम अभी अपनी नीति को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। बहादुर जो होता है वह बहुत जल्दी घबराया नहीं करता है।

लोक लेखा समिति

58 वां तथा 125वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : श्रीमान, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के डीजल हाइड्रोलिक इंजनों से सम्बन्धित पैराग्राफ 8 पर समिति का 58वां प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के रेल लाइनों के पुनर्निर्माण और संरचना से सम्बन्धित पैराग्राफ 8 और 9 पर समिति का 125 वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बधी समिति

35वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 35वां प्रतिवेदन तथा उससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं सभा में घोषणा करता हूं कि 23 अप्रैल, 1979 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा :—

(1) आज की कार्यसूची में शेष सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार;

(2) वर्ष 1979–80 के लिये बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की शेष मांगे सोमवार 23 अप्रैल, 1979 को सायं 6 बजे सभा के मतदान के लिये रखना।

(3) विचार करना तथा पारित करना :–

(एक) वित्त विधेयक, 1979

(दो) हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1978

(तीन) कोसनगैस कम्पनी (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1979

(चार) परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अगला सप्ताह वित्त सम्बन्धी कार्यों का अंतिम सप्ताह है और वर्तमान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्त सम्बन्धी कार्य गुरुवार की शाम को समाप्त हो जायेगा और सोमवार को मध्यान्ह पश्चात या शाम को शेष मंत्रालयो की अनुदानों की मांगे एक साथ स्वीकृत कर ली जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात को समझता हूं। शेष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को सोमवार को 6 बजे एक साथ स्वीकृत कर लिया जायेगा उनके पश्चात वित्त विधेयक के लिए 15 घंटे का समय नियत किया गया है। हम मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार, प्रत्येक दिन 5 घंटे वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे। अतः अगले सप्ताह 6 बजे के पश्चात बैठना आवश्यक नहीं होगा और यदि आवश्यक भी हुआ तो हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान आपने शेष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को स्वीकृत करने के लिए शाम को 6 बजे का समय निर्धारित किया है। आश्चर्य होता है कि इस प्रयोजन के लिए वही समय शुभ कैसे माना गया है। कोई भी समय हर समय की तरह अच्छा है। किन्तु मैं देख रहा हूं कि सभा नियम 14, 208 तथा 219 के अनुसार चल रही है। किन्तु इन नियमों में 17 घंटे का नहीं बल्कि 18 घंटे का उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय : यह समय सभा ने ही नियत किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा इस में परिवर्तन भी कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें एक घंटे का समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे आवश्यक नहीं समझता। इस पर चर्चा न करके हम एक घंटे का समय बचा सकते है। यदि माननीय सदस्य सहयोग करें तो एक घंटे का समय बचाया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। नियम पुस्तिका में यह 5 बजे था किन्तु सभा के कार्य को देखकर इसे बदलकर 6 बजे कर दिया गया। श्रीमान यह भावना पैदा हो रही है कि सरकार लोकपाल विधेयक तथा विशेष न्यायालय विधेयक, दोनो ही महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में टाल मटोल कर रही है। उन्हें उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी सभा को आश्वासन देंगे कि अगले सप्ताह के बाद वाले सप्ताह में इन दोनों विधेयकों पर चर्चा आरम्भ कर दी जायेगी। इन दोनों विधेयकों को इसी सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। वह सभा को आश्वासन दें कि इन दो विधेयकों को अगले सत्र के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा। लोगों में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि यह सरकार कांग्रेस सरकार की तरह बुरी है, जिसने लोकपाल विधेयक पर दो बार विचार करने की बात स्थगित की थी।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मुझे माननीय सदस्य की इस बात पर आश्चर्य होता है कि सरकार इन विधेयकों के बारे में टाल मटोल कर रही है। माननीय सदस्य को पता है कि हमें अत्यावश्यक वित्तीय कार्य का निष्पादन करना पड़ा है। मैं यह बात सभा में कई बार कह चुका हूं कि इन दोनों विधेयकों को प्राथमिकता दी जायेगी। सरकार का स्वयं का यह इरादा है कि इन दोनों विधेयकों को इसी सत्र के दौरान पारित किया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : बहुत अच्छा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खेद की बात है कि आपने गार्डन रीच वर्कशाप के मामले को नही चुना है। वहां हड़ताल के कारण 15 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों पर हम कई-बार चर्चा कर चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वहां 15 करोड रुपये की हानि हो जागी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपको रोज ऐसा अवसर नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान आप मुझे दैनिक भत्ता दे रहे हैं, इसलिए आपको मेरी बात रोज सुनी होनगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। नियम 377 के अधीन मामले। श्री राघवजी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्यप्रदेश में भारतीय खाद्यनिगम द्वारा गेहूं की खरीद में विलम्ब

श्री राघवजी (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय को उठाना चाहता हूं :—

भारत शासन ने गेहूं का समर्थन मूल्य 115 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। एक तो वह काफी विलम्ब से किया गया, क्योंकि मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक मार्च के प्रथम सप्ताह से ही प्रारम्भ हो जानी है, दूसरे यह कि अब तक किसी भी सरकारी एजेन्सी ने गेहूं क्रय करना प्रारम्भ ही नहीं किया है, जब कि मध्यप्रदेश की विदिशा, बासोदा, मंडी बामोरा, सिरौन, गुलाबगंज, भोपाल, सीहोर, रतलाम, मंदसौर, शुजालपुर, अकौदिया आदि अनेक मंडियों में काफी मात्रा में गेहूं बिकने प्रतिदिन आ रहा है।

मंडियों में आने वाले गेहूं का एक बड़ा भाग प्रतिदिन 115 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव में रहा है। छोटा एवं कमजोर किसान किसी भी मूल्य में अपना उत्पादन बेचन के लिये विवश है, क्योंकि उसके पास अनाज रोक कर रखने की क्षमता नहीं है। उसे तत्काल नकद पैसों की आवश्यकता होती है। अनेक मंडियों में गेहूं 100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। रेलवे वैगनों की पर्याप्त पूर्ति न होना भी एक कारण गेहूं के मूल्यों में गिरावट का है।

भारतीय खाद्य निगम बिल्कुल चुप बैठा है। उसने अभी तक मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी प्रारम्भ ही नहीं की है। फलस्वरुप मध्यप्रदेश का छोटा एवं कमजोर किसान लुट रहा है और शासन की नीति का क्रियान्वय नहीं हो रहा है। शासन के समर्थन मूल्यों की घोषणा का लाभ किसानों को मिल ही नहीं पा रहा है। घोषणा केवल कागजी है।

यदि अभी गेहूं खरीदी मध्यप्रदेश में तत्काल प्रारम्भ नहीं की गई तो गेहूं उत्पादक पूरी तरह से पिस जायेगा। गेहूं का घोषित समर्थन मूल्य न मिल पाने के कारण किसानों में बेहद रोष एवं असन्तोष व्याप्त है, जो किसी भी समय भड़क भी सकता है।

अतः कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे तत्काल भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दें कि वह मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं खरीदना प्रारम्भ कर दे तथा पूर्व में मंडियों के माध्यम से जिन किसानों का गेहूं चालू वर्ष में 115 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव से बिका है, उन्हें शीघ्र क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाये।

(दो) वैगनों की सप्लाई न किये जाने के कारण आंध्र प्रदेश की निजामाबाद मंडी के व्यापारियों, कमीशन एजेन्टों द्वारा हड़ताल

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : श्रीमान नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

9-4-1979 से आंध्र प्रदेश की निजामाबाद कृषि मंडी के व्यापारी तथा आढ़ती हड़ताल पर है। वे उत्तर मध्य रेलवे द्वारा माल डिब्बों की सप्लाई न किए जाने पर विरोध प्रकट कर रहे हैं। मंडी के बंद हो जाने से तेलंगाना क्षेत्र के पांच जिलों के किसानों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ रही है। वे अपने उत्पादों को नहीं बेच पा रहे हैं।

हजारों किसानों को अपना माल मिट्टी के भाव बेचना पड़ रहा है। इस मामले में केन्द्र सरकार और रेलवे विभाग के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। गरीब किसानों को बचाने के लिए माल डिब्बे तुरंत आवंटित किए जाने चाहिए। इसमें और अधिक विलंब करने से अव्यवस्था फैल जायेगी ।

(तीन) जहवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन के सदस्यों द्वारा भूख हड़ताल

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापूर) : अध्यक्ष महोदय, जलवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संगठन के कर्मचारी संघ के कर्मचारियों, द्वारा 7 अप्रैल, 1979 से क्रमिक हड़ताल किये जाने के कारण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। संघ ने 29 मार्च, 1979 को उपकुलपति को एक नोटिस दिया था कि यदि उनकी समस्यायें एक सप्ताह के अंत तक न सुलझाई गयी तो वह सीधी कार्यवाही का सहारा लेने के लिए बाध्य हो जायेंगे तथा इसी के अनुसार उन्होंने 7 अप्रैल, 1979 से कुलपति के कार्यालय के सामने क्र्मीक हड़ताल आरम्भ कर दी है। कुलपति की इच्छा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई 9 मांगों में से सब से महत्वपूर्ण मांग यह है कि सैलैक्शन ग्रड (जो 1977 से "ज० ने० वि० में लागू चला आ रहा है) को समाप्त न किया जाये । यह सलेक्शन ग्रेड केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके समक्ष पदोन्नति के अवसर जीवन भर नहीं होते है। सलैक्शन ग्रेड के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ड्राईवर, तथा इंजीनयरिंग स्टाफ के लोग आते है।

विश्वविद्यालय द्वारा विचार गोष्ठियों के लिए आयोजित चीजों आदि पर लाखों रुपये खर्च कर दिये गये थे परन्तू विद्यालय अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सलैक्शन ग्रेड दे कर उनपर 5 रुपये प्रति माह की दर से खर्च करने के लिए तैयार नहीं है ।

सलैक्शन ग्रेड की सिफारिश उस समिति द्वारा की गई थी जिसमें कि कर्मचारियों तथा प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधी समान संख्या में थे । उसके बाद 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकारी समिति द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया। परन्तू पिछले महीने वि० वि० प्रशासन द्वारा एक पक्षीय रूप से इसे वापिस ले लिया गया है।

कर्मचारियों की अन्य महत्वपूर्ण मांगों में कर्मचारियों के लिए और अधिक मकान, दैनिक वेतनवाले कर्मचारियों को नियमित करने, चिकित्सा सुवधियें उपलब्ध करवाने, सामूहिक बीमा योजना आदि आती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि संघ की लम्बे समय से चली आ रही मांगों के बारे में तुरन्त समझौता हो सके।

(चार) कापा (मध्य प्रदेश) में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में आग लगना

श्री गोविन्दराम मिरी (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय, में नियम 377 के अधीन लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर, के निकट कापा स्थित भारतीय खाद्य निगम का विशाल अनाज गोदाम 12 अप्रैल, 1979 को सुबह चारों ओर से आग की लपट में घिर गया था। यद्यपि जिला, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की सूझ-बूझ एवं त्वरित कार्यवाही के कारण आग पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया, लेकिन इस आगज़नी से करीब 30, 35 हज़ार बोरे अनाज जल कर राख हो गया, जिसे शासन को 5, 6 लाख रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना के समय मौके पर खाद्य निगम के कोई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं थे। गोदाम के चारों ओर ऊंची दीवाल है, तथा यह प्रमुख सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 6 पर स्थित है।

यह आगज़नी अनेक शंकाओं को जन्म देती है तथा यह आकस्मिक न हो कर दिन-दहाड़े एक सुनियोजित ढंग से की गई घटना प्रतीत होती है। यह भी ज्ञात हुआ है कि खाद्य निगम के गोदाम से चोरी-छिपे व्यापारियों को अनाज बेचा जाता है, जिसपर पर्दा डालने के लिए कर्मचारियों ने गोदाम में आग लगाई । इस घटना के दूसरे दिन सुबह आठ बजे गोदाम के कुछ हमालों एवं एक व्यापारी के बीच इस आगज़नी को ले कर काफ़ी मारपीट हुई ।

खाद्य निगम के लापरवाह अधिकारियों का रवैया एवं उनकी नीयत अब साफ़ साफ़ सामने आ गई है। इस घटना से उस अंचल के करोड़ों लोगों एवं जन-प्रतिनिधियों में काफी रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ के इस अंचल से रोज़ी-रोटी की तलाश में लाखों लोग प्रति-वर्ष अन्य प्रांतों को जाने पर मजबूर होते आ रहे हैं, तथा हमारे देश में लाखों लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आगज़नी का यह कृत्य अक्षम्य है।

माननीय कृषि एवं खाद्य मंत्री वस्तुस्थिति से कृपया संसद् को शीघ्र अवगत करायें और वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल मुअत्तिल कर इस प्रकरण की दंडाधिकारी द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करें ।

(पांच) पश्चिम तट राजपथ के निर्माण में विलम्ब

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुंदपुरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं केरल राज्य के तीन जिलों मंगलौर-कोचीन-त्रिवेन्द्रम हाइवे में चल रहे व्यापक जन आन्दोलन की ओर नियम 377 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

केरल के तीन जिलों के तटीय अन्दोलन शुरू किये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि मंगलौर स कोचीन के रास्ते त्रिवेन्द्रम तक वेस्ट कोस्ट हाइवे (नेशनल हाइवे-17) की क्रियान्वति में किये जा रहे असाधारण विलम्ब के विरोध में किया जा रहा है। पांच वर्ष पहले घोषणा की गई थी कि वेस्ट कोस्ट हाइवे को कुट्टीपुरम से कोंड़गल्लर कोलापुरम-मुथाकून्नम होकर कोचीन के निकट नेशनल हाइवे 47 में जोड़ा जाएगा। इस कार्य के लिए केवल 10 करोड़ रुपये के मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है तथा आरम्भिक कार्य किया जा चुका है। मिले हुये एन० एल० 17 के अन्तर्गत 5 मुख्य पुलों को जोड़ने का प्रस्ताव है। इस मिले हुये हाई वे के पश्चिम तट के बहुत अधिक पिछड़े हुये मल्लापुरम, त्रिचूर तथा एरनाकुलम, जिलों के लिए खोल दिया जायेगा।

समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबत होगा तथा इससे मछुओं को काफी लाभ होगा तथा इसके साथ ही इस क्षेत्र के औद्योगिकरण में भी काफी सहायता मिलेगी। इस क्षेत्र के लोगों की इन पुलों के अभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कोतलापुरम-मूथाकून्नम चेतूवा तथा चेरानीलोर पुल इन में से प्रसिद्ध पुल है। इस क्षेत्र के लोग केरल राज्य के अन्य क्षेत्रों से बिलकुल अलग अलग हुये है क्योंकि वहां परिवहन साधनों का पूर्णतया अभाव है। वास्तविकता तो यह है कि चेतूया पुल 1954 में मद्रास सरकार द्वारा मंजूर किया गया था। कोट्टापुरम-मूथाकून्नम पुल पर 20 करोड़ रुपया खर्च आना है और यह केरल के सब से बड़े पुलों में से एक होगा। यह भी सत्य है कि आज से $1\frac{1}{2}$ वर्ष पहले वर्तमान नौवहन तथा परिवहन मंत्री श्री चांदराम ने स्वयं ही कोट्टापुरम पुल का शिलांन्यास किया था। परन्तु उसके बाद अभी तक एक भी पत्थर और नहीं लगाया गया है।

आज से 5 वर्ष पूर्व जब मंगलौर-कोचीन-त्रिवेन्द्रम को जोड़ने वाले इस नये एन० एन० 17 पुल के लिए वित्तीय प्रशासनिक तथा विभागीय मंजूरी दी गई थी। परन्तु इतनी लम्बी प्रतीक्षा क्या पुल का शिलान्यास किये जाने के बाद भी अभी तक इसका निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। मुझे यह समझ नही आता कि यदि काम आरम्भ करने में इतना समय लगना था तो फिर भला शिलान्यास करने की क्या जल्दी थी। काफी अधिक संख्या में अभ्यावेदन, ज्ञापन आदि देने के बाद अब उस इलाके के लोग इतने क्षुब्ध हो गये है, उन्हें बाध्य होकर अन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इस के फलस्वरुप मल्लापुरम, त्रिचूर तथा एरनाकुलम के तटीय जिलों में यह आन्दोलन शुरू किया जायेगा।

कोट्टापुरम-मूथाकून्नम का कार्य, जिसका कि शिलांन्यास पहले ही किया जा चुका है; चेतुवापुल जिसके लिए मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है तथा पैरानेलोर पुल का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिये। अब तो इस सम्बन्ध में नौवहन तथा परिवहन मंत्री द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिये जाने पर ही उन लोगों को शांत कर, उन्हें संघर्ष का रास्ता न अपनाने के लिए राजी किया जा सकता है।

अनुदानों की मांगे, 1979--80--जारी

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली अनुदानों की भांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा। पिछले वक्ता श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव थे। वह 10 मिनट पहले ही बोल चुके है और उनके दल का केवल 2 मिनट शेप रह गया है, अतः वह 3 या 4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकते है।

श्री अंकिनीडू प्रसाद राव (बापतला) : श्रीमान, मैं तम्बाकू की खेती के बारे में बोलूगा। यह एक बहुत ही नाजुक फसल होती है। हमारे देश में 50 प्रतिशत अच्छी किस्म का तम्बाकू होता है तथा 50 प्रतिशत निम्न स्तर का। 50 प्रतिशत अच्छे किस्म के तम्बाकू से हमें कुल तम्बाकू के मूल्य का 80 प्रतिशत लाभ होता है। 1964, 1972 या 1978 में इस देश में इस किस्म के तम्बाकू को बेचने की कोई समस्या नहीं हुई जबकि इन वर्षों में इस प्रकार के तम्बाकू का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। इन वर्षों में 50 प्रतिशत निम्न कोटि के तम्बाकू को बेचने में समस्या उत्पन्न हुई थी क्योंकि इस 50 प्रतिशत तम्बाकू से केवल 20 प्रतिशत मूल्य प्राप्त हुआ था। इस निम्न किस्म के तम्बाकू की समस्या को हल करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने इस तम्बाकू की खेती की जाने वाली भूमि में कमी कर दी थी। इसके बावजूद भी इस वर्ष तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित भूमि से 40,000 एकड़ अधिक भूमि पर इसकी खेती की गई। इस वर्ष 100 मिलियन किलोग्राम के लगभग उत्पादन हुआ है, फिर भी इसमें से फालतु तम्बाकू नहीं निकलेगा। तम्बाकू उत्पादकों को सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क लगान

से कठिनाई होती थी किन्तु अब सरकार ने उसे हटा दिया है। इससे किसानों को बहुत राहत मिली है। इस के लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात बिचोलियों के बारे में है जोकि निर्माताओं और उत्पाद को के बीच आ जाती है। यदि आपने उन्हें व्यापारी, निर्यातक या कुछ अन्य नाम दे, वे आपने मुनाफे के लिए उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत ले लेते है। सरकार को एक ऐसा संगठन बनाने पर विचार करना चाहिये जोकि इन बिचोलियों, को समाप्त कर दे और यह सुनिश्चित करें कि तम्बाकू के बिक्री से होने वाली आय निर्माताओं और कृषकों को ही मिले। बिचोलियों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिये। इसके लिए एक संगठन नितांत आवश्यक है। यदि ऐसे संगठन कि स्थापना कर दी जाये तो हमें बहुत खुशी होगी। सरकार ने वाणिज्यिक तथा समर्थन मूल्य कार्यो के लिए राज्य व्यापार निगम को बाजार में प्रवेश करने के लिए कहा था। मैं इसकी गतिविधियों के बारे में अधिक नही बोलुंगा।

1978-79 के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने 43 वे प्रतिवेदन, जो लोकसभा में 17-4-79 को प्रस्तुत किया गया था, में जो कुछ कहा है मैं उसका उद्धरण देता हूं। यह है राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू से खरीद के बारे में था और इसे पढ़ कर मंत्रालय स्वयं अनुमान लगा सकता और फिर कृषकों को इस मुसीबत से राहत दिलाने के लिए समुचित तरीका निकालने के बारे विचार कर सकता है। पृष्ठ 17 पैरा 2.38 में समिति कहती है:

"22 मई 1978 को राज्य व्यापार निगम ने सभी उत्पादकों के सिण्डीकेट तथा सहकारी समितियों को 10 हजार टन का आवंटन किया था जब कि सरकारी निदेश के अनुसार राज्य व्यापार निगम को तम्बाकू की खरीद केवल उत्पादकों से ही करनी होती है। 2018 टन तम्बाकू उत्पादकों की 11 सहकारी समितियों में आबंटित किया गया और शेष 7,982 टन उत्पादकों के 266 सिण्डीकेटों को दिया गया। तथाकथित उत्पादकों के सिण्डीकेट कुछ लोग आपस में मिलकर बना लेते है जिन में वास्तविक रूप से सभी उत्पादक नही होते।"

वहां ऐसा चल रहा है। समिति ने पृष्ठ 15, पैरा 2.34 में इस प्रकार कहा है:

"समिति कालीगिरी में उत्पादकों के सिण्डीकेट के बारे में जानना चाहती थी जिसके साथ राज्य व्यापार निगम का व्यापार चलना था। राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि ने समिति को इस प्रकार बताया :—

"वे मेलोर जिले के कालीगिरी के है। प्रारम्भ में तम्बाकू बोर्ड ने उत्पादकों के सिण्डीकेट की सिफारिश की थी किन्तु जब वितरण किया गया तो उन्होंने अपने आपको सांझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत करा लिया। चूंकि हमने तम्बाकू बोर्ड की सिफारिश के आधार पर हम तम्बाकू देने के लिए वचनबद्ध थे, इसलिए हमें उन्हें 100 टन तम्बाकू देना पड़ा"

सरकार का इरादा उत्पादकों को सहायता करना है। राज्य व्यापार निगम ने एक सिण्डीकेट की एक फर्म को आदेश दिया जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह साझेदारी फर्म ही है। वहां यह सब कुछ हो रहा है। पृष्ठ 26 पैरा 2.60 में समिति कहती है :

"यह स्पष्ट है कि वर्तमान योजना के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम के समर्थन खरीद कार्य का लाभ भी उत्पादकों को नहीं मिलता है जबकि सिण्डीकेट के रूप में कार्य कर रहे व्यापारी लाभ कमाते है।"

अन्ततः पृष्ठ 28 के पैरा 2.61 में समिति ने कहा है :

"हाल ही में राज्य व्यापार निगम के चीन के बाजार में पदार्पण करने की संभावना थी परन्तु एक गैर-सरकारी निर्यात-कर्त्ता ने चीन से सीधे ही 2200 टन के लिए 4.2 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य आदेश प्राप्त कर लिया। यह बहुत ही दुःख की बात है कि राज्य व्यापार निगम निर्यात मंडियों का पता लगाने में असमर्थ रही जब कि इसके पास तम्बाकू का काफी भंडार था। समिति को यह आशंका है कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सरकारी निकायों को बदनामी सहन करनी पड़ती है क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में उनके निर्यात-मंडियों में जाने पर बुरा असर पड़ता है। अतः सरकार को इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिये।

2.62 समिति यह भी महसूस करती है कि तम्बाकू उद्योग में आध्र प्रदेश तथा अन्य स्थानों में काफी प्रकार के दबाव डाले जाते हैं तथा सरकारी विनियमनकर्त्ता तथा विपणन एजेंसी के कार्यकारी कर्मचारियों की यदि स्थानीय व्यापारियों के साथ अच्छी जान पहचान हो तो वह अपने प्रलोभनों का जाल फैला कर, सरकारी कार्यकक्षाओं तथा उनके कार्य में अनेक प्रकार से रोड़े अटका सकते है। उत्पादकों के हितों की सही ढंग से सुरक्षा करने के लिए तथा सरकारी निकायों द्वारा असंबद्ध तथा बिना भेद भाव के कारगर रूप से अपने मूल्यों का पालन करने के लिए तथा अन्ततः देश के हित के लिए, समिति दुःख के साथ यह सुझाव दे रही है कि ऐसे कार्यकारी कर्मचारियों को राज्य व्यापार निगम या तम्बाकू बोर्ड में इस प्रकार के दायित्वपूर्ण पदों पर आसीन नहीं किया जाना चाहिये जिसे कि वह राष्ट्र के हित के विरुद्ध कार्य कर सके।"

[श्री अंकिनीडू प्रसाद राव]

सरकार द्वारा उत्पादकों की भलाई के लिए सब कुछ करने की भरपूर इच्छा होने पर भी, यह सब कुछ हमारे यहां हो रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें जो भी मूल्य निर्माताओं से प्राप्त होता है, वह सीधे ही उत्पादकों को मिल जाये तथा एक इस प्रकार का निकाय होना चाहिये जो उत्पादकों से सीधे खरीद कर उसे निर्माताओं को बेच सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, जो नागरिक पूर्ति और सहकारिता की डिमांड है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि देश की जो विकृत अर्थ-व्यवस्था है वह जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण नहीं हो सकता। हम केवल 30 साल के कांग्रेसी कुशासन की देन बता कर महंगाई की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। देश की 60 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है और 30 प्रतिशत जनता जो उसकी अपनी परचेसिंग कैपेसिटी है उसको खो चुकी है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये जब तक औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के मूल्यों में तालमेल नहीं बैठ जाता, तब तक हम इस से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जनता सरकार की परीक्षा इस बात में है कि मूल्य वृद्धि के मोच पर किस हद तक कामयाब होते हैं। 24 फरवरी के बाद से-4 सप्ताहों में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह बहुत ज्यादा है, इतने कम समय में इतनी अधिक मूल्य वृद्धि बड़ी गम्भीर बात है। 24 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह का सूचकांक 183.6 था, जो अगले चार सप्ताहों में बढ़ कर 189.4 हो गया, इस प्रकार मूल्यों में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले दो वर्षों में मुद्रा प्रसार में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, मैं मानता हूं कि उसके अनुपात में मूल्य वृद्धि में काफी सन्तुलन बना रहा है, लेकिन हम इस बात से भी आंख नहीं मूंद सकते कि जो मूल्य सूचक अंक है वह हमारी स्थिति को बहुत ज्यादा चिन्तनीय बना देता है। वास्तव में सूचक अंक का लगभग 5 वां भाग सन 1979-80 के बजट में लगाये गये उत्पादन शुल्कों से प्रभावित हुआ है और सूचक अंक के इस पांचवे भाग में भी अकेले पैट्रोलियम समूह 15.9 प्रतिशत की वृद्धि के लिये जिम्मेदार है। अलौह धातुयें, भी बजट में लगाये गये करों से अ प्रभावित हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस वृद्धि में भी 22.8 प्रतिशत का योगदान रहा है।

जहां तक चीनी की कीमत बढ़ने का सवाल है-वह भी काफ़ी चिन्ताजनक है। यद्यपि गन्ने की जो दर है, जिसे सरकार ने निश्चित किया है, हम किसानों को वह दर भी नहीं दिला सके और यह कहा जाता था कि भण्डारों में चीनी रखने की जगह नहीं है, इतनी बेशुमार चीनी है, लेकिन फिर भी प्रति किलो चीनी पर 75 से 80 पैसे की वृद्धि हुई है। वनस्पति घी, जिसका कच्चा माल हम निर्धारित दर पर मुहिया करते हैं, उसमें भी दो रुपये से तीन रुपये किलो की वृद्धि हुई है। इस वर्ष के बजट के बाद आम लोगों के मन में महंगाई के प्रति एक ऐसी आशंका थी कि अप्रत्याशित रूप से महंगाई बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय का यह अनुमान था कि केवल 1 प्रतिशत मूल्य वृद्धि होगी और यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि थोक और खुदरा मूल्यों में 10 प्रतिशत का अन्तर होता है. लेकिन इस बार मूल्य वृद्धि का हिसाब यह है कि 20 से 25 प्रतिशत तक थोक तथा खुदरा मूल्यों के बीच मूल्य में अन्तर रहा है।

आप देहातों में चले जाइये—गरीबों के घरों में मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पाता है। किसानों के पास जाइये-जो सिंचाई डीज़ल से करता था, आज उसको बाज़ार में डीज़ल भी नहीं मिलता। दालें तो गरीबों को मोयस्सर ही नहीं हो पाती हैं-हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। जब तक हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो जाती, तब तक आम लोगों को, साधारण आय कर जीनेवाले लोगों को, हम आवश्यक सामान भी मुहिया नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से और सदन से यह अर्ज करूंगा-आप थोक मूल्यों को ही ले लें-24फरवरी के एक सप्ताह पहले और उसके एक सप्ताह बाद-इतने कम समय में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है-एक पखवाड़े में ऐसी मूल्य वृद्धि कभी भी देखने में नहीं आई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च के पहले पखवाड़े में मिट्टी के तेल में 8 प्रतिशत, मूंगफली के तेल में 5 प्रतिशत, कपड़ा धोनेवाले साबुन के मूल्य में 6.1 पर सेन्ट, दंतमंजन के मूल्य में 6.3 प्रतिशत, श्रृंगार प्रसाधनों के मूल्य में 22.9 प्रतिशत, दियासलाई जैसी आवश्यक चीज़ के मूल्य में 28.2 प्रतिशत की वृद्धि ई। चीनी जैसी आवश्यक वस्तु, जो पीछे खुदरा मूल्य में सवा दो रुपये प्रति किलो पाते थे, आज उसका मूल्य ३ रुपय प्रति किलो है। उसके मूल्य में भी इतनी वृद्धि है। इस समस्या का समाधान किस तरह से होगा। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किये बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, सरकार चालू वर्ष में अपने प्रशासनिक खर्च में 10 प्रतिशत कटौती करे और सरकारी उद्योगों में जो उत्पादन होता है, उसके मूल्य में कोई वृद्धि न करे। अगर ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हम कर सकेंगे, तो मूल्यों में वृद्धि नहीं हो सकेगी वरना मूल्यों में यह वृद्धि होती ही रहेगी और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन लोगों को भरपेट रोटी नहीं मिलती,

जिनकी आमदनी बंधी हुई है, जिनकी आमदनी सीमित है, जिनकी क्रय-शक्ति दिन प्रति दिन घट रही है। यह जो नया बजट आया कि सारे देश से चीजें गायब होने लगी। इसलिए मैं अपने माननीय मंत्री जी से, जिनके विचार काफ़ी सुलझे हुए हैं, जिनकी ईमानदारी के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनके व्यक्तित्व से हम सारे लोग प्रभावित हैं, जिन की सेवा से हम सारे लोग प्रभावित हैं, हम यह आशा करते हैं कि उन्होंने जो भारत की जनता के लिए यह निदान ढूंढा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ किया जाए, उसको दृढ़ता से वे लागू करेंगे जिससे आम लोगों को निश्चित मूल्यों पर चीजें मिले। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आवश्यक चीजों के मुल्य सुदृढ़ होंगे, निश्चित होंगे ताकि ऐसा न हो कि व्यापारी जब चाहें चीज़ों के दाम बढ़ा दे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : अध्यक्ष महोदय, जिन भागों पर चर्चा की जा रही है, वह जन साधारण की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में सहकारिता आन्दोलन तथा मूल्यों में स्थिरता लाने का दायित्व इसी मंत्रालय का है। सहकारिता की सदस्यता, तथा उसका कार्य–व्यापार आज पहले से काफी बढ गया है। आज देश में लगभग 8 करोड़ लोग सहकारी आन्दोलनों में लगे हुये है तथा सहकारी संस्थानों की माध्यम से लगभग 15,000 करोड़ रुपये का व्यापार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 36 में कहा गया है कि सहकारिता आन्दोलन से अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों को लाभ नहीं हो पाया है।

(श्री द्विवेद्रनाथ बसु पीठासीन हुये)

सहकारिता आन्दोलन के उद्देश्यों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका उद्देश्य लोगों को तथा ग्रामीण लोगों को, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, उत्पादन–प्रधान कार्यक्रम बनाना तथा आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना है। मूल्यों को स्थायी बनाना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करवाना, तथा श्रम–प्रधान तकनीक उपलब्ध करना, समाज की पुनः रचना करना— यह सब काफी अच्छी तथा सराहनीय उद्देश्य है, परन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों का सवाल है, उनके लिए यह केवल आशा ही बन कर रह गई है।

सहकारिता आन्दोलन को सही दिशा देने के लिए सहकारिता मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में 1977 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति संकल्प पारित किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि यह आन्दोलन एक स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर तथा बिना किसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव के फलीभूत हो तथा इससे सीमांत किसानों तथा ग्रामीण उद्योगों में लगे लोगों को लाभ हो सके। इसके फलस्वरूप 42 सार्थ-कार्यक्रम तैयार किये गये और राज्य सरकारों से इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। मुझे इसे बात काफी खुशी होती यदि सहकारिता नियमों में संशोधन कर सरकार राज्यों को यह निदेश देती कि उसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को भी शामिल कर दिया जाये, विपणन मन्त्रियों में आज सहकारिता में जो लोग लगे हुये है, वह नये सदस्यों को स्वीकार करने में आनाकानी करते है। इसलिए सहकारिता का लाभ केवल कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा है। अतः सहकारिताओं में भी एक प्रकार से एकाधिकारवाद आ गया है, निहित स्वार्थों के लोग उनमें छाये हुये है तथा वह उसका लाभ समाज के इन गरीब लोगों तक नही पहुंचने देते है।

इसलिए जब मैं यह कहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन में प्रसार हुआ है या इसमे वृद्धि हुई है तो मेरा तात्पर्य यह भी है कि इसमें हम जितने अधिक लोगों को लगा सके तथा इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा गरीब वर्ग के लोगों कम से कम 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व तो इनमें दिया ही जाना चाहिए। यदि यह लोग शेयर पूंजी देने में असमर्थ है तो फिर राज्य सरकारों से इन लोगों को शेयर पूंजी देने के लिए कहा जाना चाहिये। तब उन्हें प्रबन्ध निकायों अर्थात् निदेशक मंडलों में अवश्य ही स्थान मिलना चाहिए। बहुत से सहकारी संगठन काफी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहे हैं। परन्तु इन संगठनों में अनुसूचित जाती और जनजाति के बहुत कम लोग है, उसके परिणामस्वरूप ऋण या अन्य कोई उपलब्ध सुविधा इन लोगों को आसानी से नहीं मिलती। सहकारी आन्दोलन अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक नहीं पहुंचा है, जैसा कि प्रारम्भ में कल्पना की गई थी। अतः मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को भी काफी संख्या में सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जाए और प्रबन्ध निकायों में इनके प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए।

[श्री बी० राचैया]

जब हम विपणन पक्ष की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष बेचे गए कृषि उत्पादों में कमी आई है। देश में कृषि उत्पादन काफी हुआ है और किसान अपने उत्पादों का पारिश्रमिक मूल्य पाने का काफी प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु गेहूं, धान, कपास और तम्बाकू के क्रम में काफी कमी आई है। इससे क्या स्पष्ट होता है? जब देश में अभाव होता है तो सरकार चाहती है कि किसान अपने उत्पाद सरकार को दे दें और जब समर्थन मूल्य की अत्यन्त आवश्यकता होती है तो विपणन संस्थाएं उनका बचाव नहीं करती हैं जिसकी कि उनसे आशा की जाती है। पिछले वर्ष 16·77 लाख टन गेहूं और 5.89 लाख टन चावल खरोदे गए। जहां तक कपास का संबंध है, वे बाजार में काफी देर से पहुंचे और किसानों को अपने उत्पाद का पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिला विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर उत्पन्न कपास का 15,000 टन तम्बाकू खरीदने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु उन्होंने केवल 2,680 टन तम्बाकू खरीदा है।

इस समय लगभग 227 सहकारी संस्थाएं वहां कार्य कर रही हैं। उनके सुदृढ़ीकरण के लिए 72.6 लाख रुपये दिए गए हैं। सीमान्त धन के रूप में भी उन्हें 584 लाख रुपये की धनराशि दी गई। जब हम मूल्यों को स्थिर करने के बारे में सोचते हैं तो हमें पहले उत्पादन कार्यक्रम की ओर देखना चाहिए कि क्या आवश्यक सहायक साधन और ऋण किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं? कटाई के मौसम के तत्काल पश्चात् किसान आशा करते हैं कि राज्य व्यापार निगम या कपास निगम या अन्य कोई विपणन संस्थाएं उनकी सहायता करेंगी। मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि किसानों को कोई कठिनाई न हो। परन्तु जो कुछ उन्होंने किया है, वह काफी नहीं है। उन्हें थोक व्यापार पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि जो कुछ फालतू किसान बेचना चाहते हैं वह विपणन संस्थाओं या राज्य संघों द्वारा खरीद लिया जाए। आप बफर स्टाक भी रख सकते है ताकि कमी वाले मौसम में स्टाक बाजार में लाया जा सके और कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके।

संस्थाओं द्वारा और इस सदन में इस बात को जोर देकर कहा गया है विपणन की बुराइयो को केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही दूर कर सकती है। म भी उन लोगों के साथ हूं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चाहते हैं। परन्तु उस विषय में सोचने से पूर्व हमारे पास भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए ताकि जो कुछ फालतू उपलब्ध हो उसे भण्डार किया जा सके और जब कमी हो उसका प्रयोग किया जा सके। भण्डार बनाने की सुविधाएं आवश्यकता से अधिक अनाज मात्रा की तुलना में बहुत कम हैं। अतः मैं चाहता हूं कि भण्डार बनाने की सुविधाएं जैसे गोदामों आदि का तहसील स्तर पर तथा खरीदारी स्तर पर निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे अधिशेष अनाज बर्बाद न हो।

साथ ही जब हम खरीददारी की बात करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कौन कौनसी आवश्यक वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी अब सप्लाई कम है। ये हैं बच्चों का भोजन, बैकरी उत्पाद बिसकुट और ऐसी अन्य चीजें और वस्तुएं जो विद्यार्थियो के लिए आवश्यक है जैसे किताबें, पेंसिल और अन्य लेखन सामग्री उनकी कीमते बढ़ गई हैं और जिन लोगों के अधिक बच्चे हैं वही समझ सकते हैं कि इस खर्च को पूरा करना कितना कठिन है। अतः इन आवश्यक वस्तुओं का पता लगाया जाना चाहिए और सहकारी क्षेत्र में इनका उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि वे उपभोक्ताओं को मिल सकें।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है, यह वास्तव में कम है, किन्तु जितना भी उपलब्ध है उसे उचित रूप से समय पर वितरित किया जाना चाहिए। कभी कभी यह काले बाजार में बेचा जाता है और लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। यहां तक कि नहाने का साबुन है इनमें से कुछ अब काफी महंगे हो गये हैं और दंतमंजन तथा दंत ब्रश भी महंगे हो गये हैं। आम आदमी भी इन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है अतः यह आवश्यक है कि इन चीजों का उत्पादन हो और ये उपलब्ध हों।

साथ ही जब हम सार्वजनिक वितरण पद्धति की बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि छोटे छोटे बर्तनों जैसी चीजें, जिनकी ग्राम परिवारों को आवश्यकता होती है और कतिपय ऐसी भी मदें हैं जिनका प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि आप इन वस्तुओं का पता लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनका सहकारी क्षेत्र में उत्पादन होता है।

इसी प्रकार चीनी, मिट्टी के तेल, नियंत्रित कपड़े का ग्रामीण क्षेत्रों में उचित वितरण नहीं हो रहा है। आप 50,000 सहकारी समितियों के माध्यम से 5 लाख गांवों को जो वितरण कर रहे हैं वह इन लोगों की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। अतः अच्छा यह है कि उचित दर दुकानों, सहकारी समितियों

और सुपर बाजारों की संख्या बढाई जाये। उत्पादन, खरीद और वितरण एक शीर्ष निकाय द्वारा किया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानें खोली जानी चाहिए जहां नाजुक लोग तथा गरीब लोग रह रहे हैं, जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता है और जहां व्यापारी उनका शोषण करते हैं। अतः आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि ये चीजें उपलब्ध हों।

व्यापार संतुलन के बारे में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि गत वर्ष काफी, चाय, तम्बाकू, रुई, गोस्त, चर्बी और कतिपय अन्य वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई जो कि मंत्रालय के किए एक अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि मंत्री महोदय के पास एक स्पष्टीकरण तैयार हो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति ही ऐसी है, मंत्री महोदय के पास यह रेडिमेड स्पष्टीकरण होगा कि अन्तराष्ट्रीय प्रवृत्ति इस प्रकार चल रही है कि मुद्रा मूल्य कम हो गया है अतः ये काम नहीं हो सकते। पर अगर गतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाता तो बहुत कुछ किया जा सकता था।

कर्नाटक से लौह अयस्क, चन्दन की लकड़ी, रेशम की वस्तुओं, सूती वस्त्रों, काफी, चाय, तम्बाकू और काजू का मुख्य रूप से निर्यात होता है। काजू के मामले में अब हमें मोजाम्बिक और केनिया से काजू गिरी नहीं मिल रही हैं इसलिए काजू के निर्यात में कमी आई है। चीनी, आलू, प्याज और रुई के निर्यातकी अनुमति दी जानी चाहीए। पीछे जब चीनी की कमी थी और उसके मूल्य बढ़ गए थे तब आपने उसका निर्यात बन्द कर दिया था। अब काफी मात्रा में चीनी उपलब्ध है इसलिए इसक निर्यात की अनुमति दी जाए जिससे किसानों को लाभ हो।

मछली जैसी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका देश की आवश्यकता की पूर्ति किए बिना निर्यात किया जाता है। आप देश की मांग को पूर्ति करने के बाद ही कोई वस्तु निर्यात करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। डीहाइड्रेरिड खली का भी निर्यात हो रहा है यह खली मुर्गियों और पशुओं का आहार है और इसकी कीमते बढ़ गई हैं। यह उचित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं है। हम देश में दुग्ध क्रान्ती लाना चाहते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस आहार को किसानों को उनकी गायों और भैंसों के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध किया जाए। अतः मेरी व्यक्तिगत राय से इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

कर्नाटक सरकार न केन्द्र सरकार से कच्चे रेशम का आयात बन्द करने को कहा है। प्रत्येक निर्यातक उसके द्वारा निर्यात किए गए माल के मूल्य के दस प्रतिशत मूल्य तक आयात करने का हकदार है। पिछले साल लगभग 12 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया। आपात केवल कच्चे रेशम के रूप में ही नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें रंग, रसायन और अन्य मशीनें आयात करने के अनुमति दी जा सकती है जिससे कि वे और अच्छा रेशम का कपड़ा तैयार कर सकें।

अब होता क्या है कि यां तक कि परम्परागत निर्यातक रेशमी कपड़ों के उत्पादन में कच्चा रेशम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। केवल कुछ लोग जैसे लारसन और टौब्रो जिनका रेशम व्यापार से कोई संबंध नहीं है, आयात हक खरीदते हैं और वे आयात कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। इसने कर्नाटक शहतूत रेशम को मार दिया है, अतः मैं चाहता हूं कि यह बंद किया जाये। कर्नाटक सरकार रेशम उद्योग का जो विकास कर रही है उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री छबी राम अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आपको मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आवश्यक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भाव आसमान को छू रहे थे और मार्केट में बल्क में आने से पहले ही वह वस्तुएं गायब हो जाती थीं। मूल्यों का सूचकांक बढ़ रहा था, किन्तु जैसे ही हमारे वाणिज्य मंत्री श्री मोहन धारिया जी ने इस विभाग को संभाला है, बड़ी दक्षता के साथ उन्होंने काम किया है और मूल्यों में गिरावट आई है। मूल्यों का सूचकांक भी नीचे आया है।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि अभी भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। दैनिक उपयोग और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण की आवश्यकता है। आज देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए लोक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है और गेहूं, चावल, दालों, तेल और मोटे अनाज आदि सब वस्तुओं का सहकारिता के आधार पर वितरण होना चाहिए। जनता सरकार की मंशा है कि गांवों का विकास हो और गांवों के लोगों को सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। अगर सरकार यह व्यवस्था करेगी कि ये सब चीजें गांवों के लोगों, किसानों और हरिजन आदिवासियों को उपलब्ध कराई जायें, तो लाभ होगा।

[श्री छबीराम अर्गल]

सरकार की ओर से कई वस्तुओं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे, उसने पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपये से 112 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। लेकिन बाद में वही गेहूं 140 रुपये और 150 रुपये के भाव पर उपलब्ध हुआ। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की जो वृद्धि होती है, वह नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए।

मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि आढ़तियों और बिचौलियों की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। आज उन्होंने देश में एक मानोपली सी बना रखी है। आढ़तियें बाजार में मूल्यों का नियंत्रण कर लेते हैं और माल को स्टाक कर लेते हैं। इस लिए आढ़तियों और बिचौलियों की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

हमारे देश में 5,417.38 करोड़ रुपये का आयात किया गया है और 4415.81 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है। इस प्रकार हमको 100 करोड़ रुपये का घाटा है। यह घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक निर्यात कर सकें। उदाहरण के लिए हमारे यहां से कच्चे चमड़े का निर्यात किया गया है। अगर उसी चमड़े को पक्का कर निर्यात किया जाता, तो काफी लाभ होता। अगर इस प्रकार की फैक्टरियां हमारे देश में लगाई जातीं, तो हमें काफी लाभ होता। देवास में टाटा एक्सपोर्टस की एक फैक्टरी है, जिसमें 5 करोड़ रुपये की लागत का चमड़े का प्राडक्शन है और 12,000 स्किन्ज तैयार होती हैं। लेकिन उस चमड़े की क्वालिटी खराब होने की वजह से मार्केट में और दूसरे देशों में उसको खपत नहीं होती है। उसके मुकाबले में बाटा की क्वालिटी सुपीरियर है। इसी तरह हमने रबर और काजू का आयात किया है। हम इन चीजों को अपने यहां तैयार कर सकते हैं। हम काजू को आयात करने के बजाये उसका निर्यात कर सकते हैं। अगर हम काजू की पौद का आयात करें और अपने यहां बागान लगायें, तो काफी लाभ हो सकता है।

कई वस्तुओं पर कुछ लोगों की मोनोपोली है। जैसे शहर में एक ही डिस्ट्रिब्यूटर रखा जाता है। हमारे यहां ढोलक बीड़ी, फाउन्टेन बीड़ी, शेर बीड़ी, और 27 बीडी आदि 27 नामों की बीड़ियां हैं। बीड़ी और सिग्रेट को बनाने वाले शहर में एक ही होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं और उसके आधार पर वे सम्पूर्ण मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं और काला बाजारी करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और वितरक व्यवस्था में सुधार कर के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे जाने चाहिए, ताकि काम्पीटिशन में व्यापार हो सके और लोगों को भी लाभ हो।

रेपसीड का भी आयात किया गया है। हमारे देश में इतना तिलहन पैदा होता है कि हम उसके आयात के बजाये निर्यात कर सकते हैं। इस की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे यहां इतनी तिलहन पैदा होती है कि उस का तेल हम पैदा कर सकते हैं और उस तेल से वनस्पति घी पैदा कर सकते हैं। आज हम को वनस्पति घी बाहर से आयात करना पड़ता है। हम इसके ऊपर खड़े हो सकें तो वनस्पति घी का जो आयात करते हैं उस का निर्यात कर सकते हैं।

मैं आप का ध्यान कुछ ऐसी देशी वस्तुओं की तरफ दिलाना चाहता हूं जो हमारे देश में निर्मित होती हैं जैसे सूती वस्त्रों का हम यहां से निर्यात कर सकते हैं। कई प्रकार की पोशाकें तैयार कर सकते हैं और कुटीर उद्योगों के माध्यम से कालीन, गलीचे आदि भी बहुत बड़ी मात्रा में तैयार करा कर उन का निर्यात कर सकते हैं। उस से हमारे देश को लाभ होगा। इसलिए कुटीर उद्योगो को बढ़ावा देना चाहिए।

पिछले साल हम ने जापान को मछली का निर्यात किया था। अब उसमें कुछ कमी हुई है। 77-78 में 11.8 हजार टन मछली का निर्यात किया था लेकिन जापान ने अब उस को लेना बन्द कर दिया है क्योंकि हमारे यहां से सड़ी गली मछली भेजते थे। तो इस पर भी निगरानी होनी चाहिए।

इसी प्रकार मसालों के बारे में मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिन्हें इन के आयात का लाइसेंस दिया हुआ है, उन्हीं के माध्यम से यह होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग आयात का काम करना चाहते हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं तो उन को भी आयात लाइसेंस इस प्रकार के मिल सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को आयात लाइसेंस दिए थे दलगत आधार पर। कुछ अपने सफेदपोश हाथी जो उन्होने पाल रखे थे उन को दिए थे। मैं अपने मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां दो लोगो को हांगकांग से घड़ी आयात करने के लाइसेंस दिए गए। उन में से एक ने मुरैना में जहां से मैं चुन कर के आता हूं, 414 का एक कमरा लिया हुआ है उन का कहना था कि वह वहां घड़ी बनाएंगे। लेकिन वह कम से कम 1 लाख रुपये का ब्लैक मार्केट साल में

करते हैं । तो इस प्रकार के जो फर्जी लाइसेंस हैं उन की निगरानी होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे एक किसी सरदार को भोपाल में लाइसेंस दिया है। ये जितने फर्जी लाइसेंस इन्होंने अपने आदमियों को दे रखे हैं इन की सारे की जांच होनी चाहिए, ये काम करते हैं या नहीं, कितनी घड़ियां उन्होंने निर्यात कीं कितने एक्साइज ड्यूटी दी, इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

इसी प्रकार से हम ने पेट्रोल, वनस्पति, कृत्रिम सूत, मोती, बहुमूल्य रत्न, खाद, लोहा, इस्पात आदि का भी आयात किया है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पन्ना में हीरे की खदान है। उस को हम अच्छी तरह से देखें तो न केवल हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं बल्कि इस का निर्यात कर सकते हैं और अपने घाटे की पूर्ति कर सकते हैं। हम ने खाद का भी आयात किया है। क्या हम अपने देश में खाद के कारखाने नहीं लगा सकते? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें और आत्मनिर्भर हो कर खाद का आयात करने के बजाय उस का निर्यात कर सकें ऐसी व्यवस्था वह करें।

मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान नेफेड (एन ए एफ ई डी) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । जो कैनेलाइज्ड आइटम्स हैं उन का एक्सपोर्ट इस के माध्यम से होता है । नेशनल ऐग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से आलू, दाल, प्याज का एक्सपोर्ट होता है । यह सिर्फ इन के माध्यम से ही होता है। मैं आप से प्रार्थना करुंगा कि आप या तो इस को सरकारी माध्यम से करायें मैं यह नहीं चाहता कि कोआपरेटिव के माध्यम से नहीं होना चाहिए लेकिन मोनोपली किसी की नहीं होनी चाहिए। जैसे कई राज्यों में आलू, प्याज, सोयाबिन वगैरह पैदा होता है तो इन का एक्सपोर्ट किसी को भी जो इस काम को करना चाहे करने की अनुमति दे सकते हैं। यह मोनोपली जो रही हैं यह नहीं होनी चाहिए।

इसीं प्रकार से राज्यों में गेहूं, चावल, तेल, पटसन आदि रखने के लिए गोदामों की भी कमी है जिस से हजारों लाखों टन गेहूं खराब हो जाता है। गोदामों की व्यवस्था के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। हम जो अपने आप पैदा करते हैं उस के रख रखाव के लिए गोदाम की व्यवस्था कर सकें तो उस से हमें लाभ होगा।

आप को मालूम है कि गन्ने का बहुत बड़ा उत्पादन हमारे देश में हुआ। पहले यह होता था कि हाय शक्कर हाय शक्कर और आज शक्कर मारी मारी डोल रही है, कोई शक्कर लेने वाला नहीं है । हम चीनी का निर्यात कर सकते हैं। हमारे पास चीनी का बहुत बड़ा भण्डार है। यदि चीनी के निर्यात की व्यवस्था की जाए तो किसानो को गन्ने का उचित मूल्य भी मिल सकेगा और देश को भी लाभ होगा।

आजकल गांवो में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है। मिट्टी के तेल का वितरण भी ढीक ढंग से होना चाहिए। यदि सहकारिता और शिक्षित बेरोजगारो के माध्यम से मिट्टी के तेल का वितरण कराया जाए तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा और मिट्टी का तेल भी आसानी से उपलब्ध होगा।

कृषि के उपकरण बाहर से हम मंगाते हैं। हम अपने टेक्नालाजिस्ट, इंजीनियर्स को सक्षम बनायें ताकि कृषि उपकरण आयात करने के बजाए निर्यात कर सकें तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बड़ी बड़ी कम्पनियो की आज टायर्स में मोनोपली है। उनकी मोनोपली को समाप्त किया जाना चाहिए। आज मोटर, ट्रक और ट्रैक्टर्स के टायर्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। उसकी कीमतें नीचे आनी चाहिए । मंत्री जी का ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिए ।

उद्योगपतियो को सरकार लाइसेंस तो दे देती है लेकिन वे अपने कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं करते हैं। मेरा सुझाव है कि उनको लाइसेंस तभी दिए जायें जबकि वे अपने कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि देश में बनने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए खप मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। आज स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के तहत शिक्षित बेरोजगारी लोग अपने छोटे छोटे उद्योगधंदे लगाते हैं लेकिन उनके लिए मार्केट नहीं है। उनके द्वारा बनाई हुई वस्तुयें मार्केट में कितनी नहीं है। आज देश में लोहारी, सोनारी, कुम्भारी जैसे धंधे बेकार से हो गए हैं। इसलिए जो भी वस्तू बनाई जायें उनके लिए मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए तभी उनको लाभ पहुंच सकता है।

[श्री छवी राम अर्गल]

कृषि उपकरणों से संबंधित एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो भी उपकरण तैयार किए जाय वह सस्ती कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने चाहिए तभी इसका लाभ पहुंच सकता है।

मसालों के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले इस साल कमी आई है। इस बार सूत, कृत्रिम धागे का आयात किया गया है लेकिन हम अपने यहां ही सूत बना सकते हैं तथा अपने पैरो पर खड़े हो सकते हैं।

मैं एक बात की ओर और भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज देश में कई चीजों में मोनोपली बनती जा रही है जैसे कि कपड़ा है। ग्वालियर रेयान्स, ग्वालियर सूटिंग्ज—इनकी बिक्री बाजार में ज्यादा होती है। मेरा यह सुझाव है कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की तहत जो चीजें बनती हैं जैसे जनता साड़ीज, जनता धोती, जनता क्लाथ—इनका अधिक खयाल रखा जाना चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी को यह चीजें उपलब्ध हो सकें। मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा।

अन्त में मै मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि लाइसेंस प्रणाली में जो मोनोपली बनती जा रही है उस पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसमें उचित रोजगार का अवसर नहीं मिलता है। जिस प्रकार से मंत्री जी ने मूल्य नियंत्रण के संबंध में तेजी से कदम उठाए हैं उसी प्रकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए रोजगार के साधन सभी जगह उपलब्ध होने चाहिए— चाहे वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हो या बड़े बड़े औद्योगिक घराने हो या कोआपरेटिव सेक्टर के उद्योग हो किसी भी प्रकार के हो, इस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगो को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। मैं प्रार्थना करुंगा—कि इस बारे में आप जब जवाब दें तो अवश्य आश्वासन देंगे।

अन्त में, मंत्री महोदय ने जो मांगे रखी हैं— मैं उन का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : सभापति महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। वाणिज्य, नागरिकपूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय की गतिविधियां इतनी व्यापक है कि उनके अन्तर्गत लगभग हर प्रकार का काम आ जाता है। अतः इतने व्यापक क्रियाकलाप वाले मंत्रालय के बारे में केवल पांच मिनट में ही सब कुछ बोलने का प्रयत्न करना तो निश्चय ही बहुत साहस का काम है तथा मैं अपने आपको इतना साहसी नहीं समझता कि मैं पांच मिनट के समय में इस मंत्रालय की मांगो पर बोलते हुये, उन्हें न्याय संगत रूप से प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए मैं बिना अधिक तर्क-वितर्क के बहुत ही स्पष्ट तथा संक्षेप रूप में अपनी बात कहने का प्रयत्न करुंगा।

सब से पहले तो मैं प्रतिवेदन की प्रस्तावना के पृष्ठ 16 को उध्दृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि:

> "31. देश क व्यापक संभावित संसाधनों, राजनीतिक स्थिरता, सरलीकृत प्रक्रिया तथा निर्माणात्मक प्रोत्साहनवर्धक रवैये के होने पर सरकार का विश्वास है कि निर्यात का विकास निरन्तर गति से करके ही देश को आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सकता है।"

अध्यक्ष महोदय यह अनुच्छेद इतना आदर्शवादी है, कि इनके बारे में किसी प्रकार का विवाद नही हो सकता और इसे किसी वर्ष विशेष के लिए तो क्या इसे दो वर्ष 1970–81 या 1984 या 1999 या 2010 के प्रतिवेदन में भी यदि रखा जाते तो भी कोई इसका विक्षेप नहीं करेगा। परन्तु, इस सम्पूर्ण अनुच्छेद में "के होने पर" शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे माननीय "यंगतुर्क" मित्र ने सत्ता में आने के बाद भी अपनी "यंग तुर्कतता" को बनाये रखा है। मैं उनसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि यह देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अपनी सत्ता तथा प्रभाव का सही प्रयोग करें तथा जो कुछ प्रति-वेदन में कहा गया है, उसकी ओर पूरा पूरा ध्यान दें।

सभापति महोदय, देश की अर्थ-व्यवस्था का सम्पूर्ण आधार विदेश व्यापार नीति पर निर्भर होता है तथा यह नीति इसी मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। यही कारण है कि आयात तथा निर्यात का प्रश्न हमारे सामने बार बार आता है। देश में 3 अप्रैल, 1978 से जिस आयात नीति को लागू किया गया था, उसके संबंध में कुछ कहने का समय तो मेरे पास नही है और उसके बारे में यह भी कहा गया है कि उससे और अधिक सुधार किया जायेगा। इसलिए मैं उसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता

था । मैं समझता हूं कि हमें आयात तथा निर्यात के बारे में गतिशील नीति अपनानी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में आय दिन उतार चढ़ाव आते रहते है अतः हमारी आयात-निर्यात नीति ऐसी होनी चाहिये जिसमें काफी लचीलापन हो तथा जिसे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सके। अतः इसके लिए यह अनिवार्य है कि हम समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की समीक्षा करते रहे तथा साथ ही अपने लोगों की आवश्यकताओं का भी उचित अवलोकन करते रहे। कई बार ऐसा होता है जब कि कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है तथा कुछ कोई समय ऐसा भी हो सकता है जब कि उनकी आवश्यकता देश में न हो, अतः आयात तथा निर्यात के बारे में किसी प्रकार की स्थाई नीति नहीं अपनाई जा सकती। प्रतिवेदन में जिस पैरे का उल्लेख किया गया है, वह निश्चय ही अच्छा है तथा मैं मोटे रूप से उसका समर्थन करता हूं । प्रस्तावना के पैरा 8 तथा 9 में जिन बातों का उल्लेख किया गया एवं मैं उनका भी समर्थन करता हूं। परन्तु मैं केवल लघु उद्योगों तथा हथकरघा व कुटीर उद्योगों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता । हम इस संबंध में कितना कुछ कर रहे है? मेरी यह मान्यता है कि हम भारत में बहुत ही अच्छे किस्म की हस्तशिल्प के वस्तुयें लघु तथा कुटीर उद्योगों के माध्यम से तैयार कर सकते है। वास्तविकता तो यह है कि इनका उत्पादन किया भी जा रहा है। जब मैं विदेश जाता हूं तो मुझे विदेशियों से यह पता चलता है कि यद्यपि भारत के हस्तशिल्प की किस्म काफी अच्छी होती हैं परन्तु फिर भी उसे सही प्रकार से उचित समय तथा अपेक्षित मंडियों में बेचनेका प्रयास नहीं किया जाता है । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह इस मामले की ओर ध्यान दे तथा इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करें।

अब मैं कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में एक आम बात कहना चाहता हूं। प्रस्तावना के पृष्ठ (ii) पर कहा गया है :

"निर्बाध व्यापार क्षेत्रों में भी धीरे धीरे प्रगति हो रही है। वर्ष के दौरान कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में ऐसी एककों की संख्या 35 से बढ़कर 39 हो गई है।"

परन्तु यदि यह संख्या 35 से बढ़कर 36 हो जाती है, तो भी आप यह तो कह सकते है कि एक एकक और बढ़ गया है परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि 35 से बढ़कर 39 हो जाना महत्वपूर्ण है। यह खुशी की बात है कि मंत्री महोदय मेरे साथ इस बात पर सहमत है क्योंकि वह अपना सिर हिला रहे है। प्रतिवेदन में आगे कहा गया है :

"औद्योगिक कौडी की संख्या 64 से बढ़कर 80 हो गई। कांडला क्षेत्र से वर्ष 1978 के दौरान 6 करोड़ का व्यापार किया गया।"

मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रगति संतोषजनक है।

पहली बात तो यह है कि कांडला निर्बाध क्षेत्र किसी कानूनी आधार पर बनाया गया है ? जहां तक मुझे याद है श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में यह निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाया गया था परन्तु आजतक इस निर्बाध क्षेत्र के बारे में अपेक्षित विधान या संसदीय अधिनियम नहीं बनाया गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह न केवल कांडला अपितु सभी निर्बाध व्यापार क्षेत्रों के मामलों का अध्ययन करें, मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र का संचालन सम्बद्ध सरकार द्वारा अधिक सक्रिय तथा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि वह पहले ऐसे वाणिज्य मंत्री है जिन्होंने कि कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का दौरा किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी भी मंत्री महोदय वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार छोड़े—मैं यह नहीं चाहता कि वह सरकार का कार्यभार—छोडे अर्थात् जब वह कभी यह मंत्रालय छोडे तो कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र को इतना सुदृढ बना दे कि देश में आयात तथा निर्यात संबंधी नीति का सही रूपरेखा तैयार हो जाये तथा इस क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का अधिक उपयोग करते हुये, इस कार्यक्रम को विकसित किया जा सके।

प्रतिवेदन में अफ्रिका का उल्लेख भी किया गया है। अभी कल ही मैने एक प्रश्न पूछने का प्रयास किया था परन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसे पूछने नहीं दिया था। अब मैं फिर वही पूछना चाहता हूं कि श्री कुण्डू आपने वरिष्ट साथी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ विदेश गये थे । विदेश व्यापार का मामला विदेशी सम्बन्धों के साथ ही जुड़ा रहता है क्योंकि विदेशों के साथ हमारे संबंध केवल राजनीतिक ही नहीं होते अपितु वह स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों पर ही आधारित होते

[अध्यक्ष महोदय]

हैं। इसलिए मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं हमें अफ्रीकी देशों के साथ अपने आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

जहां तक द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का सम्बन्ध है, मैं अभी कुछ ही समय पूर्व आस्ट्रिया, स्पेन तथा स्विट्झरलैंड गया था, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आस्ट्रीया से भी व्यापारिक शिष्टमंडल आये है तथा भारत व स्पेन के बीच भी कुछ व्यापार चल रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व के कुछ अन्य कम महत्वपूर्ण देशों के साथ ही व्यापारिक सम्बन्ध बढाये जाने चाहिये ताकि उन देशों के साथ हमारे अन्तर्राष्ट्रीय तथा राजनीतिज्ञ सम्बन्धों में सुधार हो सके। मैं भारत तथा योरोपीय आर्थिक समुदाय, ग्रेट ब्रिटेन के प्रश्न तथा राष्ट्र मंडल देशों के बारे में इस समय अधिक कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि ब्रिटेन से व्यापार और वाणिज्य मंडल के अनेक शिष्टमंडल भारत आ रहे हैं और वह हमें प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ सहायता दे रहे है।

मेरा विचार है कि सम्भवतः ग्रेट ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो हमें ऋण के रूप में ही नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भी अधिकतम सहायता दे रहा है। यदि ऐसी बात है तो फिर मैं सोचता हूं, कि वाणिज्य मंत्रालय को यह मिलने वाली सहायता सोच विचार कर दी प्रयोग में लानी चाहिये।

मुझे हर्ष है कि 1978 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया। भारत ही नहीं अपितु कई अन्य देशों ने भी इन मेलों में भाग लिया। ये व्यापार मेले देमस्कस, जाम्बिया, तेहरान, बगदाद, मिलन, बुडापेस्ट तथा स्टाकहोम में आयोजित किये गये। मास्कों में भी एक भारतीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि इस वर्ष के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भी कई प्रदर्शनियां आयोजित की गई। गत वर्ष मैंने भी इन्हें दो या तीन बार देखा। मुझे मालूम नहीं कि आपने भी इन्हें देखा या नहीं। प्रगति मैदान नई दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों की भी प्रदर्शनी की गई थी। यह प्रदर्शनियां कई अन्य स्थानों पर भी आयोजित की गई किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इन पर बहुत अधिक पैसा बरबाद किया जाता है। यह कहने में मुझे खेद होता है किन्तु आप इन मेलों को आयोजित करने या इनमें मात्रा लेने के लिए जो इतना अधिक धन लगाते है, उनसे उतना अधिक लाभ नहीं होता है। उनसे हमें विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापार करने के अवसर अथवा सुविधायें प्रर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होती है।

दूसरी ओर आपने दिल्ली में लघु उद्योगों का मेला आयोजित किया। मैं श्री धारिया से जानना चाहता हूं कि क्या इन उद्योगों को अधिक देशों से क्रयादेश प्राप्त हुये है? वह मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें।

अन्त में मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहता हूं। यह एक अच्छी प्रणाली है। उन्होंने जो कई कदम इसके बारे सुझाये है इनमें से एक यह है कि इस प्रणाली को अधिकाधिक क्षेत्रों में लागू किया जाये। उन्होंने कहा है कि यें इस प्रणाली को उन क्षेत्रों में भी लागू करेगा जहां कि जन संख्या 1000 से भी कम है। इतना ही नही यह प्रणाली सुदूर क्षेत्रों तथा जन जाति इलाकों में भी लागू की जायेगी। मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि क्या यह योजना व्यवहारिक रूप से सफल हो सकेगी। वह हमें यह बतायें कि इस दिशा में वह कितना कुछ कर सकते है। यह न बताये कि वह क्या करना चाहते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इस दृष्टि से पुनः विचार किया जाना चाहिये। दूसरे केन्द्र राज्य स्तर की उच्च शक्ति प्राप्त समितियों के गठन का मामला है। यें समितियां समूची विवरण प्रणाली का समन्वय तथा पर्यविक्षण करेगी। उन्हें इन समितियों की नियुक्ति करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिये और इन में केवल उन्ही लोगों को रखा जाना चाहिये जो कि इन समितियों को सही दिशा दे सके तथा स्वयं निरन्तर सतर्क रहे। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो मुझें पूरा विश्वास है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काफी कुछ कर सकते हैं।

निष्कर्ष के रूप में मैं यह कह दूं कि उनका मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कार्यकलापों से समूची सरकार की परख होती है। कोई भी राज्य उसकी करनी से जाना जाती है न कि उसकी कथनी से।

यदि मेरे पास समय होता तो मैं सहकारी समितियों तथा उपभोक्ता समितियों के बारे में भी कुछ कहता किन्तु इस वक्त मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे यह सत्र कहने का जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं सभा को धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि राष्ट्र इस बात को महसूस करेगा कि किसी निर्दलीय सदस्य को केवल 2 या 3 मिनट का ही समय दिया जाये। फिर भी मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। धयन्यवाद।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, पार्टी की तरफ से जिन लोगों के नाम यहां पर बोलने के लिए दिये गये थे और जिनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, इसलिए कि वें यहां पुकारने पर उपस्थित नहीं थे तो मैं उस के सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था सदा के लिए बना ली गयी है कि जिनके नाम पुकारे जाएंगे, वे अगर उपस्थित नहीं होंगे तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, या यह व्यवस्था केवल आज के लिए ही है ? अगर यह आज के लिए ही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इस पर बोलना चाहते हैं। हमें केवल दो मिनट चाहिएं। आप मेहरबानी करके हमें दो मिनट का मौका दें क्योंकि अधिष्ठाता महोदय, हम देख रहे हैं कि मंगफली के तेल के वनस्पति में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां मूंगफली अधिक मात्रा में होती है। वहां इस से लोगों में परेशानी है।

सभापति महोदय : कल आपका नाम बुलाया गया था और आप अनुपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय के इसके बारे में स्पष्ट निदेश है कि यदि कोई सदस्य अनुपस्थित हो, तो उसका नाम दोबारा न बूलाया जाये। आप की बात तो मैं समझता हूं परन्तू मैं नियमों का उल्घंन नहीं कर सकता। यह तो अब एक परम्परा बन गई है। मैं यदि इसका उल्लंघन करता तो कार्यवाही भला कैसे सही ढंग से चलाई जा सकेगी।

श्री रामलाल राही : मूंगफली के तेल के वनस्पति आयल बना ने में इस्तेमाल पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, मंत्री महोदय उसके बारे में यहां बता दें।

सभापति महोदय : आप तो वरिष्ठ संसद सदस्य है। कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिये तथा मंत्री महोदय को सुनिये।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : अधिष्ठाता महोदय, हमारा नाम भी हमारी पार्टी ने भेजा है, हम को भी आप पांच मिनट बोलन के लिए क्यों नहीं देते हैं ? सूची में मेरा नाम भी है। आपने दलों के नाम छोड़ क्यों दिये हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री पीयष तिरकी : मेरे दल ने आज मुझे बोलने की अनुमति दे दी है और मैं बोलने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : प्रिय मित्र मुझे खेद है।

श्री पीयष तिरकी : सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति है।

श्री पीयष तिरकी : यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते तो मैं गणपूर्ति की मांग करूंगा।

सभापति महोदय : मूझे खेद है कि समय नहीं है।

श्री पीयष तिरकी : मैं केवल पांच मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपका नाम कल भी बुलाया गया था। अच्छा आप बोल लिजिये। मंत्री महोदय कुछ मिनट के बाद बोलने के लिए राजी हो गये है

श्री पीयष तिरकी : मैं वाणिज्य और वितरण मंत्री माननीय मोहन धारिया के सम्मुख कुछ सच्ची तस्वीर रखने का दुस्साहस कर रहा हूं। मैं मंत्री महाशय से अर्ज करता हूं कि वह विचलित न होवें और मेरी गुस्ताखी माफ करें।

हमारी आजादी के 31 साल गुजर चुके हैं। पांच पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चूकी हैं। कांग्रेस के पतन के बाद जनता सरकार के भी दो वर्ष बीत चुके हैं। कितनी प्रचंड तरक्की हुई इस देश में। अति समृद्ध देश अमरीका के समान ही हमारे देश में टी वी, आलीशान मोटर गाड़ियां, सुपर फास्टर एयर कंडिशंड रेल गाड़ियां, जम्बो जैट विमान, गगनचूम्बी इमारतें, फाइव स्टार होटल, स्विमिंग पूल, मनमोहक पार्कें, कैबरे नृत्य, रेस, शम्पैन, ब्ल्यू फिल्में आदि सभी सुविधायें मौजद हैं। ये सभी व्यापार से ही सम्भव हो पाई हैं। हजारों वैश्यागृहों में बालिकाओं से लेकर उच्च वर्गीय स्त्रियों तक हर किस्म की औरतों का इंतजाम किया गया है और इस नेक व्यवसाय में लाखों स्त्रियों के निर्वाह का उत्तम प्रबन्ध्र किया गया है। लाखों लोगों को भीख मांगने की विद्या निरंतर सिखाई जा रही है और करोड़ों को बेकारी में ही सुख चैन से कैसे निर्वाह किया जाए इसकी अद्भुत जानकारी बराबर दी जा रही है। सत्तर प्रतिशत से ज्यादा लोग यानि आजादी के वक्त जितनी हमारी आबादी थी उससे कहीं ज्यादा लोग आज निरक्षर हैं। 65 प्रतिशत लोग दरिद्रता की चोट में आधे पेट या खाली पेट झोंपड़ों में या फूटपाथ में, आधे नंगे या लगभग नंगे जी रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन मतदान का महान अधिकार उन्हें दे कर सन्तुष्ट किया गया है। करोडों परिवारों के पीने का पानी उपलब्ध न होने पर भी अमीरों के संडास स्वच्छ जल से बराबर चमकीले रखने की व्यवस्था उपलब्ध है। अछूतों के साथ मारपीट करना, उनके झोपड़ों को जलाना या उजाड़ना बेरहमी से जारी है परन्तु उसकी निन्दा करने का अधिकार मौजूद है। उन्हें जिन्दा जलाने का क्रम भी चल ही रहा है पर हां उच्च लोकशाही की भर्त्सना का अधिकार और उसकी पूरी छूट जनता सरकार ने फिर दे दी है। उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार जैसे घणित काम भी पूरी अहमियत से जारी हैं पर हां गर्भपात कराने

[श्री पियुष तिरकी]

की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। इस देश में कूड़ा कोठों पर जानवरों के साथ अन्न की खोज लेते मानव देखे जाते हैं लेकिन दुसरी तरफ अंतरिक्ष की खोज में करोड़ों रुपये के खर्च से कृत्रिम उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। दवा दारू और पुष्टिकारक खाद्य के अभाव में पचास लाख से ज्यादा लोग अंधे हो चुके हैं लेकिन टी वी कैसे रंगीन की जाए इसके लिए करोड़ों रुपया मुहैया किया गया है। करोड़ों मजदूर कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं लेकिन मालिकों द्वारा टैक्स टाल कर जमा किया गया काला धन कैसे खर्च किया जाए इसकी चिन्ता सरकार कर रही है।

इस देश में आज भी हिन्दु, मुसलमान, अकाली और निरंकारी सवर्ण और अछूतों से दुश्मनी बनाए हुए हैं लेकिन उद्योगपति और स्मगलर, बड़े ज़मींदार और सेठ साहूकार, व्यापारी और काला बाजारी करने वाले, पुलिस और गुनाहगार मिल जुल कर हंसी खुशी जी रहे हैं।

अरबी और अन्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पेशेवर वैश्याओं के अलावा कई कालेज कन्यायें और घरेलू औरतें भी खुद धंधा करने लगी है। हम पर आक्रमण करने वाले देशों से भी व्यापार के नाम पर उनके ही देश में जा कर खुशामद का रवैया अपनाया जा रहा है और असली तठस्थता की डींग हांकना व्यावहारिक हो चला है।

भारत मां की सन्तान आज वैश्या, भिखारी, भूखी, नंगी, निरक्षर, बेरोजगार, पीड़ित शोषित है और यह सब आपके व्यापार मंत्रालय की ही देन है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

श्रीमन्, हमारे देश में खाद्यान्न की बढ़ती इतनी हो गयी है कि रखने की जगह नहीं मिल रही है। दुसरी ओर 65 प्रतिशत लोग अर्ध अहार या पूरे भूखे अवस्था में पड़े जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिये बाध्य किये जा रहे हैं। क्या यह एक अद्भुत पहेली नहीं है? आजादी के नाम पर तड़प तड़प कर मरना ही क्या भारत माता की इतनी बड़ी आबादी का मौलिक अधिकार है और चन्द से लोगों को व्यापार के नाम पर मौज करने का अबाध अधिकार कैसे सहन किया जा सकता है?

इन्दिरा गांधी के दस वर्ष के शासन ने गरीबों को धोखा दे कर पूंजीपतियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में पूरी ताकत लगायी थी। आंकड़े आपके पास मौजूद हैं क्या आप उसी के पद चिन्हों पर पांव नहीं बढ़ा रहे हैं? जरा सम्भल कर चलने की कृपा करें। जनता धोखा खाते खाते अब समझने लगी है और गौर से देख रही है कि आप के कथन और करनी में अन्तर पड़ रहा है या नहीं।

सर, मेरा तो सुझाव है कि आप प्रतिश्रुतियों को पूरा करें जिसकी आपने हिमायत की थी। समय आ चुका है:

(1) उच्चतम आय सीमा निर्धारित करने की।

(2) सम्पत्ति रखने के मौलिक अधिकार का निवारण।

(3) जिसकी हल उसकी जमीन दिलाने की।

(4) वितरण व्यवस्था में मिडिलमैन की समाप्ति।

(5) मानवता का राष्ट्रीयकरण।

सर, प्रत्येक भारतीयों के पीछे विदेशों से 950 रु० (यानी 6 जनों के हर परिवार के) पीछे 4,500 रु० का कर्जा अभी भी बरकरार है। और हमारे शासक जल की तरह विदेशी मुद्रा अर्जन करने के बदले नाना किस्म के बहाने खोज कर सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं और पब्लिक मनी का अपव्यय कर रहे हैं।

भारत मां की करोड़ों सन्तान ने अभी तक रेल नहीं देखी है। देश विदेश की बात छोड़ दें, अपने जिले तक की सैर उनके नसीब में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी वितरण व्यवस्था बिल्कुल ही गलत नीति पर आधारित है। हमारे बहुत से साथियों ने जिक्र किया है कि अति उत्पादन होने के कारण किसान को उचित मूल्य दिलाने में सरकार असफल रही है। यह सच है, परन्तु इसके दुसरे पहलू भी मौजूद हैं। आज सब से ज्यादा भूखे, नंगे, शोषित अज्ञानता के अंधकार में डूबे करोड़ों लोग गांवों के ही रहने वाले हैं। उचित मूल्य की आवाज़ उठाने वाले कौन है? वे वही हैं जो व्यापार से सम्बन्ध रखते हैं, जिन्होंने बहुत सारे बेनामी जमीन अपने कब्ज़े में कर रखी है। बौन्डेड मजदुरों से काम लेते रहे हैं। बड़े बड़े ओहदों में हैं और साथ ही साथ जमीन के मालिक हैं। जो सस्ती मजदूरी से या बिना मजदूरी दिये ही मानवता के पोषण से गोदाम भरे हैं। यह वही हैं जिनके हाथों छोटे किसानों की फसलें कटने के पहले ही जल के भाव में बिक चुकी होती है। यह वही हैं जो हंड्रेड परसेंट सूद की दर से रुपया किसानों की परोपकारी में हर साल लगाया करते हैं और पूरी उपज अपने गोले में भरते हैं। हकीकत तो यह है कि असल किसान के पास अपने ही खाने के लिये पूरे वर्ष का अनाज मौजूद नहीं है, बेचने की बात तो दूर की है।

यही कारण है कि फूड फोर वर्क के लिये कशमकश भीड़ देखी जा रही है। जरा गौर करें यह फूड फ़ोर वर्क करने वाले कौन हैं ? क्या यह किसान नहीं हैं ? क्या यह शहरों से दौड़ कर आ गये हैं ? यह सोचने का विषय है और नीति निर्धारण में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है।

मनुष्य की क्रय शक्ति खत्म हो चुकी है। जब आपको रखने की जगह नहीं है। और अनाज की बरबादी हो रही है तो क्यों नहीं इन भूखे ग्रामवासियों को क्रेडिट पर बेच देने की आप व्यवस्था करते। कहावत ठीक उतरती है "गांड में घाव तो चूंदी में दवाई"।

सर हमारी सरकार बड़े इत्मीनान से बोलती आ रही है कि हमने रेकार्ड उन्नति कर ली है। सभी क्षेत्रों में हमारा धन धान्य सरप्लस हो चुका है। चीनी, गेहूं, चावल, चना, गुड़ और क्या नहीं। कल ही माननीय उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फ़र्नान्डीस, ने आंकड़ों की बौछार से ऐसा साबित करने की कोशिश की कि हमारी गाड़ी उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी है।

इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी वितरण व्यवस्था है उसमें आमूल परिवर्तन लाने की आप चेष्टा करें। हम जानते हैं कि व्यावसायी गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गणेश का वाहन चूहा है, जो बहुत चालाख होता है, चुपके-चुपके खाता रहता है और उल्लू दिखने में तो साधू दिखता है, लगता है निरामिष है, दिन में कुछ खाता नहीं है लेकिन वह चुपके -चुपके रात में शिकार करता है।

मेरी आशा है कि माननीय मंत्री जी व्यवसायियों से अच्छी तरह से पेश आयेंगे और इस दुरावस्था को दुर करेंगे जिससे आम जनता सुख से अपनी दरकार की चीजें जुटा सके और उन्हें प्राप्त करने में सफल हो सके। धन्यवाद।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं सदन तथा सदस्यों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने चर्चा के दौरान विभिन्न सकारातम सुझाव दिये और मुख्यत: उनकी आलोचना सकारात्मक ही रही।

आरम्भ में ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि सदन में जिस विषय पर चर्चा की जा रही है, वह निश्चय ही देश की समृद्धि तथा अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सदन में वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभागों पर चर्चा की जा रही है। मैं चाहता तो यह था कि इन तीनों विभागों को अलग अलग कर दिया जाता और हमें उन पर स्वतन्त्र रूप से चर्चा करने का अवसर मिलता।

सदन में यह कहा गया है कि जहां तक देश के निर्यात का सम्बन्ध है, उसके व्यापार में हुयें घाटे का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापार घाटे में हो रही वृद्धि से सरकार निश्चय ही चिन्तित है और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों व अन्य उर्वरकों आदि जैसी अन्य वस्तुओं जिनका कि हमारे देश के उद्योग तथा कृषि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, के मूल्यों में हुई वृद्धि से विशेष रूप से चिंतित है। इससे केवल हमारे ही देश की अर्थ-व्यवस्था पर नहीं अपितु अनेक विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अत: इन परिस्थितियों के अन्तर्गत इसके बारे में कोई दो दाम नहीं हो सकती कि यदि हम अपने आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते है, तो फिर हमें अपने निर्यात में और अधिक वृद्धि करके, व्यापारिक घाटे को शीघ्रातिशीघ्र कम करने का प्रयास करना होगा।

सदन में अब भी कहा गया है कि इसका कोई दर्शन नहीं है। इस प्रकार की आलोचना सुनकर निश्चय ही मुझे दु:ख होता है। इन दो वर्षों के दौरान केवल प्रतिवेदनों को ही नहीं अपितु इस समय के दौरान जारी किये गये विभिन्न पेम्फलेटों आदि को आप देखे तथा दो वर्ष के क्रिया कलाप को देखे तो उससे यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जायेगी, कि हम केवल दर्शन में ही नहीं अपितु विदेश व्यापार नीति सहित देश की अर्थ-व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास में विश्वास रखते है। इसी सम्दर्भ में हम उद्देश्यों की बात करते है। वह उद्देश्य भला क्या है ? हमारा विदेश व्यापार कैसे चलना चाहिये ? हमारा विदेश व्यापार हमारे देश की राष्ट्रीय विकास नीति तथा आर्थिक उद्देश्यों के अनुरुप होना चाहिये। हमे आत्म-निर्भरता प्राप्त करना भी इन्ही उद्देश्यों में से एक है। हम देश के लिए नई प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान प्राप्त करना चाहते है। हम यह भी चाहते है कि नये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को हम ऐसी प्रौद्योगिकी के रूप में ढाले जो कि हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप हो। हम यह भी चाहते है कि हमारे देश के समग्र गरीबी तथा बेरोजगारी की जो भयानक समस्यायें है, उनका समाधान भी हम विदेश व्यापार के माध्यम से ही करने का प्रयत्न करें। इसलिए हम यह भी चाहते है कि जिन वस्तुओं का निर्यात हमने करना है, जहां तक हो सके इन वस्तुओं का उत्पादन देश के लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा ही किया जाये, जैसा कि प्रो० मावलंकर नें सुझाव दिया है ताकि इससे एक ओर तो हम लोगों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवा सके तथा दुसरी ओर हम ओर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। इसके साथ ही हम और अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित करना चाहते है क्योंकि हमें अपने उद्योगों के विकास तथा उनके लिए अपेक्षित आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखना है। इसके साथ ही हमें यह भी दृष्टिगत रखना है कि हमारी कृषि तथा अन्य मानवीय

[श्री मोहन धारिया]

उपभोग सम्बन्धी आवश्यकतायें क्या है। अन्ततः यह सम्पूर्ण संघर्ष हम किसके लिए कर रहे है ? हम यह विदेश व्यापार क्यों चाहते है ? अतः इसके लिए प्रमुख रूप से तो व्यक्ति के लिए ही सब कुछ किया जाता है। अतः हमें अधिकाधिक विदेशी-मुद्रा अर्जित करनी होगी ताकि हम देश में औद्योगिक, कृषि तथा मानवीय उपयोग सम्बन्धी बढती हुई अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

आज देश में लागत का स्तर क्या है ? जब हम यह कहते है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकाधिक 700 या 800 रुपये है और जब हम यह आय 800 रुपये से 1500 रुपये तक बढाना चाहते है, तो फिर हम इस बात का अनुमान लगा सकते है कि देश में लागत में कितनी वृद्धि होगी तथा साथ ही हमारी आवश्यकतायें कितनी बढ जायेगी ? अतः इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमें देश की बढती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक विदेशी-मुद्रा अर्जित करनी होगी। परन्तु ऐसा करते समय भी हमें यह बात निश्चय ही ध्यान में रखनी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देश में औद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए अपना अलग ढांचा तैयार किया है और जहां तक सम्भव हो सके हमें अपने देश के औद्योगिक तथा कृषि विकास का आधार अपने स्वदेशी ढाचें को ही बनाना होगा। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुये ही हमें अपने देश में नई प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान को अपनाना होगा। हमें अपने देश में अनुसंधान तथा विकास कार्य में अधिक पूंजीनिवेष करना चाहिये। जब अधिक आधुनिक देशों में विकास कार्य बहुत तेज हो रहा है और जब कि हम अपने देश में विकास तथा अनुसंधान पर अधिक पूंजीनिवेश करने की स्थिति में नहीं है, तथा यदि हमें नई प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान अन्य देशों से लेना है तो हमें उसके लिए अधिक विदेशी-मुद्रा की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही हम यह भी नहीं भूल सकते की यदि हम अधिक प्रगति करना चाहते है तो हमें मूल्यों में स्थिरता लाना भी सुनिश्चित करना होगा। यह एक ऐसा साधन है, जिसे न केवल अभी बतायी गई मांगों की पूर्ति के उपयोग में लाया जा सकता है बल्कि इसको देश में मूल्य स्थिर रखने के लिये भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह साधन ऐसा है, जिसे हमें उपयोग में लाना चाहिये।

इसके अलावा, जब हम विदेश व्यापार की बात करते हैं, तो कुछ व्यक्तियों अथवा घरानों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण अथवा एकाधिकार करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं ? अतः जब हम एस०टी०सी०, एम०एम०टी०सी०, नाफेड, पी०ई०, एन०सी०सी०एफ०, तथा अन्य एजेन्सियों के सम्बन्ध में बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि हम इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था पर समूचे रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा सोसाइटी का नियंत्रण रहे, न कि कुछ ही व्यक्तियों का। इस प्रकार विदेश व्यापार की ओर ध्यान दिया जा सकता है।

इसके अलावा हम अपने मित्र देशों, विशेषकर पड़ौसी देशों को कैसे भुला सकते हैं ? श्री शिन्दे ने कल पाकिस्तान तथा बंगलादेश के साथ भारत के आर्थिक सम्बन्धों के बारे में उल्लख किया था। यह सम्बन्ध केवल पाकिस्तान तथा बंगलादेश के साथ ही नहीं है बल्कि श्री लंका, बर्मा, नेपाल, भूतान आदि देश भी इससे सम्बन्धित हैं। हम अपने विदेश व्यापार को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हैं कि भारत के साथ ही ये हमारे पड़ौसी देश भी विकसित हों। यदि हम शांति तथा समृद्धि का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो पड़ौसी देशों का समृद्ध होना भी बहुत ही आवश्यक है। अपने देश की विदेश व्यापार नीति को तैयार करते हुए, हम इन उद्देश्यों को भी ध्यान में रख रहे हैं।

मेरे साथी, श्री जार्ज ने, जो कि इस समय सभा में मौजूद नहीं हैं यह कहा है कि देश में कोई नीति नहीं है। मैंने इस समय देश की विदेश व्यापार नीति का ही उल्लेख किया है। मैं, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कि हम अतीत में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारा विदेश व्यापार निःसंदेह रूप से बढ़ा है। लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि पहले योजना आयोग तथा राज्य सरकारों को, तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को भी देश के विदेश व्यापार की समस्त प्रक्रिया में सम्मिलित करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। यह पहला अवसर है जबकि हमारे निर्यात तथा आयात व्यापार की समस्त प्रक्रिया में योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। हम अपने निर्यात व्यापार को बगैर उत्पादन वृद्धि के नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि हम अपने देश से निर्यात योग्य औद्योगिक अथवा कृषि क्षेत्र के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो क्या यह उपयुक्त समन्वय तथा सहयोग के बिना, तथा हमारे उत्पादन की देखभाल करने वाली विभिन्न राज्य सरकारों को बगैर सम्मिलित किये, तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को बगैर सम्मिलित किये, संभव हो सकता है? विदेश व्यापार को हम विकसित करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे अव्यवस्थित रूप में अथवा तदर्थ रूप में विकसित करना नहीं चाहते हैं। हम समूचे विदेश व्यापार को एक वैज्ञानिक आधार पर विकसित करना चाहते हैं, जिसके द्वारा भविष्य की योजना बनाई जा सके, तथा देश की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर सजीव निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा, कल इस बात का आलोचना के साथ उल्लेख किया गया था कि सरकार इधर-उधर पाबंदियां लगा रही है। मैं सभा के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं, कि जब हमने पहले सरकार से सत्ता अपने हाथ में संभाली थी तो उस समय क्या स्थिति थी? यह सच है कि वर्ष 1976–77 के दौरान निर्यात व्यापार में लगभग 24 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेकिन आपको याद होगा कि उस समय क्या परिस्थितियां थी। क्या इस सम्बन्ध में, मैं प्रत्येक मद के अनुसार कुछ कह सकता हूं? उस समय चाय का क्या मूल्य था? क्या यह बात सच नहीं है, कि आम जनता के लिये चाय का मूल्य 25 रु०, 26 रु० अथवा 27 रु० प्रति किलो तक पहुंच गया था? क्या आप यह नहीं चाहते है, कि अपने देश की आम जनता को बगैर किसी कठिनाई के बाद ही चाय का निर्यात किया जाय? हम जनता के लिये ही तो हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्पादक को एक लाभकारी मूल्य प्राप्त होना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही हम इस बात को भी नहीं नकार नहीं सकते कि उत्पादक भी किसी अन्य रूप से एक उपयोक्ता होता है। एक कपास का उत्पादक चाय का उपयोक्ता है और हमें उसका ध्यान रखना होगा। इसलिये हमें कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या यह वास्तविकता नहीं है, कि प्याज के मूल्य भी 3 रु० अथवा 4 रु० प्रति किलो तक पहुंच गये? क्या इस सभा में यह मांग नहीं की गई थी कि आम जनता के लिये इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिये कुछ समय तक के लिये इन वस्तुओं के निर्यात पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती है? ऐसा नहीं कि प्रारम्भ में मैंने स्वयं ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो। श्री जार्ज इस समय सभा में नहीं हैं। लेकिन जहां तक आलुओं के निर्यात का सम्बन्ध है, है, इसके बारे में पहली सरकार ने 1975 में नीति निश्चित की थी। 1975 को पश्चात् यदि आलुओं के निर्यात का उल्लेख किया जाये तो मुश्किल से 200 रु०, 300 रु० अथवा अधिक से अधिक 5000 का ही निर्यात किया गया। इसलिये ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ जनता सरकार ने ही किया हो। मूल्य वृद्धि के कारण ही संभव है उन्होंने ऐसा किया हो। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि हमें अपने देश की आवश्यकताओं, आम जनता की आवश्यकताओं तथा निर्यात में ताल मेल बैठाना चाहिये। इसके लिये सही आयोजना तथा उत्पादन करने की आवश्यकता है। इसीलिये हमने अपने साथी श्री बरनाला जी के सहयोग से कुछ कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। उदाहरण के लिये सब्जियों को उगाने का एक कार्यक्रम है। यह बात सच है कि हमने सब्जियों के निर्यात पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके साथ ही हमने एक योजना निर्धारित की है तथा हमने सभी राज्य सरकारों से कह दिया है कि उनको सब्जी उगाने के वृहत् कार्यक्रम को लागू करना चाहिये। सब्जियों के अतिरिक्त उत्पादन में से 50 प्रतिशत को निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी। वे बहुत खुश है तथा कुछ राज्य सरकारों ने तो इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले भी लिया है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने अमृतसर के पास शब्जियों के उत्पादन का एक बृहत कार्यत्रम अपने हाथ में ले लिया है। मैंने उनको कह दिया है कि यदि एक हवाई जहाज के भार की सब्जियां उपलब्ध होती हैं तो अमृतसर से सीधे अरब देशों अथवा अन्य देशों को इसे निर्यात किया जायेगा। इस प्रकार हम उन देशों को ताजा सब्जियां दे सकते हैं तथा हमारे कृषकों को भी अधिक आय प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही सब्जियों के 50 प्रतिशत उत्पादन का भारतीय मण्डियों में आने के कारण देश के लोगों का भी सही ध्यान रखा जा सकेगा। क्या इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता? इसी प्रकार प्याज तथा आलुओं के बारे में भी हम अतिरिक्त उत्पादन की ओर ध्यान रखे हुए हैं ताकि देश की आवश्यकताओं तथा निर्यातों का ध्यान रखा जा सके।

इस वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान हुए निर्यात से हुई आमदनी का जिक्र किया गया है। हां, यह बात अवश्य है विकास दर तथा निर्यात आमदनी में कमी हुई है। लेकिन इसके क्या कारण हैं? क्या हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिये? वर्ष 1978–79 के दौरान देश को 426 करोड़ रु० की हानि हुई, इसका कारण यह था कि चाय, काफी, काजू तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई। इसिलिये हमें 426 करोड़ रु० का घाटा हुआ। प्रतिशत के अनुसार यह 8 प्रतिशत होता है। यदि पिछले वर्ष के दौरान मूल्य स्थिर रहते तो 4 अथवा 5 प्रतिशत विकास दर के बजाय हमें 13 प्रतिशत विकास दर प्राप्त होती।

रुपया की तुलना में डालर के मूल्य में कमी हुई है। 70 प्रतिशत निर्यात का लेन देन डालर से किया जाता है। हमें रुपये के मामले में घाटा हुआ है न कि डालर म, और वह एक वर्ष में 150 करोड़ रु० का घाटा है, जो कि लगभग 3 प्रतिशत के करीब है। यदि इसे भी 13 प्रतिशत के साथ जोड़ दिया जाय, तो यह 16 प्रतिशत हो जाता है।

इसके अलावा मैं हड़तालों तथा अन्य मामलों के दार्शनिक तत्व पर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा मजदुरों के अधिकारों की वकालत करते हैं। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि देश के हितों को ध्यान में रखते हुए जहां तक भी हो सके हमें हड़तालों तथा तालाबंदी से बचना चाहिये। क्योंकि बम्बई

[श्री मोहन धारिया]

तथा कलकत्ता पत्तों पर हड़ताल होने के कारण, जो लगभग 50 दिन से भी अधिक दिन तक जारी रही, कितना अधिक नुकसान हुआ है यह आप सभी जानते हैं। इसके अलावा मैं जूट मिलों तथा अन्य संस्थाओं में हुई हड़ताल का जिक्र नहीं कर रहा हूँ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गान्धीनगर) : ऐसी बहुत सी हड़तालों से बचा जा सकता है।

श्री मोहन धारिया : मैं कलकत्ता तथा बम्बई बंदरगाहों पर फरवरी तथा मार्च के महीनों में हुई हड़तालों का ही उल्लेख कर रहा हूँ। निर्यात की जाने वाली तैयार वस्तुओं का निर्यात न होने के कारण हमें 400 करोड़ रु० से लेकर 500 करोड़ रु० तक की हानि हुई है। ये 400 से लेकर 500 करोड़ रु० लगभग 8–10 प्रतिशत तक होते हैं।

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के द्वारा जिन वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है, मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। इस्पात तथा सीमेंट के सम्बन्ध में हमें हानि हुई है। हम सीमेंट अथवा इस्पात का निर्यात नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर पिछले वर्ष के दौरान देश में इस्पात की खपत में वृद्धि होने के कारण, जो 17 प्रतिशत तक थी, हमें इस्पात तथा सीमेंट का आयात करना पड़ा है। सच बात यह है कि हमने विदेशी मुद्रा अर्जित की है तथा 1976-77 में सीमेंट निर्यात के जरिए हमने कुछ धन अर्जित किया था। इस समय हमें अत्यधिक घाटा हुआ है और हम इसका निर्यात नहीं कर रहे हैं। इनके कारण विकास दर में रूकावट आई है। अन्यथा इस वर्ष 15 से लेकर 20 प्रतिशत तक विकास दर प्राप्त कर ली जाती।

अतः यह कहना उचित नहीं है कि सरकार निष्क्रिय है। अपनी ओर से हमने इन प्रयत्नों को किया है। इसके अलावा, सभा को इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यों में गिरावट आने के कारण हमें हानि हुई है, लेकिन इसके साथ ही जहां तक अन्य उत्पादों का सम्बन्ध है, हमने काफी कुछ अर्जित किया है। सक्रिय क्षेत्रों से हमने लगभग 25 प्रतिशत अधिक अर्जित किया है। उदाहरण के लिये चमड़ा उद्योग, हीरा–जवहारात अथवा छोटे क्षेत्र से तैयार इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात को लिया जा सकता है। ऐसे बहुत से क्षेत्र है जहां हमने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जहां तक हीरे जवाहरातों के निर्यात का सम्बन्ध है, उनसे वर्ष 1978-79 के दौरान 725 करोड़ रु० से भी अधिक का लाभ हुआ है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर ने छोटे क्षेत्र के उद्योग के बारे में जिक्र किया है। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1978-79 में वर्ष 1977-78 के आंकड़ों की तुलना में छोट क्षेत्र तथा कुटीर उद्योगों से तैयार वस्तुओं के निर्यात में चौमुखी वृद्धि हुई है। वर्ष 1978-79 में हीरे तथा जवाहरातों का 2,000 करोड़ रु० का निर्यात किया गया है। इतना परिवर्तन हो गया है। इससे कई हजार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। फिर हमें इस पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिये? आभूषणों के मामले में भी हमने कुछ प्रगति की है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनमें विकास दर 25 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी रहने पर भी सक्रिय उपक्रमों द्वारा बहुत से व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करके तथा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करके स्थिति अच्छी रही है। जब हमने विशेष कार्य के लिये अभियान दल की नियुक्ति की तो इस पर महत्वपूर्ण रूप से विचार किया गया। सभा द्वारा मुझसे हमेशा यह पूछा जाता रहा है कि मंत्रालय द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? क्या कदम उठाये जा रहे हैं? मैंने यह महसूस किया कि समूची निर्यात तथा आयात नीति पर एक ओर दबाव डालने के लिये हमें सभी बातों पर विस्तार से ध्यान देना चाहिये। इसके बाद हमने कुछ अभियान दालों की नियुक्ति की जिनका मैं अपने प्रतिवेदन में उल्लेख कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के पश्चात् उन पर विलम्ब से विचार किया गया हो। बहुत से क्षेत्रों में प्रतिवेदनों की जांच पड़ताल करने के पश्चात् उन पर कार्रवाई करनी शुरू हो गई है। अभियान दलों के प्रतिवेदनों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के लिये बहुत से अन्य क्षेत्रों के मामलों में निर्णय ले लिया गया है। श्री बरनाला द्वारा कृषि अभियान दल के बारे में जिक्र किया गया है। जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है हमने इसे विशेष महत्व देने का निश्चय किया है।

कल श्री शिन्दे ने यह कहा था कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कृषि क्षेत्र उत्पादों के निर्यातों से 25 से लेकर 27 बिलियन डालर से भी अधिक अर्जित करता है। जब अमेरिका जैसे देश के लिये यह संभव है, जहां पर सर्दी के दौरान आधे देश में बर्फ के सिवाय कुछ भी नहीं रहता है, तब यह भारत जैसे देश के लिये कैसे संभव नहीं है, जहां पर हर मौसम में सूर्य का प्रकाश रहता है तथा उष्णकटिबन्ध जलवायु रहती है? यह संभव है, और विशेष कार्य दल के प्रतिवेदन के आधार पर योजना आयोग को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। हम बहुत से कार्य कर रहे है, ताकि कृषि उत्पादों से हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। इसी कारण हमने एक के बाद दूसरा निर्णय लिया है, और आगे कार्यवाही की जा रही है। नियोजित उत्पादन के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सम्बन्धी कुछ समस्यायें भी हैं। मूल्यों, वस्तुओं तथा अन्य चीजों में प्रतिदिन विभिन्नता आती हैं। आजकल के प्रचलन में बड़ी तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें यह भी देखना है कि वस्तुओं में किस प्रकार विविधता लाई जा सकती है। बाजार में किस प्रकार विविधता लाई जा सकती है, तथा हमारी क्या-क्या समस्यायें हैं। सभा को यह जानकर खुशी होगी कि इस सम्बन्ध में हमने कुछ प्रतिनिधि मण्डलों को विदेशों में भेजा है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से हमने अध्ययन किया है। इसके लिये बाजार विकास निधि से सहायता ली गई है। इनके प्रतिवेदनों के आधार पर ही हमने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत प्रारम्भ की है। सभा को इन देशों की सूची को जानकर प्रसन्नता होगी। केवल इतना ही नहीं है कि मैं विभिन्न देशों में गया हूं अथवा उनके प्रतिनिधि यहां आये हों। हमने द्विपक्षीय बातचीत मंत्री स्तर पर भी की है और यह केवल वाणिज्य मंत्रियों के द्वारा हो हो पाया है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। पैट्रोलियम तथा रसायन, कृषि तथा विदेश मंत्रियों ने भी बहुत से संयुक्त आयोगों की ओर ध्यान दिया है तथा इसके लिये प्रयत्न किये हैं। इस प्रकार इन वर्षों के दौरान हमने जिन देशों से सम्पर्क स्थापित किया हैं वे इस प्रकार हैं—सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेसिया, थाइलैण्ड, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिजी, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, ईरान, अफगनिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, पापुआ गुआना, मंगोलिया तथा वियतनाम। श्री मावलंकर द्वारा अफ्रीका के सम्बन्ध में जिक्र किया गया था। हाल ही में मैं अफ्रीका गया था, वहां पर नेयरोबी में हमने अपने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों तथा एम्बेसडर के साथ एक कांफ्रेंस बुलाई थी। केवल इतना ही नहीं है आरूसा में विभिन्न देशों के कुछ मंत्रियों की जी–77 ग्रुप की बैठक से भी हमने अनुभव प्राप्त किया है। **(व्यवधान)** यह बहुत ही बेहतर है। आरूसा तंजानिया में है। आरूसा में मैंने जाम्बिया तथा नाइजेरिया के मंत्रियों से भी बातचीत की। फिर मारीशास, केन्या, कान्गो, घाना, तनजानिया, जाम्बिया, सोमालिया से भी बातचीत की क्योंकि कुछ बातचीत उन देशों में भी हो चुकी हैं अतः आपको कुछ दोहरे नाम भी मिल जायेंगे। इसके बाद फ्रांस, इटली, इग्लैंड को मिलाकर तथा स्केंडीनेवियन देशों के अतिरिक्त सभी ई ई सी के देश इसमें सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त इराक, लिबिया और जोर्डन भी हैं। तथा यहां पर उपस्थित मेरे सहकर्मी श्री बहुगुणा ने इन सभी अरब देशों का दौरा करके उनसे विचार-विमर्श किया है? आपको जानना चाहिये कि वे भी यहां हमारे लिये एक शेख हैं।

महोदय, इसी प्रकार हमने अमरीका, क्यूबा, रुस, रूमानिया, का भी दौरा किया है और मैंने सोवियत रुस, बल्गारिया, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, युगोस्लोवाकिया और रूमानिया को मिलाकर इन सभी देशों के साथ अपनी बातचीत की है। और मेरे सहकर्मियों ने भी केनेडा और क्यूबा के साथ सम्पर्क स्थापित किये हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि आप उन देशों के नाम गिनाते जिनका आपने दौरा नहीं किया है तो, सम्भवतः सूची छोटी रही होती।

श्री मोहन धारिया : ये वे देश नहीं हैं, जिनका मैंने अवश्य ही दौरा किया हो। उनमें से कुछ के प्रतिनिधि यहां आए और कुछ देशों में मैं गया। जब यह दोष लगाया जाता है कि मण्डियों की विभिन्नता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है तो, मैंने अनुभव किया कि यह बात मुझे सदन को सूचित करनी चाहिये कि हम कोई भी तरीका अपनाए बिना नहीं

[श्री मोहन धारिया]

छोड़ा है अर्थात हमने मनोयोग से पूरी-पूरी कोशिश की है। इसी आधार पर, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान प्रदान हुआ और आज भी मुझे यमन के एक मन्त्री महोदय से जो कि सदन से पधार रहे हैं, विचार-विमर्श करना है। मेरे सहकर्मी उन्हें लिवाने गये हैं। अतः हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं और वह भी कोई समय खोये बिना, क्योंकि हम भलीभांति जानते हैं कि विविधता बहुत ही आवश्यक है।

बराबर का सीमाशुल्क, पाबन्दी शुल्क और ऐसे ही अन्य शुल्क थोपकर, रक्षावादी और पाटना-विरोधी उपाय तो विकसित देश कर रहे हैं। परिस्थितिवश यदि हम बाह्य देशों के साथ अधिकाधिक व्यापार करना चाहते हैं तो, सर्वोत्तम मार्ग यह होगा कि दोनों ही ओर के सम्बन्ध सुधरे हुए हों। यह रूस जैसे देशों के साथ हमारे विचार-विमर्श का ही परिणाम है कि 1980 के अन्त तक सोवियत रूस और भारत के मध्य व्यापार 1500 करोड़ तक पहुंच जायेगा। हाल ही में जब श्री कोसीगन और उनका दल यहां थे तो मैंने व्यक्तिगत-रूप में उनके साथ विचार-विमर्श किया और दोनों ही ओर से सहमति हुई कि हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिये कि 1985 तक हमारा व्यापार 1500 करोड़ रुपये से बढ़कर 3000 करोड़ रुपये हो जाए। इसी प्रकार अमरीका के साथ भी हमारा लगभग 2,000 करोड़ रुपये का व्यापार हैं और अगले पांच या छः वर्षों में, हम इसे लगभग 4,000 करोड़ रुपये तक ले जायेंगे। यहां तक कि रूमानिया जैसे छोटे से देश के साथ भी हमारा 100 करोड़ रुपये का व्यापार है और हम चाहते हैं कि यह 200 करोड़ रुपये हो जाये।

जैसा कि कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है, हमें पूर्वी एसिया के देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है। गत वर्ष मैंने सिंगापुर में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बुलाया था और उनसे अपनी कठिनाइयां बताने के लिये कहा। मैंने कहा था कि यदि कुछ वित्तीय रूकावटें है, अवरोध हैं तो मैं उनकी सहायता के लिए तैयार हूं। मैंने उन्हें बताया कि 1978-79 में, हमारे व्यापार में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये। मुझे अपने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों, स्टाफ के सदस्यों और अपने मन्त्रालय के अधिकारियों पर गर्व हैं। एक वर्ष ही, पूर्वी एसिया के देशों के साथ, हमारे व्यापार ने, 15 प्रतिशत की वृद्धि के उस लक्ष्य को पार कर लिया है।

और फिर मण्डी की जागरूकता की भी समस्याएं हैं। सारा ही यन्त्र छिन्न-भिन्न ढंग से कार्य कर रहा था। अतः जहां तक सम्भव हो सका है, हमने अपने सभी कार्यालयों को एक ही स्थान पर लाने का प्रयत्न किया है। पेरिस और न्यूयार्क के अपने कार्यालयों को हम एक ही छत के नीचे ले आये हैं। शीघ्र ही वे फ्रेंकफुर्त में, एकजूट होकर काम करने लगेंगे। सामान्यतया, अधिक से अधिक एक प्रबन्धक के साथ आशुलिपिक लेता था, बस और कोई नहीं। जब वह दौरे पर चला जाता है तो कार्यालय में कोई नहीं रहता। हम इन देशों के हृदय में यह विश्वास कैसे जगा सकते हैं कि हम एक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकते हैं? यदि हम अपने सभी साधनों को इसमें जुटाएं तो, हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमने यह निश्चित किया है कि इकठ्ठा काम करने के लिये हम इन कार्यालयों को एक जगह ले आयेंगे। यह केवल मेरे मन्त्रालय के अधीनस्थ विभिन्न अभिकरणों तक ही सीमित नही हैं, परन्तु यह तो समग्रतः भारत सरकार के सभी अभिकरणों पर लागू होता हैं तथा हम एक प्रकार के समन्वय की दिशा में प्रयत्नशील हैं। इसका विदेशों में अच्छा प्रभाव जमाने में बड़ा ही योगदान रहा है।

विज्ञापन, प्रचार और मेलों की भी एक समस्या थी। फिर जैसा कि प्रो० मावलंकर जी ने इंगित किया था, मैं फिर से बताता हूं कि गत दो वर्षों में हमने अपनी प्रदर्शनियां और मेले लगाने के ही अथक प्रयत्न नहीं किये, अपितु वस्तुओं के मानक में सुधार लाने तथा यह देखने के लिये कि वे लोगों की आंखों पर भी चढ़ते हैं, हमने प्रयास किये हैं। जहां तक मास्को में होने वाले मेले का सम्बन्ध है, 20 लाख से भी अधिक लोगों ने इसे देखा है। यह भी एक बेजोड़ अवसर था। इसको बड़ा सराहा गया और निस्सन्देह इसकी सहायता भी की। मुझसे फिर प्रश्न किया गया कि क्या दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले मेले भी सहायक होते हैं।

मुझे इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह नही है क्योकि यह एक ऐसा प्रचार माध्यम है जिसके द्वारा हम यह प्रचार कर सकते है कि भारत क्या है । फ्रांस जैसे देश में भी केवल कुछ ही लोग ऐसे है जो यह जानते है कि भारत क्या हैं। मैं जब फ्रांस गया तथा वहां मैंने फ्रांस के प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया तो मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई हम अभी तक उन्हें भारत के बारे में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहे है । मैंने उन्हें सुझाव दिया की आप अपने विभिन्न उद्योगों तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियो को प्रतिनियुक्ति पर भारत में क्यो नही भेज देते? तदनुसार उन्होने 22 वरिष्ठ प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भारत भेजा तथा भारत भ्रमण के बाद जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि वह भारत द्वारा की गई इस प्रगति से वह अनभिज्ञ थे । अनेक ऐसे क्षेत्र है जिनमें भारत तथा फ्रांस मिलकर काम कर सकते हैं । जहां तक फ्रांस के साथ हमारे व्यापार का सम्बन्ध है, सदन को यह जानकर हैरानी होगी कि यह 100 करोड़ रुपये से भी कम का है । क्या फ्रांस के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करना हमारे लिए सम्भव नही है? ऐसा कर पाना निश्चय ही सम्भव है परन्तु यह इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार के नये सम्बन्धों तथा इस प्रकार की चौकसी बरत कर ही किया जा सकता है ।

इसके बाद नक़द मुआवज़ों की सहायता दी जाती है । इस सम्बन्ध में डा० पांडेय द्वारा एक मामले का उल्लेख किया गया था और उन्होने कहा कि इससे सिले सिलायें वस्त्रों का निर्यात करने वालो पर इसका प्रभाव पड़ा है । मैं इस के सम्बन्ध में नीति को सदन के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं । वह क्या कारण है जिन के आधार पर नकद मुआवज़ा समर्थन दिया जाता है । यह समर्थन अपने निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में चल रही स्पर्धा में पूरा उतारने की दृष्टि से दिया जाता है । हमारे कराधान ढांचे तथा परिवहन व्यवस्था के परिणामस्वरूप उनका बोझ कुछ बढ जाता है जिसके लिए उन्हें नकद मुआवज़ा सहायता दी जाती है । जहां तक सूती कपड़े या अन्य वस्त्रो का सम्बन्ध है, जो कि अच्छी तथा नाजूक किस्म के होते है, जैसे कि स्त्रियों के ब्लाउज़ तथा कमीज़े, उन पर कई निर्यातक बहुत धन कमा रही है । पिछले वर्ष हमने जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया था, वह 12 रुपये प्रति पीस था जबकि अब यह मूल्य 28 या 29 रुपये प्रति पीस हो गया है । प्रथम तीन महिनों के दौरान निर्यात आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में 60 करोड़ से भी अधिक है । हमें भला मंडियां कहा मिली है तथा यह सहायता क्यो दी जाये? यह सहायता तो केवल ऐसे लोगो तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए दी जाती है जिन्होने कि विदेशी मंडियो में अभी अपने आपको स्थापित करना हो तथा जिन्हें इसकी आवश्यकता हो । जो लोग अपनी मंडियां स्थापित कर चूके है, उन्हें यह सहायता उपलब्ध नही करवायी जा सकती । जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है, उनके बारे में मैंने पिछले वर्ष एक निर्णय लिया था । जहां तक केले के फल के निर्यात का सम्बन्ध है, उसके बारे में गत वर्ष 400 रुपये प्रति टन की राजकीय सहायता दी गई थी जिसे हमने इस वर्ष बढा कर 500 रुपये कर दिया है ।

जहां तक फलों का सम्बन्ध हैं, उनके लिए हमने 15 प्रतिशत तक नकद मुआवज़ा सहायता देने का निर्णय किया है। यदि वह 1 लाख रुपये के मूल्य का निर्यात करते है तो हम उन्हें 15,000 रूपये देगें । कृषि उत्पादको को इस कार्य में लगे रहना चाहिये तथा अन्तराष्ट्रीय मंडियो में जमे रहना चाहिये । वह ऐसा भला कैसे कर सकते है ? जहां तक मंत्रालय के 31 मार्च के पत्र का सम्बन्ध है, मैंनें कहा ही है कि ऐसा कोई निदेश नही दिया गया था । वर्तमान नियमो के अन्तर्गत इस नकदी मुआवज़ा सहायता को किसी भी समय वापिस लिया जा सकता है और जब उन्होने अभ्यावेदन दिया था तो उसी समय मैंनें उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था यदि उन्हें इसमें हानि होती है या अपेक्षित लाभ नही होता तो उन्हें अपने मूल्य को सम्बद्ध तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना चाहिये और मैं उन पर विचार करने के लिए तैयार हूं । मैं यही समझता कि ऐसा कर पाना उनके लिए सम्भव होना क्योकि मैं यह तो जानता ही हूं कि लाभ किस प्रकार कमाया जाता हैं ।

हमने संप्रस्त उद्यमों पर काफी ज़ोर दिया है । समय बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है । सदन कों यह जानकर खुशी होगी कि हम संयुक्त उद्यमो को इतनी शीघ्रता से मंजूरी देते रहे है कि इस समय केवल यही मामले लम्बित पड़े है और वह भी केवल इसलिये प्रार्थियों ने पूरी जानकारी नही दी है । जितने भी मामलें हमें भेजे गये थे, उन सभी का निपटारा कर दिया गया है । हमारे देश में आधुनिकतम मशीनरी का निर्माण किया जा रहा है और यदि हम चाहते है कि वह मशीनरी बाहर भेजी जाये तो ऐसा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से ही सम्भव हो सकता है । हम यह चाहते है कि संयुक्त उद्यम मुख्यतः मशीनरी तथा तकनीकी जानकारी के देश से निर्यात पर ही आधारित होने चाहिये । अतः इन निर्यात माध्यमों से ही हम विदेशी-मुद्रा कमा सकते है तथा अच्छे उपभोक्ता प्राप्त कर सकते है । यही कारण है कि हमने संयुक्त उद्यम पर अधिक ज़ोर दिया है । इसके साथ ही हम इस बात की ओर भी ध्यान दे रहे है कि हमारी लम्बी अवधि वाली नीति केवल हमें ही मान्य न हो अपितु वह इसके पक्ष को भी मान्य हो । यदि हम

[श्री मोहन धारिया]

लम्बी-अवधि वाले करार करने में सफल हो जाते है तो वह हमारे सम्पूर्ण विदेश व्यापार में स्थिरता लाने में सहायक हो सकता है ।

सदन में श्रम की प्रधानता के बारे में भी कुछ सदस्यों ने प्रश्न उठाये थे । मैंने पहले भी कहा था कि श्रम-प्रधान उत्पादों पर काफी जोर दिया जा रहा है । यह ठीक है कि अनेक क्षेत्र ऐसे है जहां कि इसका उपयोग अधिक नही किया जा सकता परन्तु फिर भी हम विश्व में इसके स्पर्धा में भाग ले सकते है क्योंकि हमारे देश में जनशक्ति काफी है और हम उसका उपयोग करने के लिए सम्भव उपाय कर रहे है ।

कल उद्योग मंत्री ने कहा कि हम प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर भी ज़ोर दे रहे है । वर्ष 1977 में जब हमने कार्यभार संभाला था तो उस समय देश में दरियां बुनने के केवल 10 या 12 प्रशिक्षण केन्द्र थे परन्तु आज ऐसे केन्द्रो की संख्या 700 से भी अधिक है जहां कि 30,000 से भी अधिक लड़के व लड़कियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है और जब वह प्रशिक्षण समाप्त करके बाहर आयेंगे तो वह 10 से 15 रुपये प्रतिदिन कमा लेंगे तथा इस के साथ ही दरियों के निर्यात में भी वृद्धि होगी ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : उसके लिए आप बधाई से पात्र है ।

श्री मोहन धारिया : धन्यवाद । मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी है जो इस ओर बैठे लोगों के प्रति भी न्याय करते है । कुछ अन्य समस्यायें भी है । जब हम विदेश व्यापार की बात करते है तो हमें यह भी नही भूलना चाहिये कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों के साथ स्पर्धा है और उसके लिए हमें अन्य देशों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । लौह-अयस्क की हमारी अपनी समस्या है । सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस्पात की मंडी में मंदी आ गई थी और लौह-अयस्क की भी मंदा चल रही थी । जब आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री यहां थे तो मैंने उनके साथ बातचीत की थी तथा साथ ही मैंने अन्य निर्यातक देशो के साथ भी बातचीत की थी क्योंकि मैं लौह-अयस्क का निर्यात करने वाले देशो के संघ का अध्यक्ष था । मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि हम उत्पादक संघ बनाने के पक्ष में तो नही है परन्तु जब खरीदारों द्वारा अपने खरीददार संघ बनाये जा रहे है तो फिर हम सब को अपने अपने देश के हितों की सुरक्षा हेतु मिलकर उन्हें तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये । लौह-अयस्क, गेहूं या कपास की तरह ऐसे वस्तु तो नही है जिस का मूल्य बार बार तह किया जाये फिर भला यह उचित दामों पर क्यो न बिक सके? मैं अपने उन मित्रों के साथ भी सहमत हूं जो यह कहते है कि हम लौह-अयस्क का निर्यात ही क्यो करते है? यदि हम अपने ही देश में लगे इस्पात सयंत्रो में लौह-अयस्क की खपत कर सके, तो यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी । परन्तु इस्पात-संयंत्रो में पूंजी निवेश काफी अधिक करना पड़ता है तथा उसके लिए हमारी अलग प्राथमिकतायें है । अतः हमें कुछ समय तक तो मजबूरन अयस्क का निर्यात करना ही पड़ेगा । इसके साथ ही यह प्रश्न भी है कि खानो में लगें हज़ारो मज़दूरों का क्या किया जाये ? क्या हम खानो को बंद करके उन्हें बेरोजगार कर सकते है । ऐसा नही किया जा सकता । अतः इन परिस्थितियों में हमारे लिए यही उचित होगा कि लौह-अयस्क का निर्यात करने वाले सभी देशों को इकट्ठा करके हम लौह-अयस्क के लिए अच्छा मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

सदन को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष की उतनी ही मात्रा के तुलना में इस वर्ष हम कम से कम 25 करोड़ रूपया अधिक कमायेंगें और ऐसा लौह-अयस्क का निर्यात करने वाले विभिन्न देशों के साथ सम्पर्क करने से ही हो पायेगा । हमने इस नई संभावना का पता लगाया है ।

केवल लौह-अयस्क ही नही अपितु अन्य भी अनेक वस्तुये जैसे कि चाय, काफी, रबड़, मिर्च, तम्बाकू है जिनके बारे में उनका उत्पादन करने वाले देशो के साथ ताल-मेल बिठाया जा सकता है । आज हमारे यहां उत्पादक की स्थिति क्या है ? पटसन का उत्पादन करने वाले की स्थिति क्या है ? आज हम उन्हें समर्थन मूल्य भी नही दे पा रहे है । क्या हम पटसन तथा पटसन के उत्पादों के लिए अच्छे मूल्य प्राप्त नही कर सकते है और क्या हम पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य उपलब्ध नही करवा सकते है ? ऐसा करना सम्भव है तथा इसके लिए हम पटसन या उत्पादन करने वाले बंगला देश, थाईलैंड, बर्मा तथा अन्य मित्र देशो के साथ बातचीत कर सकते है । हमने इस दिशा में पहल कर दी है । सदन को यह जानकर खुशी होगी कि भारत ने इन सभी मामलो में पहल कर दी है । मेरे मित्र श्री आरिफ बेग, 'मिर्च समुदाय' के अध्यक्ष है । मिर्च का तात्पर्य मसालो का निर्यात करने वाले देशो से है । इस प्रकार हमने पहल कर दी है तथा इससे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए हमें अच्छे मूल्य मिलने की काफी संभावना है ।

इसी प्रकार अनेक बहु-शाखी निकाय भी है । जैसे कि यू०एन०सी०टी०ए०डी०, कि अंकाड़, ी०ए०टी०टी० तथा ई०एस०सी०ए०पी० आदि निकाय है जिनमें कि कुछ देशों ने मिल कर अधिक समुदाय सा बना लिया है वह विचार-

विमर्श करके निर्णय लेते रहते है । यह भी हमने अपने तकनीकी निर्यात व्यक्ति नियुक्त किये हुये है । हम सभी मित्र देशो की सहायता करते है तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुये आपसी मामलों को सही ढंग से प्रस्तुत करते है । यदि एशियाई क्षेत्र के मंत्री मंत्रियों का कोलम्बो में सम्मेलन हो या विकासशील देशों का वर्ष 1977 का सम्मेलन या 7 मई से होने वाला मनीला सम्मेलन, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत विश्व के सभी विकासशील देशो को न्याय दिलाने के लिए पहल तथा भरसक प्रयत्न करता रहेगा । इस प्रकार से यह सब कुछ हम कर रहे है ।

मंत्रालय में अन्तर्गत कार्य करने वाली एजेंसियो के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था । यह कहा जा रहा है कि आशिया जो आपका साम राज्य तो बहुत व्यापक है । एस० टी सी०, एम० एम० टी० सी०, एन० ए० एफ० ई० डी०, एन० सी० डी० सी०, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड आदि अनेक एजेंसियां के मंत्रालय के अन्तर्गत आतीं है । व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय मानक सेट का आदि सभी कुछ मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । क्या यह सभी निकाय नये दायित्वों को नई जागरूकता के साथ अपनाने के लिए तैयार है ? मैं उस माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं जिसने कि मूझसे यह प्रश्न पूछा था कि क्या मेरा मंत्रालय साधारण व्यक्ति के जीवन में सुधार करने के लिए मंत्रालय में कुछ अमूल चूक परिवर्तन करना चाहता है ? जी हां, हमने सभी संस्थानों तथा निगमों को निदेश दे दिये है कि उन्हें अपने आप को नई चूनौती के अनुरूप टालना चाहिये ।

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के किसी मेरे मित्र ने भी एक मामला उठाया था । सदन कों यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के शीघ्र बाद मैंने यह आदेश जारी किये थे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को तब तक न भरा जाये जब तक कि इन्हीं जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हो और इन पदो के अस्थाई तौर पर भी गैर-आरक्षित पद न बनाया जाये । मैं समझता हूं कि ऐसे पदो को खाली रखना ही ठीक है । मैं चाहता हूं कि चाहे इन पदो के लिए उन लोगों को प्रशिक्षण क्यों न देना पड़े परन्तु मैं यह नही चाहता कि उन्हें गैर अनूसूचित जातियों या जन-जातियो के लोगों द्वारा भरा जाये ।

इसी प्रकार मैंने राज्य व्यापार निगम को भी बताया है कि अनेक लोग ऐसे है जिन का सम्बन्ध ऐसे समुदायों के लोगो से है जो जूतों, चप्पलों तथा अन्य चमड़े के उत्पादों के व्यापार में लगे हुये है । इसलिए इस आशय के निदेश भी दिये गये है कि इस उद्योग में लगे मोचियों तथा उनकी सहकारिताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में अगर और कुछ करने की आवश्यकता है, या माननीय सदस्य कुछ और सकारात्मक सुझाव देना चाहते है, तो उन पर विचार करके मुझे प्रसन्नता होगी ।

आवास के लिए भी हमने व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है । जहां तक इस आवास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यदि वह आवास काफी बोर्ड के कर्मचारियो के लिए हो या चाय बोर्ड अथवा चाय बागान के कर्मचारियों के लिए या फिर राज्य व्यापार निगम या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए, उन सब को मैंने यह निदेश दे दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यदि हम वास्तव में भारत का निर्माण करना चाहते है तो हमे इसी प्रकार के निर्णय करने होंगे और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कारगर ढंग से क्रियान्वित भी किया जाये । मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय इस कार्य में पीछे नही रहेगा । यदि सरकार यह सब करना चाहती है तो फिर हर मंत्री तथा अधिकारी को भी ऐसा ही करना होगा । यदि एक भी मंत्री या अधिकारी ऐसा नही करता तो सामाजिक-आर्थिक पुर्न उत्थान कभी सम्भव नही हो सकता । इस सन्दर्भ में हम अपने दर्शन की नई दिशा प्रदान कर रहे है ।

यह खेद की बात है कि इस समय सदन में नहीं है । उन्हें यह जानकर खूशी होती क्योंकि वह हमारी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी है । मैंने यह सभी बाते परामर्शदायी समिति को अनेक बार स्पष्ट कर दिया था और श्री जार्ज को भी वह मालूम ही होगा कि ....

एक माननीय सदस्य : आप किस जार्ज की बात कर रहे है? क्या आप जार्ज फर्नांडीस की बात कर रहे है—?

श्री मोहन धारिया : मैं ए० सी० जार्ज की बात कर रहा हूं । .... (व्यवधान)

श्री मोहन धारिया : इन दोनो में कुल तुलना हो सकती हैं या बिलकुल किसी प्रकार की तुलना नहीं है। खैर मैं श्री ए० सी० जार्ज का ही उल्लेख कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मंत्रालय को निर्यात की कोई चिंता नहीं है। यह ठीक नहीं है। इन सभी कठिनाईयो के

[श्री मोहन धारिया]

बावजूद कलकत्ता तथा बम्बई दोनों पत्तनों पर हड़ताल हुई, पटसन मिलो में हड़ताल हुई परिवहन सम्बन्धी कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं थी, कोयले की कमी की, बिजली की कमी की, इन सभी कारणों के बावजूद भी, क्या यह प्रसन्नता की बात नहीं है कि यद्यपि अन्य देशों में मूल्य गिर रहे थे, हमारी उत्पादन पर यह सब अंकुश थे तो भी हम स्वदेशी मांग को पूरा करने क बाद भी हमारे निर्यात में वर्ष 1978–79 के दौरान 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके साथ ही मैं सदन को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि वर्ष 1979–80 के दौरान हमारे निर्यात आंकड़ो में और अधिक वृद्धि हो और वह बढ़ कर 10 प्रतिशत से भी अधिक हो जाये। यह निर्णय हमने कर रखा है। हम अपनी नियंत्रणों से भली भांति अवगत है परन्तु इसके बावजुद भी हमें अपने कार्यकरण पर भी पूरा भरोसा है, हम इसके लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। जो लोग चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं केवल वह ही इस देश में शासन कर सकते हैं और यही हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं।

जहां तक राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम का सम्बन्ध है, इससे सम्बन्ध प्रतिवेदन में प्रस्तुत कर चुका हूं और अब विस्तृत रूप से उनक बारे कुछ नहीं कहना चाहता। राज्य व्यापार निगमो के आंकड़ों से स्पष्ट है कि इसके व्यापार में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 1,070 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,127 करोड़ हो गया है तथा इसके निर्यात में भी 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात को देखने पर सदन को खुशी होगी कि निगम द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों का, नया न कि परम्परागत उत्पादों का निर्यात ही लगभग 119 करोड़ रुपये का किया गया है। श्री मावलंकर ने इसके बारे में प्रश्न पूछा था। अतः मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली इन सभी विभिन्न उपायो को नयी दिशा निदेश देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

चाय बोर्ड सहित अनेक बोर्ड है। उनके समस्याओं से सम्पूर्ण देश अवगत है। एक ओर हमने देश में खपत के लिए अपेक्षित लाभ को दृष्टिगत रखना होता है तथा दूसरी ओर हमें निर्यात का भी ध्यान रखना पड़ता है। यह कैसे किया जा सकता है? केवल उत्पादन शल्क को हटा कर ही इसे नहीं किया जा सकता परन्तु इसके लिए हमें मूल्य-योग प्रणाली पर अधिक वल देना होगा। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तो उस समय मुल्य-योग पेकेज प्रणाली के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता था जब कि 31 मार्च 1979 तक यह निर्यात 67 करोड़ रुपये से भी अधिक बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप अधिक लोगो को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है।

इतना ही नहीं, हमने चाय बोर्ड के लिए एक समिति का गठन किया है। हमने चाय उद्योग के साथ विचार विमर्श करके ऐसा संभाव्य आयोजन तैयार किया है जिसके फलस्वरुप वर्ष 2,000 तक लाभ का उत्पादन चाय के 570 मिलियन किलो से बढ़कर लगभग 1,400 मिलियन किलो हो जायेगा। चाय बागानो के पुर्नरोपण तथा नये बागान लगाने के लिए राजकीय सहायता तथा अन्य अनेक प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सुविधायें केवल परम्परागत चायबागान वाले क्षेत्रो में ही उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, अपितु गैर–परम्परागत क्षेत्रो में भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी प्रकार की प्रणाली रबड़, काफी, मसालों तथा मेरे मंत्रालय में अन्तर्गत आने वाली अन्य बोर्डो के बारे में भी अपनाई जा रही है। अपने नई नये प्रयासों के फलस्वरूप हम इन सभी कार्यों को नई दिशा तथा स्वरूप देने का प्रयत्न कर रहे है तथा उससे राज्य सरकारो तथा केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों को भी सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कृषि उत्पादो पर भी यथासम्भव ध्यान दिया जा रहा है तथा इन सब प्रयत्नो के फलस्वरूप हम समझते है कि अगामी कुछ समय में निर्यात में वृद्धि करना तथा अधिक विदेशी मद्रा अर्जित करना सम्भव हो जायेगा। मुझे आशा है जिस जिस वैज्ञानिक तथा सुनियोजित ढंग से मंत्रालय ने यह कार्य करने की नीति अपनाई है तथा जो नया दर्शन प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, सदन इसकी सराहना करेगा।

इसके बाद, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग आते हैं। जहां तक नागरिक पूर्ति विभाग का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं सदन को अपने विश्वास में लेना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं कि 64 करोड़ की जनसंख्या वाले बृहद देश में जन साधारण को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध करवाने का कार्य काफी कठिन है। जब मूल्यों में वृद्धि होती है तो उसका असर किस पर पड़ता है? जहां तक औद्योगिक तथा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जहां तक सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वह कई प्रकार से आन्दोलन कर सकते है तथा यह मांग कर सकते है कि जीवन ज्ञापन में हो रही वृद्धि के अनुरूप ही महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जानी चाहिये। परन्तु जहां तक असंगठित वर्ग, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, श्रमिको तथा कृषि श्रमिको का सम्बन्ध है, जब मूल्यो में वृध्दि होती है तो इन लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। चूंकि ऐसी लोगों को सब से अधिक परेशानी होती है, अतः इन्हीं लोगों को दृष्टिगत रखते हुये मेरे मन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विचार आया है। यह केवल वितरण प्रणाली ही नहीं है बल्कि यह वितरण के साथ साथ उत्पादन प्रणाली भी है। इस वितरण प्रणाली के पांच पहलू हैं अर्थात उत्पादन वसूली भंडारण, परिवहन तथा वितरण अब यह श्री धारिया की योजना नहीं है। हां जब में पहले आप के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था तो निश्चय ही यह एक व्यक्ति विशेष या एक मंत्री की योजना थी। किन्तु अब इस योजना को केन्द्रीय मंत्रि-मंडल ने अनुमोदित कर लिया है। इस योजना को योजना आयोग ने भी अनुमोदित कर लिया है।

इस योजना के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए राज्यों के ठोस सहयोग की जरूरत है। इसीलिए हमने 5 जनवरी, 1979 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया और सभी मुख्य मंत्रियों ने इस योजना के प्रति अपनी सहमति प्रकट की कि यह योजना अब नागरिक पूर्ति मंत्रालय या श्री धारिया के मंत्रालय की नहीं है बल्कि यह समूचे देश की योजना है। यह एक राष्ट्रीय योजना है और अब हम इसे पहली जुलाई, 1979 से कार्यान्वित करने जा रहे है।

हम इसे कैसे आरम्भ करेंगे? हमने कुछ वस्तुओ को ले लिया है। इनके साथ साथ हमने औद्योगिक वस्तुओं को लेने के लिए भी उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। औद्योगिक वस्तुओं में दियासलाई, कंट्रोल का कपड़ा मिट्टी का तेल और अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। हम इन विभिन्न वस्तुओ को लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। प्रारंभ में हम बहुतसी वस्तुओं को नहीं लेंगे क्योकि असली समस्या इनके लिए व्यवस्था करने तथा देशवासियो को विश्वास प्राप्त करने की है। इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 2000 जनसंख्या के लिए एक वितरण केन्द्र हो। सुदूर क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रो अथवा पिछड़े क्षेत्रो में यदि जनसंख्या 2000 से भी कम हो तो भी वहां वितरण केन्द्र खोले जायेंगे। हमें उनकी ओर कुछ विशेष ध्यान देना है। अतः ऐसे सुदूर क्षेत्रों में यदि किसी गांव की जन संख्या 1000 भी होगी तो हम वहां वितरण केन्द्र खोलेगें। हम वितरण केन्द्रो का जाल बिछा देंगे।

आज देश में 2,4000 उचित दर की दुकाने हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसी दुकान है जो मिट्टी के तेल तथा कंट्रोल का कपड़ा बेचती हैं। हमारा अनुमान है कि हमें समूचे देश में लगभग 3,50,000 केन्द्रों की आवश्यकता पड़ेगी और हमने सभी मुख्य मंत्रियो को यह सुनिश्चित करने के लिए लिख दिया है कि वे अपने अपने राज्य में जनसंख्या के अनुसार वितरण केन्द्रो की व्यवस्था करें।

यद्यपि जनता को गुमराह करने के लिए कुछ गलत प्रचार किया जा रहा है, तथापि हमन कह दिया है कि यदि गैर सरकारी क्षेत्र की उचित दर की दुकानें अपना सहयोग देना चाहें तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। किन्तु उन्हें कुछ नियमों को मानना पड़ेगा तथा जनता के हितों का ख्याल रखना होगा। जहां तक उचित दर की दुकानों का सम्बन्ध है, उन्हें अनुशासन का पालन करना होगा और यदि वे ऐसा करती हैं तो हम चाहेंगे कि वे अवश्य इसमें भाग लें।

[श्री मोहन धारिया]

जहां तक नई दुकानों का सम्बन्ध है, 1,80,000 दुकानों गैर सरकारी व्यापारियो के नियंत्रण में हैं तथा 60,000 दुकानें सहकारी समितियों के हाथों में हैं। नई दुकानें सहकारी समितियो के नियंत्रण में होनी चाहिएं। किन्तु जहां कहीं यह संभव नहीं है वहां ये दुकानें ग्राम पंचायतों को सौंप दी जानी चाहिए। यह सुझाव कल श्री सोमनाथ चटर्जी ने दिया है जो कि एक अच्छा सुझाव है।

हम एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जो कि समूची वितरण प्रणाली की देख माल करगा। हम राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे भी अपनी अपनी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। सौभाग्य से देश में कुछ ऐसे राज्य हैं, जिनमें वितरण प्रणाली बहुतही सुचारू रुप से कार्य कर रही हैं। अतः मैं यह कहकर सम्माननीय सभा को विश्वास में ले रहा हूं कि हमारे देश में कतिपय ऐसे निहित स्वार्थ हैं जो इस प्रणाली से बहुत क्षुब्ध हैं। उन्होने समाचार पत्रो में कई लेख तथा सम्पादकीय टिप्पणियां लिखना शुरू कर दी हैं। उन लेखों में वे लिख रहे हैं कि यह प्रणाली इस देश में सफल नहीं हो सकती अर्थात यह प्रणाली अवश्य असफल होनी चाहिए यह आपके लिए तथा मेरे लिए भी एक चुनौती है। हम इस देश के जन साधारण को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि चाहे कीमतें कहीं तक भी हो, जहां तक आवश्यक वस्तुओ का सम्बन्ध है, हम उन्हें जनसाधारण को समुचित या निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध करेंगे। क्या हम चाहेंगे कि हम बम्बई, कलकत्ता, पूना या दिल्ली में रहने वाले लोगों को ही संरक्षण प्रदान करें अन्य लोगों को नहीं। वही संख्या में ऐसे लोग हैं जोकि बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्रो में है। उन्होने उन क्षेत्रों में जन्म लेकर कोई अपराध तो नहीं किया है। अतः क्या हम यह नहीं चाहेंगे कि ये आवश्यक वस्तुएं उन लोगों को भी उपलब्ध हो?

श्री आर० बी० स्वामीनाथन (मदुरै) : वहां जन साधारण को मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं होता।

श्री मोहन धारिया : मैं इस विषय पर भी आ रहा हूं। कृपया इस बात को मत भुलीए कि मिट्टी के तेल का देश में पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। हमें इसका आयात करना पड़ता है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : उस मंत्रालय की अनुदानो की मांगो पर चर्चा होने वाली है।

श्री मोहन धारिया : यह सही बात है। आपने अच्छी बात कही है। मुझे विश्वास है कि मेरे साथी श्री बहुगुणा स्वयं इस पर निगरानी रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जहां कहीं अच्छी प्रणाली न हो या जहां कहीं कोई समस्या हो, उस पर श्री बहुगुणा ध्यान देंगे। मैं आपको यह आश्वासन दे दूं कि यह योजना देश के हित में ही और इससे जनसाधारण के हितो को ही ध्यान में नहीं रखा जायेगा बल्कि देश में मूल्यो पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। जब कीमते बढ़ती हैं तो क्या होता है? अधिकाधिक महंगाई भत्ते की मांग की जाती है। यदि महंगाई भत्ता दिया जाता है तो वह पैसा पुनः बाजार में चला जाता है और उससे मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। यदि हम देश में मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो फिर इसके साथ-साथ अन्य वित्तीय या मुद्रा सम्बन्धी उपाय करने आवश्यक हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस योजना से भी कीमतों पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है।

इस बारे में मैं सभा से पूरे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस योजना को लोक प्रिय बनाएं क्योंकि आपके जिलों में जो सलाहकार समितियां बनेगी उनमें आप एक महत्वपूर्ण सलाहकार माने जाओगे। मैं मुख्य मंत्रियों को पहले ही कह चुका हूं कि मैं इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्य स्तर, जिलास्तर तथा स्थानीय निकायों के स्तर की इन विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व देना चाहूंगा। यदि आप इसमें रुचि लेंगे तो हमें काफी सफलता मिल सकती है। यदि उत्पादन अधिक नहीं होगा तो वितरण संभव नहीं हो सकेगा बिना उत्पादन के वितरण नहीं हो सकता। अतः यह उत्पादन तथा वितरण प्रणाली है। हमें उत्पादन से लेकर वसूली, भंडारण, परिवहन तथा वितरण पर पूरी निगरानी रखनी है। केवल तभी हम सही न्याय कर सकते हैं। हम अपने उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दे पायेंगे और ऐसा करके हम जनसाधारण को आवश्यक वस्तुएं समुचित मूल्यों पर उपलब्ध कर सकेंगे। इस कड़ी को कायम रखते हुए हम बिचौलियों को भी हटा सकते हैं।

मेरे मित्र ने सहकारिता का उल्लेख किया है। जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध है यह एक ऐसा आन्दोलन है जिसे हमारे देश में एक गतिशील तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैंने हमेशा ही इसमें विश्वास किया है। जहां तक सहकारिता आन्दोलन का सम्बन्ध है, जैसा कि श्री शिन्दे ने सही कहा इस दिशा में हमारे देश ने निस्संदेह काफी प्रगति की है। हमारे देश में बडी संख्या में सहकारी समितियां हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में सदस्य हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस सहकारिता आन्दोलन को बेहतर ढंग से और सुदृढ़ किया जाये। यदि इस ढंग से सहकारिता आन्दोलन को मजबूत किया जाता है तो फिर इससे हमें जनता को सामाजिक न्याय दिलाने में बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं इससे हमे देशवासियों को आर्थिक न्याय भी दे सकेंगे। बल्कि आर्थिक अधिकार के विकेन्द्रीकरण से हमें देश में लोकतांत्रिक शक्तियों के स्थिरीकरण में भी सहायता मिलेगी। हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। हम अर्थ व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अर्थ व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण हो और मैं इसमें विश्वास भी करता हूं। किन्तु जब हम देख रहे हैं कि हमें घाटा हो रहा है तथा सरकारी क्षेत्र के एकक भली भांति कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर जो इस विचारधारा में विश्वास करता है तो फिर उसे यह नहीं कहना चाहिए कि हम सरकारी क्षेत्र में विश्वास नहीं करते। वास्तव में हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि दोष दूर किए जायें। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र सफलतापूर्वक कार्य करे। इतना ही नहीं हम चाहते हैं कि सहकारी क्षेत्र में उन्हीं उद्देश्यों को लेकर सफलता पूर्वक कार्य करे।

श्रीमान महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। मैं जानता हूं कि वहां चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के हित में सही काम नहीं किया है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सहकारिता आन्दोलन का विरोध करें। यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो हमें चाहिए कि हम उन त्रुटियों को दूर करें। जहां तक चीनी सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य महाराष्ट्र जायें और स्वयं सब कुछ देख लें। चीनी सहकारी समितियों के कारण ही वहां के किसानों में इतनी क्रांति आई है। इसके जो कुछ अच्छे परिणाम निकले हैं, क्या हम उन्हें नष्ट कर दें या फिर हम उन दोषों को दूर करके यह कहें कि यह आन्दोलन जारी रखा जाना चाहिए ? मैं सहकारी समितियों का राष्ट्रीकरण नहीं चाहता। जब तक मैं मंत्री रहूंगा मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि चीनी सहकारी समितियों का राष्ट्रीकरण न हों। मैं केवल यह चाहूंगा कि जो भी त्रुटियां या कमियां हैं, उन्हें दूर कर दिया जाये। उन्हें समाज, उत्पादकों तथा श्रमिकों के हित में काम करना है। मुझे खुशी है कि एन० सी० डी० सी० ने देश की विभिन्न सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए 30 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान रखा था किन्तु गत दो वर्षों में यह प्रावधान बढ़कर 69 करोड़ रुपये हो गया है। मैंने उन्हें कह दिया है कि चाहे वे पूर्वी क्षेत्र के छोटे-छोटे राज्य है, यदि हम चाहते है कि यह सहकारिता आन्दोलन उस क्षेत्र में कार्य करे तो उन्हें समान आधार दिया जाना है। एन०सी०डी०सी० को उन्हें समान आधार देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन क्षेत्रों में सहकारिता का विकास हो। आसाम के उन किसानों की क्या स्थिति है जो नारंगियों का उत्पादन करते हैं। उन्हे समुचित मूल्य नहीं मिलता है। क्यों ? इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में उत्पादकों की सहकारी समिति नहीं है।

एन० सी० डी० सी० के अलावा हमारे पास नाफेड भी है। यह इस देश में विपणन संघों का एक प्रमुख निकाय है। नाफेड सभी कार्य करे यह संभव नहीं है। नाफेड की मार्फत खरीददारी करो, लेकिन यहां से कौन आदमी भेजे। नाफेड द्वारा यथा संभव सहयोग उस राज्य के विपणन संघ को दिया जा सकता है। हम उन्हें पैसा दे सकते हैं और कुछ तकनीकी जानकारी वाले कार्मिक भेजे जा सकते हैं किन्तु शेष कार्यों को उस राज्य के विपणन संघ को ही करना है ताकि किसी विशेष क्षेत्र या वस्तु का ध्यान रखा जा सके। जहां तक नाफेड के कार्यों का सम्बन्ध है एक वर्ष पूर्व इसने 60 करोड़ रुपये कमाये थे जबकि आज इसकी आय 100 करोड़ रुपये है। मुझे मध्य प्रदेश का उदाहरण देने दीजिए। गत वर्ष इसने सोयाबीन के कुल 500 टनों की वसूली की थी किन्तु इस वर्ष इसने उत्पादकों के साथ न्याय करते हुए 65,000 टन सोयाबीन की वसूली की है। मैं देखता हूं कि जो लोग पहले इस आन्दोलन के विरोधी थे, वे आज इसका समर्थन कर रहे हैं।

[श्री मोहन धारिया]

ये विभिन्न अभिकरण इस कार्य को आगे बढ़ानें तथा इसे सफल बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यह सभा उनके प्रति सहानुभूति दिखाये। यदि किसी प्रकार के कुछ दोष अथवा कमियां हैं, तो मुझे उन दोषों को दूर करने की खुशी होगी। किन्तु हमें उन लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जो कि गत दो वर्षों से कठोर परिश्रम कर रहे हैं। आप वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में नई प्रवृत्तियां तथा परिवर्तन देख रहे हैं और जब मैं सभा से इस मंत्रालय की मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा तो मैं केवल इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें, पूरा करने में हम किसी प्रकार की कसर शेष नहीं रहने देंगे। धन्यवाद।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): श्रीमान, मैंने कांडला मुक्त व्यापार जोन का उल्लेख किया था किन्तु मंत्री जी ने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। मैं जानना चाहता हूं कि कांडला मुक्त व्यापार जोन के विकास के लिए क्या कुछ किया गया है।

श्री मोहन धारिया: श्रीमान मुझे मालूम है कि दो मुक्त व्यापार जोन हैं अर्थात एक कोंडला में है तथा दूसरा संताक्रुज में। मैं उनकी प्रगति से खुश नहीं हूं। इसीलिए मैंने उन क्षेत्रों का दौरा किया था। हमनें उन पर विशेष निगरानी रखी है। वहां कई प्रबंध करने पड़ेंगे। मैंने इस-बारे में नौवहन तथा परिवहन मंत्री से बातचीत की है। कई एक वापस जाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे ऐसा न करें। मैं चाहता हूं कि एकक अधिकाधिक हों। मेरा मित्र का कहना सही है कि इसके लिए कुछ विधायी समर्थन की आवश्यकता है और इसके लिए विधायी उपाय किया जा रहा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कांडला मुक्त व्यापार जोन की सहायता दी जाये। मैं चाहता हूं कि ये दोनों मुक्त व्यापार जोन सफल हों ताकि मैं मंत्रि-मंडल के समक्ष अधिक मुक्त व्यापार जोनों को मांग कर सकू किन्तु ये दोनों जोन जिस ढंग से कार्य कर रहे है, उस ध्यान में रखते हुए मैं अधिक मुक्त व्यापार जोनों की मांग नहीं कर सकता।

श्री चौधरी बलबीर सिंह: हमारे जो लोग विदेशों में काम करते हैं, उनको यहां फारन-एक्सचेन्ज लाने में कुछ सुविधायें दें। इस से यह फायदा होगा कि बहुत सी चीजों की, जिन की हमारे मुल्क में जरूरत है, उन को फारन-एक्सचेन्ज कमाने के लिये बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो पैसा वे यहां पर लायें, उस में इन्कम टैक्स और दूसरी जो रुकावटें हैं उन को दूर किया जाय, इस तरह का इन्तजाम किया जाय तो जितना फारन-एक्सचेंज इस वक्त है, उस से दुगना हो सकता है।

दूसरा सवाल यह है कि आलू और सब्जियों को बाहर भेजने के लिये परमानेन्ट इन्तजाम होना चाहिये। उन लोगों का यह कहना है कि जिस वक्त हमें जरूरत होती है, उस वक्त मिलता नहीं है, हमें इस बात का यक़ीन होना चाहिये कि हम को मुस्तकिल तौर पर मिलेगा। आज समारे यहां आलू ज्यादा पैदा हो गया तो हम कहते हैं कि आलू को बाहर भेजो, जिस वक्त प्याज ज्यादा पैदा हो गया, उस वक्त प्याज़ भेजने के लिये कहते हैं। लेकिन अगर परमानेन्ट इंतजाम हो जाय तो इस से किसानों का भी नुकसान नहीं होगा और साथ ही उन लोगों को भी भरोसा रहेगा कि यह सामान हम को मुस्तकिल तौर पर मिलेगा।

श्री मोहन धारिया: सभापति जी, इस वक्त दो सवाल उठाये गये हैं। जहां तक पहले सवाल का तल्लुक है—इस का सम्बन्ध फाइनेन्स मिनिस्ट्री से भी है और इस के लिये हमारे फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने कुछ स्कीमे चालू भी की हैं। लेकिन जहां तक सुविधायें मिलने का तल्लुक है—अगर आप के पास कोई खास सुझाव हों तो आप मुझे बतायें, मैं जरूर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से चर्चा करूंगा।

जहां, तक एक्सपोर्ट का सवाल है—मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की इज्जत करता हूं, हमारा एक्सपोर्ट इन कांसिस्टेंट नहीं होना चाहिये। बाहर के मुल्कों में ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये कि कभी भेजेंगे और कभी नहीं भेजेंगे। इस के बारे में मेरी बरनाला साहब से बातचीत हुई है—जैसे जिस वक्त आलू पैदा होता है—हम यह कह सकेंगे कि इतना आलू या 1 लाख टन आलू या 1 लाख टन प्याज़ भेजेंगे। इस चीज़ की गारन्टी वहां भी दी जानी चाहिये और यहां भी दी जानी चाहिये कि कितना भेजना है। यह काम हमें अच्छे दिल से करना है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : सभापति महोदय, जहां तक जमाखोरों तथा कालां बाजारी करने वालों का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आवश्यक वस्तू अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले इन आर्थिक अपराधियों को विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार क अन्तर्गत दंड दिया जायेगा।

श्री मोहन धारिया : जहां कहीं वे आवश्यक वस्तू अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, हमने पहले ही मुख्य मंत्रियों को लिख दिया है कि वे आवश्यक वस्तू अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। हम चाहते हैं कि आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। यह कार्य राज्य सरकारों ने करना है। मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता हूं। हमें इस देश में सरकार के राज्य-केन्द्र ढांचे को नहीं भूलना चाहिए। इस बारे में मैं राज्य सरकारों से हर प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री जनार्दन पुजारी तथा अन्य माननीय सदस्य तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपभोक्ताओं में इस तरह की भावना पैदा करें ताकि ऐसे अपराध न हो सकें। इस कार्य में सरकार उन्हें यथा संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।

श्री विजय कुमार एन० पाटील (धुलिया) : कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री जी को सीमेंट की वितरण प्रणाली के बारे में लिखा था। हमें बताया गया कि इसमें पंचायत समितियों के चेयरमैन होते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि उनमें संसद सदस्य भी रखे जाने चाहिए। मुझे यह उत्तर मिला कि यह विषय राज्य के अन्तर्गत आता है और मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अपेक्षित कार्यवाही करने की सलाह दे दी है। किन्तू श्रीमान अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि जिला स्तर पर सलाहकार निकायों की स्थापना की जायेगी। श्रीमान यदि उन्हें राज्य के मंत्रालयों के हाथों में रहने दिया गया तो फिर मैं नहीं समझता कि उन समितियों में संसद सदस्यों को भी रखा जायेगा। उन में केवल विधायकों तथा पंचायत समितियों के चेयरमैन को ही रखा जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के दिमाग में यह बात है कि संसद सदस्यों को भी जिला स्तर के इन निकायों में सम्मिलित किया जाये क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी वे जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री मोहन धारिया : मैं इस मामले पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करूंगा। मैं अवश्य यह चाहता हूं कि इन सब बातों में संसद सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाये, क्योंकि वे भी जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं मानता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों को इनमें सम्मिलित किए बिना ये निकाय सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते।

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों (जालंधर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारी योजना के प्रारम्भिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें अपने कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। संसद द्वारा पारित कानूनों के अन्तर्गत कई वस्तुओं के लिए काफी बोर्ड, चाय बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, इलायची बोर्ड आदि जैसे बोर्डों की स्थापना कर रखी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी एक आलू बोर्ड की स्थापना करना चाहते हैं जो कि आलुओं के निर्यात, विकास आदि में सहायक हो। श्रीमान ब्रिटेन तथा हालैंड जैसे छोटे-छोटे देशों में भी आलू बोर्ड हैं। इन बोर्डों के माध्यम से वे अपनी आलू की खेती का विकास करते हैं और आलू को निर्यात भी करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी संसद द्वारा किसी कानून को पारित करके आलू बोर्ड की स्थापना करेंगे?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य ने यह सुझाव बहुत समय पहले दिया था। हम इस बात की जाच कर रहे हैं कि क्या एक पृथक आलू बोर्ड की स्थापना की जा सकती है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर पेश किये गये कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिये रखूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लेना चाहते हैं।

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : सभापति महोदय, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय से सम्बन्धित छठी सूची में दर्शाये गये अपने सारे कटौती प्रस्तावों को मैंने कल प्रस्तुत कर दिया था। मेरे अन्य कटौती प्रस्तावों के साथ-साथ, मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 56 को भी उपर्युक्त सूची में

[श्री मुकुन्द मन्डल]

स्थान दिया गया था। कल मैंने नियम 210 और 211 के अन्तर्गत इन सभी कटौती प्रस्तावों को पेश कर दिया था। परन्तु आश्चर्य की बात है कि आज की सूची में मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 56 को नहीं रखा गया है। मेरा कटौती प्रस्ताव सं० 56 सीमेंन्ट के वितरण में हो रहे काला-बाजार, मुनाफा खोरी, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ी हैं, और अन्य अनियमितताओं को रोकने में असफलता से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : यह पहले ही बताया जा चुका है कि आपका कटौती प्रस्ताव सं० 56, इस मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है। अब मैं श्री राजगोपाल नायडू के कटौती प्रस्तावों को विचारार्थ रखता हूं। उनके कटौती प्रस्ताव सं० 31 से 37 तक है। वे अनुपस्थित हैं। अब मैं उनके सब कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, श्री मुकुन्द मण्डल का यह कथन है कि छठी सूची में सम्मिलित अपने कटौती प्रस्ताव सं० 56 को वे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।

सभापति महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह विषय उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित है। अब मैं श्री मुकुन्द मण्डल के कटौती प्रस्तावों सं० 39 से 55, 57 और 58 को लेता हूं। क्या आप अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस ले रहे हैं?

श्री मुकुन्द मण्डल : मैं तो अपने कटौती प्रस्तावों पर जोर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मुकुन्द मण्डल के कटौती प्रस्ताव सं० 39 से 56, 57 और 58 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं अनुदान की मांगो को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 11 से 13 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनाधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

सभापति महोदय : सदन अब, पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 69 से 71 को, जिसके लिये पांच घन्टे का समय दिया गया है, चर्चा और मतदान के लिए हाथ में लेगा। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 69 से 71 के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्न लिखित अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पुंजी
69.	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय . .	18,89,000	. .
70.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग . .	23,61,54,000	16,68,56,000
71.	रसायन और उर्वरक उद्योग . . .	48,82,32,000	56,38,60,000

वे माननीय सदस्य जिनके अनुदान की मांगो पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, यदि अपने कटौती प्रस्तावो को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, पन्द्रह मिनट के अन्दर-अन्दर, जिन कटौती प्रस्तावो को वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनकी क्रम-संख्या सूचित करते हुए, पटल पर पर्चियां भेज दें। केवल वे ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए समझे जायेंगे।

श्री एस० एस० सोमानी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं इस मंत्रालय के अनुदान की मांगो का समर्थन करता हूं। पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन अनेक गतिविधियां और उत्पाद आते है जो देश के विकास और अस्तित्व के लिये बहुत महत्व रखते हैं। इसकी कार्यकुशलता पर टिप्पणी करने से किसी व्यक्ति को रोकने के लिये, स्वयं इसकी विशालता और जटिलताएं ही पर्याप्त हैं। परन्तु फिर भी, मैं इस मन्त्रालय के दो पहलूओ क्रमशः ड्रग्स एण्ड फारमास्युटिकल्स तथा उवर्रक पर बोलना चाहता हूं।

आरंभ में ही मैं 29 मार्च, 1978 को सभा-पटल पर रखी गई, नवीन औषध नीति को, उनके द्वारा कठोरता पूर्वक लागू करने के लिये मन्त्री महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं। इस नीति में, देश के औषध उद्योग की उन्नति और विनियमन के विकास एवं नियंत्रण हेतु रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। देश के औषध उद्योग पर, इस नवीन नीति के सम्पूर्ण प्रभाव को आकना सम्भवतः बहुत ही जल्द बाजी कही जाये। परन्तु कुछ ऐसे मुद्दे मिले हैं, जो पहले से ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और यहां उल्लेखनीय हैं। वे केवल उल्लेखनीय ही नहीं हैं, परन्तु चिन्ता का कारण भी हैं। मैं उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योकि प्रारम्भिक अवस्था में ही उनपर ध्यान न देने की विफलता, राष्ट्र और इसके लाखो भुक्तभोगीयो के साथ एक अपराध होगा।

इस अवस्था में, मुझे आपके समक्ष, 1978–79 से 1983–84 की योजना अवधि के लिये भेषज और ओषधिय उद्योग पर योजना-आयोग के कार्यसम्पादन-दल के प्रतिवेदन के कुछ तथ्य रखने दिये जायें। प्रतिवेदन में देश में 1982–83 तक भारी मात्रा में औषधियो और स्वरूप-सूत्रो की आवश्यकता पर जोर दिया है। और मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश की भी बात कहीं गई है। इस प्रतिवेदन के अनुसार :

(1) 1982–83 तक, विपुल औषधियो के लिये कुल आवश्यकता 625 करोड़ रुपये और सूत्रो के स्वरूप के लिए 1900 करोड़ रुपये रखी गई है।

(2) 1977–78 में भारी मात्रा में औषधियो के उत्पादन के लिये 164 करोड़ रुपये और सूत्रो को स्वरूप देने के लिये 900 करोड़ रुपये।

(3) अतः योजना काल में 1978–79 से (1982–83) उनका उत्पादन ढाई गुणा बढना चाहिये, यदि देश जीवनदायी औषधियो के उत्पादन में आत्म निर्भर बनना चाहता हैं।

इस परिमाण की वृद्धि को पूरा करने के लिये, कार्यचालन-दल ने उस अवधि के लिये आवश्यक, अतिरिक्त निवेश के भी प्राक्कलन तैयार किये है। तथानुसार

(4) भारी मात्रा में औषधियों के उत्पादन पर 370 करोड़ रुपये और दवाईयों के उत्पादन पर 265 करोड़ रुपये (निश्चित अस्तिओ में 150 करोड़ रुपये, जमा कार्यचालन पूंजी में स्वयं के योगदान स्वरूप 115 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निवेश, अर्थात 1982–83 तक 635 करोड़ रुपये का कुल निवेश (370 करोड़ रुपये, जमा 265 करोड़ रुपये) किया जाना चाहिये।

(5) औषध उद्योग में, विद्यमान पूंजी निवेश लगभग 450 करोड़ रुपये का अनुमानित किया गया है, जिसमें विदेशी कम्पनियो की निवेश राशि लगभग 200 करोड़ रुपये है।

अच्छा तो, अब हम उन मुद्दो, खतरनाक संकेतों की बात उठाते हैं, जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। अतिरिक्त निवेश की इस मांग की आवश्यकता के विरुद्ध, जैसा कि माननीय मन्त्री जी की मांग संख्या–71 में दिया गया है, वर्ष 1978–79 और 1979–80 में, सरकारी क्षेत्र का वास्तविक / प्रस्तावित निवेश कितना है ? आओ हम अनुदान की मांगों के पृष्ठ 29–30 और 31–32 को देखें। वर्ष 1979–80 के लिये, औषधियो आर भैषजो के लिये पूंजीगत व्यय तथा ऋण क्रमशः 19.49 करोड़ रुपये और 21.81 करोड़ रुपये रखे गये हैं। आई. डी. पी एल. (भारतीय औषध और भैषज लिमिटेड) की ओर से, पृष्ठ 17 पर 10 करोड़ रुपये का प्राक्कलित आन्तरिक अधिशेष जोड़कर, दो वर्ष का कुल निवेश 51.30 करोड़ रुपये हो जायेगा। इसमें हम गत एक वर्ष की अवधि में अर्थात् नवीन औषध नीति की घोषणा के बाद, दिये गये लाईसेन्सो के सम्बन्ध में, अर्थात् लाईसेन्सो पर, निजी निवेशो के मूल्य को भी जोड़ दें। इस सम्बन्धमें जो कुछ थोड़ी सी भी सूचना सदन में रखी गई है, उसमें सुझाव दिया गया है कि सारे साल में, अतिरिक्त निवेश के लिये लाइसेंस, दस करोड़ रुपये से अधिक के नहीं दिये गये।

महोदय, इसी में तो खतरा है। यदि नई औषध नीति के घोषित उद्देश्य के अनुसार, देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो, 1982–83 तक औषध उद्योग में, 635 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लगना चाहिये। जैसा कि इसके विरुद्ध

[श्री एस० एस० सोमानी]

किया गया है । गत दो वर्षों में, सरकारी क्षेत्र में कुल निवेश केवल 57 करोड़ का किया गया है । निजी क्षेत्र को भी केवल 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने दिया गया है, जिसका कुल जोड़ 61 करोड़ रुपये तक पहुंचता है ।

महोदय, कृपया मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मेरा कहना है कि निजी क्षेत्र को केवल 10 करोड़ रुपये निवेशित करन की अनुमति प्रदान की गई है । इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय और विदेशी कम्पनियों को मिलाकर बना यह क्षेत्र, कोई नया निवेश करने से कतराता है । इसके विपरीत् वे तो औषधियों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये अपना सहयोग देने के लिये, तत्परता से राह जोहते रहे हैं । नये निवेशों के लिये साधन गतिशीलताके महान प्रयास में, इस उत्तरदायित्व को उठाने और सहयोग देने तथा भाग लेने के. वे इच्छुक हैं । उन्होने इस मन्त्रालय को अनकानेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उनके आवेदन-पत्र वर्षों से पड़े शास्त्री भवन में धूलचाट रहे हैं। मन्त्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह मन्त्रालय, इस उद्योग के विकास और बृद्धि को भगवान के भरोसे छोड़ कर नई नीति के विनियात्मक तथा नियन्त्रण सम्बन्धी पहलूओं के प्रति ही अधिकांशतः जान पड़ता है । निर्णय लेने में विलम्ब के कारण अधिक परिणामस्वरूप नये निवेशो में कमी के कारण गत दो वर्षों में, भारी मात्रा में औषधियो का आयात द्विगुणित हो गया है । जो कि 1976-77 में 82 करोड़ से हटकर 1977-78 में 147 करोड़ रुपये हो गया है । सच्चाई तो यह है कि गत वर्ष के 35%के मुकबले वर्षा 1977-78 में भारी संख्या में औषधियो की कुल खपत के लिये, लगभग 50% औषधियां विदेशों से आयातित होती रही है । उत्पादन वृद्धि के संन्दर्भ में भी, आयातो में ही, औषधियो की मात्रा में भी, अद्वितीय ढंग से वृद्धि हुई तथा न ही तो सरकारी क्षेत्र ने और न ही अन्य क्षेत्र ने ऐसा किया है । शायद, विभिन्न क्षेत्रों की क्षेत्रीय उत्पादकता की वृद्धि का मूल्यांकन निश्चित करते समय कोई भी यह बात भूल जाता है कि अन्य क्षेत्रों की कीमत पर ही आयात व्यापार को लाभ हुआ है । अतः क्या मैं इस सदन से पूछ सकता हूं : " नवीन औषध नीति के क्या उद्देश्य है ? क्या वे (1) स्वदेशी उत्पादन की जगह आयातों को प्रोत्साहन देते हैं ? (2) वैकल्पिक उत्पादन सुविधाएं स्थापित किये बिना और उत्पादन शुरू किये बिना समर्थ एकको का उत्पादन कम करना चाहते हैं और (3) तथाकथित विदेशी कम्पनियो को देश में ही उन भारी मात्रा की औषधियो के उत्पादन से रोकना इनका उद्देश्य है जिन्हें अन्यथा आयातित करना पड़ता है" इनमें से किसी एक कारण से भी, मैं उस स्थिति को नहीं सह सकता, जहां भारतीय या विदेशी, सरकारी या लघु, किसी भी क्षेत्र के स्वदेशी निर्माता से बढ़कर, आयातो पर अधिकाधिक निर्भर करने की प्रवृति जोर पकड़ती जा रही है । वृद्धि की कोई परवाह किये बिना, नई नीति के केवल विनियम-विषयक पहलू को ही लागू करने में, यही खतरा है । यह तो एक संकेतक है, जो इस सदन के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए ।

मैं उर्वरक विभाग के बारे में बताता हूं । मैं इसके कार्य सम्पादन के केवल दो पहलुओं पर ही बोलूंगा, यथा (1) नये संयन्त्रों की स्थापना नीति, और (2) विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग । मेरे पास एक ऐसा विवरण है, जिसमें वर्ष 1978-79 में रबी की फसल के लिए, प्रत्येक राज्य में फसल-पोषण के लिये, उर्वरकों की आवश्यकता का ब्यौरा है । इस विवरण में मैं देखता हूं कि देश की कुल आवश्यकता में से राजस्थान के हिस्से में केवल 3.4 की मांग है—जो कि श्रृंखलाक्रम के बिल्कुल नीचे है । उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहन देने का एक मात्र और अत्यन्त ही प्रभावशाली ढंग यह है कि इसके संयन्त्र को उसी राज्य में खोला जाये, जहां कम खपत होती हो । जहां कहीं भी उन्हें स्थापित किया जाता है, उर्वरक संयन्त्र की उपस्थिति, उस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाये रखती है । अतः मैं मन्त्री महोदय से इस सुझाव को मस्तिष्क में रखने का, आग्रह करूंगा कि नये सयन्त्रों को स्थापित करते समय, जहां मूल कच्चे माल या साज-सामान की समस्याएं मुख्य आधार पर नहीं बनती हों कम उपभोक्ता वाले राज्यों को वरीयता देने की नीति को, अपनाया जाना चाहिये । राजस्थान सरकार ने चितौड़गढ़ में एक उर्वरक संयन्त्र लगाने का सुझाव दिया है । इस पर अमल किया जाना चाहिये । कच्चा माल तो वहां पर उपलब्ध है ।

इस विभाग के दूसरे पहलू पर आते हुए, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मन्त्रालय द्वारा विदेशी सहयोग के प्रश्न पर अपनाई गई नीति में भ्रामक हूं । ऐसा लगता है कि यहां दो अतिवादिताओं को अपनाया गया है : औषधियों के निर्माण में, जो विदेशी कम्पनियां यहा औषधियां तैयार कर रही हैं, उनके साथ 'अछूत' का सा व्यवहार किया जाता है और नई औषधिया तैयार करने के लिए, उनकी जानकारी और कौशल पेश कश को स्वीकृत नहीं किया जाता, जबकि उर्वरक के क्षेत्र में, हमारे स्वयं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर, विदेशी प्रौद्योगिकी को वरीयता प्रदान की जाती है । इस मामले को लेकर प्रेम और अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं । अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे विदेशी प्रौद्योगिकी के मामले में चाहे यह औषधियों के क्षेत्र में हो, अथवा उर्वरको के क्षेत्र में–एक अंकुरण-क्षम दृढ़ और एक रूप नीति का विकास करें । एक ऐसी नीति को विकसित करें जो राष्ट्र के भारी हित में हो और अन्ततः जिसके दो उद्देश्य हों : सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी और आत्म विश्वास । इन शब्दो के साथ, इन टिप्पणियों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं, आपको तथा मन्त्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री के०टी० कोसलराय (तिरुचेंडूर) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री बहुगुणा को, डीजल के अभाव के बारे में कुछ बातें सुझावा देना चाहता हूं । मन्त्रिमण्डल के, निस्सन्देह वे एक गतिशील मन्त्री है । इस बात को तो हरकोई जानता है । डीजल का अभाव तो सारे ही देश में है, विशेषकर मेरे जिले में है । मैं कल ही अपने जिले से हो कर आया हूं । वहां पर तो इतना अधिक अभाव है कि वितरण प्रणाली बहुत ही कष्टकारक ढंग तक बिगड गई है । वे इस समस्या को कैसे दूर कर रहे हैं । कृषको को यहां-वहां भागना पड़ रहा है । उन्हें पांच लीटर भी डीडल नहीं मिल रहा है और यदि पेट्रोल पम्पो वाले 10 लीटर देने लगते हैं तो, यह तुरंत ही भूमिगत हो जायेगा । वे मोटर-लारी मालिको को तो 10 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं और बस मालिको को 20- 25 लीटर । प्रत्येक बस मालिक जिसे कुछ मील तक जाना पड़ता है उसे 70 लीटर तक भी डीजल नहीं मिल पाता, जिससे यात्रियो को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं । डीजल तेल के पेट्रोल पम्पो पर आते ही, वे तुरंत उसे ड्रमो में भरकर किसी दूसरे स्थान पर रखवा देते हैं । वे काले-बाजार में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल विक्रय कर रहे हैं । परसो मैंने जिले के कलक्टर से बातचीत की थी । यह एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति हर कहीं व्याप्त है । जहां तक कृषको का सम्बन्ध है, उन्हें अपने डीजल इंजनो के लिए कम से कम 20 लीटर डीज़ल की आवश्यकता है । उन्हें तो एक सप्ताह में यहां तक कि एक लीटर, भी डीज़ल नहीं मिल पा रहा है । ऐसी बातें हो रही हैं, यही तो मामला है । आप इस वितरण प्रणाली की समस्या से कैसे निपटने जा रहे है आप इसका राशन कैसे लागू करेंगे । आपको तो तुरंत राशन लागू कर देना चाहिये । अन्यथा आप वितरण प्रणाली पर नियंत्रण नहीं रख सकते ।

दूसरी बात मैं मिट्टी के तेल के बारे में, कहना चाहता हूं । तमिलनाडु में लोग यह कहते हैं कि यह तो 'कुधीराई कोम्बू' घोडे के सींग जैसा दुर्लभ हो गया है । जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, गांवो में तो लोगों को यह मिल ही नहीं रहा है । गांवों में तो बिजली भी नहीं है और बहुत से गांवों में ग्रामीणों को बिजली तक भी नहीं दी जाती । आम आदमी, गरीब आदमी, जहां तक कि किसान भी मिट्टी के तेल को प्रयोग में लाते हैं, परन्तु उन्हें यह मिलता नहीं है । आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे ? आपको यह देखना होगा कि वितरण प्रणाली ठीक प्रकारसे काम कर रही है और सरकार का इस पर नियंत्रण हो, चाहे किसी भी अधिकरण के द्वारा ।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : वे तो गतिशील आदमी है ।

श्री के० टी० कोसलराम : हम उन्हें जानते हैं । हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य मन्त्री काल में उन्होंने अत्यन्त ही आश्चर्यजनक काम किये हैं । इस बात को तो हरकोई जानता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इसीलिए मुझे वहां से भागना पड़ा और अब यहां मैं सुरक्षित हूं ।

एक माननीय सदस्य : उनका वापिस जाने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री के० टी० कोसलराम : मेरे जिले में, एक उर्वरक संयंत्र भी है । मेरे मित्र बहुगुणा जी को यह पता है । यह संयुक्त क्षेत्र में कार्य कर रहा है । इसमें करोड़ों रुपया लगाता गया है । रुपया तो स्विटजरलैंड के बैंको में जमा कर दिया गया है, जो की निजी क्षेत्र ने इस एकक का शोषण करके कराया है । उन्होंने ईसका दुरुपयोग किया है । सौभाग्य से श्री बहुगुणा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को वहां नियुक्त कर दिया है । अब यह ठीक प्रकार से चल रहा है । परन्तु अब कोई पिछले तीन या चार मास से बन्द कर दिया गया है । कारण मुझे पता नहीं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कोयले के कारण ।

श्री के० टी० कोसलराम : आपके सहकर्मी बैठे हैं तथा वे इसके बारे में बतायेंगे कि उनके पास लाखो टन कोयला है । है । वे दोष रेलवे के माथे मढ़ देंगे । रेल मन्त्री प्रो० दण्डवते कहेंगे कि जितने भी, रेल के डिब्ब आपको चाहिये, वे आपको देने को तैयार हैं । इस ढंग से, हम आखिर जा कहां रहे है ? परन्तू एस० पी० आई० सी० तो कोयले के अभाव में बन्द हो ही गया । मन्त्री महोदय को एस० पी० आई० सी० के कार्यें की जांच करानी चाहिये । यह एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है । इस बारे में उनसे पहले ही मिल चुका है । धन का दुरुपयोग करके उसे स्विस बैंकों में जमा करा दिया गया है । अब से बाद में, उन्हें यह अपनी नीति बना लेनी चाहिये कि संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में, प्रशासनिक शक्ति प्रायवेट व्यक्तियों, निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के हाथ में नहीं दी जानी चाहिये । सरकार को चाहिये कि वह संयुक्त क्षेत्र पर नियन्त्रण रखे, निजी-उद्योगपतियों पर नहीं । उन्हें एस० पी० आई० सी० के मामले की, कार्यों की पूर्ण जांच करानी चाहिये । जिन लोगों ने धन की ठगी की हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिये । कावेरी कराईकल के समुद्र-तटीय खुदाई क्षेत्र में क्या क्या घटित हुआ है ? कुछ समय पूर्व उनके मन्त्रालय ने कहा था कि इसमे सफलता मिली है । अचानक सभी लोग कहीं दुर चले गये हैं । मैं नही जानता कि क्या लोग वहां पर काम कर रहे हैं या नहीं

[श्री के० टी० कोसलराम]

और अब यह किस अवस्था में है। मैं चाहता हूं कि श्री बहुगुणा जी यह देखें कि कावेरी-कराईकल क्षेत्र में उचित ढंग से खुदाई होनी चाहिये । उन्हें, डीजल, मिट्टी के तेल और औषधियों के बारे में भी, उचित कार्यवाही करनी चाहिये। घटने के बजाय, दवाईयों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इस पर नियन्त्रण किया जाना चाहिये और कीमतें बढ़नी नहीं चाहिये। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मेरे चुनाव क्षेत्र के साहूपुरम अरुमुगानेरी के प्लास्टिक और राल (रेसीन) एककों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके, फिर से चलवाएं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सम्बध में निम्न लिखित कटौति प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		श्री के० टी० कोसलराम :		
69	1	श्री के० टी० कौसलराम	तमिलनाडु में साहपुर, अरुमुगनेरी में पिछले तीन वर्ष से बन्द पड़े प्लास्टिक और राल के कारखानों को आवश्यक मात्रा में कच्चा माल सप्लाई करने में असफलता।	राशि को कम करके एक रुपया किया जाय
69	2	श्री के० टी० कौसलराम	च्याईंग केमिकल वर्क्स का हाथ में लेने और प्लास्टिक और राल के रुग्ण कारखाने को चलाने में असफलता।	,,
69	3	श्री के० टी० कौसलराम	अरुमुगनेरी स्थित पी० आर० सी० फैक्टरी को, जो बन्द पड़ी है, आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध करने में असफलता।	,,
69	4	श्री के० टी० कौसलराम	तीन वर्ष से बन्द पड़ी अरुमुगनेरी प्लास्टिक और राल कम्पनी को हाथ में लेने में असफलता जिसके परिणाम स्वरूप 1000 कर्मचारी बेकार पड़े हैं।	मांग म 100 रुपये कम किए जाय।
70	8	श्री के० टी० कौसलराम	तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पेट्रोल और मिट्टी के तेल के लिए और अधिक वितरण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।
70	9	श्री के० टी० कौसलराम	कावेरी के बेसिन और कोरोमण्डल तट पर छिद्रण कार्य को चालू रखने की आवश्यकता।	,,
		श्री ए० के० राय :		
69	16	श्री ए० के० राय	एफ डी पी एल सिन्दरी द्वारा निर्मित केटेलिस्ट की किस्म में निरन्तर गिरावट और अनुसंधान और विकास डिविजन में नेतृत्व का अभाव।	,,
69	17	श्री ए० के० राय	भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के कोयला भट्टी संयन्त्र को बी०सी०सी०एल० को बेचने का प्रयास।	,,
69	18	श्री ए० के० राय	भारतीय उर्वरक निगम के प्रशिक्षण केन्द्र को सिन्दरी से स्थानान्तरित करना और एफ०डी०पी०एल० के कृषि अनुसंधान और फार्म सम्बन्धी गतिविधियों को अस्त-व्यस्त करना।	,,
69	19	श्री ए० के० राय .	भारतीय उर्वरक निगम के मुख्यालय को बिहार, विशेषरूप से सिन्दरी में स्थानान्तरित करने में विलम्ब।	,,
69	20	श्री ए० के० राय .	देश में उपलब्ध एफ०डी०पी०एल० सिन्दरी की तकनीकी जानकारी की अवहेलना करके बम्बई हाई से मिलने वाली पैट्रोलियम गैसों के आधार पर विदेशी सहयोग से 4 सुपर उर्वरक कारखाने स्थापित करना।	,,
69	21	श्री ए० के० राय .	एफ०डी०पी०एल० सिन्दरी के कार्य में धीरे-धीरे गिरावट आना जिसके परिणामस्वरूप इंजीनियर और तकनीशियन बिना किसी काम के खाली रहते हैं।	,,

1	2	3	4	5
69	68	श्री ए० के० राय .	उर्वरक उद्योग के लिए नए वेतन बोर्ड के बारे में कर्मचारियों के साथ बातचीत आरम्भ करने की आवश्यकता ।	राशि को कम करके एक रु० किया जाये ।
69	69	श्री ए० के० राय	फर्टिलाइजर वर्कर्स फेडेरेशन आफ इण्डिया को मान्यता देने से इन्कार और उसके विरुद्ध भेद-भाव पूर्ण रवैया अपनाना ।	,,
69	70	श्री ए० के० राय .	उर्वरक कारखानों और उनके आस-पास के गांवों के बीच सम्बन्धों का विकास करने में विफलता ताकि उर्वरकों के ठीक उपयोग द्वारा वैज्ञानिक ढंग से खेती को प्रोत्साहन मिल सके ।	,,
69	71	श्री ए० के० राय	सिन्दरी के माडर्नाइजेशन और रेशनेलाइजेशन प्लान्ट चालू करने और वहां उत्पादन आरंभ करने में विलम्ब ।	,,
69	72	श्री के० ए० राजन .	मिट्टी का तेल लोक वितरण व्यवस्था के माध्यम से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में विफलता ।	,,
71	73	श्री ए० के० राय	विभिन्न उपक्रमों में निरन्तर चलने वाले कार्यों के लिए रुके श्रमिकों का, उन्हें बिना विभागीय कर्मचारी बनाए अथवा नियमित किये, काम पर लगाना ।	,,
71	74	श्री ए० के० राय .	दिल्ली में भारतीय उर्वरक निगम के मुख्यालय पर किया जाने वाला भारी व्यय ।	,,
71	75	श्री ए० के० राय	भारतीय उर्वरक निगम और भारतीय उर्वरक आयोजन तथा विकास निगम के सिन्दरी कारखाने की सहायता से बलियापुर खण्ड का विकास करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० कम कर दिए जाए
71	76	श्री ए० के० राय .	सिन्दरी के भारतीय उर्वरक निगम कारखाने में अमोनिया तैयार करने के लिये कोयला पर आधारित पुराने तरीके और नेपथा पर आधारित नये तरीके का समन्वय और मेल ।	,,
71	77	श्री ए० के० राय .	भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने में टार डिस्टीलेशन प्लांट का लगाया जाना और उसका विकास ।	,,
71	78	श्री ए० के० राय .	सिन्दरी के रेशनेलाइजेशन प्लांट से निकलने वाली गैस के कारण आसपास के जिन किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है उन्हे मुआवजा देना ।	,,
71	79	श्री ए० के० राय .	सिन्दरी के निकट रोहड़ाबन्द के ग्रामीणों की 28 वर्ष में दुसरी बार पुनर्वास की समस्या ।	,,
71	80	श्री ए० के० राय श्री रेणुपद दास .	भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी समस्याएं ।	
70	22	श्री रेणुपद दास .	पैट्रोलियम उपादानों की प्रगति की गति को नियंत्रण में रखना, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है ।	राशि को घटा कर 1 रु० कर दिया जाए ।
70	23	श्री रेणुपद दास .	सरकारी क्षेत्र की उर्वरक उद्योग को बहु-राष्ट्रीय फर्मों को बेचने का विरोध करने में असफलता ।	,,
70	24	श्री रेणुपद दास .	सुदुर स्थित स्थानों और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की बिक्री के लिये राज सहायता योजना को, जो लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन थी, लागू करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० कम कर दिए जाए ।

1	2	3	4	5
70	25	श्री रेणुपद दास	डीजल में मिलावट के लिये मिट्टी के तेल का अवैध उपयोग रोकने तथा इस प्रकार की मिलावट करने वाले और मुनाफाखोरों को दण्ड देने में असफलता ।	राशि में से 100 रु कम कर दिए जाए
70	26	श्री रेणुपद दास	देश के बहुत से भागों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में डीजल और मिट्टी के तेल की सामान्य सप्लाई को बनाने में असफलता ।	,,
70	27	श्री रेणुपद दास	देश के अधिकतर भाग में डीजल और मिटटी के तेल को बढ़ी हुई मांग को पुरा करने में असफलता ।	,,
69	28	श्री रेणुपद दास	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादुन में 240 दिन का सेवाकाल पूरा होने पर नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने की आवश्यकता ।	राशि को घटा कर 1 रु० कर दिया जाए ।
69	29	श्री रेणुपद दास .	हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना करने की आवश्यकता ।	,,
69	30	श्री रेणुपद दास .	पश्चिमी बंगाल में गंगा के बेसिन में चुने हुए क्षेत्रों में छिद्रण करने की आवश्यकता ।	,,
69	31	श्री रेणपद दास .	पश्चिम बंगाल के बकुलताला, लक्ष्मीकान्तपुर, गलसी, बोदरा और देवग्राम स्थानों पर पांच हजार मीटर तक गहरा छिद्रण करने के लिए अधिक संख्या में शक्तिशाली रिग प्राप्त करने की आवश्यकता ।	,,
69	32	श्री रेणुपद दास .	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादुन के सभी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये समान नीति सुनिश्चित करने में असफलता ।	राशि में से 100रु० कम कर दिए जाए ।
69	33	श्री रेणुपद दास .	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादुन के नैमित्तिक कर्मचारियों. समेत सभी कर्मचारियों रायलटी का समान वितरण किये जाना सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
69	34	श्री रेणुपद दास .	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादुन में रिक्त पड़े पदों को भरने में असफलता ।	,,
69	35	श्री रेणुपद दास .	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादुन के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का दमन किये जाने से रोकने में असफलता ।	,,
69	36	श्री रेणुपद दास .	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को निलम्बित कर सामान्य कार्मिक संघ गतिविधियों का पालन करने में असफलता ।	,,
69	37	श्री रेणुपद दास .	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादुन के अधिकारियों द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कर्मचारी संघ के साथ बातचीत द्वारा विवाद को हल करने और राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान के कार्यकरण में सामान्य स्थिति लाने में असफलता ।	,,
69	38	श्री रेणुपद दास .	रेत आदि मिलने के वावजूद बोदरा, कुआं संख्या 1, पश्चिमी बंगाल का कार्य आगे बढ़ाने में असफलता ।	,,
69	39	श्री रेणुपद दास .	एक लाख रुपया व्यय करके आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने पर भी संख्या 3 और 4 कुओं की खुदाई का काम शुरू करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
69	40	श्री रेणुपद दास	देवग्राम में राधाकान्तपुर कुएं के छिद्रण कार्य में गति लाने में असफलता।	राशि में से 100 रु० कम कर दिए जाए।
69	41	श्री रेणुपद दास .	विशेषज्ञों की राय के अनुसार कार्य करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप अक्सर दुर्घटनायें हो रही हैं और पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर आवश्यक गहराई तक छिद्रण न किया जाना।	"
69	42	श्री रेणपद दास .	बिहार में बोदरा कुआं संख्या 1 और पूर्णिमा में असफल छिद्रण करने के समान ही पश्चिम बंगाल में बकुलताला के स्थान पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा शक्तिशाली रिग का उपयोग करने में असफलता।	"
69	43	श्री रेणुपद दास .	पिछले दस वर्षों से पश्चिमी बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की जांच स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा कराने में असफलता।	"
69	44	श्री रेणुपद दास	पश्चिम बंगाल राज्य में कार्बनिक रसायन समूह की स्थापना करने की आवश्यकता।	"
69	45	श्री रेणुपद दास	जैसा कि पहले निर्णय किया गया था पश्चिमी बंगाल के पिछड़े क्षेत्र में हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन का दुसरा कारखाना स्थापित करने में असफलता।	"
69	46	श्री रेणुपद दास .	पश्चिमी बंगाल में औषधि और भेषज उद्योग के विकास में गति लाने की आवश्यकता।	"
69	47	श्री रेणुपद दास .	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा पश्चिमी बंगाल में एक नया कारखाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता।	"
69	48	श्री रेणुपद दास .	पश्चिमी बंगाल में कीटनाशक निर्माण उद्योग का विकास करने की आवश्यकता।	"
69	49	श्री रेणुपद दास .	पश्चिमी बंगाल में पालिस्टर रेशे का निर्माण करने वाले कारखानों की स्थापना करने की आवश्यकता।	"
69	62	श्री रणुपद दास .	भारतीय उर्वरक (आयोजन तथा विकास) लिमिटेड के एक पृथक कम्पनी बन जाने के बाद भी प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करने में असफलता।	"
69	63	श्री रेणुपद दास .	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उर्वरक उद्योग में पूरा नियंत्रण प्राप्त करने को रोकने में असफलता।	"
69	64	श्री रेणुपद दास .	पिछले दशक में भारतीय उर्वरक (आयोजन और विकास) निगम द्वारा बनाई गई निर्माण क्षमता और संयंत्र तथा उपकरण डिजाइन उपलब्ध होने के बावजूद 900 टीपीडी क्षमता वाले संयंत्र का विकास करने तथा उसे संरक्षण प्रदान करने में असफलता।	"
69	65	श्री रेणुपद दास .	पश्चिमी तट पर 4 गैसों पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के रख-रखाव के लिये विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्थान पर भारतीय उर्वरक (आयोजन और विकास) निगम को मुख्य ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने में असफलता।	"

1	2	3	4	5
69	66	श्री रेणुपद दास	भारतीय उर्वरक (आयोजन और विकास) निगम को विदेशी प्रविधि और तकनीकी ज्ञान सीधे खरीदने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० कम कर दिए जाए
69	67	श्री रेणुपद दास	भारतीय सरकारी उद्यमों में विदेशी गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों और कथित तकनीकी जानकारी की घुसपैठ रोकने में असफलता ।	,,
		श्री मुकुन्द मण्डल		
69	50	श्री मुकुन्द मण्डल	श्रेणी 1, 2 और 3 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने में असफलता ।	
69	51	श्री मुकुन्द मण्डल	विदेशी औषध कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
69	52	श्री मुकुन्द मण्डल	बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा चलाये जा रहे औषध उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
69	53	श्री मुकुन्द मण्डल	औषध उद्योग में नई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति न देने की आवश्यकता ।	,,
70	54	श्री मुकुन्द मण्डल	थोडी सी खुदाई के बाद किसी स्थान पर और खुदाई न करने के स्थान पर तल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गहरी खुदाई करने की आवश्यकता ।	,,
70	55	श्री मुकुन्द मण्डल	मिट्टी के तेल के उत्पादन, मूल्य और वितरण के संबंध में व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता ।	,,
	56	श्री मुकुन्द मण्डल	गरीब ग्रामीणों को मिट्टी का तेल रियायती दरों पर देने की आवश्यकता ।	,,
	57	श्री मुकुन्द मण्डल	तेल के निक्षेपों के लिये प्रसिद्ध बंगाल की खाड़ी के तट दुर क्षेत्र में तेल की खोज करने की आवश्यकता ।	,,
71	58	श्री मुकुन्द मण्डल	भेषजों और औषधियों की उपलब्धता के लिये विशिष्ट नीति अपनाने की आवश्यकता ।	,,
70	59	श्री मुकुन्द मण्डल	दवाइयों के देश में उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।	,,
71	60	श्री मुकुन्द मण्डल	उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि रोकने में असफलता ।	,,
71	61	श्री मुकुन्द मण्डल	दवाइयों की लोक वितरण व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता ।	,,

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : सभापति महोदय, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे सौराष्ट्र में जिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है वह हैं डी०ए०पी० यूरिया और अमोनियम सल्फेट। 1971 में 1 टन डी०ए०पी० का भाव 1345 रुपये था। 1972 में 1402 रुपये, 1973 में 1817 रुपये, 74 में 2617 रुपये, 77 में 2900 रुपये और अभी 78 में इसका भाव 2600 रुपये है। डी०ए०पी० के भाव आठ साल में 1345 से 2600 रुपए यानी दोगुने हो गए। यूरिया का भाव भी 1971 में 950 रुपए था, 1977 में 1300 रुपए था और 1979 में 1400 रुपए हो गए। इसी तरह से अमोनिया का भाव भी बढ़ा है।

19 मार्च, 1979 को मेरे प्रश्न सं० 3610 के उत्तर में कृषि मंत्री, श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने बताया था कि हमारे देश में 1978-79 क दौरान खपत हुई रासायनिक उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार है :

नाइट्रोजन	34.09 लाख मी० टन
फास्फेट	10.50 ,,
पोटाश	6.26 ,,
योग	50.85 लाख मी० टन

अपने उत्तर में आये उन्होंने बताया कि 1982-83 तक उर्वरकों के पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़कर 78 लाख मी० टन हो जायगी । लेकिन यह कैसे हो जायेगी—इसका कोई भी इशारा रिपोर्ट में नहीं है । सरकार ने उर्वरक पर 50 प्रतिशत एक्साइज़ ड्यूटी कम की है लेकिन कम्पनी वालों ने तीन-चार महीनों में 6 से 8 परसेंट भाव बढ़ा दिए हैं । एक तरफ आप एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं लेकिन कम्पनी वाले अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं । तो इसकी जांच होनी चाहिए । फर्टिलाइज़र का दाम अभीतक एक हजार किलोग्राम का कम से कम 800 रुपया है और ज्यादा से ज्यादा 2200 रुपया है । एक किलो फर्टिलाइज़र का दाम एक रुपए से लेकर दो रुपए तक आता है । मेरी राय में फर्टिलाइज़र का दाम 800 से घटाकर 400 और 2000 से घटाकर 1000 रुपए होना चाहिए । एक किलो अनाज का जितना दाम है उससे ज्यादा फर्टिलाइज़र का भाव नहीं होना चाहिए । इसलिए मैं जानना चाहता हूं दाम कम करने के लिए आपका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

मेरा दुसरा प्वाइंट सौराष्ट्र क्षेत्र में ताप्ती गैस पाइप-लाईन के बारे में है । गुजरात सरकार की मांग है कि ताप्ति गैस क्षेत्र की स्थापना हो जाती है तो सौराष्ट्र में विद्युत उत्पादन आदि के उपयोग के लिए इस गैस को सौराष्ट्र में कोई एक स्थान तक पाइप द्वारा पहुंचाने के लिए क्या कदम उठायेंगे ? गुजरात में, खासकर सौराष्ट्र में बिजली उत्पादन की बहुत कमी है । मैं जानना चाहता हूं क्या आप कोई टाइम मुकर्रर करना चाहते हैं कि कबतक ताप्ति गैस गुजरात को मिलनी शुरु हो जायेगी और अगर मिलेगी तो विद्युत उत्पादन के लिए मिलेगी या नहीं ?

गुजरात सरकार न इसी प्रकार से बाम्बे हाई से मिलने वाली गैस के सम्बन्ध में भी अपनी मांग रखी है । मैं अधिक न कहते हुए इतना ही जानना चाहता हूं कि बाम्बे हाई की गैस मिलनी है तो वह कब मिलेगी और किस स्थान पर मिलेगी । हमारी सरकार कहती है कि 1979 में मिलेगी और आप कहते हैं कि 1981 या 1982 में मिलेगी । इसलिए आप सच बात बतायें कि कब मिलेगी और कहां मिलेगी ।

एक बात में गैस कनेक्शन के बारे में भी कहना चाहता हूं । हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और 20 प्रतिशत शहरों में रहती है । अभीतक गैस का जो वितरण हुआ है उसमें 20 प्रतिशत शहर में रहने वालों को 90 प्रतिशत मिली । यानी आप जो गैस के कनेक्शन दे रहे हैं वह 20 प्रतिशत लोगों को 90 प्रतिशत गैस दे रहे है । 80 परसेन्ट ग्रामीण लोगों के लिये 10 परसेन्ट दिया है और उस में भी जो लोक गांवों में रहते हैं, वे अपना नाम शहरों में लिखवाते हैं, तब उन को मिला है । इस लिये अब आप जो नई एजेंसिया सारे देश में देना चाहते है या गुजरात में देना चाहते हैं, उन में 50 प्रतिशत एजेन्सियां देहातों में दीजिये । यह काम कैसे किया जायगा—मैं आप को बतलाना चाहता हूं—हमारे यहां देहातों में हर जगह सहकारी समितियां हैं, ताल्लुका सहकारी संघ है, डिस्ट्रिक्ट सहकारी संघ हैं, आप उन की मारफत गैस का वितरण कर सकते हैं । अभी थोड़ी देर पहले हमारे मोहन धारिया साहब ने कहा है—देश में एक नई वितरण प्रणाली शुरू होनेवाली है—मेरा ख्याल है कि उस के साथ आप इस का कुछ तालमेल बैठा दीजिये और सहकारी समितियों की मारफत इस का वितरण होना चाहिये तथा देहातों का हिस्सा इस में 50 प्रतिशत होना चाहिये ।

जनजीवन की सुरक्षा के लिये दवाओं का उत्पादन होता है । 1976-77 में 150 करोड़ रुपये के बल्क-ड्रग का उत्पादन हुआ और आयात 82 करोड़ रुपये का हुआ । 1977-78 में 164 करोड़ रुपये के बल्क-ड्रग का उत्पादन हुआ और आयात 147 करोड़ रुपयें का हुआ । 1978-79 में उत्पादन 180 करोड़ रुपये का हुआ, आयात की फिगर्स अभी उपलब्ध नहीं है । इन आंकडों को देखने से मालूम होता है कि तीन वर्ष में बल्क-ड्रग का उत्पादन केवल 20 प्रतिशत यानी 30 करोड़ रुपये का बढ़ा है, जब कि आयात दुगना हुआ है । अगले चार वर्षों में आप चाहते हैं कि 445 करोड़ तक बढ़, तब दवाइयां मिल सकेंगी--मैं समझता हूं ऐसा नहीं हो सकेगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 1982-83 तक आप 625 करोड़ का उत्पादन करना चाहते हैं, 1978-79 में 180 करोड़ रुपये का हुआ है, बाकी चार सालों में 445 करोड़ रुपये का करना है, इस के लिये हर साल 111 करोड़ का उत्पादन बढ़ाना होगा—मैं नहीं समझ पा रहा हूं यह कैसे हो सकेगा ?

इस में दिक्कत यह है कि आप ने जो जीवन की जरुरी खास 25 दवायें हैं, उन को पब्लिक सैक्टर के लिये रिजर्व कर दिया है । अब पब्लिक सैक्टर की हालत को देखना जरूरी है । पब्लिक सैक्टर में 1975-76 में 43 करोड़ का बल्क-ड्रग का उत्पादन हुआ, जिस में पूंजी लगी 115 करोड़ रुपये । 1976-77 में 48 करोड़ का उत्पादन हुआ, जिस में पूंजी लगी 128 करोड़ रुपये । 1977-78 में 45 करोड़ का उत्पादन हुआ, जिस में पूंजी लगी 146 करोड़ रुपये । 1978-79 के आंकड़े अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसे ही होंगे । इस से स्पष्ट पता चलेगा कि पब्लिक सैक्टर में जहां 31 करोड़ की पूंजी बड़ी है—वहां उत्पादन में केवल 2 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है—इस तरह से काम कैसे चलेगा । दुसरी ओर—

13—173 L.S.S. (ND)/79

[श्री धर्मसिंह भाइ पटेल]

प्राइवट सैक्टर में आप के पास 50-60 एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं, लेकिन आप उन को मन्जूरी नहीं देते हैं। आज पब्लिक सैक्टर की जो हालत है, उस को देखते हुए--मेरे ख्याल से जैसा कागज़ में हुआ, लोहे में हुआ, सीमेन्ट में हुआ, 4 सालों में दवाओं के मामले में भी वही हालत पैदा हो जाएगी--इस में मुझे कोई शंका नहीं है।

हिन्दुस्तान टाइम्स में 20 अप्रैल, 1979 के अखबार में एक लेख है—नया औषधि आदेश अव्यवहारिक—मैं इस को पूरा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

दि इंडियन ड्रग मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन, दि आल इंडिया मैन्यूफेक्चरर्स आर्गनाइजेशन, दि फार्मेस्युटिकल और अलाइड मैन्युफेक्चरर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन लिमिटेड और दि आर्गेनाइजेशन आफ फार्मेस्युटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया--इन चार संस्थानों ने आप के पास अपने आवेदन पत्र भेजे हैं।

हिन्दुस्तान टाइम्स के 18 अप्रैल के पत्र में लिखा है—

"औषधि उत्पादन में निवेश मंदी"।

"स्थिर निवेश का सभी औषधि एककों पर कुप्रभाव"

इस में भी इस का बहुत जिक्र है।

इस के बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए दवाइयों की जो रिजर्व्ड लिस्ट बनाई है, वह रद्द कर दी जाए और इस में दो लिस्टें होनी चाहिए, एक हार्ड टेक्नोलाजी वाली दवाइयों की और दुसरी लो टेक्नोलोजी वाली दवाइयों की। इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लाइसेन्सों के लिए जो 50 या 60 एप्लीकेशनस् अभी पेन्डिग पड़ी हुई हैं, उन को मंजूर करने में क्या दिक्कतें हैं, उन को खत्म करना चाहिए और उन को मंजूर करना चाहिए।

अन्त में मैं पेट्रोलियम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं सदन के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। आज आप यह देखें कि पेट्रोल और डीजल का भाव देश में कितना है और देश में जो 11,000 छोटे छोटे पेट्रोल डीलर्स हैं, उन को कितना कमीशन मिलता है। जहां तक पेट्रोल का सवाल है, कम्पनी का भाव एक लीटर पेट्रोल का 1.03 रु० है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक्साइज 2.75 रु० लीटर पेट्रोल पर है, गुजरात सैल्स टैक्स 0.50 रुपये है और डीलर्स कमीशन 0.05 रु० है। इस तरह से जूनागढ़ में एक पेट्रोल लीटर का मूल्य 4.33 रु० पड़ता है, वहां 4.33 रु० में पेट्रोल बेचा जाता है। जो खुदरा काम करने वाले पेट्रोल डीलर्स हैं, उन को एक लीटर पर सिर्फ 5 पैसे ही मिलते हैं।

इसी तरह से हाई स्पीड डीजल आयल के दाम आप देखें। उस का कम्पनी रेट 86 पैसे, सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक्साइज 50 पैसे, गुजरात सैल्स टैक्स 18 पैसे और डीलर्स कमीशन 2 पैसे है और इस तरह से एक लीटर हाई स्पीड डीजल 1.56 रु० में बेचा जाता है।

अब मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि सन् 1955 और 1979 में पेट्रोल में कितना इन्क्रीज और डिक्रीज हुआ है। 1955 में जो एक लीटर पेट्रोल 55 पैसे में मिलता था, वह 1-4-79 को 4.33 रु० हो गया। तो यह कितने प्रतिशत इन्क्रीज हुआ ? 675 पर सेन्ट। हाई स्पीड डीजल जो एक लीटर 23 पैसे का 1955 मे मिलता था, उस के दाम 1-4-79 को 1.56 रु० हो गये यानी 580 प्रतिशत इस के दाम बढ़ गये। पेट्रोल डोलर्स का जो कमीशन 1955 में 7.5 प्रतिशत था वह अब 1.15 प्रतिशत रह गया है यानी 850 प्रतिशत उन का कमीशन कम हो गया है। हाई स्पीड डीजल पर 1955 में जो उन को 7.4 प्रतिशत कमीशन मिलता था, वह अब 1.30 प्रतिशत हो गया है। यानी 825 प्रतिशत कमीशन कम हो गया है।

अन्त में मैं अपनी कुछ मांगें रखना चाहता हूं। बहुगुणा साहब ने तो सदन के सामने बहुत मागें रखी हैं, मैं सिर्फ 7, 8 छोटी मांगें ही आप के सामने रखना चाहता हूं।

(1) नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश युक्त फर्टीलाइजर्स के प्रति टन जो अब 800 से 2200 रुपये तक दाम हैं, इन्हें कम कर के 400 से 1000 रुपये तक लाना चाहिए।

(2) कीटनाशी और रोगनाशी दवाइयों के जो अब दाम हैं, इन को भी आधे करना चाहिए।

(3) ताप्ती गैस योजना का काम तुरन्त चालू कर के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र को विद्युत उत्पादन के लिए गैस दिया जाये।

(4) बम्बई हाई में से गुजरात को गैस देने के लिए गुजरात की भूमि में पाइप लाइन ले जाने का स्थान और समय निश्चित रूप से जाहिर कर के गुजरात की जनता और सरकार की आशाएं पूरी करें।

(5) दिये जाने वाले नये गैस कनेक्शनों में से 50 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण जनता के लिए रखा जाये और सहकारी समितियों के माध्यम से नई डीलर्स ऐजेन्सियां दी जाएं।

(6) दवाइयों के उत्पादन के बारे में जो करीब 60 एप्लीकेशन्स चार सालों से पेन्डिग पड़ी हुई हैं, उन्हें उत्पादन करने की अनुमति दी जाए।

(7) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के अबके दाम देख कर 11,000 पेट्रोल डीलर्स के कमीशन की दर को बढ़ाया जाए।

(8) फर्टीलाइजर्स और कीटनाशी तथा रोगनाशी दवाइयों पर जो एक्साइज ड्यूटी है उस को रद्द कर दिया जाए, ताकि इन का ज्यादा इस्तेमाल किसान कर सकें।

मेरी ये कुछ मांगें हैं, जिन्हें मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री जी स्वीकार करेंगे। उनका नाम ही बहुगुणा जी है और वे अपने गुणों के आधार पर इनको स्वीकार करेंगें, ऐसी मरी आशा है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तुर) : महोदय, हमारे यहां पेट्रोल, कच्चे तेल, मिट्टी के तेल और अन्य चीजों की कमी है। हमें ये अरब देशों से प्राप्त करनी हैं। आरम्भ से ही हम उनका समर्थन करते रहे हैं। हम तीसरे विश्व के देशों में से हैं और हमें सहायता की आवश्यकता हैं। उन्हें मदद करने के बावजद, हमारे उनके साथ होने के बावजूद भी हमें उनसे कोई सहायता अथवा रियायत नहीं मिली है। केवल हमें ही नहीं किन्तु किसी भी अविकसित तथा विकासशील देश को उनसे कोई भी ऐसी सहायता नहीं मिली है जैसी कि हम उनसे आशा करते थे। विकसित देशों की उन्होंने काफी हदतक अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। केवल तीसरे विश्व के देशों को ही तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हानि हुई है। मुझे आशा है कि हमारी सरकार तथा तीसरे विश्व के देश उनके पास इस बात को उठायेंगे।

जहां तक पेट्रोल का सम्बन्ध है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उनके पास खोज के लिए काफी धनराशि है। मैं चाहता हूं कि उन्हें अधिक धनराशि दी जानी चाहिए ताकि वे तेल की खोज कर सकें और इसे निकाल सकें। मुझे विश्वास है कि बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर में ऐसे कई स्थान हैं जहां से हमें पेट्रोल मिल सकता है। अतः हमें अन्वेषण को अधिक महत्व देना है।

मुझे प्रसन्नता है कि हमने रूस के साथ कच्चे तेल के आयात के लिए एक करार किया है। यह दोनों ओर से हमारे लिए लाभदायक है। एक ओर हम उन्हें चावल निर्यात कर रहे हैं, दुसरी ओर हमें कच्चा तेव मिल रहा है। हमें यह भी देखना है कि हम क्या हम दुसरे देशों से भी कच्चा तेल प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय : वे सोमवार को अपना भाषण जारी रखें।

विधेयक पुरःस्थापित

सभापति महोदय : सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य लेगी।

(1) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वजन-प्रसारण विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू : (चित्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वजन-प्रसारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वजन-प्रसारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(2) अनन्तिम कर-संग्रह (संशोधन) विधेयक

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनन्तिम कर-संग्रह (संशोधन) अधिनियम, 1931 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनन्तिम कर-संग्रह (संशोधन) अधिनियम, 1931 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

यदि यह विधेयक इस वर्ष कानून बनता है तो अगले वर्ष मंत्रालयों की मागों के लिए गिलोटिन का प्रयोग न करना पड़ ।

---

(3) सरस्वती महल पुस्तकालय विधेयक

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तंजावुर स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय को राष्ट्रीय महल का संस्थान घोषित करने तथा इसके प्रशासन और कतिपय अन्य सम्बद्ध मामलों क उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तंजावुर स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय को राष्ट्रीय महल का संस्थान घोषित करने तथा इसक प्रशासन और कतिपय अन्य सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 125 और 127 का संशोधन)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, म विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री रामजेठमलानी यहां उपस्थित नहीं है

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अलीगढ़ (मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे । श्री बनातवाला अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय इस बात की पुष्टि करने वाले सदस्यों की कमी नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम स्वरूप का विश्वविद्यालय है । आप तिल-तिल पर क्षण-क्षण का इतिहास देखिए । यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि इस विश्वविद्यालय का स्वरूप आवश्यक रूप से अल्पसंख्यक स्वरूप है । यह पहले अलीगढ़ में मोहम्मडन-एंग्लो ओरिंटियल कालेज था । जिसे बाद में विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया । डेविड लेजीवेल्ड ने अपनी पुस्तक **अलीगढ़-फर्स्ट जनरेशन** के पृष्ठ 146 में इस प्रकार कहा है :—

"सर सैयद अहमद ने इस बात पर दबाव डाला कि मुसलमानों में शिक्षा की प्रगति तथा प्रचार का कार्य होना चाहिये । अलीगढ़ विश्वविद्यालय विशिष्ठ रूप से मोहम्मडन-एंग्लो आरिंटियल कालेज था ।"

सभापति महोदय, जब प्रधानाचार्य श्री बेक 1833 के अंत में अलीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने इस संस्था को भारतीय मुसलमानों द्वारा स्थापित नए कैम्ब्रिज की संज्ञा दी ।

दिसम्बर, 1898 में अखिल भारतीय मुसलमान शिक्षा सम्मेलन लाहोर में [आ उसमें एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इसके पश्चात् इस संम्मेलन का 16वां अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था तो सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां ने इस विश्वविद्यालय की मुस्लीम आक्सफोर्ड

के रूप में कल्पना की थी। नवम्बर, 1911 में भारत सरकार द्वारा राज्य सचिव को भेजे गए एक संदेश से इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम स्वरूप मिला। मैं चटर्जी जांच समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 111 से उद्धरण देता हूं। संदेश में जो कुछ कहा गया था प्रतिवेदन में उसके बारे में कहा गया है और यह विश्व विद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट करता है :—

"यह नया रुचिकर शैक्षणिक प्रयोग, जिसे सरकार तथा मुस्लिम समुदाय के विश्वास से समर्थन मिल रहा है, इस समुदाय के लिए प्रबोधन तथा समृद्धि का स्रोत होगा और यह सर सैयद अहमद खां के आदर्श कार्य को आगे बढ़ायेगा तथा उनकी ऊंची आशाओं को पूरा करने में सहायक होगा।"

9 अगस्त 1912 को तत्कालीन शिक्षा सदस्य द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधान समिति के प्रेजीडेंट को एक संदेश भेजा गया। उसमें इस प्रकार कहा गया था :—

"अंत के वर्षों में सर सैयद अहमद खान का यह स्वप्न रहा है कि अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।"

जब मैं इस विशेष संदेश का उल्लेख कर रहा हूं तो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। 9 अगस्त 1912 के इसी संदेश में गवर्नर जनरल तथा अन्य एककों की शक्तियों के बारे में कुछ अनुबन्ध किए गए। यह भी अनुबन्ध किया गया कि विश्वविद्यालय का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय रखा जायेगा न कि मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस पर तीव्र प्रक्रिया हुई और संविधान समिति ने, जिसकी बैठक 11 तथा 12 अगस्त को हुई, इस शर्त को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह विश्वविद्यालय मुसलमान अल्प-संख्यकों की संस्था समझी जायेगी और इसका नाम मुस्लिम विश्वविद्यालय ही होगा।

1920 के मूल अधिनियम के प्राक्कथन को देखिए। इसमें विश्वविद्यालय को शिक्षण तथा आवासीय मुस्लिम विश्वविद्यालय बताया गया है। इसे मुस्लिम विश्वविद्यालय कहना और विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के होने से इन्कार करना विवादास्पद है।

इस विश्व विद्यालय का मुस्लिम स्वरूप इतना अधिक है कि वहा के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप के प्रति निष्ठावान होने की शपथ लेनी होती है। चटर्जी जांच समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 105 में निष्ठावान होने के लिए ली जाने वाली शपथ की शब्दावली इस प्रकार है :—

"मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं कहने या आचरण से कोई ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कि मुस्लिम संस्था के रूप में विश्वविद्यालय के स्वरूप के विरुद्ध हो।"

अतः खेद की बात है कि इन सब बातों के बावजूद भी इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम स्वरूप के होने से इन्कार किया जा रहा है।

इतने ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद भी दुर्भाग्य की बात है कि अजीज बाशा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विश्व विद्यालय की स्थापना मुसलमानों द्वारा नहीं की गई थी बल्कि 1920 के अधिनियम के अन्तर्गत इस की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम विश्व विद्यालय की स्थापना केन्द्रीय विधान मंडल ने की थी। यह विचार स्पष्टया बहुत ही संकीर्ण सिद्धांत तथा "संस्थापित" शब्द के अर्थ पर आधारित है। एक प्रमुख संवैधानिक वकील श्री सीरावाय ने अपनी टिप्पणी की कि यह पहला मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ऐसे संकीर्ण सिद्धांत के आधार पर अपना निर्णय दिया। श्री सीरावाय ने ऐसा कन्स्टीट्यूशन आफ ला के खंड I में कहा।

मेरा निवेदन है कि मुसलमान लोग विश्वविद्यालय की स्थापना विधायी प्रक्रम का सहारा लेकर कर सकते थे। उनके पास केवल मात्र यही उपाय था। कानून बिल्कुल स्पष्ट है। मैं हेल्सबरी के लॉज आफ इंगलैंड, तीसरा संस्करण, खंड XIII, पृष्ठ 707 का उल्लेख करता हूं।

यह स्पष्टरूप से व्यक्त किया गया है कि किसी विश्व-विद्यालय का अनिवार्य लक्षण यह है कि इसे सर्वोच्च सत्ता द्वारा संस्थापित किया जाता है। यह अनेक मामलों को उल्लिखित किया गया है। हेल्सबरी के कानून में उपाधियां प्रदान करने के अधिकार के साथ-साथ किसी विश्व-विद्यालय के अनेक गुणों की चर्चा की गई हैं। परन्तु फिर इसमें पृष्ठ 107 पर, सुस्पष्टरूप से कहा गया है, जिसे मैं उद्धृत करता हूं।

"परन्तु विश्व-विद्यालय बनाने की सर्वोच्च सत्ता की किसी प्रकार की व्यक्त इच्छा की अनुपस्थिति में, इन गुणों की विद्यमानता, किसी संस्थान को विश्व-विद्यालय नहीं बना देगी।"

[श्री जी० एम० बनातवाला]

जब वस्तु स्थिति यह है कि किसी विश्व-विद्यालय का आवश्यक लक्षण यह है कि इसे सर्वोच्च सत्ता द्वारा विश्व-विद्यालय के रूप में, वैधानिक प्रक्रिया द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा संस्थापित किया जाता है तो, मेरा निवेदन है कि विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिये मुसलमानों के पास केवल यही रास्ता बचा था कि वे सब चीजें जुटाने के बाद वैधानिक प्रक्रिया को भी अपनाते । सच बात तो यह है कि 1920 के अधिनियम ने जो कुछ किया वह यह था कि उसके द्वारा अलीगढ़ का मोहम्मडन-आंग्ल-प्राच्य विद्यालय विश्व-विद्यालय बना दिया गया । एक महत्वपूर्ण मुद्दे को भी मास्तिष्क में रखना होगा । संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड I में, अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसन्द का शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार की बात कही गई है । विश्व-विद्यालय के रूप में निगमन किये बिना, ऐसे किसी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों की वैधानिक मान्यता के बिना, किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले, अपनी पसन्द के शिक्षण संस्थान द्वारा, उनकी पसन्द के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता । अन्य किसी मामले में, अनुच्छेद 30, खण्ड I के अधीन दिये गये अधिकार को, प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । इसलिये, उपाधियों को वैधानिक मान्यता मिलनी चाहिये । अन्यथा, अनुच्छेद 30, खण्ड I, के अधीन मिले अधिकार को प्रभावी ढंग से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । जब वैधानिक स्थिति यह है कि किसी विश्व-विद्यालय की स्थापना केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही की जा सकती है तो, संविधान का यह कहना एक धोखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपना स्वयं का विश्व-विद्यालय स्थापित कर सकता है ।

न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि "शिक्षण संस्थान" शब्द में विश्व-विद्यालय भी सम्मिलित है । अब हमें यह देखना है कि हमारे समक्ष क्या स्थिति है ? एक ओर तो हम कहते हैं कि कोई अल्प-संख्यक वर्ग, विश्व-विद्यालय सहित, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है और दुसरी ओर हम इस विशेष रवैये को अपनाते है कि किसी विश्व-विद्यालय की स्थापना केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही की जा सकती है । मेरा कहना है कि इस प्रकार का रवैया, संविधान के साथ धोखा है । अतः **अजीज बाशा** के मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, एक न्यायिक गलती हुई है । इसने अनुच्छेद 30, खण्ड I, के अधीन मिले सच्चे अधिकार को एक दुःखेदायी भ्रम, एक अवास्तविक वायदा बनाकर छोड़ दिया है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस गलती को ठीक करना अनिवार्य हो गया है और यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति भली-भांति करता है । मैं एक बार फिर उसी बात पर आता हूं जो कुछ सीरवई अपनी "भारत की संवैधानिक विधि" पुस्तक के भाग-I पृष्ठ 614 पर कहते हैं ।

सभापति महोदय : आप पहले ही 20 मिनट का समय ले चुके हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसे राज्य-सभा पहले ही पारित कर चुकी है । विधेयक के अनेक पहलू हैं ।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाये ।

श्री के० गोपाल : ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं । अतः, समय बढ़ा दिया जाये ।

मैं सीरवई को उद्धृत करता हूं उनका कहना है :

"जहां तक न्यायालय द्वारा 'स्थापना' शब्द को दिये गये अर्थ का सम्बन्ध है, यह निवेदन किया जाता है कि अर्थ सही नहीं है । इस बात पर कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता कि 'स्थापना' शब्द का एक अथ 'स्थापित करना' भी है और यह निवेदन किया जाता है कि इस सन्दर्भ में यही इसका सही अर्थ है । जसा कि 'स्थापित करना' शब्द की परिभाषासे, नामशः स्थापित करना, स्थापना करना, विशेषकर धर्मदाय से, स्पप्ट है । मुस्लिम समुदाय ने एक विश्व-विद्यालय की स्थापना की और उसे सम्पूर्ण 'धदाय' प्रदान किया । चाहे न्यायालय द्वारा दी गई परिभाषा नामशः 'किसी विश्व-विद्यालय को स्वमरूप प्रदान करना' सही भी क्यों न हो यह निवेदन किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय ने विश्व-विद्यालय को उसी ढंग से स्वरूप प्रदान किया, जिससे कोई विश्व-विद्यालय खडा किया जाता है, यथा, प्रक्रिया को अपनाकर, इसकी वैधानिक शक्ति ने सर्वोच्च सत्ता द्वारा इसकी स्थापना की । मुस्लिम समुदाय ने विश्व-विद्यालय के लिए भूमि, भवन, महा-विद्यालय और धमदाय प्रदान किये और इनके बिना, विश्व-विद्यालय एक निकाय के रूप में, अयथार्थ कल्पना ही होता ।"

अतः यह मामला बड़ी ही स्पष्ट प्रकृति का है । जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, अज़ीज बाशा के मामले मेरा यह कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा संकुचित और अमान्य अर्थ 'स्थापना' शब्द को देकर अनुच्छद 30,(1) के साथ बड़ा ही अपहित किया है । जैसा कि मैंने कहा है यह कहना परस्पर विरोधात्मक है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय विश्व-विद्यालय की स्थापना कर सकता है और ठीक उसी के साथ-साथ यह कहना कि विश्व-विद्यालय की स्थापना तो केवल संसद के अधिनियम से की जा सकती है । मैंने एक प्रतिष्ठित संवैधानिक अधिवक्ता श्री सीकाई के मत का भी पारायण किया है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के प्रशासन की स्थिति का भी हमें जांच करनी चाहिये । यह कहा जाता रहा है कि प्रशासनिक शक्ति कभी भी पूर्णरूपेण मुस्लिम समुदाय के पास नहीं रही । और इसलिये जैसा कि अनुच्छेद 30, खण्ड(1) में कहा गया है, यह विश्व-विद्यालय कोई अल्पसंख्यक-संस्थान नहीं है । मैं यह कहता हूं कि प्रशासनिक शक्ति को हस्तगत करने के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग ने जो साहस दिखाया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय का समस्त इतिहास इसकी प्रभावपूर्ण ढंग से गवाही देता है । एक उदाहरण के रूप में, में उस घटना का वर्णन करता हूं, जोंकि अलीगढ़ महाविद्यालय के विश्व-विद्यालय बनने से पूर्व घटित हुई ।

22 फरवरी, 1909 को, उप-गवर्नर श्री जॉन हेवेट्ट ने मुस्लिम महा-विद्यालय का दौरा किया और छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य लोगो ने एक प्रशस्तीपत्र प्रस्तुत किया । फिर, अपना उत्तर देते समय, धन्यवाद प्रकट करते समय, गवर्नर कहीं यह कह बैठे कि एक कक्षा में 60 से अधिक छात्र नहीं होने चाहियें और अध्यापक द्वारा लिये जाने वाले पढ़ाई के पीरियड़ों (घन्टों) की संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिये । नबाब वक्र्त मुल्कने, जो कि उस समय महा-विद्यालय के सचिव थे, समय-सारिणी की मांग करते हुए, प्रिन्सीपल महोदय को एक पत्र लिख दिया । प्रिन्सीपल महोदय ने समझा कि यह उनके काम में हस्तक्षेप है और उन्होंने एक प्रतिलिपि उप-राज्यपाल को भेजते हुए नवाब वक्र्त मुल्क को अपना त्याग-पत्र भेज दिया । उप-राज्यपाल ने फैसला दिया । उन्होंने नवाब वक्र्त मुल्क को बुला भेजा, प्रिन्सीपल के पक्ष का समर्थन किया और एक आदेश जारी किया और फिर नवाब वक्र्त मुल्क से भी उस आदेश-विशेष पर हस्ताक्षर करधाये ।

अब मैं श्री रामगोपाल द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय मुसलमान' से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं :

> "मुसलमानों के आत्मसन्मान को ठेस पहुंची है और आन्दोलनकारी प्रवृत्ति बनी है । न्यासधारियों ने एक बैठक की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उप-राज्यपाल को, संरक्षक के रूप में, महाविद्यालय के मामलो में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । भारत में कई कस्बों में मुसलमानो की सार्वजनिक बैठको में विरोध व्यक्त किया गया और बैठक के कार्यवाही वृत्तान्त की प्रतियां उप-राज्यपाल को भेजी जा रही हैं । विरोध के इस प्रदर्शन पर वह झुक गये जिसकी उसने निष्ठावान मुसलमान नेताओं से कभी आशा नहीं की थी । स्वयं उनके सुझाव पर एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया ।"

यह सब उल्लेख करने का प्रयोजन इस बात की पुष्टि करना है कि मुसलमानों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी प्रशासनिक शक्तियो की रक्षा की है । मैंने पहले ही शिक्षा मंत्री के 9 अगस्त, 1912 के संविधान समिति के अध्यक्ष को भेजे गये पत्र का उल्लेख किया है । इस विशेष पत्र में सरकार के तत्कालीन शिक्षा सदस्य ने, जैसा कि मैंने पहले कहा है, जहां तक कुलपति, गवर्नर जनरल और दुसरों की शक्तियों का सम्बन्ध है, कई अनुबन्ध हैं । इन अनबन्धों से गतिरोध पैदा हुआ जो अनेक वर्षों तक चला ।

महोदय, जब हम प्रशासनिक शक्तियों के स्रोत पर विचार कर रहे हैं तो यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि 1920 के मूल अधिनियम में, 1951 में इसमें किये गये संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि न्यायालय के सदस्य केवल मुसलमान ही होगे । वास्तव में वाइसराय जैसे बाहरी प्राधिकारी को शक्तियां दी गई थी किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी शक्तियों का यह अर्थ है कि मुसलमानों के पास ही पूरी तरह से प्रशासनिक शक्तियां नहीं रही, इस बारे में स्थिति 1957 के केरल शिक्षा विधेयक में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है मुख्य न्यायाधिश, दास ने ठीक ही निष्कर्ष दिया है कि किसी शिक्षा संस्थान के प्रबन्ध करने की शक्ति का अर्थ इसके कुप्रबन्ध करने की शक्ति से नहीं है । अतः उचित प्रबन्ध के लिए सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है । अतः मेरा निवेदन है कि

[श्री जी० एम० बनातवाला]

अधिनियम में किसी बाहरी प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में जो विभिन्न उपबन्ध हैं उनका केवल यही प्रयोजन है कि रेक्टर और विजिटर यह देखें कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय कुप्रबन्ध न करे। अतः ऐसी शक्तियों का यह अर्थ नहीं है कि इस समदाय के पास प्रशासन नहीं है।

राज्य सभा में माननीय मंत्री महोदय, डा० पी० सी० चन्द्र ने यह तर्क दिया कि विश्वविद्यालय में गैर-मुसलमान विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया गया है अतः इसका अल्प समुदाय स्वरूप नहीं रह गया है और इसका मुस्लिम स्वरूप नहीं रह गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस बात का श्रेय जाता है कि इसने प्रवेश के मामले में हमेशा उदार नीति अपनाई है। इस संस्थान के इस उदार और धर्मनिरपेक्ष रूख से उसके अल्पमत स्वरूप का अपमान नहीं होता है। वास्तव में सहिष्णुता के सिद्धांत का यह अर्थ नहीं है कि इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और अल्पमत के स्वरूप का निराकरण अथवा तालमेल नहीं बिठाया जा सकता है। इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निपटा दिया जब उसने केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया। राज्य सभा में शिक्षा मंत्री ने जो बात उठाई थी वह पुरानी पड़ गई है। मैं यह इस कारण कहता हूं कि न्यायाधीश ने पहले ही कहा है :

"...इसमें किसी गैर-सदस्य को प्रवेश देकर अल्पमत संस्थान अपने स्वरूप को खो नहीं देता है तथा उसका अल्पमत संस्थान का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। वास्तव में अल्प समुदाय की अलग भाषा, लिपि और संस्कृति की उससे किसी विशेष अल्पमत समुदाय के गैर-सदस्यों में प्रचार करने से अधिक अच्छी सेवा होती है। हमारे विचार से इस शर्त को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में पढ़ना सम्भव नहीं है।"

महोदय, एक और गलत कल्पना की जांच करने की आवश्यकता है।

यह तर्क दिया गया है कि हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची में एक संघ सूची है। संघ सूची की मद संख्या 63 में कतिपय संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय संस्थान कहा गया है। इन संस्थानों में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी नाम है। अतः यह कहा गया है कि संसद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए सक्षम है। अब, महोदय, यह अजीब तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी शक्तियां समुदाय की हैं और संसद का नियंत्रण नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। सातवीं अनुसूची सभा की केवल सक्षमता निर्धारित करती है और ऐसा तर्क सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में अर्थात् केरल शिक्षा विधेयक का मामला, **सिद्धराजभाई** बनाम **गुजरात राज्य,** (1963) 3 एस० सी० आर० 837, **सेंट एक्सेवियरर्स कालेज सोसायटी** बनाम **गुजरात राज्य.** ए० आई० आर०, 1974 एस०सी० 1389, में बार-बार कहा है कि प्रशासन करने के अधिकार का अर्थ कुप्रबन्ध करना नहीं है। यदि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक अल्पमत संस्थान मानते हो तो भी इस संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार कानूनी विनियमन की शक्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 30 इसमें परिपूर्ण है। किन्तु न्यायालयों ने बार-बार यह निर्णय दिया है कि शिक्षा में कुशलता, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के हित में उचित रोक लगाई जानी चाहिए। अधिकार का, सार केवल इसका रोक मुक्त होना है। अतः ऐसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक रूप को कानूनी मान्यता देने से इस संबंध में कानून बनाने का संसद को कोई प्राधिकार नहीं रह जाता। इसका स्वरूप वही बना रहेगा जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है तथा जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित है।

अनुच्छेद 30 का भी यह अर्थ नहीं है कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा ही दी जानी चाहिए। कुछ लोगों को अचम्भा होता है कि इंजीनियरिंग के शिक्षण में चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण में अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रश्न कहा है। वे पूछते हैं कि इंजीनियरिंग के शिक्षण में, चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण में और इन सभी विषयों के शिक्षण में अल्पसंख्यक का प्रश्न कहां आता है? यहां एक और महत्वपूर्ण बात जिसे हमें समझना चाहिए तथा जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा वह है श्री सीरवई की पृष्ठ 603 पर दी गई टिप्पणी है :

"अपनी पसन्द के शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार यहीं तक सीमित नहीं है कि केवल अपनी भाषा या अपने धर्म की शिक्षा दी जाए। ऐसे शिक्षा संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं। अल्पसंख्यक सामान्यतः ऐसे संस्थानों की स्थापना करना चाहेंगे क्योंकि इससे उनके दोनों उद्देश्य, अर्थात् अपने धर्म, भाषा और संस्कृति के संरक्षण और अपने बच्चों को अच्छी सम्मान्य शिक्षा देने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।"

अतः स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । एक ही तर्क बीच में आता है, वह है अजीज भाषा के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय । परन्तु मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह पूछता हूं कि यदि उनके विचार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को फिर स्थापित करने और मान्यता दिलाने में अजीज भाषा के मामले में दिया गया निर्णय बाधा है तो क्या यह तथ्य नहीं है कि यह सदन उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को जिसने देश को गम्भीर क्षति पहुंचाई है यहां तक कि श्री सीरवई ने भी कहा है कि यह निर्णय शरारतपूर्ण है और इसे रद्द किया जाना चाहिए । इसे आप किसी भी दृष्टिकोण से देखे और किसी भी विचार से परखें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरुप की स्थापना करने और मान्यता दिलाने का मामला बहुत ही पक्का है ।

सभापति महोदय, स्थापना के दृष्टिकोण से, प्रशासन के दृष्टिकोण से, विश्वविद्यालय के दृष्टिकोन से, शिक्षा तत्व के दृष्टिकोण से तथा प्रत्येक दृष्टिकोण से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है । इस मामले में पूर्वग्रहों और बहकाए हुए विचारों को आड़े नहीं आने देना चाहिए । अजीज भाषा के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूर्णतया भ्रांतिपूर्ण है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित धर्म-निरपेक्ष की धारणा का उचित रूप से सम्मान किया जाए परिवर्तन लाना जरुरी है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बहुत क्षति पहुंची है । इससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों और संविधान के अनुच्छेद 30 में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष की धारणा को काफी धक्का लगा है । इससे अनुच्छेद 30(1) के बड़े भाग को निष्क्रिय कर दिया है । अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों का शानदार कथन है और यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में अपने सम्पूर्ण रूप में विद्यमान है। ये परम्पराएं राष्ट्रीय परम्पराओं से कोई भिन्न नहीं हैं । अतः सभापति महोदय, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सदन के समक्ष बोलने के लिए खड़ा हूं कि आवश्यक न्याय हो सके । तथ्य मौजूद हैं। मामला बिल्कुल स्पष्ट है ।

अब सभापति महोदय, समाप्त करने से पूर्व मैं सदन का ध्यान श्री हंटर के शब्दों की ओर खींचना चाहता हूं । मैं के० ए० नाज़मी द्वारा लिखित सैय्यद अहमद खान नामक पुस्तक में से उद्धरण देता हूं । श्री हंटर ने इस संस्था के विषय में जो कहा उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "जिन सज्जन पुरुषों ने इस महाविद्यालय का निर्माण किया है, उन्होंने भावी पीढ़ी को एक बहुत ही अच्छा स्मारक वसीयत में दिया है । उन्होंने अपने पीछे एक शानदार स्मारक छोड़ा है यह स्मारक विभिन्न जातियों में परस्पर फूट का नहीं बल्कि समन्वय का द्योतक है । यह स्मारक लाभकारी शक्ति का द्योतक है न कि विध्वंसक शक्तियों का । यह सम्पूर्ण भारत के समक्ष एक ऐसे मुस्लिम संस्थान के रूप में खड़ा है जो शिक्षा के धार्मिक पहलू का धर्मनिरपेक्षता के साथ समन्वय करता है ।"

महोदय, मेरा इस सदन से केवल यही अनुरोध है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि इस उदाहरण को नष्ट न कर दिया जाए, कुचल न दिया जाए । वह दिन इतिहास में काला दिन माना जाएगा कि जब यह सदन अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित धारणा को अपना लेता है जो कि संकीर्ण है और तर्कसंगत नहीं है । मैं सरकार से सभा के प्रत्येक वर्ग से अपील करता हूं कि वह पार्टीगत विचारों से उपर उठें और यह देखे कि अल्प-संख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहे । अजीज बशा के मामले में तथ्यों का पता नहीं लगाया गया । जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है तथ्य स्वीकार किए गए हैं । तथ्यों की कानूनी तौर पर बहुत ही संकुचित व्याख्या की गई है । हम यह नहीं कर सकते कि विश्वविद्यालय केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून से ही उत्साहित किया जा सकता है । साथ ही यह कहें कि अल्पसंख्यक अपने विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं । यह नहीं हो सकता । अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को कानूनी रूप दिया जाए । यह विधेयक राज्य सभा में श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा पेश किया गया और इसकी राज्य सभा में काफी प्रशंसा हुई । आशा है कि यह सभा दलगत विचारों से ऊपर उठकर इस गैर-सरकारी विधेयक का समर्थन करेगा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखने के उद्देश्य से इसको अपना समर्थन देगा । यह विश्वविद्यालय देश के शिक्षा जगत में एक उत्कृष्ठ संस्था है । धन्यवाद ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : सभापति महोदय, इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह है अल्पसंख्यकों क संस्थानों के अपने स्वरूप को बनाए रखना । जो सदस्य इस विधेयक का अस्थायी तौर पर विरोध कर रहे हैं वे भी यह जानते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं ने इस देश में शिक्षा का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है । यह सभी जानते हैं कि लोकतंत्र, विशेषकर भारत जैसे देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनकी सद्भावना पर आधारित है । इसीलिए पिछले 30 वर्षें में—कांग्रेस के शासन में अल्प-संख्यक भारत को वास्तविक धर्मनिरपेक्ष देश समझते थे और उनमें यह भावना बन गई थी कि भारत में इसाई, मुसलमान, सिख, हिन्दु और पारसी में कोई अन्तर नहीं है । इस विषय पर मैं इसी सन्दर्भ में चर्चा करूंगा ।

पिछले दो वर्षों में उनका विश्वास टूटता गया है । वर्तमान सरकार के सदस्य और उसका मार्गदर्शन करने वाली शक्तियां उनके विश्वास को टूटते देखती रही हैं । यह भी सर्वविदित है कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थाएं के अनुशासन और शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है । उनका जीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण भी सर्वविदित है । ये संस्थान उन स्थानों पर काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जहां अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है । इन संस्थाओं का अपना स्वरूप बनाए रखना देना चाहिए तथा उन्हें विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए । वर्तमान सरकार विशेष रूप से सत्ताधारी दल कभी कभी ऐसा रूख अपनाते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित होता है । हमें शिक्षा संस्थानों और मानव प्रयासों में इन विचारधाराओं को महत्व नहीं देना चाहिए ।

महोदय, मैं केरल राज्य का हूं जहां साक्षरता प्रतिशत 80 से अधिक है । वहां अल्पसंख्यक और मिशनरी संस्थाओं द्वारा शिक्षा जगत में बेहतरीन काम किया जा रहा है । बहुधा उनकी स्वतंत्रता और आजादी में दखलअंदाजी की जाती है जिससे उनका विकास रुक जाता है । कई राज्यों में सरकार के रुख के बावजूद शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । मैं भी सत्ताधारी दल में रहा हूं और उसकी सरकार का छः वर्ष तक सदस्य रहा हूं । सरकार के रुख के बावजूद उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हुआ है । अल्पसंख्यक संस्थाएं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि शोषित वर्ग तक को शिक्षा की अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो । पर शासक वर्ग की हमेशा यह कोशिश रही है कि अल्पसंख्यकों और निम्नवर्ग को सामाजिक हैसियत और सामाजिक मान्यता न मिले ।

इस संदर्भ में मैं विधेयक और उसके पीछे जो भावना है उसका स्वागत करता हूं । हमारे जैसा देश जहां लोकतंत्र है और जो धर्मनिरपेक्ष है विश्व को यह विश्वास दिला सकता है कि यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला नहीं जाता । यह वह देश है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है । यहां की शिक्षा संस्थाएं सतत विकसित होती रहेंगी और शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती रहेंगी ।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद (कालीकट) : सभापति महोदय, कई कारणों से बिना भावावेश में आये इस विधेयक पर कुछ बोलना संभव नहीं है और वह भी विशेषकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि इस महान संस्था का छात्र रहा है । यह मेरी मातृ संस्था है । किन्तु फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि भावावेश में न आऊं ।

यह विधेयक अज़ीज बाशा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण आवश्यक हो गया है । संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए 'स्थापित' शब्द की अभिव्यक्ति की व्याख्या करत हुए उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही विस्मयकारी तथा गलत व्याख्या दी है । मैं उस पहलू पर बाद में आऊंगा ।

श्रीमान, श्री बनातवाला ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के विचार तथा इसे कार्यान्वित करने तक के इसके समूचे इतिहास के बारे में बता दिया है । उन्होंने इस विश्वविद्यालय के 1870 के बाद के समूचे इतिहास के बारे में विस्तार से सबकुछ बता दिया है, अतः मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा । किन्तु जहां कहीं आवश्यक होगा, मैं अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना चाहने वाले लोगों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताऊंगा । संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित विचार की भावना तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द के अर्थ तथा क्षेत्र के बारे में विभिन्न वर्गों में काफी गलतफहमी है । जितने बेहतर ढंग से इसे महान विधिवेता, श्री एस० आर० दास ने केरल शिक्षा मामले पर बातचीत करते हुए पेश किया था उससे बढ़िया ढंग से मैं इसे पेश नहीं कर सकता । उन्होंने कहा कि भारत देश ने हजारों वर्षों से असंख्य जातियों अर्थात् आर्यों, यूणों, मंगोलों तथा कई अन्य जातियों का भाषागमन देखा है । यहां कई

आक्रमणकारी, व्यापारी तथा अन्य लोग आये जो अपने यहां की संस्कृति, परम्परा आदि को भी अपने साथ यहां लाये । और आज इस देश में उन लोगों द्वारा लाई गई संस्कृति, परम्परा विचारों को स्थायी स्थान मिल चुका है । धीरे-धीरे इस देश में इन संस्कृतियों का और विकास हुआ । एक दुसरे की संस्कृति के प्रति सहिष्णुता बढ़ी । इस दिशा में लोगों को प्रोत्साहन मिला । और विभिन्न संस्कृतियों का यह विकास भारतीय संस्कृति का आधार बना । श्री एस० आर० दास ने उल्लेख किया है कि यही विचार टैगोर तथा भारती जैसे हमारे महान कवियों के संगीतों तथा कविताओं में है । यही विचार हमारे राष्ट्रीय गान में भी है । उन्होंने कहा है कि इसी महान विचार को संविधान के अनुच्छेद 30 में निगमित किया गया है । ऐसी बात नहीं है कि इस देश में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विशेष व्यवहार करने के लिए तत्कालीन राजनीतियों ने संविधान में यह उपबन्ध किया हो । जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस देश के सांस्कृतिक अस्तित्व तथा परम्पराओं को संविधान के अनुच्छेद 30 में निगमित किया गया है ।

अतः यदि कोई यह सोचता है कि यदि अनुच्छेद 30 के उपबन्धों का आशय किसी समुदाय कोई विशेषाधिकार देना हो या उसके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करना हो तो यह इस देश के इतिहास को विकसित करने वाला विचार होगा । साथ ही यह इस देश की सांस्कृतिक परम्पराओं, ऐतिहासिक तथ्यों तथा संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित भावना के विपरित होगा ।

भूमिका के रूप में यह सब कहने के बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विकास में हुए महत्वपूर्ण प्रमाणकों के बारे में कहना चाहता हूं । जहां तक मुझे याद है 1870 में न्यायाधीश महमूद की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी । उन्हें इस देश का एक महान विधिवेता समझा जाता है । उस समिति ने ही इस देश में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी । उसके पश्चात् जब मोहम्मडन एंग्लो ओरिंटियल कालेज का शिलान्यास किया गया था तो सर सैयद तथा अन्य लोगों ने इस देश में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की । श्री बनातवाला ने इस बारे में कई उदाहरणों, राजनीतिक घटनाओं, तिथिओं अध्यायों आदि के उदाहरण दिए हैं । यह विचार लगभग अर्ध शताब्दी अर्थात् 1870 से 1920 तक बनता रहा । प्रयास किए जाते रहे । और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया । उस समय तीन समितियां पहले ही काम कर रही थी अर्थात् एम०ए०ओ० कालेज सोसाइटी, मुस्लिम विश्वविद्यालय एसोसियेशन तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय फाऊंडेशन कमेटी । ये तीनों समितियां कई वर्षों तक एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के विचार का प्रचार करने तथा इसके लिए धन एकत्रित करने का कार्य करती रहीं । उस समय एक ओर भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही थी तथा दुसरी ओर सेक्रेटरी आफ स्टेट और मुसलमान समुदाय के बीच इस बारे में विचार-विमर्श हो रहा था । सभी दलों को पता था कि इन सब बातों का उद्देश्य एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करना है । भारत सरकार तथा मुसलमानों के बीच उस समय तो बातचीत हुई थी, उसे मैंने देख लिया है । 5 वर्षों तक सभी सम्बन्धित दलों ने समझ लिया कि उद्देश्य केवल एक ही है कि एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये । इस उद्देश्य के लिए धन एकत्रित किया गया । 1920 तक 20 लाख रुपये एकत्रित किए जा चुके थे तथा एम० ए० ओ० कालेज पर लगाये जा चुके थे । सरकारने जोर दिय कि यदि इस कालेज को विश्वविद्यालय में बदलना है या एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है तो और 30 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । इसके लिए मुसलमान समाज के अमीर गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों ने उदारता से योगदान दिया । और अल्पकाल में ही 30 लाख रुपये एकत्रित कर लिए गए । जो भाषण दिए गए हैं, उनसे आपको याद आ जायेगा कि भारत सरकार का योगदान केवल एक लाख रुपये का था । कालेज की इस 20 लाख तथा 30 लाख की सम्पत्ति के बल पर मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ।

मेरे विद्वान साथी ने विस्तारपूर्वक तथा बड़ी ही योग्यता से श्री सीरवाय की टिप्पणियों की सहायता से विश्लेपण किया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय कितना बेतुका था । श्री सीरवाय ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने प्राविधिकताओं के आधार पर निर्णय दिया । किन्तु प्राविधिकताओं को भी तो ठीक किया जाना चाहिए । किसी मामले का प्राविधिकताओं के आधार पर निर्णय करने तब तक उचित नहीं है जबतक कि स्वयं प्राविधिकताओं में गलती हो । मैं यह महसूस करता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान में निहित "स्थापित" अभिव्यक्ति को ही ध्यान में रखा और उसीके आधार पर यह कहा कि इस विश्व-विद्यालय की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा ही की गई है ताकि यह कहा जा सके कि इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं की है ।

[डॉ० बी० ए० सैयद मोहम्मद]

उदाहरण के लिए यदि कानूनी बारिकियों को देखे बिना कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी की स्थापना की जाती है तो यह तो एक प्रकार का निगमन ही हुआ। उस कम्पनी की स्थापना तो प्रवर्तकों द्वारा की जाती है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय ने इसकी तकनीकी बातों के बावजूद भी कई बार उन लोगों का उल्लेख किया जो कि धन एकत्रित कर रहे थे तथा विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे। वे ही विश्वविद्यालय के प्रवर्तक है। आपको विधि विशेषज्ञ या विधि पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, किन्तू प्रवर्तकों के रूप में जो लोग कम्पनी की स्थापना करते है और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जो कुछ किया जा रहा है वही कम्पनी का तकनीकी निगमन है। मैंने कई परिभाषाएं देखी हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि स्थापना का अर्थ किसी वस्तू को अस्तित्व में लाना है। किन्तू वाल्टन तथा अन्य शब्दकोषों में स्थापना के तीन अर्थ या परिभाषाएं हैं। उनमें से एक अर्थ है पता लगाना, दुसरा है निर्माण करना तथा तीसरा आरम्भ करना है। ये सभी परिभाषाएं अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान में निदित अभिव्यक्तियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ला देंगी। केवल इस परिभाषा अर्थात् "अस्तित्व में लाना" ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध है। वे कहते है कि इसकी स्थापना संविधि से हुई है। यह ऐतिहासिक तथ्यों, भावनाओं तथा आकांक्षाओं के विरुद्ध है।

मैं अपने साथियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि इसे स्थापित करने का कोई इरादा ही न था तो फिर इसे मुस्लिम विश्वविद्यालय करने का क्या अर्थ था। फिर बनारस विश्वविद्यालय को हिन्दु विश्वविद्यालय कहने का क्या अर्थ था। इस देश में कई विश्वविद्यालय हैं। यहां लगभग एक सौ कुछ विश्वविद्यालय हैं। यदि इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं की तो इसे इस तरह का विशेष नाम देने का क्या अर्थ था। यदि इसे मुसलमानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया तो फिर इसे मुस्लिम विश्वविद्यालय क्यों कहा गया। इसी तरह यदि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की स्थापना हिन्दुओं ने नहीं की तो उसे हिन्द विश्वविद्यालय कहने में क्या तुक है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि धन एकत्रित किया गया, प्रयास किए गए और फिर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। एक बात केवल यह है कि निगमन तंत्र के माध्यम के अलावा किसी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकती और ज्योंही निगमन होता है, यह कानूनी रूप से आस्तित्व में आ जाता है। क्षमा कीजिए मैंने अधिक समय ले लिया है।

सभापति महोदय : बोलने वाले सदस्यों की लम्बी सूची है। जबतक आप मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक प्रत्येक सदस्य को अवसर देना मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगा।

श्री के० गोपाल : समय बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री गोपाल, यदि समय बढ़ा भी दिया जाता है तो भी बोलने वाले सदस्यों की संख्या 40 है। मैं प्रत्येक सदस्य को समय कैसे दे सकता हूं। मैं किसी भी सदस्य को 10 मिनट से अधिक समय नहीं दे रहा हूं। मैंने उन्हें 15 मिनट दिए हैं।

डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद : मैं आपसे अधिक समय मांगकर आपको संकट में नहीं डालना चाहता। मैं यह कहकर बैठ रहा हूं कि मैं इस विधेयक का पूरे जोरों से समर्थन करता हूं और इस सभा के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे दलगत भावनाओं से दूर रहकर इस विधेयक का पूरा समर्थन करें।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : सभापति महोदय, इस बिल के मुतालिक कानूनी राय या दलायल देना या कानूनी तरीके से बहस करना एक तरह तो ठीक है लेकिन यहां पर जो फैसला होगा वह फैसला हम सब की मर्जी से होगा। कानूनी जो पेचीदगियां इस में थीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने उस पर बहस हुई और एक फैसला दिया गया। लेकिन आज पालियामेंट में हम को वोटों की बुनियाद पर यह फैसला करना है कि यह बिल पास होगा या नहीं। राज्य सभा ने इस बिल को पास किया है। वहां पर बहस हुई और आज यह जो बिल यहां पर आया है मैं बड़े बाअदब तरीके से हमारे जो साथी सामने बैठे हैं उन से इल्तिज़ा करूंगा कि वे बड़े ठंडे दिल से इस पर गौर करें और इस बिल के पास होने में मदद करें।

सर सैयद अहमद खां ने 1857 के बाद जो माहौल हिन्दुस्तान में देखा उस से उन्हें इस बात पर यकीन हो चुका था कि हिन्दुस्तान का मुसलमान अगर अपनी आजादी के लिए और आजादी के बाद मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करना चाहता है तो जब तक उस को मार्डन किस्म की तालीम नहीं दी जायगी, अंग्रेजी और साइंटिफिक तालीम नहीं दी जायगी तब तक वह एक अच्छा रोल इस मुल्क में अदा नहीं कर सकता। इस खयाल को मद्दे नज़र रखकर उन्होंने एक छोटा सा बीज बोया था जो बाद में पौधा बना और आज एक बहुत बड़े दरख्त की सूरत में हमारे सामने मौजूद है जिसको हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का नाम से याद करते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब

कालेज को बुनियाद रखी गई तब सिर्फ तीन तालिबइल्म सारे हिन्दुस्तान में मिले जोकि तीनों गैर-मुस्लिम थे। उनमें एक भी मुस्लिम नहीं था। ज़ाहिर है जब उन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी तो मकसद यही था कि जहां मुसलमान कोशिश करेंगे अपने लिए कि एक यूनिवर्सिटी कायम करें वहां, जैसा कि बनातवाला साहब ने कहा, इस इदारे के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले रहेंगे। अब इन्होंने यहां पर तमाम दलीलें दी हैं। अंग्रेज जिसके कि हम गुलाम थे, उन्होंने इस इदारे के मुताल्लिक क्या कहा ? उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा सुलूक किया लेकिन आज हम गैरों से नहीं बल्कि अपनों से बात कर रहे हैं। अगर गैरों ने अच्छा सुलूक किया है तो अपनों से भी तवक्कों है, उम्मीद है कि वे उससे भी अच्छा सुलूक करेंगे।

बहुगुणा साहब यहां से चले गये, मुझे याद है जब हमारी हुकूमत थी तो यह बिल लाया गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है एक ही आवाज थी बहुगुणा साहब की, उन्होंने बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि हमने यह वायदा हिन्दूस्तान के मुसलमानों से किया है कि इस इदारे का माइनारिटी करैक्टर बरकरार रखा जाएगा। वे यहां से उठ कर चले गए लेकिन मुझे यकीन है वे अपने वायदे पर कायम हैं और उस वक्त भी थे। उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया था। मिसेज़ बहुगुणा यहां पर हैं इसलिए उम्मीद है उनतक यह बात पहुंच जायेगी।

जनता सरकार ने कुछ गल्तियों को दुरुस्त किया है, उनको सुधारा है इसलिए मैं महसूस करता हूं अगर पहले कोई गल्ती हुई है तो उसको आज वे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जनता सरकार का यह दावा है कि जो भी गल्तियां हुई हैं, जहां भी बेइन्साफी हुई है, ख्वाह वह हमारे वक्त में हुई या उससे कब्ल हुई उसको वे दूर करेंगे। आज हिन्दुस्तान की नजरे इस पार्लमेन्ट की तरफ लगी हुई हैं, खास तौर पर माइनारिटीज़ की, वे देखना चाहते हैं कि जनता सरकार यह जो दावा करती है कि वह हमेशा इन्साफ और हक की तरफदारी करेगी उस पर अमल करती है। जो बिल यहां पर आया है इसपर आप पार्टी लेविल से ऊपर उठकर सोचें। इसके जरिए से अगर माइनारिटीज़ की दिलजोई हो सकती है, अगर उनके अन्दर कांफिडेंस और एतमाद पैदा हो सकता है तो मैं समझता हूं जनता सरकार का यह एक बहुत बड़ा काम होगा। हम इसके लिए उनको पहले से ही मुबारकबाद देते हैं हालांकि अभी पता नहीं है वे क्या करने वाले हैं।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है, कि अगर माइनारिटी कम्युनलिस्ट हो जाए तो वह अपने को ही नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन अगर मेजारिटी उस तंग नज़र से देखें तो उससे सारे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। त्रिलोकी सिंह जी का जो बिल राज्यसभा में पास हुआ है उसकी नवैयत को आप देखें तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एक ही तजवीज़ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने का जब खयाल आया था उसमें यही था कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों की कल्चर, तहज़ीब और तमद्दुन कायम रहेगी। उसके बाद उसमें तब्दीली आई 1920 में और 1971 में। एक ही बात जिसको दोहराया जाता है, यह कहना कि यह कम्युनेलिस्ट है, इसका कम्युनल करैक्टर हो जायेगा--मैं समझता हूं यह बात बिल्कुल सही नहीं है। हमारी जो मौजूदा सरकार है—यहां पर हमारे बहुत से साथी बैठे हुए हैं, मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं---आप के इलेक्शन मैनिफेस्टों में इस बात को दोहराया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनारिटी करैक्टर को खत्म करने की जो कोशिश की गई है, उस को बहाल करने के लिये जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। मैं इसी वायदे की आपको याद दिलाना चाहता हूं और मुझे यक़ीन है--हमारे वज़ीरे-तालीम यहां पर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं उन्होंने भी उसी मेनीफेस्टो को लेकर इलैक्शन लड़ा होगा--तो जनता ने जो ऐतामद आप को दिया है, उस में यह बात शामिल है कि अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के माइनारिटी करैक्टर को बहाल करेंगे। मैं कानूनी बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कानूनी बहस से निकलनेवाला कुछ नहीं है। यह बिल अगर आप चाहगे तो यहां पास हो सकता है और अगर नहीं चाहेंगे तो पास नहीं होगा। आज तमाम हिन्दुस्तान की नज़रे आप की तरफ लगी हुई हैं और बहुत से ऐसे मसले हैं जहां पर सैकुलर करैक्टर को इस्टेब्लीश करने के लिये आप को बहुत कोशिश करनी पड़ी है और आगे भी करनी पड़ेगी लेकिन यह एक ऐसा मौका आप को मिला है—जिस में जनता पार्टी इस बिल को सपोर्ट कर के—जिस से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है—यह साबित कर सकती है कि हिन्दुस्तान में सेकुलरिज्म की बुनियाद बहुत मजबूत है। इस लिये मुझे यह यक़ीन है कि इस बिल को आप इस ऐवान में जरूर पास करायेंगे—इस से न सिर्फ हिन्दुस्तान में आप का विकार बुलन्द होगा, बल्कि बाहर की दुनिया में जो आज हमारी तरफ नजर उठा कर देख रहे हैं—उन की नजर में भी आप का विकार बुलन्द होगा। मैं इस में कोई सियासी बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर साहब मैं आप से अर्ज करुंगा—आप

[श्री मोहम्मद शफी कुरेशी]

कानूनी दांव-पेज में न पड़े। आप यह देखिये---आप एक सियासी आदमी हैं, महकमा तालीम आप को दिया गया है---आप को ठण्डे दिल से यह सोचना चाहिये कि आप को इस में क्या कदम उठाना है।

मुझे मालूम है---जब हम ने गलती की थी, तो उस का खमियाजा हम को उठाना पड़ा। यह बात याद रखिये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी का मसला उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला था, जिस ने जनता की राय में तबदीली पैदा की थी। क्या आप भी इस वक्त वही गलती करना चाहते हैं? क्या आप भी उसी गलती को दोहराना चाहते हैं? हम तो आप से यह तवक्कौ रखते है कि जो गलती हम से हुई है---हमें उस गलती को मानने में कतई ऐतराज़ नहीं है---लेकिन आप उस गलती को न करें, जिस से आप की क्रेडिविलिटी कमजोर हो जाय, खतरे में पड़ जाय। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक बहुत शानदार रोल इस मुल्क में सैकुलरिज्म को बनाने में अदा किया है। डा० कर्ण सिंह साहब यहां पर मौजूद हैं---ये उस ज़माने में हमारे सदरे-रियासत थे, हालांकि उन के वलूगियत पर पहुंचने में कुछ टाइम था, लेकिन उस से पहले जो फैसला हुआ कि काश्मीर हिन्दूस्तान का हिस्सा बनेगा, यह फैसला उन लोगों ने लिया था, जिन में 95 परसेंट वे लोग थे, जो अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में पढ़े हुए थे। उनमें शेख मुहम्मद अब्दुल्ला थे, जनाब गुलाम मुहम्मद सादिक थे, सैयद मीर कासिम थे, दूसरे बहुत से लोग थे, जो उन में शामिल थे। इस लिये यह इलज़ाम लगाना कि इस से फिरकेवाराना नज़रिये को बढ़ावा मिलता है---उन्होंने उसे गलत साबित किया और जब मौका आया--एक अहम फैसला करने का, एक तरफ मज़हब की पुकार थी और दूसरी तरफ सैकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और हिन्दुस्तान की एकता की पुकार थी---उस वक्त उन्हीं लोगों ने सही फैसला लिया, जो वहां तालीम पा चुके थे। लीजिये --बहुगुणा साहब आ गये हैं . . .

सभापति महोदय : वह तो आप को सपोर्ट करते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप और मैं तो इकट्ठे थे, जब वह बात हुई थी।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैंने मिसिज़ बहुगुणा से यही कहा है कि वह आप को उस की याद दिलायें। लेकिन उन को शिकायत है कि आप बहुत कम मिलते हैं। बहुगुणा साहब उस वक्त कैबिनेट मीटिंग में मौजद थे और मैं यकीन से यह बात कहता हूं---जब यह मसला पेश किया गया तो किसी की ज़ुबान नहीं खुली। अगर किसी ने ज़ुबान खोली तो वह बहुगुणा साहब थे और जो अलफाज़ आप ने उस वक्त कहे थे---वे मुझे याद हैं। आज मैं बहुगुणा साहब को अपने उस वायदे की याद दिलाना चाहता हूं। यह भी आप इन से कहिये कि हम ने बड़ी गलती कर के उस का खमियाजा उठाया है, आप वह गलती मत करना।

श्रीमती हेमवती नंदन बहुगुणा : खमियाजा उठाने दो, आप क्यों परवाह करते हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : नहीं, मैं तो यह चाहता हूं कि कम से कम एक बार हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट तमाम इन झगड़ों से, इनफितनों से और इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उट कर यह बात साबित करे कि जहां पर माइनोरिटीज के हकूक का मसला आता है, उस वक्त हम सब लोग उन हकूक कीं हिफाज़त करने के लिए एक हो जाते हैं और हम में कोई फर्क नहीं रहता है। मुझे यकीन है कि मैंने जो आप लोगों से अर्जदाश्त की है, आप इस को कबूल फरमाएंगे और यह जो बिल आया है, चन्द्र साहब आप भी खुदरा जरा सोचिये और आप ब्यौरोक्रेट का ब्रीफ ले कर मत आइए, आप अपने दिल की बात कहिये और जो फाइल कहती है, उस को छोड़ कर आप दिल की जबान से यहां पर बोलिये। मुझे यकीन है कि अगर आप यहां पर अपने दिल की जबान से बोलेंगे, तो यह बिल पास हो जाएगा।

डा० कर्णसिंह (उधमपुर) : सभापति महोदय कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से आसाम तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों की आशाओं तथा आकांक्षाओं तथा साथ ही उनके भय तथा शंकाओं का आज एक प्रतीक बन गया है। जब इससे इतनी अल्पसंख्यक समुदाय अन्तर्ग्रस्त हो तो फिर यह प्रश्न केवल उसी अल्प-संख्यक समुदाय तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि यह एक राष्ट्रीय मामला बन जाता है। यह एक राष्ट्रीय मामला है और हमें इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिए।

हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, डा० जाकिर हुसैन ने जो कहा था, मैं उसका उद्धरण देता हूं :---

"जिस ढंग से अलीगढ़ राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेता है उससे भारत के राष्ट्रीय जीवन में मुसलमानों का स्थान निर्धारित होता है और जस ढंग से भारत अलीगढ़ से व्यवहार करता है, उससे भविष्य में हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्थान निर्धारित होता है।"

मुझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि पाने का गौरव मिला है और इसलिए मेरा इस विश्वविद्यालय से घनिष्ठ लगाव है। निस्संदेह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से और भी अधिक घनिष्टता है

क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का कई वर्षों तक कुलाधिपति रहा हूं। समस्या के भावनात्मक पहलुओं के अतिरिक्त यदि कोई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विकास के इतिहास का अध्ययन करेगा तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि इसकी स्थापना करने का विचार मुसलमान समुदाय से ही आया है जैसे कि मेरे साथी श्री कुरेशी ने बताया है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् कुछ प्रतिक्रिया हुई और कुछ मुल्लों ने फतवा दिया कि मुसलमानों को अंग्रेजी या अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों में शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। सर सैयद अहमद ने पहले ही इस बात की कल्पना कर दी थी कि जब तक मुसलमानों को शैक्षणिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में नहीं लाया जायेगा तब तक वे हमेशा के लिए पिछड़े हुए रह जायेंगे। इसलिए 1870 में मुस्लिम विश्वविद्यालय का विचार उनके दिमाग में आया। वह पहले मुसलमान थे जिन्होंने अपना लड़का बैरीस्टरी पास करने के लिए इंग्लैण्ड भेजा: जब वह वापस आया तो सर सैयद अहमद एक प्रसिद्ध न्यायाधिश थे और अपनी अध्यक्षता में उन्होंने भारत में एक मुस्लिम आक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की स्थापना की संभावना पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की। अलीगढ़ में एक भूखंड खरीदा गया और वहां एक जूनियर हाईस्कूल खोला गया। 1870 में तत्कालीन वायसराय लार्ड लिटन ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिटियल कालेज का शिलान्यास किया। अपने भाषण में सर सैयद अहमद ने कहां कि इसे एक मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना है और वायसराय ने भी इस बात का स्वागत किया। उसके पश्चात् 20 वर्षों तक सर सैयद अहमद इस स्नातकोत्तर कालेज के लिए धन एकत्रित करते रहे। 1894 में उनका देहांत हो गया। कुछ वर्षों के पश्चात् 1910 में मेरे विचार से सर हरकोर्ट बटलर शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने महमूदाबाद के राजा को इस विचार का पुनः सजीव करने के लिए मनाया और 1911 में आगाखान की अध्यक्षता में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक समिति का गठन किया गया। महमूदाबाद के राजा उस समिति के सचिव थे। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि भारत सरकार ने अपने विधि मंत्रालय से नहीं बल्कि आगा खां की अध्यक्षता वाली समिति को संभावित विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक तैयार करने लिए कहा। वे एक चार्टर चाहते थे। वायसराय ने कहां कि इसकी स्थापना किसी अधिनियम द्वारा की जानी चाहिए। सरकार और मुसलमान समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चलती रही। यह सब रिकार्ड में है। उसी समय वहां समानान्तर घटनाएं हुई। 1915 में बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय की स्थापना की गई और 1920 में मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया।

मैं यह दिखाने के लिए सभा के केवल पांच मिनट लूंगा कि जब तत्कालीन शिक्षा सदस्य मोहम्मद शफी ने भारतीय विधान परिषद में विधेयक पुरःस्थापित किया तो लार्ड चेम्सफोर्ड ने स्वयं उस बैठक की अध्यक्षता की। वह उस समय वायसराय थे। उस समय वायसराय कभी ही ऐसा करता था क्योंकि प्रायः बैठक की अध्यक्षता गृह सदस्य करता था। जब शिक्षा सदस्य ने विधेयक पुरःस्थापित किया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो कुछ कहा था मैं उद्धरण देता हूं:—

> "महामहिम आज आपकी सरकार मुसलमान समुदाय को एक ऐसी मूल्यवान वस्तु सौंप रहे हैं, जिससे प्राप्त होने वाले असंख्य लाभ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके बच्चे के बच्चों को भी प्राप्त होंगे। इससे भारतीय मुसलमानों की वर्तमान पीढ़ी को ही लाभ नहीं पहुंचेगा बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भविष्य में लाभ पहुंचेगा।"

इससे अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है? और विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् वायसराय ने स्वयं कहा "इस विधेयक के पारित होने पर मैं मुसलमान समुदाय को बधाई देता हूं।" इसको पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसकी स्थापना मुसलमानो ने ही की है और यह आवश्यक रूप से एक मुस्लिम संस्था है।

मैं इसके लम्बे इतिहास में नहीं जाना चाहता। अतः 1965 में कुछ अप्रिय परिस्थितियों के कारण अधिनियम का निरसन किया गया। इसके स्थान पर अध्यादेश जारी किया गया और उसके पश्चात् अजीज बाशा के मामले में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय सामने आया कि इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं की बल्कि इसकी स्थापना एक अधिनियम द्वारा की गई थी। श्रीमान मैं अपने विशिष्ठ साथी की तरह एक वकील नहीं हूं किन्तु एक साधारण व्यक्ति की इस बात को समझ सकता है कि वित्त अधिनियम के आप किसी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो क्या फिर इसका मतलब यह हुआ कि कोई अल्प संख्यक समुदाय किसी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकता? यह स्वतः स्पष्ट लगता है। किन्तु श्रीमान यदि कहीं कोई कानूनी कमजोरी भी हो तो इस विधेयक का उद्देश्य उस कमजोरी या त्रुटि को दूर करना है। अतः उच्चतम न्यायालय के लिए की वास्तविकता या उपयुक्तता में गए बिना यदि यह सभा इस विधेयक को पारित कर देती है तो फिर जो कानूनी आपत्ति उच्चतम न्यायालय ने उठाई है, स्वयं दूर हो जायेगी। यह स्वतः ही एक अल्प संख्यक संस्था बन जायेगी और अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत इसे लाभ प्राप्त होंगे।

[डा० कर्णसिंह]

मैं इसके राजनीतिक पहलुओं में नहीं जाना चाहता। 1971 के अपने घोषणापत्र में हमने कहा था कि हम इसे पूर्व स्वरूप प्रदान कर देंगे। 1977 के चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने इसे पूर्व-स्वरूप देने का वचन दिया था और वे इसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान, यह प्रश्न कोई कानूनी नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अल्प संख्यक आयोग ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह एक अल्प संख्यक समुदाय की संस्था है। उनके प्रतिवेदन में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। कई निर्णय हैं जिनका मैं उद्धरण दे सकता हूं। जब देश में सैंकड़ो विश्वविद्यालय है तो हम एक मुस्लीम विश्वविद्यालय के लिए इतना शोर शराबा क्यो मचाये? मुसलमानो की संख्या 6 या 7 करोड़ है। यदि 105 विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय मुसलमानों के कल्याणार्थ उन्हें दे भी दिया जाये तो उसमें क्या आपत्ति है?

हमें इतना दुवृत्त, निर्लज्ज क्यो बनाना चाहिये? हमें वैधानिकताओं और अन्य वाक्छलों की ओर में लुका-छिपी का खेल क्यों खेलना चाहिये? क्यों नहीं हम छाती खोलकर सामने आकर कहते कि यह तो सदैव ही से अल्प-संख्यक वर्ग का संस्थान रहा है और हम इस विधेयक को पास करके उसी बात पर अटल हैं? ऐसा न हो कि लोग यह कहें कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में, हमने अवसर के अनुकूल कल्पना और बुद्धिमानी का, समझ का प्रदर्शन नहीं किया जब मनोवेगो में बात उलझी हो, सही रूप में, न कि गलत रूप में तो मैं यह नहीं कहता कि जहां कहीं मनोवेगो की बात हो, हमें झुक जाना चाहिये—जहां वे आधारभूत तथ्यो पर टिके हो, मेरा विचार है कि हमें अपने मार्ग से हटकर भी कुछ काम कर डालने चाहिये। इस सम्माननीय सदन से राष्ट्र यहीं आशा रखता है। अतः संसद से, मैं अनुरोध करता हूं कि वह लोगों की जनाभिवक्ता के रूप में, निर्भय होकर काम करे। श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया यह विधेयक तो पारित हो चुका है। लोक सभा को भी इस कार्य में पीछे नहीं रहना चाहिये। आओ हम समग्रतः न्यायपूर्ण चेष्टा द्वारा, एक बार फिर अपने सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के हृदयो में संतोष, समझ और खुशी की भावना भर दें।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की): महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप में और अपने दल की ओर से, इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व के सभी प्रतिष्ठित वक्ताओं ने इस संस्थान के इतिहास पर बड़े ही विस्तार से प्रकाश डाला है। अतः मैं उस क्षेत्र में पदार्पण नहीं करना चाहता।

इस विधेयक-विशेष द्वारा विश्व-विद्यालय को, इसका जो स्वरूप होना-चाहिये, उसे दिलाने की मांग की गई है। आज हम इसे "अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय" कहकर पुकारते हैं। हम इसके साथ "मुस्लिम" शब्द तो जोड़ते हैं, परन्तु शब्द को बिना किसी अर्थ के जोड़ा जाता है। केवल शीर्षक मात्र से कोई संस्थान नहीं बन जाता। कोई मुस्लिम विश्व-विद्यालय, यदि उसे कोई मुस्लिम विश्व-विद्यालय बनना है तो, इसे वह स्वरूप मिलना चाहिये, जो अनुच्छेद 30 के संरक्षण के अधीन पड़ता हो। वह संरक्षण तो केवल तभी उपलब्ध हो सकता है, यदि संस्थान को समुदाय विशेष द्वारा स्थापित माना जाये। "किसी समुदाय द्वारा किसी संस्थान की स्थापना" का वास्तव में क्या अर्थ है, यह मामला तो न्यायिक निर्णयों का विषय है। यह बात तो कई मामलों में उठाई गई है कि किसी संस्थान को अल्प संख्यक वर्ग संस्थान कहां जाने के लिये इसे समस्त समुदाय द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये, यह मामला कई बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया है, और उच्चतम न्यायालय ने उस मामले को बराबर अस्वीकृत किया है। अतः, अधिनियम द्वारा यह घोषणा करना कि संस्थान को मुसलमानो द्वारा संस्थापित संस्थान माना जाये, यह एक ऐसा अधिनियम है, जो मुसलमानों द्वारा संस्थान की स्थापना के लिए उसी प्रकार भारी पड़ेगा जिस प्रकार के पहले भी अधिनियम की समस्त व्याख्या के बावजूद पड़ चुका है। और यह इस प्रश्न पर निर्भर करेगा कि क्या कोई विश्व-विद्यालय अल्पसंख्यक स्वरूप का है भी। यही बात यह विधेयक स्थापित करना चाहता है।

संक्षेप में बात यह है कि नैतिक रूप में या विधिकरूप में इसे मुस्लिम विश्व-विद्यालय के रूप में मान्यता दिए बगैर, किसी विश्व-विद्यालय को "मुस्लिम विश्व-विद्यालय" वर्तमान परिस्थिति में कहना अपधर्म है या कहे कि निरर्थक है और ऐसी बात होनी नहीं चाहिये। या तो "मुस्लिम" शब्द को ही हटा दिया जाना चाहिये, या, फिर "मुस्लिम" शब्द को रखना ही है तो इस बात को स्पष्ट कर दिया जाये कि "मुस्लिम" शब्द को बनाए रखने का अर्थ है कि संस्थान की स्थापना मुसलमानों ने की। तब तो संविधान द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों को दिये जाने वाले सभी विशेषाधिकार या संरक्षण स्वाभाविक तौर से इसे मिलने चाहिये। यही वह सामान्य सी बात है जिसे इस विधेयक द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की गई है।

जैसा कि मेरे मित्र डा० करणसिंह ने इंगित किया था, जब कोई संस्थान किसी महान समुदाय की भावनाओं, कल्पनाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर आता है तो, जब उस संस्थान को कुछ होता है तो उससे हमारे देश के लाखों

ही लोगो की भावनाओं को ठेंस पहुंचती है। जब उस संस्थान के विरुद्ध किसी कार्यवाही को प्रतीकरूप में उस समुदाय के विरुद्ध कार्यवाही माना जाता है तो, विश्व-विद्यालय की प्रतीष्ठा के अनुकल कोई कार्यवाही और उससे बढ़कर समुदाय के हित में किये गये किसी कार्य को उस समुदाय की सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

जब तक हम मनोवेगो को नहीं मानते, भावनाओं को मान्यता नहीं देते और समुदाय के सपनो और आकांक्षाओं के अनुसार विधान तैयार नहीं करते तो, धर्मनिरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं होगा। और यही सब तो इस विधेयक में किया गया है। विगत में, ऐसा लगता है कि हर कार्य समुदाय की भावनाओं के विपरित हुआ है। प्रायश्चित करना पड़ेगा और अलीगढ़ विश्व-विद्यालय विधेयक में संशोधन करके प्रायश्चित किया ज ारहा । सो भावन से मैं इस विधेयक का अत्यन्त ही दृढ़ और शक्तिशाली रूप में समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि यह सभा सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करेगी तथा यह सिद्ध कर देगी कि भारत अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और कि मुस्लिम समुदायसहित हर समुदाय, एक सुरक्षा की भावना में सांस ले सकता है . . . और यह कि वह संरक्षण मात्र आरक्षण की भावना से, बिना किसी संकोच के नहीं दिया जा रहा, अपितु उसे हार्दिक प्रसन्नता के साथ वह समर्थन दिया जा रहा है। इस विधेयक को स्वीकृत करके, इस सन्देश को इस सदन से बाहर जाने देना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कमला बहुगुणा (फूलपुर) : सभापति, जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज आजादी के 30 साल बाद भी हमको इस बिल को डिस्कस करना पड़ रहा है। यह यूनिवर्सिटी जिस दिन ख्याल में आयी थी, उसके बाद इसको लड़ना पड़ा और आज 80 साल बाद भी इसको लड़ना पड़ रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिये और क्या हो सकती है। मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि जो यूनिवर्सिटी ख्याल में मुसलमानो के आई, जिसके लिये 25 साल उन्होने संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद उसका नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा, आज उस पर वह बहस हो रही है कि उसका मुस्लिम करैक्टर है या नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के साथ करोड़ों इन्सानों के सेंटीमैंटस्, इमोशन्स जुड़े हुए हैं।

इस यूनिवर्सिटी का जिस वक्त ख्याल आया था, उस इतिहास में मैं जाना नहीं चाहती, उस हिस्ट्री में मैं एन्टर नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे कई साथियों ने उसकी हिस्ट्री रिपीट की है। एक बात तो सच है कि डेपुटेशन आफटर डेपूटेशन 25 साल जब इस यूनिवर्सिटी के रैकग्नीशन के लिये जाते थे, तो हिन्दुस्तान के हर कोने से, हर प्रांत से उसमें लीडर्स भी, नेशनलिस्टस् भी, एजूकेशनिस्टस भी मुस्लिम कम्युनिटी के थे जो वाकई लड़ाई लड़ते थे। यह कहना कि आज उसे मुस्लिम करैक्टर देने में कोई डर है, तो मैं तो डर समझती नहीं क्योंकि, मोहम्मद अली जैसे आदमी उसमें थे जो कि नेशनलिस्ट थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होने इतना बड़ा हिस्सा लिया हम कैसे कह सकते हैं कि वह किसी दिन एंटी-नेशनल थे ?

इसके अलावा आप देखे कि इस यूनिवर्सिटी के कायम करने में यही नहीं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, शुरू में एक शर्त लगाई गई थी कि 30 लाख रुपया जब आप इकट्ठा करेंगे, तब आपकी बात कंसीडर करेंगे। उस 30 लाख रुपये को सिर्फ इस कम्युनिटी ने इकट्ठा किया, किसी और का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। जब इस बात को रखा कि हमको इस यूनिवर्सिटी को दिया जाये तो उसकी हर शर्त पूरी की गई थी।

यह बात सच है कि जिस वक्त उस यूनिवर्सिटी की बात आई थी, तो कहा गया था कि इसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किया जायेगा। उस वक्त, हमारे आनरेबल मेंम्बर ने बताया कि किस तरह से लड़ाई की गई थी और मुस्लिम वर्ड उसमें इन्सर्ट किया गया था। तो मुस्लिम वर्ड जब उसमें लगा दिया गया तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो वह हो ही गई, उसका ख्याल था मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम लर्रनिंग, उनको माडरनाइज कर के, जैसा सर सैयद का ख्याल था, एक स्ट्रीम लाइन लगाया जाये। इसमें कोई शक है कि माइनोरिटीज के डिस्टिंक्ट कल्चर हैं इस कंट्री में, वह कल्चर रिप्रेजट करते हैं, चाहे वह क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो और यह कंट्री तो मशहुर रहा है हजारों बरसो से टौलरेंस के बारे में। कभी रिलीजन के नाम पर इस मुल्क में ज्यादा झगड़ा नहीं हुआ, यह हमको लीगेसी है ब्रिटिश एम्पायर की और ब्रिटिश रूल की जिसने हमको इतना झगड़े में डाला।

मैं आशा करती हूं कि यह आर्टिकल 30 जो सब कम्युनिटीज की तमाम इंस्टीट्यूशनस् को आज मान रहा है, उसको इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम करैक्टर देने में क्या तकलीफ है। और क्यो नहीं मान रहा है, यह बात समझ में नहीं आती है।

[श्रीमती कमला बहुगुणा]

जनता पार्टी, इस देश के इन्सानों के जज़बात पर आई है, एक यकीन लेकर आई है, यह जरूर है कि गलती तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इसके करैक्टर को बदला गया, बदलना नहीं चाहिये था, और उसी दिन से मुस्लिम इन्टैलीजैन्सिया के दिल और दिमाग में वह चीज कांटे की तरह चुभ गई । अगर हम चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की वाकई हमदर्दी पाये, वाकई यकीन पाये, वाकई हम उनके साथ इन्साफ करें, तो इस कांटे को जनता पार्टी को निकाल कर फेंक देना चाहिये और हमेशा के लिये और हमेशा के लिये मुस्लिम माइनोरिटी के करैक्टर इस यूनीवर्सिटी को दे कर के इस चेप्टर को क्लोज कर देना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना पूरा-पूरा समर्थन इस बिल को देती हूं और आशा करती हूं कि जनता पार्टी इस देश के हर वर्ग की भावनाओं को ख्याल करते हुए इसका पूरा समर्थन करेगी ।

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं सारे साहबान का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या के साथ हमारे मुसलमान भाइयों की महान भावनायें जुड़ी हुई हैं । हमारा इतिहास यह बताता है कि फिर्कावाराना भाव हमारे देश में कभी नहीं रहे । हमारे यहां यह ट्रेडीशन रही है कि हमेशा एक दूसरे का बराबरी के साथ ख्याल रखें । यह एक महत्व की बात है और इसी लिए हमारे देश का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है, और हम इस पर फख्र कर सकते हैं ।

श्री बनातवाला और दूसरे मेंबरों ने सब बातों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के साथ मुसलमान भाइयों की भावनायें जुडी हुई हैं। हम मुस्लिम कल्चर को बहुत बड़ा समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं । जब हम उसकी कद्र करते हैं, तो यह समझ में नहीं आता है कि कोई मुस्लिम यूनीवर्सिटी के नाम के खिलाफ कैसे हो सकता है। यह कानूनी दांव-पेंच की बात समझ में नहीं आती है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 के अन्तर्गत संरक्षण नहीं पा सकती है ।

सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है । सुप्रीम कोर्ट तो कानूनी हिसाब से उसकी बारीकियों में जाती है । लेकिन यह पालियामेंट उन बारीकियो में न जा कर करोड़ो जनो की भावनाओं का आदर करती है—और उसे करना चाहिए । खास तौर से हिन्दुओं का यह फर्ज है, जो यहां बहुमत में हैं, कि हम अपने मुसलमान, ईसाई और बौद्ध भाइयों में यह भावना पैदा करें—अपने व्यवहार से—कि वे हम पर विश्वास करें और उन्हें यह भरोसा रहे कि वे अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं। हमारी कोई भावना उनके खिलाफ नहीं है। यह हमारा फर्ज है ।

इस बारे में ज्यादा कुछ कहने का न तो समय है और न उसकी कोई वजह है । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें सर्व-सम्मति से इस बिल को पास करना चाहिए । जैसा कि डा० कर्ण सिंह ने कहा है, अगर इस बारे में कोई कानूनी अड़चनें है भी, तो हमारा ज्यादा फर्ज हो जाता है । अगर सुप्रीम कोट का कोई व्यू है, तो उस व्यू को हम बदल सकते हैं । यह पार्लियामेंट सब से बड़ी संस्था है, सारे देश की जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करने वाली संस्था है । तो जब हम इन भावनाओं से ओतप्रोत हैं और सब मिल कर के चाहते है, बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग इधर के और उधर के भी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर इस असली बुनियादी चीज को महसूस करते हैं कि हमें इस का समर्थन करना चाहिए तो हमें सर्वसम्मत्ति से इसे पास करना चाहिए । यह मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक ही हमारे देश में है जिससे उन की भावनाएं जुली हुई हैं, जिस में वह अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं । अपने लिट्रेचर को डेवलप कर सकते है, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते है । तो हम को इस में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमारा सहयोग है और हम चाहते हैं कि वह भी संस्कृति फले फुले ताकि सारे देश में सारे भारत वर्ष में जो तरह तरह के गुलदस्ते सजे हुए हैं भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, भिन्न-भिन्न भाषाओं के, वे गुलदस्ते, वे क्यारियां बढ़े, फूले फलें । इस में हमारे देश की शान है और तरक्की भी इसी में जुली हुई है । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि छोटी-मोटी भावनाओं से, कानूनी दावपेंच की भावनाओं से ऊपर उठ कर हम इस को सर्व सम्मत्ति से पास करेंगे ताकि हम अपने भाइयों में ऐसी भावना पैदा कर सकें कि वे यहां सुरक्षित ही नहीं है बल्कि बराबर से अपने कल्चर को भी डेवलप कर सकते हैं । उस कल्चर से हम भी बहुत सी बातें सीखते हैं । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हम सब पार्टी भावनाओं से अलग हो कर के जो बुनियादी बातें हैं उस से ओतप्रोत हो कर इस बिल को समर्थन प्रदान करें और सर्व-सम्मत्ति से एक इतिहास कायम करें कि जो गलती हुई, चाहे वह किसी से भी हुई हो, उस को हम दूर करेंगे जिस में एक ऐसे समाज की रचना हमारे यहां हो जो सर्व धर्म समभाव की भावना से ओतप्रेत हो कर आगे बढ़े ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : सभापति महोदय, जो बिल यहां पर जिस रूप में उपस्थित किया गया है मैं उस का समर्थन करता हूं इस आशा से कि जो भावनाएं आज देश में चल रही हैं, देश के अंदर जिस तरह से कुछ लोग विष-वृक्ष को पैदा कर रहे हैं उस को जड़ मूल से नाश करना इस बिल के द्वारा ही संभव होगा। जिन व्यक्तियों ने आज एक अविश्वास की भावना हमारे मित्रों के दिलों में पैदा कर दी है, उस भावना को दूर करना ही जनता पार्टी का सब से बडा काम होगा। मैं बहुत ही मुक्तसर में अपनी बात रखना चाहता हूं। पता नहीं मेरा नाम कैसे आया। मैं तो इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे भी आया, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता ' कि सर्व सम्मति से इसे हम लोग पास करेंगे।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, जनता पार्टी का यह सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है कि जो काम यह करना चाहती है उस का श्रेय इसको मिलता नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के स्वरूप को फिर से पुन-प्रतिष्ठित करने के लिए और उसकी सहायता को लौटाने के लिए पहले ही एक बिल का प्रारूप रखा था, वह सब आप लोगों के सामने है। अभी जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे थे ये वही लोग हैं जिन्होंने उस की स्वायत्तता का अपहरण किया था।

इस बिल में तो केवल दो बातों की ओर थोड़ा सा इशारा हमारे माननीय मित्र श्री बनातवाला ने किया है। एक यह किया है कि इस का अल्पसंख्यक चरित्र हो और एक थोड़ा सा और उन्होने संशोधन किया है। वस्तुतः हम जब देखते है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास को तो आज हमारे माननीय डा० कर्ण सिंह और स्टीफेन साहब कितनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, हम तो चमत्कृत हो रहे थे कि इस कालावधि के इतने कम समय में उनकी स्मृति किस तरह से टूटती और पलटती है, शायद हो सकता है कि यह स्थान का दोष होता है।

प्रो० नुरुल हसन साहब ने जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार किया था तो कहा था :

> "अलीगढ़ मुस्लिन विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यकों का संस्थान घोषित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, चूंकि केन्द्रीय सरकार यह निश्चित करने की इच्छुक है कि मुसलमान भी राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा का अंग बनें। वह यह नहीं चाहते कि अ० मु० वि० मुस्लिम सम्प्रदायिकता का दहकता हुआ आवा बन जायें, अड्डा बन जाये।

और भी बातें कही गई हैं। श्री के० सी० पंत, मिनिस्टर आफ स्टेट होम अफेयर्स ने भी उस समय कहा था :

> "उन्होंने संसद में, विधेयक पर चल रही बहस में हस्तक्षेप किया और यह बताया कि यदि इसे अल्पसंख्यकों संस्थान बनना है तो संसद इस पर कानून नहीं बना सकती।"

उसके बाद कहा :

> "हम भारत को, हिन्दू तथा मुस्लिम भारत में विभाजित नहीं करना चाहते।"

मैं इतना ही कहूंगा कि जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र को निगल लिया था, जिन्होंने उसकी आजादी को खत्म कर दिया था, आज देर से ही सही पर उसका समर्थन कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल के पीछे एक राजनीति है। क्योंकि मुस्लिम विश्व-विद्यालय की स्वायत्तता प्रकट करने के लिए इस बिल में कोई ज़िक्र नहीं है। हमारे बनातवाला साहब कुछ परिश्रम किए होते, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो आजादी छीन ली गई थी, प्रो० नूरूल हसन की कांग्रेस के सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होने उसकी आज़ादी को खत्म कर दिया था, उस आज़ादी को लाने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन वोट की चिन्ता है। श्री त्रिलोकी सिंह का बिल पास हो जाता है तो उसका श्रेय मिलेगा उनको और अगर पास नहीं होता है तो जनता पार्टी बदनाम हो जायेगी। इसीलिए मैंने कहा कि बदनसीबी है जनता पार्टी की। जो बिल पहले आना चाहिए था वह नहीं आया और अब सांप छछूंदर स्थिति लड़ाई है।

मैं जब विश्वविद्यालय की चर्चा करना चाहता हूं तो यह जरूर कहना चाहूंगा—डा० कर्णसिंह जी बड़े विद्वान आदमी हैं—चाहे अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो या हिन्दू विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हुआ करता है। विश्वविद्यालय किसी हिन्दू, राजपूत या ब्राहमण का नहीं होता है। यही कारण है गजेंद्रगड़कर कमीशन की जो रिपोर्ट है :

> "विश्व-विद्यालयों और महा-विद्यालयों के प्रबन्ध के बारे में समिति का प्रतिवेदन" वह आप ही लोगो ने बनाया था, हमने नहीं। उन्होंने यह बात कही थी :

> "ये दोनों विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्थान हैं और सदैव रहने भी ऐसे ही चाहिये। यह अनिवार्य है केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने राष्ट्रीय चरित्र को बनाये रखें।"

[डा० रामजी सिंह]

इसका क्या अर्थ है, आप जानें । चटर्जी कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई है । चटर्जी कमेटी न भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है । जब वहां के वाइस चांसलर अली यावर जंग पर कातिलाना हमला हुआ था और डा० ज़ाकिर हुसेन साहब को अलीगढ़ छोड़कर जामिया मिल्लियां बनाना पड़ा—वह सारा इतिहास हमारे सामने है । तब चटर्जी कमेटी बनी थी जिसमें कहा है :

"हमारे मतानुसार उन बातों को पूरा करते हुए, प्रत्येक विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालयीन शिक्षा के सच्चे-उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए । इसे तो उस शिक्षा के विकास और अध्ययन पर जोर देना चाहिये, जिसे हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति और सत्यरूप में विश्वभर की मानवता संस्कृति की मिश्रित पद्धति में मुस्लिम सम्प्रदाय के अंशदान के रूप में देखते हैं ।"

सप्रू साहब ने नोट आफ डिसेन्ट दिया था जिसमें लार्ड हाल्डेन का "डेडिकेटेड लाइफ" का बयान था ।

हम मुस्लिम **'मदरसों'** की बात नहीं कर रहे हैं; और हम ना ही संस्कृत पाठशालाओं की बात कर रहे हैं । शिक्षा और शिक्षण संस्थायें यदि सम्पत्ति की दासी होती है तो वह मुक्त नहीं रहती हैं, वह निस्तेज और निर्वीर्य हो जाती हैं । मध्य युग में जब कैथेड्रल चर्चों में, मंदिरों तथा मस्जिदों में शिक्षा बन्द थी तो उसका तेज प्रकट नहीं हुआ था । इसलिए शिक्षा को साम्प्रदायिकता के साथ या किसी भी परिधि में बांधना शिक्षा के साथ अन्याय है । इसीलिए यूनिवर्सिटी के विषय में कहा जाता है :

"विश्व-विद्यालय तो शोध का एक ऐसा स्थान है, जहां नवीन तथा आवश्यक ज्ञान का विकास होता है ।"

कोई विश्वविद्यालय ना ही हिन्दू होता है, ना ही मुस्लिम ।

यह भारत का दुर्भाग्य रहा है और यही कारण है कि हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ ।

हिन्दू विश्वविद्यालय को मालवीय जी ने "काशी विश्वविद्यालय" कहा था, हिन्दू शब्द उस को नहीं दिया था, यह तो उन लोगों ने जो साम्प्रदायिक थे, उन्होंने जोड़ा था ।

इस लिये, सभापति महोदय, जैसा शफी साहब ने कहा—यह बात ठीक है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ सिर्फ हिन्दूस्तान की ही नहीं, बल्कि बाहर के मुसलमानों की भी आकांशायें जुड़ी हुई है—इस का मैं आदर करता हूं, इस का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इतिहास के सत्यों को केवल बातें बनाने से उलझाया नहीं जा सकता है । लेजिस्लेटिव कौन्सिल की प्रोसीडिंग्ज हमारे सामने हैं, 1920 में यह विश्वविद्यालय बनाया गया था । यह किसी आदमी ने नहीं बनाया था, सदन ने बनाया था, लेजिस्लेटिव एक्शन से बना था । इस लिये यह कहना गलत कि किसी एक आदमी ने बनाया था ।

सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न हमारे सामने है—सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों ने—जिन में हमारे हेगड़े साहब भी थे और दूसरे जजेज़ भी थे—पांचों जजों ने सर्व-सम्मत फैसला दिया था—उस जजमेंट के सम्बन्ध में कहा गया है कि मिसचीवस जजमेंट था, गलत जजमेंट था । आज हम ऐसा कह सकते हैं, चूंकि आप को ये चीजें सूट नहीं करतीं । लेकिन मैं यह सत्य इस लिये रखना चाहता हूं कि लोगों की नजर में साफ चीज आये । इस का हल अवश्य होना चाहिये—मैं इस का विरोधी नहीं हूं—लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने के लिये हमारे विरोधी दलों के लोग जो कह रहे हैं—मैं उन को प्रणाम करता हूं, आप के राजनीतिक चित्र को हम भी समझते हैं । लेकिन मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सचमुच में हिन्दूस्तान के मुसलमानों की भावना का आदर करते हुए, उन की आकांक्षाओं का आदर करते हुए—यह बिल जो बनातवाला साहब लाये हैं, यह एक शो-पीस है, इस के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल दो शब्दों का बिल है जिस में उस की आज़ादी को बनाये रखने की बात भी नहीं है । लेकिन जो बिल मंत्री ने रखा था—उस में कितनी देर कर दी, ऐसी हालत में संशय होना स्वाभाविक है । सभापति महोदय, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नौजवानों ने आ कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काम किया—इसे मैं कैसे भूल सकता हूं । सचमुच में बहुत देर हुई है, दो वर्षों की देरी से संशय और अविश्वास उत्पन्न होना उचित ही है । इस लिये रचनात्मक दृष्टि से—चूंकि यह सवाल अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है, मुसलमानों की एसपिरेशन्ज का सवाल है, उर्दू का सवाल है—मैं उर्दू को भी इस के साथ जोड़ता हूं—इन सवालों को लेकर आप उन्हें आश्वस्त करें, सदन को आश्वस्त करें कि अब इस में देरी नहीं होगी, बल्कि इसी सत्र में इस बिल को पारित कर दें और हम सब लोगों का पूरा सहयोग आप के साथ होगा, ताकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को न केवल अल्प-संख्यक चरित्र प्राप्त हो जाय, बल्कि उस की आज़ादी भी वापस हो जाय । मैं बनातवाला साहब से भी यह आग्रह करूंगा—वे भी अपने बिल को इसी शर्त पर वापस करें, जब कि शिक्षा मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करें कि इसी सत्र में इस को पास करेंगे, अन्यथा वे कभी वापस न करें । यदि हमारे शिक्षा मंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि काम्प्रीहेन्सिव बिल को इसी सत्र में पास

करेंगे, तब इस में एक भी व्यक्ति विरोध न करे । यह हिन्दू-मुस्लिम एकता का ऐतिहासिक प्रमाण होगा । हम लोग सब मिल कर आदरणीय, बहुगुणा जी से भी आग्रह करें कि इस काम में सब लोगों का साथ लेकर, आवश्यकता हो तो विरोधी दल के नेताओं को भी साथ ले कर, इस बिल को इसी सत्र में पारित करने का वचन दें ।

सभापति महोदय : इस विधेयक को दो घण्टे का समय दिया गया था । अब तक एक घण्टा पचपन मिनट समाप्त हो चुके हैं केवल पांच मिनट बचे हैं । सभा की क्या मन्शा है ?

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाए ।

सभापति महोदय : किसी सदस्य को प्रस्ताव पेश करना चाहिए ।

प्रो० दीलीप चक्रवर्ती (दक्षिणी कलकत्ता) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समय में चार घण्टे की और वृद्धि की जाये ।"

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर अधिकतम केवल चार घण्टे का समय दिया जाता है । हम चार घण्टे से अधिक समय नहीं ले सकते ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विधेयक है . तथा बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । लोगों के विचारों पर विचार करने के लिए भी, सरकार के पास पर्याप्त समय होना चाहिए तथा यदि आवश्यक समझा जाये तो सरकार द्वारा लाये जा रहे विधेयक पर विपक्ष के साथ भी सलाह-मशविरा किया जाये । मेरे विचार से इसमें कोई हानि नहीं होगी, यदि समय को दो घण्टे और बढ़ा दिया जाये ।

शिक्षा, सामाजिक कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : समय अधिक से अधिक दो घण्ट और बढ़ा दिया जाये ।

सभापति महोदय : क्या सदन इस विधेयक के लिए, दो घण्टे का समय बढ़ाये जाने से सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : विधेयक पर बहस के लिए और दो घण्टे का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : मैं अपने माननीय मित्र श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गये, विधेयक का समर्थन करता हू । अजीज बाशा के मामले में, उच्चतम न्यायालय की गहन अनर्गलता को समझने हेतु, किसी के विधि का विद्वान होने अथवा विधि कार्यों का विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री बनातवाला ने बताया है, उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यन्त ही संकीर्ण व्याख्या की है और जो निर्णय दिया गया था वह एक तकनीकी आपत्ति अथवा तकनीकी मुद्दे पर आधारित था । मैंने जब दूसरे सदन में इस विधेयक पर हुई बहस की कार्यवाही पर दृष्टिपात किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने एक ऐसा तर्क प्रस्तुत किया, और मैं तो यह कहूंगा कि उनके सारे भाषण में वही एक मुख्य तर्क था कि चूंकि अजीज बाशा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दे रखी है तो, सरकार इस मामले में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है और यह कि संसद को उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए । मुझे यह कहना चाहिए कि यदि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था इतनी ही अधिक प्राबैधिक थी तो हमारे शिक्षा मंत्री महोदय तो उस प्राबैधिकता को पकड़े रहने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गये हैं । अब, विधेयक की गुणवत्ता पर, उपयोगितापर ध्यान दिये बिना, मेरा यह कहना है कि जब हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो, हमें देश में व्याप्त स्थिति पर भी विचार करना होगा ।

कोई भी व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं करेगा कि हमारे देश के अल्प संख्यक वर्गों में निरन्तर असुरक्षा और अविश्वास की भावना फैलती जा रही है—ऐसी केवल धार्मिक अल्पसख्यकों की ही स्थिति नहीं है, अपितु हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों जैसे अल्पसख्यक वर्गों में भी यह भावना पनप रही है । मैं नहीं जानता कि सत्ताधारी दल क्यों इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहा ? क्यों नहीं इस विधेयक को उदारता से स्वीकृत करके और इस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र को सुरक्षित बनाकर, अल्पसंख्यक वर्गों के मन से भय को दूर करने के लिए, इस अवसर को जकड़ कर पकड़ ले । मुझे वास्तव में ही दुःख होता है कि वे एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं जो मुझे कहना चाहिए कि हमारे देश में और अधिक मुसीबतें खड़ी कर देगा, क्योंकि धर्मपरिवर्तन पर सदन में पुरःस्थापित किये गए, गैर-सरकारी विधेयक के कारण इसाई समाज की नवीनतम भावनाएं इसका प्रमाण हैं ।

अब, जैसा कि मैं समझ पाया हूं, सत्ताधारी दल की सरकार एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जो कि केवल अल्पसंख्यक वर्गों—धार्मिक अथवा अन्यथा—को अधिकाधिक शक्तिहीन बनाकर छोड़गी । अतः मैं सत्ताधारी दल के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रकार के आत्मघाती पथ से बचे और मेरे माननीय मित्र श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक को स्वीकृति प्रदान करें ।

सभापति महोदय : श्री अशोक राज ।

***श्री ए० अ ोकराज** (पेरम्बलूर) : सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 30 में पुनरुक्तता समाई हुई है :

सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रबन्ध चलाने का अधिकार होगा ।

हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्गों को प्रत्याभूतित इस मूलभूत अधिकार के आधार पर, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रबन्धाधीन ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतेगा ।

अल्पसंख्यक वर्गों को जीवन और सम्पत्ति की हानि पहुंचाने वाले साम्प्रदायिक दंगों की एक रूप पुनरावृत्ति से यही सिद्ध होता है कि सरकार अपनी शक्ति का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने में असफल रही है। जैसे कि हमने बहुमत समाज की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रबन्ध किये हैं, वैसे ही रोजगार के अवसरों का आरक्षण अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नहीं किया गया । मुस्लिम जन संख्या कि बहुत संख्या वाले देशों में, भारत का विश्व में द्वीतीय स्थान है । जब अल्पसंख्यक समुदायों के जन और सम्पत्ति की ही रक्षा करने में सरकार असफल रही है तो, हम यह आशा कैसे रख सकते है कि वे उनकी सांस्कृतिक रूचि या शैक्षणिक प्रवृत्ति को पोषित करने में सफल होंगे । मैं आशा करता हूं कि यदि अल्पसंख्यक लोग ऐसी उचित शंकाओं को आश्रय देंगे तो हमारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनका निवारण करे । यदि वे सरकार से यह पूछने लगे कि जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय है तो, वे अलीगढ़ मुस्लिम-विश्वविद्यालय क्यों नहीं रख सकते तो, क्या सरकार कोई संतोषजनक उत्तर दे सकेगी ? मैं एक और उदाहरण देता हूं । हमारे यहां ऐसे स्कूल भी हैं जिन्हें भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेनाएं चलाती हैं । इन विद्यालयों के प्रबन्धक केवल रक्षा कार्मिकों के बच्चों को ही वरीयता तथा अग्रता प्रदान करते हैं । उसमें क्या बुराई है ? इसी प्रकार, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, यदि अल्पसंख्यकों के प्रतिपाल्यों (के बच्चों को) को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के महाविद्यालयों में प्रवेश में अग्रता प्रदान की जाये । हमने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों दे रखा है ? सरकार को डर था कि यदि जम्मू और कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति दे दी गई तो, कश्मीर की जनता की परम्परागत बन्धन और सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हो जाएगी। क्या हम ऐसी ही नीति अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के मामले में नहीं अपना सकते ?

हम सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, उपलब्ध मंचों से, यह उद्घोषणा करते रहते हैं कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है । यदि हम अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं और संवेदनशीलता का मान-सम्मान नहीं रख सकते तो, हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि धर्म निरपक्षता हमारे राष्ट्र की मुख्य शक्ति बने । मैं अल्पसंख्यक-आयोग के गठन का स्वागत करता हूं। परन्तु मुझे खेद है कि सरकार ऐसे कदम नहीं उठा सकी —परन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग जिसने अलीगढ़ के सांप्रदायिक दंगों की जांच की की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की चेष्टा नहीं की है। इस आयोग की एक विशेष सिफारिश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में थी। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस महान संस्था के दिन-प्रति-दिन के कार्यों में अनावश्यक बाधाएं नहीं डालनी चाहिए । और न अधिक हस्ताक्षेप करना चाहिए । सत्ता में आने के बाद शिक्षा मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि वह इस विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करके इसे अल्प-संख्यकों की संस्था का दर्जा दिलाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को राजनीतिक खिलवाड़ का विषय नहीं बनने देना चाहिए। हम हर बात में चाहे वे शिक्षा से संबद्ध हो, राजनीतिक से हो अथवा बेरोजगारी से, पिछड़ेपन से अल्प-संख्यकों के व्यक्तियों से सम्बद्ध हो, राजनीति का प्रवेश कर रहे हैं । सरकार को हमारे देश के मुसलमानों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक आकाक्षांओं को सम्मान देना चाहिए । 1965 में तदकालीन शिक्षा मंत्री श्री छगला ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया । सात वर्ष पश्चात उस समय के शिक्षा मंत्री श्री नूरल हसन ने अधिनियम में व्यापक संशोधन करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत सरकार की संस्था बनाया । अल्प संख्यकों के पृथक अस्तित्व की आकांक्षा के साथ यह एक उपहास था। अब उस के सात वर्ष पश्चात हमें अलीगढ़ मुस्लीम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक की संस्था का दर्जा दिला कर उनके साथ अन्याय को समाप्त करना चाहिए ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण ।

यदि हम अल्पसंख्यकों को अत्यन्त अपेक्षित सुरक्षा तथा इस बारे में अश्वस्त करना चाहते हैं कि बहुमत उन्हें हड़प नहीं लेगा, तो उनकी उच्च शिक्षा संस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस विशेष संशोधन द्वारा अल्प संख्यकों की संस्था का दर्जा दिलाया जाये। मुलसमान भाईयों की भावनाओं का आदर करके हम अपना आदर करेंगे।

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : सभापति जी, आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है। वैसे मैं इस विधेयक की आवश्यकता नहीं समझता था क्योंकि सरकार की तरफ से एक विस्तत विधेयक अलीगढ मुल्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आ गया है। और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने देश के जो अल्पसंख्यक है, मुलसमान हैं, उनसे यह वायदा किया था कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा 1965 और 1972 के संशाधनों के जरिये जिस प्रकार से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चरित्र और उसकी स्वायत्तता को आघात पहुंचाया गया है हम उसे वापस करेंगे, और उसके अनुरूप बिल तैयार हो गया है। यह मैं जरूर कहूंगा जैसा कि हमारे डा० रामजी सिंह ने कहा है कि सरकार की तरफ से जल्दी ही इस बिल को लाकर पास कराना चाहिए।

मेरा सम्बन्ध तो इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बील से 1973 में ही हो जाता है क्यों कि मैं इसके सम्बन्ध में सत्याग्रह भी कर चुका हुं और मैं जेल में गया हूं। जब 1965 और उसके बाद 1972 में यह संशोधन लाये गये जिसके जरिये विश्वपद्यालय के अन्दरूनी मामलों में सरकारी हस्तक्षेप किया गया, उस समय देश क मुसलमानों के मन में यह शंका फैली कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि तमाम वक्ताओं न कहा है और यह सही भी है कि अलोगढ़ विश्वविद्यालय के साथ अपने देश के मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और मकसद भी सर सैयद साहब का यही था, वह चाहते थे कि देश के मुसलमानों में नई तालीम, विज्ञान को तालिम नई टेक्नालाजी की तालीम और जो दुनिया का ज्ञान है, उसकी उन्हें शिक्षा मिले। केवल मदरसे की तालीम से या केवल कुरान की आयतों से वह न तो राष्ट्रीय धारा में आ सकते हैं और न देश की प्रगति में सहायक हों सकते हैं। और जो आज आवश्यकता है, उसको भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी दृष्टि को रखकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना की गई और उस के बाद यह सही भी है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की अपने देश के विकास म राष्ट्रीय आन्दोलन में और हर क्षेत्र में अपनी एक भूमिका रही हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वह केवल मुसलमानों के लिए ही सीमित रहा है, क्योंकि जो मुझे रिपोर्ट देखने को मिली है, उसके मुताबिक पहला ग्रेज्येएट वहां का एक हिन्दू ही था। आज भी अच्छी तादाद में वहां हिन्दू विद्यार्थी पढ़ते हैं, ला० अमरनाथ जैसे खिलाड़ी भी वहां पर हुए हैं और दूसरे लोग भी तरक्की कर रहे हैं। परन्तु यह बात जरूर मन में खटकती है कि हमारे विश्वविद्यालय का जो स्वरूप हो, वह आज कैसा हो और उसकी स्वायत्तता के बारे में सरकार का नजरिया कैसा हो।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसके साथ देश के मुसलमानों की भावनाओं का सम्बन्ध हैं, उसके बारे में हमको यह जरूर विचार करना होगा कि हम उस विश्वविद्यालय के पुराने किरदार को कायम रखें और इसमें कोई शक नहीं हैं और यह बहस का भी विषय नहीं है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने में सर सैयद साहब ने उस समय के मुसलमानों का सहयोग लिया, तमाम मुसलमानों ने उस में दान दिया, जमीन दी और पैसा दिया, जो शर्तें दी थीं, उनको पूरा किया और उनके मन में, जैसा सर सैयद साहब ने कहा कि मैं ऐसे मुस्लीम ओक्सफर्ड और मुस्लिम केम्ब्रिज की स्थापना करना चाहता हू, यह भावना थो। अगर इस मकसद से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थो तो इसके विकास में और इसकी तरक्की में सरकार की तरफ से जितनी भी मदद देनी चाहिए, जितना भी वातावरण आवश्यक हो, पदा करने की कोशिश की जानी चाहिए।

आज माइनोरिटीज के मन में जो दहशद है, उसको हमे दूर करना पड़ेगा और अपने मनसूबे तथा अपनी ईमानदारी हमें प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि यह जनता सरकार अपने वायदे पर दृढ़ है और जो उस अलीगढ़ विश्वविद्यालय का किरदार है, उसको कायम रखेगी, क्योंकि उससे अपने देश के मुसलमानों का सम्बन्ध है, उनकी संस्कृति का विकास हो, उनको जो थियोलोजी है, उसका अध्ययन हो और भी तमाम इस प्रकार के शोध हों। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, तो हम संसार के मुस्लिम देशों के साथ भी अच्छे सम्बन्ध रख सकते हैं, क्योंकि तक्षशिला और नालंदा की तरह यह विश्वविद्यालय भी एक इन्सानी बिरादरी और नये ज्ञानका केन्द्र होगा—आज भी बनारस विश्वविद्यालय है--, जहां दुनिया के तमाम हिस्सो से विद्यार्थी आ कर पढ़ते थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी दुनिया के तमाम हिस्सों से छात्र आ कर पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसका स्तर और ऊंचा करे, वहां के वातावरण को और स्वस्थ बनाये और उसके पुराने किरदार को बदस्तुर रखें, तो काफी लोग बाहर से आ कर पढ़ेंगे और उससे हमारे आपसी सम्बन्ध भी अच्छे रहेंगे, और हम जिस मिली-जुली संस्कृति को देश में पैदा करना चाहते हैं, उसको पैदा करने में सहूलियत मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। यह केवल एक कम्युमिटी या किसी विशष वर्ग का प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय

[श्री ब्रजभूषण तिवारी]

हित की बात है । इस लिए मैं इस बिल की भावना से पूर्णतया सहमत हूं कि इस विश्वविद्यालय के किरदार, स्वायत्तता और आजादी को बदस्तूर कायम रखना चाहिए ।

सरकार स्वयं एक ऐसा बिल ला चुकी है । मैं चाहूंगा कि वह बिल इसी सत्र में पास किया जाए । वह बिल सम्पूर्ण देश के अल्पसंख्याकों की भावना को कद्र और इज्जत करेगा और उनके मन में यह विश्वास पैदा करेगा कि उनको भावनाओं का आदर किया जायेगा और उनके हित और उनकी तहजीब महफूज रहेंगे ।

श्री पी० शिवशंकर (सिकन्दराबाद) : मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ । इस विधेयक की दो प्रमुख विशेषताएं हैं । प्रथम, इसका भावनात्मक पहलू है और दूसरा इस विधेयक में निहित कानूनी पहलू है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मूस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व रूप मोहम्मदन ऐंगलो का ओरयेन्टेल कालेज अलीगढ़ था । उक्त संस्था सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था थी । अलीगढ़ मूस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के अधीन सोसाइटियों को भंग अर दिया, गया तथा सारी सम्पत्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित अधिकरणो को स्थानान्तरित कर दी गई । यह घटना संविधान बनने से बहुत पहले की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सोसाइटियां 1920 से पूर्व विद्यमान थी उन्हें पुनः चालू किया जाये ताकि वे अपना मौलिक अधिकारों का दावा कर सकें । मैं इस पहलू को कुछ बाद में लूंगा । मेरा निवेदन है कि 1920 को अधिनियम जोकि संविधान से पहले पारित हुआ जोकि अल्पसंख्यक संस्था के रूप में विश्वविद्यालय के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता है क्योकि उस समय अल्पसंख्यको को कोई मौलिक अधिकार प्रदत्त नहीं थे ।

यह भली प्रकार विदित है कि हम इस देश के लिए समाजवादी, धर्मनिर्पेक्ष, लोकतन्त्रीय गणराज्य चाहते हैं । हम इस देश की सामाजिक व्यवस्था को धर्म-निर्पेक्षता पर आधारित करना चाहते हैं । संविधान का उद्देश्य इसी उद्देश्य को प्राप्त करना है । संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य के लिए संविधान में विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं ताकि धर्म-निर्पेक्षता वास्तविक रुप से आ सके । इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 25 को संविधान में सम्मिलित किया गया ताकि लोग अपनी इच्छानुसार धर्म का अनुकरण कर सकें ।

अनुच्छेद 25 से 28 का सबंन्ध धार्मिक स्वतंत्रता से है । ये अल्प संख्यकों तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करता है जिससे कि लोग अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन तथा मनचाहा उपासना का माध्यम अपना सकें । अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध संस्कृति से है तथा इसके अंतर्गत अल्प संख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है ।

मैं जानना चाहता हूं कि यह विशेष संशोधन क्यों लाया गया । मेरे मित्रों ने स्पष्ट किया है कि अजीज आशा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह स्थिति पैदा हुई । निर्णय को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अजीज आशा के मामले में अलीगढ़ मूस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1965 को चुनौति दी गई थी । तब यह प्रश्न रिट अपील द्वारा उठाया गया क्या अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत यह संस्था अल्पमतों द्वारा स्थापित की गई थी इस लिए उन्हें इसके संचालक का अधिकार है ।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष यही समस्या आई है ।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ खेद का विषय है कि 1920 के अधिनियम ने अल्पमत द्वारा स्थापित इस संख्या की संरचना को पूरी तरह बदल दिया । अल्प संख्यक समुदायों को अपनी संस्थाए स्थापित करने का सांवैधानिक अधिकार है, और उन्हें यह मौलिक अधिकार है कि वे अपनी संस्थाए स्थापित कर सके तथा उनका प्रशासन चला सकें । इउ संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया तथा उच्चतम न्यायालय ने 3 कारण बताये कि यह संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत नहो आता है । उनके निर्णय का प्रथम आधार यह था :

...अधिनियम 1920 की धारा (6) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियां सरकार द्वारा स्वीकृत होगी, इससे यह अर्थ निकलता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ तब यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित नहीं था ।

"मेरा निवेदन है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय तदकालीन कानून के अनुसार था और रहेगा । 1920 के अधिनियम पर ध्यान देते हुए कि अल्प संख्यक समुदाय यह आग्रह नहीं कर सकते कि उनकी उपाधियों को सरकार मान्यता दे ।

मेरा इस बारे में उच्चतम न्यायालय से मत वैभिन्य है । यह प्रश्न व्यक्तिगत राय का है । न्यायालय ने निर्णय दिया है अतएव हमें उसे स्वीकार करना चाहिए । परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि अल्प संख्यक सरकार से उपाधियों को मान्यता देने की प्रार्थना क्यो नहीं कर सकते परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इसी आधार पर अपने तर्क दिये हैं । मेरी राय में यह दुर्भाग्यपूर्ण है ।

उच्चतम न्यायालय ने दूसरा आधार ईस्टेब्लिशमैंट शब्द की व्याख्या के आधार पर दिया है। विभिन्न शब्दकोशो में गई उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया गया है और इस संदर्भ में इसका अर्थ है "अस्तित्व में लाना"। जहां तक तो तरह ठीक है। अल्पसंख्यको को पूरा अधिकार है कि वे किसी भी संस्था को अस्तित्व में लायें। वे इसे सींच कर बड़ा कर सकते है ताकि यह संस्था समाज को लाभान्वित कर सके।

तीसरा आधार यह दिया गया है। 1920 के अधिनियम की धारा 23 के अधीन विश्वविद्यालय के उच्च उच्चतम प्रशासनिक निकाय तथा कोर्ट में केवल मुसलमान ही होंगे, 1920 के अधिनियम विशेषता विजीटर आदि के बारे में उपबन्धो से प्रकट होता है कि विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मुस्लिम समुदाय को नहीं सौंपा गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत नही है। अनुच्छेद 30 (1) के दो महत्वपूर्ण शब्द है "स्थापित करना तथा संचालन करना।" अल्पसंख्यकों को संस्था की स्थापना करने तथा उनका संचालन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। यह इसका पहला भाग है। तब 1974 में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशो ने सेंट जिवियर के मामले में मत व्यक्त किया था कि इस देश में अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार संस्थाओं की स्थापना करनें तथा उनका संचालन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। उच्चतम न्यायालय केरल शिक्षा विधेयक पर अनुच्छेद 143 में व्यक्त राय से लेकर कि प्रशासन के मामले में सरकार केवल उसे विनियमित कर सकती है। यदि विनियमन द्वारा प्रशासन को हाथ में लिया जाता है तो यह कार्यवाही उस सीमा तक गैर-कानूनी है। अल्पसंख्यकों का संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार को सरकार के विनियमन के अधिकार से विभेद किये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा गलत विनियमनों का उच्चतम न्यायालय द्वारा 1959 से 1978 के वर्तमान निर्णय तक निरन्तर खण्डन किया जाता रहा है।

इस, विधेयक द्वारा धारा 2(1) का महत्वपूर्ण संशोधन लाने की चेष्टा को गई है ताकि अल्पसंख्यक संरचना को बहाल किया जा सके, जिसमें कहा गया है विश्वविद्यालय का अर्थ हैं उनकी इच्छानुसार स्थापित संस्था, भारत के मुसलमानो द्वारा स्थापित संस्था जिसका मूल मोहम्मडन एंग्लो ओरियन्टल कालेज में था। तथा जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में सम्मिलित किया गया। अभिप्राय यह है कि इस बात को स्वीकार किया जाये कि यह अल्पसंख्यकों की संस्था है। एक बार कानूनी स्वीकृति मिल जाती है तब बाकि बातें जैसे उन्हें इसके प्रशासन चलाने का अधिकार होगा।

मैं इस विधेयक पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का उल्लेख करना चाहता हूँ। एक बार यह विधेयक पारित हो जाता है तब सरकार कोई भी ऐसा उपबन्ध करें जिसे संस्था के प्रशासन में हस्ताक्षेप माना जा सके, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन माना जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के पारित होने पर अन्य विधेयक की आवश्यकता नहीं रहेंगी तथा शेष बातें न्यायालय पर छोडी जा सकती हैं। एक बार यह स्वीकार करने पर कि यह अल्प संख्यक संस्था है, जो घोषणा कि संशोधन में की गई है, शेष बाते कि सरकार किस प्रकार से विनियमन करती है, क्या वह विनियमन ही करती है अथवा प्रशासन में भी हस्ताक्षेप करती है, यह मामला निश्चय ही न्याय पलिका पर छोडा जायेगा। अल्पसंख्यकों के किसी भी अधिकार में हस्ताक्षेप को उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय संविधान के, अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत रद्द कर देगा। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 30 के अधीन अधिकारों का जो कि अल्प-संख्यकों को उपलब्ध हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश श्री एस० आर० दास द्वारा केरल शिक्षा विधेयक के मामले में व्यक्त निम्न राय से अधिक अच्छो तरह नहीं किया जा सकता।

"जब तक संविधान अपने वर्तमान रुप में है, उसमे संशोधन नहीं किया जाता, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि मौलिक अधिकारों जो कि अल्प संख्यकों जो कि हमारे ही लोग हैं; जो दिये गये हैं, उनका संरक्षण करें। युगों से विविध जातियों, नसलों, संस्कृतियों के लोग आर्य-अनार्य, द्रविड़, चीनी, हून, पठान, मुगल इस महान देश में आये तथा इसी का अंग बन गये। भारत की श्रेष्ठ परम्परा निम्न श्रेष्ट पंक्तियों में निहित हैं ;

"भारत रुपी मानवता के इस महान सागर से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जायेगा।

वास्तव में भारत ने अपने राष्ट्रगान में निहित निम्न सन्देश विश्व को भेजा है।

जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा

* * * *

तव शुभ आशिश मांगे, तव शुभ नामे जागे
उच्छल जलधि तरंगा।
जय हे। जय हे। भारत भाग्य विधाता।

संविधान निर्माताओं के संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के बारे में जो कुछ सोचा उसका यह अत्यन्त श्रेष्ठ प्रक्कटीकरण है।

[श्री पी० शिवशंकर]

मेरा निवेदन है कि सेंट जिवियर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 30 (1) का निम्न अर्थ लिया :

"अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार वास्तविक एवं प्रभावी हैं।
ऐसे अधिकारों का विनियमों द्वारा हनन किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

इसलिएं मेरा निवेदन है कि इस विधेयक द्वारा एक बार यह घोषणा किये जाने के बाद कि इस संस्था की संरचना अल्पसंख्यक है तथा इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गई है, अन्य बातें स्वतः ही आ जाती हैं। अनुच्छेद 30 में निहित अधिकारों का किसी के द्वारा दिये जाने का प्रश्न नहीं है। उक्त घोषणा मात्र से ही यह संविधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

इस ओर के मेरे मित्रों ने सरकार द्वारा रखे जाने वाले विधेयक की चर्चा की है परन्तु मेरा निवेदन है एक बार इस संरचना को स्वीकार कर लिया जाता है तब और किस विधेयक की आवश्यकता नहीं है और यदि कोई भी विनियम इन शक्तियों का उल्लंघन करता है तो उसे अनुच्छेद 30 का उल्लंघन माना जायेगा।

डा० रामजी सिंह ने कुछ पहलुओं की चर्चा की है। विशेष रुप से उन्होंने कहा है कि 1920 के अधिनियम में लाये गये कानून से प्रकट किया गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 1920 के कानून न सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया और मुझे विश्वास है कि यदि 1920 का अधिनियम न होता तो यह संस्था 1950 के बाद अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा कर सकती थी और उस स्थिति में विधेयक अनावश्यक होता। इसलिए हमें इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि पिछले 30 वर्ष में अल्पसंख्यकों ने बहुत कष्ट सहे हैं। हम राजनीतिज्ञों ने उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में प्रविष्ट नहीं होने दिया। हम उनका उपयोग स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए करते रहे हैं। यदि अल्पसंख्यक अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो देश की समृद्धि एवं एकता सुदृढ़ होगी।

श्री चित्त बसु : विचाराधीन विधेयक के संबंध में..................

सभापति महोदय : आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

आधे घण्टे की चर्चा

चम्बल घाटी के विकास की योजना

श्री अर्जुनसिह भदौरिया (इटावा) : सभापति जी, संसदीय इतिहास में यह एक संयोग है, यह एक अनोखी घटना है संसदीय इतिहास में जबकि एक प्रश्न तीन विभिन्न रूपों में तीन सप्ताह में तीन बार आया है। पहली बार जब यह सवाल सदन में आया तो इस सवाल को देश के पुलिस मंत्रालय या गृह मंत्रालय के सुपुर्द करके इसे टालने की कोशिश की गई। हमारा प्रश्न सम्पूर्ण चम्बल घाटी के विकास और उस क्षेत्र में बहने वाली पांच नदियों, हिमालय की कोख से निकली जमनौती, राजस्थान से निकलने वाली चम्बल और मध्य प्रदेश से निकलने वाली तीन नदियां क्वारी, पहूज और सेंक, से संबन्धित था। ये पांच नदियां एक ही स्थान पर मिलती हैं, संगम करती हैं, जिन को पंचनदा कहते हैं। पंजाब में सिर्फ पांच नदियां बहती हैं और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये पांच नदियां एक केन्द्र पर जुड़ती हैं, मिलती हैं और एक संगम बनाती हैं। इस विकास के सवाल को ला एण्ड आर्डर, न्याय और व्यवस्था का सवाल बता कर के, समाप्त करने की कोशिश की गई लेकिन मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी की कोशिश से, उन के हस्तक्षेप से इस सवाल को गृह मंत्रालय की हथियारबन्द पुलिस के दफतर से निकाल कर, योजना आयोग की ठंडी अल्मारी में रखे की कोशिश की गई। फिर से यह दूसरा सवाल ठीक एक हप्ते के बाद 28 मार्च को आया। 28 मार्च को हमारे माननीय राज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया, वह तो उत्तर वही देंगे जो ठंडी अल्मारी से निकल कर योजना आयोग से आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि देश का योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन एक सफेद हाथी है और इस योजना आयोग में सेवा मुक्त होने के बाद जो लोग निष्क्रिय और साथ ही साथ निस्तेज अधिकारी होते हैं, उन को उन के पुराने भ्रष्टाचार का इनाम दे कर वहां पर बैठला दिया जाता है। उन को देश की आम जनता की जिन्दगी की कोई जानकारी नहीं रहती है। उन्हीं लोगों की तरफ से स्वायल कन्जेरवेशन का सवाल बना कर 28 तारीख को जवाब देने की कोशिश की गई। कहा यह गया कि हम 5 वर्षों के अन्दर जमीन को हमवार कर के 20 हजार लोगों को काम देंगे लेकिन इस सवाल का जवाब बनाने वाले यह भूल जाते हैं कि अगर 5 वर्षों के अन्दर लोगों को काम देने की कोशिश की गई, तो अगले आने वाले पांच वर्षों के अन्दर 20 हजार लोग वहां दुर्घर्ष डाकुओं की गोलियों के शिकार बना दिये जाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ स्वायल कन्जर्वेशन से ही सम्बन्धित नहीं है। इतने सालो तक से जो उजडा और पिछड़ा इलाका है, उस का विकास कैसे होगा, यह सवाल भी था लेकिन इस का कोई सही उत्तर न दे कर दो बारा इस को टालने की कोशिश की गई। तीसरी बार ठीक 14 दिन के बाद यह सवाल 11 अप्रैल को फिर से सदन में आया, जिस का उत्तर भी निराशाजनक दिया गया उस उत्तर से उस क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं और जो निर्वाचित लोक सभा के सदस्य हैं उन सभी को बहुत बड़ी निराशा हुई।

मैं आप के माध्यम से सरकार के कानों तक यह सूचना, यह खबर पहुंचाना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही, तो जिस तरह 1907 में उस इलाके में, मध्य भारत में जो हालत पिंडारियों की थी, वह फिर से उस इलाके में बनने वाली है पिंडारियों की सी स्थिति बनन वाली है यदि सरकार ने इस समुच सवाल को ले कर उस क्षेत्र का विकास करने का प्रयत्न नहीं किया । इस सवाल पर मने कहा कि सन् 1907 में वारेन हेस्टिग ने ठीक से इस का ब्योरा दिया था ।

सभापति जी मैं आपके माध्यम से देश के सम्पूर्ण वरिष्ठ नतृत्व और शासन में बैठे हुए सम्पूर्ण वरिष्ठ वर्तमान शासको का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या को सफेद हाथी योजना कमीशन (प्लानिंग कमीशन) को सुपुर्द कर के अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना यह राष्ट्र हित में नहीं होगा । यह सफेद हाथी है—योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन । जितने भी सेवा मुक्त और शक्ति हिन उच्च नौकरशाह होते हैं उन्हें ही अपने पुराने भ्रष्टाचारों के लिये पुरस्कार दे कर योजना आयोग में बैठा दिया जाता है । ऐसे लोग जिनको वस्तु-स्थिति का कोई ज्ञान नहीं, जिन का देश की समस्याओं स कोई लगाव नहीं, वे समस्याओं का समाधान क्या तलाश करेंगे?

चम्बल का प्रश्न आज देश के लिये राष्ट्र का गीत है । बिनो उस क्षेत्र के विकास के देश क उस बड़ हिस्स से जो देश के मध्य के तीन राज्यों का क्षेत्र है, जो देश का तीन चौथाई भाग है, वहां से खुली लूट, डकैती, हिसा और जंगलीपन का खात्मा संभव नहीं है । इस हिंसात्मक मनोवृत्ति को बेरोजगारों को काम दे कर, अशिक्षितों को शिक्षा दे कर, संस्कारहीन को नये संस्कार देकर, यातायात की असुविधा को दूर कर के उस क्षेत्र की प्रतिवर्ष नदियों द्वारा कटती हुई मिट्टी को रोक कर, पंचनदे पर बांध बना कर, सिंचाई की व्यवस्था कर के, भारी बुलडोरों से जमीन को समतल करके, नयी सिंचाई की व्यवस्था करें, कम से कम तीन नई रेल लाईन उस क्षेत्र में दे कर उबड़खाबड़ सैकड़ो वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र को एक हरी-भरी खुशहाली दे कर उसका सुन्दर शांतिप्रिय नागरिकों की घाटी के रूप में निर्माण करें ।

सभापति जी, वहां के गरीब लोग, भूखे और बेकार लोग कब तक दो चक्कियो के पाट के बीच में पिसतें रहेंगे एक चक्की का पाट वहां का निराश उपेक्षित, पुलिस द्वारा बनाया गया बन्दूकधारी डाकू । चक्की का दूसरा पाट है बंदूक और संगीनधारी डाकूओं से भी बड़ा डाकू पुलिस फोर्स ।

चम्बल के क्षेत्र में साक्षरता की क्या स्थिति है ? आप और सदन यह जान कर आश्चयचकित हो जायगा कि पूरे देश में साक्षरता 29.50 है । इसमें ग्रामीण साक्षरता सिर्फ 23 प्रतिशत है और औरतों में साक्षरता केवल 10 प्रतिशत है । यह पूरे देश की स्थिति है, लेकिन चम्बल के इस इलाके में कोटा से ले कर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के इटावा, जालोन बांदा और झांसी के बुन्देलखंड क्षेत्र में साक्षरता केवल 11 प्रतिशत है और ग्रामीण अंचल में नारी जाति की साक्षरता इतनी चिंता जनक है जो कि 2.5 प्रतिशत से भी कम है । 30 वर्षों तक देश की स्वतंत्र सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी वहां पर करने का प्रयत्न किया. में बहुत ही भारी मन से, सभापति जी आपके माध्यम से मंत्रियो और सरकार को बताना चाहता हूं कि उन किये हुए को यह वर्तमान सरकार और कम करना चाहती है ।

सभापति जी, 1969-70 में, उस समय भी मैं लोक सभा का सदस्य था । केंद्रीय सरकार नें 72.50 लाख रुपयें राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में उस भयंकर बीहड़ क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने के लिये, रोड कम्युनिकेशन के लिए, सडकों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया था । तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने यह अनुभव कर के कि सड़कों के निर्माण और विकास से डाकुओं के आंतक में कुछ कमी होगी । 70 से लेकर 74 की बनी हुई सड़कें आज जनता पार्टी की सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल के लिये फूट-फूट कर रो रही हैं । बनी हुई सड़के बिना मरम्मत और देखभाल के टूट रही है । आज उन सड़कों की देखभाल हो रही है और न उनकी मरम्मत का कोई ख्याल किया जा रहा है । जो अधबनी हैं वे सभी सड़कें अपने भाग्य के लिये रो रही है । फूफचौरेन रोड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, वह तो अधबनी पड़ी है । जो बनी है, वह भी टूट रही है । मैं ने उस सड़क को स्वयं भी देखा है ।

सभापति जी, आज जिस क्षेत्र को चम्बल घाटी के नाम से जाना जाता है उसे गुरिल्ला युद्ध का मानसिक प्रशिक्षण इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मिला है । जब अराजकता बढ़ गई तो लड़ाकू जातियों ने अपनी गुरिल्ला लड़ाई के लिये धन एकत्र करने के लिये लूटपाट शुरू की ।

मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पिंडारियों ने मध्य भारत के इसी क्षेत्र में अपना आतंक कायम किया । 1907 में हेस्टिंग्स ने इसका जिक्र करते हुए एक बहुत ही तफसील से ब्योरा दिया है ।

देश के इस हिस्से में जब जब भयंकर अकाल आया तो वहां के लोगों ने अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर लूटपाट शुरू की । वहां के निवासी चोरी करने को हीन और डकैती को साहसिक काम समझते हैं । उस क्षेत्र में आज भी स्वतंत्रता के 30 वर्षों के पश्चात् भी जिसकी लाठी उसकी भैंस है । उस क्षेत्र में जहां पर गरीब जनता दुखी है उन में से विशेष कर हरिजन तो बिल्कुल ही बदतर स्थिति में है :

[श्री अर्जुनसिंह भदौरिया]

सभापति जी, जब तक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक 2, 4 दस्यु दलों का सफाया करने से कुछ नहीं निकलने वाला है। चम्बल घाटी में जब तक भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी है तब तक चम्बल का क्षेत्र इसी प्रकार से धधकता रहेगा। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की वर्तमान सरकारों ने डाकू समस्या पर सोचना ही बंद कर दिया है। केन्द्रीय सरकार भी चम्बल घाटी की समस्या की कानून और व्यवस्था की निगाह से ही देखती है। यह सोचकर पुलिस की संख्या में मनमाने ढंग से वृद्धि की जा रही है। पुलिस को जितना ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है उतनी अधिक वह जंगली और निरंकुश होती जा रही है।

सभापति जी, चम्बल घाटी की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि वहां डाकुओं के लिये अपने को छुपाये रखना बहुत आसान है। चम्बल, यमुना, क्वारी, पहुंज, सैंध और अनेकों सहायक नदियों से घिरे उत्तरी सिरे पर भयावह बीहड़ हैं तो दूसरी तरफ शिवपुर, पहाड़गढ़, गुना और शिवपुरी, इलाके में भारी घनघोर जंगल है। उस क्षेत्र की जमीन पर आबादी का दबाव दरिद्रता के कारण अत्यधिक बढ़ता जाता है। उस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय जो पशुपालन था उसे सरकार के जंगल विभाग ने लगभग चौपट कर दिया है। नदियों के किनारे का यह पूरा क्षेत्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण दिन प्रति दिन उजड़ता जा रहा है। सरकार का जो कुछ भी वहां पर जमीन को बुलडोजरों द्वारा समतल करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम है वह केवल प्रचार मात्र ही है। 9-3-79 को यू०एन०आई० के संवाददाता के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर रेवाइन्स में से केवल 1600 हैक्टेयर में भूमि को समतल किया गया है। भूमि को समतल करने का खर्च भी 0.7 हैक्टेयर पर 2,000 रु आता है जिसे छोटा किसान या भूमिहीन लोग खर्च कर के जमीन नहीं खरीद सकते। इस लिए जो किया गया है वह कटता जा रहा है। बरबादी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है?

उस अभावग्रस्त क्षेत्र में जितने भी अपराध होते हैं उसकी तीन चौथाई जिम्मेदारी वहां की पुलिस पर है? पुलिस का उस क्षेत्र के निवासियों के साथ व्यवहार बिल्कुल उसी प्रकार से ही है जिस प्रकार शिकारी लोग जंगली जीव जन्तुओं के साथ करते हैं। इसीलिये एक समर्पण के बाद दूसरा समर्पण और हर समर्पण के बाद नये डाकुओं के पहले से अधिक भयंकर गैंग बढ़ते चले जा रहे हैं; आज उससे अधिक समय यहां पर फिर पैदा हो चुके हैं जितनोंने लोक नायक के सामने समर्पण किया था।

जब तक सरकार और समाज अपराधियों के मन में यह विश्वास पैदा नहीं कर देती कि उनके अपराधों के कारणों को तलाश कर के दूर किया जायेगा, अगर कुछ अज्ञानवश अपराध हो भी गया हो तो उनको सहानुभूति रखते हुए अपने में सुधार के लिये ही दन्डित किया जायेगा और दंड भोग के बाद उन्हें एक औसत नागरिक के रूप में ही समाज में लिया जायेगा। यह नहीं होगा कि किसी युवक से एक बार भूल से गलती होने पर पुलिस के अपराधपूर्ण रजिस्टर में एक बार नाम दर्ज हो जाने से उसका नाम सदैव के लिये अपराध सूची में लिख लिया जाएगा। यदि समाज और शासन उस क्षेत्र को भूल समस्याओं को समझ कर उनका संभव समाधान अगर करें तो अपराधों में कमी हो सकती है। मैं यह बात बहुत ही विश्वास के साथ चम्बल घाटी के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में कह सकता हूं। पुलिस यदि समाज के प्रतिनिधियों की हैसियत से काम करे और उसका मूल लक्ष्य अपराधों की रोक थाम और कमी करना हो तो बहुत कुछ अपराध रुक सकता है। पुलिस यह सोचती है कि यदि अपराधों में कमी होगी तो उनका धंदा रूक जायेगा। पुलिस का स्वार्थ इसी में है और जितने अधिक अपराध बढ़ेंगे उतनी अधिक उनकी आमदनी बढ़ेगी।

मैं यहां पर डाकुओं के नाम का कोई जिक्र न करके उन्हें इतिहास पुरूष नहीं बनाना चाहता। मैं कुछ अब सुझाव देना चाहता हूं।

1. इस उपेक्षा की नीति की तरफ सरकार का फिर से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आवागमन के साधनों के लिये जो भी धन विश्व बैंक और० ई० ई० सी० यूरोपीय इकोनामिक कम्युनिटी से जो भी सहायता चली आ रही है उसे भरपूर उस क्षेत्र में खर्च किया जाय। राज्य सरकारें अगर खर्च न करें तो केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान दे।

2. विश्व बैंक की तरफ से पचनदे पर जहां पांच नदियों का संगम है वहां पर जो बांध के लिये 600 करोड़ रु० करीब करीब मन्जूर हुआ, जिसका सर्वे हुआ आज उसका पता नही चल रहा है कि उस पर क्या हो रहा है। उस काम को शीघ्र पूरा किया जाय। इसके व्यय करने की जिम्मेदारी केन्द्र पर डाली जाये। केवल 17 करोड़ रुपया ही अभी तक खर्च हो पाया है, वह भी बेतरतीब, निरूद्देश्य और निष्फल सिद्ध हुआ है। जो भी धन केन्द्र से दिया जाता है वह खर्च नहीं हो पाता है, राज्य सरकारें केवल खामोश बैठी हैं, उस पर ध्यान नहीं देती है।

3. मेरा सुझाव है कि उस क्षत्र- क जो भी संसद्-सदस्य है, राज्य गृहमंत्री, राज्य योजना मंत्री, उस क्षेत्र के विधायक और प्लानिंग कमीशन क एक प्रतिनिधि, इन सब की एक स ति बनाई जायें, जिसमें तीन-तीन व्यक्तियों की एक-एक

टीम कभी-कभी वहां जा कर काम का निरीक्षण करें, वहां की आवश्यकताओं को देखे, जिस ढंग से वहां का विकास संभव हो, उसकी जांच कर के अपनी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार को देती रहे ।

4. श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में वहां के निर्माण कार्य को देखने के लिये एक समिति गठित हुई थी। जनता पार्टी की सरकार ने उस समिति को भी इन्दिरा गांधी की योजना समझकर समाप्त कर दिया । उस समिति का गठन फिर से किया जाये ।

5. हमारा सुझाव है कि तीन राज्यों के उस क्षेत्र में कम-से कम वहां पर प्रत्येक राज्य के उद्योग धंधे, राजकीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जायें और लघु तथा कुटीर उद्योगों तथा दस्तकारियों के प्रोत्साहन के लिए यहां गहन विकास योजनाएं शुरू की जायें ।

6. केन्द्र सरकार की ओर से पूरे क्षेत्र के लिये, शिक्षा के विकास और प्रौढ़ शिक्षा के लिए पृथक बजट एलाट किया जाये । हर वर्ष उस क्षेत्र में 100 प्राथमिक पाठशालाएं, 50 माध्यमिक पाठशालाएं जुनियर हाई स्कूल और 30 हाई स्कूल तथा 5,5 टेक्नीकल स्कूल इन तीन राज्यों में पृथक-पृथक स्थापित किये जायें ।

7. उन तीन राज्यों के क्षेत्र में, जो भारतीय सेना के सिपाहियों का क्षेत्र है, जो युद्ध के दिनों में तोप की खुराक हैं, जो युद्ध के समय काम में आते हैं, उस क्षेत्र के लिये एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाये।

8. इस पूरे क्षेत्र में वर्तमान पुलिस को हटाकर सेना के सेवामुक्त सैनिकों का एक पुलिस दल गठित कर के रखा जाये । इस नये फोर्स को भ्रष्टाचार का अनुभव न होने के कारण वहां पर काम मानवीय ढंग पर चलना संभव होगा ।

9. एक रेल लाइन भिंड से फर्रुखाबाद तक डाली जाये और दूसरी भिंड से सहसों तक चलाई जाये ।

10. आगरा से वह होकर एक रेलवे लाइन से दिवियापुर से मिलाया जाये ।

11. कटी हुई भूमि में वन लगाने की नीति में परिवर्तन किया जाये । उद्देश्य केवल कटाव रोकना ही नहीं, अपितु वनों से वहां के बेरोजगारों की रोजी दिलाना भी हो। गांव के लोगों का सहयोग लिया जाये और पैदावार में उनको हिस्सा दिया जाये ।

अन्तमें मैं अपने राज्यमंत्री श्री फजलुर रहमान से अपील करूंगा कि वह कमेटी की यहां पर घोषणा करें और जो मैंने एक सिद्धान्त बताया है और साथ ही साथ में उनको दो दिन के लिये उस क्षेत्र में चलने के लिये निमंत्रित करता हूं कि वह उस क्षेत्र को चलकर देखें और वहां पर उनकी क्या दिक्कतें हैं, उसको महसूस करें और योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष उसे उपस्थित करें। इन शब्दों के साथ मैं उमीद करता हूं कि चम्बलघाटी के विकास का काम शुरु होगा। ताकि बढ़ती हुई हिंसा रुके और वहां के नागरिक शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का आभारी इसलिये हूं कि इनको चिन्ता है, बेचैनी है और क्षेत्रीय प्रेम इनके दिल में इस क्षेत्र के विकास के लिये उमड़ रहा है। इन्होंने जो बातें बताई हैं कि पहली बार यह होम मिनिस्ट्री के पास चला गया, दोबारा जवाब आया, यह मेरी बदनसीबी है कि यह मेरी बातों से सन्तुष्ट न हो सके ।

यह अपनी जगह पर मानी हुई बात है कि यह चम्बल वैली 3 प्रान्तों में है—राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश का हिस्सा इसमें शामिल है। सिर्फ ला एंड आर्डर का प्राबलम न समझकर, इसके आर्थिक विकास की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, तीनों राज्य सरकारों को बुलाकर कन्द्रीय सरकार ने बात की ओर उसकी तरफ ध्यान दिया और उसके लिये योजनाएं बनती गईं। यह माननीय सदस्य का कहना कि कोई काम नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है।

सभापति जी, शायद आपने कभी उस हल्केको देखा कि नहीं, पता नहीं पर मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने प्लानिंग कमीशन में आने से पहले उस क्षेत्र का दौरा किया था। और शायद मेरा वही दौरा मुझे यहां लाया है।

यह इलाका बरसों बरस से पिछड़े हुआ है, आवागमन का कोई रास्ता नहीं और उस एरिये के विकास के लिये साधनों की आवश्यकता है । सिर्फ रुपये से ही उसका विकास नहीं होगा, यन्त्र भी ले जाने पड़ेंगे और दूसरा सामान भी ले जाना पड़ेगा । वहां का रास्ता कुछ ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा है कि जिसमें दिक्कतें हैं और यही दिक्कतें विकास की प्रगति में तेजी लाने में बाधक बन जाती हैं ।

[श्री फजलुर रहमान]

माननीय सदस्य ने कहा है कि डेवेलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। मैं उनकी सुचना के लिए बता दूं कि पिछली योजनाओं से लेकर आज तक राजस्थान में लगभग 19 हज़ार हैक्टेयर, यू० पी० में लगभग 13 हज़ार हैक्टेयर और मध्य प्रदेश में 3.61 हैक्टेयर हज़ार हैक्टेयर जमीन का विकास किया जा चुका है और उसपर 548.49 लाख रुपये खर्च किये गये हैं, जिससे पावर और इरिगेशन की भी सुविधा दी गई है। मैं मानता हूं कि जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, और जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम प्लान और स्कीम बना देते हैं, और राज्य सरकारों के द्वारा भी प्लान और स्कीमें यहां आती हैं, और मेरे जैसे शख्स उन्हें देख कर काम के लायक बातों को छांट लेते हैं, मगर आखिर काम तो राज्य सरकारों को ही करना है।

मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि हम चम्बल और यमुना नदियों के वाटर-शैड के विकास के लिए एक इनटेग्रेटिड स्कीम को लागू करने जा रहे हैं। प्लानिंग कमिशन से हम ने उसको क्लीयर कर दिया है। इस वक्त वह स्कीम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में है। मुझे आशा है कि वह स्कीम बहुत जल्द काम में लाई जायेगी।

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, लगभग 220 किलोमीटर तक सड़कें बनी हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वहां पर आवागमान के साधन बहुत कम हैं और जमाने का पिछड़ापन है। अंग्रेजी राज में और पिछले कांग्रेस के राज में भी वहां कोई खास प्रगति नहीं हुई है। जब से जनता पार्टी सरकार में आई है, वह बड़े जोर से यह कोशिश कर ही है कि जितनी जल्दी हो सके, हम चारों और डाकुओं से वहां के लोगों की मुक्ति करा दें और आवागमन की सुविधा दें। लेकिन वहां पर सड़कों और रास्तों की कठिनाई को दूर करना कोई आसान काम नहीं है। वहां पर जिस ज़मीन पर काश्त की जा सकती है, जहां उपज हो सकती है, वह छोटे छोटें नालों की वजह से खराब होती जा ही है। उसकी रोक-थाम के लिए भी स्कीमें और प्रोजेक्ट चलाये गये। कनज़रवेशन आफ सायल की स्कीम भी लागू की गई।

माननीय सदस्य को वन विभाग से भी शिकायत है। उन शिकायतों के बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन माननीय सदस्य ने सरकार की नज़र में ला दिया है कि वन विभाग की तरफ से क्या अत्याचार होता है, जिसके कारण जानवरों की चराई और पालनपोषण में कठिनाई होती है।

जहां तक ला एंड आर्डर का सवाल है, मैंने उस दिन भी कहा था कि यह मामला होम मिनिस्ट्री से सम्बन्ध रखता है। असल में चम्बल वैली का सवाल ऐसा है, जिसमें होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री सब की सब आ जाती हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हम चाहते हैं कि विभिन्न विभागों की स्कीमें ज़मीन पर पहुंच जायें, लेकिन जब यहां से स्कीमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास जाती हैं, तो हम नहीं जानते कि उनके विशेषज्ञ किस तरह काम करते हैं, या नहीं करते हैं। अगर हम सीधे इन्टरफीयर करें, तो कहा जायेगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के काम और एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करती है।

मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने जो सुझाव और मश्वरे दिये हैं, मैं उन तमाम की जांच-पड़ताल ज़रूर कराऊंगा, और उनमें से जो बातें अमल के लायक होंगी, सरकार को उन्हें अमल में लाने में कोई दिक्कत या उज्र नहीं होगा। उनकी यह इच्छा है कि एक कमेटी बना कर योजना विभाग के किसी विशेषज्ञ के साथ, या मैं स्वयं, उनके नेतृत्व में उस सरजमीं पर चलें और वहां की हालत को देखें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य को, जिनका वह हल्का है, या जो लोग इससे सम्बन्धित हैं, उनको ले कर हम ज़रूर चलें।

जहां तक परमानेंट कमेटी का सवाल है अभी शायद वह कार्यान्वित नहीं है। प्लानिंग कमीशन के लोग अगर इंसपेक्शन में जा कर देख कर आ जायें, उससे तो काम होता नहीं है। काम तो करना है राज्य सरकारों को या केन्द्रीय सरकार के जो भिन्नभिन्न डिपार्टमेंट हैं, कुछ उन को भी करना है और वह सब प्लानिंग कमीशन के अंडर में नहीं हैं। हमारे यहां के लोग जा कर के निरीक्षण कर के यही ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि उस की प्रगति की,

या उस की कमी की या गति की रिपोर्ट दे सकते हैं । तो यह भी एक आप का सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं और मैं आप को धन्यवाद देता हूं, आप को इस जमीन से जो लगाव है, जो आप को इन स्कीमों के लिए बैचैनी है, आप धैर्य रखिए, आप से कम बैचैन आप की बातों को सुन कर यह लोकप्रिय जो आप की सरकार है, वह नहीं है। लेकिन उन अड़चनों को भी जरा सोचें कि किन अड़चनों और दिक्कतों में इन साधनों को आप तक पहुंचाया जायेगा और कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप की सेवा के लिए सारी चम्बल और जमुना की योजना को जल्दी से जल्दी हम कार्यान्वित कराएंगे ताकि आइंदा एलेक्शन में आप को इस जमीन में कोई कठिनाई न हो।

सभापति महोदय : डा० रामजी सिंह, इतने सुन्दर जवाब के बाद आप को अभी कुछ पूछना है ?

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, सचमुच में जवाब तो इतना सुन्दर है लेकिन चम्बल के नाम से एक तरफ जब डाकुओं का भय होता है तो चम्बल घाटी में जो शांति का प्रयोग हुआ उस से भी अंगुलिमाल और वाल्मीकि का स्मरण होता है और यही कारण है कि हमारे माननीय सदस्य भदोरिया साहब इस क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान दिला रहे हैं।

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि चम्बल का यह इलाका बड़ा खतरनाक है। चार तरह की जमीन है जिस में डेढ़ मीटर, दो मीटर गहरी, तीन मीटर गहरी और पांच मीटर गहरी तक है और वहां उस क्षेत्र के विकास के लिए जयप्रकाश बाबू के समय जब डाकुओं ने समर्पण किया उसी समय से यह बात नहीं चल रही है। पवार कमीशन आज से 60 वर्ष पहले बना और उस ने सिफारिश की थी कि इस समूचे क्षेत्र की जमीन को ठीक कर के यहां विकास किया जाय। उस के बाद सौयल कंजर्वेशन के अमेरिकन एक्सपर्ट डा० सोहार्ट जब यहां आए तो उन्होंने घाटी से लेकर भूमि के वनरोपन, अधिक भरा जहां पर नियंत्रण की सिफारिश की ।

तो यह सारी बातें हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह क्षेत्र जो 60 वर्षों से उपेक्षित रहा है और अब खास कर के जिन्होने समर्पण किया करीब चार सौ डकैत भाइयों ने, उन्होंने जो योगदान किया है उसके बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष जिम्मेदारी आती है । साधारण तो विकास सब जगह होता है। योजनाएं सब जगह बनती हैं, लेकिन इस के लिए विशेष जिम्मेदारी आती है और इसीलिए अभी इधर एक अखबार ने लिखा है —

"भयंकर प्राकृतिक दृष्य को बदलने के लिए"

सभापति महोदय : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

डा० रामजी सिंह : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चम्बल घाटी की जो ऐसी दुर्दशा है और जो उस का एक ऐतिहासिक माहौल बना उस के लिए क्या योजना विभाग एक विशेष योजना तैयार करेगा ताकि जो दूसरे लोग हैं जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से गलत पेशा अख्त्यार करते हैं उनके सामने एक आदर्श हो कि नहीं, चम्बल में मोहर सिंह और माधो सिंह ने समर्पण किया था और केवल उन के जीवन का ही परिष्कार नहीं हुआ बल्कि उन के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक नया संस्कार हो गया ताकि लोग आगे डकैत न बन सकें; तो क्या आप इस के ऊपर विशेष कार्यवाही कर के योजना विभाग का एक विशेष सैल बनाएंगे जैसा आप ने आश्वासन दिया ही है और आप जल्दी से जल्दी वहां महात्मा गांधी सेवाश्रम जवरा में है, जहां के लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है उस क्षेत्र की सेवा करने के लिए, क्या आप उस स्वयंसेवी संस्था को योगदान देंगे ताकि सरकार और वह स्वयं-सेवी संस्था दोनों मिल कर उस क्षेत्र का उपकार कर सकें ?

श्री युवराज (कटिहार) : मैं माननीय राज्य मंत्री से पूछना चाहूंगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को मिला कर जो चम्बल घाटी क्षेत्र कहलाता है जिस के विकास के लिए तीन तीन योजनाएं बनीं, आप को यह जानकर आश्चर्य होगा और मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की एस्सिटेंस से 1974-75 में जो योजना बनी थी, वह 57 करोड़ की योजना थी, लेकिन 4 वर्षों में यानी 1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में कुल 26 करोड़ रुपये का री-एम्बर्समेंन्ट हुआ। अब हम एन्टीसिपेट करते हैं कि जनवरी, 1979 तक दस करोड़ खर्च होगा। मैं जानना चाहता हूं—क्या प्लानिंग कमीशन की जवाबदेही

[श्री युवराज]

खत्म हो गई। ऐसा एरिया जहां लाखों हैक्टेअर ज़मीन है—क्या उस की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार पर छोड़ दी जायेगी। मैं समझता हूं—इस में प्लानिंग कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्लान्ज़ हम बनाते हैं, जिन को योजना आयोग कान्करेंस देता है, और वह जब अण्डर-इम्प्लीमेन्टेशन, है, तो हमें देखना चाहिये कि वह निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित होती है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि यह कालावधि योजना है—जून, 1980 तक मध्य प्रदेश में पड़नेवाले क्षेत्र की योजना कार्यान्वित होगी और जून, 1981 तक राजस्थान में पड़नेवाले क्षेत्र की योजना कार्यान्वित होगी। इस में सिंचाई, ड्रेनेज, किसानों की भूमि का विकास, सड़कें, कटाव का नियन्त्रण, 5 लाख एकड़ में एशोअर्ड-इरिगेशन, की योजनाएं है जिस से जनता लाभान्वित होगी। मैं जानना चाहता हूं—इस में असाधारण विलम्ब क्यों हुआ है? यह कह देना काफी नहीं है कि यह ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं जानना चाहता हूं—आप ने जो योजना स्वीकृत की, जिस के लिये वर्ल्ड बैंक से एसिस्टेंस मिली, क्या आप ने पता लगाने की कोशिश की, क्या आप की कोई टीम गई कि 57 करोड़ की योजना इतने दिनों तक जो कार्यान्वित नहीं हो सकी उस का क्या कारण है? क्या आप की ओर से कोई ऐसा प्रयास किया गया है?

श्री फज़लूर रहमान : माननीय सदस्य डा० रामजी सिंह की बात का जवाब मैं क्या दूं। भारत वर्ष में जैसा उन्होंने कहा—एक वाल्मीकी नहीं अनेक वाल्मीकि पैदा हों। वाल्मीकि के अलावा अब तो तूलसी दास को भी पढ़ने लगे हैं। यह काम तो होम मिनिस्ट्री का था, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि इस नई योजना की बात क्या, जितनी भी स्कीमें हैं, सभी नई हैं। प्लानिंग कमीशन में सेल बने हुए हैं कि किस तरह की स्कीम को कौन सा एक्सपर्ट हैण्डिल करेगा। जब कोई योजना आती है तो प्लानिंग कमीशन में डिस्कस हो कर पास की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन की कोई चिन्ता नहीं है या वह कोई देखरेख नहीं करती है। अगर देखरेख नहीं करेंगे तो अब तो रोलिंग प्लान का सिलसिला चल रहा है, फिर कैसे बटायेंगे और कसे बढ़ायेंगे। इस लिये उस में हम लगे हुए हैं।

जहां तक आश्रम का सवाल है—प्रधान मंत्री जी और डा० रामजी सिंह की एक ही विचार-धारा है। प्लानिंग में ऐसा कोई अनुदान नहीं है जो आश्रम को दे सके . . .

डा० रामजी सिंह : आप विकास के काम के लिये दें।

श्री फज़लूर रहमान : विकास का काम भी अगर प्लानिंग कमीशन स्वयं करती तो हम ज़रूर कहते कि यह भी कर लो, लेकिन इस को राज्य सरकार करती है, या दूसरे डिपार्टमेन्ट्स करते हैं।

जहा तक माननीय सदस्य युवराज का सवाल है—57 करोड़ के खर्चे की जो बात है उस में 18 करोड़ मध्य प्रदेश के लिये और बाकी राजस्थान के लिये है। मैंने कहा था कि 17 करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन मार्च, 1979 तक यह 26 करोड़ हुआ है। मैंने माननीय सदस्य भदोरिया जी का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार कोई खुशी नहीं होगी कि इस पैसे को अपने खज़ाने में रख कर इन्टरेस्ट पर चलायें। जब काम की सुविधा न हो, काम करने में इतनी अड़चनें हों, आवागमन के रास्ते ठीक न हो, तो काम धीमी गति से होगा। लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट भी इस पर निगरानी रखता है ताकि काम में जितनी तेज़ी हो सके, लावे। मैं यह भी कह दूं कि 26 करोड़ रुपये के अलावा मैंने 10 करोड़ रुपया और भी दिया है—1980 तक के लिये, ताकि काम में पैसे की दिक्कत न हो और जहां तक जल्दी हो सके, काम चले।

इसके पश्चात लोकसभा 23 अप्रैल, 1979/3 वैशाख 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

भा०स०मु०ना०—सैं०8—173 एल०एस०एस० (एन०डी०)/79—7-8-79—210.